FOR REFERENCE ONLY.

माला, खंड 25, अंक 40

शुक्रवार, 17 मई, 2002
27 वैशाख, 1924 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. 53
Date 13/6/2003

(खण्ड 25 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी०सी० चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा० राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

राजकुमार
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 25, नौवां सत्र, 2002/1924 (शक)]

अंक 40, शुक्रवार, 17 मई, 2002/27 वैशाख, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 741 से 742	1-26
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 2	26-33
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 743 से 760 . .	33-57
अतारांकित प्रश्न संख्या 7712 से 7908	57-273
सभा पटल पर रखे गए पत्र	273-291
राज्य सभा से संदेश	291
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	291
गैर - सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	
कार्यवाही सारांश	292
श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति	
बाईसवां प्रतिवेदन . .	292
पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति	
अट्ठाईसवां प्रतिवेदन	292
सरकारी विधेयक - पुर: स्थापित	
(एक) भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक	293
(दो) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक . .	293
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) गुजरात में ''सांइस सिटी'' के निर्माण के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा	294
(दो) दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत चन्द्रपुर ताप-विद्युत स्टेशन और बी०टी०पी०एस० भूमि का वाणिज्यिक उपयोग सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय .	294-295
(तीन) मध्य प्रदेश में जबलपुर क्षेत्र में घटते जल स्तर की ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रह्लाद सिंह पटेल	295

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(चार) उड़ीसा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम का पुनरूद्धार किए जाने के लिए राज्य सरकार को सलाह दिए जाने की आवश्यकता	
श्री अनन्त नायक	295-296
(पांच) राजस्थान में चुरू जिले में सिद्धमुख सिंचाई परियोजना में कतिपय गावों को सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम सिंह कस्वां . .	296
(छह) आन्ध्र प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती रेणूका चौधरी	296-297
(सात) सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता	
श्री जे०एस० बराड़ . .	297
(आठ) उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उद्योग धन्धे स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह	297-298
(नौ) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर पालोलीपलम में एक पुल और पहुंचमार्ग के निर्माण के लिए केरल सरकार द्वारा भेजे गए भूमि अर्जन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
प्रो० ए०के० प्रेमाजम	298
(दस) देश में तम्बाकू उत्पादकों और तम्बाकू उद्योग के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री वाई०वी० राव	298-299
(ग्यारह) उत्तर प्रदेश में नगला दीना, फतेहपुर में वर्षा जल निकासी के लिए एक नाले के निर्माण की अनुमति देने के लिए छावनी बोर्ड को निदेश दिए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्र भूषण सिंह .	299
(बारह) महाराष्ट्र में कोल्हापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इंटर-सर्कल और इंट्रा-सर्कल टेलीफोन कालों के लिए शुल्क वसूल किए जाने में व्याप्त विसंगतियां दूर किए जाने की आवश्यकता	
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक	300
(तेरह) देश में किसानों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता	
डा० सुशील कुमार इन्दौरा	300-301

विषय	कॉलम
(चौदह) सुंदरवन क्षेत्र में एक उच्च शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री सनत कुमार मंडल	301
(पन्द्रह) उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर अधिक सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री अमीर आलम	301-302
नियम 193 के अधीन चर्चा	
जम्मू में कालूचक में बस यात्रियों और सेना शिविर पर आतंकवादी हमला	
श्रीमती सोनिया गांधी . . .	302-305
श्री मदन लाल खुराना .	305-311
श्री सोमनाथ चटर्जी	312-320
श्री के० येरननायडू	320-322
श्री मुलायम सिंह यादव . . .	323-330
कुमारी ममता बनर्जी .	330-333
श्री राशिद अलवी	333-337
श्री अनंत गंगाराम गीते	337-339
श्री के० मलयसामी .	339-341
प्रो० चमन लाल गुप्त	342-347
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	347-362
श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम	362-364
श्री पूर्णो ए० संगमा	364-369
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव .	369-372
श्री उमर अब्दुल्ला	374-379
श्री ब्रह्मानन्द मंडल	379-382
श्री भर्तृहरि महताब	382-385
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह	385-387
कैप्टन (सेवा निवृत्त) इन्द्र सिंह	388-389
श्री सनत कुमार मंडल . .	389
श्री अमर राय प्रधान	390-391
श्री हरीभाऊ शंकर महाले	391
श्री अजय चक्रवर्ती . .	391-393

विषय	कॉलम
सरदार सिमरनजीत सिंह मान	393
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	394
चौ० तालिब हुसैन	394-399
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	399-411
जम्मू में कालूचक में आतंकवादी हमले की निन्दा और शोक संतप्त परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के बारे में संकल्प .	411-412
विदाई उल्लेख	
अध्यक्ष महोदय	413-416
राष्ट्रगीत	416

लोक सभा

शुक्रवार, 17 मई, 2002/27 वैशाख, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए।*]

[अनुवाद]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय : श्री थावरचन्द गेहलोत, प्रश्न संख्या 741।

[हिन्दी]

विदेशी ऋण

+

***741. श्री थावरचन्द गेहलोत :**
श्री ए० नरेन्द्र :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व के ऋणी देशों में भारत की स्थिति क्या है;

(ख) सरकार पर 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार कुल कितना विदेशी ऋण था;

(ग) भारत को प्रति वर्ष कुल ऋण पर कितना ब्याज देना पड़ता है;

(घ) पिदले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विदेशी और घरेलू ऋणदाताओं को देश-वार और संस्था-वार मूलधन और ब्याज की कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया; और

(ङ) सरकार की ऋण चुकाने और ऋण के बोझ से मुक्त होने के लिए क्या योजनाएं हैं ?

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित नवीनतम विश्वव्यापी विकास वित्त, 2000 (जी०डी०एफ०) के अनुसार बकाया कुल विदेशी ऋण के संदर्भ में वर्ष 2000 में विश्व के सर्वोच्च पन्द्रह ऋणी देशों में भारत नौवें स्थान पर है और कुल विदेशी ऋण के वर्तमान मूल्य (पी०वी०) के संदर्भ में यह दसवें स्थान पर है। फिर भी, भारत को कम ऋणी देश की श्रेणी में रखा गया है।

(ख) मार्च, 2002 के अंत में बहुपक्षीय और द्विपक्षीय स्त्रोतों से सरकार का विदेशी ऋण 40.58 बिलियन अमरीकी डालर था।

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा अदा किए गए विदेशी ऋण के मूलधन और ब्याज का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

सरकारी खाते पर ऋण शोधन अदायगियां

(आंकड़े मिलियन अमरीकी डालर में)

क्र०सं०	ऋणदाता	1 अप्रैल, 2002-31 मार्च, 2001			1 अप्रैल, 1999 से 31 मार्च, 2000			1 अप्रैल, 1998 से 31 मार्च, 1999		
		मूलधन	ब्याज	जोड़	मूलधन	ब्याज	जोड़	मूलधन	ब्याज	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
I.	बहुपक्षीय									
1.	आईडीए	367.89	137.66	505.54	329.83	139.13	468.96	287.69	134.28	421.97
2.	आईबीआरडी	829.79	319.86	1149.65	746.18	382.88	1129.06	730.40	415.77	1146.16
3.	एडीबी	117.16	159.24	276.40	96.65	147.04	243.69	80.95	130.29	211.24
4.	आईएफएडी	5.44	2.16	7.60	5.46	2.20	7.66	5.05	2.06	7.10
5.	अन्य	11.36	0.67	12.02	13.22	0.68	13.90	13.34	0.69	14.03
	जोड़	1331.64	619.58	1951.21	1191.34	671.93	1863.28	1117.42	683.09	1800.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
II.	द्विपक्षीय									
1.	जापान	319.14	227.51	546.65	288.49	228.25	516.74	241.08	189.51	430.59
2.	जर्मनी	111.89	27.12	139.01	123.96	34.41	158.36	136.20	43.00	179.20
3.	संयुक्त राज्य	139.11	38.29	177.39	136.27	41.38	177.65	134.03	44.45	178.48
4.	फ्रांस	45.30	24.26	69.56	50.10	29.41	79.52	54.63	34.46	89.10
5.	नीदरलैंड	42.51	11.86	54.37	46.38	13.96	60.33	50.16	15.99	66.15
6.	रुसी संघ	57.25	8.45	65.70	59.24	9.45	68.69	53.36	11.16	64.52
7.	अन्य	104.77	8.51	133.30	112.86	10.36	123.23	132.32	12.99	145.31
	जोड़	819.97	346.00	1165.98	817.30	367.22	1184.52	801.78	351.56	1153.35
	कुल जोड़	2151.61	965.58	3117.19	2008.64	1039.15	3047.79	1919.20	1034.65	2953.85

टिप्पणी : जहां तक विदेशी ऋण का संबंध है इसका कोई घरेलू ऋणदाता नहीं है।

(ङ) सरकार एक विवेकपूर्ण विदेशी ऋण प्रबंधन नीति का पालन करती है। जिसके अन्तर्गत रियायती और कम महंगे ऋण पर ध्यान देते हुए केवल बहुपक्षीय और द्विपक्षीय स्रोतों से विदेशी ऋण लेने, कुल विदेशी ऋण के परिपक्वता गठन को प्रबंधकीय सीमाओं में बनाए रखना, लघु आवधिक ऋण को सीमित रखना, अधिक महंगे विदेशी ऋण की पूर्व-अदायगी, पूंजी खाते पर ऋण-भिन्न सृजक वित्तीय प्रवाहों तथा चालू खाते पर निर्यातों और अदृश्य मदों को प्रोत्साहन देने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

श्री थावरचन्द गेहलोत : अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न के 'ख' भाग में मैंने पूछा था – सरकार पर 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार कुल कितना विदेशी ऋण था ? उत्तर में केवल बहुपक्षीय और द्विपक्षीय ऋण की जानकारी दी गई है, जबकि पिछले सत्र में पूछे गए एक प्रश्न में बताया गया था कि लगभग नौ प्रकार के ऋण हैं – बहुपक्षीय ऋण, द्विपक्षीय ऋण, आई०एफ० ऋण, निर्यात ऋण, वाणिज्यिक ऋण, एन०आर०आई० ऋण, एफ०सी० ऋण, रुपया ऋण, दीर्घकालिक ऋण और अल्पावधि ऋण। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 31 मार्च, 2002 तक इन सब प्रकार के ऋणों में कुल कितना ऋण है, जबकि जानकारी सिर्फ दो प्रकार से ऋणों की दी गई है ? मेरा दूसरा प्रश्न है, भारत के कुल राजस्व में कुल कितना प्रतिशत ब्याज में हम पैसा देते हैं, जो ऋण देश ने ले रखा है ?

श्री यशवन्त सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था – 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार सरकार पर कितना विदेशी ऋण था – इसमें एक टैक्कनीकल डिस्टिंक्शन है, सरकार का एक डैट स्टाक है और पूरे देश का एक डैट स्टाक है। प्रश्न पूरे देश के बारे में पूछा है, हमने 31 मार्च, 2002 का जो डैट स्टाक है, उसके आंकड़े दिए हैं और 31 मार्च, 2002 तक पूरे देश के डैट स्टाक के आंकड़े उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उसमें समय लगता है। उस सूचना को जब हम एकत्र कर लेंगे, तो उसको हम संसद में उपलब्ध करवा देते हैं। मैं सदन का ध्यान दो पब्लिकेशन्स की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें एक्सटर्नल डैट के ऊपर बिल्कुल पारदर्शी ढंग से सारी सूचना देते हुए, सूचना संसद की लाइब्रेरी में रख देते हैं। उसमें यह सारी सूचना उपलब्ध रहती है, लेकिन यह सूचना आज के दिन उपलब्ध नहीं है और जब उपलब्ध होगी, हम संसद की लाइब्रेरी में रख देंगे।

दूसरा प्रश्न है, इन्टरनल और एक्सटर्नल टोटल डैट मिलाकर कुल कितना अंश बनता है, इस बात की हमने सदन में चर्चा की है कि लगभग 48-50 प्रतिशत सिर्फ इन्टरैस्ट में पेमेंट का जाता है।

श्री थावरचन्द गेहलोत : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने प्रश्न के 'ङ' भाग के उत्तर में कहा है – सरकार एक विवेकपूर्ण विदेशी ऋण प्रबंधन नीति का पालन करती है, जिसके अंतर्गत कुल विदेशी ऋण के परिपक्वता गठन को प्रबंधकीय सीमाओं में बनाए रखना – यह भी एक बिन्दु है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई निर्णय लिया है, जिसके आधार पर जो ऋण लिया जाता है, उसकी कोई अधिकतम सीमा तय होती है, जिससे आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ऐसी स्थिति न बनें और देश का दिवालियापन घोषित न हो ? इसके साथ ही जो राज्य सरकारें विदेशों से ऋण लेती हैं, उन पर रोक लगाने की कोई नीति है ?

श्री यशवन्त सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की कोई सीमा तय नहीं है। हमारा जो विदेशी ऋण है – चाहे वह सरकार का हो, पब्लिक सैक्टर या निजी क्षेत्र का हो, उसके बारे में हम लगातार सावधानी बरतते रहे हैं। ... *(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत : केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 2002 में निर्णय लिया था कि अधिकतम सीमा तय करेंगे। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में मत बोलिए, मंत्री जी का उत्तर पूरा होने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री सुशील कुमार शिंदे : वह सरकार की ही मदद कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मदद तो विपक्षी दलों की तरफ से की जानी चाहिए न कि सत्ताधारी दल की तरफ से।

[हिन्दी]

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, मैं यह निवेदन यह कर रहा था कि जो सुधार हुआ है, जितने हमारे मापदंड हैं उनके अनुसार जो देश के डेब्ट स्टाक में इनडेब्टेड सुधार हुआ है, जिसका विवरण यह है कि अगर दुनिया के 15 सबसे इनडेब्टेड देशों को देखा जाए तो उसमें भारत जिसके आंकड़े वल्ड बैंक जैसी संस्थाएं मेन्टेन करती हैं उसमें हम पाते हैं कि कुल विदेशी ऋण की दृष्टि से हम नौवें स्थान पर हैं। दूसरा हम पाते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में ऋण भार इसमें चीन ही एक ऐसा देश है जो इन 15 में हमसे आगे है, उसके बाद भारत है। हम शार्ट-टर्म डेब्ट में सबसे आगे हैं और दूसरा जो है, विदेशी मुद्रा भंडार की तुलना में ऋण का प्रतिशत उसमें भी हम बहुत आगे है। हमें दूसरे लोग और वर्ल्ड बैंक कहता है कि भारत आज लैस इनडेब्टेड देशों में है – सेवियरली इनडेब्टेड, मोडरेटली इनडेब्टेड और लैस-इनडेब्टेड देश है। हमारा जो केटेगराइजेशन है, वह 1999 से लैस-इनडेब्टेड देशों में हुआ है। इसलिए यह पूरी तरह से नियंत्रण में है और कोई चिन्ता की बात नहीं है। मैं माननीय सदस्य और पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि दीवालिएपन का कोई सवाल ही नहीं होता। माननीय सदस्य ने जो दूसरा प्रश्न पूछा था कि राज्य सरकारें सीधे विदेशी ऋण ले रही हैं। मैं सदन में इसका बिलकुल पुरजोर खंडन करना चाहता हूं कि किसी राज्य सरकार को यह अनुमति नहीं है, भारत के संविधान के अनुसार और इस सरकार की नीतियों के अनुसार कि वह सीधे किसी प्रकार का ऋण ले। बाहर से जो भी ऋण आता है, वह भारत सरकार स्वयं लेती है और उसके जो मापदंड तय हैं, उसके अनुसार हम राज्यों को वितरित करते हैं।

[अनुवाद]

श्री ए० नरेन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुपूरक प्रश्न वर्षों से उभरती हुई अर्थ व्यवस्थाओं में हुए सुधार की तुलना में भारत के ऊपर ऋण भार की स्थिति के संबंध में है। जैसा कि उत्तर में बताया गया है, ऋण भार की दृष्टि से हम नौवें स्थान पर है। यह इस सरकार की अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मैं इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री, माननीय वित्त मंत्री और सरकार की प्रशंसा करता हूं।

लेकिन 2001-02 के दौरान हम इस वर्ष की समग्र ऋण लेने की सीमा को पार कर गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस स्थिति से कैसे निबटेगी और ऋण भुगतान की स्थिति का सामना कैसे करेगी ताकि भारत में दक्षिण पूर्व एशिया जैसी स्थिति पैदा न हो।

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ऋण लेने की निर्धारित सीमा से अधिक ऋण लेने की समस्या से कैसे निबटेगी जिससे एक न्यूनतम स्तर बनाया जा सके और क्या निर्धारित सीमा से अधिक ऋण लेने से पूरी वित्तीय स्थिति एवं लक्ष्य निर्धारण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सरकार भविष्य में इस समस्या से कैसे निबटेगी?

श्री यशवन्त सिन्हा : जैसा कि मैंने पूर्व में पूछे गए अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा है, मैं पूरी दृढ़ता के साथ कहता हूं कि यह क्षेत्र चिन्ता का विषय नहीं है। सभी सूचकांको के अनुसार देश पर विदेशी ऋण की स्थिति नियंत्रण में है। महोदय, यदि आप अनुमति दें तो मैं पूरी सभा को जानकारी दूं, जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि यदि आप इस दशक के शुरूआत के वर्ष 1991 से उपलब्ध आंकड़ों के संदर्भ में देश पर ऋण भार की स्थिति देखें तो यह स्पष्ट होगा कि इसमें पर्याप्त सुधार हुआ है; और जैसा कि मैंने कहा है, यह बाह्य स्थिति एवं भारत सरकार के बाह्य खाता के सावधानीपूर्वक एवं कुशल प्रबंधन के कारण संभव हो सका है।

माननीय सदस्य के मन में निर्धारित सीमा को पार कर जाने के संबंध में जो आशंका है; उसके विषय में मैंने कहा है कि हम इस प्रकार का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हम विदेशी वाणिज्यिक ऋण का एक लक्ष्य रखते हैं। उसके लिए हम एक अस्थायी संख्या का लक्ष्य निर्धारित करते हैं जिसकी सीमा में ही कार्य करना होता है और शायद ही कभी हम उस संख्या की सीमा पार करते हैं। गत चार या पांच वर्षों में किसी भी मामले में बाह्य स्थिति में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है।

माननीय सदस्य ने पूर्वी एशिया के संकट का उल्लेख किया। हमें इस सभा में पूर्वी एशिया के संकट के कारणों एवं व्यापकता पर बहस करने का अवसर मिला है। सभी को ज्ञात है कि पूर्वी एशिया में संकट का कारण उन देशों में अल्पकालिक ऋण की प्रतिशतता थी। हमारे पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2001 के अन्त तक अल्कालिक ऋण 3.5 प्रतिशत था। यह प्रतिशत देश के ऊपर कुल ऋणभार से है। अल्पकालिक ऋण वह होता है जिसकी परिपक्वता अवधि एक वर्ष से कम होती है जैसा कि समान्यत: व्यापार लेखा के संबंध में होता है। इसका प्रतिशत 3.5 से कम था। यदि 1990-91 में इस देश ने भुगतान संतुलन के संकट का सामना किया तो इसके अनेक कारण थे लेकिन उनमें एक कारण अल्पकालिक ऋण की ऊंचा प्रतिशतता थी। अत: बहुत समय से सरकार का प्रयास रहा है कि अल्पकालिक ऋण के प्रतिशत को घटाकर 3.5 प्रतिशत किया जाए जो कि 30 सितम्बर, 2001 को और घटकर 2.8 प्रतिशत पर आ गया था।

मैं सभा को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस विषय में भारत को चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्वी एशिया संकट, लेटिन अमरीका संकट और शेष विश्व में अन्य प्रकार के संकट आए हैं। उनका भारत पर प्रभाव नहीं पड़ा है। और हमारे विदेशी मुद्रा भण्डार में लगातार वृद्धि हुई है। उसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह भारत सरकार तथा समग्र राष्ट्र द्वारा विदेशी क्षेत्र के प्रबंधन में योगदान के कारण संभव हुआ।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : वास्तव में, मुझे सरकार के ऊपर बढ़ रहे ऋण भार की चिन्ता है। वास्तव में, स्थिति इतनी गंभीर है कि संसद बजट का केवल 39 प्रतिशत ही पारित कर सकती है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 2000-01 के प्रतिवेदन के अनुसार, कुल संवितरण का 61 प्रतिशत जो कि भारत की समेकित निधि से प्रभारित किया जाता है, ब्याज एवं मूलधन के भुगतान में ही चला जाता है। वास्तव में सरकार की यह प्रवृत्ति देखने में आ रही है कि प्रत्येक वर्ष घाटे की भरपाई उधार ले कर कर रही है। यह भी इस तथ्य के बावजूद कि राजग सरकार को संविधान के अनुच्छेद 292 के अन्तर्गत इस संसद में एक संकल्प पारित करके एक सीमा तय करनी पड़ी। वर्ष दर वर्ष, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यह टिप्पणी करते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वे ऋण सीमा तय करने हेतु इस प्रकार का कोई संकल्प पारित करना चाहते हैं जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 292 में सुझाया गया है। यह मेरे प्रश्न का पहला भाग है।

मेरे प्रश्न का यह अगला भाग है। प्रभारित व्यय को कम करने के लिए वे क्या उपाय करना चाहते हैं जो इस सभा में हम लोगों द्वारा पारित कुल बजट का लगभग 69 प्रतिशत है।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, यह प्रश्न भारत के विदेशी ऋण के संबंध में है। *(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री : कुल ऋण – विदेशी और घरेलू – 69 प्रतिशत है।

श्री यशवन्त सिन्हा : माननीय सदस्य ने देश के कुल ऋण का उल्लेख किया है। जहां तक कुल ऋण – घरेलू और विदेशी दोनों का सम्बन्ध हैं – उनका चिन्ता व्यक्त करना सही है।

जैसाकि मैंने पहले उल्लेख किया है, विदेशी ऋण चिन्ता का विषय नहीं है। घरेलू ऋण चिन्ता का विषय है। मैंने इस चिन्ता को इस सभा में कई बार व्यक्त किया है। वस्तुत: वर्ष दर वर्ष भारत सरकार और राज्य सरकारों का राजकोषीय घाटा – भारत सरकार और राज्य सरकारों के कुल ऋण को दर्शाता है। यह राजकोषीय घाटा खलनायक साबित हो रहा है क्योंकि कई वर्षों से हमारे प्रयासों के बावजूद हम राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने में समर्थ नहीं हो पाए हैं। कार्यवाही वृत्तान्त में इसका उल्लेख है कि मैंने जब इस वर्ष का बजट प्रस्तुत किया था तब भी कहा है कि मैं राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को 5.3 प्रतिशत निर्धारित करते हुए अत्यन्त, दुखी था।

जहां तक ऋण की सीमा तय करने संबंधी संवैधानिक प्रावधान का सम्बन्ध है। माननीय सदस्य को ज्ञात है कि हम इस सभा के समक्ष राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन विधेयक नामक एक विधान लेकर आए थे। स्थायी समिति द्वारा इस विधेयक की जांच कराई गई है और अब यह सरकार के विचाराधीन है। हम यह विधान राजकोषीय नियंत्रण के नियमों को अपने पर लागू करने के उद्देश्य से लेकर आए थे। श्री एस० जयपाल रेड्डी यहां बैठे हैं। उन्होंने मुझे एक बार 'राजकोषीय आतंकवादी' कहा था। वे मुझे कई नामों से पुकारते हैं किन्तु अब उन्होंने मुझे 'राजकोषीय आतंकवादी' कहा है। सच्चाई यह है कि हमें इस देश की राजकोषीय घाटे की समस्या से छुटकारा पाना है। इसलिए हमने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन विधेयक में लक्ष्य तय किए है जिस प्रकार विश्व के अन्य देश कमी लाने में सफल हुए हैं। उसी प्रकार हमने कुल राजकोषीय घाटा और विशेषत: सरकार के राजस्व घाटे में कमी की है। ताकि हमें देश में वृद्धि और विकास के लिए बेहतर आर्थिक वातावरण मिल सके। अब हमारे पास स्थायी समिति की सिफारिशें हैं तो उस विधेयक सरकार द्वारा पुन: लाया जाएगा।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : इस मामले में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वर्ष-दर-वर्ष सरकार द्वारा की गयी प्रभारित व्यय की राशि पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : हमने एक विशेष समिति नियुक्त की थी जिसने उस विधेयक का प्रारूप सुझाया था। नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षकँ के प्रतिनिधि भी उस समिति में थे। हमने उनकी चिन्ताओं को भी ध्यान में रखा है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : आप किस प्रकार प्रभारित व्यय को कम करने का प्रस्ताव करते हैं ?

श्री यशवन्त सिन्हा : प्रभारित व्यय का एक बड़ा हिस्सा सरकार की ब्याज देयता है। यदि हम ब्याज देयता को वर्ष दर वर्ष बढ़ने देते तो हैं इसे कम नहीं किया जा सकता। अपने ऋण बाध्यताओं और ऋण देयताओं को कम करना महत्वपूर्ण है ताकि ब्याज देयता भी कम हो। जब ब्याज देयता कम होती है तो प्रभारित व्यय कम होता है और स्वीकृत व्यय अधिक। मैं आपके माध्यम से इस सभा को पुन: विश्वास में लेना चाहूंगा कि मुद्रा स्फीति की कम दर के परिणामस्वरूप ब्याज दर में कमी सरकार की कुल देयता को कम करने में सफल रही हैं। यह ज्यामितीय रूप से नहीं बढ़ रही है जैसा कि पहले के वर्षों में होता था।

[हिन्दी]

श्री शीशराम सिंह रवि : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मूल प्रश्न का जो उत्तर सभा पटल पर रखा है, उसके विषय में मैं जानकारी चाहता हूं। आई०डी०ए० में मूलधन और ब्याज का रेशियो पढ़ने और देखने से लगता है कि उसके ऊपर हम विदेशी रेट से ब्याज लेते जा रहे हैं और ब्याज मूलधन के बराबर होता जा

रहा है। आई०डी०ए० में मूलधन 367.89 था और ब्याज 137.66 हो गया। इसका मतलब यह है कि काफी समय से ब्याज वापस नहीं किया गया है। इसी प्रकार ए०डी०बी० का मूलधन 117.16 दिखाया है और ब्याज 159.24 हो गया है। 31 मार्च, 2002 को यह विवरण दिया है। इसी प्रकार से वर्ष 1999-2000 में आई०बी० आर०डी० का मूलधन 746.18 मिलियन डालर था और इसका ब्याज 382 मिलियन डालर है। इसी तरह से और कई जगह दिया हुआ है। जापान का 319.14 मिलियन डालर था और उसका ब्याज 227.15 मिलियन डालर है। यह बड़ी दयनीय स्थिति है। जब मूल-धन और ब्याज बराबर हो जायेंगे तो क्या विदेशी लोग हमें यह नहीं कहेंगे कि आपका मूलधन और ब्याज बराबर हो गया है। क्या माननीय वित्त मंत्री जी बतायेंगे कि इसमें से कितना पैसा वापस दिया जा रहा है और उसका ब्याज क्यों बढ़ता चला जा रहा है। क्या इसकी कोई सीमा निर्धारित की जा रही है कि इतना मूलधन था इसका ब्याज इतने दिनों में वापस किया जाना है। यह ऋण 20 साल या 40 साल के लिए था और इसमें से कितना चुकाया गया है। और कितना बकाया है और इसे चुकाने में इतनी डिले क्यों हुई, कृपया मंत्री जी इस बारे जवाब दें।

श्री यशवन्त सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बिल्कुल सही हैं, जो आंकड़े उन्होंने दिये हैं और जो हमने दिये हैं, वह उन्होंने पढ़कर सदन में सुनाये हैं, वे सही आंकड़े हैं। क्योंकि यह ऋण हम कई वर्षों और दशकों से ले रहे हैं। उसके सम्मिलत ब्याज का भार वर्ष दर वर्ष न केवल हमारे ऊपर पड़ता है, बल्कि बढ़ता भी है। जैसे-जैसे हम और अधिक ऋण लेते हैं तो जाहिर है कि ब्याज का भार और बढ़ेगा। कुछ ऐसी परिस्थिति जरूर पैदा हो गई है कि जैसे उन्होंने हमारे उत्तर से पढ़कर सुनाया है कि जो ब्याज हम दे रहे हैं वह मूलधन से ज्यादा हो रहा है और यह एक समस्या है। जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिवर्स फ्लो ऑफ कैपिटल कहते हैं। विकासशील देशों में कई देश ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं कि जो उन्हें सूद चुकाना है, जिसे डैब्ट सर्विस ऑब्लीगेशन कहते हैं, वह भार, जो उन्हें नये ऋण मिल रहे हैं, उससे ज्यादा है। जो हमारे आंकड़े हैं, वे उन वर्षों के हैं जिन वर्षों में हमारे देश के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे। कई देशों ने उस समय अपने हाथ खींच लिये थे और वे हमें कोई नया ऋण नहीं दे रहे थे। इसलिए जो प्रिंसिपल था, वह कम दीखता है, विशेषकर जापान का ऐसा है, जिसने अभी हाल ही में सैंक्शंस को उठाया है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक भारत का प्रश्न है, हमें इसमें तनिक भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आज के दिन हम बहुत मजबूत स्थिति में है, जिसे दुनिया ने भी रिकगनाइज किया है और आज अगर वे हमें लैस इनडैब्टिड मान रहे हैं तो इसी कारण मान रहे हैं, क्योंकि हमने इस पूरी व्यवस्था को नियंत्रण में रखा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री पी०सी० थॉमस।

श्री शीशराम सिंह रवि : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि वह ऋण किन-किन सरकारों के समय में लिया गया था और इसका उपयोग सही मद में हुआ है या नहीं तथा यह इतने ज्यादा समय में वापिस किया गया, इससे लगता है कि इसका सही उपयोग नहीं हुआ होगा।

अध्यक्ष महोदय : आप बाद में प्रश्न नहीं पूछ सकते, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री यशवन्त सिन्हा : जाहिर है जब से देश स्वतंत्र हुआ है, देश विदेशी कर्ज ले रहा है और वह विभिन्न सरकारों ने लिया है। विदेशी ऋण के ऊपर एक्सटर्नल असिस्टैन्स — 2000 जो यह किताब है, यह एक हिस्टोरिकल अकाउन्ट देती है। शुरू से आज तक जितना ऋण हमने लिया है, किस तरह से उसका उपयोग हुआ है, किस मद में ऋण लिया है, ये सारी सूचनाएं पार्लियामैन्ट की लायब्रेरी में उपलब्ध है।

[अनुवाद]

श्री पी०सी० थामस : महोदय, यह नोट करना वस्तुत: हर्ष का विषय है कि हम कम कर्जदार की श्रेणी में हैं यद्यपि हम नौवें स्थान पर हैं।

महोदय, कई राज्य नई परियोजनाएं शुरू कर रहे हैं और वे एशियाई विकास बैंक ऋण और बाह्य स्रोतों से ऋणों के लिए आवेदन कर रहे हैं। भारत सरकार के पास भी राज्यों के इन्हें मानने हेतु कुछ शर्तें हैं ताकि वे इन विदेशी ऋणों के लिए व्यापक पहल कर सकें। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि विशेष परियोजनाओं के संबंध में विदेश से ऋण प्राप्त करने हेतु राज्य किस प्रकार पहल कर सकते हैं; और वे शर्तें क्या हैं जिन्हें हम स्वीकार कर सकते हैं; और वे व्यापक शर्तें क्या हैं जिन्हें राज्यों के मानने के लिए भारत सरकार तय करेगी ?

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, किसी भी राज्य सरकार को अपने लिए ऋण लेने हेतु बातचीत करने या उनसे ऋण प्राप्त करने के लिए किसी अन्तर्राष्ट्रीय या द्विपक्षीय एजेंसी से संपर्क करने की अनुमति नहीं है। ऐसा हमेशा भारत सरकार द्वारा किया जाता है। ऋण दस्तावेज पर भारत सरकार के हस्ताक्षर होते हैं। हम ऋण लेते है और फिर उसे राज्य को देते हैं। अत: बहुपक्षीय स्रोतों और कुछ द्विपक्षीय स्रोतों दोनों से सहायता के संबंध में समस्त दृष्टिकोण और नीति भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। उदाहरणार्थ, हमारी वर्तमान नीति है कि हम इस देश के सामाजिक क्षेत्र की आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए मुख्यत: यह सहायता लेंगे। हम विद्युत, सड़क, ऊर्जा इत्यादि जैसे अपने बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के लिए इस सहायता को लेंगे। हम व्यापक दृष्टिकोण तय करते हैं और तब इस दृष्टिकोण के भीतर इन क्षेत्रों में राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों से प्रस्ताव लेते हैं। तत्पश्चात् भारत सरकार इन प्रस्तावों की जांच करती है। यदि हम उन प्रस्तावों को स्वीकार्य पाते हैं तो उन्हें बहुपक्षीय या द्विपक्षीय एजेन्सी के समक्ष रखते हैं। तब विदेशी सरकारों या बहुपक्षीय संस्थाओं के साथ भारत सरकार के अधिकारी वार्ता करते हैं, जिसमें

राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे और मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। अन्त में, जब समझौता होता है तब भारत सरकार द्वारा दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और भारत सरकार के पास पैसा आता है।

जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है। हमारे पास अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता नामक सहायता है। इस अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, जो केन्द्रीय सहायता के विदेशी संघटक कहलाती है, को उसी अनुपात में राज्यों को दिया जाता है जिस अनुपात में उन्हें केन्द्रीय सहायता दी जाती है अर्थात् सामान्य मामलों में 70 प्रतिशत ऋण और 30 प्रतिशत अनुदान तथा विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में 90 प्रतिशत अनुदान और दस प्रतिशत ऋण। विदेशी ऋण भी इसी अनुपात में दिया जाता है। एकमात्र अंतर यह है कि ऐसे भी कुछ ऋण हैं जो हमें पूर्णत: अनुदान के रूप में मिलते हैं। ऐसे भी उदाहरण सामने आए हैं जब भारत सरकार ने विभिन्न अवसरों पर यथा 1994 में, 1996 में और 1999 में निर्णय लिया था कि जो ऋण पूर्णत: अनुदान के रूप में आ रहे हैं उन्हें राज्यों को अनुदान के रूप में दिया जा सकता है। अत: यही वह समग्र नीति है जिसके अनुसार विदेशी सहायता और विदेशी विकास सहायता का संचालन किया जाता है।

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय, प्रश्न का भाग (घ) घरेलू ऋण दाताओं को भुगतान किए गए मूलधन और ब्याज के संबंध में है। मैं यह कहना चाहता हूं कि भविष्य निधि पर ब्याज भुगतान से सरकार पर भारी बोझ पड़ता है। अत: क्या सरकार के पास भविष्य निधि के निजीकरण का तथा इसका उपयोग म्यूचुअल फंड के रूप में किए जाने की अनुमति देना का कोई प्रस्ताव है ?

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, पहली बात यह है कि यह प्रश्न विदेशी ऋण के विषय में है और माननीय सदस्य का प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। मैं यह कह सकता था कि मुझे इसके लिए अलग से नोटिस की आवश्यकता है। लेकिन माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है वह अत्यन्त विवादास्पद मुद्दा है। इसलिए भारत सरकार ने ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं कि भविष्य निधियां अपने को म्यूचुअल फंड में बदल लें। इस समय भविष्य निधि के न्यासी भविष्य निधि का प्रबंधन कर रहे हैं। जिस सीमा तक हम उनसे कर्ज लेते हैं, उनके लिए हम ब्याज भुगतान हेतु मानदण्ड कर रहे हैं। लेकिन मूल प्रश्न कि इन निधियों पर प्राप्ति अधिकतम होनी चाहिए निश्चित रूप से एक चुनौती है जिसका इन निधियों के न्यासीड सामना करते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, राजकोषीय प्रबंधन विधेयक पर बहुत पहले चर्चा हुई थी और इसे पारित किया गया था और सिफारिशें भी सरकार के समक्ष हैं। एक सुझाव था कि केन्द्र सरकार इन मामलों में राज्य सरकारों से भी चर्चा करनी चाहिए। मैं जानना चाहूंगा कि क्या राजकोषीय प्रबंधन विधेयक के संबंध में राज्य सरकार के साथ इस प्रकार की कोई चर्चा की गयी थी। यह एक प्रश्न है।

मैं माननीय वित्त मंत्री मंत्री के ध्यान में यह बात भी लाना चाहूंगा कि अब केरल में एशियाई विकास बैंक के साथ ऋण स्वीकृत हेतु बातचीत चल रही है।

फिर, इन मामलों में केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश क्या है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऋण लेने में यह शर्त जुड़ी है कि कर्मचारियों की संख्या में कमी की जाए और बिक्री कर तथा अन्य कर बढ़ाए जाएं इत्यादि। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ये शर्तें इस समझौते से संबंध है या नहीं क्योंकि यह कहा गया है कि हजारों- हजार कर्मचारी अब अतिरिक्त पाए गए हैं और उनकी छंटनी की जानी है और यह प्रक्रिया जारी है।

दूसरी बात, एक प्रस्ताव है कि कर को भी बढ़ाया जाएगा और अस्पताल के प्रभारों, सेवा प्रभारों इत्यादि जैसे करों और ऐसे सभी प्रकार के करों में वृद्धि की जा रही है क्योंकि एशियाई विकास बैंक प्राधिकारीगण दबाव डाल रहे हैं कि ये सब किया जाना चाहिए। क्या यह सही है ? वस्तु स्थिति क्या है ? मैं इन सब ब्यौरों के बारे में जानना चाहता हूं क्योंकि यह पहले से ही विभागीय दस्तावेजों में एशियाई विकास बैंक ने ऐसी बातों पर दबाव डाला है।
(व्यवधान)

श्री कोडीकुनील सुरेश : इस पर राज्य सरकार द्वारा चर्चा की गई थी। वे इसे लागू कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार ने कोई दिशा-निर्देश दिया है और क्या राज्य सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच हुए इस समझौते के साथ कोई शर्त है या नहीं ? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब व्यवधान न डालें। माननीय मंत्री जी को उत्तर देने दें।

श्री एन०एन० कृष्णदास : महोदय, यहां कितने मंत्री महोदय उपस्थित हैं ? कोई व्यक्ति उधर से भी जवाब दे रहे हैं।
(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय सिर्फ पीठासीन अध्यक्ष के दायी ओर हैं।

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं वित्तीय प्रबंधन विधेयक के साथ-साथ अन्य बातों के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, जहां तक वित्तीय प्रबंधन विधेयक का प्रश्न है, जिसे इसे मैंने स्थायी समिति की सिफारिशों में कहा है। *(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : इन्होंने संस्तुटियों को पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। मैं यह जानता हूं। *(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, वे सौच चुके हैं। उन्होंने कुछ अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिफारिशें की है। ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है और जैसाकि मैंने कहा कि जब हम इस मामले में अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे तब हम इसे सभा में रख देंगे।

श्री रूपचंद पाल : सरकार प्राय: स्थायी समिति की अनुशंसा को स्वीकार करती है। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप कृपया अन्य सदस्यों को जवाब देने के बजाय उत्तर पूरा करेंगे।

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : राज्य सरकार के मुद्दे का क्या हुआ ? ... *(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, यदि माननीय सदस्य श्री वरकला राधाकृष्णन को थोड़ा सा भी धैर्य है तो मैं प्रश्न के इन सभी छह भागों का उत्तर दूंगा जो उन्होंने पूछा है। ... *(व्यवधान)* यह वित्तीय विधेयक से संबंधित केवल एक भाग है जिसे मैं कहना चाहता हूं। जहां तक राज्यों के वित्तीय प्रबंधन का सवाल है, ग्यारहवें वित्त आयोग ने कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सिफारिशें की है जिसके अंतर्गत उन्होंने प्रोत्साहन कोष का सृजन किया है। हम राज्यों के साथ चर्चा कर रहे हैं। हम राज्यों के वित्तीय प्रबंधन में सुधार हेतु उनके साथ कुछ इसी प्रकार के कर एक समझौता कर रहे हैं।

जहां तक केरल के लिए एशियाई विकास बैंक के ऋण और शर्तों का प्रश्न है मुझे एक पृथक नोटिस की आवश्यकता रहेगी क्योंकि यह एक व्यक्तिगत और विशेष प्रश्न है जिसके बारे में पूछा गया है ? मुख्य प्रश्न में यह शामिल नहीं है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार केरल सरकार ने वित्तीय समस्या को सुलझाया है हम इसकी प्रशंसा करते हैं। ... *(व्यवधान)*

श्री कोडीकुनील सुरेश : हम पश्चिम बंगाल का अनुसरण कर रहे हैं। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांति बनाए रखें। सभा में टोका-टाकी न करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप प्रश्न अभी तुरंत समाप्त करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांति बनाए रखें। इस प्रकार सभा की कार्यवाही संचालन नहीं होती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे समझ सकता हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैंने शर्तों के बारे में पूछा है।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मुझे इस सभा में बजट संबंधी चर्चा के दौरान के अवसर प्राप्त हुआ था।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, क्या समझौते के साथ संबंध है या नहीं, इस प्रश्न का जवाब उन्होंने नहीं दिया है। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यहां राज्य की राजनीति पर चर्चा न करें।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैंने अपना उत्तर पूरा नहीं किया है। माननीय सदस्य यह कैसे जानते हैं कि मैंने उनके उत्तर का जवाब दिया है नहीं ?

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैंने प्रमाणन के बारे में नहीं पूछा है। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं अगले प्रश्न का जवाब दूंगा।

श्री एन०एन० कृष्णदास : महोदय, माननीय मंत्री महोदय के बजाए कोई और जवाब दे रहे हैं। मैं नहीं जानता हूं कि कौन जवाब दे रहे हैं। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मंत्री महोदय को जवाब देने नहीं दे रहे हैं तो मुझे अगले प्रश्न पर चर्चा कराऊंगा।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि इस भारत सरकार अथवा विभिन्न राज्य सरकारों को एशियाई विकास बैंक अथवा विश्व बैंक अथवा किसी और व्यक्ति के लिए इंतजार नहीं करते हैं कि वे आएं और इसे बताएं कि हमें वित्तीय स्थिति को स्थायी क्रम में बनाए रखना है। यह ऐसी बातें हैं जहां हम सभी सहमत है कि समस्या है। अत: मैं ऐसा पूर्ण संतुष्टि के साथ कह रहा हूं कि एक के बाद राज्य सरकारें दलगत भावना से ऊपर उठकर अब महसूस कर रहे हैं कि इस प्रकार का वित्तीय प्रबंधन जो विगत में था, इसे आगे रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

ये ऐसे आकड़ें है जिसे मैंने पहले भी इस सभा में उधृत किया है। जिसे आप सरकारी प्रशासन कहते हैं यदि आप इसके घाटे को देखें तो यह वर्ष 1996-97 के 32,000 करोड़ से बढ़कर वर्ष 1998-99 में 88,000 करोड़ हो गया है और रिकार्ड को देखकर यह कहता हूं कि यह पांचवे वेतन आयोग के प्रभाव को दर्शाता है। अत: महोदय, मैं इस सभा में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूं कि राज्य सरकार के साथ-साथ भारत सरकार को अपने प्रतिष्ठान संबंधी खर्च, सरकार के सही आकार और कर उगाहने पर ध्यान देना होगा। अत: यदि केरल सरकार ऐसा कर रही है तो इस प्रस्ताव में बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिरादित्य मा० सिंधिया

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, आप क्या कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांति बनाए रखें। अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी के एक सदस्य एक प्रश्न पूछने जा रहे हैं। इन्हें एक मौका दें। वे एक नए सदस्य हैं। कम से कम उन्हें सभा के बारे में अच्छी राय बनने दें।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य मा० सिंधिया : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय *(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : मैं आशा करता हूं कि वरिष्ठ सदस्यों उन्हें इस सभा में सी०पी०आई० (एम) पार्टी के सदस्यों से झगड़ा करने नहीं देंगे। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं इसका जबरदस्त विरोध करता हूं। हमें जमीन पर लड़ना आता है संसद में नहीं। *(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, मैं देख रहा था कि किस प्रकार नेताओं उन पर दवाब डाल रहे थे। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसे टोका-टाकी की आवश्यक नहीं है।

श्री ज्योतिरादित्य मा० सिंधिया : मेरा माननीय वित्त मंत्री से निम्नलिखित प्रश्न है। आज विश्व के पन्द्रह शीर्षस्थ कर्जदार देशों में भारत का नौवां देश होना सचमुच चौकाने वाला है न कि गर्व करने वाली बात है। यद्यपि हमें कम ऋणी देश के रूप में बताया जाता है और मैं समझता हूं कि हमारा लक्ष्य पन्द्रह सबसे कम ऋणी देशों में नौवां स्थान प्राप्त करने का होना चाहिए न कि शीर्षस्थ ऋणी देश होने का अंतर्राष्ट्रीय निम्न ब्याज दर के माहौल में विदेशी मुद्रा भंडार जो आज 54 बिलियन डॉलर है — क्या माननीय वित्त मंत्री हमारे विदेशी कर्ज को कम करने के बारे सोच रहे हैं और यदि हां, तो किस प्रकार।

जैसाकि माननीय वित्त मंत्री ने सही इंगित किया है कि हमारा ऋण सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में लगभग 85 प्रतिशत है जो पाकिस्तान के 105 प्रतिशत से थोड़ा ही कम है। विदेशी कर्ज उसका 15 प्रतिशत है और 70 प्रतिशत का लेखा-जोखा आंतरिक्ष ऋण किया जाता है। हमारे इस विशाल देश में आंतरिक्ष कर्ज के इस स्तर को कम करने के लिए हम कैसी योजना बनाते हैं ?

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैं युवा सदस्य द्वारा अच्छे प्रश्न पूछे जाने की प्रशंसा करता हूं। मैं जो कह रहा था इस पर मुझे गर्व नहीं था कि हमारा विश्व के नौ सर्वाधिक ऋणग्रस्त देशों में स्थान है। मैं यह कह रहा था कि यदि आप पिछले दस अथवा बारह वर्षों के इतिहास को देखे तो सच यह है कि वर्ष 1991 में हमारा स्थान तीन सर्वाधिक ऋणग्रस्त देशों में था और वास्तव में हमने इस देश के समग्र ऋण भंडार, विदेशी कर्ज के प्रबंधन के संदर्भ में एक अच्छा कार्य निष्पादन किया है। और महोदय, संतोषजनक बात यह है कि इसी कार्य निष्पादन के माध्यम से हम विश्व के तीसरे सर्वाधिक ऋणग्रस्त देशों में से आज हम नौवें स्थान पर पहुंच गए हैं। मैं माननीय सदस्य की उम्मीदों से सहमत हूं कि एक ऐसा दिन होगा जब भारत दाबा कर सकता है कि यह विश्व का न सिर्फ कम ऋणग्रस्त देश है बल्कि यह सबसे कम ऋणग्रस्त देश है। हम निश्चित रूप से इस दिशा में आगे बढ़ेंगे।

जहां तक प्रबंधन और ऋण के पुनर्भुगतान का प्रश्न है तो भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। यह उच्च स्तरीय समिति सभी अधिक ऋणगत ऋणों पर ध्यान दे रही है जो हमने विदेशों से लिया है और वे सरकार को इन ऋणों के पूर्वभुगतान की सिफारिश कर रहे हैं।

मैं यह वक्तव्य देकर आपके माध्यम से सभा को विश्वास में लेना चाहूंगा कि वर्ष 2001-02 में भारत सरकार को 500 मिलियन अमेरिकी डालर ऋण के पुर्वभुगतान करने की सिफारिश की गई थी। हमने आई०एफ०एफ०के०, ऋण का पुर्वभुगतान किया है। हम अपने अन्य बहुस्तरीय और ई०सी०बी० उधारों का पूर्वभुगतान कर रहे हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है और हम अपने ऋण की रूपरेखा के इस पहलू को देख रहे हैं। ऋण की धनराशि कम हो यह सुनिश्चित करने के लिए यह जारी रखना सरकार का प्रयास होगा।

महोदय, जब हम नौवे सर्वाधिक ऋणग्रस्त देशों की बात कर रहे थे तो मैंने उल्लेख किया था कि कर्ज का कुल आकड़ा 100 बिलियन अमेरिकी डालर का है। लेकिन यदि आप सकल घरेलू उत्पात अनुपात के कर्ज, विदेशी मुद्रा अनुपात के कर्ज जैसे सभी अन्य सूचकांकों को देखे तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम इन 15 देशों में या तो प्रथम है या तो चीन के बाद दूसरा। ये संतोष की बात है कि 1990 के शुरूआती दशक में उत्तरोतर सरकारें विदेशी ऋण की स्थिति को इस तरह संभालने में सफल रही कि हम बाद में इस स्थिति में और सुधार कर पाते।

डा० नीतिश सेनगुप्ता : हमारा कुल कितना ऋण है।

श्री यशवंत सिन्हा : मैंने पहले ही रियायती दर पर ऋण के बारे में बात की है। हम इन 15 देशों में बेहतर है। हमारे पास रियायती दर पर ऋण लेने का सबसे बड़ा अनुपात है। यदि आप अल्प-कालिक ऋण को देखें तो हम सबसे कम धनराशि का अल्प-कालिक ऋण लेने वालों में से है जिसे इनमें से 15 देशों ने लिया है।

जहां तक आंतरिक और विदेशी दोनों के समग्र ऋण ढांचे का सवाल है तो जैसाकि मैंने कहा कि भारत सरकार आंतरिक ऋण संबंधी धनराशि के बारे में ज्यादा संबंध और चिन्तित है जो वर्ष प्रतिवर्ष वित्तीय घाटे के रूप में बढ़ता जा रहा है। यही बातें चिन्ता करने वाली है। इस पर ध्यान देने के कारण ही हमने वित्तीय उत्तरदायित्व और प्रबंधन विधेयक लाया है। मैं आशा करता हूं यदि संसद एक बार इसे पारित कर देती है तो न सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों, जो हमारे संविधान में पिछले 15 वर्षों से है, को लागू किया जाएगा बल्कि यह देश एक राष्ट्र के रूप में बेहतर वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में आगे आएगी।

पारम्परिक वस्त्र उद्योग का विकास

+

*742. श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारम्परिक वस्त्र उद्योग के विकास हेतु अनेक योजनाएं कार्यान्वित ही जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी योजनाओं के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान कौन-कौन से कार्य किए गए और इन योजनाओ को कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए कितनी-कितनी धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार को इन योजनाओं के कार्यान्वयन में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (च) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (ग) जी, हां। ऐसी योजनाओं के ब्यौरे, वर्ष 2001-2002 के लिए योजना-वार परिव्यय के साथ, अनुबंध में दिए गए हैं। 10वीं योजना के लिए योजना-वार परिव्यय को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) से (च) शोलापुर की हथकरघा सहकारी समितियों द्वारा बाजार विकास सहायता (एम०डी०ए०) के अंतर्गत निधियों का दुरूपयोग करने के कथित आरोप के बारे में 3 व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच करने और उसकी रिपोर्ट भेजने के लिए महाराष्ट्र सरकार को अग्रेषित कर दिया गया हैं। राज्य सरकार से जांच पूरी होने तक, संबंधित समितियों को बाजार विकास सहायता का भुगतान रोके रखने का भी अनुरोध किया है।

अनुबन्ध

हथकरघा क्षेत्र हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

(1) दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (डी०डी०एच०पी०वाई०)

यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक व्यापक योजना है जिसे हथकरघा क्षेत्र के समग्र विकास तथा हथकरघा बुनकरों को लाभ के लिए एकीकृत तथा समन्वित रूप में उत्पाद विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर सहायता, संस्थागत सहायता, बुनकरों को प्रशिक्षण, उपकरणों की आपूर्ति और विपणन सहायता के व्यापक आयाम का ध्यान रखने के लिए हथकरघा क्षेत्र हेतु वर्ष 2000-01 से शुरू किया गया है। इस योजना में हथकरघा बुनकरों के कौशल और ज्ञान के उन्नयन हेतु प्रशिक्षण; उत्पाद विकास और विविधीकरण हेतु करघों और सहायक उपकरणों जैसे मूलभूत इनपुट्स; हथकरघा संगठनों को सुदृढ़ बनाने के लिए मार्जिन राशि; जल और बहिस्राव शोधन संयंत्रों, प्रसंस्करण गृहों की आदि की स्थापना हेतु सहायता; हथकरघा उत्पादों की डिजाइन की गुणवत्ता के सुधार हेतु सहायता; हथकरघा उत्पादों के प्रचार हेतु सहायता; तैयार हथकरघा उत्पादों की गतिशीलता में सुधार लाने के लिए जम्मू व कश्मीर, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों को परिवहन सब्सिडी; विपणन प्रोत्साहन राशि; और हथकरघा संगठनों के पुनर्गठन के लिए सहायता का प्रावधान है। विपणन प्रोत्साहन संघटक हेतु, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच अंशदान 50:50 के अनुपात में होगा। अन्य सभी संघटकों हेतु अनुदान भाग का अंशदान अनुपात पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम और जम्मू व कश्मीर जहां अनुपात 90:10 है, को छोड़कर 50:50 है। उन समितियों जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ महिला/अल्पसंख्यक के 100 प्रतिशत लाभार्थी सदस्य हैं, के मामले में, अनुपात 75:25 है।

वर्ष 2001-02 के दौरान, इस योजना के अंतर्ग जारी की गई निधियां इस हेतु आवंटित 77 करोड़ रुपये की तुलना में 57.25 रुपये थीं।

(2) मिल गेट कीमत पर यार्न की आपूर्ति तथा हथकरघा विपणन कॉम्पलेक्स की स्थापना :

इस योजना का उद्देश्य पात्र हथकरघा बुनकरों को मिल गेट कीमत पर सभी प्रकार की यार्न उपलब्ध कराना है ताकि हथकरघा क्षेत्र को मौलिक अपरिष्कृत सामग्रियों की नियमित आपूर्ति को सुगम बनाना है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एन०एच०डी०सी०) इस योजना का परिचालन अभिकरण है। इस योजना के अंतर्गत हथकरघा विपणन कॉम्पलेक्स भी हथकरघा उत्पादों के विपणन को सुगम बनाने के उद्देश्य से एक स्थान पर विभिन्न राज्यों को हथकरघा उत्पादों को उपलब्ध करा कर एक छत के नीचे हथकरघा एजेसिंयों को इंफ्रास्ट्रचर संबंधी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किये जाते हैं।

वर्ष 2001-02 के दौरान, उपरोक्त परियोजना से जारी की गई निधियां इस हेतु आवंटित 7.00 करोड़ रुपये की तुलना में 7.00 करोड़ थी।

(3) निर्यात योग्य उत्पादों का विकास और उनकी विपणन योजना (डी०ई०पी०एम०) :

इस योजना का लक्ष्य हथकरघा अभिकरणों को निर्यात योग हथकरघा उत्पादों का निर्माण, विकास और विपणन हेतु सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत सहायता हथकरघा शीर्ष/प्राथमिक समिति, हथकरघा निगम, निगम संघ और हथकरघा शीर्ष समिति, अखिल भारतीय

हथकरघा फैब्रिक विनिर्माण सहकारी समिति, केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम, हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम, हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद और हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा प्रायोजित हथकरघा निर्यात आदि जैसे हथकरघा अभिकरणों को प्रदान की जाती है।

इस योजना के उद्देश्य निम्नानुसार है :

- निर्यात योग्य उत्पादों के विकास हेतु उपयुक्त हथकरघा संकेन्द्रन की पहचान।
- निर्यात योग्य उत्पादों को बुनने के लिए बुनकरों की कौशल और डिजाइन क्षमताओं का उन्नयन।
- योग्य डिजाइनरों की नियुक्ति द्वारा विदेश में विशिष्ट बाजारों के लिए डिजाइन हस्तक्षेप को प्रारंभ करना।
- निर्यात बाजारों के लिए करघों का संशोधन और उत्पाद विकास और विविधीकरण।
- निर्यात का सृजन करने हेतु विदेश में मीडिया के माध्यम से प्रचार।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकें और विकास आयुक्त हथकरघा के कार्यालय द्वारा प्रायोजित अथवा अनुमोदित अन्य कार्यक्रमों में भागीदारी द्वारा विपणन।
- डिजाइन, बेहतर बुनाई और पैकेजिंग के द्वारा गुणवत्ता में सुधार लाना।

वर्ष 2001-02 के दौरान, इस योजना के अंतर्गत जारी की गई निधियां इस हेतु आवंटित 3.50 करोड़ रुपये की तुलना में 3.25 करोड़ रुपये थी।

(4) अनुसंधान और विकास (आर० एंड डी०)

इस योजना को डिजाइन विकास के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास क्रियाकलाप करने, व्यापक बाजार सर्वेक्षण करने, प्रबंध विकास कार्यक्रम का आयोजन करने, प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला चलाने, करघा संशोधनों और करघों अनुषंगियों में अनुसंधान करने, परंपरागत डिजाइनों को पुनरूद्धार, राष्ट्रीय डिजाइन संग्रह आदि हेतु विभिन्न संगठनों को परियोजनाओं की स्वीकृति देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

वर्ष 2001-02 के दौरान, इस योजना के अंतर्गत जारी की गई निधियां इस हेतु आवंटित 40.00 लाख रुपये की तुलना में 40.00 लाख रुपये थी।

(5) राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र :

राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र (जिसे पहले राष्ट्रीय डिजाइन केन्द्र के रूप में जाना जाता था) की स्थापना परंपरागत और समकालीन डिजाइनों का संवर्धन करने के लिए की गई थी ताकि यह तेजी से बदलती हुई बाजार मांग के प्रति जवाबदेह हो सके जिसके फलस्वरूप यह वस्त्र उद्योग और विशेषकर हथकरघा क्षेत्र को समुचित विकास अवसर प्रदान कर सके।

इस योजना के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

- एक-दूसरे के क्षेत्र में विकास के साथ वस्त्र उद्योग से संबंधित सभी व्यक्तियों को जोड़ना।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बनुकरों, कामगारों और डिजाइनरों को अधिकाधिक अवसर और पहुंच देना जिसे कि उन्हें अधिक स्थाई विकास हेतु बेहतर जीविका और अवसर मिल सके।
- उद्योग को बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था में कार्य करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित करने के लिए प्रवृतियों और पूर्वानुमान और आंकड़े प्रदान करना।

वर्ष 2001-02 के दौरान, इस योजना के अंतर्गत जारी की गई निधियां इस हेतु आवंटित 75.00 लाख रुपये की तुलना में 75.00 लाख रुपये थी।

(6) हथकरघा बुनकर हेतु संशोधित विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम (डी०टी०पी०) :

इस योजना के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

- हथकरघा बुनकरों की कुशल और अर्द्धकुशल श्रेणी में कुशल उन्नयन लाना जो उनकी अर्जन क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ विपणन योग्य उत्पादों का विकास सुनिश्चित करेगा।
- प्रचालानात्मक तंत्र और क्रियान्वयन करने वाली विधियों को तर्कसंगत बनाना।
- बाजार आवश्यकताओं के अनुरूप होना।
- इसे पारदर्शी बनाना।
- इसे तथ्यपरक, आवश्यकता आधारित और संक्षिप्त बनाना।
- क्रियान्वन कर्त्ता को लचीलापन और स्वायत्ता प्रदान करने तथा मॉनिटर करने में समर्थ बनाना।
- (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों) पहले प्राप्त किये गये तथा उपलब्ध प्रवृतियों पर विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए बुनकरों, प्रशिक्षकों और निपुण प्रशिक्षकों के विभिन्न श्रेणी को विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान करना।
- स्वतंत्र डिजाइनर योजना, फैशन पूर्वानुमान, प्रवृतियों और अन्य संबंधित योजनाओं जैसे संबंधित क्षेत्रों की विशेषज्ञता और संशाधनों का लाभ उठाना।

वर्ष 2001-02 के दौरान, इस योजना के अंतर्गत जारी की गई निधियां इस हेतु आवंटित 210 लाख रुपये की तुलना में 210 लाख रुपये थी। दसवीं योजना अवधि के लिए, किया गया आवंटन व्यापक डिजाइन विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए होगा जिसके अंतर्गत डी०टी०पी०शामिल किया जायेगा।

श्री ए० वेंकटेश नायक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पारम्परिक वस्त्र उद्योग के विकास हेतु लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में पूछा है। माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में केवल हथकरघा क्षेत्र के बारे में जानकारी दी है। परन्तु विद्युतकरघा, जो कि पारम्परिक वस्त्र उद्योग का विशिष्ट क्षेत्र है, के बारे में कुछ भी नहीं है।

दूसरे, इन योजनाओं की उपलब्धियों के बारे में कुछ भी नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार इन योजनाओं की उपलब्धियां पूर्व वर्ष की तुलना में 2001-2002 में बहुत कम रही है। उदाहरणार्थ, सबसे पहले मिल गेट मूल्य योजना के अंतर्गत 2001-2002 के लिए आवंटन 7.0 करोड़ रुपए है जबकि 2000-2001 में यह 11.00 करोड़ रुपए था।

तीसरे, डी०ई०पी०एम० के अंतर्गत 2001-2002 में केवल 11 परियोजनाएं निष्पादित की गई है जबकि 1999-2000 के लिए यह आंकड़ा 26 था, 2000-2001 के लिए यह 15 था। बुनकर सेवा केंद्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 25600 बुनकर प्रशिक्षित करने के लक्ष्य की तुलना में केवल 1400 बुनकरों को प्रशिक्षित किया गया।

महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि विद्युतकरघा क्षेत्र के विकास हेतु कौन सी योजनाएं लागू की गई हैं अथवा लागू किए जाने का प्रस्ताव है। इन योजनाओं की वास्तविक उपलब्धियां क्या है ? कम उपलब्धियों के क्या कारण हैं ? इन योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार क्या विशिष्ट कदम उठा रही है।

श्री काशीराम राणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया प्रश्न पारम्परिक वस्त्र उद्योग के विकास के संबंध में है।

महोदय, पारम्परिक वस्त्र का अर्थ है हथकरघा और खादी। यह विद्युतकरघा क्षेत्र के निमत विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत नहीं आता। इसलिए, प्रश्न का यह भाग, जैसा माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया है, हथकरघा क्षेत्र से संबंधित है। तथापि, माननीय सदस्य विद्युतकरघा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जानना चाहा है। विद्युतकरघा क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सी योजनाएं हैं कामगार आवास योजना, बुनकर कल्याण योजना तथा मिल गेट मूल्य योजना। हाल ही में हमने इस क्षेत्र में मेडी-क्लेम योजना का प्रस्ताव किया है। यही नहीं बल्कि हमने कामगार आवास योजना के लिए राशि में भी वृद्धि की है। विभिन्न योजनाएं कार्यान्वयनाधीन है।

महोदय, माननीय सदस्य ने इन योजनाओं की उपलब्धियों के बारे में भी पूछा है। मैं माननीय सदस्य को और सभा को भी सूचित करना चाहता हूं कि हथकरघा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित धन का उचित रूप से उपयोग किया जा रहा है और योजनाएं ठीक चल रही हैं। तथापि, जब भी हमें कोई शिकायतें अथवा सुझाव प्राप्त होते हैं तो हम उन मामलों का समाधान करने का प्रयास करते हैं और दिए गए सुझावों पर भी ध्यान देते हैं।

श्री ए० वेंकटेश नायक : महोदय, सरकार हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 के विभिन्न प्रावधानों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों को केंद्रीय सहायता प्रदान कर रही है। इसी प्रकार सरकार हथकरघा बुनकरों के लिए नई बीमा योजनाओं हेतु धन भी प्रदान कर रही है। परन्तु गत पांच वर्षों में इन योजनाओं के अंतर्गत कर्नाटक राज्य को एक पाई भी नहीं दी गई। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि कर्नाटक राज्य को इन योजनाओं के अंतर्गत केंद्रीय सहायता क्यों नहीं दी गई।

श्री काशीराम राणा : महोदय, इन योजनाओं के अंतर्गत, चाहे हथकरघा क्षेत्र हो अथवा विद्युतकरघा क्षेत्र हो, जब भी राज्य सरकारों ने धन की मांग की है तो वस्त्र मंत्रालय ने हमेशा उनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास किया है।

महोदय, जहां तक हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों का प्रश्न है तो मैं कहना चाहता हूं कि हम अधिनियम के प्रावधानों को समाप्त नहीं कर रहे हैं। सत्यम समिति की सिफारिशों के बावजूद वस्त्र मंत्रालय और भारत सरकार ने इस अधिनियम के प्रावधानों को ज्यों का त्यों जारी रखने का निर्णय लिया है।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, वस्त्र एक व्यापक अभिव्यक्ति है और जूट एक पारम्परिक वस्त्र उद्योग है। जूट उद्योग को समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए इस संसद ने खाद्यान्नों, चीनी, उर्वरक, विशेषकर यूरिया और सीमेंट के संबंध में पैकेजिंग सामग्री में जूट का अनिवार्य प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 1987 में एक अधिनियम पारित किया। परन्तु सिंथेटिक लॉबी के दबाव के अंतर्गत वर्षों से उक्त अधिनियम के प्रावधानों को लगातार हल्का किया गया और सीमेंट तथा यूरिया को सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए इस अधिनियम की परिधि से बाहर निकाल दिया गया है।

अभी हाल ही में खाद्यान्नों तथा चीनी के संबंध में जूट पैकेजिंग सामग्री के अनिवार्य उपयोग को न केवल और हल्का करने के लिए अपितु अधिनियम का ही निरसन करने हेतु एक कदम उठाया गया। एक करोड़ से अधिक लोग विशेषकर पश्चिम बंगाल बिहार, आंध्र प्रदेश और सम्पूर्ण पूर्वी भारत में अपनी आजीविका इस क्षेत्र से अर्जित करते हैं। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि सरकार का खाद्यान्नों तथा चीनी के संबंध में जूट पैकेजिंग सामग्री का सौ प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करके जूट क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त समर्थन और सहायता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ? जूट उद्योग केन्द्र सरकार द्वारा अपेक्षित कितने भी भंडार की पूर्ति करने हेतु पूरी तरह लैस और तैयार है।

श्री काशीराम राणा : महोदय, सबसे पहले जहां तक जूट पैकेजिंग अधिनियम का संबंध है मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। यह पूरी तरह गलत और असत्य है कि इस अधिनियम को हल्का करने का निर्णय सीमेंट लॉबी के दबाव के अंतर्गत लिया गया। यह पूरी तरह गलत वक्तव्य है। ... *(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार : मंत्री जी सभा को गुमराह कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री काशीराम राणा : माननीय सदस्य ने इस अधिनियम के निरसन की बात उठाई है। जूट पैकेजिंग अधिनियम का निरसन न करना इस सरकार की नीति हैं परन्तु यह सच है कि जूट मिल मालिक खाद्यान्न तथा चीनी पैकेजिंग करने हेतु जूट बैगों की बढ़ती हुई जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : यह सच्चाई पर आधारित नहीं है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री को अपना उत्तर पूरा करने दें।

श्री रूपचन्द पाल : जूट के थैलों की कोई कमी नहीं है। यह बिल्कुल सत्य नहीं है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : मंत्री जी सत्य से परे बता रहे हैं और सदन को गुमराज कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी के साथ बैठ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, लेकिन यह कौन सा तरीका है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द्र पाल : महोदय, मैं दस्तावेज दिखा सकता हूं जिससे यह प्रकट होता है कि मंत्री जी सभा को गुमराह कर रहे हैं। *(व्यवधान)* मैं यह सिद्ध करने के लिए कि मंत्री जी सभा को गुमराह कर रहे हैं, सभा पटल पर दस्तावेज रख सकता हूं। *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : ये अधिनियम को हल्का कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार : जूट पैंकेजिंग अधिनियम को समाप्त करने का एक कार्यक्रम है। *(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : मंत्रियों के समूह के पास पहले ही ये दस्तावेज हैं। मैं इन्हें सभा पटल पर रखने के लिए तैयार हूं। *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : मंत्री जी सभा को गुमराह कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री काशीराम राणा : महोदय, जूट पैकेजिंग अधिनियम जूट उत्पादकों के हितों की रक्षा हेतु बनाया गया था न कि जूट मिल मालिकों के लिए। उस प्रयोजनार्थ *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बसुदेव जी, आप मंत्री जी को सुनें कि वे क्या कहना चाहते हैं। आप जानते हैं मुझे भी यह विषय मालूम है। मंत्री जी सही बात कह रहे हैं

[अनुवाद]

श्री काशीराम राणा : सरकार अब जूट संबंधी एक नया प्रौद्योगिकी मिशन प्रारम्भ करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। *(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार : उच्च न्यायालय के आदेश के अंतर्गत है कि इसे स्थगित कर दिया गया है। वे तीन वर्षों के भीतर सरकार के जूट पैकेजिंग आदेश को पूरी तरह समाप्त करना चाहते थे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सिर्फ रूपचन्द पाल जी के सवाल का ही जवाब दें।

श्री काशीराम राणा : मैंने सिर्फ उन्हीं के प्रश्न का ही उत्तर दिया है। उन्होंने पूछा है कि रिपील करने जा रहे हैं तो मैंने कहा है कि रिपील नहीं करने जा रहे हैं। जब कोई रिक्वायरमेंट होगी, शार्टेज होगी तब डायल्यूट करेंगे।

[अनुवाद]

श्री के० येरननायडू : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत से राज्यों से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। अतः मैं कहना चाहता हूं कि यह अच्छा होगा यदि उन राज्यों के संसद सदस्यों की एक बैठक आयोजित की जाए जिसमें हम समस्याओं पर चर्चा कर सकें। उस बैठक में हम अपने विचार रखेंगे कि उद्योग की सुरक्षा क्यों की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप किसी भी समय मंत्री जी से अनुरोध कर सकते हैं और वह आपसे मिलेंगे।

श्री के० येरननायडू : महोदय, आप निर्देश दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका सुझाव दे सकता हूं बशर्ते सदस्यगण मेरे साथ सहयोग करें। यह तरीका नहीं होता।

यदि आप केवल सभा को बाधा पहुंचाना चाहते हैं तो यह नहीं हो सकता। अन्यथा, मैं मंत्री जी को बैठक करने का सुझाव देता हूं और इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री काशीराम राणा : यहां एक पूर्वोदाहरण है। जब भी सरकार इस अधिनियम को हल्का करती है तो हम उद्योगपतियों को बैठक के लिए बुलाते हैं; हम माननीय संसद सदस्यों को बैठक के लिए

बुलाते हैं; हम संबंधित व्यक्तियों को बुलाते हैं, और हम उन सबसे परामर्श करते हैं। हम हमेशा बैठक बुलाते हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री मोहन रावले को बुलाया है।

श्री के० येरननायडू : महोदय, यह पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश इत्यादि के लोगों के लिए एक ज्वलंत मुद्दा है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री मोहन रावले को बोलने के लिए बुलाया है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, आपके क्षेत्र में एन०टी०सी० की आठ मिलें हैं और मेरे क्षेत्र में 17 मिलें हैं। यहां के वर्कर्स को दो महीने का वेतन नहीं मिला है। वित्त मंत्रीजी की मदद से वेतन मिला है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन मिलों में जो वर्कर्स 15-20 सालों से काम कर रहे हैं, उनको परमानेंट नहीं किया गया है, इन लोगों को सरकार कब तक रिहैबिलिटेट कर देगी ? मैं आपका बहुत आभारी हूं, क्योंकि आपके योगदान से मंत्री जी वी०आर०एस० दे रहे हैं। ग्रुप-आफ-मिनिस्टर्स में लीड किया है और उनकी वजह से ज्यादा वी०आर०एस० मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : फाइनेंस मिनिस्टर ने लीड किया था।

श्री मोहन रावले : आपने योगदान दिया और मैं उनका भी आभारी हूं कि उन्होंने सहयोग किया। इसके साथ ही एन०टी०सी० जो वी०आर०एस० दे रही है, उसमें यूनियन से एग्रीमेंट के कारण तीन परसेंट काट लिया जाता है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या एन०टी०सी० सीधे वर्कर्स को वी०आर०एस० नहीं दे सकती है ?

श्री काशीराम राणा : महोदय, बी०आई०एफ०आर० के पास आठ सब्सिडियरीज हैं, जिनमें से महाराष्ट्र की दो सब्सिडियरीज नार्थ और साउथ के लिए आर्डर दिया है, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से क्लैरिफिकेशन मांगा है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के कानून के मुताबिक एक-तिहाई लैंड यूज करने की छूट दी है और बी०आई० एफ०आर० ने कहा है कि वे लैंड यूज करने वाले नहीं हैं, क्योंकि यह सरकार की है। दूसरी बात यह है कि जो पैसा आएगा, वह मार्डनाइड करने के लिए दिया जाएगा। जब मिनिस्ट्री आफ टैक्सटाइल सुविधा देती है, तो लैंड यूज कर लेनी चाहिए और उसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने बी०आई०एफ०आर० के सामने स्टेटमेंट रखा है। इस बारे में अभी तक महाराष्ट्र सरकार की ओर से क्लैरिफिकेशन नहीं गया है, इसीलिए बी०आई०एफ०आर० के जवाब के लिए रूके हुए हैं।

जहां तक वेतन का सवाल है, मैं बताना चाहता हूं कि अप्रैल तक का वेतन दे दिया है। जब-जब भी माननीय सदस्य इस विषय पर आते हैं, तो कहते हैं कि कोई भी ऐसा सरकारी क्षेत्र का उपक्रम नहीं है, जहां एक-दो महीने का बैकलॉग हो। एन०टी०सी० में भी ज्यादा बैकलॉग नहीं है। बी०आई०एफ०आर० ने कहा है कि यूनियन के साथ मिलकर मिल क्लोज कर सकते हैं। जहां तक वी०आर०एस० की बात है, मोडिफाइड वी०आर०एस० गुजरात पैटर्न पर मिलता है, 60 हजार से एक लाख रुपए तक। मुझे लगता है, इससे वर्कर्स खुश है। इसके अलावा कई ऐसी मिलें हैं, जैसे राजस्थान में एक वायबल मिल है, वहां यदि मोडिफाइड वी०आर०एस० मिलता है, तो वे मिल बन्द करने के लिए तैयार हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं एक छोटा प्रश्न पूछूंगा क्योंकि समय नहीं है।

क्या माननीय सदस्य इस बारे में सभा को आश्वसन देंगे ? राजग सरकार की क्या नीति है ? ...(व्यवधान) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सिंथेटिक पैकेजिंग तथा प्लास्टिक पैकेजिंग स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। क्या मंत्री जी कामगारों तथा कृषकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने हेतु सभा को भरोसा दिलायेंगे कि सरकार द्धांत रूप में जूट पैकेजिंग आदेश, जिसे शिथिल बनाया गया था, को वापस लेगी ? क्या मंत्री जी इस बारे में सभा को भरोसा दिलायेंगे ? *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : माननीय सदस्य ने जो तीन प्रतिशत की बात कही है, इसके बारे में मिनिस्ट्री ने इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि ऐसे तीन प्रतिशत, जिसे भी वी०आर०एस० मिलेगा, वह वी०आर० एस० में से कट नहीं करेंगे, ऐसे हमने इंस्ट्रक्शंस भेज दिए हैं।

[अनुवाद]

माननीय सदस्य श्री दासमुंशी ने सिंथेटिक पैकेजिंग और इसकी खतरनाक प्रकृति के बारे में पूछा है। यह विचारों में मतभेद का मामला है। इस विषय पर मैं कुछ नहीं कह सकता। सिंथेटिक की खतरनाक प्रकृति के संबंध में सरकार कुछ भी कहने के लिए बाध्य नहीं है।

अल्प सूचना प्रश्न

एम०एम०टी०सी० द्वारा अभ्रक संयंत्र की बिक्री

2. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम (एम०एम०टी०सी०) ने झुमरीतलैया स्थित अपने अभ्रक संयंत्र को बेचने और इसके कर्मचारियों की छंटनी करने का निर्णय लिया हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एम०एम०टी०सी० ने अभ्रक संयंत्र के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) के पुनरूद्धार पैकेज को गंभीरतापूर्वक निष्पादित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) यह सच नहीं है कि एम०एम०टी०सी० ने अपने अभ्रक प्रभाग के कर्मचारियों की छंटनी करने का कोई निर्णय लिया है। एम०एम०टी०सी० द्वारा अभ्रक नगर स्थित अपने अभ्रक संयंत्र की बिक्री की संभावना का पता लगाया जा रहा हैं। इस संबंध में प्रस्तावों को आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन 3 मई, 2002 को अखबारों में जारी किया गया था जिस पर किसी उत्तर की अभी प्रतीक्षा है।

एम०एम०टी०सी० ने पूरी गंभीरता से औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) द्वारा तय किए गए पुनरूद्धार पैकेज को कार्यान्वित किया है। अलाभकारी कार्यालयों को बंद करने, भंडार का निपटान करने, राष्ट्रीय नवीकरण नीधि से सहायता, भारतीय स्टेट बैंक को कार्यशील पूंजी ऋण का पुनर्भुगतान, एम०एम०टी०सी० को भूमि का अंतरण, एम०एम०टी०सी० द्वारा अभ्रक व्यापार निगम (मिटको) में शेयरों के रूप में निवेशों का समायोजन और बी०आई०एफ०आर० द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार प्रौद्योगिकी के उन्नयन हेतु कार्यवाही की गई है।

बी०आई०एफ०आर० ने 1997-98 तक अभ्रक स्क्रैप के सरंणीयन को जारी रखने की सिफारिश की थी। इसे वस्तुत: मार्च, 2002 तक जारी रखा गया था। अभ्रक स्क्रैप के सरणीकृत निर्यात भी 2000-2001 में हुए 6.56 करोड़ रुपये से घटकर 2001-2002 में 2.78 करोड़ रुपये के हो गए हैं। एक्जिम नीति 2002-2007 के तहत 1.4.2002 से अभ्रक स्क्रैप के निर्यात के सरणीयन को समाप्त किए जाने से एम०एम०टी०सी० के अभ्रक प्रभाग (पूर्ववर्ती मिटको) की वित्तीय स्थिति खराब हो जाएगी।

कर्मचारियों की संख्या जो बी०आई०एफ०आर० के पैकेज के अनुसार आमेलन की तारीख (01.01.96) का 531 से घटकर बी०आई०एफ०आर० के आदेश के अनुसार 220 की जानी थी, वह वी०आर०एस० के अनेक प्रस्तावों के बावजूद आज 379 है।

पुनरूद्धार पैकेज के कार्यान्वयन हेतु गम्भीर प्रयास किए जाने के बावजूद अभ्रक प्रभाग एम०एम०टी०सी० में मिटको के आमेलन के बाद भी भारी घाटा उठा रहा है। एम०एम०टी०सी० में आमेलन के बाद 31 मार्च, 2002 तक प्रभाग का संचयी घाटा 12.91 करोड़ रुपए (अनन्तिम) है।

समस्त कारकों को ध्यान में रखते हुए एम०एम०टी०सी० इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभ्रक प्रभाग का प्रचालन वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं होगा। इसने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा है कि सरकार ने स्वयं एम०एम०टी०सी० के विनिवेश का पहले ही निर्णय ले लिया है। इन परिस्थितियों में एम०एम०टी०सी० ने सर्वप्रथम 15 दिसम्बर, 2001 को अपने अभ्रक संयंत्र को पट्टे पर देने के बारे में विज्ञापन जारी किया था। इसके उत्तर में केवल एक बोली प्राप्त हुई थी जो बहुत ही कम थी और इसलिए उसे रद्द कर दिया गया था। अभ्रक संयंत्र की बिक्री हेतु एम०एम०टी०सी० के हाल ही के विज्ञापन पर प्रतिक्रिया प्राप्त होने के बाद कर्मचारियों के बारे में अंतिम दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैंने मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य को पढ़ा है। मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया है कि औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु कार्यवाही की गई है।

महोदय, 1994 में बी०आई०एफ०आर० के आदेश पर माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन (मिटको) का एम०एम०टी०सी० में विलय कर दिया गया। एम०एम०टी०सी० में विलय के बाद मिटको एम०एम० टी०सी० का एक प्रभाग बन गया। मिटको एम०एम०टी०सी० का अभिन्न अंग बन गया। बी०आई०एफ०आर० ने माइका प्रभाग को अर्थश्रम बनाने की सिफारिश की थी। माइका प्रभाग को अर्थक्षम बनाने के उद्देश्य से बी०आई०एफ०आर० ने प्रौद्योगिकी उन्नयन और माइका उद्योग की मशीनरी को भी बदलने की भी सिफारिश की जो झुमरीतलैया में अभ्रक नगर में पड़ी हुई थी। यह आदेश 1994 में पारित किया गया। मिटको का एम०एम०टी०सी० में विलय कर दिया गया लेकिन मशीनरी को पिछले वर्ष याचिका संबंधी संसदीय समिति द्वारा इस मामले पर विचार करने और बी०आई०एफ०आर० को आदेश के क्रियान्वयन की सिफारिश करने के बाद ही बदला गया। माइका प्रभाग कों अर्थक्षम बनाने की बजाय एम०एम०टी०सी० ने 25 लाख रुपये खर्च करके एक गेस्ट हाऊस का निर्माण किया है और जो मशीनें लायी गईं, उन्हें आज तक उपयोग में नहीं लाया जा रहा। इसके परिणामस्वरूप, माइका प्रभाग, जिसे अर्थक्षम बनाया जाना था, को अर्थक्षम नहीं बनाया जा सका।

यह भी सच नहीं है कि विलय के बाद से माइका डिवीजन घाटे में चल रहा है। मेरे पास 1997 के आंकड़े हैं। मिटको, जो अब एम०एम०टी०सी० का माइका प्रभाग है, सकल लाभ में 46 प्रतिशत वृद्धि पहले ही दर्ज कर चुका है। 1996 में यह आंकड़े 2.26 करोड़ रुपये थे जो 1997 में बढ़कर 3.29 करोड़ रुपये तक पहुंच चुके हैं। इस प्रकार 1997 में माइका प्रभाग का 46 प्रतिशत लाभ हुआ है। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जी हां, मंत्री महोदय।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैंने कोई प्रश्न नहीं पूछा।

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष महोदय ने मुझे उत्तर देने का निदेश दिया है। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि आप प्रश्न पूछें और इसीलिए मैंने मंत्री महोदय को आमंत्रित किया है।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि एम०एम०टी०सी० के माइका प्रभाग जिसका नाम पहले मिटको था, को अर्थक्षम बनाने के लिए एम०एम०टी०सी० द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, अभी तक मुझसे चार प्रश्न पूछे गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह 'आचार्य' हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि माइका प्रभाग के खर्चे पर कुछ अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु जापान भेजा गया था और वापस आने पर इन अधिकारियों का माइका प्रभाग में उपयोग नहीं किया गया बल्कि उन्हें नीलांचल इस्पात भेज दिया गया। इसके परिणामस्वरूप माइका प्रभाग को अर्थक्षम नहीं बनाया जा सका और अब सरकार ने इसे बाहर बेचने का निर्णय लिया है। महोदय, एम०एम०टी०सी० के कई अन्य प्रभाग भी घाटे में चल रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अन्य प्रभागों के संबंध में भी ऐसा ही निर्णय लेगी।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, माननीय सदस्य ने कई प्रश्न पूछे हैं। लेकिन मूल तथ्य तो यह है कि वर्ष 1997 में बी०आई०एफ०आर० ने एम०एम०टी०सी० को एक पुनरूद्धार पैकेज दिया था।

श्री बसुदेव आचार्य : ऐसा 1994 में किया गया था।

श्री राजीव प्रताप रूडी : तब आपके मूल तथ्य गलत है तथा आपको और सही तरीके से इसे पढ़ना चाहिए। बी०आई०एफ०आर० ने 1997 में पुनरूद्धार पैकेज दिया था। उस पैकेज में बी०आई०एफ०आर० ने कहा था कि एम०एम०टी०सी० को प्रौद्योगिकीय उन्नयन करना होगा। एम०एम०टी०सी० को 272 लाख रुपये की बाध्यकारी देयताओं को शामिल करने और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत 967 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया था। प्रवर्तकों के योगदान के रूप में एम०एम०टी०सी० को 389.71 लाख रुपये देने थे और 246.19 लाख रुपये की सहायता अप्रवासी भारतीयों ने करनी थी तथा धारा 72क के अंतर्गत 60 लाख रुपये कर लाभ के रूप में प्राप्त किए गये थे। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की बात को छोड़कर इन सभी छह बातों को मान लिया गया। मिटको के एम०एम०टी०सी० में विलय के समय एम०एम०टी०सी० में कुल लगभग 531 कर्मचारी थे। हम इन्हें घटाकर सिर्फ 396 कर सके जबकि बी०आई०एफ०आर० ने कहा था कि इनकी संख्या कम करके 220 की जाये। अब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना ऐसी योजना है जिसे हम कर्मचारियों पर थोप नहीं सकते। हम तो उनसे सिर्फ अनुरोध ही कर सकते हैं और इसे लाभकारी बना सकते हैं। लेकिन हम कर्मचारियों को बलपूर्वक निकाल नहीं सकते। स्थिति यह थी।

उन सबके बावजूद मिटको की क्या स्थिति हुई ? महोदय, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। यहां तक कि सरणीयन के संबंध में बी०आई०एफ०आर० ने कहा था कि 1997 तक माइका उत्पाद का सरणीयन जारी रखा जाना चाहिए लेकिन एम०एम०टी०सी० ने इसे 2002 तक जारी रखा जो बी०आई०एफ०आर० द्वारा किए गए प्रस्ताव से कहीं अधिक था। एम०एम०टी०सी० द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव प्रयास किए गए कि बी०आई०एफ०आर० द्वारा किए गए प्रस्ताव के अनुसार पुनरूद्धार किया जाये। उसके बावजूद मिटको का पुनरूद्धार नहीं किया जा सका।

महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि पुनरूद्धार पैकेज के बाद 1998-99 में मिटको को 0.79 करोड़ रुपये का घाटा हुआ, 1999-2000 में इसे 0.43 करोड़ रुपये का घाटा हुआ और 2000-01 में यह घाटा 1.7 करोड़ रुपये था और इस समय लगभग 3.39 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है।

महोदय, आरंभ में काफी अधिक सरणीयन हो रहा था और एम०एम०टी०सी०, जो कि यहां प्रमुख निकाय है, सुरक्षित स्थिति में लाभ में चल रही थी। ऐसी स्थिति भी थी जब यह लाभ में चल रही थी। लेकिन पिछले कई वर्षों से यदि आप रिकार्ड देखें तो पायेंगे कि एम०एम०टी०सी० को भी कम लाभ हो रहा है। 1992-93 में, एम०एम०टी०सी०, जिसकी सात सरणीकृत मदें थीं, ने 92 करोड़ रु० का लाभ कमाया था। आज बिना लेखापरीक्षा के दिए गए विवरण से पता चलेगा कि सात मदों के सरणीयन के बाद भी हम मात्र 18 करोड़ रु० का लाभ कमा रहे हैं। इस प्रकार मूल बात यह उत्पन्न होती है कि बी०आई०एफ०आर० द्वारा मिटको के लिए जो पुनरूद्धार पैकेज दिया गया था, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। यदि माननीय सदस्य इसका कारण जानना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूं कि माइका एक ऐसा उत्पाद है जो बाजार में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बन गया है। माइका ऐसा उत्पाद है जिसका विकल्प सिरामिक और सिंथेटिक सामग्री में मिलता है। माइका का अंतर्राष्ट्रीय बाजार नहीं है। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में माइका की कीमत का संबंध है, चीन, जो कि माइका का प्रमुख प्रतिस्पर्धी साझेदार है, बहुत कम दामों पर माइका दे रहा है। यहां तक कि चीन से भारत में माइका उतारने की लागत भी कम है। इस प्रकार अनेक कारण है। एम०एम०टी०सी० ने मिटको का पुनरूद्धार करने का यथासंभव प्रयास किया। लेकिन स्थिति ऐसी आ गई है कि उसका पुनरूद्धार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार स्थिति ऐसी है।

श्री बसुदेव आचार्य : जब माइका व्यापार निगम ('मिटको') एक प्रभाग बन गया था तो लाभ और हानि किस तरह हो सकती है ? माइका प्रभाग के लिए कोई पृथक तुलन पत्र नहीं है। अन्य प्रभाग भी घाटे में चल रहे हैं।

महोदय, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि कार्यबल में काफी कमी आई है। इसकी संख्या 575 से कम करके 375 कर दी गई है। 375 कर्मचारियों में से 60 कर्मचारी एम०एम०टी०सी० में काम कर रहे हैं। वे एम०एम०टी०सी० का कार्य कर रहे हैं। महोदय, आपको माइका प्रभाग के कामगारों की दुर्दशा के बारे में जानकर आश्चर्य होगा। मैंने उनकी दुर्दशा देखी है। मैंने गिरिडीह तथा अभ्रक नगर के झुमरीतलैया में माइका संयंत्रों का दौरा किया है। इन कामगारों को उनके मूल वेतन के रूप में 300 रुपये प्रतिमाह मिल रहे हैं। वर्ष 1987 से उनके वेतन में संशोधन नहीं हुआ है। एम०एम०टी०सी० का तर्क यह है कि क्योंकि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड ने आदेश दिया है कि उनका वेतन और भत्ते विलय के समय मिलने वाले वेतन और भत्ते से कम नहीं होने चाहिए, इसलिए इन्हें इस स्तर तक रखा गया है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि 20 अथवा 30 वर्ष के बाद भी इन कामगारों को विलय के समय मिलने वाले वेतन के बराबर ही वेतन मिलता रहेगा। विलय से पूर्व सभी कर्मचारियों और कामगारों को एम०एम०टी०सी० के कर्मचारियों के बराबर वेतन और भत्ते मिला करते थे। विलय के बाद जबकि एम०एम०टी०सी० के कामगारों को प्रतिमाह न्यूनतम 5500 रुपये मिल रहे हैं और माइका प्रभाग के कामगार को अभी भी 300 रुपये ही मिल रहे हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 14 में शामिल समानता के अधिकार का उल्लंघन है। वे एम०एम०टी०सी० के अन्य कर्मचारियों की भांति समान कार्य तथा कर्त्तव्यों और दायित्वों का निवर्हन कर रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, मैंने आपसे कहा है कि आप संक्षेप में प्रश्न पूछिए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार एम०एम०टी०सी० के माइका प्रभाग के कर्मचारियों और कामगारों के वेतन और भत्तों में संशोधन करके एम०एम०टी०सी० के अन्य कर्मचारियों के बराबर लाएगी क्योंकि माइका प्रभाग के कर्मचारियों की सेवा शर्तें एम०एम०टी०सी० के अन्य कर्मचारियों के समान हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : माननीय सदस्य ने जो वक्तव्य दिया है कि माइका प्रभाग का अलग तुलन पत्र नहीं हैं, सही नहीं है। उनका पृथक तुलन पत्र है।

उन्होंने दूसरा मूल प्रश्न एम०एम०टी०सी० तथा माइका प्रभाग के कर्मचारियों के वेतन में अंतर के बारे में पूछा है। यदि माननीय सदस्य औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठनर बोर्ड के पैकेज को देखें तो उसमें विशेषरूप से यह कहा गया है कि वेतन पैकेज सुरक्षित रखा जाएगा। जब उसमें यह कहा गया है कि विलय के समय वेतन पैकेज सुरक्षित रखा जाएगा तो इसका अर्थ यह है कि विलय के समय 'मिटको' में कार्यरत कर्मचारियों के लिए मौजूदा वेतन पैकेज को सुरक्षित रखा जाएगा और कम्पनी ने उसे सुरक्षित रखा।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या 30 वर्ष के बाद भी उन्हें यही वेतन मिलता रहेगा ?

श्री राजीव प्रताप रूडी : कृपया समझने की कोशिश कीजिए। मैं जानता हूं कि आप किसे बताना चाहते हैं। मैं भी उन्हीं ताकतों को बता सकता है जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं।

मैं औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के पैकेज का उल्लेख कर रहा था। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड ने भी अपने वक्तव्य में बताया था कि एम०एम०टी०सी० तथा अन्य कंपनियां पूरे माइका के पुनरूद्धार हेतु सर्वोत्तम उपाय करेंगी। यदि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना तथा अन्य बातों से काम नहीं चलेगा तो इसमें छंटनी के उपबंध । की बात से इंकार नहीं किया गया है। तथापि, हमने अब तक इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया है। हम कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं।

लेकिन प्रश्न यह है कि जब औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड का पैकेज आया था तो एम०एम०टी०सी० के विनिवेश का कोई प्रश्न नहीं था। यह मामला 1993 औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को सौंप दिया गया था और इस मामले पर 1997 में निर्णय लिया गया था तथा वर्ष 2000 में एम०एम०टी०सी० का विनिवेश किए जाने पर स्वीकृति दे दी गई। प्रश्न यह है कि यदि मूल एकक समाप्त हो जाएगा तो उसकी अनुषंगिक इकाई किस तरह बनी रह सकती है ? माननीय सदस्य के तर्क के संबंध में कि यदि 'मिटको' को कुछ वर्षों में लाभ होता तो उसके कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करना व्यवहार्य होता लेकिन हमें अभी तक कोई लाभ नहीं हुआ है। 'मिटको' रुग्णता की स्थिति में है। यह इस तरह एम०एम०टी०सी० के निवल मूल्य को कम कर रहा है। इसलिए माननीय सदस्य द्वारा इस समय किया गया प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : एम०एम०टी०सी० के अन्य प्रभाग भी घाटे में चल रहे हैं। माइका एम०एम०टी०सी० का आंतरिक भाग है। आप 'मिटको' के कामगारों तथा कर्मचारियों को किस तरह वंचित रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न में दो बातें थी — क्या एम०एम०टी०सी० ने झुमरीतलैया स्थित अपने क्षतिग्रस्त संयंत्र को बेचने और उसके कर्मचारियों की छंटनी करने का का निर्णय किया है तो क्या उसे रिवाइव किया जाएगा ? जवाब दिया गया कि छंटनी करने वाले नहीं हैं। 1994 में मिटको एम०एम०टी०सी० में मर्ज हो गया लेकिन उसके सभी कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यदि आप छंटनी नहीं करेंगे तो मिटको के इम्पलॉयीज को परेशान क्यों किया जाता है। बिना काम का बताकर दूर-दूर उनके ट्रांसफर्स किये जा रहे हैं। क्या आप यह चाहते हैं कि इम्पलायीज अपने आप नौकरी छोड़ दें। शुरूआत में उनकी संख्या 1500 थी, अभी करीब 380 पर

आ गई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं और जैसा अध्यक्ष महोदय ने बताया कि 400 में से 56 लोग एम०एम०टी०सी० का स्केल ले रहे हैं। लेकिन एक ही इम्पलाई के साथ दो तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। क्या आप इस बात पर गौर करेंगे कि उन इम्पाईर्लज को आप जो पैकेज दें या जो बात करें, अब जबकि मर्जर हो गया है तो क्या आप उन्हें पे स्केल देने के बारे में सोच रहे हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है। उसमें मूल प्रश्न यह उठता है कि इन्होंने कहा कि उसमें वेतन विसंगति है। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूंगा कि एम०एम०टी०सी० और मिटको के लिए किसी प्रकार की वेतन विसंगति नहीं की गई हैं। जो बी०आई०एफ०आर० का प्रावधान था उसी के तहत उनकी सैलरी का स्ट्रक्चर प्रोटैक्ट किया गया है और यह चर्चा कहीं नहीं की गई है कि आने वाले दिनों में उनकी सैलरी का स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि जिस अभ्रकनगर की आप चर्चा कर रहे हैं, वह हाल-फिलहाल तक मेरे ही राज्य में था। मैं वहां की कठिनाइयों से पूरी तरह से अवगत हूं और सरकार अच्छी तरह से जानती है कि किस प्रकार से उसका रिवाइवल करे, सरकार इसके लिए प्रयत्नशील है और एम०एम०टी०सी० भी इसके लिए प्रयत्नशील है। लेनिक जो परिणाम मिल रहे हैं उनके अनुसार वर्ल्ड मार्केट में इसकी उपयोगिता नहीं है, उसके कारण मुनाफा नहीं बढ़ रहा है। फिर भी प्रयास किया जा रहा है कि उसमें से रास्ता निकाला जाए। लेकिन वर्तमान स्थिति में उनके वेतन को बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ... *(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

चावल का निर्यात

*743. **श्री पी०आर० किन्डिया :**
श्री विनय कुमार सोराके :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 अप्रैल, 2002 के "दि इकॉनामिक्स टाइम्स" में "हाई क्वालिटी सब्सिडाइज्ड एफ०सी०आई० राइस बीइंग एक्सपोर्टेड एट रिड्यूज्ड प्राइस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले का ब्यौरा और तथ्य क्या है;

(ग) इतने कम मूल्य पर चावल के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने के क्या कारण है, जिसके विदेशी क्रेता बहुत सीमित संख्या में है और ऐसे आपत्तिजनक व्यापार की कार्यप्रणाली क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे व्यापार के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए कोई कार्रवाई शुरू की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) संदर्भाधीन समाचार में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि राज्य व्यापार कपनियां, पी०इ०सी० और एस०टी०सी० तथा अनेक बड़े व्यापारिक घराने यथासंभव उच्चतम मूल्य प्राप्त करने का प्रयास करने की बजाय, उच्च गुणवत्ता वाले लेकिन अत्यधिक राजसहायता प्राप्त भारतीय खाद्य निगम के चावल को उस मूल्य पर निर्यात कर रहे हैं जो भारत के साधारण चावल के लिए विश्व बाजार में दी जा रही औसत दरों से 13-15 डालर प्रति टन कम है। समाचार में जिन मुद्दों पर जोर दिया गया है उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूल किया गया चावल उचित औसत किस्म का होता है। सेला चावल के मामले में टोटे की अधिकतम सीमा 16% जबकि रॉ चावल के मामले में यह 25% होती है।

एस०टी०सी० से प्राप्त सूचना के अनुसार 2001-02 और 2002-03 (अप्रैल, 2002 तक) के दौरान उसने निम्न ब्यौरे के अनुसार कुल 1,11,047 टन चावल की मात्रा निर्यात की है :—

टोटे की प्रतिशतता	मात्रा
5%	27,448
8%	5,590
14%	14,390
18%	12,730
25%	50,889

एस०टी०सी० द्वारा अपने सहयोगी आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से किए गए निर्यात के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

विदेशी क्रेता का नाम	मात्रा (टन में)
एस्कोट कॉमोडीटीज	19,424
ए०डी०एम० राइस इंक, यू०एस०ए०	29,030
नोबल ग्रेन प्रा०लि०, सिंगापुर	5,590

पी०इ०सी० से प्राप्त सूचना के अनुसार 2001-02 और 2002-03 (15.5.2002 तक) के दौरान उसने निम्न ब्यौरे के अनुसार कुल 1,19,000 टन चावल की मात्रा निर्यात की है :—

टोटे की प्रतिशतता	मात्रा
शून्य/5%	1,10,334
15%	2,416
25%	6,250

पी०इ०सी० ने सूचित किया है कि उसने मैसर्स एस्कोटे कॉमोडीटीज के सथ 51,000 टन रॉ चावल (5% टोटा) का निर्यत करने का ठेका किया है। पी०इ०सी० ने नोबल ग्रेन प्रा०लि० और ए०डी०एम० राइस इंक, यू०एस०ए० के साथ कोई ठेका नहीं किया है। तथापि, पी०इ०सी० ने चावल का निर्यात करने के लिए अन्य क्रेताओं के साथ ठेके पर हस्ताक्षर किए हैं।

एस०टी०सी० और पी०इ०सी० ने यह भी सूचित किया है कि सभी मामलों में ठेके की शर्तों के अनुसार ही निर्यात किए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के नामित सर्वेक्षकों द्वारा उचित रूप से मात्रा और गुणवत्ता का सर्वेक्षण करने के बाद ही शिप में लदान किए जाते हैं। इस प्रकार ठेकाबद्ध और वास्तविक गुणवत्ता के बीच किसी प्रकार की भिन्नता होने की बहुत कम संभावना है।

भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि घरेलू बिक्री मूल्य और निर्यात मूल्य के बीच की दरों की अंतर कीमत के लिए निजी पार्टियों से बैंक गारंटी ली जा रही है। यदि निजी पार्टी स्टाक उठाने के 90 दिन के अंदर विहित निर्यात दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहती है तो बैंक गारंटी का नकदीकरण किया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बैंक गारंटी के बदले क्षतिपूर्ति बॉण्ड प्रस्तुत करते हैं।

यह उल्लेखनीय है कि चावल और गेहूं के निर्यात मूल्य भारतीय खाद्य निगम की उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों को हिसाब में लेकर सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। भारतीय खाद्य निगम की उच्च स्तरीय समिति में अन्य के साथ-साथ वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। उच्च स्तरीय समिति अन्य बातों के अलावा मूल्यों सहित अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें देती है।

यह भी उल्लेखनीय है कि चावल का निर्यात मूल्य 11.5.2002 से रॉ चावल के लिए 110 रुपये प्रति क्विंटल और सेला चावल के लिए 115 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है।

विवरण

दि इकानॉमिक टाइम्स के दिनांक 9.4.2002 के अंक में ''भारतीय खाद्य निगम का उच्च राजसहायता प्राप्त, उच्च गुणवत्ता का चावल कम मूल्यों पर निर्यात किया जा रहा है'' शीर्षक के अधीन प्रकाशित समाचार में उल्लिखित मुद्दे।

संदर्भाधीन समाचार में निम्नलिखित मुद्दों का उल्लेख किया गया है :–

(i) राज्य व्यापार कंपनियां पी०इ०सी० और एस०टी०सी० तथा अनेक बड़े व्यापारिक घराने यथासंभव उच्चतम मूल्य प्राप्त करने का प्रयास करने की बजाय, उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय खाद्य निगम के अत्यधिक राजसहायता प्राप्त चावल को उस मूल्य पर निर्यात कर रहे हैं जो भारत से साधारण चावल के लिए विश्व बाजार में दी जा रही औसत दरों से 13-15 डालर प्रति टन कम है;

(ii) ऐसे अधिकांश कम मूल्य के ठेकों पर केवल 3 विदेशी क्रेताओं – अमेरिका के ए०डी०एम० राइस इंक, सिंगापुर के नोबल ग्रेन प्रा०लि० और निदरलैण्ड के एस्कोट कॉमोडीटीज एन०वी० के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं;

(iii) यह कम मूल्य अधिकांशत: दिल्ली के निर्यातकों द्वारा लिया जा रहा है जिससे यह संकेत मिलता है कि भारतीय आपूर्तिकर्ता और विदेशी क्रेता, दोनों इस बात से पूर्णतया अवगत हैं कि ठेके में विहित उच्च गुणवत्ता (सामान्यतया 5% टोटा) का वास्वत में निर्यात नहीं किया जाएगा और इसलिए इसका मूल्य तद्नुसार कम रखा जा रहा है;

(iv) ऐसे कम मूल्य के लेनदेन के पीछे साधारण कार्य पद्धति हैं। व्यापारी भारतीय खाद्य निगम से 5.65 रुपये प्रति किलोग्राम पर उच्च राजसहायता प्राप्त चावल का उठान करते हैं और इसे स्थानीय बाजार में 8.50 – 9.00 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर उच्च लाभ पर बेचते हैं। चूंकि इससे उनकी कुल मात्रा कम हो जाती है, इसलिए व्यापारी 5% टोटे के ठेके पर हस्ताक्षर करते हैं जिससे उन्हें उनके भारतीय खाद्य निगम के स्टाक के 20% तक की स्थानीय बाजार में टोटे के रूप में बेचने की अनुमति देने का कारण मिल जाता है। लेकिन वास्तव में वे 25% टोटे वाला घटिया किस्म का चावल निर्यात कराते हैं जैसाकि उनके मूल्य निर्धारण में परिलक्षित होता है;

(v) चूंकि ऐसे ठेकों में विहित किस्म के निर्यात होने की संभावना नहीं होती है। इसलिए उन भारतीय सर्वेक्षकों, जो यह प्रमाणित करते हैं कि प्रत्येक शिपमेंट ठेके की विनिर्दिष्टियों को पूरा करता है, की भूमिका पर भी प्रश्न चिह्न लगता है।

(vi) दुर्भाग्यवश ऐसे लेनदेन में एस०टी०सी० और पी०इ०सी० को घसीटा गया है क्योंकि वे अक्सर निजी निर्यातकों की ओर से कारोबार करते हैं। इस रास्ते से निजी व्यापारी भारतीय खाद्य निगम के स्टाक का उठान करते समय भारी बैंक गारंटी अदा करने से बचते हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम साधारणत: कमीशन लेते हैं और आपूर्तिकर्ता ठेके से संबंधित अन्य कार्यों को पूरा करते हैं।

भारतीय स्टेट बैंक की उपभोक्ता सेवाएं

*744. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक और इसकी सहायक संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली उपभोक्ता सेवाएं अनेक विदेशी और गैर-सरकारी बैंकों की तुलना में उपयुक्त नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय स्टेट बैंक और इसकी सहायक संस्थाओं द्वारा विदेशी/गैर-सरकारी बैंकों की ओर से मिलने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी उपभोक्ता सेवाओं को उन्नत बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) भारतीय स्टेट बैंक और उसके अनुषंगी बैंकों के ग्राहकों की संख्या बहुत अधिक है, जिनमें समाज के विभिन्न स्तरों से संबंधित ग्राहक शामिल हैं। उनकी शाखाएं भी अर्द्ध-शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में है। इस प्रकार इन बैंकों की तुलना उन विदेशी एवं गैर सरकारी बैंकों से नहीं की जा सकती, जिनका भौगोलिक विस्तार एवं ग्राहक सीमित हैं।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक और उसके अनुषंगी बैंकों ने परिचालनों मे कुशलता प्राप्त करने और ग्राहक सेवा में सुधार करने के उद्देश्य से अपनी सूचना प्रौद्योगिकी नीति अपनाई है और वे उनका प्रभावी तरीके से अनुसरण कर रहे हैं। इन बैंकों द्वारा कंप्यूटरीकृत व्यवसाय का समग्र प्रतिशत 70% बैठका है। ग्राहकों के लिए कहीं से किसी भी समय दूरभाष के जरिए अपने खाते तक पहुंच के लिए 106 शाखाओं पर टेली बैंकिंग शुरू की गई है। ग्राहकों की पूछताछों और शिकायतों का तत्काल प्रत्युत्तर देने के लिए 15 प्रमुख केन्द्रों पर एस०बी०आई० हेल्पलाइन के तहत कंप्यूटर आधारित हाई टैक काल सेन्टर स्थापित किए गए हैं। भारतीय स्टेट बैंक भारत में 9.02 लाख कार्ड वाला विजा कार्ड जारी करने वाला एकमात्र बड़ा बैंक है। इसके अतिरिक्त, भारतीय स्टेट बैंक ने हवाई अड्डों और पत्तनों पर ग्राहक लेन देन को संचालित करने के लिए इलैक्ट्रानिक डाटा इन्टरचेन्ज शुरू किया है और इलैक्ट्रानिक निकासी सेवाओं के लिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन (एम०आई०सी०आर०) और ई०सी०एस० केन्द्र खोले हैं। भारतीय स्टेट बैंक समूह ने कारोबार के घंटे बढ़ा दिए हैं (7 से 12 घंटे) और 7 दिन का बैंकिंग शुरू कर दिया है। उन्होंने लोक शिकायत, निवारण एवं निगरानी प्रणाली (पी०जी०आर०ए०एम०एस०) बनाई है और सिटीजन चार्टर तैयार किया है।

आलू का निर्यात

***745. श्री आर०एस० पाटिल :**
श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान 31 मार्च, 2002 तक आलू का कुल कितना निर्यात किया गया;

(ख) क्या केन्द्र सरकार की आलू के बढ़ते उत्पादन को देखते हुए इसके निर्यात को बढ़ाने हेतु कोई विशेष योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आलू के निर्यात संबंधी आंकड़े नीचे दिए गए हैं :–

वर्ष	मात्रा (मी० टन में)	मूल्य (लाख रुपए में)
1998-99	7873	519.43
1999-2000	28200	1395.32
2000-2001	22637	1160.09
2001-02 (अप्रैल, 2001 से जनवरी, 2002 तक)	7483	286.63

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता

फरवरी, 2002 से आज तक की अवधि के निर्यात संबंधी आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) आलू के निर्यातों को बढ़ाने के एक प्रयास के रूप में सरकार ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल तथा मध्य प्रदेश में कृषि निर्यात जोनों के सृजन का अनुमोदन किया है।

[हिन्दी]

किसान क्रेडिट कार्ड

***746. श्रीमती जस कौर मीणा :**
श्री एस० मुरूगेसन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्य-वार कितने किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए गए;

(ख) किसान क्रेडिट कार्डों के प्रमुख लाभ क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि अनेक किसान क्रेडिट कार्ड और किसान गोल्ड कार्ड स्कीम का कृषि संबंधी सामान खरीदने की बजाय टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर जैसे सामान खरीदने के लिए उपयोग कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार कृषि संबंधी सामान खरीदने तक ही इन कार्डों का उपयोग सीमित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के०सी०सी० उपलब्ध कराए गए, उनकी संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) किसान क्रेडिट कार्ड के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं :–

– सभी पात्र किसान किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं;

– उधारकर्ता की पूरे वर्ष की ऋण आवश्यकता का ध्यान रखा जाता है;

– बैंक से निधियों के आहरण के लिए न्यूनतम कागजी कार्रवाई तथा प्रलेखन का सरलीकरण;

– नकदी निकालने तथा चयन के किसी स्रोत से निविष्ट वस्तुओं की खरीद के लिए लचीलापन;

– किसी भी समय ऋण की आश्वासित उपलब्धता जिसके परिणामस्वरूप किसानों पर ब्याज के भार में कमी;

– वार्षिक समीक्षा एवं संतोषजनक परिचालनों के अध्यधीन 3 वर्ष के लिए सुविधा की मंजूरी तथा वृद्धि के लिए प्रावधान;

– बैंक के विवेक पर जारी करने वाली शाखा से भिन्न किसी शाखा से नकदी आहरण के लिए लचीलापन।

(ग) और (घ) किसान क्रेडिट कार्ड का लक्ष्य किसानों को उनकी खेती की जरूरतों के लिए बैंकिंग प्रणाली से लचीले एवं प्रभावी तरीके से पर्याप्त तथा समय पर ऋण सहायता उपलब्ध कराना है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा शुरू की गई किसान गोल्ड कार्ड (के०जी०सी०) योजना के०सी०सी० योजना के अतिरिक्त एक कृषि मीयादी ऋण योजना है तथा इसमें लचीले तरीके से किसानों की कृषि मीयादी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने की व्यवस्था की गई है। इन योजनाओं के अन्तर्गत टेलीविजन तथा रेफ्रीजरेटर जैसे सामान की खरीद की अनुमति नहीं दी जाती है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) तथा भारतीय स्टेट बैंक (एस०बी०आई०) ने सूचित किया है कि ऐसे सामान की खरीद के लिए किसानों द्वारा के०सी०सी०/के०जी०सी० का प्रयोग करने का कोई उदाहरण उनके ध्यान में नहीं आया है।

(ङ) और (च) योजना के उद्देश्यों के अनुसार किसानों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग निविष्ट वस्तुओं यथा बीज, खाद कीटनाशक दवाईयों आदि की खरीद सहित अपनी खेती की आवश्यकताओं के लिए तथा अपनी उत्पादन की आवश्यकताओं के लिए नकदी निकालने के लिए किया जा सकता है। इसी प्रकार के०जी०सी० का उपयोग कृषि उपकरणों, भूमि विकास, बैलगाड़ी की खरीद आदि के लिए किया जा सकता है। अतः इन कार्डों का उपयोग सीमित करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

वर्ष 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान बैंकों द्वारा जारी किसान क्रेडिट कार्डों की राज्य-वार संख्या*

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1999-2000	2000-2001	2001-2002	कुल
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	265	305	571	1141
आन्ध्र प्रदेश	1954627	1787987	916921	4659535
अरूणाचल प्रदेश	9	136	292	437
असम	1140	3082	6497	10719
बिहार	63476	241489	252349	57314
चण्डीगढ़	–	–	5	5
छत्तीसगढ़	–	3221	89138	92359
दादरा एवं नागर हवेली	–	1	–	1
दमन एवं दीव	–	–	–	0
गोवा	501	888	789	2178
गुजरात	109663	433466	378128	921257
हरियाणा	47577	397259	393425	838261
हिमाचल प्रदेश	7027	25259	16470	48756
जम्मू एवं कश्मीर	1696	11871	12060	25627
झारखंड	–	12269	76267	88536
कर्नाटक	189569	530762	677783	1398114
केरल	145852	302244	223055	671151
लक्षद्वीप	39	24	33	96
मध्य प्रदेश	151797	21091	473786	646674
महाराष्ट्र	443235	1343972	843258	2630465
मणिपुर	43	280	134	457
मेघालय	291	1494	1283	3068
मिजोरम	3	–	1099	1102
नागालैण्ड	10	–	16	26
रा०रा० क्षेत्र दिल्ली	80	1275	641	1996

1	2	3	4	5
उड़ीसा	643285	266287	324446	1234018
पांडिचेरी	835	7097	2415	10347
पंजाब	112227	359258	581966	1053451
राजस्थान	1037519	493155	283817	1814491
सिक्किम	18	191	565	774
तमिलनाडू	118165	809960	633571	1561696
त्रिपुरा	238	1148	1556	2942
उत्तर प्रदेश	229105	1315834	2046994	3591933
उत्तरांचल	—	2332	68882	71214
पश्चिम बंगाल	37563	79528	300026	417117
कुल	5295855	8612319	8619038	22527212

*सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में आंकड़े जनवरी, 2002 तक के हैं।

[अनुवाद]

निर्यातकों को परिवहन संबंधी राजसहायता

***747. श्री अरुण कुमार : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष चावल और गेहूं के नियार्तकों को कितनी धनराशि की परिवहन राजसहायता दी गई;

(ख) क्या सरकार को व्यापारियों द्वारा निर्यात के लिए गरीबी की रेखा से नीचे की कीमत पर भारतीय खाद्य निगम से खरीदे गए चावल को बड़े पैमाने पर खुले बाजार में बेचने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस प्रकार अन्यत्र बेचने और निर्यातकों को दी गई परिवहन राजसहायता के दुरुपयोग को रोकने हेतु कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) खाद्यान्नों की भारतीय खाद्य निगम के बन्दरगाह गोदामों/बन्दरगाह कस्बे के रेल शीर्षों की निकासी दरों पर निर्यात के लिए पेशकश की जाती है। चावल तथा गेहूं के निर्यातकों को उनके द्वारा भारतीय खाद्य निगम के अन्तर्देशी गोदामों से स्वयं स्टाक उठाने पर तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर सबसे छोटे रेल मार्ग द्वारा बन्दरगाह कस्बों तक ढुलाई प्रभारों की प्रतिपूर्ति की जाती है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा वास्तव में प्रतिपूर्ति किए गए खर्चों के बारे में विस्तृत सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि केन्द्रीय पूल से गेहूं का निर्यात नवम्बर, 2000 से शुरू हुआ। भारतीय खाद्य निगम को निर्यात के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय पूल से चावल की पेशकश करने की अनुमति जनवरी, 2001 में दी गई थी।

(ख) से (घ) हरियाणा में निर्यात के लिए नियत चावल का विपथन होने के बारे में कुछ प्रेस रिपोर्टें हाल में प्रकाशित हुई हैं। तथ्यों को सुनिश्चित करने के लिए जांच शुरू की गई है।

इकानॉमिक टाइम्स के 15 जनवरी, 2002 के अंक में भी ''ट्रांसपोर्ट सब्सिडि फार राइस एक्सपोर्टस स्टाप्ड'' शीर्षक से एक समाचार प्रकाशित हुआ। केन्द्रीय पूल से चावल के निर्यात में कदाचारों के बारे में आरोप प्राप्त होने पर ढुलाई खर्चों की प्रतिपूर्ति निलंबित कर दी गई थी। मामले की जांच की गई थी और उसके बाद अतिरिक्त सुरक्षण के साथ ढुलाई खर्चों की प्रतिपूर्ति को बहाल किया गया।

कराधान संबंधी करारों के कारण अनुचित लाभ

***748. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़े औद्योगिक घराने मारीशस, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और अन्य देशों के साथ कराधान संबंधी करारों का अनुचित लाभ उठा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व विभाग और आयकर विभाग में ऐसे मामलों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार और उपरोक्त विभागों द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) दोहरे कराधान के परिहार के लिए करारों का प्रमुख औद्योगिक घरानों द्वारा किसी प्रकार का अनुचित लाभ उठाने संबंधी कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है। ऐसे देशों में, जिनके साथ भारत का दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार है, संयुक्त उपक्रम अथवा पूर्णतया स्वामित्व वाले समनुषंगी उपक्रम स्थापित करने वाले औद्योगिक घराने, इन करारों के खण्डों द्वारा शासित हैं। भारत का ब्रिट्रिश वर्जिन द्वीपसमूह के साथ ऐसा कोई करार नहीं है। तथापि कम्प्यूटर के कारोबार में लगे हुए एक समूह पर की गई तलाशी की कार्रवाई भारत-मारीशस दोहरे कराधान के परिहार के करार का अनुचित लाभ उठाने के बारे में प्रथम दृष्टया सूचना मिली है।

(ग) और (घ) ऊपर (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। तथापि ऊपर पैरा (क) और (ख) के उत्तर में सन्दर्भित कम्प्यूटर के कारोबार में लगे हुए समूह के मामलों की जांच अभी जारी है।

राज्यों द्वारा अधिक धनराशि निकालना

***749. श्री सवशीभाई मकवाना :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान सभी राज्य सरकारों की ओवर ड्राफ्ट स्थिति बहुत खराब हो गई है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके खातों के प्रचालन पर रोक लगा दी गई है जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाना कुछ दिनों तक बंद हो गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गुजरात में वित्तीय स्थिति खराब होने के मुख्य कारण क्या हैं और केन्द्र सरकार का विचार गुजरात सरकार की किस ढंग से सहायता करने का है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) कुछ राज्य सरकारें अपने राजस्व प्राप्तियों और व्यय में अस्थायी असंतुलन का सामना कर रही हैं जिसके कारण उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट लेना पड़ा है।

किसी राज्य और भारतीय रिजर्व बैंक के मध्य लेन-देन उन दोनों के बीच आपसी समझौते के आधार पर होता है। यह बैंकर और ग्राहक (भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकार) के आपसी संबंधों का मामला है। ऐसी सूचना सार्वजनिक/प्रकाशित नहीं की जाती है।

(ग) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच बढ़ते असंतुलन के कारण राज्यों की रोकड़ स्थिति में असंतुलन उत्पन्न हो गया है। अन्य बातों के अलावा बढ़ता हुआ गैर-योजनागत राजस्व व्यय, भारी ऋण भार राज्य सरकारों के राजकोषीय तनाव में अभिवृद्धि के कारक हैं।

गुजरात के मामले में भारत सरकार ने वर्ष 2000-01 और 2001-02 के दौरान 150 करोड़ रुपए की राशि की अग्रिम हकदारियां और 641 करोड़ रुपए अर्थोपाय अग्रिम के तौर पर जारी कर दिए हैं। भूकंप के पश्चात केन्द्रीय सरकार ने तात्कालिक राहत और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि के तहत 1467.37 करोड़ रुपए जारी किए। वर्ष 2001-02 के दौरान गैर-योजनागत अनुदान के रूप में राज्य को 750 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। इसके अलावा गुजरात सरकार के वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान टैक्स फ्री भूकंप राहत बाण्ड के बदले में 1500 करोड़ रुपए की राशि तक अतिरिक्त बाजार ऋण जुटाने की अनुमति दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अप्रैल 2001 के अन्त तक अर्थोपाय विनियमन स्कीम और अधिविकर्ष विनियमन स्कीम में ढील दी है। भारत सरकार ने भी भूकंप प्रभावित गुजरात के पुनर्निर्माण के लिए ए०डी०बी० सहायता और गुजरात भूकंप आकस्मिकता राहत और पुनर्वास के तहत विश्व बैंक से सहायता के लिए विचार विमर्श किया है।

अस्थायी रोकड़ असंतुलन से निपटने में राज्य सरकार के प्रयासों की अनुपूरित करने के लिए भारत सरकार अर्थोपाय अग्रिमों के जरिये और उनकी हकदारियों के व्यवहार्य अग्रिम अन्तरणों के जरिये राज्य सरकार की सहायता करती है। अपने राजकोषीय समेकन के लिए गुजरात सरकार को ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुक्रम में मध्यम अवधि में अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने का लक्ष्य रखते हुए राज्यों की राजकोषीय सुधार सुविधा वर्ष 2000-01 से 2004-05 की शर्तों के अनुसार प्रबोधन योग्य राजकोषीय सुधार कार्यक्रम अपनाने का आदेश दिया गया है।

भविष्य निधि पर ब्याज की दर

***750. श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों को भविष्य निधि पर दी जाने वाले ब्याज की दर बैंकिंग और बीमा क्षेत्र के अन्य कर्मचारियों को दी जाने वाली ब्याज की दर से बिल्कुल अलग है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक सहित विभिन्न बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों को उनकी भविष्य निधि की देय राशि पर किन दरों पर ब्याज का भुगतान किया जा रहा है;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भविष्य निधि पर अधिक ब्याज की राशि किन स्रोतों से पूरी की जाती है; और

(घ) अन्य क्षेत्रों के कर्मचारियों की ब्याज दरों से इनकी ब्याज दर अलग होने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) लोक भविष्य निधि (पी०पी०एफ०), सामान्य भविष्य निधि (जी०पी०एफ०) और कर्मचारी भविष्य निधि (ई०पी०एफ०) पर निर्धारित ब्याज दर में की गई कमी को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक पिछले तीन वर्षों से भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के भविष्य निधि पर ब्याज की दर क्रमिक रूप से कम करता रहा है। 01 अप्रैल, 2003 तक निर्धारित ब्याज दर के साथ एकरूपता लाने के उद्देश्य से ब्याज की दर, जो वर्ष 1999-2000 में 13.25 प्रतिशत थी, कम करके वर्ष 2001- 2002 के लिए 11.50 प्रतिशत कर दी गई थी।

जहां तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा बीमा कम्पनियों का संबंध है, भविष्य निधि न्यासों के निवेशों पर अर्जित ब्याज आय के आधार पर पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ब्याज दर 9 प्रतिशत और 11.5 प्रतिशत की बीच रही है।

(ग) और (घ) रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि पर ब्याज बैंक के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित और भुगतान इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट फार्मूले के अनुसार सामान्य निधि से किया जाता है, जबकि अन्य क्षेत्र यथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों, बीमा कम्पनियों एवं वे क्षेत्र जो ईपीएफ योजना के अन्तर्गत आते हैं, के कर्मचारियों के मामले में दरों का निर्धारण संबंधित भविष्य निधियों के निवेशों के लिए अर्जित आय के आधार पर किया जाता है।

आवास ऋण

*751. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक इस समय आवास ऋण दे रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार आवास ऋणों की मंजूरी को उदार बनाने और भूतलक्षी प्रभाव से ब्याज की दर भी कम करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (घ) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने आवास वित्त के लिए वार्षिक आबंटन की सीमा निर्धारित करते हुए सभी वाणिज्यिक बैंकों को अनुदेश जारी किए हैं। तदनुसार, प्रत्येक बैंक को आवास वित्त आबंटन के अपने हिस्से का परिकलन पिछले वर्ष की तुलना में अपनी वृद्धिशील जमाराशियों के 3 प्रतिशत पर करना होता है। बैंकों द्वारा अपने संसाधनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस स्तर को पार करने में कोई आपत्ति नहीं है। बैंकों की ब्याज दरें समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए ब्याज दर संबंधी निर्देशों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। वर्तमान मार्गनिर्देशों के अनुसार 2 लाख रुपए तक के ऋणों की ब्याज दर बैंक की मूल उधार दर (पी०एल०आर०) से अधिक नहीं होनी चाहिए और 2 लाख रुपए से अधिक के लिए, बैंक पी०एल०आर० की तुलना में अधिक दरें प्रभारित करने के लिए स्वतंत्र हैं, किन्तु यह दर बैंक द्वारा निर्धारित अधिकतम विस्तार के अंदर होनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर और आरक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी किये जाने के बाद बैंकों की मूल उधार दरों (पी०एल०आर०) में कमी आई है। अस्थायी दरों और ऋण की अवधि में वृद्धि के विकल्पों के साथ-साथ संसाधन शुल्क और ब्याज की दरों में कमी के फलस्वरूप आम आदमी अधिक सामर्थ्य योग्य दरों पर सहायता के लिए औपचारिक वित्तीय क्षेत्र तक पहुंचने में समर्थ हुआ है।

आवास क्षेत्र को ऋण के प्रवाह में और सुधार करने के उद्देश्य से हाल में घोषित वर्ष 2002-03 की मौद्रिक एवं ऋण नीति में, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा आवास वित्त के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों संबंधी अपेक्षाओं को उदार बनाने और आवास वित्त कंपनियों के प्रतिभूतकृत ऋण लिखतों में बैंकों द्वारा निवेश को बढ़ावा देने का प्रस्ताव किया है। तदनुसार :

- रिहायशी आवासीय संपत्तियों के बदले ऋण देने वाले बैंकों को वर्तमान में 100 प्रतिशत की ब्याज 50 प्रतिशत का जोखिम भार समनुदेशित करना अपेक्षित होगा। वाणिज्यिक स्थावार संपदा की प्रतिभूति के बदले दिये जाने वाले ऋणों पर अब तक की तरह 100 प्रतिशत जोखिम भार जारी रहेगा।
- राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त और पर्यवेक्षित आवास वित्त कंपनियों द्वारा रिहायशी परिसम्पत्तियों की बंधक समर्थित प्रतिभूतियों में बैंकों द्वारा किए गए निवेश के लिए भी पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन के लिए 50 प्रतिशत का जोखिम भार समनुदेशित किया जाएगा। तथापि, आवासीय परिसम्पत्तियों, जिसमें वाणिज्यिक सम्पत्तियां शामिल हैं, की बंधक समर्थित प्रतिभूतियों में बैंकों द्वारा किए गए निवेश के लिए 100 प्रतिशत जोखिम भार होगा।
- राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पर्यवेक्षित आवास वित्त कंपनियों द्वारा जारी की गई बंधक समर्थित प्रतिभूतियों में बैंकों द्वारा किए गए निवेश की गणना, निर्धारित 3.0 प्रतिशत के आवास वित्त आबंटन में शामिल किए जाने के लिए की जाएगी।
- निवेशक आधार को व्यापक बनाने, आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार करने, ऐसी आस्तियों में व्यापार के लिए चलनिधि सृजित करने और अन्य संबंधित मुद्दों के लिए तौर-तरीकों का सुझाव देने के लिए एक कार्यदल गठित किया जाएगा।

बैंकों के साथ बीमा कम्पनियों का सहयोग

*752. **श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री रघुराज सिंह शाक्य :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण बीमा कंपनियों को उनके उत्पादों का वितरण करने के लिए बैंकों के साथ क्षेत्र विशिष्ट सहयोग करने की अनुमति देने के प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो बीमा कम्पनियों को इस संबंध में क्या लाभ होने की संभावना है;

(ग) क्या बैंक बीमा कम्पनियों के साथ क्षेत्र-वार सहयोग करने पर सहमत हो गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (घ) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई०आर०डी०ए०) के अनुसार, बीमा कंपनियों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे अपनी योजनाओं के विस्तार हेतु बैंकों के साथ सम्बद्ध होने के लिए प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त करें। जीवन बीमा निगम (एल०आई०सी०), मुम्बई और यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी (यू०आई०आई०सी०), चेन्नई ने अपनी बीमा योजनाओं के विपणन हेतु कुछ बैंकों के साथ समझौते-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बीमा कंपनियों को प्राप्त होने वाले सम्भावित लाभों में बीमा योजनाओं की बिक्री हेतु बैंकों तक पहुंच, नेटवर्क, आधारभूत ढांचे,

ब्रांड छवि, ग्राहक के विश्वास और ग्राहक के डाटाबेस का लाभ उठाना शामिल है।

[हिन्दी]

बहुराष्ट्रीय बैंकों द्वारा निवेश

***753. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों के एक समूह ने देश में, विशेषकर झारखंड में निवेश करने हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो देश के उन अन्य राज्यों के नाम क्या हैं जिनके बारे में अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों के समूह द्वारा ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है;

(ग) राज्य-वार कितनी धनराशि का निवेश किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) किन-किन क्षेत्रों में निवेश किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) ने सूचित किया है कि उन्हें ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

चल रहे गैर-सरकारी संगठन

***754. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कितने गैर सरकारी संगठन हैं जिन्हें उनके मंत्रालय द्वारा अनुदान दिया जाता है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसे प्रत्येक गैर सरकारी संगठन को कितना-कितना अनुदान दिया गया;

(ग) क्या सरकार ने इन गैर सरकारी संगठनों को दी गई धनराशि के उपयोग की निगरानी करने हेतु कोई शीर्ष एजेंसी नामित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन गैर सरकारी संगठनों की लेखा परीक्षा के दौरान कुछ अनियमितताएं और निधियों के दुर्विनियोग की कुछ घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसे गैर सरकारी संगठनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) वर्ष 1999-2000, 2000-01 के दौरान अनुदानों के ब्यौरे सहित देश में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के नाम जिन्हें अनुदान (1 लाख रु० अथवा अधिक) दिए गए, संबंधित वर्षों के लिए इस मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टों में शामिल किए गए हैं। उन गैर सरकारी संगठनों के नाम जिन्हें इस मंत्रालय द्वारा वर्ष 2001-02 के लिए अनुदान दिए गए, को भी वर्ष 2001-02 से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट, जो मुद्रणाधीन है, में शामिल किए गए हैं।

(ग) और (घ) यद्यपि निधियों के उपयोग को मॉनीटर करने के लिए किसी नोडल एजेंसी को मनोनित नहीं किया गया है, इस मंत्रालय से अनुदान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों को संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। राज्य सरकारें आवधिक रिपोर्टों, निरीक्षणों आदि के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ गैर सरकारी संगठनों द्वारा सरकार से प्राप्त निधियों के उपयोग तथा कार्यकरण को मॉनीटर करती हैं। कुछ मामलों में इस मंत्रालय द्वारा विशेष रिपोर्टों की मांग की जाती है तथा निरीक्षण भी कराए जाते हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। गैर सरकारी संगठनों द्वारा अनुदानों के दुरूपयोग संबंधी सूचना मिलने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। और संबंधित गैर सरकारी संगठन को अनुदान की आगे निर्मुक्ति पर रोक लगा दी जाती है। यदि उचित जांच के बाद निधियों का दुरूपयोग साबित हो जाता है तो गैर सरकारी संगठनों को निधियां वापस करने का निदेश दिया जाता है और उनके ऐसा नहीं करने पर, निधियों तथा आवश्यकता पड़ने पर, भूमि राजस्व के बकाए की वसूली के लिए राज्य सरकार के माध्यम से गैर सरकारी संगठन की परिसम्पत्तियां जब्त करने की कार्रवाई की जाती है।

राज्यों का ऋण भार

***755. श्री के०पी० सिंह देव : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों पर केन्द्र सरकार का कुल कितना ऋण बकाया है;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से कुछ राहत देने हेतु अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे प्रत्येक अनुरोध पर क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) 31 मार्च 2002 की यथा विद्यमान स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों पर संघ सरकार का कुल बकाया ऋण भार 247030 करोड़ रुपए (बजट अनुमान) और राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत निधियों के रूप में कुल बकाया 92870 करोड़ रुपयों का है। राज्यवार स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) कुल मिलाकर राज्यों सरकारों ने तीन तरह की राहत चाही है :—

(i) ऋण पर ऋण स्थगन।

(ii) ऋण का पुनर्निधारण।

(iii) ऋणों के ब्याज भार में कमी।

जहां तक (i) और (ii) का सवाल है, ग्यारहवें वित्त आयोग (ई०एफ०सी०) द्वारा राज्य सरकारों की स्थिति की समीक्षा की जा चुकी है। ई०एफ०सी० ने अपनी रिपोर्ट के एक भाग के रूप में ऋण राहत की एक स्कीम की सिफारिश की है। भारत सरकार द्वारा ई०एफ०सी० की सिफारिशें स्वीकृत की जा चुकी हैं। ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों से हटकर ऋण राहत को चुनींदा रूप से पुन: शुरू करने का कोई प्रावधान नहीं है। जहां तक (iii) का संबंध है, 1.4.2002 की प्रभावी तिथि से योजना ऋणों और लघु बचत ऋणों पर ब्याज दरें कम करके क्रमश: 11.5 प्रतिशत और 10.5 प्रतिशत की जा चुकी हैं। राज्यों की निवल लघु बचत हकदारियों को पहले की 80 प्रतिशत की तुलना में बढ़ाकर 100 प्रतिशत तक किया जा चुका है। यह इस शर्त पर निर्भर करता है कि राज्य पहले अपनी कम ब्याज दरों पर उगाही गयी 20 प्रतिशत इंक्रीमेंटल लघु बचत अग्रिमों से उच्च लागत वाले पहले ऋणों को अदा कर दें।

विवरण

31.3.2002 की यथास्थिति के अनुसार संघ सरकार पर राज्यवार ऋण भार (बजट अनुमान)

(करोड़ रुपये में)

राज्य	आंतरिक ऋण	केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम	एन०एस०एस०एफ० को जारी विशेष प्रतिभूतियां	भविष्य निधि ऋण इत्यादि	सकल ऋण
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	16186	20378	4291	4139	44994
अरुणाचल प्रदेश	273	687	12	318	1291
असम	3877	4296	1400	2168	11741
बिहार	8574	17065	5625	7719	38983
गोवा	690	1284	308	450	2732
गुजरात	6581	19519	9304	3412	38815
हरियाणा	3046	5506	2379	4479	15410
हिमाचल प्रदेश	4419	3032	419	2271	10141
जम्मू एवं कश्मीर	1936	4469	414	2626	9445
कर्नाटक	6758	11876	3355	5160	27149
केरल	6899	6868	2371	10657	26795
मध्य प्रदेश	6465	12440	3174	9193	31272
महाराष्ट्र	8300	23900	12416	6938	51554
मणिपुर	710	461	63	446	1681
मेघालय	642	419	13	252	1327
मिजोरम	496	368	23	353	1240
नागालैण्ड	1053	579	29	568	2229
उड़ीसा	7086	9609	1079	6724	24499
पंजाब	6079	13596	6012	6591	32278

1 2	3	4	5	6	
राजस्थान	8727	11568	6455	8990	35741
सिक्किम	304	250	20	186	760
तमिलनाडु	10774	12596	4214	6693	34276
त्रिपुरा	841	766	273	827	2707
उत्तर प्रदेश	20658	36577	11321	10882	79439
पश्चिम बंगाल	14566	24381	14460	3950	57358
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0	4539	3441	0	7980
जोड़	15940	247030	92870	105993	591833

*बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में क्रमशः नव सृजित राज्यों अर्थात झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल के ऋण शामिल है।

स्रोत : राज्यों की वित्तीय स्थिति पर भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट, जनवरी, 2002

निर्यात संवर्धन योजना

*756. **श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :**
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात की धीमी गति पर काबू पाने के लिए केन्द्र सरकार निर्यात अवसंरचना को सुधारने के लिए 4250 करोड़ रुपए की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस महत्वाकांक्षी योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को भी निर्यात संवर्धन में शामिल किया जाएगा;

(ग) क्या निर्यात अवसंरचना के विकास के लिए मौजूदा तीनों एजेंसियों का विलय भी विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर विचार किया जा रहा है; और

(ङ) इन योजनाओं के अन्तर्गत देश के निर्यात में किस सीमा तक वृद्धि होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) में वाणिज्य विभाग को बुनियादी सुविधा संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिए कुल 4300 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 4300 करोड़ रुपये की इस धनराशि में से 1625 करोड़ रुपये निर्यात हेतु, बुनियादी सुविधाओं के विकास और संबद्ध कार्यकलापों के लिए राज्यों को सहायता नामक एक नई योजना के अन्तर्गत निर्यात को बढ़ाने के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु राज्य को सहायता प्रदान करने के लिए आबंटित किए गए हैं। पूर्व में निर्यात के संवर्धन तथा आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के निर्माण सृजन जिम्मेवारी मुख्यतः केन्द्र सरकार द्वारा निभायी जा रही थी, परन्तु नई योजना में राज्यों को भी निर्यात प्रयास में शामिल किया जाएगा। पूर्ववर्ती तीन योजनाओं, आकस्मिक बुनियादी सुविधा संतुलनकारी योजना, निर्यात सवंर्धन औद्योगिक पार्क योजना एवं निर्यात संवर्धन क्षेत्र योजना का नई योजना में आमेलित कर दिया गया है। निर्यात हेतु बुनियादी सुविधाओं के विकास एवं संबद्ध कार्यकलापों के लिए राज्यों को सहायता संबंधी योजना का ब्यौरा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) की वेबसाइट "एच०टी०टी०पी०/कामिन, निक, इन/डॉक पर उपलब्ध है। चूंकि इस योजना का आशय बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है इसलिए निर्यात में संभावित वृद्धि की मात्रा का पता लगाना संभव नहीं है।

विवरण

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग)

उद्योग तथा खनिज क्षेत्र (करोड़ रुपये में)

(क) बुनियादी सुविधा संबंधी योजना	दसवीं योजना परिव्यय वीएस	आईईबीआर	इएपी	कुल
1	2	3	4	5
1. बुनियादी सुविधाओं के लिए राज्यों को सहायता	1625.00			1625.00

1	2	3	4	5
2. कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडी)	310.00			310.00
3. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	200.00			200.00
4. पाटनरोधी	5.00			5.00
5. निर्यात ऋण गारंटी निगम	392.00			392.00
6. निर्यात संवर्धन गुणवत्ता नियंत्रण तथा निरीक्षण				
i. ईएएन इंडिया	2.00			2.00
ii. निर्यात निरीक्षण परिषद	8.00			8.00
iii. डब्ल्यूटीओ अध्ययन केन्द्र	5.00			5.00
iv. बाजार पहुंच संबंधी उपाय	452.00			452.00
v. संस्थानों को सहायता				
(क) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान	25.00			25.00
(ख) भारतीय पैकेजिंग संस्थान	15.00	15.00		30.00
vi. भारतीय गुणवत्ता परिषद	0.60			0.60
7. आधुनिकीकरण तथा उन्नयन				
क. सचिवालय आर्थिक सेवाएं	10.00			10.00
ख. विदेशी व्यापार महानिदेशक	14.00			14.00
ग. डीजीसीआई एंड एस	12.40			12.40
8. फुटवियर डिजाइन तथा विकास संस्थान	5.00			5.00
9. डीजीएस एंड डी में कम्प्यूटरीकरण	7.00			7.00
कुल उद्योग और खनिज क्षेत्र	3088.00	15.00		3103.00
कृषि क्षेत्र				
1. चाय बोर्ड	350.00			350.00
2. रबर बोर्ड	415.00			415.00
3. काफी बोर्ड	300.00			300.00
4. मसाला बोर्ड	140.00			140.00
5. तम्बाकू बोर्ड	2.00			2.00
6. काजू ईपीसी	3.00			3.00
7. आईआईपीएम	2.00			2.00
कुल कृषि क्षेत्र	1212.00			1212.00
सहयोग वाणिज्य विभाग	4300.00	15.00		4315.00

ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं हेतु विश्व बैंक सहायता

*757. **श्री भर्तृहरि महताब :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार से राज्य में ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजना के लिए विश्व बैंक की सहायता मांगने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने परियोजना प्रसताव की जांच की है और इसे विश्व बैंक को भेज दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेल पासों पर आय-कर

*758. **श्री सुन्दर लाल तिवारी :**
श्री ए० कृष्णास्वामी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले नि:शुल्क रेल पासों पर आय-कर लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आय-कर लगाने का क्या औचित्य है;

(घ) क्या इंडियन एयरलाइन्स/एअर इंडिया के कर्मचारियों पर यही मानदंड लागू नहीं होता है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में एक समान नीति अपनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) सरकार ने दिनांक 25.9.2001 की अधिसूचना का० आ० 940(अ) के तहत परिलब्धियों के मूल्य निर्धारण से संबंधित आय-कर नियामवली, 1962 के नियम 3 को संशोधित किया है।

संशोधित उपबंधों में किसी भी कर्मचारी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को मुफ्त अथवा रियायती दर पर व्यक्तिगत अथवा निजी यात्रा अथवा माल को लाने ले जाने का कार्य कर रहे किसी भी उपक्रम द्वारा की गई व्यवस्था से प्राप्त होने वाले किसी लाभ अथवा सुविधा के मूल्य के निर्धारण के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है। परिलब्धि के मूल्य के परिकलम में वह राशि ली जाती है जिससे इस सुविधा से आम जनता पर खर्च पड़ता है और यह राशि कर्मचारी से वसूल की गई राशि, यदि कोई हो, द्वारा कम कर दी जाती है।

यह संशोधन, मौजूदा परिलब्धियों को और अधिक वास्तविक बनाने हेतु मूल्यांकन करने और कुछ परिलब्धियों के मूल्यांकन को आधार प्रदान करने के लिए अभिप्रेत है जिसके लिए पूर्व नियमों में कोई मूल्यांकन मानक मौजूदा नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष संघटक योजना

*759. **श्री सुखदेव पासवान :**
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001-2002 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए बनाई गई विशेष संघटक योजना के अंतर्गत राज्य-वार कुल कितने परिवार शामिल किए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ग) क्या निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) से (घ) दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाओं के एकीकृत हिस्से के रूप में अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विशेष संघटक योजना (एस०सी०पी०) बनाकर उसका कार्यान्वयन करना होता है। लक्ष्यों के निर्धारण, विशेष संघटक योजना के कार्यान्वयन के संबंध में सांख्यिकीय आंकड़ें संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा बनाए जाते हैं।

[हिन्दी]

भारतीय निर्यातकों द्वारा 'फेरा' का उल्लंघन

*760. **श्री राम शकल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्यातकों द्वारा विदेशी दूरदर्शन चैनलों में विज्ञापन देने के कारण भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन और फेरा नियमों का उल्लंघन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इन निर्यातकों के विरूद्ध 'फेरा' नियमों के उल्लंघन के कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय निर्यातकों द्वारा विदेशी दूरदर्शन चैनलों में विज्ञापन देने के बारे में व्यापक नीति बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) प्रवर्तन निदेशालय ने विज्ञापन के प्रसारण और विज्ञापन प्रभारों के प्रेषण के संबंध में कुछ विदेशी टी०वी० चैनलों तथा कतिपय निर्यात गृहों के भारतीय एजेन्टों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा), 1973 के प्रावधान के किए गए उल्लंघन के आरोपों की जांच की है। फेरा के प्रावधानों के उल्लंघन के 123 मामलों में ऐसे एजेन्टों तथा निर्यातकों को कारण बताओं नोटिस जारी किए गए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक की विनिमय नियंत्रण संहिता के साथ पठित फेरा के प्रावधानों के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(ग) और (घ) विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता संव्यवहार) नियमावली, 2000 की अनुसूची-III की मद 13 की शर्तों के अनुसार भारत में निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा विदेशी टी०वी० चैनलों पर विज्ञापनों के संबंध में प्रेषणों को विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत डीलरों द्वारा अनुमति दी जा सकती है। विदेशी टी०वी० चैनलों पर विज्ञापनों के कारण एक्सचेंज अरनर्स फॉरन करेन्सी (ई०ई०एफ०सी०) रेसीडेंट फोरेन करेंसी (आर०एफ०सी०) खातों में से किए गए प्रेषणों को भी प्राधिकृत डीलरों द्वारा अनुमति दी जा सकती है। केवल उस व्यक्ति के संबंध में, जिसकी निर्यात आय प्रत्येक पूर्ववर्ती दो वर्षों के दौरान 10 लाख रुपए से कम है, प्रेषण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा विपणन विनियमन का पालन

7712. श्री अमर राय प्रधान :
श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 1995 के बाद विपणन विनियमों का अनुपालन न करने के कारण बहुत अधिक बकाया हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उन विनियमों का ब्यौरा क्या है जिसके कारण बहुत अधिक बकाया हो गया;

(ग) कारपोरेशन को इस प्रकार हानि पहुंचाने के लिए जिम्मेदार निगम के अधिकारियों के नाम तथा पद-नाम क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उन प्रत्येक अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभ भाई कथीरिया) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन (एच०पी०सी०) का 2000-2001 में कुल बकाया 139.4 करोड़ रुपये है जिसमें से एच०पी०सी० के विपणन विनियमों का अनुपालन न करने के कारण बकाया 16.12 करोड़ रुपये है। विपणन विनियमों का उल्लंघन करने के कारण अनियमितताओं में मुख्यत: क्रेडिट सीमा का उल्लंघन तथा पार्टियों जिसका चैक सामान्य हो गया, की आपूर्ति करना शामिल है।

(ग) और (घ) एच०पी०सी० के निदेशक मंडल की दिनांक 22.01.2000 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में आपराधिक कार्यवाहियां केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, कोलकाता के उप-महानिरीक्षक के समक्ष दायर की गई जिनमें कदाचार, धोखाधड़ी इत्यादि का विवरण दिया गया जो इस मामले से संबद्ध था। एच०पी०सी० के 13 अधिकारियों को उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए तथा तदनुसार, उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। निलंबन तथा स्थानान्तरण जैसी अन्य कार्रवाई भी की गई। एच०पी०सी० ने एक स्टॉकिस्ट के विरूद्ध परक्राम्य लिखित (निगोशिएबुल इंस्ट्रूमेंट्स) अधिनियम की धारा 138 के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय में एक शिकायत भी दर्ज की है, जो वर्तमान में न्यायाधीन है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 'वर्कमैन' की पदोन्नति

7713. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 'वर्कमैन' की पदोन्नति पर कोई प्रतिबन्ध है;

(ख) यदि नहीं, तो 1991 के बाद से जनशक्ति नियोजन विभाग की शुरूआत की तारीख तक प्रत्येक स्पोन्सर बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में वर्कमैनों की पदोन्नति से भरी जाने वाली कितनी रिक्तियों को मंजूरी दी है; और

(ग) सरकार द्वारा चूककर्ता स्पोन्सर बैंकों जैसे बैंक आफ बड़ौदा, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ इंडिया, यूनियन बैंक आफ इंडिया और देना बैंक द्वारा वर्ष 1990 से आज की तारीख तक वर्कमैन से भरी जाने वाली पदोन्नति की किसी रिक्ति को मंजूरी नहीं देने के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आर०आर०बी० में अधिकांश प्रायोजक बैंकों द्वारा अनुमोदित कर्मकारों की प्रत्येक श्रेणी में 1991 के बाद पदोन्नति पर रिक्त पद निम्नलिखित हैं :—

प्रायोजक बैंक का नाम	संदेशवाक से लिपिक तक	लिपिक से अधिकारी तक
केनरा बैंक	20	87
इण्डियन ओवरसीज बैंक	6	21
आंध्रा बैंक	10	27
बैंक आफ महाराष्ट्र	3	17
बैंक आफ बड़ौदा	—	6
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	—	59
भारतीय स्टेट बैंक	111	200
इलाहाबाद बैंक	3	5
पंजाब नैशनल बैंक	9	78
यूनियन बैंक आफ इंडिया	8	—
सिंडिकेट बैंक	7	156
कार्पोरेशन बैंक	—	9
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	18	50
स्टेट बैंक आफ मैसूर	10	—
स्टेट बैंक आफ सौरास्ट्र	2	7
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	16	112
यूको बैंक	15	21

(ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार ये बैंक जनशक्ति मानदण्डों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है तथा पदोन्नतियां उनसे संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में रिक्त पदों की उपलब्धता के अध्यधीन होगी।

[हिन्दी]

व्यापारियों द्वारा मांग पत्र

7714. श्री कैलाश मेघवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के टोंक जिले में नर्मा या नर्मा उत्पादों का व्यवसाय करने वाले व्यापारियों द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के पास कोई ज्ञापन या मांग पत्र दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंक द्वारा इस समस्या को हल करने और इस उद्योग को बढ़ावा देने, विकास एवं विपणन हेतु कोई योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचना दी है कि इसके पास न तो नर्मा या नर्मा उत्पाद और न ही किसी एजेंसी के बारे में ऐसी कोई सूचना है जिससे कि इस नाम को इसके द्वारा कोई निधि या सहायता दी गई है। तथापि, नाबार्ड ने नामदा और नामदा उत्पादों को सहायता उपलब्ध कराई है जो कोर्स वुर्डन फ्लोर कवर है। नाबार्ड ने आगे यह भी सूचित किया है कि इसे उन व्यापारियों से कोई ज्ञापन अथवा मांग पत्र प्राप्त नहीं हुआ है जो राजस्थान के टोंक जिले के नामदा और नामदा उत्पादों का व्यापार करते हैं।

(ग) और (घ) नाबार्ड ने राजस्थान चैम्बर आफ कामर्स एंड इन्डस्ट्री, जयपुर के माध्यम से नामदा और नामदा उत्पादों में एक उत्पाद विकास कार्यशाला आयोजित किया है जिसमें जिला उद्योग केन्द्र, जिला ग्रामीण उद्योग परियोजना (डी०आर०आई०पी०) के पदाधिकारी, क्लस्टर के कारीगर बैंक पदाधिकारी, व्यापार के विशेषज्ञ, मास्टर क्राफ्टसमेन आदि ने भाग लिया था। कार्यकलाप के विकास, उत्पाद सुधार और विविधीकरण के विकल्पों पर विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श के निष्कर्षों के आधार पर नाबार्ड ने राजस्थान राज्य उत्पादकता परिषद, जयपुर के लिए एक ग्रामीण उद्यमवृत्ति विकास कार्यक्रम (आर०इ०डी० पी०) को मंजूरी दी है और प्रोत्साहन के रूप में 50,000 रुपए सहायता अनुदान प्रदान किया है। इस कार्यक्रम के जून 2002 से शुरू होने की आशा है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चम्बल में अनु०जा०/ अनु०ज०जा० का प्रतिनिधित्व

7715. श्री अशोक अर्गल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चम्बल में कुल कितने कर्मचारी हैं और उनमें से कितने अनु०जा०/अनु०ज०जा० के कर्मचारी हैं;

(ख) क्या अनु०जा०/अनु०ज०जा० की नियुक्तियां केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कोटे के अनुरूप की गई हैं और कुल बकाया रिक्तियां कितनी हैं एवं उन्हें भरने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक इन बैंकों में कितनी पदोन्नतियां की गई और इनमें से अनु०जा०/अनु०ज०जा० के कितने कर्मचारियों की पदोन्नति दी गई;

(घ) क्या अनु०जा०/अनु०ज०जा० की पदोन्नति केन्द्रीय सरकार के मानकों के अनुरूप की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अतिरिक्त खाद्यान्नों का उपयोग

7716. **श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपने पास उपलब्ध अतिरिक्त खाद्यान्नों का देश के जनजातीय क्षेत्रों में वितरित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) देश में 13 राज्यों में केवल आदिवासी ग्रामों के लिए अनाज बैंक स्थापित करने की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम 1996-97 से क्रियान्वित की जा रही है। इस स्कीम में व्यवस्था है कि पहचान किए गए क्षेत्रों में ग्रामीण एक समिति बना सकते हैं और ग्राम में अनाज बैंक स्थापित कर सकते हैं। भारत सरकार स्थानीय रूप से उपभोग किए जाने वाले खाद्यान्नों के लिए प्रति परिवार 100 किलोग्राम की दर पर अनाज बैंक स्थापित करने के लिए एक बार 100% अनुदान प्रदान करती है। सदस्य जरूरत के समय इस बैंक से उधार ले सकते हैं और फसल कटने के बाद अथवा मजदूरी के रूप में आय होने पर जिंस के रूप में अदायगी कर सकते हैं। मौजूदा केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम ''अनाज बैंक'' का विस्तार करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

अधिकारियों के विरुद्ध जांच

7717. **श्री चाडा सुरेश रेड्डी : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हस्तशिल्प विकास आयुक्त कार्यालय के राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध संसद सदस्यों या विभागीय अधिकारियों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के आधार पर कितनी विभागीय/सतर्कता जांच की गई;

(ख) क्या सभी जांच पूरी कर ली गई हैं;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें जांच रोक दी गई ? और उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) विभागीय अधिकारियों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के आधार पर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध पिछले तीन वर्षों के दौरान तीन (3) विभागीय सतर्कता जांच कराई गई। तथापि, संसद सदस्य द्वारा राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कोई जांच नहीं रोकी गई है।

पोस्त की खेती

7718. **श्री एम०के० सुब्बा : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सीमा शुल्क विभाग के केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के सहयोग से असम-अरूणाचल की सीमा पर 218 हैक्टेयर पोस्त की खेती को उसके उत्पादकों को आय के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराए बिना नष्ट कर दिया;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में बनाए गए विनियमों एवं कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अफीम के बुरे प्रभाव के विरुद्ध लोगों में जागरूकता लाने हेतु आई०एल०ओ० और यू०एन०डी०पी० द्वारा प्रायोजित कोई कार्यक्रम चलाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बेरोजगार हुए उत्पादकों एवं अन्यों को आय के वैकल्पिक साधन प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, शिलांग और संबंधित राज्य सरकार की एजेन्सियों की सहायता से, केन्द्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो ने अरूणाचल प्रदेश के लोहित और अपर सिआंग जिलों में अवैध रूप से कुल 218.65 हैक्टेयर में उगाई गई अफीम-पोस्त को नष्ट करने की व्यवस्था की है। स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी द्रव्य पदार्थ (एन०डी०पी०एस०) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत उपबन्धों के अंतर्गत, अफीम पोस्त को केवल अधिसूचित भू-भागों और लाइसेंसधारी कृषकों द्वारा ही उगाया जा सकता है। उपर्युक्त अधिनियम के उपबंध अवैध रूप से उगाई गई अफीम पोस्त को नष्ट करने की भी अनुमति देते हैं, और इसके अलावा ऐसी अवैध खेती करने का अपराध करने वालों के लिए कड़ी सजा निर्धारित करते हैं जिसके अंतर्गत एक लाख रु० तक का जुर्माना और 10 वर्ष तक की कैद शामिल है।

(ग) से (ङ) संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वापक औषधि नियंत्रण कार्यक्रम (यू०एन०डी०सी०पी०) संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास

कार्यक्रम (यू०एन०डी०पी०) और अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन (आई०एस०ओ०) के द्वारा प्रारंभ की गई एक गैर सरकारी परियोजना को अरूणाचल प्रदेश के अवैध रूप से अफीम की खेती कर रहे जिलों में लागू किया गया है ताकि वैकल्पिक विकास की एक व्यापक नीति विकसित की जा सके जिसमें सामाजिक दशा में सुधार करना, वैकल्पिक दीर्घावधि वाली आजीविका की व्यवस्था करना, सामाजिक बुनियादी ढांचे में सुधार करना और नशे की लत के घातक प्रभवों के विषय में जागरूकता पैदा करना शामिल है।

[हिन्दी]

प्रति व्यक्ति मिट्टी के तेल की उपलब्धता

7719. **श्री मानसिंह पटेल :**
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और अन्य राज्यों में प्रति व्यक्ति कितना मिट्टी का तेल उपलब्ध है;

(ख) क्या यह राष्ट्रीय औसत के बराबर है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार गुजरात, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा को मिट्टी के तेल में किए जाने वाले आवंटन में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वर्ष 2002-03 हेतु आबंटन के अनुसार मिट्टी के तेल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय औसत (9.35 किलोग्राम प्रति वर्ष) की तुलना में प्रति व्यक्ति आबंटन गुजरात में (15.44 किलोग्राम प्रति वर्ष) अधिक है और उड़ीसा (8.85 किलोग्राम प्रति वर्ष) तथा उत्तर प्रदेश (7.59 किलोग्राम प्रति वर्ष) में कम है।

(ख) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और राष्ट्रीय औसत के बीच प्रति व्यक्ति आबंटन में अंतर मिट्टी के तेल के आबंटन के लिए 1993 तक अपनाए गए पुराने आधार के मानदंड के कारण है।

(ग) और (घ) मिट्टी का तेल कमी वाला उत्पाद है और हमारी आवश्यकता का काफी भाग आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। समय-समय पर मिट्टी के तेल के अतिरिक्त आबंटन के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त होते हैं। तथापि, उत्पाद की उपलब्धता, विदेशी मुद्रा और अत्यधिक राजसहायता अंतर्ग्रस्त होने की बाधा के कारण हमेशा ऐसी मांगों को पूर्णतया पूरा करना संभव नहीं होता है।

विवरण

विभिन्न राज्यों को मिट्टी के तेल का आबंटन

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03 के लिए मिट्टी के तेल का आबंटन (टन में)	प्रति व्यक्ति आबंटन (2002-03) (किग्रा/वार्षिक)
1	2	3
अंडमान और निकोबार	5709	16.02
आंध्र प्रदेश	566113	7.48
अरूणाचल प्रदेश	9793	8.97
असम	261081	9.80
बिहार	646618	7.80
चंडीगढ़	14089	15.64
छत्तीसगढ़	147977	7.12
दादरा और नगर हवेली	3003	13.62
दमन और दीव	2273	14.38
दिल्ली	188854	13.70
गोआ	21999	16.37
गुजरात	781176	15.44
हरियाणा	155928	7.40
हिमाचल प्रदेश	56509	9.30
जम्मू और कश्मीर	84413	8.38
झारखण्ड	216766	8.06
कर्नाटक	500625	9.49
केरल	236758	7.44
लक्षद्वीप	874	14.43
मध्य प्रदेश	497726	8.24
महाराष्ट्र	1367232	14.13
मणिपुर	20857	8.73
मेघालय	20597	8.93
मिज़ोरम	6748	7.57
नागालैण्ड	13332	6.70
उड़ीसा	317443	8.65

1	2	3
पांडिचेरी	13307	13.66
पंजाब	272143	11.20
राजस्थान	417204	7.39
सिक्किम	6403	11.85
तमिलनाडु	582712	9.38
त्रिपुरा	31545	9.89
उत्तर प्रदेश	1261121	7.59
उत्तरांचल	98454	11.61
पश्चिम बंगाल	778784	9.71
अखिल भारत	9606166	9.35

[अनुवाद]

यू०टी०आई० की नयी योजना

7720. **श्री टी० गोविन्दन : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में यू०टी०आई० ने अपने ग्राहकों का विश्वास जीतने के लिए कुछ नई योजनाओं की शुरूआत की है; और

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

7721. **श्री शिवाजी माने :**
डा० मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र और बिहार के कौन-कौन से स्वैच्छिक संगठन उनके मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इन संगठनों ने कितनी वित्तीय सहायता मांगी और उनको वास्तव में कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ग) निधियों को मंजूर करने में किन मानकों का उपयोग किया जाता है; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान किन संगठनों को काली सूची में डाला गया है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) मंत्रालय ने 2000-01 और 2001-02 के दौरान महाराष्ट्र और बिहार के 347 स्वैच्छिक संगठनों को 2829.12 लाख रु० की वित्तीय सहायता दी है। अनुदानों (1 लाख रु० या अधिक के) का ब्यौरा वर्ष 2000-01 के लिए मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध है। मंत्रालय ने 2001-02 के लिए जिन गैर सरकारी संगठनों को अनुदान दिया, उनके नाम भी वर्ष 2001-02 के लिए वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं जो मुद्रणाधीन है। स्वैच्छिक संगठन स्वयं के मुल्यांकन के अनुसार सहायता मांगते हैं परन्तु सहायता-अनुदान विभिन्न योजनाओं के मानदण्डों के अनुसार स्वीकृत किया जाता है।

(ग) निर्मुक्त की जाने वाली सहायता का स्तर निर्देशित करने वाले मानदण्डों का ब्यौरा दस योजनाओं में प्रत्येक में दिया गया है। ये मंत्रालय के प्रकाशन "योजनाओं के सार-संग्रह" का भाग है।

(घ) संलग्न विवरण में सूचीबद्ध गैर सरकारी संगठनों का सहायता- अनुदान आस्थगित/रोक दिया गया है।

विवरण

महाराष्ट्र और बिहार में उन संगठनों की सूची जिनकी सहायता अनुदान आस्थगित कर दी गई है/रोक दी गई है

क्रम संख्या	संगठन का नाम
1.	शहीद अब्दुल हमीद शिक्षा संस्थान, धेरवा, खाटीपुरा, वार्ड नं० 60, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र।
2.	जांबुवंत महाराज शिक्षण संस्था, बंजारा कालोनी, खोकड़ापुरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र।
3.	अपंग महिला मंडल अमरावती, कमला जाधव, महाराष्ट्र।
4.	सावित्री बाई ज्योतिराव फुले समाज सेवा संस्थान, तरहला, ताल्लुक मगरूर पीर, जिला अकोला, महाराष्ट्र।
5.	जाम्बुवंत महाराज शिक्षण संस्था, बंजारा कालोनी, खोकड़पुरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र।
6.	अक्षर सार्वजनिक वाचनालय, अंबिकानगर, मलकापुर, अकोला, महाराष्ट्र।
7.	अपंग एसोसिएशन, नंदगांव, खंडेश्वा, अमरावती, महाराष्ट्र।
8.	गुलाब सिंह महिला एवं बाल कल्याण संघ, गांव व डाकघर रूकुंदीपुर, दरौंडा, सीवन, बिहार।
9.	ग्रामीण विकास संगठन, गया, बिहार (मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए विशेष योजना और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के पुनर्वास केन्द्र की योजना के अंतर्गत)

[अनुवाद]

बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

7722. **श्रीमती मिनाती सेन : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बी०एस०सी०एल० को चलाने के लिए कोई संयुक्त उद्यम शुरू करने हेतु योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो बी०एस०सी०एल० की इन इकाइयों में कितने कामगरों, कर्मचारियों और अधिकारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की अनुमति दी गई है;

(ग) क्या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले लोगों की भविष्य निधि एवं उपदान की मंजूरी दे दी गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इस कार्य के कब तक किए जाने की आशा है;

(ङ) क्या बी०एस०सी०एल० की सलेम इकाई में कोई नई परियोजना शुरू की गई है जिसका आधुनिकीकरण भी किया जाएगा; और

(च) यदि हां, तो रिफ्रैक्टरी इकाइयों को बंद करने और जिन इकाइयों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की अनुमति दी गई वहां सेवानिवृत्ति धनराशि पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभ भाई कथीरिया) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 31.03.2002 की स्थिति के अनुसार पृथक किए गए कर्मचारियों की संख्या 3823 है जिसमें 2651 कामगार, 728 स्टॉफ और सब-स्टॉफ तथा 444 अधिकारी हैं।

(ग) और (घ) कुछ मामले जहां कंपनी के स्वार्टरों को खाली करने पर भुगतान किया जाएगा, को छोड़कर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तहत् पृथक किए गए सभी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया गया है। भविष्यानिधि देने के संबंध में मामला विचाराधीन है।

(ङ) बी०आई०एफ०आर० पुनरूद्धार स्कीम के अनुसार, कोर्क्लिकर प्लांट को नई परियोजना के रूप में लिया गया था। उक्त प्लांट को सेलम इकाई में हाल ही में स्थापित किया गया है। विद्यमान सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए अतिरिक्त निवेश भी किया गया है।

(च) सेलम वर्क्स एक प्रचालनरत इकाई है तथा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम के हाल ही में लागू होने से इकाई के 530 कर्मचारियों को पृथक कर दिया गया है जिसमें कुल 17.16 करोड़ रुपये का भुगतान शामिल है।

वर्ष 2000-2001 के दौरान 934 कर्मचारियों की वी०आर०एस० बकाया राशि के भुगतान के लिए घाटा उठा रही 7 रिफ्रैक्टरी इकाइयों को बंद करने के लिए खर्च की गई राशि 17.40 करोड़ रुपये हैं। इसके अतिरिक्त, वेतन व मजदूरी तथा सांविधिक बकाया राशि के लिए खर्च की गई राशि 4.95 करोड़ रुपये।

वर्ष 2001-2002 के दौरान वी०आर०एस० के माध्यम से बी०एस०सी०एल० की अन्य इकाइयों के 3293 कर्मचारियों के पृथक्करण के लिए खर्च की गई राशि 117.69 करोड़ रुपये है।

[हिन्दी]

सरकारी एवं निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा स्रोत पर कर कटौती (टी०डी०एस०)

7723. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :**
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001-2002 के दौरान निजी एवं सरकारी क्षेत्र की किन-किन कंपनियों ने टी०डी०एस० के उपबंधों का पालन नहीं किया है;

(ख) उनके विरूद्ध बकाया देयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कंपनियों से टी०डी०एस० की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई और इस धनराशि के कब तक वसूल किए जाने की संभावना है; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

निजी भांडागारों के निर्माण हेतु सरकार द्वारा सहायता

7724. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के गोदामों में उनकी क्षमता से दुगुनी मात्रा में खाद्यान्न स्टोर किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने भंडारण की आवश्यकता को पूरा करने हेतु निजी स्वामित्व वाले भांडागारों के निर्माण के लिए सहायता देने की घोषणा की है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की सहायता से निर्मित किए गए गोदामों का राज्य-वार, विशेषकर राजस्थान और मध्य प्रदेश का ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) 1.4.2002 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भण्डारण निगम, राज्य भण्डारण निगमों और अन्य राज्य एजेंसियों के पास खाद्यान्नों का भण्डारण करने के लिए उपलब्ध 568.80 लाख टन की भण्डारण क्षमता के प्रति भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों के पास केन्द्रीय पूल में कुल 510.23 लाख टन खाद्यान्नों का स्टाक था।

(ख) सरकार द्वारा घोषित भण्डारण नीति के अधीन पार्टियों को भाण्डागारों का निर्माण करने के लिए सीधे कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जा रही है। तथापि, नीति के अधीन भारतीय खाद्य निगम पहचान किए गए स्थानों पर 'बनाओं और चलाओ' आधार पर गोदामों का निर्माण करने के लिए निजी क्षेत्र को 100% क्षमता उपयोग हेतु सात वर्षीय गारंटी प्रदान की गई है।

(ग) बनाओ और चलाओ आधार पर निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता के माध्यम से गोदामों का निर्माण करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा बोलियां आमंत्रित की गई है, जिनकी जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

कृषि विपणन रणनीति बनाया जाना

7725. श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व व्यापार संगठन समझौतों के परिप्रेक्ष्य में अनाजों और गैर-कृषि ग्रामीण उत्पादों के विपणन के लिए कोई व्यापक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन विनियमित बाजारों में निजी भागीदारी की भी अनुमति दिए जाने का विचार है;

(ग) क्या कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी इसी प्रकार के प्रयास किए गए हैं;

(घ) यदि, हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) इस मामले में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ङ) भारत सरकार द्वारा नियुक्त कृषि विपणन को सुदृढ़ और विकसित करने संबंधी विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ विपणन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में निजी क्षेत्र को शामिल करने की सिफारिश की है। विशेषज्ञ समिति ने कृषि विपणन के अनेक क्षेत्रों में सहकारी समितियों और संयुक्त क्षेत्रों, किसानों, संगठनों, स्वयंसेवी समूहों आदि को शामिल करने की भी सिफारिश की है। सरकार ने सिफारिशों की जांच करने तथा विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने हेतु उपाय सुझाने के लिए कृषि और सहकारिता विभाग में एक अंतर-मंत्रालयीय कार्यदल का गठन किया है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से भी अनुरोध किया गया है कि वे विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की जांच करें और इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में कार्यदल को अपनी राय भेजें।

कर्नाटक सराकार ने राज्य कृषि उत्पाद विपणन नियमन अधिनियम, 1966 में संशोधन किया है ताकि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा फलों और सब्जियों के समन्वित विपणन को स्थापित करने में आसानी हो सके। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड तदनुसार बंगलौर में फल और सब्जी बाजार विकसित कर रहा है। अन्य राज्यों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

आर्थिक वृद्धि

7726. श्री बसुदेव आचार्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चेतावनी दी है कि भारत के उच्च स्तरीय वित्तीय घाटे से देश की आर्थिक वृद्धि के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10 प्रतिशत है;

(घ) क्या यह वित्तीय घाटा संसार में सर्वाधिक है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई०एम०एफ०) ने अनुच्छेद IV के अधीन भारत के साथ अपने परामर्श में आर्थिक वृद्धि के लिए उच्च स्तर के राजकोषीय घाटे की बाध्यताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। हाल में किए गए अपने मूल्यांकनों में से एक में आई०एम०एफ० कार्यकारी बोर्ड ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि "लगातार ऐसे संकेत हैं कि घरेलू ढ़ांचागत बाध्यताएं और राजकोषीय स्थिति निवेश और अर्थव्यवस्था की संभाव्यता पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं।"

(ग) और (घ) वर्ष 2000-01 (संशोधित अनुमान) के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जी०डी०पी०) के अनुपात के रूप में केन्द्र और राज्यों का संयुक्त सकल राजकोषीय घाटा 9.6 प्रतिशत अनुमानित किया गया है। ऋण के स्वरूप और स्वामित्व तथा विनिमय दर जोखिमों के प्रति ऋण प्रकटन का अध्ययन किए बिना विभिन्न देशों में राजकोषीय घाटे की तुलना करना सार्थक नहीं होगा।

(ङ) वर्ष 2002-03 के बजट की कार्यनीति में कृषि और खाद्य अर्थव्यवस्था सुधारों पर बल देना जारी रखना, बुनियादी ढ़ांचे में सरकारी

और निजी निवेश को बढ़ाना, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजारों को सुदृढ़ करना, ढांचागत सुधारों को गहन बनाना और औद्योगिक वृद्धि को पुन:स्थापित करना, गरीबों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और केन्द्रीय तथा राज्य, दोनों स्तरों पर कर सुधार को समेकित करना तथा राजकोषीय समायोजन को जारी रखना शामिल है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्ष 2002-03 के बजट में बहुत से सुधार संबंधी उपाय शामिल किए गए हैं। 2002-03 के बजट में प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों और ग्रामीण विकास के लिए आवंटन हेतु संवर्धित आयोजना परिव्यय भी उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू मांग को बढ़ाने के लिए भी उपाय किए गए हैं। इन में अन्यों के साथ-साथ प्रशासित ब्याज दरों में और कमी करना, उच्च सीमा शुल्क टैरिफ में कटौती करना और उत्पादन शुल्क प्रणाली आदि को और सरल बनाना शामिल है। निजीकरण और व्यय सुधार आयोगों की सिफारिशों के कार्यान्वयन में भी प्रगति की गई है। राज्यों के वित्त स्रोतों में सुधार करने की दृष्टि से, केन्द्रीय सरकार ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्थापित राजकोषीय सुधार प्रोत्साहन कोष के जरिए राज्यों के साथ संयुक्त रूप से कार्य कर रही है। सरकार का प्रयास वर्ष 2005 तक सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के संदर्भ में समेकित ऋण को कम करके वहनीय स्तरों तक लाना और ऐसे कार्यक्रमों व नीतियों को कार्यान्वित करना है जिससे संवृद्धि के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होंगी।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाशोधन आयोग का कार्यकरण

7727. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाशोधन आयोग के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आयोग को राज्य-वार, कितने मामले प्राप्त हुए एवं निपटाये गए;

(घ) क्या आयोग का विचार देश में और अधिक खंडपीठों की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) समझौता आयोग की स्थापना दिल्ली में इसकी प्रधान पीठ और मुम्बई, चैन्नई तथा कोलकाता में तीन अतिरिक्त पीठों सहित वर्ष 1999 में हुई। तथापि, प्रारंभिक वर्षों में इसके कार्यभार को ध्यान में रखते हुए, केवल प्रधान पीठ और मुम्बई तथा चैन्नई में स्थित अतिरिक्त पीठों को ही कार्यात्मक बनाने का निर्णय लिया गया। स्थिति की पुनरीक्षा करने पर चालू वित्त वर्ष में कोलकाता पीठ को कार्यात्मक बनाने का भी निर्णय लिया गया है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	प्राप्त किए गए मामलों की सं०	निपटाए गए मामलों की सं०
1.	उत्तर प्रदेश	57	20
2.	हरियाणा	23	14
3.	राजस्थान	12	2
4.	दिल्ली	93	3
5.	पंजाब	8	2
6.	चंडीगढ़	35	20
7.	पश्चिम बंगाल	7	5
8.	झारखण्ड	9	8
9.	उत्तरांचल	2	2
10.	तमिलनाडु	104	16
11.	आन्ध्र प्रदेश	78	23
12.	केरल	10	1
13.	कर्नाटक	39	4
14.	महाराष्ट्र	342	80
15.	मध्य प्रदेश	2	0
16.	गुजरात	146	15
17.	गोवा	16	1
	कुल	983	216

[हिन्दी]

पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय भंडारागार निगम के गोदामों का निर्माण

7728. **श्री बीर सिंह महतो** : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल भंडारागार निगम की तरफ से राज्य के अनेक जिलों में गोदामों के निर्माण के लिए कुछ योजनाएं भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य राज्य सरकारों ने भी इसी प्रकार की योजनाएं भेजी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अब तक उस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल राज्यों ने 7 वर्षीय गारंटी योजना के अधीन गोदामों का निर्माण करने के लिए अनुरोध किया था। सरकार ने उपयोग की 7 वर्षीय गारंटी की योजना के अधीन निम्नलिखित ढकी हुई भण्डारण क्षमता के निर्माण का अनुमोदन संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया है :—

(लाख टन में)

क्र०सं०	राज्य	क्षमता
1.	पंजाब	41.60
2.	हरियाणा	9.00
3.	आन्ध्र प्रदेश	21.27
4.	उत्तर प्रदेश	8.00
5.	उत्तरांचल	0.50
6.	उड़ीसा	2.50
7.	छत्तीसगढ़	2.50
	जोड़	85.37

[अनुवाद]

फीएट कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई

7729. श्री किरीट सोमैया : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ''ऊनो'' कार की बुकिंग के मामले में फीएट इंडिया के पॉल समूह के लाखों निवेशकों के हितों की रक्षा और संरक्षण के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और क्या निवेशक बुकिंग राशि की ब्याज सहित वसूली की लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि कम्पनी ने उन्हें कार नहीं दी है तथा बुकिंग की शर्तों के अनुसार उनकी बुकिंग राशि ब्याज सहित लौटाई जानी थी;

(ख) क्या सरकार ने कंपनी से निवेशकों की धनराशि का भुगतान शीघ्र करने के लिए कहा है क्योंकि समझौते की शर्तों के अनुसार इसका भुगतान 60 दिन के भीतर किया जाना था जिसका उल्लंघन किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार निर्दोष जनता को धोखा देने के लिए कंपनी के निदेशकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेगी और उन्हें गिरफ्तार करेगी ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जहां किसी करार की किसी शर्त के उल्लंघन किए जाने की सूचना हो, वहां कम्पनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करना और अपनी शिकायतों का प्रतितोष प्राप्त करना पीड़ित उपभोक्ताओं का काम है।

भारत में चीनी मोटरसाइकिल

7730. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुप्रतीक्षित चीनी दुपहिया वाहन अभी भारतीय सड़कों पर नहीं आये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इनमें से अधिकांश दुपहिया वाहन भारतीय उत्सर्जन मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ग) आई०टी०सी० (एच०एस०) में एग्जिम शीर्ष 87.11 के अंतर्गत यथावर्गीकृत मोटर साईकिलों/बाइकों समेत दुपहिया वाहनों का आयात मुक्त है। तथापि, इन मदों का आयात मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुपालन के अधीन होता है।

दिनांक 31.3.2001 से मात्रात्मक प्रतिबंध को हटाये जाने के बाद दुपहिया वाहनों। मोटर साईकिलों समेत ऑटो मोबाइल के आयात पर परीक्षण, अभिपुष्टि इत्यादि जैसी विशिष्ट शर्तें लगा दी गई हैं। इसके अलावा आयातित समस्त उत्पादों को समान घरेलू, उत्पादों के लिए निर्धारित मानकों को पूरा करना होगा। निस्सारण संबंधी मापदंडों समेत इन शर्तों एवं मानकों के अनुरूप न होने वाले उत्पादों की आयात हेतु अनुमति नहीं दी जाती है।

बैंकों/वित्तीय संस्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व

7731. श्री अनन्त नायक : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी बैंक-वार और वित्तीय संस्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) बैंकों और वित्तीय संस्थानों में अनु०जा०/अनु०ज०जा० के कम प्रतिनिधित्व होने के क्या कारण हैं; और

(घ) बकाया रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सेबी द्वारा किराये पर लिए गए आवासीय स्थान

7732. **श्री जी०एस० बसवराज :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, मुंबई ने सामान्य प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना मंहगे कार्यालय स्थान किराये पर लिए हैं जिसके परिणामस्वरूप पट्टे के समझौते की अवधि समाप्त होन के चार वर्ष से अधिक समय तक 4.65 करोड़ रुपए की जमा राशि फंसी रही जिससे 8.17 करोड़ रुपए के ब्याज का नुकसान हुआ;

(ख) यदि हां, तो क्या सेबी ने उचित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए आवासीय स्थान भी किराये पर लिए जिससे फरवरी, 2001 तक 8.00 करोड़ रुपए और जुलाई, 2001 तक 7.45 करोड़ रुपए की जमा राशि फंसी रही जिससे ब्याज के रूप में 3.66 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के अनुसार इसने संगठन में विद्यमान परम्परा का अनुसरण करते हुए परिसरों का अधिग्रहण किया है। उक्त परिसरों का उपयोग सेबी द्वारा 1997 से किराए का भुगतान किए बगैर अपने कार्यालय के लिए किया जा रहा है। यदि वे परिसर सेबी द्वारा खाली किए जाते हैं तो उन्हें वैकल्पिक परिसर लेने पड़ेंगे और प्रतिभूति जमाराशि और किराए का भुगतान करना पड़ेगा।

(ख) सेबी ने सूचित किया है कि यदि फ्लैट किराए पर नहीं लिए जाते हैं तो सेबी को अपेक्षाकृत काफी उच्च लागत पर फ्लैट खरीदने पड़ेगे। इसलिए, चाहे परिसर किराए पर लिए गए या स्वामित्व आधार पर लिए जाएं, पूंजी पर ब्याज लागत पड़ेगी। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा उल्लिखित परिसरों में से दो सेबी द्वारा खाली कर दिए गए हैं और 3.80 करोड़ रुपए की जमाराशि पट्टादाताओं द्वारा सेबी को लौटाई जा चुकी है।

(ग) सेबी ने परिसरों के अधिग्रहणों हेतु मार्गनिर्देश जारी किए हैं। दिनांक 28.7.1998 से इनका अनुपालन किया जा रहा है।

भारतीय उद्योग परिसंघ के प्रतिनिधिमंडल की चीन यात्रा

7733. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवैसी :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ के महानिदेशक सहित एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल चीन की यात्रा पर गया था और चीन ने सूचना प्रौद्योगिकी के वैश्विक स्तर को विकसित करने के लिये भारतीय सहयोग की मांग की है जैसाकि 26.4.2002 के ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' में ''चाइना सीक्स इंडियाज इ-कामर्सएक्सपर्टाईज'' शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय प्रतिनिधिमंडल और चीन सरकार के बीच सहयोग के किन मुख्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा हुई; और

(ग) इस प्रतिनिधि मंडल की यात्रा के पश्चात दोनों देशों के बीच किस सीमा तक सहयोग के बढ़ने की संभावना है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सहकारी बैंकों में पूर्व चेतावनी प्रणाली

7734. **श्री ए० ब्रह्मनैया :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2001-2002 में महाराष्ट्र में कुछ शहरी सहकारी बैंकों के बोर्ड को भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिक्रमित किया है;

(ख) यदि हां, तो उन शहरी सहकारी बैंकों का नाम क्या है जिसके बोर्ड को भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिक्रमित किया था;

(ग) प्रत्येक मामले में इस प्रकार के अधिक्रमण के क्या कारण थे;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के पास शहरी सहकारी बैंकों के इस प्रकार डूबने से पहले रोकने के लिए कोई पूर्व चेतावनी प्रणाली नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो शहरी सहकारी बैंकों के मामले में भारतीय रिवर्ज बैंक के पूर्व चेतावनी प्रणाली के कार्य नहीं करने के क्या करण हैं; और

(च) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एम० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) ने सूचित किया है कि इसके पास शहरी सहकारी बैंकों (यू०एस०बी०) के निदेशक मण्डल को स्वयं अधिक्रमित करने की शक्तियां नहीं हैं।

ये शक्तियां संबंधित राज्यों की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के पास निहित हैं। तथापि, जमाकर्ताओं के हितों में उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के सहकारी समिति अधिनियमों में निदेशक मण्डल को अधिक्रमित करने के लिए रजिस्ट्रार से मांग करने के लिए प्रावधान है। वर्ष 2001-2002 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के कहने पर महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1930 में दिए गए उपबंधों को लागू करते हुए महाराष्ट्र में 2 शहरी सहकारी बैंकों यथा रूपी सहकारी बैंक, पुणे तथा वेस्टर्न सहकारी बैंक लिमिटेड, मुम्बई के बोर्डों को अधिक्रमित किया जा चुका है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैं ने सूचित किया है कि इन दोनों मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों का कई बार उल्लंघन हुआ है। रूपी सहकारी बैंक लिमिटेड के मामले में बैक की ऋण आस्तियों की गुणवत्ता में गिरावट आई है क्योंकि बैंक की सकल अनुपयोज्य आस्तियां (एन०पी०ए०) कुल ऋणों एवं बकाया अग्रिमों की 34. 2% हो गई। बैंक के वित्तीय विवरणों में सही और स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया और बैंक ने कुछ अपात्र बड़े उधार खातों को एन०पी०ए० मानदण्डों को रोकने के लिए 12 से 36 माह की सीमा तक के अधिस्थगन ऋण प्रदान करने का सहारा लिया था। इसने जमाराशियों पर ब्याज की दर पर भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों का उल्लंघन हुआ था और बैंक के शीर्षस्थ कर्मचारियों ने बोर्ड की आज्ञा के बिना कुछ बड़े उधारकर्ताओं को ब्याज की छूट दी थी। बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 तथा अपने स्वयं के उप-नियम का उल्लंघन करते हुए कुछ सहकारी ऋण समितियों को अपना सदस्य बनाया था। बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा इसके कार्यों के कुप्रबंध से आस्तियों के मूल्य में भारी ह्रास हुआ जिससे यह 'कमजोर' के रूप में वर्गीकृत हो गया। वेस्टर्न सहकारी बैंक लिमिटेड के मामले में बैंक ने आरक्षित निधि एवं चल आस्तियों के अनुरक्षण में 52 तथा 6 अवसरों पर चूक की थी। क्रेडिट पोर्टफोलियो का उचित पालन नहीं किया गया था तथा बैंक ने एक अकेले उधारकर्ता को ऋण एक्सपोजर के साथ-साथ अप्रतिभूत अग्रिम देने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों का उल्लंघन किया था। बैंक के बोर्ड ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों यथा ऋण एवं अग्रिमों की मंजूरी, आय एवं व्यय लेखे पर पूरा ध्यान नहीं दिया था और वह भारतीय रिजर्व बैंक को सांविधिक विवरणियां प्रस्तुत करने में नियमित नहीं था।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि कुछ वित्तीय पेरामीटरों के आधार पर कमजोर बैंकों की पहचान करने की एक प्रणाली है। ऐसे बैंकों की पहचान प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार बैंकों की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सांविधिक निरीक्षण और वार्षिक वित्तीय समीक्षाओं के आधार पर पहचान की जाती है।

(च) भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियामक/पर्यवेक्षी ढांचे का सुदृढ़ करने तथा इसके साथ-साथ शहरी सहकारी बैंकों की परिचालन संबंधी कुशलता में सुधार करने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय शुरू किए हैं। इन उपायों में मांग मुद्रा बाजार में सहकारी बैंकों के परिचालन को सीमित करना, सहकारी एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश के मानदण्डों में संशोधन करना, अन्य सहकारी बैंकों के साथ जमा के रूप में निधियों के निवेश पर प्रतिबंध लगाना, शहरी सहकारी बैंकों द्वारा बैंकर चैकों को जारी करने पर प्रतिबंध लगाना, अनुसूचित शहरी बैंकों पर स्थलेतर निगरानी की एक प्रणाली शुरू करना आदि शामिल है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सावधि जमा की रेटिंग

7735. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री सुकदेव पासवान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सावधि जमा योजना की रेटिंग नहीं की गई है जबकि निजी क्षेत्र के बैंक/कंपनियां इस योजना में शामिल हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सावधि जमा योजना की रेटिंग निश्चित करने का विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में कब तक दिशानिर्देश जारी किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिनांक 31 जनवरी, 1998 से 25 लाख रुपए और इससे अधिक की निवल स्वाधिकृत निधि वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां तब तक सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकती, जब तक उन्होंने मीयादी जमाराशियों के लिए किसी अनुमोदित साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसी से वर्ष में कम से कम एक बार न्यूनतम निवेश ग्रेड या अन्य विनिर्दिष्ट क्रेडिट रेटिंग प्राप्त न कर लिया हो। क्रेडिट रेटिंग के स्तर पिछले स्तर से किसी अन्य स्तर पर बढ़ने या घटने की स्थिति में, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी को उसके बारे में पन्द्रह कार्यदिवसों के अन्दर भारतीय रिजर्व बैंक को लिखित रूप में सूचित करना होता है। तथापि, (i) 25 लाख रुपए या इससे अधिक की निवल स्वाधिकृत निधि और (ii) न्यूनतम 15 प्रतिशत के सीआरएआर सहित सभी विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने वाली उपस्कर पट्टा और किराया खरीद वित्त कंपनियां बिना रेटिंग के निवल स्वाधिकृत निधि के अधिकतम 1.5 गुना या 10 करोड़ रुपए, जो भी कम हो, की जमाराशि स्वीकार कर सकती हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि उन्होंने सावधि जमाराशियों जैसे व्यक्तिगत लिखतों की रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेटिंग कराने के संबंध में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कोई अनुदेश/मार्गनिर्देश जारी नहीं किए हैं।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र को सहायता

7736. श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न केन्द्र प्रयोजित योजनाओं के अंतर्गत हस्तकरघा उद्योग के विकास और प्रोत्साहन के लिये राज्य सरकारों को कोई वित्तीय सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1997-98 में हस्तकरघा बुनकरों को राहत देने के लिए एक नई बीमा योजना शुरू की गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या इस योजना के अंतर्गत अब तक महाराष्ट्र सरकार को बहुत कम धनराशि दी गयी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या महाराष्ट्र सरकार को एक अन्य योजना, "निर्यात योग्य उत्पादों का विकास और उनकी विपणन योजना" के अंतर्गत भी वित्तीय सहायता नहीं दी गयी; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय सरकार हथकरघा बुनकरों के लाभ के लिए कल्याणकारी तथा विकासात्मक स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एक स्कीम अर्थात नई बीमा स्कीम भी 1997-98 वित्तीय वर्ष में आरम्भ की गई थी।

(ग) से (च) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने नई बीमा स्कीम अथवा निर्यातयोग्य उत्पादों के विकास तथा उनके विपणन स्कीम के अन्तर्गत कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। अत: उक्त स्कीमों के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

सुपर बाजार के आपूर्तिकर्ताओं की बकाया राशि

7737. श्रीमती कैलाशो देवी :
श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री जी०जे० जावीया :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार के अधिकारियों को सांसदों से इस आशय के कई पत्र प्राप्त हुए हैं कि गत तीन वर्षों के दौरान आपूर्तिकर्ताओं के लंबित बिलों का भुगतान किया जाए;

(ख) यदि हां, तो इस बकाया राशि का शीघ्र भुगतान किए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) सुपर बाजार के उन आपूर्तिकर्ताओं का ब्यौरा क्या है जिनकी बकाया राशि एक लाख से अधिक की है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) सुपर बाजार से सप्लायरों के दावों को निपटाने को कहा गया था। सुपर बाजार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सप्लायरों के दावों का निपटान गम्भीर वित्तीय अभाव के कारण नहीं किया जा सका।

(ग) सुपर बाजार ने सूचना दी है कि वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। अत: 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार जिन सप्लायरों को 1.00 लाख रुपए से अधिक राशि देय है उनके अनन्तिम ब्यौरे विवरण और अनुबंध-I से XVIII तक में दिए गए हैं।

विवरण

सुपर बाजार दिल्ली के उन सप्लायरों के ब्यौरे जिनको 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार 1.00 लाख रुपए से अधिक देय है (मिलान और लेखापरीक्षित किया जाना है)

प्रसंस्करण विभाग

क्रम संख्या	विभाग का नाम	अनुबन्ध	राशि
1	2	3	4
1.	प्रसंस्करण विभाग	(अनुबन्ध-I)	85827048.96
2.	प्रसाधन सामग्री विभाग	(अनुबन्ध-II)	16395599.36
3.	पंसरी विभाग	(अनुबन्ध-III)	40581434.39
	जी० एंड टी० विभाग	उप योग	142804082.71
4.	औषध विभाग	(अनुबन्ध-IV)	26749939.52
5.	आई०टी०डी० विभाग	(अनुबन्ध-V)	27745253.35
6.	लेखन सामग्री विभाग	(अनुबन्ध-VI)	16038381.84
7.	घरेलू सामग्री विभाग	(अनुबन्ध-VII)	15134520.39
8.	वस्त्र विभाग	(अनुबन्ध-VIII)	5058725.27
9.	साईकिल विभाग	(अनुबन्ध-IX)	670503.80

1	2	3	4
10.	खेल-कूद और खिलौन विभाग	(अनुबन्ध-X)	199238.80
11.	बाट तथा माप विभाग	(अनुबन्ध-XI)	1040169.37
12.	फास्ट-फूड विभाग	(अनुबन्ध-XII)	167618.73
13.	एच०एम०टी० घडियां	(अनुबन्ध-XIII)	188540.00
14.	आर०एम०जी० विभाग	(अनुबन्ध-XIV)	1969975.66
15.	फूटवियर विभाग	(अनुबन्ध-XV)	3268941.39
16.	हथकरघा विभाग	(अनुबन्ध-XVI)	7615822.92
17.	ग्राही विभाग	(अनुबन्ध-XVII)	40597182.53
18.	फर्नीचर विभाग	(अनुबन्ध-XVIII)	20763781.21
		कुल	310012677.49

अनुबन्ध-I

सुपर बाजार दिल्ली के उन सप्लायरों के ब्यौरे जिनको 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार 1.00 लाख रुपए से अधिक देय है (मिलान और लेखापरीक्षित किया जाना है)

प्रसंस्करण विभाग

क्रम संख्या	पार्टी का नाम	राशि
1	2	3
1.	मै० अशोक फ्लोर मिल्स	911168.68
2.	मै० ए०ए० ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज	413995.49
3.	मै० दिल्ली कन्ज्यूमर्स कॉप० हॉलसेल स्टोर लि०	7024578.93
4.	मै० डी०आर० डिस्ट्रीब्यूटर्स	114000.00
5.	मै० एक्सेल कार्डामॉम कं०	1302265.70
6.	मै० गोपी राम तारा चन्द	6249962.73
7.	मै० गर्ग सुपर स्टोर	539815.01
8.	मै० गोल्डन फ्लोर मिल्स	400437.44
9.	मै० जी०के० इन्टरपाइजेज	4266062.19
10.	मै० हीरा इन्टरपाइजेज	2785852.64
11.	मै० इन्डियन एग्रो मार्केटिंग कॉप० लि०	4453876.03
12.	मै० ओडियल एग्रो	206122.10
13.	मै० कुबेर इन्जी० कॉप०	1649400.24
14.	मै० कुसुम इन्टरप्राइजेज	331993.80
15.	मै० के०पी० ट्रेडर्स	287621.70
16.	मै० एल०टी० ओवरसीज	858920.60
17.	मै० एम०डी० इन्टरप्राजेज	1211588.70
18.	मै० नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग फेड०	147791.60
19.	मै० नीलकण्ठ फूड प्रोडक्ट्स	2281391.87
20.	मै० नवभारत इन्टरप्राइजेज	534202.80
21.	मै० राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ	842050.00
22.	मै० ओम प्रकाश सुरेन्द्र कुमार	7621709.83
23.	मै० पारस ट्रेडर्स	3281618.99
24.	मै० आर०बी० इन्टरप्राइजेज	2148575.34
25.	मै० रेडसन टी० लि०	4624756.44
26.	मै० रामकुमार प्रवेशकुमार	1820995.27
27.	मै० सुमेत ओवरसीज	230498.66
28.	मै० सूर्या इन्टरप्राइजेज	7590284.85
29.	मै० साऊथ इन्डिया ट्रेडिंग कं०	3145829.17
30.	मै० सिम्प्लेक्स पैकेजिंग	170166.00
31.	मै० शुद्ध मसाला भण्डार	1301983.60
32.	मै० सचदेवा इन्टरप्राइजेज	104721.15
33.	मै० शकुन एग्रो प्रा०लि०	153171.57
34.	मै० तिरुपति फूड प्रोडक्ट्स	5090295.81
35.	मै० टिप टॉप फूड टेक इन्डिया	202638.00
36.	मै० त्रिलोकचन्द एंड संस	3399172.52
37.	मै० श्री वर्धमान केमि० लि०	305994.00
38.	मै० वीनस प्लाइमर्स	126309.09
39.	मै० विश्वास फूड प्रा०लि०	7411116.42
40.	मै० वेलब्राइन्स केमि० लि०	285914.00
	कुल	85827048.96

अनुबन्ध-II

सुपर बाजार दिल्ली के उन सप्लायरों के ब्यौरे जिनको 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार 1.00 लाख रुपए से अधिक देय है (मिलान और लेखापरीक्षित किया जाना है)

प्रसाधन सामग्री विभाग

क्रम संख्या	पार्टी का नाम	राशि
1	2	3
1.	मै० एलम्को इन्डिया लि०	166167.80
2.	मै० ए०बी०एम० केमि०	127326.60
3.	मै० अम्बे लेबोरेटरीज	1077639.03
4.	मै० बंगाल केमि० एंड फार्मा लि०	621863.30
5.	मै० बल्सारा हाइजिनिक प्रोडक्ट लि०	139045.43
6.	मै० बुद्धिराजा एसोसिएट्स	637920.93
7.	मै० बल्सारा होम प्रोडक्ट्स लि०	104066.52
8.	मै० कोलगेट पामोलीव इंडिया लि०	146748.67
9.	मै० डाबर इन्डिया लि०	272708.27
10.	मै० डायमन्ड लेबोरेटरीज इंडिया	101371.25
11.	मै० एलीगेन्ट परफ्यूमरी वर्क्स	148068.15
12.	मै० फेना लि०	924407.28
13.	मै० फाउन्डरी केमि० इंडिया लि०	159565.25
14.	मै० गोदरेज सोप्स लि०	279081.30
15.	मै० गोरामल हरीराम लि०	1358225.25
16.	मै० गोपाल सोप्स इन्डस्ट्रीज	269663.50
17.	मै० हरकरण दास दीपचन्द लि०	831384.94
18.	मै० हिन्दुस्तान लेबल लि०	1296172.38
19.	मै० हेन्कल स्पाइक्स इंडिया लि०	121639.21
20.	मै० हरीराम गुलाबराय एंड सन्स	297891.00
21.	मै० जसलोक इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०	112572.00
22.	मै० खन्ना सोप फैक्टरीज	876236.55
23.	मै० कर्नाटक सोप एंड डिटरजेंट लि०	813949.54
24.	मै० मोती सोप्स फैक्टरी लि०	868030.90
25.	मै० मेट्रोपाल इंडिया प्रा०लि०	390845.23
26.	मै० नवभारत इन्टरप्राइजेज	135684.80
27.	मै० प्रोक्टर एंड गैम्बल इंडिया लि०	114237.64
28.	मै० पोन्ड्स इंडिया लि०	256469.05
29.	मै० आर०बी०एम० ट्रेडर्स	830515.23
30.	मै० एस०पी० इन्टरप्राइजेज	735309.31
31.	मै० एस०आर० फॉयल्स लि०	436762.78
32.	मै० श्यान इन्टरप्राइजेज	279388.72
33.	मै० सन केमिकल्स	381000.00
34.	मै० स्वर्ण इन्टरप्राइजेज	568383.45
35.	मै० सुराणा एजेन्सीज	215258.10
36.	मै० दी हिन्द मैचेज लि०	300000.00
	कुल	16395599.36

अनुबन्ध-III

सुपर बाजार दिल्ली के उन सप्लायरों के ब्यौरे जिनको 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार 1.00 लाख रुपए से अधिक देय है (मिलान और लेखापरीक्षित किया जाना है)

पंसारी विभाग

क्रम संख्या	पार्टी का नाम	राशि
1	2	3
1.	मै० आदिनाथ फूड इन्डस्ट्री लि०	170161.44
2.	मै० अहमद उमर भाई	501177.11
3.	मै० एन्ड्रयू यूल एंड कं०लि०	264310.41
4.	मै० अम्ल एग्रो फूड प्रा०लि०	282310.48
5.	मै० बीकानेरवाला फूड प्रा०लि०	621709.18
6.	मै० बेकमेन इन्डस्ट्री लि०	349672.90
7.	मै० भारत ट्रेडिंग लि०	164393.00
8.	मै० ब्रुकबोन्ड लिप्टन	225362.88
9.	मै० चम्पालाल प्रेमचन्द जैन	1008816.25

1	2	3
10.	मै० क्रेमिका फूड प्रोडक्ट लि०	572392.56
11.	मै० कॉर्न प्रोडक्ट कं० इंडिया लि०	148293.29
12.	मै० दुर्गा मार्केटिंग	494942.03
13.	मै० डाबर इंडिया लि०	1895650.23
14.	मै० डंकन्स इंडस्ट्रीज लि०	488666.75
15.	मै० डालमिया इंडिया लि०	190981.94
16.	मै० गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लि०	322483.71
17.	मै० गोयल आयल मिल्स	176003.88
18.	मै० एच०वी०ओ०सी०	2535190.42
19.	मै० हिन्ज इंडिया प्रा०लि०	194994.55
20.	मै हिन्दुस्तान लीवर लि०	4820856.01
21.	मै० एग्रो टेक फूड लि०	566675.62
22.	मै० जे०आर० फूड प्रोडक्ट	189810.81
23.	मै० जगत जीत इंडस्ट्रीज	101946.22
24.	मै० के०एस० एजेन्सीज (विप्रो)	695982.79
25.	मै० के०एस० कन्जम्प्रो इंडिया प्रा०लि०	1251752.00
26.	मै० के०एम० गोयल इंन्टरप्राइजेज	125943.00
27.	मै० एल०एम०जे० इन्टरनेशनल	109831.86
28.	मै० लिप्टन इंडिया लि०	597277.29
29.	मै० मक्कर ब्रदर्स	137232.52
30.	मै० नेसले इंडिया लि०	388075.63
31.	मै० न्यू भारत सूगर डिपो	118422.84
32.	मै० पालजी एंड कं०	123031.13
33.	मै० पालजी फूड प्रा०लि०	1252061.41
34.	मै० पान फूड लि०	1148783.44
35.	मै० पुरी आयल मिल्स लि०	2691433.02
36.	मै० फिरेलाल लखपतराय	481790.53
37.	मै० पिन्टूजी फूड्स प्रा०लि०	140265.40
38.	मै० प्योर फूड लि०	359312.82
39.	मै० क्वालिटी बेकर्स	777563.75
40.	मै० रेडसन टी० लि०	1229037.93
41.	मै० रामा फास्फेट	396740.00
42.	मै० स्मिथ क्लाइम बीचम लि०	351045.77
43.	मै० श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़	463704.13
44.	मै० साऊथ इंडिया काफी एंड टी०	15848943
45.	मै० सेप्टिक कन्सल्टेंट प्रा०लि०	294529.84
46.	मै० सरगम इन्टरप्राइजेज	628679.15
47.	मै० सूर्या फूड एंड एग्रो प्रा०लि०	500819.16
48.	मै० श्री वर्धमान केमि०	3425358.64
49.	मै० सहनशाह ओवरसीज	441163.47
50.	मै० सनसाइन ओवरसीज प्रा०लि०	284442.00
51.	मै० दि दिल्ली कानोड़िया आयल मिल्स	200304.41
52.	मै० दि डिस्ट्रीब्यूटर्स	263185.37
53.	मै० दि हरियाणा स्टेट कॉप० सप्लाई मार्केटिंग	703699.04
54.	मै० दि तमिलनाडु एग्रो इंडस्ट्री कॉप० लि०	4009037.00
55.	मै० टिप टॉप फूड	117456.00
56.	मै० दि तमिलनाडु टी प्लान्टेशन	107460.00
57.	मै० टी ट्रेडिंग कॉप० लि०	103527.20
58.	मै० दि पंजाब कॉप० मार्केटिंग फेड०लि०	106607.03
59.	मै० उशोदया इन्टरप्राइजेज लि०	110587.72
	कुल	40581434.39

अनुबन्ध-IV

सुपर बाजार, दिल्ली के उन सप्लायरों के ब्यौरे जिनको 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार 1.00 लाख रुपए से अधिक देय है (मिलान और लेखापरीक्षित किया जाना है)

औषधि विभाग

क्रम संख्या	पार्टी का नाम	राशि
1	2	3
1.	मै० अलेम्बिक केमि०	270752.03

1	2	3
2.	मै० अरोरा फार्मास्यूटिकल्स	149323.66
3.	मै० अरोरा फार्मास्यूटिकल्स	174604.59
4.	मै० अमर एच०/ओ०	792099.46
5.	मै० ए०ए० फार्मा	341564.73
6.	मै० भारत एजेंसीज	1400639.55
7.	मै० ब्रिटिश मेडिकल स्टोर	218175.88
8.	मै० बंशी इन्टरप्राइजेज	117864.60
9.	मै० बजाज सेल्स कॉप०	148736.92
10.	मै० बीचम ड्रग्स इंडिया लि०	111410.32
11.	मै० ब्रान लेबोरेटरीज	732322.73
12.	मै० बीटन डिकेन्सन	139109.22
13.	मै० डाबर इंडिया	117690.81
14.	मै० दिल्ली फार्मा	1075798.44
15.	मै० डी०जे०एस० डिस्ट्रब्यूटर्स	578656.16
16.	मै० डाइग्नोस्टिक सर्विसेज	393989.31
17.	मै० एल्डर फार्मास्यूटिकल्स	301528.92
18.	मै० एम०बी० डाइग्नोस्टिक	693022.09
19.	मै० फेथ फार्मास्यूटिकल्स	335527.13
20.	मै० ग्लेक्सों इंडिया लि०	1334134.82
21.	मै० इंडस फार्मा	396241.82
22.	मै० हिन्ज इंडिया लि०	174941.10
23.	मै० हेल्थ केयर इंडिया लि०	902954.06
24.	मै० हाइटेक फार्मा	1528649.29
25.	मै० आइडियल फार्मास्यूटिकल्स	3582298.02
26.	मै० इम्पेक्स इंडिया	466478.03
27.	मै० जगसन पाल फार्मास्यूटिकलस	232809.37
28.	मै० मेडिसफोन मार्केटिंग लि०	155044.80
29.	मै० नेशनल मेडिकेयर	920300.35
30.	मै० नन कान फार्मा	636208.00
31.	मै० ओरिएन्टल सर्जिकल्स	185298.09
32.	मै० फार्मा सर्ज कॉप०	326298.09
33.	मै० फिजर लि०	143124.00
34.	मै० पी०डी०पी०एल०	300456.04
35.	मै० प्रोकेम इंडिया लि०	493549.23
36.	मै० रनबैक्सी	542012.19
37.	मै० रुचि नेटवर्क	639694.40
38.	मै० रतनलाल एंड कं०	543433.40
39.	मै० सेवन सीज इन्टरप्राइजेज	350931.00
40.	मै० सलाक्स केमि०	142137.67
41.	मै० एस०एस० ड्रग्स एंड सर्जिकल्स	617501.89
42.	मै० एस०वी० एंड कं०	1469894.14
43.	मै० सचदेवा स्टोर्स	405497.66
44.	मै० साऊथ दिल्ली मेडिकोज	162573.14
		574.00
45.	मै० सेवन सीज फार्मास्यूटिकल्स	488874.57
46.	मै० दि केमिस्ट इन	809505.00
47.	मै० तारा लोहिया डिस्ट्रब्यूटर्स	150316.00
48.	मै० यूनी एजेंसीज	555392.49
	कुल	26749939.52

अनुबन्ध-V

सुपर बाजार, दिल्ली के उन सप्लायरों के ब्यौरे जिनको 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार 1.00 लाख रुपए से अधिक देय है (मिलान और लेखापरीक्षित किया जाना है)

आई०टी०डी० विभाग

क्रम संख्या	पार्टी का नाम	राशि
1	2	3
1.	मै० एसोसिएटेड बिजनेस कम्प्यूटर लि०	961701.35
2.	मै० ए०वी० साइन्स एंड टेक प्रा०लि०	468180.00
3.	मै० बी०वी०आई०पी०एस० सिस्टम प्रा०लि०	155148.90
4.	मै० साइबर पावर सिस्टम	1989922.23

1	2	3
5.	मै० ग्लोबल कम्प्यूटर्स नेटवर्क	196323.70
6.	मै० गोदरेज एंड बॉयसी मार्केटिंग कं०	1172460.05
7.	मै० हियरविल इलक्ट्रॉनिक प्रा०लि०	429566.30
8.	मै० हाइटेक एक्यूरेट कम्प्यू०प्रा०लि०	586636.70
9.	मै० हाइटेक सर्विसेज	322778.60
10.	मै० इमेजिलाइन इन्फोटेक लि०	966424.57
11.	मै० के०एस०वी० कम्प्यूटर मार्ट	5779888.40
12.	मै० माइक्रा चिप इन्फोटेक	1245972.62
13.	मै० मैग्नास्टार टेलिकॉम प्रा०लि०	2833900.00
14.	मै० माइक्रोसेन्स प्रा०लि०	144542.72
15.	मै० प्रोफेशनल बिजनेस प्रा०लि०	142638.27
16.	मै० पुष्कर इलेक्ट्रॉनिक प्रा०लि०	3121963.29
17.	मै० पावर टेक प्रोडक्ट्स इंडिया लि०	220807.50
18.	मै० पी०सी०एल० कम्प्यूटर्स	209774.17
19.	मै० सिंघल इन्टरनेशनल	1621914.93
20.	मै० श्री महावीर इनटरप्राइजेज	890139.00
21.	मै० सुकम कम्यूनि० सिस्टम्स	114768.00
22.	मै० सावी विजन प्रा०लि०	319474.15
23.	मै० स्पैन सिस्टम	323747.90
24.	मै० सैन्ब्रो पावर कंट्रोल सिस्टम	161252.35
25.	मै० सोलिड स्टेट कम्प्यूटर प्रा०लि०	3365327.65
	कुल	27745253.05

अनुबन्ध-VI

सुपर बाजार, दिल्ली के उन सप्लायरों के ब्यौरे जिनको 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार 1.00 लाख रुपए से अधिक देय है (मिलान और लेखापरीक्षित किया जाना है)

लेखन सामग्री विभाग

क्रम संख्या	पार्टी का नाम	राशि
1	2	3
1.	मै० अग्रवाल सेल्स एर्जेसी	105019.85
2.	मै० एवन इन्टरप्राइजेज	139472.40
3.	मै० अपेक्स इंडिया इन्स	105201.70
4.	मै० एसोसिएटेड बिजनेस कम्प्यूटर	423963.20
5.	मै० बी०सी०आर० स्टेशनरी डिवीजन	614175.80
6.	मै० केपिटल स्टेशनरी प्रिन्टस्	119432.50
7.	मै० दिल्ली पेपर प्रोडक्ट कं०प्रा०लि०	563882.17
8.	मै० ईस्टर्न टेलिकॉन लि०	111690.00
9.	मै० गेटवे पेपर्स प्रा०लि०	640294.00
10.	मै० गेस्टरनर (आई)	247589.28
11.	मै० गेटवे पेपर प्रा०लि०	1297591.00
12.	मै० ग्राफिक (आई)	161100.00
13.	मै० गोयल स्टेशनर	188245.00
14.	मै० हरियाणा ट्रेडर्स प्रा०लि०	663274.22
15.	मै० हाइटेक इन्जी० इंडिया लि०	237680.00
16.	मै० कोहली एंड कं० (रजि०)	200891.83
17.	मै० के०वी० इन्डस्ट्रीज (रजि०)	389348.51
18.	मै० कोरेस इंडिया लि०	204945.50
19.	मै० कोहिनूर केमिकल वर्क्स	109138.76
20.	मै० खरबन्दा पेपर लि०	192678.00
21.	मै० लक्सर राइटिंग इन्स्ट्रूमेंट लि०	169007.00
22.	मै० मासेर बियर इंडिया लि०	267453.90
23.	मै० मल्टीफार्म इन्टरनेशनल	136976.00
24.	मै० म्राडू ओवरसीज प्रा०लि०	63878.10
25.	मै० नाहर पेट्रो केम० इन्स	505030.65
26.	मै० नेशनल प्रिन्टस् एंड सेल्स	691494.23
27.	मै० नीलम पेपर एजेंसी	1034464.55
28.	मै० पी०के० पेपर इन्टरप्राइजेज	719698.75
29.	मै० पंसी मार्केटिंग एजेंसी	156977.25
30.	मै० रिलायन्स मार्केटिंग	154364.45
31.	मै० आर०के० इन्टरप्राइजेज	409106.27

1	2	3
32.	मै० रूचि इन्टरप्राइजेज	500691.80
33.	मै० सांची एंड कं०	148448.70
34.	मै० सौरभ सेल्स	265246.70
35.	मै० श्री चक्रधर इन्टरप्राइजेज	261615.60
36.	मै० तनेजा सेल्स कॉप०	151001.41
37.	मै० टीम ऑफिस सप्लायर्स	318197.64
38.	मै० ऊषा फर्टिलाइजर्स कं०लि०	521387.50
39.	मै० लेरोम मोदी कॉप० लि०	2272821.42
	कुल	16038381.84

अनुबन्ध-VII

सुपर बाजार, दिल्ली के उन सप्लायरों के ब्यौरे जिनको 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार 1.00 लाख रुपए से अधिक देय है (मिलान और लेखापरीक्षित किया जाना है)

घरेलू सामग्री विभाग

क्रम संख्या	पार्टी का नाम	राशि
1	2	3
1.	मै० अग्रवाल इलैक्ट्रानिक्स	67311.56
2.	मै० अपेक्स इंडिया इन्स	181137.75
3.	मै० ब्राइट ब्दर्स	525625.03
4.	मै० भारत लोक हाऊस	315037.80
5.	मै० बक्शी ट्रेडिंग कॉप० (आई)	585182.81
6.	मै० बिरला इलेक्ट्रिकल्स	448680.00
7.	मै० केपिटल क्रोकरी	488160.68
8.	मै० कमान्ड इलेक्ट्रिकल्स	284845.28
9.	मै० फेयरडील डिस्ट्रिब्यूटर्स	304100.34
10.	मै० फेडरल एजेंसीज	135675.56
11.	मै० फ्राक पावर मोटर्स	217697.51
12.	मै० फ्रीटन केबल्स (आई)	180532.22
13.	मै० ग्लेमर इलेक्ट्रिकल्स	634397.37
14.	मै० जीप इन्डस्ट्रिकल्स सिन० लि०	114480.91
15.	मै० जी०एस०सी० इलेक० प्रा०लि०	402591.11
16.	मै० इस्माईल बेग ट्रंक मैनु० कं०	942825.00
17.	मै० जगदम्बा मैनु० एंड ट्रेडिंग कं०	548110.80
18.	मै० के०एस० एजेंसीज	12770.55
19.	मै० मोहित इन्टरप्राइजेज	255586.23
20.	मै० मित्रा उद्योग	1874931.35
21.	मै० ओ०के० इन्डस्ट्रीज	112251.20
22.	मै० ओरियन्ट फैन्स	110590.32
23.	मै० फ्लैशमेक पावर सिस्टम प्रा०लि०	263114.20
24.	मै० प्लाजा केबल इलेक० प्रा०लि०	325121.23
25.	मै० पोलर इन्टरनेशनल	408291.50
26.	मै० रेम्सन्स अप्लायन्सेज	1065798.99
27.	मै० एस०के० नाथ एंड सन्स	1411237.60
28.	मै० सिंघानिया एंड एसोसिएट्स	354498.00
29.	मै० सुराणा एजेंसीज	254216.30
30.	मै० सिन्दवाल रिफ० इन्डस्ट्रीज	203373.48
31.	मै० टाइगर (आई) कं०	480716.90
32.	मै० यूनिको ट्रेडिंग एंड फाइनैन्स	181115.56
33.	मै० विजन (आई) के०	518115.25
34.	मै० विनायक इक्विपमेंट्स लि०	220000.00
	कुल	15134520.39

अनुबन्ध-VIII

सुपर बाजार, दिल्ली के उन सप्लायरों के ब्यौरे जिनको 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार 1.00 लाख रुपए से अधिक देय है (मिलान और लेखापरीक्षित किया जाना है)

वस्त्र विभाग

क्रम संख्या	पार्टी का नाम	राशि
1.	मै० भारत टेक्सटाइल्स इन्डस्ट्रीज	353571.70
2.	मै० बेसमेंट कलेक्शन्स	142563.42
3.	मै० गुप्ता टेक्सटाइल	904496.26
4.	मै० जूनेजा एजेंसीज	134453.00

1	2	3
5.	मै० कहनचन्द सुरेन्दर लाल	158034.76
6.	मै० कुडेज इन्टरप्राइजेज	672809.58
7.	मै० राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लि०	2315036.15
8.	मै० श्रीनिवास प्रिन्ट्स	117875.40
9.	मै० ताराचन्द साहनी	259885.00
	कुल	5058725.27

अनुबन्ध-IX

सुपर बाजार, दिल्ली के उन सप्लायरों के ब्यौरे जिनको 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार 1.00 लाख रुपए से अधिक देय है (मिलान और लेखापरीक्षित किया जाना है)

साईकिल विभाग

क्रम संख्या	पार्टी का नाम	राशि
1.	मै० सिएट लि०	351205.82
2.	मै० सियाराम ब्रादर्स	319298.00
	कुल	670503.80

अनुबन्ध-X

सुपर बाजार, दिल्ली के उन सप्लायरों के ब्यौरे जिनको 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार 1.00 लाख रुपए से अधिक देय है (मिलान और लेखापरीक्षित किया जाना है)

खेल-कूद और खिलौने

क्रम संख्या	पार्टी का नाम	राशि
1.	मै० स्पोर्टस लैंड	199238.80

अनुबन्ध-XI

सुपर बाजार, दिल्ली के उन सप्लायरों के ब्यौरे जिनको 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार 1.00 लाख रुपए से अधिक देय है (मिलान और लेखापरीक्षित किया जाना है)

बाट तथा माप

क्रम संख्या	पार्टी का नाम	राशि
1	2	3
1.	मै० आवश्यकता कन्जूमर्स कोप० स्टोर लि०	552130.87
2.	मै० आवेरी इंडिया लि०	148129.50
3.	मै० अंटार्किटा मार्कट प्रा०लि०	319809.11
	कुल	1040169.37

अनुबन्ध-XII

सुपर बाजार, दिल्ली के उन सप्लायरों के ब्यौरे जिनको 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार 1.00 लाख रुपए से अधिक देय है (मिलान और लेखापरीक्षित किया जाना है)

फास्ट फूड विभाग

क्रम संख्या	पार्टी का नाम	राशि
1.	मै० गुजरात कोप० मिल्क मार्के० फूड लि०	167618.73

अनुबन्ध-XIII

सुपर बाजार, दिल्ली के उन सप्लायरों के ब्यौरे जिनको 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार 1.00 लाख रुपए से अधिक देय है (मिलान और लेखापरीक्षित किया जाना है)

एच०एम०टी० घड़ियां

क्रम संख्या	पार्टी का नाम	राशि
1.	मै० फोनिक्स टाइम्स	188540.00

अनुबन्ध-XIV

सुपर बाजार, दिल्ली के उन सप्लायरों के ब्यौरे जिनको 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार 1.00 लाख रुपए से अधिक देय है (मिलान और लेखापरीक्षित किया जाना है)

आर०एम०जी० विभाग

क्रम संख्या	पार्टी का नाम	राशि
1.	मै० इंडियन इक्विपमेंट ट्रेडर्स	1281076.50
2.	मै० रचना इंटरप्राइजेज	411715.63
3.	मै० राजा अटैची हाउस	362260.00
4.	मै० विज हौजरी वर्क्स	1067923.53
	कुल	1969975.66

अनुबन्ध-XV

सुपर बाजार, दिल्ली के उन सप्लायरों के ब्यौरे जिनको 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार 1.00 लाख रुपए से अधिक देय है (मिलान और लेखापरीक्षित किया जाना है)

फूटवियर विभाग

क्रम संख्या	पार्टी का नाम	राशि
1.	मै० एरिस्टोक्रेट मार्केटिंग लि०	210259.25
2.	मै० ब्लो प्लास्ट लि०	368267.05
3.	मै० चर्म कला ए०एस०एस०लि०	362524.00
4.	मै० फोर-डी इंटरनैशनल लि०	654453.95
5.	मै० नोवा फूटवियर	1673437.11
	कुल	3268941.89

अनुबन्ध-XVI

सुपर बाजार, दिल्ली के उन सप्लायरों के ब्यौरे जिनको 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार 1.00 लाख रुपए से अधिक देय है (मिलान और लेखापरीक्षित किया जाना है)

हथकरघा विभाग

क्रम संख्या	पार्टी का नाम	राशि
1	2	3
1.	मै० अमर उद्योग	192188.45
2.	मै० अरविंद फैब्रिक्स	176643.26
3.	मै० भारत इंटरप्राइजेज	458592.60
4.	मै० डी०डी० अमरनाथ	330687.25
5.	मै० डी०एल० गोबिन्द प्रसाद	854880.56
6.	मै० गोयल हैंडलूम इंड०	1713109.60
7.	मै० गुप्ता सेल्स कार्पो०	194714.17
8.	मै० हथकरघा कोप० इंड०	107945.10
9.	मै० कृष्णा हैंडलूम फैक्टरी	1234561.80
10.	मै० शैली इंटरप्राइजेज	922675.20
11.	मै० द पानीपत प्रेम एच०/एल० प्रोड० कोप० इंड० सो० लि०	456657.43
12.	मै० ताराचंद शानी एंड संस	973167.50
	कुल	7615822.92

अनुबन्ध-XVII

सुपर बाजार, दिल्ली के उन सप्लायरों के ब्यौरे जिनको 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार 1.00 लाख रुपए से अधिक देय है (मिलान और लेखापरीक्षित किया जाना है)

ग्राही विभाग

क्रम संख्या	पार्टी का नाम	राशि
1.	मै० कम्प्युटर सुपर स्टोर	38587205.10
2.	मै० गोडविन इंटरप्राइजेज	257133.27
3.	मै० की०सी० बिजनैस	116533.48
4.	मै० इमैज मैट्रीय	206190.30
5.	मै० मोहन कुमार एंड कम्पनी	390456.53
6.	मै० एम०पी० साड़ी	138646.47
7.	मै० टी०वी० फिलिप्स	705226.72
8.	मै० एन०टी०सी०	195781.66
	कुल	40597182.53

अनुबन्ध-XVIII

सुपर बाजार, दिल्ली के उन सप्लायरों के ब्यौरे जिनको 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार 1.00 लाख रुपए से अधिक देय है (मिलान और लेखापरीक्षित किया जाना है)

फर्नीचर विभाग

क्रम संख्या	पार्टी का नाम	राशि
1.	मै० कल्सी फर्नीचर एंड प्लाईवुड	4854.26
2.	मै० मेक्स फर्नीचर एंड इंटिरियर डेकोरेटर्स	8712.04
3.	मै० सुदर्शन इन्टरप्राइजेज	127828.24

1	2	3
4.	मै० गोद्रेज एंड बोयस मैनु० कं० लि०	1094602.17
5.	मै० नेवेज इन्डस्ट्रीज	1467021.49
6.	मै० मोडेक्स बिजनेस सिस्टम्स	1618973.42
7.	मै० वेटर्न इन्डस्ट्रीज (इंडिया)	1410473.18
8.	मै० इंडियन स्टील (इन्डस्ट्रीज)	337556.90
9.	मै० हंस इन्डस्ट्रीज (पंजी०)	190331.63
10.	मै० रोयल सेफ कं०	2260583.09
11.	मै० प्रिमियर फर्निशिंग कं०	1430672.78
12.	मै० इंडियन सेफ फैक्टरी	417787.96
13.	मै० डिलाइट हाइटेक फर्नीचर इन्डस्ट्रीज प्रा० लि०	2540075.95
14.	मै० डिलाइट कॉम० लि०	784641.59
15.	मै० अपोलो फर्निशर्स	476967.49
16.	मै० बेकसन्स इन्टरप्राइजेज	854059.70
17.	मै० रिकोर्डक्स सिस्टम्स	972832.88
18.	मै० सर्वोदय फर्निशर्स	2683509.10
19.	मै० बल्का फनीचर	463946.23
20.	मै० आनन्द स्टील फैब्रिकेटर्स	904251.11
	कुल	20763781.21

[अनुवाद]

लेखन सामग्री की खरीद

7738. **श्री रामजी मांझी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य वित्तीय नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अनुसार सरकारी कार्यालयों को लेखन सामग्री और अन्य पण्य एक विशेष संगठन आदि से खरीदने पर बाध्य किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि कई सरकारी कार्यालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 14 जुलाई, 1981 के कार्यालय ज्ञापन का अनुपालन नहीं करते और वे मंत्रालय के व्यय विभाग के समान सीधी खरीद या निविदा के माध्यम से खरीद कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इन आदेशों का सभी सरकारी कार्यालयों द्वारा पालन नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकारी कार्यालयों द्वारा सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से कड़ाई से अनुपालन करने के लिए इसे अनिवार्य बनाए जाने का कोई प्रावधान है;

(च) यदि हां, तो क्या 14 जुलाई, 1981 को जारी की गई जी०एफ०आर० की छूट दिए जाने पर भी वही स्थिति आज तक बनी हुई है; और

(छ) यदि नहीं, तो आगे के लिए इसमें दी गई छूट को वापस लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (छ) सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के दृष्किोण से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी०ओ०पी० एंड टी०) ने इस मंत्रालय के परामर्श से 14.7.1981 को एक आदेश जारी किया था जिसमें सभी केन्द्रीय सरकारी विभागों, उनके अधीनस्थ और संबद्ध विभागों और सरकार द्वारा नियंत्रित और/अथवा वित्त पोषित अन्य संगठनों के लिए यह अपरिहार्य कर दिया गया था कि वे जी०एफ०आर० में विनिर्धारित कोटेशनों/संविदाओं को आमंत्रित करने की प्रक्रिया में शिथिलता लाते हुए अपनी स्टेशनरी और अन्य आइटमों की खरीद केवल केन्द्रीय भण्डार से ही करें। वित्त मंत्रालय से परामर्श किए बिना डी०ओ०पी० एंड टी० द्वारा इसी तरह की सुविधाएं बाद में 1987 में सुपर बाजार और 1994 में एन०सी०सी०एफ० के लिए भी विस्तारित कर दी गईं।

तथापि, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की वर्तमान नीति को ध्यान में रखते हुए और सरकारी संगठनों को प्रतियोगी और आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देते हुए केन्द्रीय भण्डार, सुपर बाजार और एन०सी०सी०एफ० को दी गई विशेष रियायतों की पुनर्समीक्षा करने और इसके बदले जी०एफ०आर० के प्रावधानों के अनुपालन के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जाता रहा है और डी०ओ०पी० एंड टी० से तीनों सहकारी संस्थाओं को संरक्षण उपलब्ध कराते हुए और जी०एफ०आर० के प्रावधानों को स्वीकृत करते हुए दिनांक 14.7.1981 को जारी उनके का०ज्ञा० पर पुनर्विचार के लिए आग्रह किया गया।

इस मंत्रालय के निर्णय से सहमति जताते हुए व्यय विभाग ने स्टेशनरी आइटमों की खरीद के लिए दिनांक 17.3.2002 के दो दैनिकों में दिए गए सार्वजनिक विज्ञापन में खुली निविदाएं आमंत्रित की हैं।

अमरीका द्वारा सिलिको मैगनीज पर पाटनरोधी शुल्क

7739. **श्री सी० श्रीनिवासन :**
श्री अम्बरीश :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000-01 और 2001-2002 के दौरान भारत से अमरीका को कुल कितने सिलिको मैंगनीज का निर्यात हुआ;

(ख) क्या अमरीका ने हाल में हमारे सिलिको मैगनीज के निर्यात पर पाटनरोधी शुल्क लगा दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(घ) इस पाटनरोधी शुल्क के कारण सिलिको मैगनीज के भारतीय निर्यात को कुल कितना घाटा होने जा रहा है; और

(ङ) अमरीकी कार्यवाही के विरूद्ध सरकार द्वारा प्रतिक्रिया स्वरूप क्या कार्यवाही की गयी ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान भारत से अमरीका को किए गए सिलिको-मैंगनीज के कुल निर्यात निम्नानुसार हैं :–

वर्ष	मात्रा (किग्रा० में)	मूल्य (लाख रुपए में)
2000-2001	4,73,16,431	9262.46
2001-2002 (अप्रैल, 2001 – दिसम्बर, 2002)	1,02,35,868	1884.05

(ख) और (ग) जी, हां। अमरीकी घरेलू उद्योग द्वारा (इरामैट मैरीएट्टा इंक, मैरीएट्टा इंक, मैरीएट्टा और पेपर, एलाइड इंडस्ट्रियल, कैमिकल एंड इनर्जी वर्कर्स, इंटरनेशनल यूनियन द्वारा) 6 अप्रैल, 2001 को दायर याचिका के मद्देनजर अमरीकी वाणिज्य विभाग ने अपनी दिनांक 26 अप्रैल, 2001 की अधिसूचना द्वारा भारत (अन्य देश कजाकिस्तान और वेनेजुएला हैं) से सम्बद्ध वस्तु के आयातों के विरूद्ध पाटन-रोधी जांच आरम्भ करने की सूचना दी थी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या इस बात का उचित संकेत है कि अमरीका में किसी उद्योग को भारत से हुए आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है अथवा उसे वास्तविक क्षति होने का खतरा है। याचिकाकर्ताओं ने ऐसे चार भारतीय उत्पादकों को अभिज्ञात किया है जिनके द्वारा अमरीका को सिलिको-मैंगनीज का निर्यात किया गया बताया गया है। अमरीकी प्राधिकारियों ने मार्च, 2002 में भारत से सिलिका-मैंगनीज के आयातों पर पाटनरोधी जांच में अन्तिम अभिपुष्ट निर्धारण की घोषणा की है। भारत पर लगाए गए पाटनरोधी मार्जिन निम्नानुसार हैं :–

(i)	नव भारत फैरो एलॉयज लि०	20.42%
(ii)	यूनीवर्सलफैरो एंड एलाइड कैमिकल्स लि०	15.32%
(iii)	अन्य सभी	17.69%

(घ) भारत से सिलिको-मैंगनीज के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तथापि, भारत के निर्यातों पर लगाए गए पाटन-रोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा का अनुमान लगाना अभी जल्दबाजी होगी।

(ङ) डब्ल्यू०टी०ओ० प्रावधानों के अन्तर्गत पाटनरोधी जांच/उपाय पर केवल तब विचार किया जाता है जब निर्यात उत्पादों के सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किए जाते हैं और उनसे आयातक देश के स्थापित घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होती है अथवा क्षति का खतरा होता है। निर्यातक देश की सरकार की इसमें बहुत कम भूमिका होती है। तथापि, भारत सरकार ऐसे सभी मामलों में भारतीय निर्यातकों को आवश्यक समझी गई सभी संभव सहायता प्रदान कर रही है।

कृषकों को वित्तीय सहायता

7740. श्री अम्बरीश : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का हमारे देश के कृषकों से अनाज खरीदने के बजाए उन्हें वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषकों से अनाज खरीद की वर्तमान नीति में कुछ नीतिगत खामियां है;

(घ) क्या वर्तमान नीति से केवल कुछ ही राज्यों को लाभ मिला है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा सभी राज्यों के कृषकों को समान लाभ देने के लिये क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) जी, नहीं। इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) से (ङ) न्यूनतम समर्थन मूल्य आकर्षक होने के कारण, खुली वसूली की वर्तमान प्रणाली से केन्द्रीय पूल में भारी स्टाक जमा हो गया है। रखरखाव लागत के ऊंचे स्तर पर होने के कारण इससे खाद्य राजसहायता बिल बढ़ गया है।

वसूली की वर्तमान प्रणाली उन राज्यों में उत्तम ढंग से चलती है जहां नियमित बाजारों के रूप में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है और जहां किसानों के पास पर्याप्त विपणनीय अधिशेष है। न्यूनतम समर्थन मूल्यों और खाद्यान्नों के उचित औसत किस्म मानकों की वसूली की नीति उन सभी राज्यों में राज्य सरकारों की मदद से एक समान रूप से क्रियान्वित की जा रही है जिनमें वसूली की संभावना मौजूद है।

राष्ट्रीय दूरसंवेदी अभिकरण के साख पत्र

7741. श्री सत्यनारायण बोचा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय दूरसंवेदी अभिकरण के नियंत्रक ने एक निजी बैंक में साख पत्र खोला है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के विरूद्ध है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस विषय की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बैंक आफ बड़ौदा के निदेशकों का मनोनयन

7742. डा० बलिराम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक आफ बड़ौदा ने कार्मिक, लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय को 'आल इंडिया बैंक आफ बड़ौदा आफिसर्स एसोसिएशन' के प्रेसिडेंट के निदेशक मण्डल में मनोनयन के विषय में पत्र लिखा है जबकि इस संबंध में मुम्बई उच्च न्यायालय में पहले से ही एक मामला लम्बित है;

(ख) क्या सरकार पहले से न्यायाधीन मामले में निर्णय ले सकती है;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त मामले में न्यायालय की अनदेखी करने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त मामले को न्यायालय के निर्णय तक रोक कर रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) बैंक आफ बड़ौदा ने सूचित किया है कि वर्तमान में किसी युनियन अथवा ऐसोसिएशन अथवा किसी व्यक्ति ने बैंक आफ बड़ौदा के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति के विरूद्ध कोई मामला दायर नहीं किया है। अतः इस संबंध में बम्बई उच्च न्यायालय में बैंक आफ बड़ौदा से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। तथापि, बैंक आफ महाराष्ट्र के अधिकारियों की ऐसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970/1980 की तीसरी अनुसूची को चुनौती देते हुए दायर एक रिट याचिका सं० 5394/2001 बम्बई उच्च न्यायालय में लंबित है। सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970/1980 के साथ पठित बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 के अनुसरण में बैंक आफ बड़ौदा के बोर्ड में अधिकारी नामित निदेशक नियुक्त किया है। नियुक्ति का आदेश, उपर्युक्त रिट याचिका में बम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन है।

[अनुवाद]

चीन से सामान की तस्करी

7743. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बाजार तस्करी से लाए गए चीनी सामान से भरे पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को चीन से भारी मात्रा में सामान तस्करी द्वारा भारत लाए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा चीनी सीमा से होने वाली तस्करी को रोकने और इस प्रकार भारतीय घरेलू बाजार को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय चीनी सीमा से निषिद्ध माल की तस्करी को रोकने और इस तरह भारतीय घरेलू बाजार को बचाने के लिए चौकस और सतर्क हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अन्तर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के भुगतान में भेदभाव

7744. श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री महबूब जहेदी :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में मूल वेतन और मंहगाई भत्ता के साथ अन्य कोई भत्ता लाभ के रूप में नहीं देती है;

(ख) क्या दोनों विकल्पों के अन्तर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए वेतन/पारिश्रमिक के लिए महीने में 30 दिनों के आधार पर गिना जाता है ना कि 26 दिनों के आधार पर;

(ग) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए मूल वेतन और मंहगाई भत्ता तथा आवास किराया भत्ता मिलाकर वेतन देने का प्रस्ताव किया हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति क्षतिपूर्ति महीने में 26 दिन के आधार पर गणना की जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति गणना में विभिन्न मंत्रालयों के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में किए जा रहे भेदभाव के क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभ भाई कथीरिया) : (क) और (ख) जी, हां। बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड में दिनों विकल्पों के तहत् स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम के लिए वेतन/मजदूरी की गणना महीने में 30 दिनों के आधार पर की गई है न कि 26 दिनों के आधार पर तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ता के साथ दी गई है और अन्य कोई भत्ता नहीं दिया गया है।

(ग) से (ङ) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (एन०टी०सी०) की अजैव्य इकाइयों के लिए लागू हैं जो परिपत्र के पैरा-3 के अनुसार विधिवत संशोधित लोक उद्यम विभाग के दिनांक 05.05.2000 की स्कीम पर आधारित है। तदनुसार, एन०टी०सी० मिल्स के कर्मचारियों के संबंध में अनुग्रह पूर्वक अदायगी की गणना के उद्देश्य से वेतन में, वेतन मंहगाई भत्ता तथा मकान किराया भत्ता शामिल है तथा क्षतिपूर्ति की गणना महीने में 30 दिनों के आधार पर की जाती है।

किसान विकास पत्रों की कमी

7745. श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सहित कुछ राज्य किसान विकास पत्र, रष्ट्रीय बचत पत्र और अन्य लेखन सामग्रियों की भारी कमी का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों का नाम क्या है जिन्होंने इन वस्तुओं की तत्काल आपूर्ति के लिए केन्द्र सरकार को अभ्यावेदन दिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने सम्बद्ध प्राधिकारियों को इन पत्रों के तत्काल मुद्रण और आपूर्ति के लिए उचित निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) बिहार, गुजरात, झारखण्ड, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में लघु बचत लिखतों और अन्य लेखन-सामग्री मदों की अतिरिक्त आपूर्ति के लिए अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने लघु बचत लिखतों और अन्य लेखन-सामग्री मदों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय किए हैं। भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक ने इन लिखतों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए नई मशीनें संस्थापित की हैं।

स्वच्छता मानक

7746. श्री वाई०वी० राव : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्क का विचार स्वच्छता और वनस्पति अरोग्यता मानकों संबंधी एक कोर ग्रुप स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) जी, हां। नई दिल्ली में फरवरी, 2002 के दौरान मानकों, गुण नियंत्रण और माप संबंधी सार्क के स्थायी ग्रुप की हुई दूसरी बैठक में यह सहमति हुई थी कि भारत की अध्यक्षता में एक कोर ग्रुप का गठन किया जाए। कोर ग्रुप की अध्यक्षता नेपाल से शुरू होकर ग्रुप के सभी सदस्य बारी-बारी से करेंगे। इस ग्रुप की सिफारिशें आर्थिक सहयोग संबंधी सार्क समिति के स्थायी ग्रुप को प्रस्तुत की जाएंगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के श्रमिकों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अपनाना

7747. श्री प्रियरंजन दासमुंशी :
श्री जार्ज ईडन :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1 जनवरी, 1999 और 31 जनवरी, 2002 के बीच बन्दी, छंटनी या विनिवेश के कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में संगठित क्षेत्र के कार्यबल द्वारा लिए गए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का कोई अद्यतन आंकड़ा तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-वार और वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-वार कितना खर्च आया है ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभ भाई कथीरिया) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों का माहवार विवरण केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। वित्तीय वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 तक की अवधि की सूचना उपलब्ध है, जिनके द्वौरान कर्मचारियों की संख्या का यौक्तिकीकरण करने के लिए प्रबन्धनों के प्रस्ताव के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में क्रमश: 43760 तथा 45625 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना था। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रतिपूर्ति के भुगतान के लिए खर्च की गई राशि क्रमश: 1561 करोड़ रुपए और 2001 करोड़ रुपए थी। उद्यम वार विवरण संलग्न है। उद्यम में कर्मचारियों की संख्या को सुसंगत बनाने के अनुसरण में प्रबंधनों द्वारा कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का प्रस्ताव किया गया था।

विवरण

वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की संख्या तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर खर्च की गई राशि

क्र० सं०	उद्यम का नाम	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर खर्च की गई राशि (करोड़ रुपए)		स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की संख्या	
		1999-2000	2000-2001	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5	6
1.	राष्ट्रीय बीज निगम लि०	0.30	1.52	9	32
2.	राज्य फार्म्स निगम	—	11.80	—	359
3.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम	0.38	0.03	18	1
4.	बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल लि०	3.26	2.92	63	65
5.	बंगाल इम्युनिटी लि०	0.58	—	16	—
6.	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि०	4.44	0.74	101	32
7.	हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लि०	2.02	—	71	—
8.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि०	—	8.04	55	—
9.	इण्डियन पेट्रो कैमिकल्स कारपोरेशन लि०	2.23	—	61	—
10.	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०	0.14	0.25	7	9
11.	स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०	0.53	0.02	22	2
12.	फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि०	1.25	0.44	27	25
13.	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (त्रावणकोर) लि०	0.72	0.10	21	5
14.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपो० लि०	3.30	0.57	108	9
15.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०	5.98	0.46	142	9
16.	प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इण्डिया लि०	2.42	—	19	—
17.	पायराइट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि०	7.99	2.53	277	80
18.	होटल कारपोरेशम ऑफ इण्डिया लि०	2.42	—	90	—
19.	एम०एम०टी०सी० लि०	8.51	30.00	96	355

1	2	3	4	5	6
20.	पी०ई०सी० लि०	—	1.48	—	18
21.	भारतीय राज्य व्यापार निगम लि०	2.90	52.37	34	314
22.	एच०टी०एल० लि०	0.64	—	19	—
23.	आई०टी०आई० लि०	11.41	20.62	333	537
24.	हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल कारपो० लि०	1.01	1.99	24	1277
25.	भारत डायनामिक्स लि०	0.68	4.93	16	86
26.	भारत अर्थ मूवर्स लि०	15.51	30.50	370	578
27.	भारत इलेक्ट्रानिक्स लि०	42.70	13.02	927	318
28.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि०	2.91	—	157	—
29.	हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि०	5.14	21.50	241	1115
30.	मिश्र धातु निगम लि०	—	2.12	—	56
31.	विगनयन इण्डस्ट्रीज लि०	0.18	0.11	5	5
32.	हिन्दुस्तान लेटेक्स लि०	3.47	—	83	—
33.	एण्ड्रयु यूले एण्ड कंपनी लि०	1.34	—	41	—
34.	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि०	—	5.43	10	143
35.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०	289.28	144.00	8274	600
36.	भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लि०	—	23.11	110	671
37.	भारत लेदर कारपो० लि०	0.34	0.35	9	9
38.	भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स लि०	—	1.70	—	57
39.	भारत पम्प्स एण्ड कंप्रेशर्स लि०	1.25	3.00	19	80
40.	भारत वेगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लि०	—	3.00	—	142
41.	ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इण्डिया) लि०	—	—	31	74
42.	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि०	26.65	18.34	858	1116
43.	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि०	3.19	1.63	135	57
44.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि०	0.05	0.62	—	9
45.	हैवी इंजीनियरिंग कारपो० लि०	7.50	31.75	161	514
46.	हिन्दुस्तान केबल्स लि०	35.00	58.77	385	1012
47.	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि०	0.54	0.77	27	20
48.	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि०	0.07	0.08	3	3
49.	हिन्दुस्तान फोटोफिल्म मैन्यु० कं० लि०	2.69	21.54	76	343
50.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०	0.09	2.31	24	138

1	2	3	4	5	6
51.	एच०एम०टी० बियरिंग्स लि०	0.39	1.34	11	28
52.	एच०एम०टी० लि०	50.41	224.21	900	3901
53.	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लि०	0.13	—	5	—
54.	इंस्ट्रूमेंटेशन लि०	22.50	20.20	362	244
55.	जेसप एण्ड कंपनी लि०	—	34.64	1	1242
56.	मण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि०	—	14.07	—	650
57.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि०	79.98	46.78	331	528
58.	नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०	6.04	8.54	253	311
59.	राष्ट्रीष्य औद्योगिक विकास निगम लि०	7.12	—	77	—
60.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि०	2.75	2.60	58	29
61.	नेपा लि०	6.52	4.23	448	174
62.	प्रागा टूल्स लि०	5.23	6.10	146	124
63.	आर०बी०एल० लि०	—	6.37	11	190
64.	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लि०	—	0.02	—	1
65.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि०	—	21.02	165	388
66.	सांभर साल्ट्स लि०	1.42	0.33	46	1
67.	स्कूटर्स इण्डिया लि०	0.27	0.51	15	13
68.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०	0.72	27.67	—	360
69.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि०	—	5.00	—	106
70.	टायर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०	1.19	8.17	21	172
71.	वेबर्ड (इण्डिया) लि०	—	4.65	—	124
72.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि०	0.04	1.17	2	26
73.	सी०एम०सी० लि०	0.02	0.03	1	2
74.	इलेक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कारपो० लि०	0.10	0.44	4	15
75.	भारत गोल्ड माइन्स लि०	0.87	17.90	838	636
76.	हिन्दुस्तान कॉपर लि०	140.00	60.00	2344	1455
77.	हिन्दुस्तान जिंक लि०	19.96	38.19	463	770
78.	खनिज गवेषण निगम लि०	2.50	9.30	172	319
79.	नेशनल एल्युमिनियम कारपोरेशन लि०	0.04	0.26	2	6
80.	बामर लॉरी एण्ड कंपनी लि०	27.31	1.78	543	124
81.	बीको लॉरी लि०	0.16	1.50	43	60

1	2	3	4	5	6
82.	इंजीनियर्स इण्डिया लि०	0.14	5.23	3	71
83.	आई०बी०पी० कंपनी लि०	4.68	—	107	—
84.	इण्डिया ऑयल कारपोरेशन लि०	6.60	141.02	162	1457
85.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि०	110.48	—	1342	—
86.	ऑयल इंडिया लि०	0.09	7.51	2	120
87.	ओ०एन०जी०सी० विदेश लि०	0.20	—	2	—
88.	नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०	3.05	—	78	230
89.	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि०	3.98	1.08	116	45
90.	इरकॉन इंटरनेशनल लि०	3.38	0.70	200	32
91.	सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लि०	0.17	0.42	2	7
92.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि०	0.42	0.68	12	23
93.	भारत रिफ्रैक्ट्री लि०	5.11	4.62	195	154
94.	कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि०	0.88	3.43	21	74
95.	मैंगनीज ओर (इण्डिया लि०)	4.86	1.82	197	84
96.	मेटालर्जिकल एण्ड इंजी० कंसल्टेंट्स (इण्डिया) लि०	6.22	6.48	119	158
97.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि०	0.11	9.30	16	207
98.	स्पंज आयरन इण्डिया लि०	3.14	1.12	106	52
99.	केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि०	3.80	6.77	146	238
100.	कोचीन शिपयार्ड लि०	—	5.19	—	91
101.	ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०	—	5.70	—	119
102.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०	11.01	2.00	284	48
103.	हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लि०	1.10	2.50	63	84
104.	भारतीय सड़क निर्माण निगम लि०	0.13	3.60	5	103
105.	ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लि०	5.98	2.72	501	190
106.	भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लि०	1.93	0.56	42	11
107.	एल्गिन मिल्स कंपनी लि०	1.85	—	119	—
108.	भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि०	2.49	1.77	41	17
109.	जूट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०	0.60	0.86	14	27
110.	नेशनल जूट मैन्यु० कारपोरेशन लि०	3.24	0.11	149	6
111.	उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि०	0.01	0.08	1	5
112.	हिन्दुस्तान प्रीफैब लि०	0.80	1.49	28	61

1	2	3	4	5	6
113.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि०	4.02	2.55	88	49
114.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि०	10.37	9.77	210	261
115.	इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०	7.11	22.32	146	397
116.	चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०	—	3.3	—	38
117.	इण्डियन ऑयल ब्लैंडिंग लि०	0.25	0.12	7	2
118 से 126.	कोल इण्डिया लि० (8 सहायक कंपनियां)	328.69	263.53	11634	7854
127.	नेवेली लिग्नाईट कारपोरेशन लि०	10.13	39.07	363	1180
128.	भारतीय चाय व्यापार निगम लि०	2.71	4.60	16	119
129.	मझगांव डॉक लि०	8.53	49.91	239	1007
130.	भारत ऑप्थैल्मिक ग्लास लि०	13.80	2.97	214	40
131.	साईकिल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०	15.50	0.74	598	31
132.	एच०एम०टी० (इंटरनेशनल) लि०	0.61	—	6	—
133.	उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि०	4.11	8.98	27	242
134.	टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन लि०	10.51	0.89	461	43
135.	भारत एल्युमिनियम कंपनी लि०	4.44	25.87	165	572
136.	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि०	—	230.63	—	6134
137.	इंण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि०	5.00	—	380	133
138 से 147.	नेशनल टेक्सटाईल कारपोरेशन लि० (सहायक कंपनी सहित) 1+9	71.12	27.85	4298	15.35
	कुल	1561.03	2001.32	43760	45625

राज्यों को अतिरिक्त निधियां

7748. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना में राज्यों को लगभग 1,82,075 करोड़ रुपए के अनुमानित ऋणों का प्रावधान किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों ने योजना के प्रथम तीन वर्षों में लगभग 1,61,000 करोड़ रुपए के ऋण लिए हैं;

(ग) यदि हां, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों ने कुल कितने ऋण लिए हैं;

(घ) अधिक ऋण लिए जाने की निगरानी रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या योजना के कार्यान्वयन में अच्छा काम करने वाले राज्यों को अतिरिक्त योजनागत सहायता दी जाएगी; और

(च) यदि हां, तो नौंवी योजना में राज्यों को दी गई अतिरिक्त सहायता का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) योजना आयोग के अनुसार नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्यों द्वारा कुल ऋण उगाही 2,92,812 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है।

(घ) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुक्रम में वित्त मंत्रालय ने राज्यों के राजकोषीय सुधार सुविधा नामक स्कीम तैयार की है, जिसका उद्देश्य राजकोषीय समेकन है। ऋण की विवेक सम्मत

सीमा का निर्धारण राज्यों द्वारा तैयार किए गए मध्यम आवधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम (एम०टी०एफ०आर०पी०) के दायरे में किया जाता है।

(ङ) और (च) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का निर्णय योजना आयोग द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से किया जाता है।

दुपहिया वाहन उद्योगों की स्थापना

7749. **श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में नए दुपहिया वाहन उद्योग लगाने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आवश्यक अनुमति और नए दुपहिया वाहन उद्योग लगाने के लिए भूमि आबंटित करने के लिए राज्यों के लिए कोई मानक माप दंड निर्धारित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) तमिलनाडु में वर्तमान में कौन-कौन से दुपहिया वाहन उद्योग चल रहे हैं और गत तीन वर्षों के दौरान इनका कार्य निष्पादन अर्थात् संस्था और मूल्य के हिसाब से उत्पादन और बिक्री के संबंध में कैसा रहा है ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभ भाई कथीरिया) : (क) से (घ) ऑटोमोबाइल उद्योग एक लाइसेंस मुक्त उद्योग है तथा उद्यमी कोई भी राज्य का चयन करके, वहां निर्माणकारी इकाई स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है। राज्यों के लिए कोई विशेष मानदंड या कसौटी निर्धारित नहीं की गई है। तथा वे अपने स्तर से सुविधा/रियायत देने के लिए स्वतंत्र है।

(ङ) सोसायटी फॉर इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स (एस० आई०ए०एम०) से प्राप्त सूचना के अनुसार मैसर्स टी०वी०एस० मोटर कंपनी लि० और मैसर्स रॉयल इनफिल्ड मोटर्स-दुपहिया वाहन उद्योग इस समय तमिलनाडु में प्रचालनरत हैं। कार्य निष्पादन का विवरण निम्नानुसार है :

(मूल्य करोड़ रुपये में)

निर्माता का नाम	उत्पादन संख्या में			घरेलू बिक्री					
	1999-2000	2000-01	2001-02	1999-2000		2000-01		2001-02	
				संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य
टीवीएस मोटर्स कंपनी लि०									
स्कूटर्स	131862	139755	146421	126575	379	142063	426	143154	429
मोटर साइकिल	325319	358024	455224	323181	1517	351483	1650	447279	2100
मोपेड्स	381301	369645	270927	378740	769	363275	737	267387	543
कुल	838482	867424	872572	828496	2665	856821	2813	857820	3072
रोयल इनफिल्ड मोटर्स									
मोटर साइकिल	23278	21432	24136	24175	155	20819	133	22769	148

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया में हेराफेरी

7750. **श्री आदि शंकर :**
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री हरीभाऊ शंकर महाले :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया में करोड़ों रुपये की हेराफेरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस हेराफेरी में कौन-कौन से व्यक्ति संलिप्त हैं;

(घ) क्या उनके विरूद्ध कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभ भाई कथीरिया) : (क) से (ङ) घपलेबाजी तथा अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि० के प्रबंधन के विरूद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों की जांच-पड़ताल की जा रही है।

वस्त्र क्षेत्र के कामगारों को आई०डी०ए० आधारित वेतनमान

7751. श्री रामदास आठवले : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन०टी०सी० (एच०सी०) और एन०टी०सी० (टी०एन० एण्ड पी०) लि० में आई०डी०ए० पैटर्न के वेतनमानों के कार्यान्वयन के मामले को बी०आई०एफ०आर०/सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पड़े लम्बित मामलों से जोड़ दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह इस संबंध में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। चूंकि एन०टी०सी० की 8 सहायक निगमों में आई०डी०ए० वेतनमान के संशोधन का मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है, इसलिए इन दोनों कंपनियों से संबंधित किसी प्रकार का निर्णय इस मामले को प्रभावित करेगा। तथापि, एन०टी०सी० (धारक कंपनी) तथा एन०टी०सी० (टी०एन०पी०) के कर्मचारियों से संबंधित आई०डी०ए० वेतनमान का तदर्थ संशोधन दिनांक 01.07.0999 को इस शर्त के साथ किया गया था कि इस प्रकार के व्यय को पूरा करने के लिए ये कंपनियां आवश्यक अतिरिक्त स्रोत सृजित करेंगी।

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गये हैं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पुरानी कारों के निर्यात संबंधी नीति

7752. श्री कमलनाथ : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पुरानी कारों को आसानी से बाहर भेजने को सरल बनाने के लिए पुरानी कारों के निर्यात संबंधी नीति तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस की व्यापक रूपरेखा क्या है;

(ग) देश में कुल कितने कार निर्माताओं ने पुरानी कारों का कारोबार शुरू कर रखा है; और

(घ) पुरानी कारों के निर्यात संबंधी नीति के कब तक प्रभावी हो जाने की संभावना है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस मंत्रालय में ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

लार्ड कृष्ण बैंक और कैथोलिक सीरियन बैंक

7753. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लार्ड कृष्ण और कैथोलिक सीरियन बैंक की अलग-अलग शाखाओं में चालू खाते खोले गए थे और इनसे बड़ी-बड़ी राशियां तमिलनाडु और केरल की अन्य शाखाओं में भेजी गई थीं जिनको कथित तौर पर आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रयोग किया जाना था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इन खातों को खोलने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि प्रवर्तन निदेशालय ने यह सूचित किया था कि एक पार्टी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों का पालन किए बिना लार्ड कृष्णा बैंक लि० और कैथोलिक सीरियन बैंक लि० सहित केरल में स्थित गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की विभिन्न शाखाओं में कतिपय खाते खोले थे और इन खातों में बड़े पैमाने पर निधियों का अन्तरण और नकदी रूप में परिचालन किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रारंभिक संवीक्षा की थी, जिससे कतिपय अनियमितताओं का पता चला, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तृत संवीक्षा की जा रही है।

फ्रांस की कम्पनी को मिनरल वाटर संयंत्र लगाने की अनुमति

7754. श्री सईदुज्जमा : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक फ्रांसीसी कम्पनी डेनोन का विचार भारत में मिनरल वाटर संयंत्र लगाने और हिमालयन ब्रांड और कुछ अन्य कम्पनियों का भी अधिग्रहण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी कम्पनियों को ऐसे क्षेत्र में अनुमति देने को युक्तिसंगत पाया गया है जिसमें भारतीय कम्पनियां और पहले से आई बहुराष्ट्रीय कम्पनियां सुस्थापित हैं और रेलवे बोर्ड भी मिनरल वाटर कारोबार में प्रवेश कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस कदम का क्या औचित्य है;

(ङ) क्या सरकार विदेशी फर्मों द्वारा निर्यात बाजार के लिए मिनरल वाटर का उत्पादन करने में गंगा, यमुना और अन्य नदियों के जल के उपयोग की अनुमति नहीं देगी; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निवारणात्मक कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) इस संबंध में सरकार द्वारा विचार किये जाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) विनिर्माण क्षेत्र में अधिकांश कार्यकलापों के लिए 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है। कुछ कार्यालयों को छोड़कर बाकी के लिए औद्योगिक लाइसेंसीकरण को लगभग समाप्त कर दिये जाने से, विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता निर्माण बाजार की शक्तियों पर छोड़ दिया गया है। इसी प्रकार, विदेशी प्रौद्योगिकी के आयात से प्रतिबंधों को लगभग समाप्त कर दिया गया है। मिनरल वाटर क्षेत्र के बारे में उठाये गये विशिष्ट मामले के संबंध में, यह क्षेत्र क्षमता के विस्तार अथवा नयी क्षमता के निर्माण पर बिना किसी प्रतिबंध के घरेलू और विदेशी, दोनों कंपनियों के लिए खुला है। पर्यावरण की दृष्टि से पूरी की जाने वाली सभी अपेक्षाएं, घरेलू और विदेशी निवेशकों पर समान रूप से लागू होगी।

[हिन्दी]

एस०टी०सी० द्वारा आयात में भ्रष्टाचार

7755. श्री लक्ष्मण गिलुवा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एस०टी०सी० द्वारा यूरिया और खाद्य तेलों के आयात के लिए किए गए सौदों में भ्रष्टाचार की जांच कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में एस०टी०सी० के कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी लिप्त हैं;

(ग) क्या इस मामले में संलिप्त कुछ अधिकारियों को एस०टी०सी० में उच्च पदों पर नियुक्त किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

वस्त्र उद्योग से राजस्व अर्जन

7756. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में मूल्य संवर्धित कर लागू किए जाने के बाद वस्तुओं पर राज्यों को अतिरिक्त उत्पाद पर लगाए जाने की अनुमति दिए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वस्त्र क्षेत्र से देश में राज्य-वार कुल कितना राजस्व संग्रहीत किया गया है;

(ग) क्या अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण और आयातित वस्त्रों के कारोबार की अनुमति दिए जाने के कारण वस्त्रों के मूल्य में बढ़ोतरी होने से देश के वस्त्र उद्योगों पर प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए क्या सुधार करने का विचार किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां। सिद्धांत रूप में निर्णय लिया गया है कि राज्यों को अतिरिक्त उत्पाद शुल्क मदों अर्थात् चीनी, तम्बाकू और वस्त्रों पर मूल्य वर्धित कर (वैट) लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए जो कि राज्यों द्वारा पहली अप्रैल, 2003 से वेट कार्यान्वियन के निर्णय के अनुरूप होगा।

(ख) उत्पाद शुल्क से राजस्व केन्द्रीय सरकार द्वारा वसूल किया जाता है। इसलिए राज्य-वार आंकड़े रखना अपेक्षित नहीं है। तथापित पिछले तीन वर्षों में वस्त्रोद्योग से वसूल किया गया राजस्व निम्नानुसार है :

वर्ष	(करोड़ रुपये)
1998-1999	4312.
1999-2000	4224
2000-2001	4346

(ग) और (घ) वस्त्रोद्योग मंत्रालय ने सूचित किया है विगत में मदों के मूल्यों में सामान्य मूल्य सूचकांक में वृद्धि के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है। हालांकि विगत में वस्त्र मदों के आयातों में वृद्धि हुई है, फिर भी ऐसे आयात महत्वपूर्ण नहीं हैं क्योंकि ये घरेलू उत्पादन का केवल एक प्रतिशत हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

7757. श्री रामजीलाल सुमन :
डॉ० सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री नरेश पुगालिया :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दशक के दौरान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने सरकार को छह रिपोर्टें सौंपी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त रिपोर्टों में की गई सिफारिशों पर अब तक कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) अब तक कितनी सिफारिशों पर कार्रवाई नहीं की गई है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) से (च) जी हां, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी 6 रिपोर्टों में महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। ये सभी सिफारिशें केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों को भी भेज दी गई हैं; जिससे कि उन पर उपयुक्त कार्रवाई की जाए और इसकी सूचना इस मंत्रालय को उपलब्ध कराई जाए।

[अनुवाद]

बीमा कंपनियों पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग की टिप्पणियां

7758. **डा० ए०डी०के० जयशीलन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने हाल ही में बीमा कंपनियों के निवेश और अन्य गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कड़े मानदंड तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने जनता के धन को हड़पने वाली चिट फंड कंपनियों और अन्य कंपनियों की निगरानी के लिए कड़े मानदंड जारी करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सूचित किया है कि उन्होंने ऐसे कोई मानदंड जारी नहीं किए हैं।

(ग) व्यापक विनियामक संरचना का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य जमाकर्त्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ठोस तथा लाभप्रद तर्ज पर कार्य करें। विनियामक संरचना के अन्य बातों के साथ-साथ अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था करना, तरल परिसंपत्तियों का अनुरक्षण, निवल लाभ के कम से कम 20 प्रतिशत की राशि का अन्तरण तथा भारतीय रिजर्व बैंक को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में निदेशों को जारी करने हेतु शक्ति प्रदान करना शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक दोषी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरूद्ध भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबंधों के संबंध में बरती विभिन्न चूकों तथा उनके उल्लंघन के लिए विभिन्न कार्रवाई करता है। सरकार ने 13 दिसम्बर, 2000 को लोक सभा में वित्तीय कंपनी विनियम विधेयक, 2000 भी प्रस्तुत किया है। जिसे वित्त संबंधी स्थायी समिति को विचारार्थ भेजा गया है।

जहां तक चिट फंडों का संबंध है, सरकार ने चिट फंड अधिनियम, 1982 अधिनियमित किया है ताकि संपूर्ण देश में चिट फंड संस्थानों पर लागू उपबंधों में समानता का सुनिश्चय हो सके। सभी राज्य सरकारों से यह अपेक्षित है कि वह इस अधिनियम के उपबंधों को विस्तार देते हुए अपने-अपने कार्यक्षेत्रों के अन्तर्गत नियम बनाएं। भारतीय रिजर्व बैंक केन्द्रीय अधिनियम के तहत शीघ्र नियमों के निर्माण हेतु सभी राज्य सरकारों को पहल करने के लिए सक्रिय रूप से कार्यरत है। चूंकि चिट फंड कंपनियां राज्य सरकारों के जरिए पंजीकृत तथा विनियमित होती हैं, इसलिए दोषी कंपनी के विरूद्ध की जाने वाली कोई कार्रवाई संबंधित राज्य सरकार के विनियामक कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आती है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम का कारोबार

7759. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम द्वारा किए गए व्यापारिक सौदों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आतंकवादी घटनाओं का केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लिमिटेड के व्यापार पर प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए कारोबार का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1999-2000	2000-2001	2001-2002
5312.46	5741.93	5314.13

(ख) और (ग) जी हां, केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लिमिटेड ने सूचित किया कि न्यू योर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, नई दिल्ली स्थित संसद भवन और जम्मू एवं कश्मीर विधान सभा पर हाल ही में हुए हमलों से उनके व्यवसाय पर बुरा प्रभाव पड़ा जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2000-2001 में हुई बिक्री की तुलना में वर्ष 2001-2002 में निगम की बिक्री में 7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

(घ) निगम द्वारा इस सम्बन्ध में उठाए जा रहे प्रभावी कदमों में – प्रदर्शनियों का आयोजन, डिजाइन विकास कार्यक्रम फ्रैनचाइज् पद्धति पर बिक्री केन्द्र खोलना और संस्थागत ग्राहकों के मध्य व्यापक प्रचार एवं उनका विकास शामिल हैं।

निर्यात फर्मों के कार्यकरण की समीक्षा

7760. श्री जयभान सिंह पवैया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्यात के क्षेत्र में काम करने वाली कम्पनियों के कार्यकरण की समय-समय पर समीक्षा करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत तीन वर्ष के दौरान किन्ही कम्पनियों को दोषी पाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान ऐसी दोषी कम्पनियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (च) उदारीकरण के इस युग में ऐसी किसी भी कम्पनी, चाहे वह निर्यात कार्य में लगी हुई हो अथवा नहीं, के कार्य की समीक्षा सामान्यत: सरकार की किसी एजेंसी द्वारा तब तक नहीं की जाती है जब तक कि किसी संभावित गलत कार्य की विशिष्ट सूचना नहीं हो। जो कम्पनियां निर्यात कार्य में लगी हुई है उनके मामलें में तब तक उनके निर्यात क्रिया-कलापों की विस्तृत संवीक्षा नहीं की जाती है जब तक कि व राजस्व विभाग से शुल्क वापसी अथवा वाणिज्य विभाग से अन्य सुविधाओं का दावा नहीं करती है। तथापि, विदेश व्यापार विकास एवं विनिमयन अधिनियम, 1992 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए समय-समय पर कार्यवाहियां आरम्भ की जाती हैं। इसी प्रकार, सीमा-शुल्क विभाग द्वारा भी सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत कार्यवाही शुरू की जा सकती है। अर्द्ध-न्यायिक कार्यवाहियां चलाई जाती है। यदि आरोपों की पुष्टि हो जाती है तो दंडात्मक कार्यवाही में अन्य बातों के साथ-साथ जुर्माना लगाना, लाइसेंस का निलंबन/निरसन तथा आयातक, निर्यातक कोड नम्बर का निलम्बन/निरसन शामिल हो सकता है। सीमा-शुल्क अधिनियम के तहत अपराधिक कार्यवाहियां भी शुरू की जा सकती हैं।

[अनुवाद]

जोखिम गारंटी आरक्षित निधि

7761. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों के लिए परियोजनाओं के बीच में ही बंद हो जाने की स्थिति में ऋण बाध्यताओं को पूरा करने के लिए एक जोखिम गारंटी आरक्षित निधि बनाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) गारन्टियों की बढ़ती हुई प्रमात्रा तथा भविष्य में राज्यों की राजकोषीय स्थिति पर इसके पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, सभी पहलुओं से राज्य सरकार की गारन्टियों के मामले की जांच करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने एक तकनीकी समिति गठित की है। अन्य बातों के साथ-साथ समिति ने सिफारिश की है कि प्रत्येक राज्य, उनके द्वारा उपलब्ध कराई गयी गारन्टियों के यथासम्भव विकास के लिए कुछ प्रावधान करे या एक आकस्मिकता निधि का गठन करे। समिति की सिफारिशों के बाद से कई राज्यों ने गारन्टी विमोचन निधि के गठन हेतु कदम उठाए हैं और निधि के संबंध में प्राप्त गारन्टी शुल्क को चिन्हित किया है।

सीमा शुल्क विभाग में परिवर्तन

7762. श्री ए०एफ० गुलाम उस्मानी :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित सीमाशुल्क अधिकारियों की एएर कार्गों इकाई ने गत तीन वर्षों के दौरान सैम एविएशन की विभिन्न विसंगतियों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्राइवेट कार्गों एयरलाइनों के द्वारा की जा रही ऐसी विसंगतियों पर रोक लगाने के लिए विभिन्न विमानपत्तनों पर सीमा शुल्क विभाग के काम-काज को चुस्त-दुरस्त बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली में सीमा शुल्क प्राधिकारियों के एअरकार्गों यूनिट द्वारा पता लगाए दो अलग-अलग मामलों में मैसर्स सैम एविएशन प्रा०लि० के खिलाफ जांच-पड़ताल की है।

इन मामलों में से पहले मामले में, मैसर्स ईस्टलाइन एविएशन लि०, जिसकी मैसर्स सैम एविएशन लि० एक एजेंट थी, द्वारा संचालित एक उड़ान में 55.57 लाख रु० मूल्य के विविध प्रकार के असूचीबद्ध माल की तस्करी का प्रयास किया जा रहा था। उसको 9.2.1997 को अभिग्रहीत कर लिया गया था। तत्पश्चात्, माल को जब्त करने के आदेश दिए गए थे और उक्त दो कंपनियों और उसके कुछ कर्मचारियों

पर अर्थदण्ड भी लगाए गए थे। जब्त करने और अर्थदण्ड लगाए जाने के आदेश के खिलाफ अपील इस समय दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित पड़ी है।

दूसरे मामले में जिसमें 3.5 करोड़ रु० की प्रतिअदायगी के छलपूर्ण दावे शामिल थे, इसमें मैसर्स सैम एविएशन प्रा०लि० की भूमिका की जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय, देश के विभिन्न विमानपत्तनों पर निजी कार्गो एअरलाइन्स द्वारा ऐसी विसंगतियों को रोकने के लिए नए सतर्क एवं जागरूक हैं।

स्टॉक एक्सचेंजों, में नए लेखाकरण मानदंड

7763. श्री के०ई० कृष्णमूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'सेबी' ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान से स्टॉक एक्सचेंजों, म्यूचुअल फंडों, प्राइवेट फंडों और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए नए विशेष लेखाकरण मानदंड तैयार करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नए लेखाकरण मानदंडों के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने यह सूचित किया है कि सेबी उन क्षेत्रों जिनमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई०सी०ए०आई०) द्वारा लेखाकरण मानदंड निर्गत नहीं किए गए हैं, में मानक सेटिंग प्रक्रिया आरंभ करने के लिए निरंतर आधार पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई०सी०ए०आई०) से अंत:क्रिया करता रहा है। सेबी ने एक लेखाकरण मानक समिति की स्थापना की है, जो लेखाकरण मानदण्डों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करती है तथा सेबी को अनुशंसाएं प्रस्तुत करती है। समिति में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान को भी प्रतिनिधत्व मिला हुआ है तथा समिति नए मानकों का विकास करने तथा विद्यमान मानकों का उन्नयन करने, जहां भी आवश्यक है, के लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान को निविष्टियां देती रही है। तथापि, सेबी ने स्टॉफ एक्सचेंजों, म्यूचुअल फंडों, निजी फंडों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए विशेष नए लेखाकरण मानक तैयार करने हेतु भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान से कोई औपचारिक अनुरोध नहीं किया है।

बी०आई०एस० द्वारा जांच

7764. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2000 की अपनी रिपोर्ट सं० 4 (सिविल) को पृष्ठ 16-17 पर पैरा 5.1 में सितम्बर, 1977 तक संशोधित दरों को लागू न करने से संबंधित तथ्य को उल्लिखित किया है जिससे 2.49 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई;

(ख) क्या बी०आई०एस० के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा उन परिस्थितियों, जिनके कारण तीन वर्षों तक संशोधित दरों को प्रास्थगित रखा गया था और उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु जांच की जा रही थी;

(ग) यदि हां, तो क्या मुख्य सतर्कता अधिकारी ने जांच पूरी कर ली है और किसी की जिम्मेदारी निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या 2.49 करोड़ रुपए की वसूली कर ली गई है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, हां। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा संशोधित दरें सितम्बर, 1997 में कार्यान्वित की गई, यद्यपि संशोधित शुल्क की वसूली पूर्वव्यापी तारीख सितम्बर, 1994 से की गई।

(ख) से (घ) भारतीय मानक ब्यूरो के मुख्य सतर्कता अधिकारी और उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक (सतर्कता) द्वारा जांच किए जाने के बाद उस समय भारतीय मानक ब्यूरो में कार्य कर रहे दो अधिकारियों को जिम्मेदार ठहाराया गया जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। केन्द्रीय सतर्कता आयोग और विधि मंत्रालय के परामर्श से आगे की कार्यवाही की जा रही है।

(ङ) मार्च, 2002 के अन्त तक 2.49 करोड़ रुपए में से लगभग 1.97 करोड़ रुपए की राशि वसूल की जा चुकी है।

आयकर विभाग द्वारा धन वापसी

7765. श्री रघुनाथ झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग दो वर्ष या अधिक समय बीत जाने के बाद भी निर्धारितियों को धन वापसी के चैक नहीं भेज रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और आयकर विवरणी भरे जाने के बाद विभाग को कितने समय के भीतर निर्धारितियों को धन वापसी के चैक भेजना अनिवार्य होता है; और

(ग) आज की तारीख में कितनी देय राशि वापस की जानी है और इसे कब तक वापिस किए जाने की संभावना है और इस पर किस दर से ब्याज अदा किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) आयकर अधिनियम की धारा 143(1) के अनुसार विवरणी के आधार पर देय किसी धन वापसी को स्वीकार कर लिया जाता

है और इस आशय की सूचना, उक्त वित्त वर्ष जिसमें विवरणी दायर की गई है, की समाप्ति से एक वर्ष के भीतर कर निर्धारिती को दी जानी होती है।

(ग) उस तारीख को धन वापसी की बकाया धनराशि आयकर अधिनियम की धारा 143 (1) के अन्तर्गत उस तारीख तक दायर की गई सभी विवरणियों पर कार्रवाई करने से पहले निर्धारित नहीं की जा सकती है। धन वापसी के वाउचर विवरणी पर कार्रवाई करने के 15 दिन के भीतर जारी किए जाते हैं। कर निर्धारिती को धनवापसी को जारी करने में विलम्ब के लिए प्रत्येक माह अथवा माह के भाग के लिए 0.75% की दर से साधारण ब्याज दिया जाता है।

सूचीबद्ध करने का मानदंड

7766. श्री मोहन रावले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सूचीबद्ध करने के वर्तमान मानदंड में परिवर्तन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने यह सूचित किया है कि सेबी ने प्रतिभूतियों की असूचीबद्धता से संबंधित एक समिति का गठन किया है, जिसके विचारार्थ विषय निम्नांकित हैं :

(i) बहुराष्ट्रिक कंपनियों द्वारा असूचीबद्धता सहित मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों की असूचीबद्धता के लिए वर्तमान दशाओं की जांच एवं समीक्षा करना तथा इससे संबंधित मानकों एवं प्रक्रियाओं का सुझाव देना;

(ii) सूचीबद्धता करार की समीक्षा तथा इसका मानकीकरण करना;

(iii) क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता की अवधारणा की जांच करना तथा सभी एक्सचेंजों में सूचीबद्धता प्राधिकरण की स्थापना करना;

(iv) सूचीबद्धता शर्तों के प्रभावी क्रियान्वयन के तरीके तथा उल्लंघन के लिए दंडात्मक प्रावधानों का सुझाव देना;

(v) ऊपर उल्लिखित मामले से संबंधित अनुशंसाओं को प्रभावी करने के लिए विधानों, नियमों, विनियमों आदि में परिवर्तनों की अनुशंसा करना।

इससे सभी स्टॉक एक्सचेंजों के सूचीकरण मानकों में समरूपता लाने तथा सूचीबद्धता मानकों के प्रभावी क्रियान्वयन में सुधार होने की भी उम्मीद की जाती है।

आई०एफ०सी०आई० और आई०डी०बी०आई० द्वारा वसूल की गई राशि

7767. डा० सी० कृष्णन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 2002 तक विभिन्न कंपनियों से आई०एफ०सी०आई० और आई०डी०बी०आई० द्वारा कितनी राशि की वसूली की गई;

(ख) कौन-कौन से बड़े चुककर्ता हैं जिन पर 100 करोड़ से अधिक का बकाया है और यह राशि किस वर्ष से बकाया चल रही है;

(ग) ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो बाजार से गायब हो गई हैं;

(घ) बकाया राशि की वसूली के लिए गत तीन वर्षों के दौरान आई०एफ०सी०आई० और आई०डी०बी०आई० द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) विभिन्न वित्तीय संस्थानों और न्यासों को आई०एफ०सी०आई० और आई०डी०बी०आई० द्वारा कितनी राशि देय हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) आई०डी०बी०आई० द्वारा वित्तीय वर्ष 2001-02 के दौरान अपने प्रत्यक्ष ऋण पोर्टफोलियो में विभिन्न सहायता प्राप्त कंपनियों से वसूल की गई धनराशि 12,530 करोड़ रुपये (अनन्तिम) थी। जहां तक आई०एफ०सी०आई० का संबंध है, वर्ष 2001-2002 के दौरान 2814.7 करोड़ रुपए की राशि वसूल की गई थी।

(ख) 100 करोड़ रुपए से अधिक रखने वाले प्रमुख चूककर्ताओं की संख्या आई०डी०बी०आई० में 15 और आई०एफ०सी०आई० में 18 है। बैंकों में प्रचलित प्रथाओं एवं रीति रिवाजों के अनुसार और वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली संविधियों के प्रावधानों और साथ ही लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम 1983 के उपबंधों के अनुरूप बैंकों और सरकारी वित्तीय संस्थाओं के ग्राहकों के संबंध में सूचना को प्रकट नहीं किया जा सकता।

(ग) आई०डी०बी०आई० द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 100 करोड़ रुपए से अधिक रखने वाली और आई०डी०बी०आई० को भुगतान में चूक करने वाली कोई भी कंपनी शेयर बाजार से गायब नहीं हुई हैं। आई०एफ०सी०आई० ने सूचित किया है कि 18 कंपनियों में से 4 कंपनियां किसी भी शेयर बाजार की सूची में नहीं हैं।

(घ) आई०एफ०सी०आई० और आई०डी०बी०आई० द्वारा शुरू किए गए उपायों में समझौता वार्ता द्वारा एकबारगी निपटान के लिए अभियान, उपयुक्त मामलों में कानूनी कार्यवाहियां करना, न्यायालयों/ऋण वसूली अधिकरणों में मुकदमें दायर करना, लेखाओं की सूक्ष्म निगरानी, नियमित पुनरीक्षा, विचार-विमर्श, अनुवर्तन, नामित निदेशकों द्वारा

एककों का दौरा करना और साथ ही अनुवर्तन, जानबूझ कर चूक करने वालों के नाम भारतीय रिजर्व बैंक को बताना, जहां कहीं व्यवहार्य हो, रुग्ण एककों के पुनर्निर्माण/विलय या प्रबन्धन में परिवर्तन हेतु मामले निर्गमित ऋण पुनर्निर्माण (सी०डी०आर०) प्रणाली को भेजना, रूग्ण/बाइफर मामलों के लिए पुनर्वास पैकेज, वास्तविक समस्याओं का सामना कर रहे एककों के संबंध में पुनर्निर्माण आदि शामिल हैं।

(ङ) दिनांक 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार आई०डी०बी०आई० द्वारा विभिन्न वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से ली गई ऋण राशि 23,629 करोड़ रुपए है और 10.5.2002 की स्थिति के अनुसार आई०एफ०सी०आई० द्वारा ली गई ऋण राशि 14113.08 करोड़ रुपए है।

[हिन्दी]

यू०टी०आई० को नुकसान

7768. **डा० सुशील कुमार इन्दौरा :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट की विभिन्न योजनाओं को अनुप्रयोज्य आस्तियों के कारण मार्च, 2002 के अंत तक 3700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस नुकसान की भरपाई के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर अब तक क्या निर्णय लिया गया है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उक्त ट्रस्ट को कुल कितनी वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ङ) 28.12.2001 को घोषित वित्तीय पैकेज के भाग के रूप में 15 जुलाई, 2001 को घोषित की गई 3000 यूनिटों तक की सीमित पुनः क्रय सुविधा, जिसे प्रति यूनिट धारक 5000 यूनिटों तक बढ़ा दिया गया है, के संबंध में निवल आस्ति मूल्य और लागू पुनः-क्रय कीमतों के बीच घाटा, यदि कोई हो, के लिए यू०एस०-64 स्कीम के संबंध में और यू०एस०-64 में शेष धारिताओं के लिए, 10 रुपए प्रति यूनिट और निवल आस्ति मूल्य (एन०ए०सी०) 31 मई, 2003 को जो भी अपेक्षाकृत अधिक हो, के बीच घाटा, यदि कोई हो, के संबंध में सरकार यू०टी०आई० को खतिपूर्ति करेगी। सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में यू०टी०आई० को 300 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की है।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

7769. **श्री राजैया मल्याला :** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड ने गत दो वर्षों के दौरान कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले लघु उद्योगों का समय से भुगतान नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे लघु उद्योगों को समय से भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० वल्लभ भाई कथीरिया) : (क) जी, हां।

(ख) एकत्र की गई सूचना के अनुसार, दिनांक 31.03.2002 की स्थिति के अनुसार, कच्चे माल की लघु आपूर्तिकर्ताओं (उद्योगों) की बकाया राशि लगभग 1066.88 लाख रुपये थी। समस्या के समाधान करने के उपायों में अग्रिम के साथ-साथ वर्ष 2002 के लिए पी०आई०जे०एफ० केबिल्स के लिए पर्याप्त क्रयादेश के जारी करने संबंधी आदेश प्राप्त करने के प्रयास शामिल हैं जिनके कार्यान्वयन से कच्चे माल की आपूर्तिकर्ताओं (उद्योगों) का भुगतान करने में सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

किसानों को ऋण

7770. **डा० मदन प्रसाद जायसवाल :**
श्री दिलीप संघाणी :
डा० जसवंत सिंह यादव

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक देश के ग्रामीण इलाकों में ऋण देने में अधिक रूचि नहीं दिखा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक विभिन्न राज्यों के किसानों को बैंकों द्वारा ऋण के रूप में कितनी राशि मुहैया कराई गई;

(घ) उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय औसत आंकड़ों की तुलना में किसानों को ऋण के रूप में राज्यवार कितने प्रतिशत राशि मुहैया कराई गई;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान ऋण मुहैया कराए जाने के लिए किसानों से राज्यवार कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(च) उनमें से कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं; और

(छ) इन आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, नहीं। बैंक कृषि क्षेत्र को ऋण दे रहे हैं। वास्तव में, पिछले तीन वर्षों में कृषि क्षेत्र को उनकी अग्रिम राशियों में वृद्धि होती रही है, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है :—

वर्ष	बकाया राशि (करोड़ रुपए)
मार्च, 1998	35777.32
मार्च, 1999	41210.82
मार्च, 2000	49433.56

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों में कृषि क्षेत्र को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा की गई राज्य-वार ऋण राशि संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(घ) पिछले तीन वर्ष में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किसानों को दिए गए ऋण का राज्य-वार प्रतिशत का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) और (च) भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की आंकड़ा सूचना प्रणाली में पूछे गये तरीके से सूचना प्राप्त नहीं होती है।

(छ) कृषि ऋण संबंधी उच्च स्तरीय समिति (आर०वी० गुप्ता समिति) द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार ऋण फार्म सरल एवं मानकीकृत बनाए गये हैं और साथ ही ऋण प्रस्तावों को शीघ्र निपटाने के लिए बैंकों के क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों को पर्याप्त शक्तियां दी गई हैं।

विवरण-I

मार्च, 1998, 1999 और 2000 को समाप्त वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गये ऋण की राज्य-वार राशि

(करोड़ रुपए)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मार्च, 1998	मार्च, 1999	मार्च, 2000
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3.15	3.73	3.38
2.	आंध्र प्रदेश	4489.23	5195.90	5671.10
3.	अरूणाचल प्रदेश	9.99	12.45	14.98
4.	असम	298.71	331.45	314.19
5.	बिहार	1075.78	1225.41	1279.01
6.	चंडीगढ़	214.37	294.06	420.67
7.	दादरा एवं नागर हवेली	1.32	1.30	1.42
8.	दमन और दीव	0.67	0.82	1.06
9.	गोवा	66.11	66.67	64.26
10.	गुजरात	1963.93	2253.34	2454.84
11.	हरियाणा	1192.02	1312.41	1584.52
12.	हिमाचल प्रदेश	134.60	157.08	166.57
13.	जम्मू और कश्मीर	139.68	167.59	163.69
14.	कर्नाटक	3411.01	4358.30	4367.25
15.	केरल	1701.32	1843.55	1935.85
16.	लक्षद्वीप	0.56	0.59	12.12
17.	मध्य प्रदेश	2277.13	2576.71	2881.02
18.	महाराष्ट्र	3991.27	5158.21	8620.23
19.	मणिपुर	19.92	19.09	28.51
20.	मेघालय	16.48	16.51	18.97
21	मिज़ोरम	4.14	5.07	5.83
22.	नागालैण्ड	20.49	22.21	23.91
23.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	747.56	611.14	1704.13
24.	उड़ीसा	678.67	730.38	783.43
25.	पांडिचेरी	51.13	51.46	52.68
26.	पंजाब	2258.29	2745.21	3169.34
27.	राजस्थान	1611.25	1893.86	2261.28
28.	सिक्किम	8.64	7.54	6.77
29.	तमिलनाडु	4592.10	4751.39	4977.87
30.	त्रिपुरा	48.36	52.43	51.09

1	2	3	4	5
31.	उत्तर प्रदेश	3056.02	3461.86	4048.45
32.	पश्चिम बंगाल	1706.29	1883.11	2344.93
	कुल	35777.32	41210.82	49433.56

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उनके राष्ट्रीय स्तर की तुलना में किसानों को दिए गये ऋण की राशि का राज्य-वार प्रतिशत

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मार्च, 1998	मार्च, 1999	मार्च, 2000
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.01	0.01	0.01
2.	आंध्र प्रदेश	12.55	12.61	11.47
3.	अरूणाचल प्रदेश	0.03	0.03	0.03
4.	असम	0.83	0.80	0.64
5.	बिहार	3.01	2.97	2.59
6.	चंडीगढ़	0.80	0.71	0.85
7.	दादरा एवं नागर हवेली	0.00	0.00	0.00
8.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
9.	गोवा	0.18	0.16	0.13
10.	गुजरात	5.49	5.47	4.97
11.	हरियाणा	3.33	3.18	3.21
12.	हिमाचल प्रदेश	0.38	0.38	0.34
13.	जम्मू और कश्मीर	0.39	0.41	0.53
14.	कर्नाटक	9.53	10.58	8.83
15.	केरल	4.78	4.47	3.92
16.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.02
17.	मध्य प्रदेश	8.36	6.25	5.83
18.	महाराष्ट्र	11.16	12.52	17.44
19.	मणिपुर	0.06	0.05	0.06
20.	मेघालय	0.05	0.04	0.04
21	मिज़ोरम	0.01	0.01	0.01
22.	नागालैण्ड	0.06	0.05	0.05
23.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2.09	1.48	3.45
24.	उड़ीसा	1.90	1.77	1.58
25.	पांडिचेरी	0.14	0.12	0.11
26.	पंजाब	6.30	6.86	6.41
27.	राजस्थान	4.50	4.60	4.57
28.	सिक्किम	0.02	0.02	0.01
29.	तमिलनाडु	12.81	11.53	10.07
30.	त्रिपुरा	0.14	0.13	0.10
31.	उत्तर प्रदेश	8.54	8.40	8.19
32.	पश्चिम बंगाल	4.77	4.67	4.74
	कुल	100.00	100.00	100.00

आई०एफ०सी०आई० का बैंकों के साथ विलय

7771. डा० संजय पासवान :
श्री रामदास आठवले :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुप्रयोज्य आस्तियों में कमी लाने के लिए आई०एफ०सी०आई० का विलय भारतीय स्टेट बैंक/भारतीय जीवन बीमा निगम या कुछ अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आई०एफ०सी०आई० को वर्तमान संकट से उबारने के लिए सरकार का विचार अनुप्रयोज्य आस्तियों की वसूली हेतु निगम द्वारा जारी बॉन्डों पर सरकारी-गारंटी देने के प्रावधानों के साथ एक विशेष कानून बनाकर निगम को और अधिकार देने तथा उसे बाजार से धन की उगाही की सुविधा प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शहरी सहकारी बैंक

7772. **श्री जी०जे० जावीया :**
श्रीमती कैलाशो देवी :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आणन्द, हदियाड, गुजरात और देश के अन्य भागों में शहरी सहकारी बैंकों की बंदी के समाचार के कारण उत्पन्न अफरा-तफरी की स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत पखवाड़े के दौरान जमाकर्ताओं ने इन बैंकों से 60.00 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी की है;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक माधवपुरा बैंक के डूब जाने के बाद शहरी सरकारी और निजी बैंकों के कार्यकरण पर सतर्क नजर राख रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस प्रकार की स्थिति के लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। आनन्द/नडियाड, गुजरात और देश के अन्य भागों में कुछ शहरी सहकारी बैंकों को जमाकर्ताओं की मांगों को पूरा करने में अस्थायी रूप से नकदी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। चारोतर नागरिक सहकारी बैंक लि०, आनन्द (गुजरात) द्वारा सामना की गई नकदी की कमी के कारण इसके जमाकर्ताओं द्वारा आहरण के लिए भीड़ लग गई थी। गंभीर स्थिति की आशंका से और क्षति से बचने के लिए बैंक के प्रबंधकों ने अपनी सभी शाखाओं के परिचालनों को बन्द करने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप बैंक की शाखाएं 2 जनवरी से 6 जनवरी, 2002 की अवधि के दौरान बन्द कर दी गई थीं। तथापि, आनन्द में और उसके आस-पास अन्य शहरी सहकारी बैंकों पर इसका एक दूसरे को देखकर असर नहीं पड़ा। बैंक ने 7 जनवरी, 2002 को अपनी शाखाएं पुनः खोल दी और सूचना मिली है कि इसके ग्राहकों/जमाकर्ताओं ने प्रबंधकों को पूरा सहयोग दिया और उसके बाद अफरा-तफरी की किसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। इसी तरह दि नातपुर कोआपरेटिव बैंक लि०, अहमदाबाद की लेखा बहियों की छानबीन से पता चला कि बैंक को माधवपुरा मर्केन्टाइल कोआपरेटिव बैंक लि० में बड़ा निवेश करने के कारण गंभीर धक्का लगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने निदेश जारी करके और नई जमाओं को स्वीकार करने सहित बैंक के परिचालनों पर प्रतिबंध लगाकर कार्रवाई की। दि रूपी कोआपरेटिव बैंक लि०, पुणे और दि चारमीनार कोआपरेटिव बैंक लि०, हैदराबाद में इसी तरह की स्थिति पाई गई।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गुजरात में आनन्द एवं नडियाड से 10 मई, 2002 को समाप्त पखवाड़े के दौरान आहरित कुल राशि 16.48 करोड़ रुपए थी, तो असामान्य नहीं समझी जाती है।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने भविष्य में ऐसी असफलता से बचने के लिए विभिन्न विनियामक/पर्यवेक्षण संबंधी उपाय किए हैं। इनमें मांग मुद्रा बाजार में सहकारी बैंकों के परिचालनों पर प्रतिबंध लगाना, सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश के मानदण्डों में संशोधन करना, अन्य सहकारी बैंकों में जमाराशि के रूप में निधियों के निवेश पर प्रतिबंध लगाना, शहरी सहकारी बैंकों द्वारा बैंकर्स चैक जारी करने पर प्रतिबंध लगाना, अनुसूचित शहरी बैंकों पर स्थलेतर निगरानी की प्रणाली शुरू करना, आदि शामिल हैं। इसी तरह गैर सरकारी क्षेत्र के अलग-अलग पुराने/नए बैंकों के पूंजी बाजार निवेश पर बैंकों से प्राप्त आवधिक विवरणियों के जरिए और साथ ही वार्षिक वित्तीय निरीक्षणों के दौरान निगरानी रखी जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पूंजी बाजार में उनके बड़े निवेश के लिए नाराजगी पत्र भी जारी किया गया है।

(च) शहरी सहकारी बैंकों के निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ उपाय शुरू किए हैं, जैसे पिछले तीन वर्षों के दौरान 13 बैंकों के बोर्डों को हटाने की मांग, आपराधिक शिकायतें दायर करना, कुप्रबंधन के लिए रूपी कोआपरेटिव बैंक के निदेशक बोर्ड के विरूद्ध जांच शुरू करने के लिए आर०सी०एस०, महाराष्ट्र से अनुरोध करना, श्री लक्ष्मी कोआपरेटिव बैंक, अहमदाबाद के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष और निदेशकों के विरूद्ध गुजरात के उच्च न्यायालय में आपराधिक मामला दायर करना और जेनरल कोआपरेटिव बैंक लि०, अहमदाबाद के अध्यक्ष के विरूद्ध कार्रबाई करना, आदि।

[हिन्दी]

पंचायती राज को अनुदान

7773. **श्री माणिकराव होडल्या गावित :**
श्री पी०एस० गढ़वी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्यारहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के लिए विभिन्न राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र और गुजरात के, पंचायती राज संस्थानों के लिए अनुदान की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी धनराशि की स्वीकृति दी गई और क्या ये स्वीकृत अनुदान राज्यों को निर्गत किए जा चुके हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन्हें कब तक निर्गत किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) वर्ष 2000-05 के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत स्थानीय निकाय अनुदानों के उपयोग के संबंध में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऐसे अनुदान उन्हीं राज्यों को जारी किए जाएंगे जिन्होंने स्थानीय निकायों के संबंध में बकाया चुनाव प्रक्रिया को पूरा कर लिया हो। आगे, स्थानीय निकाय चुनाव सम्पन्न कराने में विलम्ब होने के मामले में अनुपातिक रूप से निधि में कटौती कर ली जाएगी। तदनुसार, जिन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में बकाया चुनाव प्रक्रिया को पूरा कर लिया है उन्हें पंचायती राज संस्थाओं (पी०आर०आईज) हेतु अनुदान जारी कर दिया गया है।

विवरण

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के लिए अनुदानों का आबंटन तथा निर्गमन

(लाख रुपए में)

क्रम सं०	राज्य	वर्ष 2000-01 के लिए		वर्ष 2001-02 के लिए	
		आबंटित	जारी	आबंटित	जारी
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	15204.83	0	15204.83	15204.83
2.	अरूणाचल प्रदेश	556.85	278.42	556.85	0
3.	असम	4668.95	0	4668.95	4668.95
4.	बिहार	10875	0	10875	10875
5.	छत्तीसगढ	4200.39	4200.39	4200.39	4200.4
6.	गोवा	185.45	185.45	185.45	185.46
7.	गुजरात	6960.87	0	6960.87	6960.87
8.	हरियाणा	2941.75	2941.75	2941.75	2941.76
9.	हिमाचल प्रदेश	1313.38	1313.38	1313.38	1313.38
10.	जम्मू और कश्मीर	1488.14	1488.14	1488.14	0
11.	झारखण्ड	4825.76	0	4825.76	0
12.	कर्नाटक	7882.35	7882.35	7885.35	7882.36
13.	केरल	6592.58	6592.58	6592.58	6592.58
14.	मध्य प्रदेश	10109	10109	10109	10109
15.	महाराष्ट्र	13134.58	13134.58	13134.58	13134.58
16.	मणिपुर	375.43	375.43	375.43	375.44
17.	मेघालय	512.16	512.16	512.16	512.16
18.	मिज़ोरम	157.11	157.11	157.11	157.12
19.	नागालैण्ड	257.33	257.33	257.33	257.34
20.	उड़ीसा	6911.76	6911.76	6911.76	6911.76
21.	पंजाब	3092.71	0	3092.71	0
22.	राजस्थान	9818.96	9818.96	9818.96	9818.96
23.	सिक्किम	105.85	105.85	105.85	105.86
24.	तमिलनाडु	9322.36	9322.36	9322.36	9322.36
25.	त्रिपुरा	569.19	569.19	569.19	569.19
26.	उत्तर प्रदेश	23342.67	23342.67	23342.67	23342.68
27.	उत्तरांचल	3040	3040	3040	3040
28.	पश्चिम बंगाल	11554.59	11554.59	11554.59	11554.6
	कुल जोड़	160000	114093.45	160000	150036.64

[अनुवाद]

वाणिज्यिक फसल नीति

7774. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक वाणिज्यिक फसल नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ग) नीति का मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इस प्रयोजनार्थ, किसानों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के तहत वाणिज्यिक फसलों सहित अन्य फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। कृषि एक निजी उद्यम है और किसानों द्वारा कृषि-जलवायु की स्थितियों तथा आर्थिक प्रतिफल के आधार पर भिन्न-भिन्न फसलें उगाई जाती हैं।

फर्मों द्वारा सीमाशुल्क का अपवंचन

7775. **श्री सुरेश रामराव जाधव :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न निर्यात संवर्द्धन योजनाओं के अंतर्गत चलने वाली फार्मों द्वारा वर्ष 1999 से किए गए सीमाशुल्क अपवंचन का वर्षवार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चूक करने वाले फर्म/चूककर्ता के विरूद्ध सीमाशुल्क अपवंचन के आरोप में अभियोग चलाया गया अथवा दंडित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय माल की गुणवत्ता

7776. **श्री जे०एस० बराड़ :**
श्री अशोक ना० मोहोल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में निर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता आमतौर पर विदेशी वस्तुओं की तुलना में घटिया मानी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्पादों की गुणवत्ता घटिया होने के कारण भारत का निर्यात दर बुरी तरह प्रभावित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय उत्पादकों के उत्पादों की गुणवत्ता अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की बनाने हेतु इन उत्पादकों की सहायता के लिए राष्ट्रीय स्तर की कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (घ) यह नहीं कहा जा सकता कि भारत में विनिर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता आमतौर पर घटिया होती है क्योंकि गुणवत्ता उत्पाद दर उत्पाद और विनिर्माता पर विनिर्माता भिन्न-भिन्न होगी। इसी प्रकार निर्यात भी उत्पाद गुणवत्ता, उत्पाद कीमत निर्धारण, अंतर्राष्ट्रीय शर्तों इत्यादि जैसे अनेक कारकों पर निर्भर होते हैं। वस्तुत: भारत के निर्यात 1990-91 में हुए 17998.00 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2000-2002 में 43998.53 मिलियन अरमीकी डालर के हो गए हैं जिनमें 144 प्रतिशत अर्थात लगभग 2.5 गुने की वृद्धि हुई है।

केन्द्र सरकार का उद्देश्य विनिर्माता एवं निर्यातकों को प्रोत्साहित करना है ताकि वे अपने उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत गुणवत्ता मानक हासिल कर सके। तद्नुसार, जो निर्यातक आई०एस०ओ० 9000 (श्रृंखला) दर्जा हासिल करते हैं उन्हें 15 करोड़ रुपये की सामान्य आरम्भिक सीमा की तुलना में पूर्ववर्ती तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान 5 करोड़ रुपये का औसत एफ०ओ०बी० मूल्य प्राप्त करने पर निर्यात घराने का दर्जा प्रदान किया जाता है।

निक्षेपागार प्रतिभागिता प्रभार

7777. **श्री नरेश पुगलिया :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि छोटे निवेशकों को अपने शेयरों की संख्या का ध्यान किए बिना अपने शेयरों को निक्षेपागार प्रतिभागिता चलाने वालों के पास जमा करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या निक्षेपागार प्रतिभागिता चलाने वाली प्रत्येक कंपनी शेयरों को जमा कराने के लिए अपने सदस्यों का खाता खोलती है और वे फिर उन पर वार्षिक रख-रखाव प्रभार लगाते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने यह प्रभार निर्धारित कर रखा है या निक्षेपागार प्रतिभागिता चलाने वाले अपनी इच्छा से प्रभार लगाते हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या इससे छोटे निवेशकों में भारी असंतोष है क्योंकि उन्हें निक्षेपागार प्रतिभागिता में बिना किसी फायदे के शेयरों को जमा कराना पड़ता है; और

(च) यदि हां, तो सरकार का विचार निक्षेपागार प्रतिभागिता में शेयरों को जमा कराने के इस अनावश्यक बोझ से छोटे निवेशकों को किस तरह छुटकारा दिलाने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने यह सूचित किया है कि निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत शेयरों को भौतिक अथवा डीमैट रूप में रखने का अधिकार निवेशकों में विहित है। इसके अतिरिक्त, स्टॉक एक्सचेंजों को लघु निवेशकों के लिए भौतिक रूप से धारित 500 से अनधिक शेयरों (जो अनिवार्य डीमैट सूची में हैं) को उनका मूल्य ध्यान में रखे बगैर बेचने की एकबारगी सुविधा के रूप में एक अतिरिक्त कारोबार मार्ग प्रदान करना चाहिए। साथ ही, निवेशक, अगर उनकी ऐसी इच्छा है, पहले ही डीमैट किए गए शेयरों को पुन: भौतिक रूप में रूपांतरित करवा सकते हैं।

(ख) और (ग) निक्षेपागार भागीदार निवेशकों के साथ किए गए समझौते के अनुसार प्रदान की गई विभिन्न सेवाओं के लिए निवेशकों से कतिपय सेवा प्रभार यथा वार्षिक खाता रखरखाव प्रभार, प्रति आई०एस०आई०एन० अभिरक्षा प्रभार (प्रति कंपनी) तथा लेनदेन प्रभाव वसूल करते हैं। ये प्रभार एवं शुल्क निक्षेपागार द्वारा निक्षेपागार भागीदारों पर लगाए गए प्रभारों पर आधारित होते हैं।

(घ) निक्षेपागारों द्वारा शुल्कों तथा प्रभारों का निर्धारण एवं इसकी वसूली का तरीका उनका वाणिज्यिक निर्णय है जो कि उनके द्वारा उपगत लेनेदेन लागतों पर आधारित होता है।

(ङ) और (च) सेबी के अनुसार राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एन०एस०डी०एल०) तथा केंद्रीय निक्षेपागार सेवाएं (भारत) लिमिटेड (सी०एस०डी०एल०) ने अपने प्रशुल्क ढांचे में संशोधन कर उन्हें समान शुल्क आधार कर दिया था। प्रभारों में किए गए संशोधन के विरूद्ध कुछ व्यष्टि निवेशकों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर सेबी ने निक्षेपागारों को निर्णय पर पुनर्विचार करने की सलाह दी। इसके पश्चात एन०एस०डी०एल० ने 1 मई, 2002 से शुल्क ढांचे में अधोमुखी संशोधन किया। केंद्रीय निक्षेपागार सेवाएं (भारत) लिमिटेड का प्रशुल्क ढांचा राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड से तुलनीय है।

[हिन्दी]

एशियाई विकास बैंक से ऋण

7778. श्री राजो सिंह :
श्री टी० गोविन्दन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष एशियाई विकास बैंक से कितना ऋण लिया गया और यह ऋण किस प्रयोजनार्थ लिया गया था;

(ख) एशियाई विकास बैंक से लिए गए ऋण से चलाई जा रही परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और उन परियोजनाओं को पूरा किए जाने का निर्धारित समय क्या है;

(ग) क्या एशियाई विकास बैंक ने अपनी वार्षिक सहायता की सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आर्थिक सुधार के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों और वित्तीय एजेंसियों द्वारा सुझाए गए निबंधन और शर्तें क्या हैं और उनके निर्देशानुसार सरकार द्वारा क्या सुधार किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। एशियाई विकास बैंक के "कन्ट्री कन्फमेंशन मिशन' ने कलैण्डर वर्ष 2002 के संबंध में भारत के लिए 1125 से 1225 मिलियन अमरीकी डालर की संभावित ऋण सहायता का संकेत दिया है।

(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों और वित्तीय अभिकरणों ने ऐसे कोई अनुदेश नहीं दिए हैं।

विवरण

पिछले पांच कलैण्डर वर्षों के दौरान ए०डी०बी० द्वारा अनुमोदित ऋण

क्र० सं०	परियोजना का नाम	अनुमोदन की तारीख	एडीबी द्वारा मूल्त: अनुमोदित ऋण राशि (मि० अमरीकी डालर)	रद्द करने के बाद निवल ऋण राशि (मि० अमरीकी डालर)	ऋण की समापन तारीख	31.3.02 तक उपयोग (मि० अमरीकी डालर)
1	2	3	4	5	6	7
1997						
1.	1549-आवास वित्त-एनएचबी	25.9.1997	100.00	100.00	30.6.2003	100.00
2.	1550-आवास वित्त-हुडको	25.9.1997	100.00	100.00	30.6.2003	100.00
3.	1551-आवास वित्त एचडीएफसी	25.9.1997	100.00	100.00	30.6.2003	100.00
4.	1556-मुम्बई पत्तन परियोजना	29.9.1997	97.80	43.40 (ऋण वापस लिया गया)	—	43.40
5.	1557-चैन्नई पत्तन परियोजना	29.9.1997	15.20	8.50	30.3.2003	4.351
6.	1591-एलपीजी पाइपलाइन परियोजना	16.12.1997	150.00	98.20	30.11.2001	98.20
	कलैण्डर वर्ष 1997 का जोड़		563.00	450.10		

1	2	3	4	5	6	7
1998						
1.	1647-राजस्थान शहरी आधारभूत ढांचा विकास परियोजना	3.12.1998	250.00	250.00	30.6.2005	1.28
	कलैण्डर वर्ष 1998 का जोड़		250.00	250.00		
1999						
1.	1704-कर्नाटक शहरी विकास और तटीय पर्यावरण प्रबंध परियोजना	26.10.1999	175.00	175.00	30.6.2005	1.393
2.	1717-मध्य प्रदेश जनसंसाधन प्रबंध कार्यक्रम	14.12.1999	250.00	250.00	30.9.2002	175.00
3.	1719-शहरी और पर्यावरणीय सुधार परियोजना-हुडको	17.12.1999	90.00	0.00 (ऋण वापस लिया गया)	—	0.00
4.	1720-यूईआईएफ-आईसीआईसीआई	17.12.1999	80.00	80.00	30.9.2006	0.727
5.	1721-यूईआईएफ-आईडीएफसी	17.12.1999	30.00	30.00	30.9.2006	0.00
	कलैण्डर वर्ष 1999 का जोड़		625.00	535.00		
2000						
1.	1747-सूरत मेनोर टोलवे परियोजना	20.7.2000	180.00	180.00	30.9.2004	20.36
2.	1758-आवास वित्त II-हुडको	21.9.2000	100.00	0.00 (ऋण वापस लिया गया)	—	0.00
3.	1759-आवास वित्त II-एनएचबी	21.9.2000	40.00	4.00	30.6.2007	0.00
4.	1760-आवास वित्त II-एनडीएफसी	21.9.2000	80.00	0.00 (ऋण वापस लिया गया)	—	0.00
5.	1761-आवास वित्त II-आईसीआईसीआई	21.9.2000	80.00	80.00	30.6.2007	0.00
6.	1764-विद्युत पारेषण सुधार परियोजना	6.10.2000	250.00	250.00	31.3.2006	22.55
7.	1803-गुजरात विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम	13.12.2000	150.00	150.00	31.12.2002	51.50
8.	1804-गुजरात विद्युत क्षेत्र विकास परियोजना	13.12.2000	200.00	200.00	30.6.2005	2.313
9.	1813-कोलकाता पर्यावरणीय सुधार परियोजना	19.12.2000	250.00	250.00	31.12.2007	0.00
	कलैण्डर वर्ष 2000 का जोड़		1330.00	1150.00		
2001						
1.	1826-गुजरात भूकम्प पुनर्वास और पुनर्निर्माण	26.3.2001	500.00	350.00	30.6.2004	80.00
2.	1839-पश्चिमी परिवहन गलियारा परियोजना	20.9.2001	240.00	240.00	30.6.2007	0.00

1	2	3	4	5	6	7
3.	1868-मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम	6.12.2001	150.00	150.00	31.12.2003	65.00
4.	1869-मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम	6.12.2001	200.00	200.00	31.12.2006	0.00
5.	1870-पश्चिम बंगाल गलियारा विकास परियोजना	11.12.2001	210.00	210.00	30.6.2007	0.00
6.	1871-राज्य स्तर पर निजी क्षेत्र अवसंरचनात्मक सुविधा-आईएल एण्ड एफएस	11.12.2001	100.00	100.00	31.12.2006	0.00
7.	1872-पीएसआईएफआईआई-आईडीबीआई	11.12.2001	100.00	100.00	31.12.2006	0.00
	कलैण्डर वर्ष 2001 का जोड़		1500.00	1350.00		

सहकारी बैंक

7779. **डा० अशोक पटेल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सहकारी बैंकों में हो रही निरंतर धांधलियों के कारण इन बैंकों के बैंककारी संचालनों को पूरी तरह भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) वर्तमान में, राज्य सहकारी अधिनियमों के अंतर्गत सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक तथा संबंधित राज्य सरकारों (या बहुराज्यीय शहरी सहकारी बैंकों के मामले में केन्द्र सरकार) के दोहरे नियंत्रण में है। यह इन बैंकों के विनियमन तथा पर्यवेक्षण में निरंतर क्षोम और अस्पष्टता का कारण हैं। विभिन्न राज्य सरकारों के परामर्श से विभिन्न समितियों द्वारा इस मामले की व्यापक जांच की गई और यह महसूस किया गया है, नियंत्रण के इस दोहरेपन को हटाने के लिए बैंकिंग कार्य को पूरी तरह से भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में लाया जाना चाहिए। राज्य सरकारों से परामर्श करके इस संबंध में सहमति बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

एफ०सी०आई० के गोदामों पर छापा

7780. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में गत तीन वर्षों के दौरान हुई अनियमितताओं का पता लगाने के लिए गोदामों पर छापे मरवाए थे;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कौन-कौन से खाद्यान्न जब्त किए गए और तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा सरकार को इस अनियमितताओं से कितना नुकसान हुआ है;

(ग) दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) भारतीय खाद्य निगम में हो रही इस तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, नहीं। तथापि, भारतीय खाद्य निगम के खाद्य भण्डारण डिपुओं का गुण नियंत्रण सैलों के अधिकारियों द्वारा खाद्यान्नों की गुणवत्ता की नियमित आधार पर जांच करने के लिए अचानक निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को चूककर्ता अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु भारतीय खाद्य निगम को भेजा जाता है।

(ख) से (घ) भाग (क) कि उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अग्रिम लाइसेंसों के आधार पर आयात

7781. **डा० चरणदास महंत : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशिष्ट देश/देशों के उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद भी हमारे पाटनरोधी कानून के अनुसार संबद्ध देशों के उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क लगाये बिना ही वहां से अग्रिम लाइसेंस के आधार पर उक्त उत्पादों के आयात की अनुमति है;

(ख) क्या अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत निर्यात बाध्यताओं को 18 महीने के भीतर पूरा करना होता है और इस अवधि को 6 से 12 महीने तक बढ़ाया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं जिससे कि आयातित उत्पाद का उपयोग केवल निर्यात संबंधी उत्पादन के लिए किया जा सके; और

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशों में जैसे अमेरिका और यूरोपीय संघ में कोई वस्तु जब पाटनरोधी शुल्क के दायरे में आ जाती है तब उस वस्तु का बिना पाटनरोधी शुल्क दिए उसी सूरत में आयात किया जा सकता है जब उसका आयात निर्दिष्ट विदेशी व्यापार जोन में किया जाए जहां उसका इस्तेमाल तैयार माल बनाने और देश के बाहर निर्यात करने में ही किया जा सके ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (घ) शुल्क मुक्त आयात सुविधा, जिसके तहत मूल सीमा शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त शुल्क, पाटन-रोधी शुल्क तथा रक्षोपाय शुल्क से छूट की अनुमति दी जाती है, से प्रचालित अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया के अनुसार निर्यातों की शून्य दर सुनिश्चित होती है। अग्रिम लाइसेंस के तहत, आयात वास्तविक उपयोक्ता शर्त किए जाते हैं और इसलिए इस योजना में निविष्टियों के हस्तांतरण, बिक्री अथवा उनके निपटान की अनुमति आयातक एकक द्वारा निर्यात हेतु उनके उपयोग को छोड़कर अन्य किसी ढंग से किए जाने की अनुमति नहीं है। निर्यात दायित्व को पूरा करने की अनुमत्य अवधि 18 माह की है जिसे 1 प्रतिशत के संघटन शुल्क के भुगतान पर छ: माह तक बढ़ाया जा सकता है और तत्पश्चात् 5 प्रतिशत के संघटन शुल्क के भुगतान पर आगे और छ: माह की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। अमरीका तथा यूरोपीय संघ के समान भारत में भी निर्यात संसाधन जोनों, विशेष आर्थिक जोनों जैसे निर्दिष्ट विदेश व्यापार जोनों के तहत किए गए आयात तथा निर्यातोन्मुख एककों द्वारा किए गए आयात भी निर्यात के प्रयोजनार्थ ऐसी निविष्टियों को तैयार उत्पादों में बदलने के लिए पाटनरोधी शुल्क के भुगतान के बिना होते हैं। पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य घरेलू बाजार में वस्तुओं की पाटन को रोकना है। अत: परिवर्तन एवं निर्यात के प्रयोजनार्थ किए जा रहे सभी आयातों पर सभी देशों में इस प्रकार के किसी शुल्क से छूट प्राप्त है।

कृषि आय पर आय कर

7782. **श्री पी०एस० गढ़वी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि आय पर कोई आयकर अदा नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर-अपवंचन के लिए बड़े पैमाने पर कदाचार कृषि आय की आड़ में ही किए जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां। कृषि आय पर आयकर का भुगतान नहीं किया जाता। तथापि, दर प्रयोजन के लिए इस प्रकार की आय को कुल आय में जोड़ा जाता है।

(ख) कर अपवंचन के उद्देश्य से मिथ्या कृषि आय के दावे के कुछ मामले आयकर विभाग के ध्यान में आए हैं।

(ग) इस प्रकार की मिथ्या कृषि आय को कर के दायरे में लाए जाने के लिए आयकर कानूनों के उपबंधों के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

पेंशन बहाली

7783. **श्रीमती रेणूका चौधरी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के परिवर्तित पेंशन की वसूली के 12 या 13 वर्षों के बाद उन्हें पूरी पेंशन फिर से बहाल करने की सिफ़ारिश की थी; और

(ख) यदि हां, तो आयोग की सिफारिशों को स्वीकार न किए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां। पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने पेंशन के सारांशीकृत भाग की बहाली वर्तमान 15 वर्षों के बजाय 12 वर्षों के पश्चात् किए जाने की सिफारिश की थी।

(ख) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की विभिन्न सिफारिशों के वित्तीय निहितार्थों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 12 वर्षों के पश्चात् पेंशन के सारांशीकृत भाग की बहाली के सम्बन्ध में की गयी सिफ़ारिश को स्वीकृत न करने का निर्णय लिया है।

मोबाइल फोनों की तस्करी

7784. **डा० एन० वेंकटस्वामी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में देश में मोबाइल फोनों की तस्करी होती है;

(ख) यदि हां, तो उन विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है जहां से तस्करी किये गये मोबाइल फोन पकड़े गए;

(ग) क्या हाल ही में बड़ी संख्या में ऐसे मामले कामराज विमानपत्तन, चेन्नई और आई०जी०आई० विमानपत्तन पर देखने में आये;

(घ) यदि हां, तो जब्ती का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार मोबाइल फोनों की तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) देश में बड़े पैमाने पर मोबाइल फोनों की तस्करी की रिपोर्ट नहीं मिली है। वर्ष 2001-2002 के दौरान कामराज विमानपत्तन, चेन्नई और इंदिरागांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, नई दिल्ली में मोबाइल फोनों के अभिग्रहण मामलों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

विमान पत्तन का नाम	बुक किए गए मामलों की सं०	अभिगृहीत मोबाइल फोनों की संख्या	अभिग्रहण ऋण (लाख रुपयों में)
कामराज विमानपत्तन, चेन्नई	403	19279	951.80
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन, नई दिल्ली	9	297	38.38

(ङ) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय मोबाइल फोनों सहित निषिद्ध माल की तस्करी का पता लगाने तथा उसे रोकने के लिए चौकस और सतर्क हैं।

रुपए का मूल्य

7785. **श्री पवन कुमार बंसल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ समय से अन्य मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपए के मूल्य में लगातार गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत वर्ष दिनांक 31 दिसम्बर की स्थिति के अनुसार और गत दो वर्षों के दौरान अन्य बड़ी मुद्राओं की तुलना में रुपए का विनिमय मूल्य कितना रहा;

(ग) क्या यह मूल्य सरकार की आशाओं के अनुरूप रहा है; और

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के मूल्य को प्रभावित करने में वस्तुतः क्या भूमिका निभायी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) रुपए की विनिमय दर अधिकांशत बाजार द्वारा निर्धारित होती है। इस प्रणाली के अधीन, मुख्य विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपए की विनिमय दर दिन प्रति दिन के आधार पर घटती और बढ़ती रहती है। हालांकि दिसम्बर अंत 1999 और दिसम्बर अंत, 201 के बीच अमरीकी डालर के मुकाबले में रुपए के मूल्य में 9.7 प्रतिशत, की गिरावट आई लेकिन इसी अवधि के दौरान जापानी येन के मुकाबले इसमें 15.8 प्रतिशत, यूरो के मुकाबले 2.8 प्रतिशत और पाउंड स्टर्लिंग के मुकाबले 0.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 29 दिसम्बर, 2000 और 31 दिसम्बर, 1999 की तुलना में 31 दिसम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार विश्व की चार मुख्य मुद्राओं के मुकाबले रुपए को विनिमय दरें नीचे दर्शाई गई हैं :—

तारीख	रुपए प्रति अमरीकी डालर	रुपए प्रति 100 येन	रुपए प्रति यूरो	रुपए प्रति पाऊण्ड स्टर्लिंग
31 दिसम्बर, 2001	48.18	36.69	42.64	69.89
29 दिसम्बर, 2000	46.75	40.74	43.41	69.75
31 दिसम्बर, 1999	43.51	42.48	43.84	70.28

हमारी नीति का उद्देश्य रुपए में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करना है जिसके लिए विनिमय दर का कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं है। अनेक अप्रत्याशित बाह्य एवं घरेलू घटनाक्रमों के बावजूद भारत की बाह्य स्थिति काफी संतोषजनक बनी हुई है। रिजर्व बैंक देश एवं विदेश के वित्तीय बाजारों की गतिविधियों का ध्यानपूर्वक अनुवीक्षण करता है और समय-समय पर जैसा भी आवश्यक समझाता है, मौद्रिक और अन्य उपाय करता है।

दोहा सम्मेलन के निष्कर्ष

7786. **श्री एम० चिन्नासामी :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू०टी०ओ०) के दोहा में मंत्री स्तर के सम्मेलन में विशेषकर पाटनरोधी विनियमों के संदर्भ में क्या निष्कर्ष निकला;

(ख) क्या दोहा सम्मेलन में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू०टी० ओ०) के समझौते में इसे परिभाषित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू०टी०ओ०) के बृहत्तर ढांचे में सार्वजनिक हित का ध्यान रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (घ) दोहा में आयोजित डब्ल्यू०टी०ओ० के चौथे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी वार्ताएं करने पर सहमति हुई थी, जिनका उद्देश्य करार की अवधारणा, सिद्धांत तथा प्रभावशीलता एवं उनकी प्रासंगिकता तथा उद्देश्य को सुरक्षित रखते हुए पाटनरोधी करार के अंतर्गत नियमों को स्पष्ट करना उनमें सुधार करना है। वार्ताओं में विकासशील तथा अल्प विकसित भागीदारों की जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाना है।

कम कर वसूलने संबंधी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

7787. **श्री शीशराम सिंह रवि :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्धारण वर्ष 1994-95 से 1997-98 के कर निर्धारण की जांच पूरी कर ली गई है और निर्धारण वर्ष 1998-99 की सरसरी जांच के दौरान 186.09 करोड़ रुपये का कम कर लगाने का मामला प्रकाश में आया है जिसका उल्लेख नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने 2002 (प्रत्यक्ष कर) की अपनी रिपोर्ट संख्या 12ए के पैरा 4.6.1 से 4.6.7 में किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच करायी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिंगी एन० रामचन्द्रन) : (क) 15 मार्च, 2002 को संसद में प्रस्तुत की गई अपनी 2002 की रिपोर्ट सं० 12क (मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए) में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने मै० ए०सी०सी० लि० मै० इंडिया सीमेंण्ट्स लि०, मै० मद्रास सीमेण्ट्स लि०, मैं गुजरात अम्बूजा सीमेण्ट्स, मै० चेटीनाड सीमेण्ट्स कारपोरेशन लि० तथा मै० मंगलम सीमेण्ट्स लि० जैसी कुछ प्रमुख सीमेण्ट कम्पनियों द्वारा कर निर्धारण में कतिपय गलतियां करने का उल्लेख किया है जिनके ब्यौरे उक्त रिपोर्ट के पैराग्राफ 4.6.1 से 4.6.7 तक में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की उक्त रिपोर्ट की केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में भी जांच की जा रही है जिससे उपर्युक्त लेखा परीक्ष टिप्पणियों की सच्चाई अथवा अन्यथा इनका निर्धारण किया जा सके। जहां कहीं भी आपत्तियों को स्वीकार्य पाया जाता है, क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा उपचारी कार्रवाई की जाती है। जिन मामलों में आपत्तियों को स्वीकार भी नहीं किया जाता है, उन मामलों में भी एहतियाती उपाय के तौर पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की हिदायतों के अनुसार उपचारी कार्रवाई की जाती है।

टेक्स-स्टाइल्स इंडिया — 2002

7788. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित 'टेक्स-स्टाइल्स इंडिया, 2002' कितना सफल रहा;

(ख) विदेशी बाजार में भारतीय वस्त्रों की क्या संभावनाएं हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) 10 से 13 फरवरी, 2002 को प्रगति मैदान में टेक्स-स्टाइल्स इण्डिया का आयोजन सफल रहा। इस मेले में 293 कंपनियों ने भाग लिया जिनमें से 71% कंपनियों की यह दूसरी बार भागीदारी थी। पिछले वर्ष के 8,500 संख्या की तुलना में मेले में, 9,500 से भी अधिक व्यावसायिक आगन्तुकों ने भाग लिया। पिछले वर्ष के 2,077 की तुलना में मेले में विदेशी आगुन्तकों की संख्या 2,250 थी। भारत में स्थित विदेशी प्रतिनिधि कंपनियों के 600 से अधिक क्रेता एजेंटों ने मेले का दौरा किया। पिछले वर्ष की 500 की संख्या की तुलना में इसमें 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष 63 देशों की तुलना में इस वर्ष करीब 75 देशों से विदेशी क्रेता आये।

प्राप्त सूचना के अनुसार, इस वर्ष सहभागियों द्वारा मेले में 155 करोड़ रुपये मूल्य का कारोबार किया गया जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष यह कारोबार 145 करोड़ मूल्य का हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, रूस, आस्ट्रेलिया और लैटिन अमरीकी जैसे कुछ प्रमुख बाजारों से क्रेताओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

(ख) विश्व में प्रमुख बाजारों में भारतीय वस्त्रों के निर्यात की संभावनाएं उत्सावर्द्धक रही हैं। भारत के कुल वस्त्रों के निर्यात, वर्ष 1991-92 में 5069.7 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष 2000-2001 में 12,097 मूल्य के हुए जो इस अवधि के दौरान 10.15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाते हैं। वस्त्रों के निर्यात में अधिकांश प्रमुख बाजारों में वृद्धि हुई है। जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यू०के०, यू०ए०ई०, फ्रांस, इटली, जापान, बैल्जियम, नीदरलैंड, कनाडा, स्पेन, हांगकांग और रूस शामिल हैं। तथापि, 2001 के प्रारंभ से ही वस्त्र निर्यात में गिरावट आने की प्रवृति दृष्टिगत हुई है जिसका मुख्य कारण संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे हमारे कुछ प्रमुख व्यापारी सहयोगी देशों के अर्थव्यवस्था में सामान्य मंदी आना, चीन, बांग्लादेश जैसे देशों से प्रतिस्पर्द्धा का बढ़ना है।

(ग) सरकार सिले-सिलाये वस्त्रों सहित वस्त्र निर्यात को सुदृढ़ बनाने और बढ़ाने के लिए समय-समय पर अनेक कदम उठाती रही हैं। इनमें से कुछेक महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं :-

(1) सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र से सिलेसिलाये परिधानों के बुनाई क्षेत्र को अनारक्षित कर दिया है। बजट 2002-03 में निटिंग क्षेत्र को अनारक्षित करने की भी घोषणा की है।

(2) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी०यू०एफ०एस०) प्रचालित की गयी है ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में यह क्षेत्र अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके।

(3) टी०यू०एफ०एस० के अंतर्गत शामिल बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान मशीनों को 50 प्रतिशत की दर पर बढ़े हुए मूल्यह्रास की सुविधा प्रदान की गयी है।

(4) पिछड़े समूहों के एकीकरण की दृष्टि से शटल रहित करघों पर सीमा शुल्क को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। वर्ष 2004 तक विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में 50,000 शटलरहित करघों को शामिल करने और 2.5 लाख विद्युतकरघों को आधुनिक बनाने के एक कार्यक्रम की भी घोषणा की गई है।

(5) वस्त्र क्षेत्र में विशिष्ट रिआयतों के साथ स्वचालित मार्ग के माध्यम से शत-प्रतिशत विदेशी इक्विटी सहभागिता की अनुमति प्रदान करना।

(6) वर्ष 2002-2003 के बजट में वित्तीय नीति परक उपायों से मशीनों की लागत में कटौती करना।

(7) निचले स्तर तक प्रतिस्पर्द्धी वस्त्र उत्पादों का विनिर्माण और निर्यात हेतु कपास के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए संकेन्द्रित कदम उठाने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया है।

(8) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), इसकी 6 शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण व डिजाइन केन्द्र (ए०टी०डी०सी०), डिजाइन, व्यापारीकरण व विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग की कुशल मानव शक्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चला रहे हैं।

(9) रिआयती सीमा शुल्क की दर पर अनेक परिधान मशीनों के आयात की अनुमति दी गई है।

(10) पारि-परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से सुविधाएं प्रदान करते हुए आयातक देशों की पारिस्थितिकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्त्र व परिधान उद्योग को तैयार करना तथा सुग्राही बनाना।

(11) सुसंगत तरीके से वस्त्र उद्योग के सुव्यवस्थित व निरंतर विकास तथा वृद्धि को नीतिगत दिशा प्रदान करने तथा वस्त्र निर्यात को थ्रस्ट देने के लिए राष्ट्रीय वस्त्र नीति-2000 की घोषणा की गई है।

पंजाब में अनुसूचित जातियों का कल्याण

7789. श्री भान सिंह भौरा : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौंवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं में पंजाब में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ख) क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस उद्देश्य के लिए धनराशि के आवंटन को बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वित्त वर्ष में कितनी धनराशि आवंटित की गयी और इसमें से अब तक कितनी धनराशि जारी की गयी है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ० सत्यनारायण जटिया) : (क) नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान पंजाब में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 16.17 करोड़ रु० निर्मुक्त किए गए हैं।

(ख) से (घ) दसवीं योजना में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए निधियों की निर्मुक्ति नौवीं योजना अवधि की तुलना में अधिक होने की संभावना है। इन योजनाओं के तहत राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है किन्तु राज्यों द्वारा निधियों तक पहुंच प्रस्तावों के प्राप्त होने तथा पहले निर्मुक्त निधियों के उचित उपयोग पर निर्भर करता है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 14.51 लाख रु० निर्मुक्त कर दिए गए हैं।

भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार

7790. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच रेल सेवा बंद करने से दोनों देशों के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों देशों के बीच व्यापार प्रभावित न हो इसके लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) 13 सितम्बर को संसद पर हुए हमले की घटना के परिणामस्वरूप, भारत सरकार के अन्य बातों के साथ-साथ दिनांक 1 अप्रैल, 2002 से समझौता एक्सप्रेस की सेवाओं तथा दिल्ली से लाहौर के बीच बस सेवा को समाप्त करने के अपने निर्णय की घोषणा की थी। यद्यपि, सरकार के निर्णय से भाड़ा रेलगाड़ियों का आवागमन प्रभावित नहीं हुआ था, तथापि पाकिस्तान 1 जनवरी, 2002 से भारत तथा पाकिस्तान के बीच भाड़ा रेलगाड़ियों की अदला-बदली को स्वीकार करने से इंकार कर रहा है। हालांकि प्रभाव का निधारण करना समय पूर्व होगा, तथापि भारत तथा पाकिस्तान के बीच भाड़ा रेलगाडियों को रोक दिए जाने से द्विपक्षीय व्यापार के प्रवाह के प्रभावित होने की संभावना है।

(ग) भारत सरकार ने पाकिस्तान को परम मित्र राष्ट्र का दर्जा देना जारी रखा है। इसके अलावा, व्यापार सुविधा के उपायों पर साप्टा वार्ताओं के चौथे दौर में विचार-विमर्श किया जा रहा है। भारत तथा पकिस्तान ने दोनों देशों के व्यापारी समुदायों को अपनी-अपनी निर्यात क्षमता का प्रदर्शन करने हेतु व्यापार मेलों में भाग लिया। हाल ही में, भारत ने कराची में 1-6 सितम्बर, 2001 के दौरान आयोजित तृतीय सार्क व्यापार मेले में भाग लिया।

विनायक लोकल एरिया बैंक

7791. श्री राममूर्ती सिंह वर्मा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) द्वारा बंद किये गये विनायक लोकल एरिया बैंक, सीकर (राजस्थान) ने जमाकर्ताओं की राशि को लौटा दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) ने सूचित किया है कि विनायक लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, सीकर, जिसका लाइसेंस 16.1.2002 को रद्द किया गया था, जमाकर्त्ताओं का धन चुका रहा है। बैंक की जमाराशियों आदि देयता के सम्तुल्य एक राशि भारतीय स्टेट बैंक, सीकर शाखा में एक विशेष निलंब लेखे में रखी हुई है और विनायक लोकल एरिया बैंक लिमिटेड को निलंब लेखे में पड़ी शेष राशि में से जमाकर्त्ताओं को समस्त जमाराशियां चुकाने के निदेश दिए गए है। बैंक ने यह पुष्टि की है कि सभी जमाकर्त्ताओं को नकदी/बैंक चेकों में पूर्ण रूप से भुगतान किया जा चुका है और आरक्षित निधि के रूप में पर्याप्त शेष राशि भारतीय स्टेट बैंक, सीकर में अदावी राशि के लिए रखी है।

इंटरनेशनल एम्यूजमेंट लिमिटेड को भूमि पट्टे पर देना

7792. डा० रामकृष्ण कुसमरिया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंटरनेशनल एम्यूजमेन्ट लिमिटेड (अप्पू घर) को प्रगति मैदान, नई दिल्ली में पट्टे पर दी गयी भूमि की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार को वर्तमान व्यवस्था के कारण राजस्व का भारी घाटा हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में अंतराष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित की हैं;

(ङ) यदि हां, तो अंतर्राष्ट्रय निविदाएं आमंत्रित करने में कितने लोग शामिल थे/भाग लिया; और

(च) सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित करने पर कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आई०टी०पी०ओ०) तथा इंटरनेशनल एम्यूजमैंट लिमि० के बीच लाइसैंस करार की अवधि दिनांक 13.11.99 को समाप्त हो गयी थी। आई०टी०पी०ओ० ने सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम के तहत आई०ए०एल० के विरूद्ध बेदखली की कार्रवाई शुरू की है।

(ख) और (ग) दिनांक 13.11.99 तक मौजूद लाइसेंस करार के अनुसार 14.11.98 से 13.11.99 तक की अवधि के लिए लाइसैंस शुल्क 3548 लाख रु० था। इसके अतिरिक्त लाइसैंसधारक को अप्पूघर के लिए प्रवेश शुल्क संबंधी गेट पर हुए संग्रहण के 50% के अतिरिक्त परिसर में दूकानों/किओस्कों तथा होरडिंग्स के लिए लाइसैंस शुल्क का भुगतान करना होता था। 13.11.99 तक मौजूद लाइसैंस करार के अनुसार इंटरनेशनल एम्यूजमैंट लि० द्वारा देय वार्षिक लाइसैंस शुल्क की राशि अप्पूघर के लिए प्रवेश शुल्क के कारण एकत्र हुई राशि को रख कर 13.11.99 के बाद की अवधि के लिए भी वसूल की जा रही है। नए लाइसैंसधारी द्वारा लाइसैंस शुल्क की राशि का पता नोटिस इन्वाइटिंग टैंडर (एन०आई०टी०) के आधार पर नई लाइसैंसिंग व्यवस्था संबंधी प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही चलेगा। अत: नई व्यवस्था की तुलना में मौजूदा व्यवस्था के कारण राजस्व की हानि की मात्रा का पता लगाना इस स्तर पर संभव नहीं है।

(घ) से (च) आई०टी०पी०ओ० ने प्रगति मैदान में उत्कृष्ट शैली के एम्यूजमैंट पार्क को विकसित करने तथा उसका प्रबंध करने में भागीदारी हेतु अंतर्राष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित की थीं। 10 पार्टियों ने "पात्रता-पूर्व निविदा आवेदन फार्म" प्रस्तुत किए थे। इनमें से 5 पार्टियों को अगले चरण अर्थात् तकनीकी और वित्तीय बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई०एम०एफ०) का कार्यालय

7793. डा० नीतिश सेनगुप्ता : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नई दिल्ली में अब भी अपना कार्यालय चला रहा है;

(ख) यदि हां, तो भारत के पास आई०एम०एफ० का कोई दीर्घकालिक ऋण न होने की दशा में भी इसके कार्यालय को चलने देने की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(ग) भारत में आई०एम०एफ० कार्यालय के वर्तमान कार्य क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई०एम०एफ०) का नई दिल्ली में निवासी प्रतिनिध है।

(ख) और (ग) यह निवासी प्रतिनिधि भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच सूचना के आदान-प्रदान को सुगम बनाता है। वह यात्रा पर आए आई०एम०एफ० के मिशनों की मदद करता है और आई०एम०एफ० की नीति और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के लिए मौजूद रहता है। आई०एम०एफ० के निवासी प्रतिनिधि के कार्यालय सदस्य देशों में स्थापित किए गए हैं और ये अनिवार्यतया आई०एम०एफ० से सहायता-प्राप्त मौजूदा कार्यक्रमों से जुड़े नहीं होते।

बाल अपराधियों को न्याय के लिए कर्नाटक को धन राशि

7794. **श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :**
श्री शशि कुमार :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से उसे सी०एस०एस० (बाल अपराध न्याय के लिए एक कार्यक्रम) के अन्तर्गत धनराशि जारी करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस उद्देश्य के लिए कोई धनराशि जारी की है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस धनराशि को कब तक जारी किये जाने की संभावना है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक राज्य सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित योजना, ''किशोर न्याय के लिए कार्यक्रम'' के अंतर्गत केन्द्रीय भाग की निर्मुक्ति का अनुरोध करते हुए एक पत्र भेजा है तथा तदनुसार वित्त वर्ष 2001-02 के दौरान 49.44 रु० निर्मुक्त किए गए।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

हथकरघा मजूदरों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कदम

7795. **श्री ए० नरेन्द्र :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विशेषकर उन राज्यों में जहां गरीबी के कारण बुनकर आत्महत्या कर रहे हैं की दुर्दशा से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान राज्यवार आत्महत्या के कितने मामले प्रकाश में आये;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वस्त्र उद्योग के कितने मजदूर बेरोजगार हो गए और इसमें से कितने मजदूर नयी आर्थिक नीति के कार्यान्वयन के कारण भुखमरी के कगार पर है;

(घ) क्या सरकार ने देश में हथकरघा बुनकरों की समस्याओं को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने/कार्यान्वयन करने का कोई निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) सरकार को हथकरघा बुनकरों के खराब स्वास्थ्य, ऋणभार, वृद्धावस्था आदि के कारण आत्महत्या की कुछ घटनाओं की जानकारी है।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान हथकरघा बुनकरो के आत्महत्या के 20 मामलों की सूचना प्राप्त हुई है, यह सभी हत्यायें आन्ध्र प्रदेश में हुई थी।

(ग) इस से सम्बन्धित सूचना किसी भी तरह न तो उपलब्ध की जा सकती है न ही व्यवहार्य है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार द्वारा हथकरघा क्षेत्र के बुनकरों के विकास तथा कल्याण के लिए निम्नलिखित स्कीमें पहले ही कार्यान्वित की जा रही हैं :—

1. दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना
2. मिल गेट कीमत स्कीम
3. विपणन काम्पलैक्सों की संस्थापना
4. मेलों एवं प्रदशनियों के माध्यम से हथकरघा उत्पादों के विपणन की स्कीम
5. निर्यात योग्य उत्पादों के विकास तथा उनके विपणन के लिए स्कीम
6. सहकारिता प्रशिक्षण कार्यक्रम
7. अनुसंधान एवं विकास
8. राष्ट्रीय वस्त्र डिजाईन केन्द्र
9. हथकरघा बुनकरों के लिए संशोधित विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम
10. कार्यशाला सह आवास स्कीम
11. हथकरघा बुनकरों के लिए स्वास्थ्य पैकेज स्कीम
12. हथकरघा बुनकरों के लिए थ्रिफट फंड स्कीम
13. हथकरघा बुनकरों के लिए समूह बीमा स्कीम
14. हथकरघा बुनकरों के लिए नई बीमा स्कीम

चीन के साथ व्यापार समझौता

7796. **श्री टी० गोविन्दन :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान चीन के साथ व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन समझौतों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

असम के उद्यमियों को सहायता

7797. **श्री एम०के० सुब्बा : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के अनुसूचित जाति और अनूसूचित जनजाति के उद्यमियों के आर्थिक सहायता के आवेदन बड़ी संख्या में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के पास स्वीकृति हेतु महीनों से लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो 12 महीनों, 6 महीनों और 3 महीनों से अधिक समय से ऐसे क्रमशः कितने आवेदन लंबित पड़े हैं;

(ग) इन आवेदनों को स्वीकृति करने में मुख्य बाधाएं क्या है; और

(घ) इन उद्यमियों को शीघ्र अनुदान देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ० सत्यनारायण जटिया) : (क) से (घ) जी, नहीं। केवल तीन आवेदन लम्बित हैं जिनमें से एक तीन महीने से लम्बित है और दूसरा 6 महीने से लम्बित है तथा तीसरा तीन महीने से लम्बित है। असम राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम लि० ने 6 महीने तथा 12 महीने से लम्बित आवेदनों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन०एस०एफ०डी०सी०) द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। ए०एस०सी०डी०सी० ने एन०एस०एफ०डी०सी० को राज्य सरकार की गारंटी प्रस्तुत नहीं किया है जो असम के उद्यमियों को वित्तीय सहायता के अपने भाग की निर्मुक्ति हेतु एन०एस०एफ०डी०सी० को सक्षम बनाने के लिए अपेक्षित है।

[हिन्दी]

राजस्थान में उपभोक्ता मंच

7798. **श्री कैलाश मेघवाल : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्र सरकार द्वारा राज्यवार विशेषकर राजस्थान में उपभोक्ता मंचों के उचित कार्यकरण के लिए कितनी वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता प्रदान की गयी;

(ख) देश में इन उपभोक्ता मंचों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) उपभोक्ता सूचना केन्द्र स्थापित करने के लिए क्या दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं और राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी;

(घ) राज्यवार ऐसे कितने सूचना केंद्र स्थापित किये गये; और

(ङ) विशेषकर राजस्थान में कितने उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम चलाये गय ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) राजस्थान सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपभोक्ता मंचों के आधारढांचा संबंधी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए दी गई एकबारगी वित्तीय सहायता संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) उपभोक्ता मंचों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) उपभोक्ता विवाद प्रतितोष एजेन्सियों के आधार ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए, केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 61.80 करोड़ रुपए का एकबारगी अनुदान प्रदान किया गया;

(ii) राष्ट्रीय आयोग के जरिए उपभोक्ता विवाद प्रतितोष एजेन्सियों के कार्यकरण की निगरानी;

(iii) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से उपभोक्ता विवाद प्रतितोष एजेन्सियों में अध्यक्ष/सदस्य के रिक्त पदों को भरने के लिए शीघ्र कदम उठाने का अनुरोध किया गया।

(iv) उपभोक्ता विवाद प्रतितोष एजेन्सियों का सुचारू कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के लिए समय-समय पर राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से अनुरोध किया गया।

(v) प्रतितोष एजेन्सियों द्वारा मामलों के शीघ्र निपटान को सुकर बनाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों का संशोधन।

(ग) और (घ) जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्र स्कीम के तहत जिला परिषद या संबंधित राज्य सरकार द्वारा संस्तुत उपयुक्त स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन द्वारा प्रत्येक जिले में उपभोक्ता सूचना केन्द्र स्थापित किए जाने हेतु उपभोक्ता कल्याण कोष से वित्तीय सहायता दी जाती है। स्कीम के तहत, केन्द्र की स्थापना के लिए एकबारगी अनुदान के रूप में पांच लाख रुपए की सहायता दी जाती है। निधियों को 3 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से वितरित किया जाता है। अब तक प्रदान की गई राज्य-वार वित्तीय सहायता संलग्न विवरण-II पर दर्शाई गई है।

जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्र स्कीम के शुरू होने से पहले भी उपभोक्ता सूचना केन्द्र की स्थापना के लिए स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को उपभोक्ता कल्याण कोष से निधियां दी जाती थीं। ब्यौरे संलग्न विवरण-III मे दिए गए हैं।

(ङ) राजस्थान में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को अब तक उपभोक्ता कल्याण कोष से 18 अनुदान दिए गए हैं।

विवरण-I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दी गई एकबारगी वित्तीय सहायता की राशि (लाख रुपए में)
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	70.0
आंध्र प्रदेश	270.0
अरूणाचल प्रदेश	170.0
असम	280.0
बिहार	440.0
चंडीगढ़ प्रशासन	60.0
दादरा एवं नगर हवेली	60.0
दमण और दीव	70.0
दिल्ली	70.0
गोवा	70.0
गुजरात	250.0
हरियाणा	210.0
हिमाचल प्रदेश	170.0
जम्मू और कश्मीर	70.0
कर्नाटक	250.0
केरल	190.0
लक्षद्वीप	60.0
मध्य प्रदेश	500.0
महाराष्ट्र	360.0
मणिपुर	130.0
मेघालय	120.0
मिजोरम	80.0
नागालैण्ड	120.0
उड़ीसा	180.0
पांडिचेरी	60.0
पंजाब	180.0
राजस्थान	350.0
सिक्किम	90.0
तमिलनाडु	270.0
त्रिपुरा	80.0
उत्तर प्रदेश	680.0
पश्चिम बंगाल	220.0
कुल	6180.0

विवरण-II

क्रम सं०	राज्य का नाम	उन जिला उपभोक्ता सूचना केंद्रों की संख्या जिन्हें निधियां मंजूर/रिलीज की गई	जिले का नाम
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	गुंटूर
2.	चंडीगढ़	1	चंडीगढ़
3.	दमण व दीव	1	मोती दमन
4.	दिल्ली	1	किदवई नगर
5.	गुजरात	2	राजकोट, साबरकान्ठा
6.	हरियाणा	1	झज्जर
7.	मणिपुर	1	चंदेल
8.	मध्य प्रदेश	3	भोपाल (2), ग्वालियर
9.	महाराष्ट्र	1	अहमदनगर
10.	मिजोरम	1	आईजोल
11.	उड़ीसा	7	मयूरभंज, कंधामल, भद्रक, कालाहान्डी, बलांगीर, बालासोर, अंगुल
12.	पांडिचेरी	1	कराईकल
13.	राजस्थान	1	चित्तौड़गढ़
14.	उत्तरांचल	2	देहरादून, चमोली
15.	पश्चिम बंगाल	3	मिदनापुर, बांकुड़ा, कोलकाता
16.	सिक्किम	1	गंगटोक (पूर्व)
	कुल	28	

विवरण-III

क्रम सं०	राज्य का नाम	उन उपभोक्ता सूचना केन्द्रों की संख्या जिन्हें निधियां मंजूर/रिलीज की गई	जिले का नाम
1.	तमिलनाडु	1	चेन्नई
2.	उत्तर प्रदेश	1	लखनऊ
3.	कर्नाटक	1	बंगलौर
4.	पश्चिम बंगाल	1	कोलकाता
5.	राजस्थान	1	जयपुर
6.	उड़ीसा	1	राउरकेला
7.	गुजरात	1	भावनगर
	कुल	7	

[अनुवाद]

हथकरघा वस्तुओं का निर्यात

***7799.* श्री अनन्त नायक :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश से विशेषकर उड़ीसा से हथकरघा वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं है; और

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान राज्य से हथकरघा के निर्यात का बढ़ाने के लिए उड़ीसा राज्य में व्यापारियों और उद्यमियों को कौन-कौन से प्रोत्साहन दिये गये ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) सामान्य रूप से देश में हथकरघा उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 1996-97 में निर्यातयोग्य उत्पादों के विकास तथा उनके विपणन (डी०ई०पी०एम०) के लिए स्कीम आरम्भ की गई थी। स्कीम में हथकरघा अभिकरों जैसे हथकरघा शीर्ष/प्राथमिक समितियों, हथकरघा निगमों, हथकरघा निगमों और शीर्ष समितियों के संघ (आकाश), अखिल भारतीय हथकरघा फैब्रिक विपणन समिति, लि० (ए०आई०एच०एफ०एम०सी०एस०), भारतीय केन्द्रीय कुटीर औद्योगिक निगम लि० (सी०सी०आई०सी०), भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लि० (एच०एच०ई०सी०) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एच०ई०पी०सी०) तथा (एच०ई०पी०सी०) आदि द्वारा प्रायोजित हथकरघा निर्यातकों के निर्यातयोग्य हथकरघा उत्पादों के विपणन तथा विकास करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विचार किया जाता है। स्कीम के अंतर्गत व्यापारियों तथा निजी उद्यमी सीधे वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं है। पिछले वर्ष सहित अर्थात वर्ष 2001-02, 9वी योजना के दौरान स्कीम के अन्तर्गत प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला राज्यवार (उड़ीसा राज्य सहित) तथा वर्ष वार विवरण संलग्न है।

विवरण

डी०ई०पी०एम० स्कीम के अन्तर्गत 9वीं योजना के दौरान विभिन्न राज्यों/संगठनों के द्वारा प्रदान की गई निधियों को दर्शाने वाला राज्यवार/वर्षवार विवरण।

क्र० सं०	राज्य	1997-98		1998-99		1999-2000		2000-01		2001-02		कुल	
		परियो०	राशि	परियो०	राशि	परियो०	राशि	परियो०	राशि	परियो०	राशि	परियो०	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
डी०ई०पी०एम० परियोजनाओं के लिए प्रदान की गई सहायता													
1.	आंध्र प्रदेश	1	14.00	—	—	3	14.72	1	5.00	1	6.00	6	39.72
2.	असम	—	—	1	2700	1	4.40	—	12.85	—	9.56	2	53.81
3.	बिहार	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6.50	1	6.50
4.	छत्तीसगढ	—	—	—	—	—	—	1	4.25	—	—	1	4.25
5.	दिल्ली	—	—	1	8.75	1	8.25	—	5.00	—	8.75	2	30.75
6.	गुजरात	1	12.50	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12.50
7.	हरियाणा	—	—	—	—	—	—	1	15.50	2	8.50	3	24.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	हिमाचल प्रदेश	1	5.00	1	25.00	6	56.25	2	53.97	3	44.00	13	184.22
9.	जम्मू और कश्मीर	1	8.75	—	—	1	2.64	—	—	—	—	2	11.39
10.	कर्नाटक	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7.95	2	7.95
11.	केरल	—	11.00	—	—	—	—	—	8.90	—	—	0	19.90
12.	मध्य प्रदेश	2	27.75	—	—	1	7.50	—	—	1	16.25	4	51.50
13.	मिजोरम	—	—	—	—	1	7.48	—	—	—	—	1	7.48
14.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—	2	12.25	3	18.00	5	30.25
15.	उड़ीसा	—	—	—	—	1	7.50	—	—	—	—	1	7.50
16.	पंजाब	—	—	—	—	2	13.25	1	4.25	1	28.50	4	46.00
17.	तमिलनाडु	2	13.50	2	21.25	—	13.13	1	5.25	—	—	5	53.13
18.	त्रिपुरा	—	—	1	5.00	—	—	—	—	—	—	1	5.00
19.	उत्तर प्रदेश	3	58.78	—	9.00	4	37.75	1	14.25	4	44.75	12	164.53
20.	पश्चिम बंगाल	5	33.50	1	8.35	1	36.00	3	16.25	—	4.20	10	98.30
21.	एनएचडीसी	—	—	—	—	1	8.75	1	27.25	—	—	2	36.00
22.	आईएसईपीसी	1	11.25	—	—	—	—	—	6.25	—	—	1	17.50
23.	एआईएचएफ एमएस	1	18.87	—	—	—	—	1	5.00	—	—	2	23.87
24.	एनईएचएचडीसी	1	14.00	—	—	1	8.75	—	—	—	—	2	22.75
25.	सीसीआईसी	—	—	1	15.00	—	—	—	—	—	—	1	15.00
26.	एचईपीसी	—	—	—	—	2	17.50	—	8.49	—	—	2	25.99
	योग (क)	19	228.90	8	119.35	26	243.87	15	204.71	18	202.96	86	999.79
	अन्य	**अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए प्रदान की गई सहायता।**											
27.	आकाश	—	75.00	—	78.59	—	103.33	—	99.12	—	66.23	—	422.27
28.	एचईपीसी	—	41.41	—	53.38	—	36.83	—	76.82	—	36.86	—	245.30
29.	आईटीपीओ	—	35.61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.61
30.	एचएचईसी	—	12.00	—	12.48	—	14.97	—	19.35	—	18.97	—	77.77
31.	निफ्ट	—	76.00	—	67.14	—	1.00	—	—	—	—	—	144.14
32.	सीसीआईसी	—	—	—	4.06	—	—	—	—	—	—	—	4.06
	योग (ख)	2	240.02	4	215.65	5	156.13	9	195.29	9	122.06	29	929.15
	सर्व योग	21	468.92	12	335.00	31	400.00	24	400.00	27	325.02	115	1928.94

टिप्पणी : उड़ीसा राज्य में डीईपीएम परियोजना के कार्यान्वयन के एचईपीसी तथा एनएचडीसी ने भी क्रमशः 10.00 लाख रुपये तथा 12.00 लाख रुपये प्रदान किये हैं।

सीमा शुल्क में छूट

7800. श्री चाडा सुरेश रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल, 2002 के लिए खेलकूद अवसंरचना कार्य को पूरा करने के लिए आंध्र प्रदेश खेल प्राधिकरण को दिये गये अंशदान/दान के लिए खेल उपकरणों के लिए सीमा शुल्क और आयकर में छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए छूट देने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिंगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों के प्रयोजनार्थ आयातित खेल संबंधी सामानों तथा उपस्करों पर लगाए जाने वाले सीमा शुल्क पर छूट को, सीधे संबंधित राज्यों के खेल प्राधिकरणों द्वारा अथवा ऐसे प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्रों पर, जैसा भी मामला हो, ऐसे सामानों के आयात को शामिल करने के लिए, विस्तारित किया गया है। आन्ध्र प्रदेश खेल प्राधिकरण राष्ट्रीय खेल, 2002 के प्रयोजनार्थ इस लाभ को प्राप्त कर सकता है। तथापि, आयकर के भुगतान से राज्य खेल प्राधिकरणों को किए गए दान/अंशदान पर छूट से संबंधित मामले पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है, जिस पर खेल तथा युवा मामले मंत्रालय और कानून मंत्रालय के विचार मांगे गए हैं।

खाद्यान्न की खरीद पर लेवी

7801. श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को खाद्यान्नों की खरीद पर लेवी सीमित करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इसे किस हद तक सीमित किया गया है;

(ग) क्या लेवी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वसूल की जाती है और इसका भार सरकार को वहन करना होता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इस समय राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लगाए गए करों/लेवियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। विभिन्न राज्यों में कराधान की दर का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

2001-2002 के लिए खाद्यान्नों पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा लिए गए करों/ लेवियों की दर बताने वाला विवरण

राज्य	क्रय/बिक्री कर/ व्यापार कर	बाजार शुल्क	आढ़ती का कमीशन/दामी	अन्य प्रभार	जोड़
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	4	1	—	आरडीसी 5	10
असम	2	1	—	—	3
बिहार	4	1	—	—	5
चंडीगढ़	4	1	2	—	7
दिल्ली	4	2	2.5	कृषि उत्पादन शुल्क 1 आरडीसी/ चुंगी-0.08	9.58
गुजरात	—	0.5	—	—	0.5
हरियाणा	4	2	2.5	आरडी उपकर 2	10.5
कर्नाटक	—	1	—	—	1

1	2	3	4	5	6
मध्य प्रदेश	—	2	—	अकिंचन कर प्रति 100 रुपये 0.02	2.2
महाराष्ट्र	—	1.05	—	—	1.05
उड़ीसा	4	1	1	—	6
पांडिचेरी	—	—	—	—	—
पंजाब	4	2	2.5	आरडीसी 2	10.5
राजस्थान	4	1.6	2	—	7.6
उत्तर प्रदेश	2	2.5	1.5	—	6
पश्चिम बंगाल	2	0.5	—	—	2.5
उत्तरांचल	2	1	1.5	आरडीसी 0.5	3.5
छत्तीसगढ़	—	2 (इसमें आरडीसी का 1% शामिल है)	—	—	2

[हिन्दी]

खाद्यान्न के सुरक्षित भण्डारण के लिए प्रशिक्षण

7802. **श्रीमती जसकौर मीणा : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्न के सुरक्षित भण्डारण हेतु लोक-प्रशिक्षणार्थ कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान इस योजना पर राज्यवार कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(घ) इस योजना से जनता और सरकार को क्या लाभ हुआ ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) सरकार अन्न सुरक्षा अभियान की स्कीम 1969-70 से चला रही है। इस स्कीम की गतिविधियों का जोर फार्म स्तर पर खाद्यान्नों के वैज्ञानिक भण्डारण के क्षेत्र में प्रशिक्षण, प्रदर्शन और प्रचार के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण देने पर है। यह स्कीम राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों आदि के निकट सहयोग से देशभर में फैले 17. अन्न सुरक्षा अभियान कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) विभिन्न अवसरों पर अन्न सुरक्षा अभियान की गतिविधियों का मूल्यांकन किया गया है और यह पाया गया है कि अन्न सुरक्षा अभियान का जिन प्रमुख उद्देश्यें के लिए गठन किया गया था, उन्हें पूरा करने में इसने अच्छी सफलता हासिल की है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने अपने अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला है कि :—

(i) इस स्कीम द्वारा चलाई गई गतिविधियों के परिणामस्वरूप फसल कटाई उपरांत की हानियां लगभग 16% से गिरकर 4% रह गई हैं। जिन किसानों को अध्ययन में कवर किया गया था उनमें से इस स्कीम को 42.7% किसानों ने उत्कर्ष्ट, 30.9% ने बहुत अच्छी और 18.1% ने अच्छी बताया है।

(ii) अन्न सुरक्षा अभियान खाद्यान्नों के लिए उन्नत भण्डारण ढांचों का उपयोग करने में किसानों तक पहुंचाने में काफी हद तक सफल रहा है।

(iii) धातु बिनों का उपयोग जो अन्न सुरक्षा अभियान के आरंभ होने से पूर्व केवल 4.7% था वह इसके क्रियान्वयन के बाद बढ़कर 31.3% हो गया है। इस प्रकार खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए परम्परागत भंडारण ढांचों की बजाए आधुनिक वैज्ञानिक भण्डारण ढांचों का उपयोग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

(iv) अन्न सुरक्षा अभियान द्वारा चलाई गई प्रशिक्षण गतिविधियों को किसानों द्वारा अत्यधिक पसंद किया गया है। 99.5% किसानों के अन्न सुरक्षा अभियान द्वारा दिए गए ऐसे प्रशिक्षण की प्रासंगिकता के बारे में पूर्ण संतोष व्यक्त किया है।

विवरण

2001-2002 के दौरान राज्यवार खर्च की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	अन्न सुरक्षा अभियान कार्यालय	कवर किया गया क्षेत्र		2001-02 के दौरान खर्च की गई राशि (लाख रुपयों में)
		राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	अहमदाबाद	गुजरात	दादर व नगर हवेली, दमन और दीव	31.24
2.	बंगलौर	कर्नाटक	–	37.78
3.	भोपाल	मध्य प्रदेश	–	32.25
4.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	–	25.60
5.	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और सिक्किम	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	34.15
6.	चंडीगढ़	पंजाब, हिमाचल प्रदेश प्रदेश और जम्मू व कश्मीर	चंडीगढ़	33.06
7.	गुवाहाटी	असम, मणिपुर नागालैंड व मेघालय, अरूणाचल प्रदेश व मिजोरम	–	32.43
8.	गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली	–	36.06
9.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	–	27.74
10.	जयपुर	राजस्थान	–	33.03
11.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	–	35.59
12.	चेन्नई	तमिलनाडु	पांडिचेरी	35.32
13.	पटना	बिहार और झारखंड	–	27.72
14.	पुणे	महाराष्ट्र और गोवा	–	34.69
15.	तिरुवनंतपुरम	केरल	लक्षद्वीप	11.39
16.	रायपुर	छत्तीसगढ़	–	17.36
17.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	–	
	जोड़		–	500.75

[अनुवाद]

भारतीय जीवन बीमा निगम की नयी पॉलिसियां

7803. **श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने गारण्टी शुदा पॉलिसियों की अपेक्षा और अधिक बोनस-केंद्रित पॉलिसियां शुरू करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय जीवन बीमा द्वारा भारतीय ग्राहकों को ध्यान में रखकर पॉलिसी बनाने की अपनी पूर्वनीति में बदलाव लाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या नयी व्यवस्था के फलस्वरूप ग्राहकों को भारतीय जीवन बीमा निगम के वार्षिक लाभार्जन में हिस्सेदार करने का अवसर मिलेगा; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय जीवन बीमा निगम और उसके पॉलिसी धारकों के बीच इस प्रकार की लाभगत भागीदारी वाली व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम (एल०आई०सी०) ने सूचित किया है कि उन्होंने पॉलिसीधारकों को पेश की गई पॉलिसियों से संबंधित मौजूदा पद्धतियों में परिवर्तन नहीं किया है और उन्होंने

अधिक बोनस वाली पॉलिसियां शुरू करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ग) और (घ) पॉलिसीधारकों के लिए बनाई गई मुनाफा-बांटने की मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी।

अप्रयुक्त राशि का पुन: वैधीकरण

7804. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने, केन्द्र के अंश के रूप में वर्ष 2000-2001 के दौरान जारी की गई 23 लाख रु० की अप्रयुक्त राशि, जिसका उपभोग वर्ष 2001-2002 में "राष्ट्रीय महत्व के पशु-धन का प्रणालीबद्ध रोग-नियंत्रण" के संबंध में किया जाना था, का पुन: वैधीकरण करने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए कर्नाटक को इस राशि के पुन: वैधीकरण हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कर्नाटक सरकार ने खर्च न की जा सकी 23 लाख रुपए की राशि, जो कि वर्ष 2000-2001 में जारी की गई थी, का उपयोग 2001-2002 के दौरान किए जाने के लिए पुनर्वैधीकरण करने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उक्त राशि का पुनर्वैधीकरण 8.8.2001 को हुआ था तथा तब से उस राशि का उपयोग कर्नाटक सरकार द्वारा किया जा चुका है।

कृत्रिम रत्नों की गुणवत्ता

7805. **श्री सी० श्रीनिवासन :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृत्रिम रत्न-विनिर्माताओं को चीनी विनिर्माताओं की ओर से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या अपने उत्पाद की गुणवत्ता उच्च रखने के कारण चीनी रत्न-विनिर्माता ने हमारे रत्न-विनिर्माताओं को पीछे छोड़ दिया है;

(ग) यदि हां, तो भारतीय कृत्रिम-रत्नों की गुणवत्ता पर निगाह रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान कृत्रिम-रत्नों के निर्यात के माध्यम से भारतीय कृत्रिम रत्न-विनिर्माताओं ने वर्षवार कुल कितनी विदेशी मुद्रा का अर्जन किया;

(ङ) क्या चीनी कृत्रिम रत्नों की उच्च गुणवत्ता के कारण भारतीय कृत्रिम रत्न-निर्यातकों के निर्यात का आदेश निरस्त कर दिये गये हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् जोकि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित व्यापार का एक स्वायत्त प्रतिनिधि निकाय है, ने सूचित किया है कि चीन ने अशांकित कृत्रिम हीरों/सिंथेटिक पत्थरों के उत्पादन में विशेषता प्राप्त कर ली है जो व्यापार की अपेक्षा को पूरा करते हैं। तथापित उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। चीन के पास थोड़े समय में भारी मात्रा में अंशांकित आकारों की आपूर्ति करने की क्षमता है। अत: आवश्यकता इस बात की है कि हम राज्यों के सहयोग से अपनी प्रौद्योगिकीय क्षमताओं, कृत्रिम हीरों/सिंथेटिक पत्थरों की उत्पादन पद्धतियों रत्नों के अंशांकन आदि में सुधार करें।

(घ) वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान कृत्रिम रत्नों के निर्यातों द्वारा भारतीय कृत्रिम रत्न उद्योग के माध्यम से अर्जित की गई कुल विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है :–

वर्ष	मिलि० अमरीकी डालर में
2000-2001	1.63
2001-2002	2.00 (अनुमानित)

(उपर्युक्त आंकड़ों का संबंध केवल खुले सिंथेटिक पत्थरों के निर्यात से है और इसमें कीमती धातुओं के आभूषणों में जड़े जाने के लिए निर्यातित सिंथेटिक पत्थर शामिल नहीं है)।

(ङ) से (छ) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पास इस बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

7806. **श्री सुबोध मोहिते :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'नाबार्ड' ने राज्यों के सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के कामकाज में सुधार लाने के बारे में मार्गनिर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 'नाबार्ड' ने विभिन्न राज्यों के सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के सुझाव में आने वाली समस्याओं पर भी विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपाय किये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उन्होंने राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एस०सी०ए०आर०डी०बी०) की कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं और कई उपाय भी किए हैं। इन उपायों में संस्था-विशिष्ट विकास कार्य योजना (डी०ए०पी०), जिसका लक्ष्य कम से कम संभव समय-सीमा में चालू/धारणीय अर्थक्षमता प्राप्त करना है, का तैयार किया जाना और इसका कार्यान्वयन एवं निगरानी समझौता ज्ञापन (एम०ओ०यू०) तंत्र के माध्यम से किया जाना सम्मिलित है। इन दिशानिर्देशों को विवेकपूर्ण मानदण्ड (आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण एवं उपबंध संबंधी मानदण्ड), आदि के कार्यान्वयन को शामिल करने के लिए जुलाई 2000 में संशोधित किया गया था। अनुपयोज्य आस्तियों के स्तर में कमी करने के लिए एकमुश्त निपटान योजना (ओ०टी०एस०) को कार्यान्वित करने हेतु अप्रैल 2001 में एक बार फिर दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

(ग) से (ङ) सरकार ने सहकारी ऋण प्रणाली का अध्ययन करने एवं इसे सुदृढ़ करने के लिए उपाय सुझाने हेतु श्री जगदीश कपूर की अध्यक्षता में एक कृतिक बल का गठन किया था। कृतिक बल ने पाया कि राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक दोहरे नियंत्रण, व्यावसायिक प्रबंधन की कमी, उच्च मध्यस्थता लागत, कम लाभप्रदता/हानि, कम वसूली, अनुपयोज्य आस्तियों के उच्च स्तर, आदि से ग्रसित है। कृतिक बल ने संभाव्य रूप से अर्थक्षम सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनर्पूंजीकरण सहित वित्तीय, परिचालनात्मक, संगठनात्मक एवं सुव्यवस्थित पहलुओं को शामिल करते हुए एक चहु आयामी पुनरूज्जीवन पैकेज की सिफारिश की थी। तत्पश्चात् सहकारी बैंकों को पुनरूज्जीवन सहायता देने पर विचार करने के लिए वित्त राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद सरकार ने कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों सहित सहकारी बैंकों के पुनरूज्जीवन के लिए वर्ष 2002-2003 के बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

भारतीय जीवन बीमा निगम की पेंशन-योजना

7807. **श्री अरूण कुमार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा के कुप्रबंधन की वजह से, उसकी पेंशन-योजना पॉलिसी (सारणी 122) 24 दिसम्बर, 2001 को बंद हो गई;

(ख) क्या 1 फरवरी, 2002 से पुनः प्रारम्भ की गई नई पेंशन-योजना पॉलिसी को करगत लाभों को अधिसूचित किये बिना ही शुरू किया गया है;

(ग) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम की पेंशन-योजना पॉलिसी (सारणी 122) के पुराने पॉलिसी धारकों को उनकी पॉलिसी के परिपक्व होने तक, आयकर अधिनियम की धारा 80 (गगग) के तहत नियमित करगत-लाभ प्राप्त होते रहेंगे; और

(घ) यदि हां, तो वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व, अर्थात् 31 मार्च, 2002 के पूर्व बीच में ही 24 दिसम्बर 2001 को पेंशन पॉलिसी (सारणी 122) को बंद कर दिये जाने के क्या कारण रहे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) भारतीय जीवन बीमा निगम (एल०आई०सी०) ने सूचित किया है कि ब्याज दरों हुई गिरावट के कारण नई पॉलिसियों के लिए मौजूदा प्रीमियम दरों पर संविदात्मक लाभ देना व्यवहार्य नहीं होगा। इसलिए उन्होंने जीवन सुरक्षा योजना (सारणी सं० 122) वापस ले ली है और नई योजना अर्थात् नई जीवन सुरक्षा-। योजना शुरू की है।

(ख) एल०आई०सी० ने सूचित किया है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी०बी०डी०टी०) ने इस बात की पुष्टि की है कि इस नई योजना अर्थात् नई जीवन सुरक्षा-। योजना के अंतर्गत धारा 80 (गगग) के तहत कर राहत उपलब्ध है। लेकिन, धारा 80 (गगग) के अंतर्गत हिन्दु अविभाजित परिवार को कटौती उपलब्ध नहीं है।

(ग) जीवन सुरक्षा (सारणी सं० 122) के मौजूदा पालिसीधारकों को धारा 80 (गगग) के अंतर्गत तब तक कर-लाभ मिलते रहेंगे जब तक आय कर अधिनियम, 1961 के तहत ये उपबंध जारी है।

(घ) कारण ऊपर (क) में दिया गया है। मौजूदा योजनाओं की समीक्षा, उनका जारी रहना, नई योजना शुरू करना/मौजूदा, योजना को वापस लेना निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है और यह वित्तीय वर्ष के आरंभ/समापन पर निर्भर नहीं करती।

आन्ध्र प्रदेश से झींगे के निर्यात पर प्रतिबंध

7808. **श्री वाई०वी० राव :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुल झींगा मछली निर्यात में आंध्र प्रदेश का अंशदान लगभग 40% है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अब आंध्र प्रदेश से झींगा मछली का निर्यात बंद कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) आंध्र प्रदेश पर लगे इस प्रतिबंध को शीघ्र समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, हां।

(ख) आंध्र प्रदेश देश के श्रिम्प के उत्पादन में अग्रणी है जिसका पाले गए श्रिम्प के उत्पादन का मात्रा के रूप में लगभग 50 प्रतिशत

हिस्सा बनाता है। श्रिम्प के निर्यात से प्राप्त कुल आय में पाले गए श्रिम्पों का लगभग 86 प्रतिशत हिस्सा बनता था। इस प्रकार देश के समग्र श्रिम्प निर्यात में आंध्र प्रदेश का हिस्सा लगभग 40% बनता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

भण्डारण-क्षमता

7809. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2001-2002 के दौरान खाद्यान्न की पैदावार 211 मीट्रिक टन दर्ज की गई;

(ख) यदि हां, तो क्या चावल और गेहूं जैसे मुख्य खाद्यान्न के साथ-साथ मोटे अनाज के उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है;

(ग) क्या इनके भण्डारण हेतु केन्द्र सरकार ने पर्याप्त व्यवस्था की है;

(घ) यदि हां, तो वर्तमान में इसके भण्डारण की क्षमता कितनी है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि संपूर्ण घरेलू खाद्यान्न उत्पादन को गोदामों में रखा जाए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) जी, हां। 2001-02 के दौरान चावल, गेहूं, मोटे अनाजों और कुल खाद्यान्नों का उत्पादन 2000-01 में हुए उत्पादन की तुलना में काफी अधिक होने की आशा है, जैसाकि निम्न सारणी में देखा जा सकता है :—

(मिलियन टन)

फसल/समूह	अनुमानित उत्पादन	
	2000-01	2001-02*
चावल	84.87	90.75
गेहूं	68.76	73.53
मोटे अनाज	31.62	33.10
कुल खाद्यान्न	195.92	211.17

*5.4.2002 को अग्रिम अनुमानों के अनुसार

(ग) से (ङ) भारतीय खाद्य निगम वह प्रमुख एजेंसी है जो खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए क्षमता प्रदान करती है। अपने गोदामों का निर्माण करने के अलावा भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भण्डारण निगम, राज्य भण्डारण निगमों, राज्य सरकारों और प्राइवेट पार्टियों जैसे अन्य स्रोतों की भण्डारण क्षमता को किराए पर भी लेता है। केन्द्रीय भण्डारण निगम और राज्य भण्डारण निगमों की भण्डारण क्षमता का उपयोग उर्वरकों, बीजों आदि जैसी अन्य अधिसूचित जिंसों और औद्योगिक वस्तुओं के लिए भी किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भण्डारण निगम, राज्य भण्डारण निगम और अन्य राज्य एजेंसियों के पास खाद्यान्नों का भण्डारण के लिए उपलब्ध 568.80 लाख टन की भण्डारण क्षमता के प्रति 1.4.2002 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों के पास केन्द्रीय पूल में कुल 510.23 लाख टन खाद्यान्नों का स्टाक रखा था।

10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के दौरान भारतीय खाद्य निगम की 6.78 लाख टन भण्डारण क्षमता का निर्माण करने की योजना है जिसमें से वर्तमान वार्षिक योजना 2002-03 में भारतीय खाद्य निगम की 1.36 लाख टन की भण्डारण् क्षमता का निर्माण करने की योजना है। भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने प्रमुख वसूली राज्यों में 85.37 लाख टन अतिरिक्त भण्डारण क्षमता के सृजन के लिए उपयोग हेतु 7 वर्षीय गारंटी दी है। सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय भण्डारण नीति के अधीन भारतीय खाद्य निगम द्वारा पहचान किए गए स्थानों पर बनाओ और चलाओं आधार पर 5.71 लाख टन के गोदामों का निर्माण करने के लिए निजी क्षेत्र को 100% क्षमता उपयोग हेतु 7 वर्षीय गारंटी प्रदान की गई है। सरकार ने हाल में ग्राम भण्डारण योजना शुरू की है। इससे भी भण्डारण क्षमता में वृद्धि होगी।

[हिन्दी]

आतंकवाद के पीड़ितों को मुआवजा

7810. श्री सुन्दर लाल तिवारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा कंपनियां युद्ध दंगा, हत्या या आतंकवादी हमले के प्रकरणों में मौत का शिकार बने व्यक्तियों के बीमा-संबंधी दावों पर कोई मुआवजा उपलब्ध नहीं करातीं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं को भी मुआवजे के दायरे में लाने के लिए सरकार कब तक कानून बनायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) हालांकि साधारण बीमा कंपनियों द्वारा जारी की जाने वाली व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसियों में केवल और प्रत्यक्षत: दुर्घटना के परिणामस्वरूप होने वाली मृत्यु अथवा अपंगता को शामिल किया जाता है और इसमें दंगे, हत्या अथवा आतंकवादी हमले के जोखिमों को अलग नहीं रखा गया है, फिर भी इन पॉलिसियों के अंतर्गत प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से युद्ध से जुड़ी अथवा उसके कारण बीमित व्यक्ति की मृत्यु, चोट अथवा अपंगता के संदर्भ में कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं है। तथापि, भारतीय जीवन बीमा निगम पॉलिसीधारक के नामिती को, यदि पॉलिसीधारक की मृत्यु युद्ध, दंगे हत्या या आतंकवादी हमले से हुई हो, मूल बीमित

राशि और बोनस, यदि कोई हो, की अदायगी अवश्य करता है, लेकिन दुर्घटना-लाभ, यदि उसका विकल्प दिया भी गया हो, का भुगतान नहीं किया जाता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि युद्ध, हमले, विदेशी शत्रु की कार्रवाइयों, शत्रुता (भले युद्ध घोषित किया गया हो अथवा नहीं), गृह यूद्ध, विद्रोह इत्यादि के कारण हुई हानियां विश्व भर में दुर्घटना बीमा में शामिल नहीं की जातीं।

[अनुवाद]

जाति प्रमाणपत्र

7811. **श्री विलास मुत्तेमवार : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार, विद्यालयों/महाविद्यालयों में प्रवेश में छूट तथा अन्य प्रकार के लाभ प्राप्त करने के लिए गलत/नकली जाति प्रमाणपत्र पेश करने के कई मामले सरकार की जानकारी में आए है;

(ख) क्या इन प्रमाणपत्रों को जारी करने के लाभ या इनके माध्यम से नियमों के तहत छुट आदि लाभ प्राप्त करते समय, इसके समुचित सत्यापन के लिए सरकार द्वारा कोई सुस्पष्ट प्रक्रिया नहीं निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इन प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए कार्यालयों और शैक्षिक संस्थाओं में विभिन्न स्तरों पर एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र संवीक्षा समिति नियुक्त करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जाति प्रमाण-पत्रों को जारी करने तथा सत्यापित करने सम्बन्धी कार्य-सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक स्थिति सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों के निर्गमन की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के सम्बन्ध में, उच्चतम न्यायालय ने कुमारी माधुरी पाटिल तथा अन्य बनाम अपर आयुक्त, जनजाति विकास तथा अन्य के मामले में 1994 की सिविल अपील संख्या 5854 में अपने निर्णय में जाति प्रमाण पत्रों, इसकी जांच तथा अनुमोदन, सत्यापन तथा सामाजिक स्थिति विषयक प्रमाण पत्रों के निर्गमन का पर्याप्त ज्ञान रखने वाले अधिकारियों की समिति के गठन, निगरानी प्रकोष्ठ आदि के गठन के सम्बन्ध में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाई जाने वाली व्यापक प्रक्रिया के बारे में व्यवस्था दी है ताकि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उपलब्ध लाभों का दुरूपयोग अविवेकी तत्वों द्वारा किए जाने की रोकथाम की जा सके। भारत सरकार ने भी जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को समय-समय पर अनुदेश/दिशानिर्देश जारी किए हैं।

एन०आई०एस०एस०टी० की परिसंपत्तियों का आई०सी०ए०आर० को अंतरण

7812. **श्री रामशेठ ठाकुर :**
श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री अशोक ना० मोहोल :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान (एन० आई०एस०एस०टी०) की परिसंपत्तियों का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई०सी०ए०आर०) को अंतरण कर देने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या एन०आई०एस०एस०टी० की परिसंपत्तियों का आई०सी०ए०आर० को अंतरण कर देने की अनुशंसा केन्द्रीय मानीटरिंग ग्रुप ने भी की है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय मानीटरिंग समूह ने 27 जनवरी, 2000 को हुई अपनी बैठक में निम्नानुसार सिफारिश की थी :—

> "यद्यपि राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ में भवन जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर में पर्याप्त निवेश किया जा चुका है लेकिन चूंकि यह स्थान के रूप में पूर्णतया विकसित नहीं हुआ है इसलिए समूह इस संस्थान को समाप्त करने की जोरदार सिफारिश करता है और भूमि सहित भवन को किसी केन्द्रीय एजेंसी, जो इस क्षेत्र में भवन की तलाश कर रही हो, को अंतरित करने की सिफारिश करता है। यदि कोई ऐसा केन्द्रीय संस्थान कोई रुचि नहीं लेता है तो विभाग को इन परिसम्पत्तियों को राज्य सरकार को अंतरित करने की संभावनाओं का भी पता लगाना चाहिए। यदि इस संस्थान द्वारा कोई विशेषज्ञता प्राप्त कार्य निष्पादित किया जाना हो तो उसे राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर को सौंप दिया जाए, जिसकी चीनी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और चीनी उद्योग में अंततः नियोजन हेतु कार्मिकों को प्रशिक्षित करने की अच्छी प्रतिष्ठा है।"

(ग) और (घ) केन्द्रीय मानीटरिंग समूह की सिफारिशों के अनुसरण में, सरकार ने राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान की परिसम्पत्तियों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अंतरित करने का मामला उठाया है ताकि राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ में सृजित परिसम्पत्तियों और इस पर हुए पूंजीगत खर्च का परिषद द्वारा लाभकारी

उपयोग किया जा सके। कृषि और सहकारिता मंत्रालय के अधीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक निकाय है। योजना आयोग ने राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ में परिसम्पत्तियों और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुपुर्दगी तथा उपयोग के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अपनी अनापत्ति भेज दी है।

भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापार

7813. श्री पी०आर० किन्डिया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच वर्षवार किन-किन मदों का तथा कितने मूल्य का विदेश व्यापार हुआ;

(ख) क्या इंडोनेशिया से होने वाले आयात की तुलना में भारत से उसे होने वाले निर्यात का प्रतिशत काफी कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं; और

(घ) इंडोनेशिया को निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रमुख वस्तुओं के इंडोनेशिया को किए गए निर्यातों तथा वहां से किए गए आयातों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

निर्यात (मूल्य मि० अम० डालर में)

क्र०सं०	वस्तु	1999-2000	2000-01	2001-2002 (अप्रैल-दिस०)
1.	तेल खाद्य	50.70	68.60	37.83
2.	मूंगफली	43.49	36.54	16.42
3.	रंजक/मध्यवर्ती तथा कोलतार रसायन	40.25	25.24	11.92
4.	परिवहन उपकरण	8.12	23.50	6.68
5.	कॉटन यार्न, फेब्रिक्स, मेडअप्स	16.96	22.36	16.19
6.	अकार्बनिक/कार्बनिक/कृषि रसायन	16.09	22.10	12.85
7.	प्राथमिक तथा अर्द्ध-परिष्कृत लोहा एवं इस्पात	18.32	20.60	21.58
8.	प्लास्टिक तथा लिनोलियम उत्पाद	8.02	20.19	18.71
9.	मानव निर्मित यार्न, फैब्रिक्स, मेड-अप्स	10.04	17.32	19.76
10.	मशीनरी तथा उपकरण	13.51	16.79	11.18
11.	औषधि, भेषज तथा परिष्कृत रसायन	13.70	14.44	10.30
12.	चीनी	0.04	2.39	68.76
	कुल अन्य वस्तुएं समेत	324.71	399.24	353.67

(स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, कलकत्ता)

आयात मूल्य मि० अम० डालर में

क्र०सं०	वस्तु	1999-2000	2000-01	2001-2002 (अप्रैल-दिस०)
1	2	3	4	5
1.	वनस्पति तेल नियत (खाद्य)	311.05	388.61	288.67
2.	कोयला, कोक तथा ब्रिकेट्स इत्यादि	84.33	81.05	86.59
3.	कार्बनिक रसायन	55.49	50.24	35.90
4.	लकड़ी तथा लकड़ी उत्पाद	41.27	41.83	60.92

1	2	3	4	5
5.	अकार्बनिक रसायन	9.96	41.35	21.97
6.	मानव निर्मित फिलामेंट/स्पन यार्न	31.05	31.18	28.21
7.	इलैक्ट्रानिक वस्तुएं	23.01	27.95	13.96
8.	लुगदी, अपशिष्ट कागज	20.99	25.89	14.94
9.	धातुमय अयस्क तथा धातु स्क्रैप	31.57	20.76	52.28
10.	रंगाई, शोधन, कलरिंग सामग्री	16.48	16.69	17.31
	कुल अन्य वस्तुएं समेत	958.79	902.54	773.35

(स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, कलकत्ता)

(ख) और (ग) इंडोनेशिया से हमारे आयातों की तुलना में हमारे निर्यातों का प्रतिशत कम है जिसका मुख्य कारण अपरिष्कृत पाम तेल का आयात होना तथा आसियान आर्थिक संकट के बाद हमारे निर्यात में कमी आना है। तथापि, हमारा निर्यात बढ़ाना शुरू हो गया है।

(घ) हमारे निर्यात को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों में शामिल हैं – संबंधित वाणिज्य मंडलों एवं व्यापार घरानों के बीच सम्पर्कों को प्रोत्साहित करना, प्रति व्यापार व्यवस्था, उच्च स्तरीय शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान गुणवत्ता युक्त भारतीय उत्पादों के प्रदर्शन एवं उनकी बिक्री हेतु प्रमुख डिपार्टमेंट स्टोरों के साथ भारत संवर्धन माह का आयोजन।

[हिन्दी]

निर्माण क्षेत्र की कम्पनियों पर आयकर छापे

7814. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वित्त वर्षों के दौरान महानगरों, विशेषकर दिल्ली, में आयकर अपवंचन के आरोप में आयकर अधिकारियों द्वारा निर्माण क्षेत्र की कितनी कम्पनियों पर छापे डाले गए;

(ख) ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं और उनके विरूद्ध दर्ज मामलों के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी कम्पनियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) गत तीन वित्त वर्षों के दौरान आयकर विभाग द्वारा चार महानगरों में 38 निर्माण कम्पनियों की तलाशी ली गई है।

(ख) इन कम्पनियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन कम्पनियों के विरूद्ध पंजीकृत किए गए मामलों के ब्यौरे के संबंध में कृपया भाग (ग) के उत्तर को देखें।

(ग) तलाशी के मामले में उस माह जिसमें तलाशी की गई थी, की समाप्ति से दो वर्ष के भीतर एक कर निर्धारण करके कर निर्धारण योग्य अप्रकटित आय पर कर और ब्याज लगाया जाता है। तलाशी के दौरान जब्त की गई परिसम्पत्तियां ऐसे लगाये गए कर/ब्याज के विरूद्ध समायोजित की जाती हैं। मामलों को अभियोजन चलाने के लिए भी तैयार किया जाता है। इन कंपनियों के मामले में कर-निर्धारण की स्थिति भी विवरण में दी गई है।

विवरण

महानगर का नाम	क्रम सं०	कम्पनी का नाम	कर-निर्धारण की स्थिति
1	2	3	4
दिल्ली	1.	मैसर्स अंसल ग्रुप ऑफ कम्पनीज	पूरा हो गया
	2.	मैसर्स वाटिका ग्रुप आफ कम्पनीज	पूरा हो गया
	3.	मैसर्स उप्पल हाऊसिंग (प्रा०) लि०	पूरा हो गया
	4.	मैसर्स जे०एम० कंस्ट्रक्सन (प्रा०) लि०	पूरा हो गया
	5.	मैसर्स माल्हम बिल्डर्स	पूरा हो गया
	6.	मैसर्स ओशन कंस्ट्रक्सन इंडस्ट्रीज (प्रा०) लि०	पूरा हो गया
	7.	मैसर्स लुकिंग ऐज कंस्ट्रक्शन (प्रा०) लि०	पूरा हो गया
	8.	मैसर्स आर०एस०ए० एसोसिएट्स (प्रा०) लि०	लम्बित
	9.	मैसर्स महाजन ग्रुप आफ कम्पनीज	लम्बित
	10.	मैसर्स तनेजा बिल्डर्स	लम्बित

1	2	3	4
मुम्बई	1.	मैसर्स हर्मिटेज कंस्ट्रक्शन्स	पूरा हो गया
	2.	मैसर्स लवलेश कंस्ट्रक्शन्स (प्रा०) लि०	पूरा हो गया
	3.	मैसर्स लवलेश कलासिक डेवलपर्स (प्रा०) लि०	पूरा हो गया
	4.	मैसर्स रे कंस्ट्रक्शन (प्रा०) लि०	पूरा हो गया
	5.	प्रकाश बिल्डिंग एशोसिएट्स लि०	पूरा हो गया
	6.	टर्मेट कंसट्रक्शन (प्रा०) लि०	पूरा हो गया
	7.	डोडसल ग्रुप	लम्बित
	8.	मैसर्स हिन्दुस्तान कंसट्रक्शन	लम्बित
	9.	मैसर्स एकोर्ड बिल्डर्स (प्रा०) लि०	लम्बित
	10.	रहेजा ग्रुप	लम्बित
	11.	धीरज ग्रुप	लम्बित
	12.	मैसर्स एस०के० एंटरप्राइजेज	लम्बित
	13.	मैसर्स पटेल इंजीनियरिंग लि०	लम्बित
	14.	मैसर्स ऐवरशाइन बिल्डर्स (प्रा०) लि०	लम्बित
	15.	विकास काम्पलैक्स	लम्बित
	16.	मैसर्स रिलायंस कंस्ट्रक्शन कं०	लम्बित
	17.	मैसर्स गम्मोन इंडिया लि०	लम्बित
	18.	मैसर्स सेठ डैबलपर्स लि०	लम्बित
	19.	मैसर्स समर्थ डेवलपमेंट कार्पोरेशन	लम्बित
	20.	मैसर्स एस०एन० ठक्कर एंड कं०	लम्बित
	21.	मैसर्स मिशिगन इंजीनियरिंग	लम्बित
	22.	क्लासिक कंस्ट्रकशन कं०	लम्बित
चैन्नई	1.	मैसर्स टी०सी०वी० इंजीनियरिंग लि०	लम्बित
	2.	मैसर्स आरिहन्त फाउंडेशन्स एंड हाऊसिंग लि०	लम्बित
कोलकाता	1.	सिम्लैक्स प्रोजेक्टस (प्रा०) लि०	पूरा किया
	2.	मोदी भगत ग्रुप	पूरा किया
	3.	एम०एल० डालमिया एंड कं०लि०	लम्बित
	4.	मार्लिन ग्रुप	लम्बित

[अनुवाद]

रुस के साथ व्यापारिक संबंध

7815. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रुस के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो दोनों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(ग) वर्ष 2002-2003 में निर्यात/आयात के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) जी, हां। फरवरी 2002 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ भारत रुस व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय और सांस्कृतिक सहयोग संबंधी अन्तर्सरकारी आयोग (आई०आर०आई०जी०सी०) के आठवें सत्र के दौरान यह नोट किया गया था कि मौजूदा भारत-रुस द्विपक्षीय व्यापार से उसकी वास्तविक क्षमता प्रदर्शित नहीं होती है। इस संबंध में दोनों पक्षों ने पारस्परिक व्यापार के सतत विकास और अनवरत विविधता व। सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत स्वीकार की थी। दोनों पक्षों ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की थी कि सामान्य वाणिज्यिक शर्तों के आधार पर व्यापार के क्रमिक संक्रमण को बढ़ाने के लिए सरकारी स्तर पर तथा व्यापारिक क्षेत्रों के बीच संपर्क को बढ़ाकर दोनों प्रकार से समस्त प्रयास किए जाने की जरूरत है और इस संदर्भ में भारत और रूस के वित्तीय संस्थानों के बीच सहयोग के विकास में हुई प्रगति को नोट किया गया था। दोनों देशों में आर्थिक एवं वाणिज्यिक अवसरों के बारे में बेहतर समझ बनाने के लिए भारत और रुसी उद्यमियों के बीच संबंधित एवं प्रत्यक्ष विचार-विनिमय को सक्रियतापूर्वक आगे बढ़ाने और उसे अधिक सुकर बनाने की जरूरत पर भी बल दिया गया था।

(ग) वर्ष 2002-2003 में निर्यात तथा आयात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए गैर-निष्पादनकारी आस्तियों संबंधी मानदंड

7816. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री अधीर चौधरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए गैर-निष्पादनकारी आस्तियों संबंधी मानदंडों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गैर-निष्पादनकारी आस्तियों को रोकने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न मार्गनिर्देशों पर समुचित रूप से अमल नहीं किया जा रहा;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान इस प्रकार के उल्लंघन के कितने मामले सरकार की जानकारी में आये तथा इनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए अथवा उठाने का प्रस्ताव है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों का समुचित रूप से पालन किया जाये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने शीघ्रावधि मांग ऋणों के संबंध में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए अनुपयोज्य आस्ति संबंधी मानदण्डों में हाल ही में संशोधन किया है। बैंक ने निदेश दिए हैं कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निर्दिष्ट तारीख नियम करनी चाहिए जिसके दौरान एन०बी०एफ०सी० द्वारा ऋण की चुकौती की मांग की जाएगी। ऐसी नीति इसके निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुमोदित होनी चाहिए। यदि निर्दिष्ट तारीख एक वर्ष के बाद है तो मंजूरी प्राधिकारी को इसके लिए विशिष्ट कारण बताए जाने चाहिए। नीति में ब्याज की दर के साथ-साथ अन्तराल, जिसमें ब्याज देय है, भी नियत किया जाना चाहिए। यदि ब्याज की अदायगी के लिए कोई ऋण स्थगन किया जाता है तो इसके लिए कारणों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। नीति में ऋण के निष्पादन की समीक्षा के लिए छ: माह से अनधिक की निर्दिष्ट तारीख नियम की जानी चाहिए। ये निदेश 31 मार्च, 2002 से लागू हो चुके हैं। अत: भारतीय रिजर्व बैंक ने उपर्युक्त निर्धारण के द्वारा एन०बी०एफ०सी० द्वारा दिए गए मांग ऋणों को विवेकपूर्ण मानदण्ड निदेशों के दायरे में कर दिया है। एन०बी०एफ०सी० को यह भी सलाह दी गई है कि बैंक के विवेकपूर्ण मानदण्डों संबंधी निदेशों में दी गई 'पिछली देयराशि' की अवधारणा 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्रों से समाप्त समझी जाए।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एन०बी०एफ०सी० के आवधिक निरीक्षण से पता चला कि कुछ कंपनियां अनुपयोज्य आस्तियों यथा आस्ति वर्गीकरण, आय पहचान एवं प्रावधान संबंधी विवेकपूर्ण मानदण्ड के निदेशों का पालन नहीं कर रही थी। चूककर्ता एन०बी०एफ०सी० को एक पर्यवेक्षी पत्र द्वारा इन कमियों की सलाह दी जाती है और उनकी अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त की जाती है। चूककर्ता एन०बी०एफ०सी० के विरूद्ध उनका पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करके कार्रवाई शुरू की जाती है।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 से प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक नियामक एवं पर्यवेक्षी तंत्र स्थापित किया गया है कि ये कंपनियां ठोस एवं लाभप्रद तरीके से कार्य करें तथा जमाकर्ताओं के हितों की पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करें। इस तंत्र में (क) एन०बी०एफ०सी० का कार्यस्थल पर निरीक्षण, (ख) सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके एन०बी०एफ०सी० से आवधिक नियंत्रण विवरणियों के माध्यम से एन०बी०एफ०सी० की स्थलेतर निगरानी, (ग) प्रभावी बाजार आसूचना कार्य तथा (घ) एन० बी०एफ०सी० के लेखापरीक्षकों द्वारा विशिष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रणाली शामिल है। नियामक ढांचे में अन्य बातों के साथ-साथ अनिवार्य पंजीकरण, चल आस्तियों का अनुरक्षण, कम स कम 20% निवल लाभ आरक्षित निधि में अन्तरित करना और भारतीय रिजर्व बैंक को एन०बी०एफ०सी० को निदेश जारी करने की शक्तियां प्रदान करना भी शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक चूककर्ता एन०बी०एफ०सी० के विरूद्ध विभिन्न चूकों के लिए तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबंधों एवं इसके अन्तर्गत जारी निदेशों का उल्लंघन करने के लिए विभिन्न कार्यवाहियां करता है। सरकार ने 13 दिसम्बर, 2000 को लोक सभा में वित्तीय कंपनी विनियमन विधेयक, 2000 भी पेश किया है। माननीय अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा विधेयक को वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

बैंकों में ढांचागत परिवर्तन

7817. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के प्रबंधन में ढांचागत परिवर्तन लाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रचालन कार्यनीति तैयार करने के मद्देनजर किन-किन पदों का सजृन किये जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनरूद्धार

7818. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार के अधीनस्थ किन-किन सरकारी उपक्रमों और राज्य-स्थित केन्द्र सरकार के किन-किन सरकारी उपक्रमों के पुनरूद्धार का प्रस्ताव औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के विचाराधीन है; और

(ख) इन उपक्रमों की उपक्रमवार वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसके लिए क्या-क्या पुनरूद्धार योजनाएं तय की गई हैं ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभ भाई कथीरिया) : (क) और (ख) लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2000-2001 के अनुसार 31.3.2001 तक की सूचना उपलब्ध है, जिसके अनुसार पंजीकृत कार्यालयों की अवस्थिति के आधार पर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 37 उपक्रम पश्चिम बंगाल में स्थित थे। इन में से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 20 उपक्रम 31.12.2001 तक औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपे गए हैं, जिनकी स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

31.12.2001 की स्थिति के अनुसार औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपे गए उपक्रमों की स्थिति सहित सूची

क्र० सं०	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	स्थिति
1	2	3
1.	बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०	नवीकरण योजना स्वीकृत
2.	बंगाल इम्युनिटी लि०	नवीकरण योजना स्वीकृत
3.	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि०	नवीकरण योजना स्वीकृत
4.	भारत ऑप्थैल्मिक ग्लास लि०	योजना का प्रारूप परिचालित
5.	भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स लि०	बंद करने की सिफारिश
6.	बीको लॉरी लि०	रूग्ण नहीं घोषित
7.	बर्ड्स, जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लि०	जांच चल रही है
8.	ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि०	नवीकरण योजना स्वीकृत
9.	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि०	असफल व पुन: खोला गया
10.	साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि०	बंद करने की सिफारिश
11.	इस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	जांच चल रही है
12.	इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि०	बंद करने का नोटिस जारी
13.	जेसप एण्ड कंपनी लि०	असफल व पुन: खोला गया
14.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि०	बंद करने की सिफारिश
15.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि०	नवीकरण योजना स्वीकृत
16.	नेशनल जूट मैन्यु० कारपोरेशन लि०	बंद करने का नोटिस जारी
17.	नेटेका (प० बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा) लि०	योजना का प्रारूप परिचालित
18.	आरबीएल लि०	बंद करने का नोटिस जारी
19.	स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड फार्मास्युटिकल स्युटिकल्स लि०	बंद करने का नोटिस जारी
20.	टायर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०	योजना का प्रारूप परिचालित

उड़ीसा स्थित सरकारी उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

7819. श्री के०पी० सिंह देव : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में केंद्र सरकार के अधीनस्थ कितने सरकारी उपक्रम कार्यरत हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक का कार्यनिष्पादन कैसा रहा;

(ग) क्या उड़ीसा स्थित कुछ सरकारी उपक्रमों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी०आर०एस०) लागू की है;

(घ) यदि हां, तो इन उपक्रमों के उपक्रमवार कितने कर्मचारियों ने वी०आर०एस० लिया; और

(ङ) वी०आर०एस० के लागू होने का क्या वित्तीय प्रभाव पड़ेगा ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा वल्लभ भाई कथीरिया) : (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सरकार द्वारा घोषित वर्तमान नीति के अनुसार करना होता है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प देने वाले कर्मचारियों की संख्या तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति क्षतिपूर्ति के रूप में उनको दी गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में उल्लिखित है।

विवरण

लाभ/हानि करोड़ रुपयों में

क्र०सं०	उद्यम का नाम	1998-99	1999-2000	2000-2001
1.	महानदी कोलफील्ड्स लि०	406.31	376.55	393.58
2.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि०	248.25	511.53	655.83
3.	उड़ीसा ड्रग्स एण्ड कैमिकल्स लि०	(-)0.94	(-)0.97	(-)0.97
4.	पारादीप फास्फेट्स लि०*	(-)57.95	23.96	(-)141.03
5.	उत्कल अशोक होटल निगम लि०	(-)0.69	(-)1.03	(-)0.98

	31.3.2001 तक वीआरएस का विकल्प देने वाले कर्मचारियों की संख्या	स्वैच्छिक सेवा-निवृति क्षतिपूर्ति के रूप में दी गई राशि (करोड़ रुपए)
1. महानदी कोलफील्ड्स लि०	81	1.60
2. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि०	28	0.69
3. उड़ीसा ड्रग्स एण्ड कैमिकल्स लि०	—	—
4. पारादीप फास्फेट्स लि०*	25	0.25
5. उत्काल अशोक होटल निगम लि०	—	—

टिप्पणी- '—' शून्य दर्शाता है।

*उद्यम का विनिवेश 28.2.2002 को किया गया था और अब यह सरकारी उपक्रम नहीं है।

वस्त्र क्षेत्र में रोजगार के अवसर

7820. **श्री भुर्त्रहरि महताब : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वस्त्र उद्योगों के माध्यम से जीवन यापन कर रहे लोगों की नियमित वार्षिक जनगणना कराई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1991 और 2001 की स्थिति के अनुसार उक्त उद्योग में कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं;

(घ) क्या गत दस वर्षों के दौरान वस्त्र उद्योग में रोजगार के अवसरों में गिरावट आई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) और (ख) वस्त्र मंत्रालय कोई नियमित जनगणना नहीं करता रहा है।

(ग) और (घ) जनगणना के अभाव में, वस्त्र उद्योग के माध्यम से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपनी जीविका चलाने वाले लोगों के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तथापि, सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिल क्षेत्र (गैर-एसएसआई), विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र, सिले-सिलाये परिधान क्षेत्र, संगठित पटसन क्षेत्र और मानव निर्मित फाइबर और फिलामेट यार्न क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है :—

क्षेत्र	रोजगार (लाख में)	
	31.12.1990	31.12.2001
सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिल क्षेत्र (गैर एस०एस०आई०)	11.08 @	9.98
सूती/मानव निर्मित फाइबर कताई एस०एस०आई०	00.24 *	0.35
विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र	26.11	41.64
सिले-सिलाये परिधान क्षेत्र	30.00 $	35.40**
संगठित पटनस क्षेत्र		02.00
विकेन्द्रीकृत पटसन क्षेत्र		02.00
मानव निर्मित फाइबर व फिलामेंट यार्न क्षेत्र	0.56 #	0.74

@ 31.3.1991 की स्थिति अनुसार

* 31.3.1997 की स्थिति अनुसार

31.3.1992 की स्थिति अनुसार

$ नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कार्यशील समूह रिपोर्ट के अनुसार

** दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कार्यशील समूह की प्रारूप रिपोर्ट के अनुसार

उपरोक्त के अलावा, एक बड़ी संख्या में लोग हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम उत्पादन और ऊन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कार्य कर अपनी जीविका चला रहे हैं जिनकी संख्या का अनुमान 25 मिलियन लोग लगाया जा रहा है।

(ङ) वस्त्र के क्षेत्र के मुख्यत: श्रम प्रधान क्षेत्र होने के कारण, इस क्षेत्र के वृद्धि और विकास हेतु सरकार द्वारा उठाये गये कदम अधिक रोजगार अवसर प्रदान करते हैं। हाल में उठाये गये कुछ कदमों में राष्ट्रीय वस्त्र नीति की घोषणा, जिसका लक्ष्य एक मजबूत और गतिशील उद्योग, जो स्थाई रोजगार और आर्थिक विकास के प्रावधान के प्रति अधिकाधिक अंशदान करने में सक्षम हो, का विकास करना; वस्त्र उन्नयन निधि योजना (टी०यू०एफ०एस०) तथा कपास प्रौद्योगिकी मिशन योजनाओं को प्रारंभ करना; एस०एस०आई० से परिधान उद्योग का अनारक्षण; निटवियर क्षेत्र की निवेश सीमा में वृद्धि; टी०यू०एफ०एस० और अन्य विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बुनाई क्षेत्र के आधुनिकीकरण हेतु योजना है।

अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुनना

7821. **श्री सुकदेव पासवान :**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री रामदास आठवले :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की श्रेणीवार और पद-वार संख्या कितनी है जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुना है;

(ख) इन अधिकारियों और कर्मचारियों को क्या-क्या लाभ प्रदान किये गए हैं;

(ग) ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनके आवेदन आज की तिथि के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना हेतु लंबित है;

(घ) क्या उनके मंत्रालय का कार्यकरण इन सेवानिवृत्तियों के कारण प्रभावित हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) उक्त संबंधित अधिकारियों को उनकी सेवा के संबंध में लागू पेंशन नियमावली, अवकाश नियमावली, भविष्य निधि नियमावली, समूह बीमा योजना नियमावली आदि के यथोचित प्रावधानों के अनुसरण में उनकी हकदारी के अनुसार सभी प्रकार के लाभ प्रदान किए गये थे।

(ग) शून्य।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र० स०	कार्यालयों के नाम	वर्गवार	पदवार	कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	वस्त्र मंत्रालय (मुख्य)	समूह 'क'	प्रधान निजी सचिव	1
2.	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)	—	—	शून्य
3.	विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय	समूह 'क'	निदेशक	1
			उप-निदेशक	1
		समूह 'ख'	कार्यालय अधीक्षक	1
			तकनीकी सहायक	1
			सहायक निदेशक ग्रेड II	1
		समूह 'ग'	उप-अधीक्षक	1
			अवर श्रेणी लिपिक	2
			बुनकर ग्रेड I	1
			चालक	1
			पुस्तकाध्यक्ष	1
			वारपर	1
			रंजक	1
			विशेषज्ञ छपाईकर्त्ता	1
			तकनीशियन	1
			ब्लॉक छपाईकत्ता	1
			वरिष्ठ आशुलिपिक	1
		समूह 'घ'	चौकीदार	1
			गैलरी अटैंडैन्ट	1
4.	वस्त्र आयुक्त का कार्यालय	समूह 'क'	सहायक निदेशक ग्रेड I	1

1	2	3	4	5
		समूह 'ख'	सहायक निदेशक ग्रेड II	1
		समूह 'ग'	सहायक	1
			अवर श्रेणी लिपिक	3
		समूह 'घ'	चपरासी	1
			दफ्तरी	1
5.	पटसन आयुक्त का कार्यालय	—	—	शून्य

उपभोक्ता न्यायालय

7822. श्री मोहन रावले :
श्री श्रीनिवास पाटील :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उपभोक्ता न्यायालयों में उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटान के संबंध में जनसाधारण में जागरूकता उत्पन्न करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत वर्ष के दौरान इस संबंध में कितने उपभोक्ता जागरूकता अभियान आयोजित किये गये; और

(घ) सरकार द्वारा उपभोक्ता न्यायालयें में मामलों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) सरकार द्वारा लोगों को उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों और दोषपूर्ण वस्तुओं और त्रुटिपूर्ण सेवाओं के खिलाफ उनकी शिकायतों के प्रतितोष के लिए उपलब्ध मंचों के प्रति जागरूक बनाने के निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में श्रव्य, दृश्य और प्रिंट मीडिया के जरिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए हैं। स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों द्वारा भी उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिसके लिए उपभोक्ता कल्याण कोष से वित्तीय सहायता उपब्ध है। उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए गत वर्ष 23 स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को सहायता मुहैया कराई गई। गत वर्ष देश के 41 जिलों में जागृति शिविर योजना के तहत जागरूकता कैंप संचालित करने के लिए भी उपभोक्ता कल्याण कोष से सहायता मंजूर की गई।

(घ) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन करने के लिए 26 अप्रैल, 2001 को राज्य सभा में एक विधेयक पुर:स्थापित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता शिकायतों के शीघ्र निपटान को सुकर बनाना, प्रतितोष एजेन्सियों की क्षमता में वृद्धि करना, उन्हें अधिक शक्तियां देकर मजबूत बनाना, प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाना और अधिनियम को अधिक प्रयोजनमूलक और प्रभावी बनाने के लिए उसके कार्यक्षेत्र का विस्तार करना है। विधेयक को राज्य सभा द्वारा 11.3.2002 को पारित किया जा चुका है।

अन्य देशों के समान सीमा शुल्क

7823. श्री एस० मुरूगेसन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों में लागू सीमा शुल्क और हमारे देश में प्रचालित सीमा शुल्क के संदर्भ में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास सीमा शुल्क को अन्य देशों के समान करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) वित्त मंत्रालय में ऐसा कोई अध्ययन नहीं कराया गया है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सरकार ने यह निर्णय लिया है कि, वर्ष 2004-05 तक, सीमा शुल्क के केवल दो मूल दरे होंगी अर्थात् 10% जिसके अंतर्गत सामान्यतया कच्ची सामग्रियां, मध्यवर्ती उत्पाद और संघटक आर्गेने और 20% जिसके अंतर्गत सामान्य रूप से अंतिम उत्पाद आयेंगे। कृषि उत्पादों के उच्च टैरिफ अथवा विश्व व्यापार संगठन की बाध्यताओं के परिणामस्वरूप कुछेक अपवादों को छोड़कर मौजूदा दरों को इन दो मूल दरों में समायोजित और सम्मिलित कर दिया जायेगा।

[हिन्दी]

थोक मूल्य और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

7824. श्री जयभान सिंह पवैया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार माह के दौरान आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आंकिक आधार पर (प्वाइंट टू प्वाइंट बेसिस) मुद्रास्फीति की सप्ताहिक दर क्या है;

(ग) मूल्य सूचकांक में लगातार वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) मुद्रास्फीति की दर पर पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि को रोकने और मुद्रास्फीति की दर को स्थिर रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) गत चार माह के दौरान 30 अनिवार्य वस्तुओं के समूह का थोक मूल्य सूचकांक और औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और इन सूचकांकों के आधार पर मुद्रास्फीति दरें नीचे दी गई सारणी में दर्शाई गई हैं :–

अनिवार्य वस्तुओं के लिए थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक – औद्योगिक कामगार

	थोक मूल्य सूचकांक (मासिक औसत) (1993-94 = 100)		उ०मू० सूचकांक-औ०का० (1982 = 100)	
2000	सूचकांक	मुद्रास्फीति (प्रतिशत)	सूचकांक	मुद्रास्फीति (प्रतिशत)
जनवरी	163.9	1.61	438	3.79
फरवरी	166.2	3.55	436	4.31
मार्च	168.3	4.21	438	4.53
अप्रैल	168.6	2.99		

(ख) थोक मूल्य सूचकांक साप्ताहिक आधार पर अभिकलित किया जाता है जबकि औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक माह के अंतराल पर केवल मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है।

गत चार माह के दौरान इन दोनों सूचकांकों पर आधारित बिन्दु-दर-बिन्दु वार्षिक मुद्रास्फीति दरें संलग्न विवरण में दर्शाई गई हैं।

(ग) 2001-02 के पूरे राजकोषीय वर्ष में थोक मूल्य सूचकांक में मात्र 1.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई और अप्रैल, 2002 के दौरान इसमें मात्र 0.2 प्रतिशत की और वृद्धि हुई। फुटकर स्तर पर औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वर्ष 2001-02 के दौरान 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(घ) वर्ष 2001-02 की अधिकांश अवधि में कच्चे तेल के कम अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के कारण वर्ष 2001-02 के दौरान घरेलू ऊर्जा मूल्य कम बने रहे। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में फरवरी, 2002 के बाद स्थिरता आ गई लेकिन ऊर्जा उत्पादों की मूल्य वृद्धि 1 अप्रैल, 2002 से प्रशासित मूल्य प्रणाली हटा दिए जाने के बाद भी नियंत्रित रही। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित ईंधन समूह में मूल्य वृद्धि इस समय मात्र 3.9 प्रतिशत है और मुद्रास्फीति दर में लगभग 49 प्रतिशत हिस्सा इस समूह से संबंधित होता है।

(ङ) सरकार मुद्रास्फीति की मांग एवं आपूर्ति पक्षों का निरन्तर अनुवीक्षण करती है। कारगर आपूर्ति प्रबंध नीति के माध्यम से उचित मूल्यों पर व्यापक स्तर पर उपभोग की अनिवार्य वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाता है। मुद्रास्फीति दबावों को नियंत्रित करने के लिए मांग पक्ष की ओर से किए गए उपायों में और अधिक राजकोषीय अनुशासन लाना तथा मुद्रीकृत घाटे और स्थूल मुद्रा (एस 3) की नियमित रूप से मानीटरिंग करना शामिल है।

विवरण

थोक मूल्य सूचकांक और औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित वार्षिक बिन्दु-दर-बिन्दु मुद्रास्फीति की दरें

2002	थो०मू०सू० (1993-94 = 100)		उ०मू०सू० (1982 = 100)	
	सूचकांक	मुद्रास्फीति (प्रतिशत)	सूचकांक	मुद्रास्फीति (प्रतिशत)
जनवरी			467	4.9
5 जनवरी, 02	161.4	1.89		
12 जनवरी, 02	161.3	1.57		
19 जनवरी, 02	160.8	1.39		
26 जनवरी, 02	160.6	1.26		
फरवरी			466	5.2
02 फरवरी, 02	160.6	1.13		
09 फरवरी, 02	160.6	1.20		
16 फरवरी, 02	160.9	1.51		
23 फरवरी, 02	161.0	1.58		
मार्च			468	5.2
2 मार्च, 02	162.0	1.95		
3/9/2002*	161.5	1.51		
3/16/2002*	161.5	1.44		
3/23/2002*	161.6	1.44		
3/30/2002*	161.4	1.38		
अप्रैल				
4/6/2002*	161.7	1.25		
4/13/2002*	162.0	1.25		
4/20/2002*	162.4	1.44		
4/27/2002*	162.5	1.56		

*अनन्तिम

[अनुवाद]

शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए शिविर

7825. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्य करने वाले सभी राष्ट्रीय संस्थानों के लिए शिविर आयोजित करने से संबंधित कोई नई नीति बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश के सुदूर क्षेत्रों में व्यापक शिविर आयोजित करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किये गए हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) जी, हां। सभी राष्ट्रीय संस्थानों को सभी श्रेणियों के विकलांग व्यक्तियों को सहायक यंत्रों और उपकरणों के वितरण हेतु संयुक्त शिवर आयोजित करने का परामर्श दिया गया है ताकि शिविरों में अधिक से अधिक विकलांग आबादी को शामिल किया जा सके। उन्हें शिविरों में विकलांग महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय संस्थानों को देश के सुदूर क्षेत्रों को शामिल करने के लिए चरणबद्ध तरीके से शामिल नहीं किए गए सभी जिलों में शिविर आयोजित करने का भी निर्देश दिया गया है।

[हिन्दी]

ऑटो उद्योग में निवेश

7826. **श्री रामजीलाल सुमन** :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उदारीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद ऑटो उद्योगों में तेजी आई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 में इस उद्योग में कुल कितना पूंजी निवेश किया गया;

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान इस उद्योग में कुल कितना पूंजी निवेश हुआ हैं; और

(घ) उपरोक्त दोनों वर्षों के दौरान इस उद्योग द्वारा कुल कितने मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन किया गया ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभ भाई कथीरिया) : (क) जी, हां। देश में उदारीकरण की प्रक्रिया के तहत् औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद ऑटो उद्योग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

(ख) से (घ) सोसायटी ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 1993-94 में ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए कुल पूंजी निवेश तथा कुल कारोबार क्रमशः 6924 करोड़ रुपये और 16326 करोड़ रुपये थे। वर्ष 2000-2001 के दौरान समग्र ऑटोमोटिव उद्योग के लिए पूंजी निवेश तथा कुल कारोबार क्रमशः 49,500 करोड़ रुपये तथा 81,600 करोड़ रुपये थे।

[अनुवाद]

गुजरात और महाराष्ट्र को ब्रिटेन/अमरीका की सहायता

7827. **श्री माणिकराव होडल्या गावित** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों को अमरीका और ब्रिटेन द्वारा किन-किन क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ब्रिटेन और अमरीका से राज्यवार और क्षेत्रवार कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ग) क्या अमरीका और ब्रिटेन का विचार चालू वर्ष के दौरान गुजरात और महाराष्ट्र के लिए इस वित्तीय अंशदान को बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) ब्रिटेन ने महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों को कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराई है। वर्तमान में अमरीका महाराष्ट्र राज्य को स्वास्थ्य क्षेत्र की परियोजना अर्थात् 'एवर्ट' के कार्यान्वियन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है। यह योजना 7 वर्षों की अवधि के लिए है तथा इसके लिए कुल अनुदान 41.5 मिलियन अमरीकी डालर है। पिछले तीन वर्षों के दौरान यू०एस०एड० से प्राप्त सहायता राशि निम्न प्रकार है :

वर्ष	मिलियन अमरीकी उत्तर
1999-2000	–
2000-2001	–
2001-2002	0.273

(ग) सरकार के पास इस संबंध में कोई सूचना नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एज्बेस्ट्स चादर विनिर्माण इकाइयों का बंद किया जाना

7828. **श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत में एज्बेस्ट्स चादर विनिर्माण इकाइयों को बंद करने का है क्योंकि इसके प्रभाव में आने से कामगारों को फेफड़े का कैंसर हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो एज्बेस्ट्स चादर विनिर्माण इकाइयों को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कब तक बंद किये जाने की संभावना है कि अधिकांश विकसित देशों में इन्हें पहले ही प्रतिबंधित किया जा चुका है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) से (ग) एज्बेस्ट्स के हानिकारक प्रभावों के बारे में कोई निर्णायक वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है इसके अलावा, एज्बेस्ट्स शीट्स का विनिर्माण करने वाले एककों को इन एककों में नियोजित श्रमिकों को एज्बेस्ट्स के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित किए गए विभिन्न सुरक्षा मानदंड अपनाने पड़ते हैं। इसलिए, इस बात का कोई निर्णायक साक्ष्य न होने पर, कि एज्बेस्ट्स के विनिर्माण से इन एककों में कार्यरत श्रमिकों को फेफड़े का कैंसर होता है, इन शीट्स के उत्पादन पर रोक लगाना वांछनीय नहीं है।

जम्मू-कश्मीर में निवेश को बढ़ावा देने हेतु पैकेज

7829. **श्री नरेश पुगलिया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने जम्मू-कश्मीर में निवेश को बढ़ावा देने हेतु और राज्य में मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को पुनः चालू करने हेतु एक व्यापक पैकेज तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उक्त औद्योगिक पैकेज की कब तक घोषणा किये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) से (ग) सरकार ने जम्मू और कश्मीर में नये निवेश आकर्षित करने के लिए दिनांक 24 अप्रैल, 2002 को एक नये औद्योगिक पैकेज को अनुमोदित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उत्पाद शुल्क में छूट, आयकर छूट का जारी रहना, केंद्रीय निवेश राजसहायता और कार्यशील पूंजी पर ब्याज राजसहायता शामिल हैं। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम के अनुरूप एक विशेष प्रयोजन माध्यम पर विचार किया गया है।

उपर्युक्त रियायतें/प्रोत्साहन मौजूदा एककों को अपना पर्याप्त विस्तार करने के उपरांत भी प्रदान किये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

हस्तशिल्प मेला

7830. **डा० अशोक पटेल : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निर्मित हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु हस्तशिल्प मेला आयोजित करने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना को कब तक लागू किये जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) से (ग) जी हां। नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान हस्तशिल्प एवं कालीनों पर, इन मदों के निर्यात संवर्धन के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मेले आयोजित करने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों अर्थात हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (इ०पी०सी०एच०) एवं कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सी०ई०पी०सी०) को वित्तीय सहायता मुहैया करवाने की योजना लागू की गई थी। योजना आयोग की पूर्व अनुमति से इस योजना को 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी रखा जाएगा।

[अनुवाद]

अमरीका द्वारा भारत के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लगाना

7831. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :**
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने भारतीय आयातों के विरूद्ध पाटन रोधी और राज सहायता-रोधी पांच मामलों पर कार्रवाई शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय आयातों पर अमरीकी सरकार द्वारा शुरू किए गए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इस मुद्दे को सुलझाने हेतु कोई वार्ता की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो अमरीका को किए जाने वाले भारतीय निर्यात हेतु स्वतंत्र आवागमन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) 2001 से यू०एस०ए० ने कुछेक हॉट-रोल्ड

कार्टून स्टील फ्लैट उत्पादों; ओलियोरेजिन पपरिका; पोलीएथिलिन टैरफ्थैलेट फिल्म, शीट और स्ट्रिप (पी०ई०टी०); सिलिको-मैग्नीज; कोल्ड रोल्ड कार्टून स्टील फ्लैट उत्पाद तथा ऑयल कंट्री टयूबल गुड्स (ओ०सी० टी०सी०) के आयातों पर भारत के खिलाफ पाटनरोधी एवं प्रतिसंतुलन-कारी शुल्क संबंधी जांच शुरू की है।

(ग) से (ङ) सरकार ने इस प्रकार की जांचों का प्रत्युत्तर देने में भारतीय कंपनियों की हर प्रकार की सहायता की है। पाटनरोधी एवं प्रतिसंतुलनकारी शुल्क संबंधी जांच करने की क्रियाविधि सुस्थापित है और उसका अंतिम निर्धारण के स्तर तक पालन करना होता है। परिणामों पर अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय में अपील की जा सकती है और इस मामले को डब्ल्यू०टी०ओ० के विवाद निपटान निकाय में भी ले जाया जा सकता है। प्रत्येक मामले को गुण-दोष के आधार पर इस प्रकार के पाटनरोधी एवं प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों से यथासंभव सीमा तक बचने के लिए ऐसे विकल्प अपनाये जाते हैं।

किसानों से खाद्यान्नों की खरीद को बंद किया जाना

7832. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के जरिए किसानों से खाद्यान्नों की खरीद का कार्य बंद करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने खरीद हेतु किसी वैकल्पिक सरकारी एजेंसी को पेश करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मुक्त सहायता

7833. **श्रीमती रेणूका चौधरी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में वाशिंगटन में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में सरकार ने आसान शर्तों पर "अनटाइड ऐड" की मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी "अनटाइड ऐड" की मांग की गई; और

(ग) इस पर विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सब प्रकार के वित्त-साधन असहबद्ध होते हैं। इसलिए विशेष अनुरोध अथवा प्रस्ताव के जरिए असहबद्ध सहायता प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं है। विश्व बैंक की सहायता के संभावित क्षेत्रों, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई०डी०ए०) से आसान शर्तों पर ऋण भी शामिल हैं, पर सामान्य और पारस्परिक विचार-विमर्श हुआ था।

[हिन्दी]

बहुराष्ट्रीय कंपनियों संबंधी श्वेत पत्र

7834. **श्री शिवाजी माने :**
श्री अशोक ना० मोहोल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कार्यरत बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्यकरण पर एक श्वेत पत्र लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्यकरण पर सत्तर और अस्सी के दशक के दौरान कोई अध्ययन कराया था;

(घ) यदि हां, तो उक्त अध्ययन के क्या निष्कर्ष थे; और

(ङ) उक्त निष्कर्षों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्यकण पर कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आतंकवादी गतिविधियों के लिए वित्त पोषण

7835. **डा० ए०डी०के० जयशीलन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में आतंकवादी गतिविधियों के लिए वित्तपोषण को बंद करने हेतु वित्तीय सूचना के आदान-प्रदान हेतु अमेरिका के साथ विचार-विमर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अमेरिका के साथ ऐसे समझौते के क्या गुण-दोष हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) आतंकवाद का मुकाबला करने से संबंधित भारत-अमरीका संयुक्त कार्य दल की नई दिल्ली में दिनांक 21-22 जनवरी को सम्पन्न हुई चौथी बैठक में दोनों पक्षों ने अन्य बातों के साथ-साथ, आतंकवादी गतिविधियों के वित्त-पोषण पर विस्तृत चर्चा की और यह सहमति व्यक्त की कि वित्तीय प्रवाहों के अनौपचारिक माध्यमों का व्यापक स्तर पर प्रयोग सरकारों के लिए एक विशेष चुनौती के रूप में सामने आया है। उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि आतंकवादी संगठनों को मिलने वाली वित्तीय प्राप्तियों को समाप्त करने में अपेक्षाकृत अधिक सहयोग और पारस्परिक क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण से यह आतंकवाद का मुकाबला करने के उनके सहयोग का एक महत्वपूर्ण घटक होगा।

(ग) आतंकवादी संगठनों की वित्तीय परिसम्पत्तियों और उन्हें निधियों का अन्तरण समाप्त करने के लिए किया जाने वाला अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरूद्ध युद्ध का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसे 28 सितम्बर, 2001 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संकल्प 1373 द्वारा स्वीकारा गया है। सरकार देशीय कानून के अनुसार और उपयुक्त रक्षोपायों के साथ संयुक्त राज्य अरीका सहित अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ सहायोग कर रही है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम

7836. श्री रामदास आठवले : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र में सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य हेतु चुने गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अपने कार्यकलापों, लक्ष्यों तथा उद्देश्यों और योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता का प्रसार करने पर हमेशा उचित बल दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लक्ष्य समूह जैसे — अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, विकलांग व्यक्तियों, बेसहारा बच्चों, वृद्धजनों, नशीली दवा दुरूपयोग से पीड़ित व्यक्तियों आदि को इन योजनाओं के लाभ प्राप्त हो सकें। यह मंत्रालय योजनाओं का प्रचार-प्रसार महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों में करता रहा है। महाराष्ट्र में कार्यान्वित मीडिया जागरूकता के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(1) महाराष्ट्र में 3 व्यापारिक प्रसारण केन्द्रों (सी०बी०एस०) तथा 11 स्थानीय केन्द्रों के माध्यम से ''संवरती जाएं जीवन की राहें'' नामक साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम के प्रसारण किया जा रहा है।

(2) इस मंत्रालय द्वारा विभिन्न संबंधित विषयों पर मराठी में 25 फिल्में डब की गई हैं और इन्हें स्थानीय प्रसारण के लिए दूरदर्शन को दिया गया है।

(3) महाराष्ट्र के स्थानीय समाचार-पत्रों में विशिष्ट अवसर से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं।

(4) योजनाओं का सार संग्रह प्रकाशित किया गया है और इसे राज्य के सभी संसद सदस्यों को भेज दिया गया है।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय के लक्ष्य समूह देशभर तथा सभी क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इसलिए, योजनाओं का प्रचार सामान्यत: अखिल भारतीय स्तर पर किया जाता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन

7837. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा अपने घाटे में कटौती करने और अपने लाभ में वृद्धि करने हेतु क्या नये कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम के दिशा-निर्देशों के अनुसार अच्छे वस्त्रों के उत्पादन द्वारा उत्पादन की प्रणाली में धीरे-धीरे परिवर्तन करने का लक्ष्य है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की वह कौन-कौन से कमजोर मिल हैं जिन्हें बंद किया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) गैर-पुनरूद्धार योग्य अत्यधिक घाटे में चल रही मिलों को बंद करना, घाटा बढ़ाने वाले प्रचालनों को प्रतिबंधित करना, पुनरूद्धार योग्य मिलों का आधुनिकीकरण, प्रशासनिक लागत को कम करना तथा नई उत्पाद-दिशा को आरंभ करना, घाटों को कम करने के उद्देश्य से एन०टी०सी० द्वारा उठाया गए कदमों में से हैं।

(ख) और (ग) एन०टी०सी० की 8 में से 6 सहायक निगमों के लिए अनुमोदित पुनरूद्धार योजना के एक भाग के रूप में वर्तमान एवं सभावित बाजार परिस्थितियों तथा प्रत्येक मिल की मशीन संबंधी स्थिति के आधार पर 'उत्पाद मिश्रण' को सुनिश्चित किया गया है।

(घ) सभी कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना प्रदान करते हुए 11 गैर-अर्थक्षम कार्य न कर रही मिलें बंद कर दी गई थीं। इन मिलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

एन०टी०सी० की पुनरूद्धार योजना के एक भाग के रूप में 11 कार्य न कर रही गैर-अर्थक्षम मिलों की सूची

मिल का नाम

1. नटराज स्पिनिंग मिल्स्
2. अदोनी कॉटन मिल्स
3. नेता स्पिनिंग एंड विविंग मिल्स
4. एम०एस०के० मिल्स
5. राजकोट टेक्सटाईल्स
6. पेटलाड टेक्सटाईल्स मिल्स
7. कोहिनूर नं० 3
8. एडवर्ड मिल्स
9. कोहिनूर नं० 2
10. ओम पराशक्ति मिल्स
11. कृष्णावेणी मिल्स

बुनकर सेवा केन्द्र

7838. **श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के बुनकर सेवा केन्द्रों को आधुनिकतम उपकरणों से लैस करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश भर के बुनकर सेवा केन्द्रों को उपलब्ध कराए जाने वाले उपकरणों को ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने बुनकर सेवा केन्द्रों को व्यक्तिगत कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर सहायता डिजाइन प्रणाली प्रदान करने के लिये निर्णय लिया है। 24 स्थित बुनकर सेवा केन्द्रों में से 18 केन्द्रों को पहले से ही कम्प्यूटर सहायता डिजाइन प्रणाली प्रदान कर दी गई है तथा इन 24 केन्दों में से 20 केन्द्रों को व्यक्तिगत कम्प्यूटर प्रदान कर दिये गये हैं।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

7839. **श्री रामजी मांझी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर निदेशालय (प्रणाली) ने जुलाई, 1994 में आयकर विभाग के कम्प्यूटरीकरण के लिए टी०आई०एस०एल० के सांठ-गाठ से 1990 लाख रुपए के असंरूपित हार्डवेयर की खरीद की और अन्य लोगों की बोलियों को तकनीकी मूल्यांकन चरण पर ही अस्वीकृत कर दिया, जैसा कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अपने 2000 के प्रतिवेदन संख्या 12 के पृष्ठ 81 पर उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार किस प्रकार यह सुनिश्चित करती है कि इसने उचित मूल्य पर हार्डवेयर की खरीद की है; और

(ग) खरीदे गए हार्डवेयर का ब्रांड और उनका ब्यौरा/संरूप क्या है और मुक्त बाजार में इन हार्डवेयर की क्या कीमत थी;

(घ) क्या सरकारी खरीद में विपणन खर्चे, स्थानीय सेवा प्रभार की वसूली जैसे मदों को स्वीकृत नहीं किया जाता;

(ङ) यदि हां, तो उक्त सेवाओं के लिए टी०आई०एस०एल० को 208.64 लाख रुपए का भुगतान करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां। सही तथ्य ये है कि किसी भी बोली लगाने वाले ने अनुक्रिया समय तथा प्रति सैकिंड कारबार संबंधी अपेक्षित शर्तों को पूरा करते हुए कोई सोल्यूशन प्रस्तुत नहीं किया था। अत:, पहले ही से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वाणिज्यिक मूल्यांकन हेतु सर्वोत्तम अनुक्रिया समय वाले दो सोल्युशनों को लिया गया था। ये दोनों ही मै० टी०आई०एस०एल० से थीं। स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, संबंधित प्राधिकारियों/समितियों का अनुमोदन प्राप्त कर लेने के बाद ही इन दो में से कम मूल्य वाली सोल्यूशन को स्वीकार किया गया था।

(ख) सर्वोत्तम अनुक्रिया समय देने वाली दो सोल्यूशनों में से कम मूल्य वाली सोल्यूशन का चयन करके हार्डवेयर के लिए सर्वोत्तम मूल्य सुनिश्चित किया गया था।

(ग) चूंकि ये खरीद खुली संविदा प्रक्रिया के माध्यम से की गई थी, तकनीकी रूप से अर्हक सोल्यूशनों के पेश किए गए मूल्यों में से न्यूनतम मूल्य को बाजार मूल्य के रूप में लिया गया था।

(घ) और (ङ) दो सर्वोत्तम तकनीकी सोल्यूशनों में से न्यूनतम वाणिज्यिक पेशकश को ही स्वीकार किया गया था। मै० टी०आई० एस०एल० से कोई बात-चीत नहीं की गई थी। तथापि, यह सच है कि मै० टी०आई०एस०एल० द्वारा दिए गए मूल्य में बाजार खर्चे, ऊपरी वसूली तथा स्थानीय सेवा प्रभार शामिल थे। न्यूनतम मूल्य के साथ सोल्यूशन के लिए बताए गए समग्र मूल्य को ही स्वीकार किया गया था। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने भी किसी ऐसे नियम का उल्लेख नहीं किया है जिसके तहत इन मदों को अंतिम मूल्य से हटाना अपेक्षित था।

उत्पाद शुल्क का अपवंचन

7840. **श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्यतः उपभोक्ता उद्योग एवं विशेष रूप से वस्त्र तथा लौह एवं इस्पात उद्योग उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के गलत वर्गीकरण, कतिपय छुट अधिसूचनाओं इत्यादि के दुरूपयोग इत्यादि के द्वारा प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए के उत्पाद शुल्क का अपवंचन करते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को इस कारण कितनी हानि उठानी पड़ी और कर अपवंचकों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) सरकार द्वारा अधिसूचनाओं के दुरूपयोग एवं उत्पाद शुल्क के अवंचन को रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। उपभोक्ता उद्योग, टैक्सटाइल और लौह एवं इस्पात उद्योगों के मामले में गत तीन वर्षों के दौरान पता लगाई गई उत्पाद शुल्क अपवंचन की राशि नीचे दी गई है। कर-अपवंचकों पर अर्थदण्ड लगाने की कार्रवाई की जाती है और इसके अलावा कुछेक मामलों में अपवंचकों पर मुकदम भी चलाया जाता है।

(राशि करोड़ रुपयों में)

क्र० सं०	उद्योग	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1.	उपभोक्ता	360.15	345.82	582.61
2.	टैक्सटाइल	153.91	119.95	289.01
3.	लौह एवं इस्पात	727.39	171.39	324.31

(ग) किसी भी प्रकार की खामियों, यदि कोई हों, को समाप्त करने के लिए अधिसूचनाओं की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और आसूचना एकत्र करके, जांच-पड़ताल करके और कर अपवंचकों के खिलाफ कार्रवाई करके कर अपवंचन की रोकथाम की जाती है।

पंजाब से ऊनी वस्त्र का निर्यात

7841. श्री भान सिंह भौरा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय ऊनी वस्त्र के कुल निर्यात में पंजाब का हिस्सा कितने प्रतिशत रहा और उसका मूल्य कितना था;

(ख) क्या पंजाब के हिस्से में वर्ष-दर-वर्ष गिरावट आ रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस गिरावट की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० धनंजय कुमार) : (क) और (ख) केन्द्रीय रूप से ऊनी वस्त्रों के निर्यात के राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। पंजाब सहित समस्त देश से कालीन को छोड़ कर ऊनी वस्त्र मदों के समग्र निर्यात ने अप्रैल-दिसंबर, 2001 की अवधि के दौरान, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 18 प्रतिशत की गिरावट दर्शाई है। पिछले तीन वर्षों के लिए ऊनी वस्त्रों के निर्यात निम्नानुसार हैं :—

(करोड़ रुपये में)

मद	1999-2000	2000-2001	20001-2002 (अप्रैल-दिसम्बर, 01)
ऊनी वस्त्र (कालीन का छोड़कर)	982.18	1665.84	1115.44

स्रोत : डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता

(ग) सरकार ने ऊनी वस्त्र सहित वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाये हैं। इन कदमों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस क्षेत्र की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए इसका आधुनिकीकरण करने के लिए प्रौद्योगिकी उन्न्यन निधि योजना, परिधान क्षेत्र का अनारक्षण, निटवियर क्षेत्र में लघु एककों के लिए निवेश की सीमाओं को बढ़ाना, एकीकृत अपैरल पार्क योजना, वस्त्र केन्द्र इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजना, बढ़ रही विदेशी मांगों को पूरा करने के लिए नये ब्लैंड और उत्पादों का विकास, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा डिजाइन बैंक का सृजन, मशीनों और कच्चे माल पर शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाना शामिल है।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों में बैंकों की स्थापना

7842. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्यात उत्पादन इकाईयों को किफायती ऋण इक्विटी एवं कार्यशील पूंजीगत धन उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विदेशी बैंकों को ओवरसीज बैंकिंग इकाइयों को स्थापित करने की अनुमति देने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पूर्व में विशेष आर्थिक क्षेत्रों में वित्तीय केन्द्र स्थापित करने के इस प्रस्ताव को अस्वीकृत किया है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने का मुख्य कारण क्या थे;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने ओवरसीज बैंकिंग इकाइयों को स्थापित करने के संबंध में मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन ओवरसीज बैंकिंग इकाईयों के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं का स्वरूप क्या है और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में ओवरसीज बैंकिंग इकाइयों से निर्यात में किस सीमा तक सहायता मिलने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (च) निर्यात आयात नीति 2002-2007 के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र में ही अपतटीय बैंकिंग ईकाई को स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ऐसी ईकाइयों की स्थापना करने हेतु मार्गनिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया में है।

मसाला बोर्ड

7843. **डा० सी० कृष्णन :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मसाला बोर्ड के प्रमुख कार्य क्या हैं और बोर्ड के सदस्यों के नाम और अन्य विवरण क्या हैं तथा पिछली बार किस तिथि को इसका पुनर्गठन किया गया था;

(ख) इसका कार्यकाल किस तिथि को समाप्त होगा;

(ग) क्या इलायची उत्पादकों/कृषकों ने संबंधित अधिकारियों को व्यापार में मसाला बोर्ड द्वारा इसके केरल स्थित बन्दनमेडू निलामी केन्द्र में बकाया नीलामी धनराशि से किसानों को किए जा रहे भुगतानों में से अवैध कटौतियों की जानकारी दी है;

(घ) यदि हां, तो बोर्ड एवं इसके सदस्यों के विरूद्ध की गई शिकायतों/आरोपों का स्वरूप क्या है;

(ङ) क्या किसी जांच के आदेश दिए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) मसाला बोर्ड के प्रमुख कार्यों में शामिल हैं – मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की अनुसूची में सूचीबद्ध सभी मसालों का निर्यात विकास और इलायची (छोटी और बड़ी) का समग्र विकास। मसाला बोर्ड का पिछली बार पुनर्गठन दिनांक 16 अप्रैल, 1999 को 3 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। बोर्ड का कार्यकाल दिनांक 15 अप्रैल, 2002 को समाप्त हो गया है। पिछले बोर्ड के सदस्यों सरकारी सदस्यों को छोड़कर के नाम तथा अन्य ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (च) अभ्यावेदनों के प्राप्त होने पर मसाला बोर्ड ने सभी नीलामीकर्ताओं को अनिच्छुक उत्पादकों से ऐसा अंशदान एकत्र नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं; ऐसा न करने पर विद्यमान नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी।

विवरण

1.	अध्यक्ष, मसाला बोर्ड	अध्यक्ष
2.	श्री अशोक अरगल, संसद सदस्य, लोक सभा	सदस्य
3.	श्री के० मुरलीधरन, संसद सदस्य, लोक सभा	सदस्य
4.	श्री एस० अग्निराज, संसद सदस्य, राज्य सभा	सदस्य
5.	निदेशक, निर्यात संवर्धन (कृषि) प्रभाग के प्रभारी, वाणिज्य विभाग	सरकारी सदस्य
6.	बागवानी आयुक्त, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली	सरकारी सदस्य
7.	निदेशक, वित्त प्रभाग वाणिज्य विभाग	सरकारी सदस्य
8.	श्री बी०के० चन्द्रशेखर, बंगलौर	उत्पादक
9.	श्री एन० मुरुगेसन, तमिलनाडु	उत्पादक
10.	श्री सी० गोपीनाथ, कर्नाटक	उत्पादक
11.	श्री पी०सी० मैथ्यू, केरल	उत्पादक
12.	श्री डी० ईश्वर राव, आंध्र प्रदेश	उत्पादक
13.	श्री सी०एन० नटराज, बंगलौर	उत्पादक
14.	श्री शंकर गौडा पाटिल, कर्नाटक	उत्पादक
15.	श्री आर०क्रे० मेनन, टाटा टी लिमिटेड, कोचीन	निर्यातक
16.	श्री एस०पी०जी०आर० नित्यानंदन, एस०पी० जी०आर० नादर एंड संस, तमिलनाडु	निर्यातक
17.	डा० ए०जी० मैथ्यू, प्लांट्स, लिपिड लिमिटेड, केरल	निर्यातक
18.	श्री एस० मारीवाला, कंकोर फ्लैवर्स लिमिटेड, केरल	निर्यातक
19.	श्री ए०पी० मुरुगन, पपरिका ओसियोरेंजिन्स (इण्डिया) लिमिटेड, तमिलनाडु	निर्यातक
20.	श्री एम०एस०ए० कुमार, ए०वी०टी० मैक्कोर्मिक इन्ग्रेडिएन्ट्स लिमि०, कोचीन	निर्यातक
21.	श्री चन्दन जैन, सुकनराज धनराज एंड संस, मुम्बई	निर्यातक
22.	श्री रविन्द्र कुमार, एम०एम० पंजिऊजीएंड कंपनी, मुम्बई	निर्यातक
23.	श्री किशोर शामजी, किशोर स्पाइस कंपनी, केरल	निर्यातक
24.	श्री राकेश ए० पटेल, रामदेव एक्सर्पोट्स, अहमदाबाद	निर्यातक
25.	सचिव, कर्नाटक सरकार, कृषि एवं बागवानी विभाग, बंगलौर	सरकारी सदस्य
26.	सचिव, महाराष्ट्र सरकार, कृषि पशुपालन विकास एवं मत्स्य विभाग, मुम्बई	सरकारी सदस्य
27.	प्रधान सचिव, गुजरात सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग, गांधीनगर	सरकारी सदस्य

28.	निदेशक (कृषि), योजना आयोग, नई दिल्ली	सरकारी सदस्य
29.	निदेशक, भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुम्बई	सरकारी सदस्य
30.	निदेशक, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर	सरकारी सदस्य
31.	निदेशक, राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केन्द्र, कालीकट	सरकारी सदस्य

राज्यों के लिए पृथक औद्योगिक नीतियां

7844. श्री ए० वेंकटेश नायक : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के अनुरूप प्रत्येक राज्य के लिए पृथक औद्योगिक नीति बनाने की मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रत्येक पिछड़े राज्य के लिए पृथक औद्योगिक नीति की घोषणा करने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) से (ङ) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता। फिर भी पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति के अनुरूप विशेष श्रेणी के राज्यों के औद्योगिक विकास हेतु अलग रियायतों/प्रोत्साहनों के पैकेज पर विचार किया जा रहा है।

विद्युत उत्पादन हेतु पूंजीगत उपकरणों का आयात

7845. श्री चन्द्रप्रताप सिंह :
श्री सुकदेव पासवान :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विद्युत मंत्रालय के सभी विद्युत उत्पादक उत्पादों के लिए पूंजीगत उपकरणों के आयात पर लकगने वाले सीमा शुल्क को तीन वर्षों की अवधि के लिए माफ करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। ऊर्जा मंत्रालय ने बजट पूर्व प्रस्तावों में यह प्रस्ताव किया था कि विद्युत उत्पादन के लिए सभी माल के आयात पर, चाहे उसके वित्तपोषण का स्रोत कोई भी हो, तीन वर्ष की अवधि के लिए शून्य लगना चाहिए।

(ग) किसी भी विद्युत परियोजना के लिए सभी आयातों को सीमा शुल्क के छूट देने के प्रस्ताव पर वर्ष 2002-03 के लिए बजट बनाने के दौरान जांच की गई थी, पर उसे स्वीकार्य नहीं पाया गया।

स्टॉक एक्सचेंजों में पारदर्शिता

7846. श्री ए० नरेन्द्र : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने पारदर्शिता लाने और बाजार में होने वाले हेर-फेर को नियंत्रित करने के अपने प्रयासों के एक भाग के रूप में 11 क्षेत्रीय बाजारों के अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों को शीर्षस्थ प्रबंधक पदों को त्यागने के निदेश दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) माननीय वित्त मंत्री ने 3.3.2001 को संसद में यह घोषणा की थी कि स्टॉक बाजारों में संस्थागत प्रक्रमों तथा कारोबार प्रथाओं में सुधार के एक उपाय के रूप में स्टॉक एक्सचेंजों का निगमीकरण किया जाएगा, जिसके माध्यम से स्वामित्व, प्रबंध तथा कारोबार सदस्यता को एक दूसरे से पृथक किया जाएगा।

उक्त नीतिगत घोषणा के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने स्टॉक एक्सचेंजों के साथ स्टॉक एक्सचेंजों के अपरस्परीकरण के मुद्दे के बारे में समय-समय पर विचार-विमर्श किया तथा 28.12.2001 को हुई अपनी बैठक में बोर्ड ने यह निर्णय किया कि स्टॉक एक्सचेंजों का कोई भी दलाल सदस्य किसी एक्सचेंज का पदाधिकारी नहीं होगा, अर्थात अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि पदों पर आसीन नहीं होगा। चूंकि इसके लिए स्टॉक एक्सचेंजों की नियमावली, अनुच्छेदों आदि में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित था, अंत: सेबी ने प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों को आदेश की तिथि के दो महीने की अवधि के अंदर अपने नियमों में संशोधन करने का निदेश जारी किया।

यह आदेश तीन स्टॉक एक्सचेंजों नामश:, एन०एस०ई०, ओ०टी०सी०ई०आई० तथा अंत:संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों का प्रयोज्य नहीं था। पांच स्टॉक एक्सचेंजों नामश:, मगध स्टॉक एक्सचेंज, सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज, कोयम्बटूर स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज तथा लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज ने अपने-अपने अनुच्छेदों तथा नियमों में आवश्यक संशोधन कर लिए हैं।

ऊपर उल्लिखित सेबी निदेश के अनुपालनार्थ अपने अनुच्छेदों अथवा नियमों में संशोधन करने में असफल रहने वाले 11 स्टॉक एक्सचेंजों

नामशः बंगलौर स्टॉक एक्सचेंज, कोचीन स्टॉक एक्सचेंज, पुणे स्टॉक एक्सचेंज, गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज, भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज, मंगलौर स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज तथा जयपुर स्टॉक एक्सचेंज के अनुच्छेदों तथा नियमों में सेबी द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से संशोधन किए गए।

सेबी के ऊपर उल्लिखित निदेश का अनुपालन करने में असफल रहने वाले अन्य तीन स्टॉक एक्सचेंजों, नामशः, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सजेंच तथा मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सजेंस के संबंध में भी सेबी ने एक अधिसूचना के माध्यम से उनके अनुच्छेदों अथवा नियमों में संशोधन की प्रक्रिया आरंभ की है।

कर्नाटक को विश्व बैंक से ऋण

7847. **श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :**
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री शशि कुमार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार को अगले कुछ वर्षों में अपने राज्य में विभिन्न परियोजनाओं को आरंभ करने हेतु विश्व बैंक से 5000 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस धनराशि को किन मुख्य परियोजनाओं पर खर्च किए जाने की संभावना है; और

(ग) ऋण की निबंधन एवं शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) वर्ष 2001-2002 और 2002-03 के दौरान, कर्नाटक के लिए विश्व बैंक को 1160 मिलियन अरमीकी डालर (लगभग 5500 करोड़ रु०) मूल्य की परियोजनाएं प्रस्तुत की गईं, उन पर वार्ता की गई अथवा उन पर हस्ताक्षर किए गए :

1. कर्नाटक आर्थिक पुनर्संरचना ऋण-I-150 मिलियन अमरीकी डालर (आई०डी०ए० क्रेडिट + आई०बी०आर०डी० ऋण)
2. कर्नाटक आर्थिक पुनर्संरचना ऋण-II-100 मिलियन अमरीकी डालर (आई०डी०ए० क्रेडिट + आई०बी०आर०डी० ऋण)
3. कर्नाटक राज्य राजमार्ग परियोजना-360 मिलियन अमरीकी डालर (आई०बी०आर०डी० ऋण)
4. कर्नाटक व्यापक जलसंभर विकास परियोजना-100 मिलियन अमरीकी डालर (आई०डी०ए० क्रेडिट)
5. द्वितीय कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजना-151 मिलियन अमरीकी डालर (आई०डी०ए० क्रेडिट)
6. कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना-99 मिलियन अमरीकी डालर (आई०डी०ए० क्रेडिट)
7. शहरी स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण-200 मिलियन अमरीकी डालर (आई०डी०ए० क्रेडिट)

(ग) आई०डी०ए० क्रेडिट की 10 वर्ष की छूट अवधि सहित 35 वर्ष में आपसी अदायगी की जानी होती है। आई०बी०आर०डी० ऋण की वापसी अदायगी 20 वर्ष में की जाती है जिसमें 5 वर्ष की छूट अवधि और छह माह के ''लिबोर'' आधार पर वार्षिकी मूल राशि की वापसी अदायगी तथा परिवर्तनीय-दर एकल मुद्रा ऋणों के लिए परिवर्तनीय विस्तार शामिल है।

वित्तीय कारोबार पर निगरानी रखने के लिए अभिकरण

7848. **श्री ए० ब्रह्मनैया :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में होने वाले समस्त बाह्य एवं आंतरिक वित्तीय कारोबार पर निगरानी रखने हेतु एक शीर्ष आसूचना अभिकरण गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य विद्यमान अभिकरणों का विलय इस नए शीर्ष आर्थिक आसूचना अभिकरण में किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो उन अभिकरणों का ब्यौरा क्या है जिनका नए प्रतिष्ठान में विलय अथवा निष्प्रभावी किया जाएगा;

(घ) नए अभिकरण का गठन करने के क्या उद्देश्य हैं; और

(ङ) इस नए अभिकरण को कहां स्थापित किया गया है और अन्य संगठनात्मक पहलुओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

स्पेशल 301 निगरानी सूची

7849. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :**
श्री सी० श्रीनिवासन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने पुनः भारत को स्पेशल 301 निगरानी सूची में रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा यह कदम उठाने के क्या कारण है;

(घ) इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या दोनों देश ट्रिप्स (व्यापार संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार) समझौते का अनुपालन न किए जाने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करने में असफल रहे हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(छ) देश के हितों को सर्वोपरि रखते हुए सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ग) संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (यू०एस० टी०आर०) द्वारा वर्ष 2002 के लिए जारी वार्षिक स्पेशल 301 रिपोर्ट के अनुसार भारत को 14 अन्य देशों के साथ प्राथमिकता निगरानी सूची में बरकरार रखा गया है। भारत को इस श्रेणी में 1995-से रखा जा रहा है। स्पेशन 301 के अंतर्गत यू०एस०टी०आर० देशों को ''प्राथमिकता वाले विदेश'', 'प्राथमिकता निगरानी सूची' और 'निगरानी सूची' के रूप में सूचीबद्ध करता है। केवल प्राथमिकता वाले विदेश के रूप मे अभिज्ञात देशों के बारे में ही यू०एस०टी०आर० जांच शुरू करने के लिए बाध्य है।

(घ) से (छ) भारत ट्रिप्स करार के अंतर्गत अपने दायित्वों की पूर्ति करने हेतु समुचित उपाय कर चुका है और बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित विधानों को अधिनियमित/संशोधन कर चुका है।

1. भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण एवं सरंक्षण) अधिनियम, 1999
2. ट्रेड मार्कस अधिनियम, 1999
3. डिजाइन अधिनियम, 2000
4. कॉफी राइट अधिनियम, 1957 दिसम्बर, 1999 तक यथा संशोधित
5. सेमी कन्डक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन्स अधिनियम, 2000
6. पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 इसके अलावा, पैंटेंट अधिनियम, 1970 में संशोधन करने के लिए पेटेंट (दूसरा संशोधन) विधेयक 9 मई, 2002 को राज्य सभा में पारित हो गया है।

विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाएं

7850. श्री सी० श्रीनिवासन :
श्री अम्बरीश :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता के लिए विश्व बैंक द्वारा राज्यवार एवं क्षेत्रवार किन परियोजनाओं को स्वीकृत/अनुमोदित किया गया है;

(ख) विभिन्न राज्यों एवं विशेषकर तमिलनाडु की उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें विश्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है और जिनको अभी भी स्वीकृत/अनुमोदित किया जाना है;

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें आवश्यक ब्यौरे के लिए विश्व बैंक ने वापस लौटा दिया है; और

(घ) सरकार द्वारा शेष परियोजनाओं को मंजूरी/अनुमोदित करवाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) वित्तीय वर्ष अप्रैल, 2001-मार्च, 2002 में विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत की गयी परियोजनाएं इस प्रकार हैं :–

क्र० सं०	राज्य	परियोजना का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश ग्रामीण गरीबी घटाने संबंधी परियोजना
2.	असम	असम ग्रामीण ढांचागत तथा कृषि संबंधी सेवा परियोजना (2)
3.	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ गरीबी घटाने संबंधी कार्यक्रम
4.	गुजरात	गुजरात भूकंप पुनर्निर्माण कार्यक्रम (2)
5.	झारखंड	झारखंड वानिकी परियोजना
6.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र जल सेवा सुधार परियोजना
7.	त्रिपुरा	समेकित वानिकी विकास परियोजना

वित्तीय वर्ष 2001-02 के दौरान विश्व बैंक को तमिलनाडु राज्य की ओर से कोई परियोजना प्रस्तुत नहीं की गयी।

(ग) विश्व बैंक ने ऐसी कोई परियोजना वापस नहीं भेजी जो उसे वित्तीय वर्ष 2001-02 के दौरान प्रस्तुत को गयी थी।

(घ) परियोजना पहचान चक्र, उनकी तैयारी, मूल्यांकन तथा बातचीत के बाद परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन होती हैं। भारत सरकार इस प्रक्रिया में विश्व बैंक के साथ घनिष्ठता में संपर्क साधती है।

विवरण

वित्तीय वर्ष 2001-02 के दौरान विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं

(आंकड़े अनन्तिम)
(मिलियन अमरीकी डालर)

क्र० सं०	राज्य	क्षेत्र	परियोजना का नाम	अनुमोदन की तारीख	सहायता राशि
1.	आंध्र प्रदेश	आर्थिक सुधार	आंध्र प्रदेश आर्थिक सुधार कार्यक्रम परियोजना	14.3.02	250.00
2.	कर्नाटक	कृषि	कर्नाटक जलसंभर विकास परियोजना	21.6.01	100.40
3.	कर्नाटक	आर्थिक सुधार	कर्नाटक आर्थिक पुनर्संरचना कार्यक्रम परियोजना	21.6.01	150.00
4.	कर्नाटक	आर्थिक सुधार	कर्नाटक आर्थिक पुनर्संरचना कार्यक्रम (2) परियोजना	14.3.02	100.00
5.	कर्नाटक	परिवहन	कर्नाटक राज्य राजमार्ग सुधार परियोजना	24.5.01	360.00
6.	कर्नाटक	जलापूर्ति	कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति तथा स्वच्छता परियोजना (2)	18.12.01	151.60
7.	केरल	परिवहन	केरल राज्य परिवहन परियोजना	14.3.02	255.00
8.	मिजोरम	परिवहन	मिजोरम राज्य सड़क परियोजना	14.3.02	60.00
9.	राजस्थान	कृषि	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	19.2.02	140.00
10.	राजस्थान	शिक्षा	राजस्थान जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना (2)	21.6.01	74.40
11.	उत्तर प्रदेश	कृषि	उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	19.2.02	149.20
12.	उत्तर प्रदेश और बिहार	परिवहन	ग्रांड ट्रंक रोड सुधार परियोजना	21.6.01	589.00
13.	कोई राज्य विनिर्दिष्ट नहीं	विद्युत ऊर्जा	पावर ग्रिड व्यवस्था विकास परियोजना	3.5.01	450.00

नमक का उत्पादन

7851. श्री पी०आर० किन्डिया :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2001 के दौरान नमक के उत्पादन में भारी गिरावट दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान नमक का गुणवत्तावार एवं राज्यवार वास्तविक उत्पादन कितना रहा; और

(घ) देश में विभिन्न किस्म के नामक के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) और (ख) वर्ष 2000 के उत्पादन की तुलना में वर्ष 2001 के दौरान साधारण नमक के उत्पादन में 9 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी है। उत्पादन में यह कमी जनवरी, 2001 में गुजरात में आये भयंकर भूकम्प के कारण आई है जिसमें बहुत से नमक कारखाने क्षतिग्रस्त हो गये थे। चूंकि देश में नमक के उत्पादन में गुजरात का योगदान लगभग 70 प्रतिशत है, इसलिए इसका प्रभाव देश के समग्र नमक उत्पादन पर पड़ता है।

(ग) देश में विनिर्मित नमक, खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम, 1954 के उपबंधों तथा इसके अधीन खाद्य नमक के लिए बनाये गये नियमों के तहत निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप होता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में नमक का राज्यवार उत्पादन निम्न प्रकार है :–

(आंकड़े हजार टन में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	उत्पादन		
	1999	2000	2001
1	2	3	4
राजस्थान	1711.1	1228.5	1746.7

1	2	3	4
गुजरात	10,048.3	11,588.4	9647.8
महाराष्ट्र	157.6	154.2	169.4
कर्नाटक	12.0	14.8	12.1
तमिल नाडु	2159.6	2,359.7	2283.6
आन्ध्र प्रदेश	278.1	204.8	318.8
गोवा	2.0	2.2	2.3
उड़ीसा	29.2	12.2	28.6
पश्चिम बंगाल	13.2	11.2	8.4
हिमाचल प्रदेश	3.0	2.6	2.5
दमन व दीव	38.3	72.7	63.8
योग	14,452.7	15,651.3	14,248.00

(घ) गुजरात सरकार ने भूकंप से प्रभावित हुए 1429 नमक कारखानों को 13.03 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है भूकंप में क्षतिग्रस्त हुए नमक कारखानों का अब पुनर्निर्माण कर लिया गया है और ये नमक का उत्पादन कर रहे हैं। सरकार देश में नमक का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रही है :—

(i) नमक के निर्माण के लिए भूमि की उपयुक्तता का अनुमान लगाने के लिए निर्माण स्थल का निरीक्षण किया जाता है और इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों द्वारा भूमि के आवंटन के लिए उपयुक्त सिफारिशें की जाती है।

(ii) वैज्ञानिक तरीके से नमक के कारखानों के निर्माण के लिए तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

(iii) खाद्य, औद्योगिक और निर्यात के प्रयोजन वाले गुणवत्तायुक्त नमक की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नमक का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में नमक रिफाइनरियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाता है जिससे साधारण नमक का उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलती है।

(iv) उन नमक कारखानों को अनुग्रह राशि और ऋण के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है जिनको बाढ़/चक्रवात आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान पहुंचता है, जिससे वे पुन: अपना उत्पादन आरंभ कर सकें। नमक के कारखानों में विकास व श्रमिक कल्याण संबंधी स्कीमों को आरंभ करने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(v) नमक के विनिर्माण के लिए निजी पार्टियों को इस उद्देश्य हेतु उपयुक्त विभागीय नमक भूमि पट्टे पर दी जाती है।

(vi) सरकार ने दिनांक 4.9.2001 की अधिसूचना सं० जी०एस० आर० 639(ई) के द्वारा, नमक फैक्ट्रियों से नमक को हटाने के लिए कन्साइनमेंट-वार परमिट प्रणाली के स्थान पर स्वयं हटाये जाने की प्रक्रिया (एस०आर०पी०) आरंभ कर दी है जिससे झंझट न्यूनतम हो जायेंगे और इस प्रकार नमक उत्पादन को बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

बैंक अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई

7852. श्रीमती जस कौर मीणा :
श्री वाई०जी० महाजन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्धनों एवं दलितों को ऋण सुविधा प्रदान करने पर विशेष ध्यान देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान एवं महाराष्ट्र में कितने निर्धनों एवं दलितों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया गया और ऋण के रूप में कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन के लिए कुछ योजनाएं शुरू की हैं, जिसके तहत गरीब और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सहित समाज के विभिन्न वर्गों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इन योजनाओं का सारांश निम्नलिखित हैं :—

1. स्कैबेंजरों की मुक्ति एवं पुर्नवास की योजना (एस०एल० आर०एस०)। इस योजना के तहत 50,000/- रु० तक की परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जा सकता है। 6500/- रु० तक के सभी ऋण 4 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर विभेदी ब्याज दर (डी०आर०आई०) ऋण माने जाएंगे।

2. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस०जे०एस०आर० वाई०)। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को स्थानीय जनसंख्या में उनकी संख्या की सीमा तक सहायता दी जाती है।

3. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस०जी०एस० वाई०)। इस योजना के तहत ग्रामीण निर्धनों जैसे भूमिहीन मजदूरों, लघु एवं सीमांत किसानों, ग्रामीण शिल्पियों और 60 वर्ष की आयु सीमा वाले गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शिक्षित बेरोजगारों को वित्त पोषित किया जा सकता

है। कुल सहायता में से 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।

4. विभेदी ब्याज दर (डी०आर०आई०) योजना। इस योजना के अंतर्गत कमजोर वर्ग के ऋणकर्ता 4 प्रतिशत ब्याज दर ऋण ले सकते हैं (डी०आर०आई० योजना के तहत ऋण का 40 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को दिया जाता हैं।)। वे 5000/-रु० आवास ऋण भी ले सकते हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्ष के दौरान राजस्थान एवं महाराष्ट्र राज्यों में राष्ट्रीयकृत बैंकों के जरिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित उपर्युक्त योजनाओं के तहत दिए गये ऋण के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान राजस्थान एवं महाराष्ट्र राज्यों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभग्राहियों सहित योजनाओं के तहत दी गई सहायता

झाडूवाले (स्कैबेंजरों) की मुक्ति एवं पुनर्वास की योजना (एस०एल०आर०एस०)

मार्च को समाप्त वर्ष की अवधि	कुल संवितरण आवेदनों की संख्या		राशि (लाख रु० में)		अनु०जा०/अनु०ज०जा० के आवेदनों की संख्या		राशि (लाख रु० में)	
	महा०	राज०	महा०	राज०	महा०	राज०	महा०	राज०
1999	1081	538	309.79	77.27	951	538	225.11	68.23
2000	997	329	151.66	55.20	911	329	148.19	55.20
2001	692	341	87.66	55.51	594	308	64.85	47.64

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस०जे०एस०आर०वाई०)

(लाख रु० में)

वर्ष	राजस्थान	महाराष्ट्र
1998-1999	47.91	83.43
1999-2000	209.01	398.33
2000-2001	212.25	316.38

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस०जी०एस०वाई०)

(लाख रु० में)

वर्ष	स्वरोजगारी सहायता की कुल संख्या		कुल निवेश (बैंक ऋण + सरकारी सहायता)		कुल में से सहायता प्राप्त अ०जा० की संख्या		कुल में से अ०ज०जा० की संख्या	
	महा०	राज०	महा०	राज०	महा०	राज०	महा०	राज०
1999-00	87994	34120	21880.71	8719.68	21329 (24.24%)	9804 (28.73%)	12869 (14.62%)	5507 (16.14%)
2000-01	87998	44504	25081.81	15901.79	18460 (20.98%)	12677 (28.49%)	14725 (16.73%)	7921 (17.80%)
2001-02*	48813	27777	13896.88	12071.65	11252 (23.05%)	8679 (31.25%)	9035 (18.51%)	3924 (14.13%)

(*फरवरी, 2002 तक अनन्तिम)

विभेदी ब्याज दर योजना (डी०आर०आई०)

राशि लाख रु० में

वर्ष	खातों की सं०		बकाया राशि	
	महा०	राज०	महा०	राज०
1998	67843	31171	4005.31	971.81
1999	536762	30016	55495.76	1010.51
2000	38670	21722	3078.56	619.95

एम०एच० — महाराष्ट्र आर०जे० — राजस्थान

[अनुवाद]

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

7853. **श्री अरूण कुमार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी 2002 की रिपोर्ट संख्या 12क (प्रत्यक्ष कर) के पैराग्राफ 4.6.1 से 4.6.7 एवं 4.10.5 में निर्धाण में की गई गलतियों की ओर ध्यान दिलाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) 15 मार्च, 2002 को संसद में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट (मार्च, 2002 को समाप्त हुए वर्ष के लिए) सं० 12क 2002 के पैरा 4.6.1 से पैरा 4.6.7 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा मै० ए०सी०सी० लि०, मै० इंडिया सीमेंण्ट्स लि०, मै० मद्रास सीमेण्ट्स लि०, मै० गुजरात अम्बूजा सीमेण्ट्स, मै० चेटीनाड सीमेण्ट्स कारपोरेशन लि० तथा मै० मंगलम सीमेण्ट्स लि० जैसी प्रमुख सीमेण्ट कम्पनियों द्वारा कर निर्धारण में कतिपय गलतियां करने का उल्लेख किया गया है। उन्होंने पैरा 4.10.5 में मै० हिन्दुस्तान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि० संबंधी मामले में कर निर्धारणों में की गई गलतियों का उल्लेख किया है।

(ख) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की उक्त रिपोर्ट की केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में भी जांच की जा रही है ताकि उपर्युक्त लेखा परीक्षा टिप्पणियों की सच्चाई अथवा अन्यथा इसे निर्धारित किया जा सके। जहां कहीं भी आपत्तियां स्वीकार्य पायी जाती हैं क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा उपचारी कार्रवाई की जाती है। जिन मामलों में आपत्तियों को स्वीकार्य नहीं भी पाया जाता है उन मामलों में भी एहतियाती उपाय के तौर पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुदेशों के अनुसार उपचारी कार्रवाई आरम्भ की जाती है।

[हिन्दी]

सम्पन्न समुदाय

7854. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश के कुछ राज्यों में पिछड़े वर्गों के सम्पन्न समुदाय अथवा उच्च आय वर्ग के लोग, विशेषकर मारवाड़ी समुदाय समुदाय सरकार द्वारा किए गए आरक्षण के प्रावधानों का लाभ उठा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में पूरे देश में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार आरक्षण का लाभ लेने वाले पिछड़े वर्गों के उच्च आय वर्ग के लोगों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रभावी कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों के क्रय कर एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य का समामेलन

7855. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को किसानों से लिए जाने वाले खाद्यान्न की खरीद पर लगने वाले क्रय कर को खाद्यान्न के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सम्मिलित करने के लिए कहा है;

(ख) क्या राज्य सरकारों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा किसानों को दिए जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य से निश्चित रकम निकालने के लिए भी कहा गया है; और

(ग) यदि हां, तो सब्सिडी से कर की प्रतिपूर्ति न करने के परिणामस्वरूप केन्द्र द्वारा कितनी धनराशि की बचत की जानी है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ऋणों को बट्टे खाते में डालना

7856. **श्रीमती श्यामा सिंह** :
श्री अधीर चौधरी :
श्री एन० जनार्दन रेड्डी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अत्यधिक ऋणी गरीब देशों द्वारा लिए गए ऋणों को बट्टे खाते में डालने के संबंध में अपने निर्णय की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो विश्व के उन अत्यधिक ऋणी गरीब देशों के नाम क्या हैं जिन्हें भारत ने ऋण प्रदान किए हैं;

(ग) इन देशों द्वारा कितना ऋण लिया गया है और ऐसे ऋणों को किन शर्तों और निबंधनों के तहत दिया गया था; और

(घ) ऐसे ऋणों को बट्टे खाते में डालने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) अत्यधिक ऋण ग्रस्त निर्धन देशों (एच०आई०पी०सी०) के ऋण को कम करके वहनीय स्तर तक लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई०एम०एफ०) तथा विश्व बैंक (डब्ल्यू०बी०) द्वारा आरंभ की गई एच०आई०पी०सी० पहल के प्रत्युत्तर में उपरोक्त देशों द्वारा भारत सरकार के प्रति देय द्विपक्षीय ऋणों के संबंध में राहत प्रदान करने के भारत सरकार के निर्णय के बारे में वित्त मंत्री द्वारा 20 अप्रैल, 2002 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा तथा वित्तीय समिति की बैठक में अपने वक्तव्य में घोषणा की गई। भारत सरकार अब इन देशों को ऋण राहत प्रदान करने संबंधी कार्यप्रणालियों पर विचार कर रही है।

अत्यधिक ऋण ग्रस्त निर्धन देशों के नाम तथा उनके द्वारा भारत सरकार के प्रति देय ऋण राशि का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :

(31.3.2002 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं०	देश का नाम	कुल बकाया ऋण
1.	तंजानिया	28.58 करोड़ रुपए
2.	मोजाम्बीक	17.96 करोड़ रुपए
3.	जाम्बिया	10.46 करोड़ रुपए
4.	यूगांडा	4.396 मिलियन अमरीकी डालर*
5.	निकारागुआ	18.42 करोड़ रुपए
6.	गुयाना	3.23 करोड़ रुपए
7.	घाना	0.0094 करोड़ रुपए
	जोड़	78.6394 करोड़ रुपए + 4.396 मिलियन अमरीकी डालर

*30.6.2001 की स्थिति के अनुसार

भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के वित्तपोषण के लिए इन देशों को ऋण श्रृंखला प्रदान की गई थी। करार की शर्तों के अन्तर्गत इन ऋण श्रृंखलाओं के लिए ब्याज की दर 5 प्रतिशत वार्षिक निर्धारित की गई थी तथा ऋण की वापसी-अदायगी की अवधि 12 वर्ष तथा 3 वर्ष की अधिस्थगन अवधि निर्धारित की गई थी।

जहां तक इन ऋणों के संबंध में राहत ऋण प्रदान करने से सरकार को मिलने वाले लाभ का संबंध है, इन प्राप्तकर्ता देशों की सद्भावना के साथ-साथ लाभ, बातचीत से तय शर्तों पर निर्भर करेंगे जिन्हें समझौते के बाद अभी तय किया जाना है।

उपभोक्ता समितियां

7857. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी समिति की क्या परिभाषा है और किस प्रकार की सहकारी समितियों पर एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 लागू नहीं होगा;

(ख) क्या यह अधिनियम केवल अपने उत्पादों का निर्माण करने वाली सहकारी समितियों पर ही लागू होता है और खुले बाजार से वस्तुओं को खरीद कर पुन: उनकी बिक्री में लगी उपभोक्ता सहकारी समितियों पर लागू नहीं होता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 की उपधारा 3(छ) और 3(ट) में ''सहकारी समिति'' और ''बहुराज्य सहकारी समिति'' की निम्नलिखित परिभाषा दी गई है :

3(छ) ''सहकारी समिति'' से वह समिति अभिप्रेत है जो किसी राज्य में सहकारी समिति के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के तहत पंजीकृत हो या पंजीकृत हुई मानी गई हो।

3(ट) ''बहुराज्य सहकारी समिति'' से वह समिति अभिप्रेत है जो बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के तहत पंजीकृत हो या पंजीकृत हुई मानी गई हो और उसमें उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची [उपधारा 3(ङ)] में यथा परिभाषित एक राष्ट्रीय सहकारी समिति शामिल है।

बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 की धारा 102 में कहा गया है कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 बहुराज्य सहकारी समितियों पर लागू नहीं होगा। इस अधिनियम के उपबंधों के तहत पंजीकृत या पंजीकृत हुई मानी गई बहुराज्य सहकारी समिति एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में यथा परिभाषित एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहारों में शामिल नहीं होगी।

कागज मिलों का बंद होना

7858. श्री के०पी० सिंह देव :
श्री अशोक ना० मोहोल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार कितनी पेपर मिलें बंद हुई हैं;

(ख) क्या सरकार के पास इन पेपर मिलों में से कुछ मिलों की, विशेषकर उड़ीसा और महाराष्ट्र में स्थित मिलों का पुनरूद्धार करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उड़ीसा में ओरिएन्ट पेपर मिल्स, ब्रजराज नगर का भी पुनरूद्धार किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) देश में बंद हुई कागज मिलों की संख्या के बारे में आकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, 1.1.1999 से 28.2.2002 तक की अवधि के दौरान रुग्ण औद्योगिक कंपनियों (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 15(1) के तहत औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में रुग्ण कागज मिलों के 64 मामले पंजीकृत थे। इन रुग्ण कागज मिलों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (ङ) औद्योगिक रुग्णता पर वर्तमान नीति के तहत, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) नामक अर्ध-न्यायिक बोर्ड द्वारा रुग्ण औद्योगिक कंपनियों की समस्याओं पर कार्यवाही की जाती है। रुग्ण औद्योगिक इकाईयों का पुनरूद्धार कार्य रुग्ण इकाईयों का स्वस्थ इकाइयों के साथ समामेलन/विलय करके भी किया जाता है और इसे ऐसे समामेलन करने वाली स्वस्थ इकाइयों को आय कर में रियायत आदि प्रदान करके प्रोत्साहित किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी मजबूत मानीटरिंग प्रणाली बनाने और प्रारंभिक स्तर पर ही औद्योगिक रुग्णता को रोकने के लिए बैंकों व वित्तीय संस्थाओं को दिशानिर्देश जारी किये हुए हैं। पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ०आर०) में ओरिएन्ट पेपर मिल्स, ब्रजराज नगर सहित उड़ीसा राज्य में कोई रुग्ण कागज मिल का मामला दर्ज नहीं हुआ है किन्तु, महाराष्ट्र राज्य में रुग्ण कागज मिलों के 12 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें से एक मामले को गैर-रखरखाव योग्य मानकर खारिज कर दिया गया है और शेष 11 कागज मिलों के बारे में उक्त बोर्ड जांच कर रहा है। तथापि, सरकार के पास रुग्ण कागज मिलों के पुनरुद्धार हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	रुग्ण कागज मिलों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	3
2.	बिहार	1
3.	छत्तीसगढ़	1
4.	गुजरात	7
5.	केरल	2
6.	कर्नाटक	2
7.	मध्य प्रदेश	2
8.	महाराष्ट्र	12
9.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	8
10.	पंजाब	5
11.	तमिलनाडु	5
12.	उत्तर प्रदेश	12
13.	पश्चिम बंगाल	4
	योग	64

उड़ीसा में विकलांग कल्याण केन्द्र

7859. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कितनी विकलांग कल्याण केन्द्र हैं;

(ख) विकलांग वित्त और विकास निगम द्वारा विकलांग व्यक्तियों को दी जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके द्वारा की गई प्रगति की नवीनतम स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार विकलांग व्यक्तियों के लिए स्पष्ट राष्ट्रीय नीति तैयार करने का है;

(ङ) यदि हां, तो कब तक; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना के लिए उड़ीसा में 5 जिलों की पहचान की गई है। फूलबानी और कोरापुट स्थित केन्द्र कार्य कर रहे हैं और सम्मलपुर, मयूरगंज और कालाहांडी स्थित केन्द्रों में काम शुरू होने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा, भुवनेश्वर स्थित जिला पुनर्वास केन्द्र, राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और

अनुसंधान संस्थान (विस्तार) और कटक स्थित क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्र की स्थापना की गई है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एच०एच०एफ०डी०सी०) विकलांग व्यक्तियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण देता है और उन्हें तकनीकी और उद्यमीय कौशलों के उन्नयन, उनके लिए कच्ची सामग्री प्राप्त करने और तैयार उत्पाद के विपणन और छोटे व्यापार, व्यवसाय, लघु उद्योग, कृषि और संबद्ध कार्यकलाप आदि शुरू करने में सहायता देता है। निगम ने अब तक 7448 लाभग्राहियों को 33.47 करोड़ रुपयों के ऋण संवितरित किए हैं।

(घ) से (च) निःशक्तता निवारण और पुनर्वास संबंधी एक राष्ट्रीय नीति निर्माण के अग्रिम चरण में है।

[हिन्दी]

अंत्योदय अन्न योजना संबंधी दिशानिर्देश

7860. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री चन्द्रकांत चतुर्वेदी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को नए दिशानिदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक किन-किन राज्यों से अंत्योदय योजना की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं; और

(घ) रिपोर्टों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) जी, हां। अंत्योदय अन्न योजना के क्रियान्वयन संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश जनवरी, 2001 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किए गए थे। लाभभोगियों की पहचान करने का कार्य राज्य सरकारों द्वारा राज्य के लिए आबंटित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या में से किया जाना अपेक्षित था। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया था कि वे निष्पक्ष और उद्देश्यपूर्ण तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों/ग्राम सभाओं और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को शामिल करके दो माह की अवधि के अंदर लाभभोगियों की पहचान करने और अलग प्रकार के राशनकार्ड जारी करने का कार्य पूरा करें।

(ग) और (घ) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अंत्योदय अन्न योजना क्रियान्वित कर दी गई है। लाभभोगियों की पहचान करने और उन्हें अलग प्रकार के राशन कार्ड जारी करने का कार्य पूरा कर लेने पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल के हिसाब से 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह की दर पर आबंटित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

वस्त्रों के संबंध में अमरीकी नियम

7861. श्री वाई०वी० राव : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरिका ने वस्त्रों के मूल स्थान के संबंध में अपने नियमों में कुछ परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे भारत के वस्त्र निर्यात पर प्रभाव पड़ा है; और

(घ) सरकार द्वारा इसमें परिवर्तन करवाने के लिए कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) जी, हां। अमरीका ने वर्ष 1994 में वस्त्र और परिधान उत्पादों के लिए उद्‌गम संबंधी नियमों में कतिपय परिवर्तन किए थे। ये परिवर्तन 1 जुलाई 1996 से प्रभावी हुए थे। किए गए मुख्य परिवर्तन थे :—

(i) कपड़ों को उस देश के मूल का माना जाता है जहां उनका निर्माण बुनाई या निटिंग द्वारा ग्रीज स्थिति में किया जाता है। रंगाई, छपाई और परिष्करण के अन्य कार्य को सामान्यतः ग्रीज वस्त्र को वाणिज्यिकी उपयोग वस्तु में परिवर्तित करने के लिए किए जाते हैं से अब उद्‌गम का संबंध नहीं है।

(ii) सिल्क स्कार्व, कंबलों और बेड, टेबल तथा किचन लिलेन जैसे व्यापार रेंच के मेड अप गैर-परिधान उत्पादों को उस देश के मूल का माना जाता है जिस देश में कपड़ों के संघटकों का निर्माण ग्रीज स्थिति में किया जाता है।

(iii) परिधान उत्पादों के लिए उद्‌गम वाला देश वह देश माना जाता है जहां संयोजन किया जाता है जिसका तात्पर्य यह है कि जहां संघटकों को काटकर आकार दिया जाता है वह उद्‌गम देश नहीं हो सकता है।

हम इन परिवर्तनों को डब्ल्यू०टी०ओ० करारों के अंतर्गत अमरीका के दायित्वों के अनुरूप नहीं मानते हैं। यद्यपि ईसी द्वारा की गई विवाद निपटान कार्रवाइयों के फलस्वरूप अमरीका ने 2000 में उद्‌गम संबंधी नियमों में संशोधन किया था तथापि अभी भी इसके उद्‌गम संबंधी नियम डब्ल्यू०टी०ओ० नियमों के अनुरूप नहीं हैं।

(ग) इन परिवर्तनों से वस्त्र और परिधान उत्पादों के लिए उद्‌गम संबंधी नियम असाधारण रूप से जटिल हो गए हैं। इसके अलावा, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंधात्मक, विकृतकारी और विघ्नकारी प्रभाव

डालते हैं, अनावश्यक सख्त अपेक्षाएं लगाते हैं, उद्‌गम संबंधी देश के निर्धारण के लिए पूर्वापेक्षा के रूप विनिर्माण और प्रसंस्करण से असंबद्ध कतिपय शर्तों को पूरा करने की जरूरत पैदा करते हैं, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या वस्तु घरेलू है, अमरीका द्वारा प्रयुक्त नियमों से अधिक कठोर हैं, सदस्यों के बीच भेदभाव करते हैं, और इनका प्रयोग सतत समान निष्पादन और उचित ढंग से नहीं होता है। अत: इन परिवर्तनों का हमारे वस्त्र निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(घ) 11 जनवरी, 2002 को भारत ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू०टी०ओ०) के विवाद निपटान तंत्र के अंतर्गत अमरीका के साथ औपचारिक परामर्श करने का अनुरोध किया था। अमरीका के साथ 7 फरवरी 2002 और 26 मार्च 2002 को औपचारिक परामर्श किए गए हैं। चूंकि ये परामर्श इस मामले को सुलझाने में असफल रहे हैं इसलिए भारत अब इस मामले की जांच करने के लिए डब्ल्यू०टी०ओ० के विवाद निपटान निकाय से एक पैनल गठित करने का अनुरोध कर रहा है।

शुल्क और गैर-शुल्क संबंधी बाधाओं को दूर करना

7862. श्री सुबोध मोहिते : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका ने भारत सरकार से देश में कृषि उत्पादों के निर्बाध/आयात हेतु सभी शुल्क और गैर-शुल्क संबंधी बाधाओं को दूर करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) भारत-अमरीका व्यापार विशेषकर कृषि उत्पाद की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) इसे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ग) अमेरिका ने अपनी राष्ट्रीय व्यापार आकलन रिपोर्ट 2002 में कुछ कृषि उत्पादों पर उच्च टैरिफ दरों उनके सरणीयन तथा कड़ी एस०पी०एस० अपेक्षाओं पर चिंता जाहिर की है। अमेरिकी सरकार को टैरिफ दरों में कमी, एक छोटी नकारात्मक सूची को छोड़कर सभी मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने के संबंध में सूचित कर दिया गया है।

(घ) अमेरिका को कृषि उत्पादों का निर्यात (2000-01) में 70777.86 लाख रुपए का हुआ था।

(ङ) निर्यातों को बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कुछेक कदम हैं – व्यापार मेलों, क्रेता विक्रेता बैठकों में भागीदारी, सूचना का प्रचार इत्यादि।

[हिन्दी]

वृद्ध, निराश्रित महिलाओं के लिए गैर-सरकारी संगठन

7863. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक वृद्ध, निराश्रित महिलओं और विधवाओं के कल्याण में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को राज्यवार और संगठनवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या सरकार के पास इन संगठनों द्वारा वित्तीय सहायता के दुरूपयोग के संबंध में कतिपय शिकायें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो ये संगठन कौन-कौन से हैं और सरकार द्वारा उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) इस मंत्रालय में महिलाओं के लिए अनन्य रूप से कोई योजना नहीं है। तथापि समाज रक्षा के क्षेत्र में वित्तीय सहायता संबंधी सामान्य सहायतानुदान कार्यक्रम के अंतर्गत इस मंत्रालय ने वर्ष 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान गिल्ड ऑफ सर्विस, नई दिल्ली नामक एक गैर सरकारी संगठन को प्रतिवर्ष 90 वृंदावन विधवाओं के लिए एक पुनर्वास केन्द्र के संचालनार्थ क्रमश: 8.30 लाख रु० तथा 15.61 लाख रु० निर्मुक्त किया है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) स्वाधार योजना, जो 2001-02 में शुरू की गई थी, के अंतर्गत यूपी महिला कल्याण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश नामक एक सरकारी संगठन को वृंदावन में 150 विधवाओं के पुनर्वास के लिए 2001-2002 के दौरान 8.13 लाख रु० दिए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

7864. श्री नरेश पुगलिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान ने गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के बारे में सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो इन गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में बड़े, लघु और मझौले उद्योगों के अंश का ब्यौरा क्या है;

(ग) गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र में गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र में बड़ी संख्या में गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इन गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान ने अनुपयोज्य आस्तियों सहित बैंकों के निष्पादन के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के लिए दिसम्बर, 1999 में वाणिज्यिक बैंकों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया था।

(ख) और (ग) बड़े एवं मझौल उद्योगों सहित गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में अनुपयोज्य आस्तियों तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में लघु उद्योगों (एस०एस०आई०) में अनुपयोज्य आस्तियों का बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में अनुपयोज्य आस्तियों के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ ऋण मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण में कमी उधारकर्ता द्वारा निधियों का अन्यत्र प्रयोग तथा चुकौती में जानबूझकर चूक, वित्तपोषित युनिट का अकुशल प्रबंधन, श्रमिकों की समस्याएं, प्राकृतिक विपदाएं, अधिक लागत/समय के कारण परियोजनाएं पूरी न होना और बैंकों द्वारा दायर वादों का न्यायालयों द्वारा निपटान करने में विलम्ब आदि शामिल हैं।

(ङ) भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) ने बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को देयराशियों की वसूली के लिए विभिन्न उपाय करने की सलाह दी है जैसे बैंकों द्वारा वसूली नीति तैयार करना एवं इसका कार्यान्वियन, न्यायालयों, ऋण वसूली अधिकरण (डी० आर०टी०) के पास वाद दायर करना, समझौता सलाहकार समितियों के माध्मय से समझौता निपटान तथा अनुपयोज्य आस्तियों (एन०पी० ए०) की निगरानी एवं अनुवर्तन, लोक अदालतों एवं समझौता निपटान/एक मुश्त निपटान का प्रयोग, आदि।

विवरण

31.3.2001 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की क्षेत्र-वार अनुपयोज्य आस्तियां

क्र० सं०	बैंक का नाम	कुल एनपीए	बड़े उद्योग एनपीए	मझौले उद्योग एनपीए	लघु उद्योग एनपीए
1	2	3	4	5	6
1.	भारतीय स्टेट बैंक	15874.97	2625.53	3691.61	2898.42
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	715.00	310.40	109.25	114.19
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	1075.29	405.52		168.68
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	325.19		86.53	55.00
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	581.01	196.10		127.58
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	694.76	186.66		131.63
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	568.54		178.22	196.41
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	757.93	169.99	162.98	93.13
	एस०बी० समूह का कुल	20592.69	3894.20	4228.59	3785.04
9.	इलाहाबाद बैंक	1821.31	272.87	529.17	262.46
10.	आन्ध्रा बैंक	470.10		117.00	106.00
11.	बैंक आफ बड़ौदा	4185.72	1771.51		731.72
12.	बैंक आफ इंडिया	3434.11	788.47	951.91	481.42
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	876.64	75.36	175.81	184.85
14.	केनरा बैंक	2242.89	341.15	201.04	703.63

1	2	3	4	5	6
15.	सेंट्रल आफ इंडिया	3253.34	794.54	349.37	737.71
16.	कारपोरेशन बैंक	484.74		155.83	85.90
17.	देना बैंक	1928.26		812.30	261.82
18.	इंडियन बैंक	2359.07	483.59	283.32	401.84
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	1631.40	601.55		319.76
20.	ओरियण्टल बैंक आफ कामर्स	585.76		1.84	141.75
21.	पंजाब एंड सिंध बैंक	1026.15		305.30	216.86
22.	पंजाब नैशनल बैंक	3460.10	1037.29	467.21	568.88
23.	सिंडिकेट बैंक	1074.61	327.49		245.41
24.	यूको बैंक	1284.02	273.64		176.95
25.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	2056.33	324.37		514.20
26.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1411.00	425.75	0.00	242.99
27.	विजया बैंक	594.92	86.32		115.79
	राष्ट्रीयकृत बैंकों का कुल	34180.47	7603.90	4430.10	6499.93
	सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कुल	54773.16	11498.10	8658.69	10284.97

इलैक्ट्रोनिक निधि हस्तांतरण प्रणाली

7865. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास वर्तमान में करों के संग्रहण और बैंकों की उनके हस्तांतरण से संबंधित कोई इलैक्ट्रोनिक हस्तांतरण प्रणाली नहीं है;

(ख) यदि हां, तो कर संग्रहण की सभी स्थितियों में पुरानी प्रणाली अपनाए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार करों के संग्रहण को सुलभ बनाने के लिए इलैक्ट्रोनिक निधि हस्तांतरण प्रणाली आरम्भ कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) करों के संग्रहण से संबंधित निधियों के इलैक्ट्रोनिक अन्तरण तथा बैंकों को उनके अन्तरण की कोई प्रणाली नहीं है।

(ख) कर धन राशि का इलैक्ट्रोनिक अंतरण शुरू किए जाने से पूर्व निधियों के सुरक्षित अन्तरण तथा इलैक्ट्रोनिक साधन के माध्यम से पहचान के सत्यापन हेतु सुविधाओं को उचित स्तर तक परिपक्व किया जाना है।

(ग) इस समय करों के संग्रहण से संबंधित निधियों के इलैक्ट्रोनिक अन्तरण के लिए कोई योजना शुरू की जा रही है ?

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात की साम्प्रदायिक हिंसा का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

7866. **श्रीमती रेणूका चौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी हाल की वाशिंगटन यात्रा के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर गुजरात में हाल में हुई साम्प्रदायिक हिंसा और नरसंहार के प्रभाव पर गम्भीर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर भारत सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का निगमीकरण

7867. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वित्त वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के निगमीकरण के लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पैकेज के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक और आई०बी०आर०डी० जो कि विश्व बैंक का संगठन है, के पास आई०डी०बी०आई० के 2,200 करोड़ के ऋण केन्द्र सरकार के अधिकार में आ जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने निर्णय लिया है कि वह भारतीय रिजर्व बैंक को 1200 करोड़ रुपये के 20 वर्षीय परिपक्वता बांड जारी करेगी; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार का इस संबंध में क्या अन्य कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) सरकार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई०) को इस वित्तीय वर्ष के दौरान उपयुक्त लचीलापन प्रदान करने हेतु निगमीकरण करने के लिए विधायी परिवर्तन लाने का प्रस्ताव रखती है।

(ख) से (घ) सरकार ने आर०बी०आई० से आई०डी०बी०आई०, एस०आई०डी०बी०आई०, एक्जिम बैंक एवं आई०आई०बी०आई० को दिए गए एन०आई०सी० – एलटीओ ऋण पोर्टफालियो निधि को हाल ही में अधिग्रहित कर लिया है तथा आर०बी०आई० के पक्ष में भारत सरकार की प्रतिभूति के तदनुरूप जारी कर दिया गया है। यह लेन-देन इस प्रकार किया गया है मानो यह कैश न्यूट्रल हो। साथ ही भारत सरकार ने 4038.07 करोड़ रु० वाली इन वित्तीय संस्थाओं (जिसमें आई०डी०बी०आई० का शेयर 1157.02 करोड़ रु० है) के 20 वर्षीय परिवर्तनीय बांडों को 8% तक अभिदान भी दिया है। सरकार ने आई०डी०बी०आई० की शेष राशि 973.48 करोड़ रु० के लिए आई०बी०आर०डी० की स्वीकृत अधिकतम ऋण सीमा को बजटीय न्यूट्रल ढंग से 20 वर्षीय परिवर्तनीय बांडों में भी परिवर्तित कर दिया है।

[हिन्दी]

वृद्धाश्रमों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को निधियां

7868. श्री रामदास आठवले : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास वृद्धाश्रमों और बालगृहों को चलाने के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) सरकार के पास इस संबंध में निपटान हेतु कितने आवेदन लंबित हैं; और

(घ) उनके निपटान हेतु कितना समय निर्धारित किया गया है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) जी, हां। वृद्धाश्रमों को चलाने के लिए ''वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम'' के अंतर्गत वृद्ध व्यक्तियों के सशक्तिकरण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने, वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों पर अधिक जागरूकता सृजन करने, मिलनसार रूढ़िगत संबंधों को विकसित करने, व्यक्तिगत स्तर पर यथा समाज आदि स्तर पर वृद्धावस्था के लिए जीवनपर्यन्त तैयारी को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

''देश में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए गृहों (शिशु गृह) को सहायता की योजना'' के अंतर्गत उन शिशुओं और छः वर्ष तक की आयु के बच्चों, जो या तो त्याग दिए गए हैं या अनाथ/निराश्रित हैं, की देखभाल और संरक्षण के लिए देश के अंदर संस्थागत देखभाल के लिए तथा देश में दत्तक ग्रहण के माध्यम से उनके पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ग) वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम के अंतर्गत 215 नए प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं तथा देश में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के लिए गृह (शिशु गृह) को सहायता की योजना के अंतर्गत पांच नए प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं।

(घ) नए परियोजना प्रस्तावों पर विचार करने और उन्हें मंजूर करने के लिए समय अनेक घटकों यथा पात्रता मानदंडों को पूरा करने, प्रस्तावों के सभी प्रकार से पूर्ण होने, निधियों की उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

निराश्रित बच्चों के लिए गैर-सरकारी संगठन

7869. श्री भान सिंह भौरा : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में निराश्रित बच्चों के कल्याण कार्य में कुछ गैर-सरकारी संगठन कार्यरत है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने संगठन हैं;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता का कुछ गैर-सरकारी संगठनों ने दुरूपयोग किया है; और

(घ) यदि हां, तो इन संगठनों के विरूद्ध अब तक क्या उपाय किए गए हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) जी, हां।

(ख) ''बेसहारा बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम'' के अंतर्गत बेसहारा बच्चों के कल्याण के लिए वर्ष 2001-02 के दौरान दो गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में जापानी सहायता से आरंभ की गई परियोजनाएं

7870. **श्री अनन्त नायक :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में जापानी सहायता से कितनी परियोजनाएं आरंभ की गई हैं;

(ख) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अब तक कितनी राशि की जापानी सहायता ली गई है;

(ग) इन परियोजनाओं की प्रगति क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं के लिए अब तक कितनी राशि का उपयोग किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) उड़ीसा राज्य में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक (जे०बी०आई०सी०) की सहायता से दो परियोजनाएं नामशः रेंगाली सिंचाई परियोजना (राज्य क्षेत्र) और एन०एच०-5 का उन्नयन (केंद्रीय क्षेत्र) क्रियान्वयनाधीन हैं। रेंगाली सिंचाई परियोजना के लिए 7,760 मिलियन जापानी येन की राशि के ऋण करार पर दिनांक 12.12.1997 को हस्ताक्षर किए गए थे। एन०एच०-5 उन्नयन, उड़ीसा के लिए 5836 मिलियन जापानी येन की राशि के ऋण करार पर दिनांक 28.2.95 को हस्ताक्षर किया गया था। दिनांक 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार रेंगाली सिंचाई परियोजना के संबंध में 3620 मिलियन जापानी येन तथा एन०एच०-5 उन्नयन परियोजना, उड़ीसा के संबंध में 1284 मिलियन जापानी येन की राशि का उपयोग संबंधित परियोजना क्रियान्वयन प्राधिकरणों द्वारा कर लिया गया है।

विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश पर गुजरात के दंगों का प्रभाव

7871. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के दंगों के मद्देनजर अप्रैल, 2002 में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए निवेश में नकारात्मक वृद्धि हुई है — जैसाकि दिनांक 25 अप्रैल, 2002 के '(हिन्दुस्तान टाइम्स)' में ''गुजरात राइट्स हिट एफ०आई०आई० इंफलों'' शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात मे जनवरी और फरवरी, 2002 माह में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा कुल कितना निवेश किया गया है;

(ग) क्या वर्तमान विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अपनी भावी योजनाओं को स्थगित कर दिया है क्योंकि विदेशी बाजारों में उनके प्रधान नई पहल करने के अनिच्छुक हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या नए निवेशकों ने भी अपने निवेश को आस्थगित कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार को इसके कारण कुल कितना घाटा उठाना पड़ा; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) यद्यपि देश में अप्रैल, 2002 के माह में समग्र रूप से विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेशों में मामूली रूप से नकारात्मक प्रवृत्ति दिखाई देती है, इस प्रवृत्ति का एकमात्र गुजरात दंगों के कारण होने का अनुमान लगाना सही नहीं है क्योंकि अनेक अन्य कारक व अवधारक बाजार प्रवृत्ति/मनोभावों को प्रभावित करते हैं।

(ख) भरतीय रिजर्व बैंक विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेशों संबंधी राज्य विशिष्ट आंकड़ों का अनुरक्षण नहीं करता है। तथापि जनवरी और फवरी, 2002 के दौरान देश में निवल एफ०आई०आई० पोर्टफोलियो निवेश क्रमशः 145.9 मिलियन अमरीकी डालर और 483.5 मिलियन अमरीकी डालर थे।

(ग) और (घ) किसी विद्यमान एफ०आई०आई० या गए निवेशक ने सरकार के समक्ष ऐसी कोई अनिच्छा व्यक्त नहीं की है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

वनस्पति की मांग और पूर्ति

7872. **श्री ए० वेंकटेश नायक :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति की मांग उसके उत्पादन से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001-2002 के दौरान वनस्पति की मांग और पूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इसकी मांग की पूर्ण पूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) वनस्पति के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने और वनस्पति के आयात बिल को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) वनस्पति की मांग का पृथक रूप से आकलन नहीं किया गया है। मांग में वनस्पति का देशीय उत्पादन तथा भारत-नेपाल व्यापार संधि के अंतर्गत नेपाल से वनस्पति का आयात शामिल है। वर्ष 2001-2002 में 14.75 लाख टन वनस्पति का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, संशोधित भारत-नेपाल व्यापार संधि के अंतर्गत बिना कोई सीमा-शुल्क के देश में 1 लाख टन वनस्पति का आयात किया जाएगा। इस प्रकार, वर्ष 2001-2002 के दौरान वनस्पति की मांग 15.75 लाख टन के आसपास होगी।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा पूरी मांग के पूरा करने, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा वनस्पति के आयात बिल के भार को कम करने हेतु उठाए गए कुछ कदम निम्नलिखित हैं :–

(i) वनस्पति उद्योग सहित वनस्पति तेल उद्योग को 25 जुलाई, 1991 से लाइसेंस-मुक्त कर दिया गया है।

(ii) भारत-नेपाल व्यापार संधि के अंतर्गत केन्द्रीय भंडारण निगम के मार्गीकरण के बिना सीमा-शुल्क के देश में एक लाख टन वनस्पति का आयात किया जाएगा।

(iii) नेपाल से वनस्पति के आयात पर 4% का विशेष अतिरिक्त शुल्क लगा दिया गया है;

(iv) खजूर तेल विकास कार्यक्रम के लिए सहायता।

(v) प्रमुख तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कर उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन देना।

(vi) तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि के लिए अनुसंधान को तेज करना।

(vii) वनस्पति के उत्पादन में मासिक आधार पर देशीय तेलों के कम से कम 25% तक प्रयोग को अनिवार्य कर दिया गया है। वनस्पति के उत्पादन में एक्सपेलर सरसों के तेल के ज्यादा प्रयोग को अनुमति प्रदान कर इसे 30% तक कर दिया गया है।

(viii) संसाधकों तथा उपभोक्ताओं के हितों में तालमेल बिठाने तथा खाद्य तेल के अधिक आयात को संभाव्य सीमा तक नियमित करने के लिए खाद्य तेल संबंधी शुल्क ढांचे को समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया

7853. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के तीन प्रायोजकों को इसकी मासिक आय में कमी की पूर्ति करने के लिए कहने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा निवेशकों के हितों की सुरक्षा करने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) ये स्कीमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के विनियामक सीमा क्षेत्र में हैं। ''सेबी'' ने अपने विचार भारतीय यूनिट ट्रस्ट को सूचित कर दिए हैं और इस मामले में कुछ प्रश्न भी उठाए हैं।

सहकारी बैंकों की लेखापरीक्षा

7874. **श्री चन्द्रनाथ सिंह :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित प्राइमरी (शहरी) सहकारी बैंकों को अपने सरकारी प्रतिभूति कारोबार की चार्टर्ड एकाउन्टेंट से विशेष लेखापरीक्षा कराने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु कि शहरी सहकारी बैंक सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के लिए रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें, क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने अप्रैल, 2002 में सभी अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को यह परामर्श दिया है कि वे उनके द्वारा किए गए प्रतिभूति संबंधी लेनदेनों की किसी सनदी लेखाकार द्वारा विशेष लेखापरीक्षा कराएं और विशेष लेखापरीक्षा की रिपोर्ट बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष या बैंक के निदेशक बोर्ड के समक्ष रखें, यदि बैंक ने कोई लेखापरीक्षा समिति गठित न की हो, तो इस आशय का प्रमाणपत्र साथ में प्रस्तुत करें कि बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेनों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए अनुदेशों का कड़ाई के साथ पालन किया है। ऐसा इसलिए किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन किया गया है।

(ग) शहरी सहकारी बैंकों की बहियों की त्वरित संवीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने कई उपाय किए हैं। इनमें बैंकों के बीच सीधे किए जाने वाले लेनदेन के निपटान सहित दोनों बैंकों को एक साथ लाकर दलाल की भूमिका को सीमित करना, व्यक्तिगत दलाल के माध्यम से लेनदेन के लिए 5% के मानदंड को अधिक्रमण करने वाले बैंकों से यह स्पष्टीकरण मांगना कि उनके विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए, प्रतिभूति संबंधी लेनदेनों की सनदी लेखाकार द्वारा विशेष लेखापरीक्षा कराना, कुछ राज्यों की सहकारी

समितियों के रजिस्ट्रार से यह अनुरोध करना कि वे शहरी सहकारी बैंकों द्वारा किए गए प्रतिभूति संबंधी लेनदेनों की विशेष लेखापरीक्षा कराएं और इस संबंध में उपयुक्त कार्रवाई करें आदि शामिल हैं।

कारपोरेट ऋण पुनर्गठन

7875. **श्री ए० ब्रह्मनैया :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित कारपोरेट ऋण पुनर्गठन तंत्र के विरूद्ध सरकार को अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो किन बैंकों ने भा०रि०बैं० की इस नई नीति का विरोध किया है;

(ग) क्या भा०रि०बैं० ने कारपोरेट ऋण पुनर्गठन हेतु इस तंत्र की समीक्षा की है;

(घ) भा०रि०बैं० की नवीनतम नीति के विरूद्ध विदेशी बैंकों की आपत्तियां क्या हैं; और

(ङ) ऐसी आपत्तियों के निराकरण के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वर्ष 2002-03 के केन्द्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार, सी०डी०आर० योजना के परिचालन की समीक्षा करने, योजना के सहज कार्यान्वयन में परिचालन संबंधी कठिनाइयों, यदि कोई हों, का पता लगाने और योजना के परिचालन को अधिक सक्षम बनाने के उपायों का सुझाव देने के लिए दिनांक 22 अप्रैल, 2002 को भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय दल का गठन किया गया है।

(घ) और (ङ) कार्पोरेट ऋण पुनर्गठन (सी०डी०आर०) तंत्र के लिए कानूनी आधार आवश्यक प्रवर्तन एवं दडात्मक प्रावधानों सहित कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर लेनदार करार (आई०सी०ए०) द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। दिनांक 25 फरवरी, 2002 को आयोजित सी०डी०आर० मंच की बैठक में, जिसमें 63 सरकारी क्षेत्र के बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, गैर-सरकारी क्षेत्र और विदेशी बैंकों ने भाग लिया था, 49 संस्थाओं ने, जिसमें 8 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं, 26 सरकारी क्षेत्र के बैंक और 15 गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक शामिल हैं, आई०सी०ए० पर हस्ताक्षर किए। शेष बैंकों और संस्थाओं से यह आशा की गई थी कि वे संबंधित बोर्डों से अपेक्षित प्राधिकार प्राप्त करने के बाद आई०सी०ए० पर हस्ताक्षर करेंगे। तत्पश्चात्, सी०डी०आर० कक्ष ने भारतीय बैंक संघ (आई०बी०ए०) के साथ संयुक्त रूप से विदेशी बैंकों के लाभ के लिए दिनांक 12 अप्रैल, 2002 को एक कार्यशाला आयोजित की, ताकि विचारों का आदान-प्रदान किया जा सके और स्पष्टीकरण दिए जा सकें। विचार-विमर्श के दौरान, यह प्रतीत हुआ कि विदेशी बैंकों की चिन्ता के मुख्य क्षेत्र आई०सी०ए० के अधीन कठोर दंडात्मक खंड, सी०डी०आर० तंत्र में विदेशी बैंकों के प्रतिनिधियों की सहभागिता के तौर-तरीके और विदेशी समूह ऋणों (ओवरसीज सिंडिकेट लोन) के संबंध में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयां हैं। अंतिम रूप से यह सहमति हुई कि उपर्युक्त मुद्दों पर आई०बी०ए० की प्रबंध समिति की बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा और लिए गए निर्णय के आधार पर, आई०सी०ए० के निष्पादन के संबंध में अगली कार्रवाई का निर्णय विदेशी बैंकों द्वारा किया जाएगा।

कर्नाटक परियोजना हेतु विदेशी सहायता

7876. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :**
श्री आर०एस० पाटिल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कर्नाटक राज्य में मृत्युदर और मातृ मृत्युदर को नियंत्रित करने और रोकने के लिए परियोजना तैयार करने हेतु तकनीकी सहायता के रूप में 6,80,000 डालर की पी०एच०आर०डी० विश्व अनुदान राशि का लाभ उठाने के लिए तकनीकी सहायता अनुदान प्रस्ताव को आर्थिक कार्य विभाग के पास अनुमति के लिए भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) विश्व बैंक के साथ 680000 अमरीकी डालर का उक्त पी०एच०आर०डी० अनुदान प्राप्त करने के लिए दिनांक 3.1.2002 को संबंधित करार पर हस्ताक्षर किए गए।

समुद्री खाद्य का निर्यात

7877. **श्री पी०आर० किन्डिया :**
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री मोहन रावले :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान 31 मार्च, 2002 तक भारत से विभिन्न देशों को और विशेषकर जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, अमरीका और कनाडा को विभिन्न प्रकार के समुद्री उत्पादों का कितनी मात्रा में कितने मूल्य का निर्यात किया गया;

(ख) क्या 2001-2002 के दौरान भारत से समुद्री उत्पादों के निर्यात में भारी गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा आगामी वर्षों में समुद्री उत्पादों के निर्यात में वृद्धि के लिए और क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या भारतीय समुद्री उत्पादों के रद्द किए जाने की दर विश्व में ऊंची है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान आयात करने वाले देशों द्वारा अस्वीकार किए गए भारतीय समुद्री उत्पादों का मूल्य कितना है; और

(ज) वर्तमान अस्वीकृति दर को कम करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से समुद्री उत्पादों के प्रमुख मदवार निर्यात निम्नानुसार रहे हैं :

(मात्रा टन में तथा मूल्य करोड़ रु० में)

मद	1999-2000		2000-2001		2001-2002 (अनन्तिम)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
प्रशीतित झींगा	110275	3645.22	111874	4481.51	124861	407310
प्रशीतित मछली	131304	537.34	212903	874.68	173382	705.51
प्रशीतित स्क्विड	34918	296.80	37628	324.43	39097	323.74
प्रशीतित कटल फिश	32799	286.22	33677	288.99	29963	273.58
अन्य	33735	351.09	44391	474.28	50767	494.30
कुल	343031	5116.67	440473	6443.89	418070	5870.23

इसमें से पिछले तीन वर्षों के दौरान जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, अमरीका और कनाडा को समुद्री उत्पादों के निर्यात निम्नानुसार रहे थे :–

(मात्रा टनों में और मूल्य करोड़ रु० में)

मद	1999-2000		2000-2001		2001-2002 (अनन्तिम)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
जापान	66990	2272.78	68983	2560.39	64620	1815.38
दक्षिण कोरिया	3385	32.12	7772	50.38	15061	72.34
ताइवान	5100	36.80	5466	44.50	7439	53.49
अमरीका	36645	775.35	41747	1164.40	48202	1402.97
कनाडा	3254	55.30	3193	59.67	3893	56.88

स्रोत : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकारी (एम्पीडा)

(ख) और (ग) **वर्ष 2001-02 के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यात वर्ष 2000-01 के दौरान हुए 1416 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना** में 1235 मिलियन अमरीकी डालर (अनन्तिम) के हुए थे, जो 12.8% की गिरावट दर्शाते हैं। वैश्विक मंदी और परिकमत: हमारे कुछेक प्रमुख बाजारों में कीमत में हुई कमी निर्यातों में गिरावट के प्रमुख कारण हैं।

(घ) समुद्री उत्पादों के निर्यातों को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं जिनमें शामिल है समुद्री खाद्य प्रसस्करण उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करना, स्वच्छता एवं गुणवत्ता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए प्रसंकरण सुविधाओं के उन्नयन हेतु कदम उठाना, जलकृषि का विस्तार करना, रोगों के प्रकोप से बचने के लिए प्रबंधन की ठोस पद्धतियां अपनाने के प्रयोजनार्थ जलकृषकों

को प्रशिक्षण प्रदान करना, निर्यात हेतु मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन हेतु सहायता प्रदान करना, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना, विदेशी बाजारों का सर्वेक्षण करना इत्यादि।

(ङ) और (च) जुलाई, 1998 से मार्च, 2002 तक की अवधि के दौरान सरकार को आयातक देशों द्वारा भारतीय समुद्री उत्पादों को अस्वीकार किए जाने के 44 मामलों की सूचना दी गई है। तथापि, उक्त देशों के संबंध में ऐसे मामलों की संख्या सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। सभी मामले यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों द्वारा कुछेक बैक्टीरिया जैसे विबरियो कोलेरा, विबिरियों पैरामो लिटिकस, सालमोनेला तथा नाइट्रोफरन्स इत्यादि की कथित मौजूदगी के कारण अस्वीकार किए गए थे।

(छ) संबंधित अनुमोदित प्रसंस्करण एककों द्वारा जारी निर्यात संबंधी प्रमाणपत्र के आधार पर गत तीन वर्षों के दौरान आयातक देशों द्वारा अस्वीकार किए गए भारतीय समुद्री उत्पादों का मूल्य निम्नानुसार रहा है :–

वर्ष	मूल्य (करोड़ रु० में)
1999-2000	0.30
2000-2001	2.66
2001-2002	3.80

स्रोत : भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद

(ज) सरकार ने समुद्री उत्पादों की निर्यात खेपों को अस्वीकार करने के मामलों को कम करने के लिए अनेक उपाय किए हैं, जिनमें शामिल हैं –

(i) गुणवत्ता मानकों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन, भंडारण और परिवहन के सभी चरणों पर ताजी प्रशीतित और प्रसंस्करण मछली और मछली के उत्पादों की स्वच्छता पूर्ण हैंडलिंग हेतु आवश्यक अपेक्षाएं निर्धारित करना।

(ii) मछली और मछली उत्पादों में एंटी बायोटिक, कीटनाशी और भारी धातु के अधिकतम अनुमत्य स्तर का निर्धारण करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मछली और मछली उत्पाद एंटी बायोटिक, कीटनाशी और धातु से संदूषित नहीं है।

(iii) शिकायत पर कार्रवाई तंत्र के लिए क्रियाविध निर्धारित करना।

(iv) ई०आई०सी० द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए स्तरीय चौकसी प्रणाली की शुरूआत करना कि समुद्री उत्पादों की प्रसंस्करण इकाइयां निर्धारित गुणवत्ता संबंधी मानकों का अनुपालन करती है।

(v) एम्पीडा द्वारा सलाह जारी किए जाने से सभी समुद्री खाद्य निर्यातक प्रसंस्कर्ता, कृषक, चारा विनिर्माता अंडत-उत्पति शाला मालिक आदि अपनी जल कृषि संबंधी निविष्टियों में प्रतिबंधित एंटी बायोटिक का प्रयोग न करने के प्रति सावधान हो गए हैं।

संवेदनशील आयात वस्तुओं की सूची में काटछांट करना

7878. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोशिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 300, संवेदनशील आयात वस्तुओं की सूची में भारी काटछांट और बाउंड दरों को 10 प्रतिशत तक कम करने, ताकि औद्योगिक शुल्क दर को 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया जा सके, का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) सरकार ने ऐसोशिएटेड वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों के सुझावों से संबंधित प्रेस रिपोर्टें देखी हैं। उद्योग एवं व्यापार मंडलों तथा अन्य एसोसिएशनों के साथ-साथ व्यष्टियों से प्राप्त इस प्रकार के सभी सुझावों को ध्यान में रखा जाता है और वार्षिक बजट एवं एग्जिम नीति तैयार करते समय उन पर विचार किया जाता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चावल की गुणवत्ता

7879. श्री भर्तृहरि महताब : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु उपलब्ध चावल की गुणवत्ता के संबंध में उड़ीसा सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रशन नहीं उठता।

[हिन्दी]

वस्त्र केन्द्र अवसंरचना विकास योजना

7880. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वस्त्र केन्द्र अवसंरचना विकास योजना (टी०सी०आई०डी०सी०) द्वारा सहायता प्रदान करने के लिए किन वस्त्र केन्द्रों का

चयन किया गया है और उन पर कितना खर्च किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) इन केन्द्रों का चयन किस आधार पर किया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) और (ख) सरकार ने देश के प्रमुख वस्त्र केन्द्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का आधुनिकीकरण करने हेतु "वस्त्र केन्द्र इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास योजना (टी०सी०आई०डी०एस०) नामक एक नयी योजना शुरू की है। योजना किसी स्थान विशेष के लिए नहीं है और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रमुख केन्द्रों के इन्फ्रास्टक्चर में व्यापक अंतरों को कम करने के लिए परियोजना रिपोर्टों को बनाने तथा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है जिन पर योजना के अंतर्गत सहायता हेतु विचार किया जा सकता है।

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक केन्द्र को 50 प्रतिशत तक की सहायता प्रदान की जाएगी बशर्ते यह 20 करोड़ रुपए से अधिक न हो। शेष 50 प्रतिशत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अथवा राज्य सरकार के किसी नामित अभिकरण द्वारा दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत निधियों का उपयोग वस्त्र एककों को लाभान्वित करते हुए इन वस्त्र केन्द्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु उपयोग किया जाएगा। कुछ उद्देश्यों जिनके लिए निधियों का उपयोग किया जा सकता है वे हैं (i) साझा बहिस्राव शोधन सुविधाएं (ii) परीक्षण सुविधाओं का प्रावधान (iii) विद्युत आपूर्ति को सुदृढ़ करना (vi) डिजाइन केन्द्रों की स्थापना और (v) सड़कों, नालों की सुविधाओं आदि का सुधार।

[अनुवाद]

अवसंरचना क्षेत्र की विकास दर

7881. श्री वाई०वी० राव
श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रमुख अवसंरचना उद्योगों के निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक प्रमुख अवसंरचना उद्योग का निष्पादन क्या रहा;

(ग) निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले में वर्ष 2001-2002 के दौरान अवसंरचना क्षेत्र की उद्योग-वार विकास दर क्या रही;

(घ) क्या इस क्षेत्र के अंतर्गत किसी उद्योग में कोई नकारात्मक विकास हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) आगामी वर्षों में अवसंरचना क्षेत्र की विकास दर में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(छ) चालू वित्तीय वर्ष के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) और (ख) सरकार छः अवसंरचनात्मक उद्योगों नामतः कच्चा पैट्रोलियम, पैट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, कोयला, सीमेंट, तैयार इस्पात और विद्युत के कार्य निष्पादन के बारे में मासिक आधार पर निगरानी करती है। इन छः अवसंरचना उद्योगों का कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है, जो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त विकास दर (%) के रूप में मापा गया है :—

उद्योग	1999-2000	2000-01	2001-02
कच्चा पेट्रोलियम	-2.4	1.5	-1.2
पेट्रोलियम रिफायनरी उत्पाद	25.4	20.3	3.8
कोयला	3.1	3.5	4.2
सीमेंट	14.2	-0.9	7.4
तैयार इस्पात	13.9	7.7	2.5
विद्युत	7.2	3.9	3.1
समग्र	9.1	5.1	3.0

(ग) वर्ष 2001-02 के दौरान निर्धारित किये गये लक्ष्य की तुलना में अवसंरचनात्मक क्षेत्र की उद्योगवार विकास दरें नीचे दी गई हैं :—

उद्योग	एकक	लक्ष्य	उपलब्धि
कच्चा पेट्रोलियम	मिलियन टन	32.5	32.0
पेट्रोलियम रिफायनरी उत्पाद	मिलियन टन	113.5	99.8
कोयला	मिलियन टन	325.6	322.6
सीमेंट	मिलियन टन	105.0	106.9
तैयार इस्पात	हजार टन	34782.0	31066.4
विद्युत	बिलियन इकाइयां	539.50	515.3

स्रोत: योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय

(घ) और (ङ) कच्चा पैट्रोलियम क्षेत्र में वर्ष 2000-2001 के दौरान प्राप्त 1.5 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2001-2002 के दौरान -1.2 प्रतिशत विकास दर्ज की है। इस गिरावट की प्रवृत्ति के कारण मुख्यतः अलग-अलग एकक पर निर्भर करते हैं और इनमें सामाजिक-पर्यावरणीय समस्याएं, जलाशय की समस्याएं, अन्वेषी कुओं से कम

प्राप्तियां, आग, लाइन में रिसाव, जल कटौती में वृद्धि, बंद और अपराधिक कार्यकलाप शामिल हैं।

(च) सरकार ने इन क्षेत्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

- प्रधान मंत्री की बृहद सड़क परियोजनाओं की शुरूआत, जिससे सीमेंट और इस्पात उद्योगों की मांग बढ़ेगी।
- सरकार ने एकीकृत कस्बों के विकास तथा क्षेत्रीय शहरी अवसंरचना में 100 प्रतिशत एफ०डी०आई० की अनुमति के लिए दिशा-निर्देश घोषित किये हैं। इससे आवास/स्थावर संपदा क्षेत्र को बढ़ावा मिलने और सीमेंट तथा इस्पात क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है।
- विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में बाजारों के विकास के जरिये इस्पात की खपत को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान समिति का गठन किया गया है।
- अवसंरचना विकास के लिए करावकाश और आवास क्षेत्र के लिए कर प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है।
- सरकार ने एस०ई०बी० में सुधार लाने के लिए राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं तथा उपाय किये हैं जिनमें 100 प्रतिशत मीटिरिंग के अधिष्ठापन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम सभी स्तर पर उर्जा लेखा परीक्षा विद्युत चोरी में कमी लाने और संभवत: इसे समाप्त करने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम शामिल हैं।
- पारेषण और वितरण पर फिर से ध्यान देते हुए केन्द्रीय बजट 2002-2003 में 3500 करोड़ रुपये के वर्धित योजनागत आवंटन से त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम घोषित किया गया है।
- पैट्रोलियम उत्पादों के लिए प्रशासित मूल्य तंत्र (ए०पी०एम०) चरणबद्ध रूप से समाप्त कर दिया गया है। पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य अब बाजार द्वारा निर्धारित किये जायेंगे।

(छ) चालू वित्तीय वर्ष (2002-03) के लिए लक्ष्य नीचे दिये गये हैं :—

उद्योग	लक्ष्य
1	2
कच्चा पेट्रोलियम	33.2 मिलियन टन *@
पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद	116.8 मिलियन टन *@
कोयला	335.70 मिलियन टन
सीमेंट	115.45 मिलियन टन
तैयार इस्पात	सरकार देश में इस्पात के उत्पादन के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं करती है। ये लक्ष्य संबंधित इस्पात संयंत्रों द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।
विद्युत	545.6 बिलियन यूनिट

*रिफाइनरी कच्चा तेल के लिए निश्चित लक्ष्य @ अनन्तिम लक्ष्य

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त लाभांश

7882. श्री नरेश पुगलिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की तरफ से कोई निर्देश है कि कर-पूर्व लाभ अर्जित करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सामान्य राजस्व में लाभांश का भुगतान अवश्य करना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कर-पूर्व लाभ अर्जित करने वाले सरकारी क्षेत्र के किन उपक्रमों ने गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार सामान्य राजस्व में लाभांश का भुगतान नहीं किया; और

(घ) सरकार ने उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों/विभागों को समय-समय पर यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं कि उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रम निर्धारित दरों पर सरकार को लाभांश का भुगतान करते हैं। विद्यमान अनुदेशों के अनुसार, सभी लाभदायी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कम से कम सरकारी इक्विटी निवेश का 20 प्रतिशत अथवा करोपरांत लाभ का 20 प्रतिशत लाभांश जो भी अधिक हो, चुकाने की आवश्यकता होती है। तेल, पेट्रोलियम, रसायन तथा अन्य आधारढांचा उद्योगों के मामले में, चुकाने योग्य लाभांश कारोपरांत लाभ का कम से कम 30 प्रतिशत होना चाहिए।

(ग) मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, लाभ अर्जित कर रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभांश घोषित नहीं किया है, निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	लाभ अर्जक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, जिन्होंने लाभांश घोषित नहीं किया, की संख्या
1998-1999	48
1999-2000	40
2000-2001	52

(घ) इस विषय पर सरकारी अनुदेशों के अनुपालन के सुनिश्चित के लिए, प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए लाभांश भुगतान की स्थिति की समीक्षा करने को कहा गया है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर संसदीय समिति उपर्युक्त (ग) में उल्लिखित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट की भी जांच करेगी तथा इस मुद्दे पर संसद को उपयुक्त सिफारिशें करेंगी।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा बॉंड जारी करना

7883. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम 500 करोड़ रुपए का बॉंड निगम जारी कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्रेडिट एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय वस्त्र निगम को क्या रेटिंग दी गई है;

(घ) क्या सरकार राष्ट्रीय वस्त्र निगम को उसकी भविष्यगामी गतिविधियों के लिए पर्याप्त सहायता दे रही है; और

(ङ) राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में उसकी सहायता करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) औ (ख) एन०टी०सी० निजी क्षेत्र में 500 करोड़ रु० की राशि के एन०टी०सी० बॉण्ड शुरू कर, निधियां एकत्रित करने की प्रक्रिया में है।

(ग) सी०आर०आई०एस०आई०एल० ने उक्त ईशू का मूल्यांकन ''एएए (एस०ओ०)' के रूप में किया है।

(घ) और (ङ) सरकार ने मूलधन और उस पर मिलने वाले ब्याज का भुगतान करने के लिए एन०टी०सी० के बॉण्डों के लिए गारंटी दी है।

भारत और ब्राजील के बीच समझौता ज्ञापन

7884. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्राजील के विकास, उद्योग और वाणिज्य मंत्री के भारत दौरे के दौरान भारत और ब्राजील ने प्रौद्योगिकी भागीदारी और पेट्रोल तथा डीजल के साथ इथेनॉल के मिश्रण हेतु संयुक्त अध्ययन कराने संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो किए गए समझौता ज्ञापन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों देशों में आर्थिक संबंध विकसित करने के लिए कहां तक सहमत हुए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर परिवहन ईंधन के साथ इथेनॉल के मिश्रण के क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग को बढ़ाना और सहयोग के वांछनीय क्षेत्रों का पता लगाना है। इस समझौता ज्ञापन के तहत ब्राजील की सरकार इथेनॉल को गैसोलाइन और डीजल में मिश्रित करने के लिए पौद्योगिकी देने और इस क्षेत्र से संबंधित परामर्श देने के लिए सहमत हो गई है। समय-समय पर हस्ताक्षर किए जाने वाले कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के आधार पर इस समझौता ज्ञापन को कार्यान्वित किया जाएगा। कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में वित्तीय शर्तों सहित सहयोग के क्षेत्र, विषय और रूपों का उल्लेख किया जाएगा। समझौता ज्ञापन को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी प्रत्येक विशिष्ट परियोजना को शामिल करते हुए अलग प्रोटोकाल में संबंधित सरकारों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले अभिकरणों की होगी। दोनों पक्ष इस समझौता ज्ञापन के ढांचे के भीतर, यदि आवश्यक हुआ तो, उपयुक्त प्रोटोकाल अथवा संविदाओं को संपन्न करने की दृष्टि से दोनों देशों में विनिर्दिष्ट अभिकरणों के बीच सहयोग बढ़ाएगें। उन प्रोटोकालों अथवा संविदाओं, जो सहयोग बढ़ाने के आधार होंगे, पर हस्ताक्षर संबंधित देश में लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार किए जाएंगे।

स्वापकों की तस्करी

7885. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान में तालिबान शासन की समाप्ति के पश्चात् पाकिस्तान के साथ पंजाब की सीमा के कुछ भाग स्वापक तस्करों की गतिविधियों के केन्द्र बन गए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन गतिविधियों को रोकने हेतु क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं; और

(ग) पंजाब में इस वर्ष जनवरी तक कितने अपराधियों को पकड़ा गया है और अब तक उनमें से कितने अराधियों को दंडित किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) विभिन्न स्वापक औषधि कानून प्रवर्तन एजेंसियों से प्राप्त अभिग्रहण रिपोर्टों से पंजाब राज्य से लगी भारत-पाकिस्तान सीमा के पार से स्वापक औषधियों की तस्करी की गतिविधियों में किसी प्रकार की उल्लेखनीय वृद्धि के बारे में पता नहीं चलता है।

(ख) स्वापक औषधियों के अवैध व्यापार को रोकने तथा इस पर प्रभावशाली नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने बहुत से उपाय किए

हैं। इनमें समस्त स्वापक औषधियों से संबंधित प्रवर्तन ऐजेंसियों को सर्वाधिक चौकसी बरतने तथा प्रवर्तन प्रयासों में तेजी लाने के लिए निदेश जारी करना, अधिकारियों को प्रशिक्षण देना, भारत-पाक सीमा पर बाड़ एवं फल्ड लाइटिंग लगाना, स्वापक औषधियों का निषेध करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल तथा तटरक्षकों को शक्तियां प्रदान करना, पूर्व प्रयुक्त होने वाली कुछेक रसायन सामग्रियों जैसे कि ऐसेटिक एनहाइड्राइड, एफिड्राइन आदि को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी द्रवय पदार्थ (एन०डी०पी०एस०) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत "नियंत्रित पदार्थों" के रूप में अधिसूचित करना, सभी संबंधित केन्द्रीय और राज्यीय एजेंसियों के साथ स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा तिमाही समन्वय बैठकें करना, भारतीय और पाकिस्तानी स्वापकरोधी एजेंसियों की आवधिक द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन करना आदि शामिल हैं।

(ग) विभिन्न स्वापक औषधि कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2001 और 2002 (जनवरी, 2002 तक) के दौरान स्वापक औषधियों के अवैध व्यापार के लिए पंजाब में 732 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। सभी गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों पर स्वापक औषधि और मन:प्रभावी द्रव्य पदार्थ अधिनियम, 1985 के उपबंधों के तहत् मुकदमा चलाया जा सकता है। और इन्हें दण्ड दिया जा सकता है।

उड़ीसा में खाद्यान्नों की कमी

7886. श्री अनन्त नायक : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा के कालाहाड़ी-बोलांगीर-कोरापुट जिलों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए खाद्यान्नों की कमी की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) जी, हां। उड़ीसा के के०बी०के० क्षेत्र में 8 जिलों की विशेष समस्या को ध्यान में रखते हुए जनवरी, 2002 से गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर उड़ीसा के के०बी०के० क्षेत्र में सभी 13.93 लाख परिवारों, जो परिवारों की कुल संख्या होने का अनुमान है, के लिए 25 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह की दर पर आबंटित किया जा रहा है।

पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क

7887. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री सुकदेव पासवान :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क की समीक्षा करने पर सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने, पैट्रोल और डीजल के लिए उत्पाद शुल्क दरों में समंजन करने के मुद्दे को वित्त मंत्रालय के साथ उठाया है। मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

कोच्चि बंदरगाह का विशेष आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन करना

7888. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को कोच्चि बंदरगाह को विशेष आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए पोत परिवहन मंत्रालय से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

हीरों के निर्यात पर गुजरात की हिंसा का प्रभाव

7889. श्री पी०आर० किन्डिया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आशंका है कि गत दो माह के दौरान गुजरात के कई भागों में होने वाले दंगों के कारण हीरों के निर्यात को भारी आघात पहुंचेगा;

(ख) यदि हां, तो उपद्रवों के कारण निर्यातकों को कुल कितनी हानि हुई और कितने श्रम दिवसों की हानि हुई; और

(ग) सरकार द्वारा हीरों के निर्यात को पटरी पर लाने हेतु कार्रवाही की गई है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ग) जी, नहीं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक स्वायत्तशासी प्रतिनिधि व्यापारिक निकाय, रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जी०जे०ई०पी०सी०), सूरत (जिसका गुजरात

राज्य में हीरों के उत्पादन का 50% से अधिक हिस्सा बनता है) प्रभावित नहीं हुई है। अहमदाबाद में, शहरों के अन्य भागों में जारी अशांति के कारण, यह अनुमान है कि हीरे का उत्पादन लगभग 25% तक घट सकता है। यद्यपि सभी हीरा कारखानों का चालू माना जा रहा है तथापि गुजरात के भावनगर तथा पालमपुर जैसे अन्य शहरों में कोई खास विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है तथापि तराशे तथा पालिश किए गए हीरों के निर्यात में अच्छी प्रवृत्ति दिखाई दे रही हैं। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा हीरा उद्योग के संदर्भ में गुजरात की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

सिंगापुर के साथ आर्थिक समझौता

7890. **श्री वाई०वी० राव :**
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सिंगापुर व्यापक आर्थिक समझौते पर विचार करने के लिए एक संयुक्त अध्ययन दल की स्थापना करने पर सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह दोनों देशों के विकास में किस सीमा तक सहायक होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) हाल ही में प्रधान मंत्री के सिंगापुर के दौरे के दौरान इस बात की सहमति हुई थी कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग करार (ई०सी०ए०) पर विचार करने के लिए एक संयुक्त अध्ययन दल (जे०एस०जी०) की स्थापना की जाए। भारतीय पक्ष की ओर से जे०सी०जी० की स्थापना पहले ही की जा चुकी है और इस संबंध में सिंगापुर के प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है। ई०सी०ए० में व्यापार और निवेश, सीमा शुल्क संबंधी सहयोग और अन्य मुद्दों सहित विस्तृत आर्थिक मुद्दे शामिल होंगे। आशा है कि भारत और सिंगापुर के बीच पहले ही मजबूत आर्थिक संबंधों को और अधिक बल मिलेगा और इनका विस्तार होगा। अध्ययन दल अपनी रिपोर्ट एक वर्ष की अवधि के भतीर प्रस्तुत करेंगे।

(ग) हालांकि इस बात का अुमान लगाना कठिन होगा कि इससे दोनों देशों के विकास में कितनी मदद मिलेगी फिर भी दोनों देशों, के बीच आर्थिक संबंध स्थापित करने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। इन संबंधों के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के विकास में मदद मिलेगी।

जीवन बीमा संबंधी दावे

7891. **श्री ए० ब्रह्मनैया :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में कई विज्ञापन जारी किए हैं कि इसने 65,37,894 दावों का निपटान कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो जीवन बीमा निगम द्वारा कितनी अवधि में 65,37,894 दावों का निपटान किया गया है;

(ग) इसी अवधि के कितने दावे अभी तक लम्बित हैं;

(घ) न्यायालयों में जीवन बीमा निगम से संबंधित कितने दावे वर्तमान में लंबित हैं;

(ङ) क्या जीवन बीमा निगम द्वारा न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित दावों का समाधान निकालने के लिए किसी तंत्र का आश्रय लिया जाएगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम (एल०आई०सी०) ने सूचित किया है कि उन्होंने यह विज्ञापन दिया है कि उन्होंने 65,37,894 दावों का निपटान कर दिया है जो दिनांक 1.4.2001 से 28.2.2002 की अवधि से संबंधित थे। दिनांक 1.4.2001 से 31.3.2002 तक के पूरे वर्ष के संबंध में उन्होंने 86,20,081 दावों का निपटान किया है।

(ग) दिनांक 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार, निपटान हेतु लम्बित पड़े दावों की संख्या 59,133 थी।

(घ) दिनांक 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार, एल०आई०सी० से जुड़े कुल 4024 पॉलिसी संबंधी मामले (दावों सहित) विभिन्न अदालतों में लम्बित पड़े थे।

(ङ) और (च) एल०आई०सी० ने सूचित किया है कि उन्होंने आंचलिक कार्यालयों में दावा समीक्षा समितियां जिनमें उच्च न्यायालय/जिला अदालत के सेवा-निवृत्त जज होंगे, गठित करके दावा निपटान प्रक्रिया को मजबूत बनाया है। केन्द्रीय दावा समीक्षा समितियों में भी उच्च न्यायालय के सेवा-निवृत्त मुख्य न्यायाधीश शामिल किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, देश भर में 12 केन्द्रों पर बीमा ओम्बड्समैन कार्यालय स्थापित किए गए हैं। पॉलिसीधारक दावों के निपटान से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए सीधे अदालतों में जाने की बजाय दावा समीक्षा समितियों अथवा बीम ओम्बड्समैन के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

अधिग्रहण-विषयक संहिता

7892. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'सेबी' ने उन कंपनियों के लिए जो अन्य कंपनियों के शेयर खरीदना चाहती हैं, अधिग्रहण विषयक एक संहिता निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या 'सेबी' का इस बात पर जोर रहता है कि कोई भी कंपनी किसी अन्य कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर नहीं खरीदेगी;

(ग) यदि हां, तो क्या शेयर अधिग्रहणकर्ता को कुछ शर्तों का पालन करना होता है;

(घ) यदि हां, अधिग्रहीता कंपनी या व्यक्ति को कौन-कौन सी शर्तें पूरी करनी होंगी;

(ङ) क्या किन्हीं कंपनियों ने 'सेबी' की इस अधिग्रहण-विषयक संहिता का उल्लंघन किया है; और

(च) यदि हां, तो वर्ष 2001-2002 के दौरान किन-किन पब्लिक लिमिटेड कंपनियों ने उक्त संहिता के मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लंघन किया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997 सेबी द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 1997 को अधिसूचित किए गए थे।

(ख) सेबी किसी कंपनी में शेयरों के 5 प्रतिशत से अधिक शेयरों के अर्जन का निषेध नहीं करता है।

(ग) और (घ) कोई अर्जक जो शेयर या मतदान अधिकार प्राप्त करता है जो उसके द्वारा धारित शेयरों के साथ इकट्ठे लिए जाने पर उसे 5 प्रतिशत से अधिक का हकदार बनाते हैं, उससे यह अपेक्षित है कि इस अर्जन के चार कार्य दिवसों के भीतर उस कंपनी में अपनी सकल शेयर धारित या मतदान अधिकारों का संबंधित कंपनी को प्रकटन करे।

(ङ) और (च) सेबी ने उपर्युक्त शर्त के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित अर्जकों के विरूद्ध अधिनिर्णयन कार्यवाहियां शुरू की हैं :—

क्रम	अर्जक	लक्षित कंपनी
1.	ए०के० बाजोरिया एवं अन्य	बाम्बे डाइंग एंड मैन्यू० कंपनी लिमिटेड
2.	ए०के० बाजोरिया एवं अन्य	बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड
3.	पी०के० तायल एवं अन्य	बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड
4.	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	एल०एंड०टी० लिमिटेड

गुरूद्वारों से एकत्र किया गया कर

7893. **सरदार सिमरनजीत सिंह मान : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में गुरूद्वारों की आय का कितने प्रतिशत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कर के रूप में एकत्रित किय गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क में वृद्धि का अधिकार

7894. **श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विधिमान्य सीमाओं से परे उत्पाद और सीमा शुल्क में वृद्धि के आपात कालीन वित्तीय अधिकार लेने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) इन आयात वित्तीय अधिकारों के अन्तर्गत शुल्क में की गयी वृद्धि का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अनु० जाति/अनु० जनजाति के लिए निर्धारित रिक्तियों को आरक्षण मुक्त करना

7895. **श्री पी० कुमारासामी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1989 के बाद से उनके मंत्रालय और अधीनस्थ कार्यालयों में अनु० जाति/अनु० जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों/रिक्तियों को आरक्षण मुक्त करके उन पर अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की भर्ती कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनु० जाति, अनु० जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित पदों को इस तरह आरक्षण मुक्त किए जाने पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने पर प्रतिबंध है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के संगत दिशा-निर्देशों में यथा-निर्धारित कठोर प्रक्रिया को अपनाने के बाद ही विरल तथा अपरवादात्मक मामलों में समूह 'क' सेवाओं में सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित किया जा सकता है। पदोन्नति के मामले में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भी अनारक्षित किया जा सकता है जबकि आरक्षित रिक्तियों में नियुक्ति के लिए

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उपयुक्त अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो। ऐसे अनारक्षण के चलते पद-आधारित आरक्षणों में आरक्षण उतना व्यपगत नहीं होता जितना कि परवर्ती भर्ती (भर्तियों) में, अ०जा०/अ०ज०जा० के लिए आरक्षण कोटा पद-आधारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पूरा किया जाता है। वित्त मंत्रालय के अधीन विभिन्न कार्यालयों के मामले में अनारक्षण, यदि कोई हो, के सही ब्यौरे केन्द्रीय तौर पर नहीं रखे जाते हैं।

मंत्रियों द्वारा अमरीका का दौरा

7896. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन मंत्रियों ने 20 दिसम्बर, 2001 से 24 फरवरी, 2002 की अवधि के दौरान अमरीका का दौरा किया;

(ख) किन-किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई और उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या किसी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन दौरों से देश किस प्रकार लाभान्वित हुआ; और

(च) अलग-अलग किए गए दौरों पर अतिरिक्त भारी व्यय को रोकने हेतु विभिन्न मंत्रियों के दौरों को सम्मिलित रूप से न किए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (च) जहां तक वित्त मंत्रालय का संबंध है, वित्त मंत्री ने 31.1.2002 से 2.2.2002 तक विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए अरमीका का दौरा किया। दिनांक 31.1.2002 को वित्त मंत्री ने न्यूयार्क में एशिया सोसायटी को सम्बोधित किया, इसका मुख्य विषय "भारत में आर्थिक सुधारों का दूसरा चरण" था। दिनांक 2.2.2002 को विश्व आर्थिक फोरम के समापन सत्र में तीसरी दुनियां से गरीबी घटाने की दृष्टि से दुनियां के सभी देशों में जी०डी०पी० विकास के बीच सह-संबंधों के स्थापना पर जोर देते हुए सार्वभौमिक आर्थिक परिदृश्य पर विचार-विमर्श किया गया। किसी ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। तीसरी दुनियां के देशों सहित भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाने के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श किया गया जिसमें तीसरी दुनियां के देशों में गरीबी घटाने के लिए एक 0साधन के रूप में मुक्त व्यापार के पक्ष में आम सहमति बनी।

अन्य मंत्रालयों से अन्य विभिन्न मंत्रियों द्वारा किए गए विदेशी दौरों, यदि कोई हों, के बारे में विवरण केन्द्रीय तौर पर नहीं रखा जाता है।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की टिप्पणियां

7897. **श्री एन० जनार्दन रेड्डी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अंतर्राष्ट्रीय "क्रेडिट रेटिंग एजेंसी" ने भारत सरकार द्वारा अपने सरकारी क्षेत्र के भारी घाटे को रोक पाने में अक्षमता की ओर इंगित किया है और चेतावनी दी है कि देश ऋण के जाल में फंसता जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) दिसम्बर, 2001 में, एक अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने सरकार के विदेशी मुद्रा ऋण पर अपने दर्जा निर्धारण दृष्टिकोण की स्थायी के रूप में पुष्टि करते हुए कहा कि सरकार के घरेलू ऋण दर्जा निर्धारण पर दृष्टिकोण नकारात्मक होने का संकेत था। यह सरकारी वित्तपोषणों की स्थिति के बारे में उनकी चिंता पर आधारित था।

राजकोषी वर्ष 2001-2002 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सरकार के राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान 5.7 प्रतिशत है। वर्ष 2002-2003 के लिए इस आंकड़े के, सकल घरेलू उत्पादन के 5.3 प्रतिशत होने का अनुमान है। सरकार ने केन्द्र और राज्यों की राजकोषीय स्थिति को सुधारने के लिए अनेक उपाय शुरू किए है।

[हिन्दी]

बी०सी०सी०आई०

7898. **श्री उत्तमराव ढिकले : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी०सी०सी०आई० ने सरकार द्वारा कर में छूट न दिए जाने के कारण नॉक-आउट क्रिकेट टुर्नामेंट प्रायोजित करने का विचार छोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद नॉक आउट, 2002 को कराधान से छूट देने के संबंध में अनुरोध किया था। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23) के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद को छूट उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि उपर्युक्त धारा भारत में स्थापित संघ अथवा संस्था के लिए लागू है। चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अनिवासी खेल संघ है, अतः यह धरा 10(23) के उपबंधों के अन्तर्गत नहीं आती है। अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाता है अतः इस संबंध में सरकार को कोई टिप्पणी नहीं देनी है।

[अनुवाद]

कपंनियों का अधिग्रहण

7899. **श्री किरीट सोमैया : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न कारपोरेटों द्वारा पिछले दरवाजे से अधिग्रहण की घटनाओं में तेजी पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ए०सी०सी०, एल०एंड०टी०, मधुसूदन तेल इसी प्रकार के मामले हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को सांसदों/एसोसिएशनों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) बाजार विनियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध कंपनियों का पिछले दरवाजे से अधिग्रहण किए जाने के मामले के जानकारी में आने पर समय-समय पर समुचित कार्रवाई की है।

(ख) सेबी ने यह सूचित किया है कि एल०एंडटी० तथा ए०सी०सी० (लक्षित कंपनियां) के मामले में क्रमश: ग्रासिम तथा अम्बुजा सीमेंट्स लिमिटेड (अधिग्रहणकर्ता) द्वारा कुल मिलाकर 15 प्रतिशत अर्थात सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन तथा अधिग्रहण) विनियम, 1997 के विनियम 10 के अन्तर्गत अवसीमा रेखा से न्यून शेयरों का अधिग्रहण किया गया था। इस अधिग्रहण के तदन्तर यद्यपि लक्षित कंपनियों के बोर्ड में अधिग्रहणकर्ताओं के प्रतिनिधियों की नियुक्ति हुई, तथापि इसके परिणामस्वरूप लक्षित कंपनियों के नियंत्रण में परिवर्तन नहीं हुआ। अत: दोनों मामलों में अधिग्रहणकर्ताओं द्वारा अधिग्रहण विनियमों के विनियम 10 तथा विनियम 12 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ।

मधुसूदन ऑयल्स एंड फैट्स लिमिटेड के मामले में डुराविट ए०जी०, जर्मनी को अभिमानी आवंटन के माध्यम से अधिग्रहण का प्रस्ताव कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 81(1क) के अंतर्गत पारित एक संकल्प के अनुसरण में किया गया। सेबी के अनुसार, अधिग्रहण विनियमों के विनियम 3(1)(ग) के अनुसार विनियमों के विनियम 10, 11 तथा 12 में ऐसा कुछ भी निहित नहीं है जो इस प्रकार के अधिमानी आवंटन के माध्यम से अधिग्रहण पर प्रयोज्य होगा। तथापि, ऐसा समझा जाता है कि अधिमानी आवंटन पर विचार करने के प्रयोजन से 26.2.2002 को बुलाई गई असाधारण आम बैठक स्थगित कर दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्राप्त अभ्यावेदनों/पत्रों में अन्य बातों के साथ-साथ सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन तथा अधिग्रहण) विनियम, 1997, के उल्लंघन; कंपनी अधिनियम, 1956 के उल्लंघन; वित्तीय संस्थाओं द्वारा निभायी गई निष्क्रिय भूमिका आदि के आरोप लगाए गए हैं।

(ङ) संबंधित प्राधिकारियों के परामर्श के मामले की जांच की गई तथा प्राप्त पत्रों/अभ्यावेदनों के प्रत्युत्तर में प्राप्त सूचना/उसपर की गई कार्रवाई की सूचना दी गई।

सहकारी बैंकों में घोटाला

7900. श्री किरीट सोमैया :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक नये घोटाले की जानकारी है जिसमें महाराष्ट्र के 12 से अधिक सहकारी बैंक संलिप्त हैं;

(ख) क्या इस घोटाले के कारण एएक लाख से भी अधिक जमाकर्ता अपनी जमा राशि गंवा चुके हैं; और

(ग) यदि हां, तो जमाकर्ताओं की धनराशि वसूलने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या कार्रवाई करने की योजना बनायी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) ने सूचित किय है कि महाराष्ट्र में सात सहकारी बैंकों ने सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन किया है और उनकी संभावित हानियां निम्नलिखित हैं :–

बैंक का नाम	सरकारी प्रतिभूति लेन देनों में अंतर्ग्रस्त राशि (करोड़ रुपये)
नागपुर डीसीसीबी*	153.04
वर्धा डीसीसीबी*	25.00
ओस्मानाबाद डीसीसीबी*	29.99
सद्गुरू जंगली महाराज यूसीबी**	40.00
अमरावती पीपल्स को-आपरेटिव यूसीबी**	9.50
स्वर्णयुग यूसीबी**	5.79
रघुवंशी यूसीबी**	5.40

*डीसीसीबी (जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक)

**यूसीबी (शहरी सहकारी बैंक)

बैंकों द्वारा दलालों को राशि का भुगतान सरकारी प्रतिभूतियां अर्जित करने के उद्देश्य से किया गया था परन्तु ऐसी कोई प्रतिभूति अर्जित अथवा सुपुर्द नहीं की गई। चूंकि ये प्रतिभूतियां वास्तविक अथवा स्क्रिपलेस रूप से प्राप्त नहीं हुई है और अंतर्ग्रस्त राशि भी वसूल नहीं की जा सकी है, अत: बैंकों को समस्त राशि की हानि की संभावना है।

(ख) हालांकि जमाकर्ताओं की हानियों का अभी निर्धारण किया जाना है, जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम से पता चला है कि उपर्युक्त बैंकों द्वारा जमा बीमा, जो प्रति जमाकर्ता को एक लाख रुपये तक उपलब्ध है, के संबंध में उन्हें अद्यतन प्रीमियम का भुगतान किया जा चुका है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिशानिर्देशा के अतिक्रमण में सुस्पष्ट कपटपूर्ण लेनदेनों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सहकारी समिति

अधिनियम, 1960 की धारा 110 क(iii) के तहत नागपुर, ओस्मानाबाद तथा वर्धा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों तथा सद्गुरू जंगली महाराज शहरी सहकारी बैंक, अमरावती पीपल्स को-आपरेटिव शहरी सहकारी बैंक, स्वर्णयुग शहरी सहकारी बैंक तथा रघुवंशी शहरी सहकारी बैंक के निदेशक मंडल को अतिक्रमित करने की मांग की। इन सभी बैंकों के निदेशक मंडलों का अतिक्रमण हो चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र सहकारी समिति के रजिस्ट्रार से सहकारी बैंकों के निवेश लेनदेनों को विशेष लेखापरीक्षा करवाने के लिए भी कहा है। इसी दौरान महाराष्ट्र सरकार ने दलालों/इन पांच बैंकों के अध्यक्षों के विरूद्ध आपराधिक शिकायतें दर्ज की हैं।

वित्तीय शक्ति नियमावली के अंतर्गत कार्योत्तर मंजूरी

7901. **श्री रामजी मांझी :**
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली के अंतर्गत कार्योत्तर मंजूरी का प्रावधान नहीं है परन्तु बहुत से मंत्रालय, विभाग और कार्यालय निधियों का पुनर्विनियोजन कर रहे हैं और वित्त मंत्रालय से बाद में कार्योत्तर मंजूरी ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं; और

(ग) इन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों को वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली की अनुसूची-IV के अंतर्गत निधियों के पुनर्विनियोजन के लिए पूरी शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। वित्त मंत्रालय का अनुमोदन केवल तभी अपेक्षित होता है जहां वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली के नियम 10 के अंतर्गत जारी भारत सरकार के निर्णय का उल्लंघन होता है ऐसे सभी मामलों में, जहां इन प्रतिबंधों का उल्लंघन हो, वहां सम्बंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को इस मंत्रालय की पूर्व अनुमति लेनी अपेक्षित होती है।

केंद्रीय ऋण का पुनर्भुगतान

7902. **श्री भर्तृहरि महताब :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार के केन्द्रीय सहायता दिए जाने और केन्द्रीय ऋणों के पुनर्भुगतान में रियायतों या अधिस्थगन् हेतु कोई विशेष अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा इसमें उठाए गए वित्तीय मुद्दों का ब्यौरा क्या है और कितनी रियायत सहायता मांगी गई है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा सरकार से अनुरोध प्राप्त हुए है कि :—

(i) मार्च 2002 तक बकाया ऋण और उसके ब्याज को माफ कर दिया जाए।

(ii) वर्ष 2001-02 से 2002-03 के राजकोषीय वर्ष के शेष भाग के लिए बकाया ऋण सेवा का ऋण स्थगन।

(iii) 275 करोड़ रुपए के अर्थोपाय अग्रिम को विस्तारित अर्थोपाय अग्रिम में परिवर्तित कर दिया जाए जिसकी वसूली आने वाले तीन वित्तीय वर्षों में की जाए, और

(iv) वर्ष 1996-97 से 1999-2000 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय का पुन: संशोधन।

(ग) उड़ीसा में आए भयावह चक्रवात के कारण महाविनाश को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1999-2000 में वसूले जाने वाले 548 करोड़ रुपए के ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान को अक्टूबर 2000 से प्रारंभ 18 बराबर मासिक किस्तों में वसूली हेतु स्थगित कर दिया। वर्ष 2001-02 में वसूले जाने वाले 147.16 करोड़ रुपए को पुन: वर्ष 2002-03 के 12 बराबर मासिक किस्तों में वसूली हेतु स्थगित कर दिया गया। उड़ीसा सरकार के लिए की गयी यह विशेष व्यवस्था है। अर्थोपाय अग्रिम की वसूली तीन सालों के लिए आगे बढ़ाना संभाव्य नहीं था क्योंकि किसी राज्य को दिया गया अर्थोपाय अग्रिम बजट निरपेक्ष है और इसकी वसूली को भावी वर्षों के लिए स्थगित किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। जहां तक वार्षिक योजना के पुनरीक्षण का प्रश्न है, इससे सहमत नहीं हुआ जा सकता क्योंकि राज्यों के योजना व्यय में कमी के लिए अधिरोपित कटौती अनुमोदित/संशोधित योजना परिव्यय पर आधारित है और भूतलक्षी संशोधन, योजना निधि को गैर-योजनागत व्यय की पूर्ति के लिए अंतरित किए जाने के समतुल्य होगा।

वित्तीय घाटा

7903. **श्री सुनील खां :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात-निर्यात नीति से मात्रात्मक प्रतिबंध वापस लिये जाने के कारण भुगतान संतुलन हासिल कर लिया जायेगा; और

(ख) यदि नहीं, तो किस तरीके से वित्तीय घाटा कम होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो इस बात का संकेत देता हो कि आयातों पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दिए जाने के कारण भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हैं। आर्थिक समीक्षा, 2001-02 ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जिन 714 मदों से 31.3.2000 से ये प्रतिबंध हटा लिए गए हैं उनके पूरे वित्तीय वर्ष 2000-01 के आयात

आंकड़ों से यह व्यक्त नहीं होता कि ये प्रतिबंध हटा लिए जाने के पश्चात् उनके आयातों में किसी तरह वृद्धि हुई है। वर्ष 2000-01 और 2001-02 दोनों में ही भारत का भुगतान संतुलन संतोषजनक बना रहा है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में चालू खाते का घाटा वर्ष 1999-2000 के 1.1 प्रतिशत से घट कर 2000-01 में 0.5 प्रतिशत रह गया और वर्ष 2001-02 में प्रबंधकीय सीमाओं के तहत बना रहा। भुगतान संतुलन संबंधी उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार चालू खाते का घाटा अप्रैल-दिसम्बर, 2000 के 3.2 बिलियन अमरीकी डालर से काफी कम होकर अप्रैल-दिसम्बर, 2001 में 0.7 बिलियन अमरीकी डालर रह गया। भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि जो मार्च, 2001 के अंत में 42.3 बिलियन अमरीकी डालर थी काफी अधिक बढ़ कर मार्च, 2002 के अंत में 54.1 बिलियन अमरीकी डालर हो गई और इस समय यह 10 मई, 2002 की स्थिति के अनुसार 55.7 बिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गई है जो आयातों के दस माह के समतुल्य है।

(ख) वर्ष 2002-03 के केन्द्रीय बजट का उद्देश्य राजकोषीय घाटे को वर्ष 2001-02 (सं०अ०) में सकल घरेलू उत्पादन के 5.7 प्रतिशत से कम करके सकल घरेलु उत्पाद का 5.3 प्रतिशत तक लाना है। इसे राजस्व संग्रह को बढ़ाकर तथा सख्ती से व्यय प्रबंध करने के जरिए हासिल किया जाएगा।

लौह इस्पात के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा

7904. श्री श्रीनिवास पाटील : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान लौह इस्पात के निर्यात से वर्षवार कितनो विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान गैर-लौह इस्पात के निर्यात से वर्ष वार कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान सभी तरह के इस्पात की खरीद पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) भारत से वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान हुए लौहा तथा इस्पात बार/राड आदि, प्राथमिक तथा अर्ध परिष्कृत लौहा एवं इस्पात के निर्यातों का कुल मूल्य निम्नानुसार रहा है :—

वर्ष	मूल्य करोड़ रु० में
1998-99	2436.18
1999-2000	3609.61
2000-2001	4672.81

(ख) अलौह इस्पात के रूप में कोई शब्दावली वर्गीकृत नहीं है। तथापि, वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान, भारत से हुए उत्पादों के अलावा एल्यूमिनियम सहित अलौह धातु के निर्यातों के कुल मूल्य निम्नानुसार रहा हैं :—

वर्ष	मूल्य करोड़ रु० में
1998-99	335.85
1999-2000	775.04
2000-2001	1301.22

(ग) वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान भारत में हुए लौहा एवं इस्पात बार/राड आदि, प्राथमिक तथा अर्धपरिष्कृत लोहा एवं इस्पात के आयातों का कुल मूल्य निम्नानुसार रहा हैं :—

वर्ष	मूल्य करोड़ रु० में
1998-99	4474.22
1999-2000	4123.79
2000-2001	3533.08

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

बंगलादेश द्वारा भारत से माल के पारगमन से मनाही

7905. श्री आर०एस० पाटिल :
श्री जी० पुट्टास्वामी गौडा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश ने भारत से सामान के पारगमन तथा यानांतरण से मना कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ग) बंगलादेश से होकर मुख्य भूभाग तथा पूर्वोत्तर राज्यों के बीच भारतीय वस्तुओं के वाहनांतरण की सुविधा के मुद्दे पर दिनांक 8-10 अप्रैल, 2000 को ढाका में हुई वाणिज्य सचिव स्तर की भारत-बंगलादेश व्यापार वार्ताओं में विचार किया गया था। भारतीय पक्ष ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया था कि मई, 2000 में आयोजित पिछली व्यापार समीक्षा वार्ताओं में दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि सीमा व्यापार, बंगलादेश से होकर भारतीय वस्तुओं के वाहनांतरण तथा टैरिफ रियायतों को और बढ़ाए जाने संबंधी मुद्दे संयुक्त विशेषज्ञ दल को भेजे जाएं। बंगलादेश के प्रतिनिधिमंडल ने इस बात को नोट किया और सुझाव दिया था कि सीमा व्यापार और वाहनांतरण संबंधी मुद्दों पर आर्थिक सहयोग संबंधी संयुक्त आयोग की बैठक में विचार किया जा सकता है। दोनों पक्ष संबंधित मामलों पर विचार-विमर्शों को जारी रखने पर सहमत हुए थे।

लघु उद्योगों को भुगतान

7906. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु :**
श्री रामनायडू दग्गुबाटि :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रम उन्हें कच्चे माल और आनुषंगिक पुर्जों की आपूर्ति करने वाले लघु उद्योगों को समय पर भुगतान नहीं करते; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए लघु उद्योगों को इस कारण नुकसान न हो, क्या उपाय करने का विचार है ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभ भाई कथीरिया) : (क) और (ख) आपूर्तिकर्त्ताओं को कच्ची सामग्री एवं आनुषंगिक पुर्जों आदि के लिए भुगतान का मामला व्यांपारिक क्रियाकलापों के एक भाग के रूप में सम्बन्धित सरकारी उद्यमों के विचार – क्षेत्र के अन्तर्गत आता है और इस बारे में जानकारी एक स्थान पर नहीं रखी जाती है।

शहरी सहकारी बैंक

7907. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 शहरी सहकारी बैंकों के विरूद्ध दलालों के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रतिभूतियों का कारोबार करने के लिए कार्रवाई की गई है;

(ख) यदि हां, तो इन बैंकों के नाम क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) प्रत्येक बैंक द्वारा निर्धारित सीमा से कितनी अधिक दलाली की राशि का भुगतान किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने महाराष्ट्र में 4 शहरी सहकारी बैंकों (यू०सी०बी०) और गुजरात में 8 शहरी सहकारी बैंकों के विरूद्ध कार्रवाई की है। ध्यान में आई अनियमितताओं को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने निदेशक बोर्ड के अधिक्रमण की मांग करने, स्पष्टीकरण मांगने, विशेष लेखा परीक्षा का आदेश देने आदि जैसी कार्रवाई की है। राज्य सरकारों द्वारा आपराधिक मामले भी दायर किए गए हैं। इन बैंकों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने निवेश पोर्टफोलियो के संचालन के संबंध में शहरी सहकारी बैंकों को मार्गनिर्देश जारी किए हैं। इन मार्गनिर्देशों में दलालों के माध्यम से लेनदेनों, सहायक सामान्य खाता-बही (एस०जी०एल०) सुविधा, बैंक रसीदों के निर्गम, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, लेखा परीक्षा और समीक्षा प्रणालियों आदि की परिकल्पना की गई है। प्रत्येक बैंक को, बोर्ड के अनुमोदन से, निवेश नीति तैयार करना अपेक्षित है। बैंकों को परामर्श दिया गया है कि वे उन सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेनों के संबंध में, जिनके लिए एस०जी०एल० सुविधा उपलब्ध है, किसी भी परिस्थिति में बैंक रसीदें जारी न करें। सरकारी प्रतिभूतियों का लेनदेन शुरू करने की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि एक या कुछ दलालों के माध्यम अनुपातहीन मात्रा में लेनदेन न हो, किसी व्यक्तिगत दलाल के माध्यम से लेनदेन करने के लिए कुल लेनदेनों के 5% की विवेकपूर्ण अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। शहरी सहकारी बैंकों को यह परामर्श भी दिया गया है कि प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री के किसी भी लेनदेन को अंतिम रूप से पूर्व, उन्हें संविदा को पूरा करने की प्रति-पक्षकार (काउन्टर पार्टी) की क्षमता सुनिश्चित करनी चाहिए और यह कि प्रतिभूति संबंधी सभी लेनदेनों में, प्रति-पक्षकार से लिखित पुष्टि प्राप्त होने पर ही भुगतान जारी किए जाने चाहिए।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण

वे बैंक जिनके विरूद्ध भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्रवाई की गई थी

महाराष्ट्र

1. सदगुरू जंगली महाराज यू०सी०बी०
2. अमरावती पीपुल्स कोआपरेटिव यू०सी०बी०
3. स्वर्णयुग यू०सी०बी०
4. रघुवंशी यू०सी०बी०

गुजरात

1. गणदेवी पीपुल्स कोआपरेटिव बैंक लि०
2. सूरत नागरिक सहकारी बैंक लि०
3. अडाजन नागरिक सहकारी बैंक लि० सूरत
4. सूरत महिला नागरिक सहकारी बैंक लि०
5. करमसद अर्बन कोआपरेटिव बैंक लि०
6. नवसारी पीपुल्स कोआपरेटिव बैंक लि०
7. उधना सिटिजन कोआपरेटिव बैंक लि०, सूरत
8. सेठ बी०पी० सर्राफ बुलसर पीपुल्स कोआपरेटिव बैंक लि०, वलसाड

निधियों का अन्यत्र उपयोग

7908. **श्रीमती कुमुदिनी पटनायक :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारें केंद्र सरकार द्वारा समेकित निधि में से आवंटित निधियों का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 266 का उल्लंघन करते हुए अन्य उद्देश्यों के लिए कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा क्या अनुदेश जारी किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) जी, हां। चूंकि अधिकांश राज्य अपने बजट में भारी राजस्व घाटों का सामना कर रहे हैं, इसलिए कई मामलों में योजना निधियों को आकस्मिक गैर-योजनागत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंतरित किया है। राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार योजना व्यय में कटौती के लिए राज्य सरकारों को आबंटित केन्द्रीय सहायता से समानुपातिक रूप से कटौती की गई है। निधियों के ऐसे अन्यत्र उपयोग को रोकने का प्रभावी उपाय यही है कि राज्य यह सुनिश्चित करें कि राजस्व घाटों को समाप्त किया जाए। ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुवर्तन में, वित्त मंत्रालय ने राज्यों की राजकोषीय सुधार सुविधा नामक एक स्कीम तैयार की है। इस स्कीम के अन्तर्गत, सन् 2004-05 तक अपने राजस्व घाटों को कम करने के लिए राज्यों को पर्याप्त प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।

अपराह्न 12.16 बजे

[हिन्दी]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, श्री जगमोहन की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 5749/2002]

(3) (एक) सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 5750/2002]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) संविधान के अनुच्छेद 338 (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्ष 1998-99 का पांचवां प्रतिवेदन (खण्ड एक और दो)।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्ष 1998-99 के पांचवें प्रतिवेदन (खण्ड एक और दो) पर की गई कार्रवाई संबंधी ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 5751/2002]

(2) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 64 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नि:शक्त व्यक्ति मुख्य आयुक्त का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) नि:शक्त व्यक्ति मुख्य आयुक्त की वर्ष 1999-2000 की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 5752/2002]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : महोदय, मैं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 500(अ) और का.आ. 501(अ) जो 9 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि को उसमें विनिर्दिष्ट दरों पर फीस का संग्रहण करने और उसे रखने के लिए प्राधिकृत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 5753/2002]

[अनुवाद]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(1) एंड्रयू यूल एन्ड कंपनी लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 5754/2002]

(दो) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 5755/2002]

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : महोदय, मैं भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 41 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय भांडागारण निगम (संशोधन) नियम, 2002 जो 22 अप्रैल, 2002 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 295 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 5756/2002]

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का०आ० 1185 जो 13 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''ओएसआईएल टीआरएफआई कम्युनिटी सर्विसेज, डाकघर पलासपांगा, जिला क्योंझर, उड़ीसा'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दो) का०आ० 1186 जो 13 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तीन) का०आ० 1187 जो 13 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से 2003-2004 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चार) का०आ० 1188 जो 13 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''श्री सत्य साई केन्द्रीय न्यास बृंदावन, बंगलौर'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक की अवधि के लिए छूट के बारे में है।

(पांच) का०आ० 1189 जो 13 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''वात्सल्य न्यास, मुम्बई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक की अवशि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छह) का०आ० 1190 जो 13 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 का धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''रेल मंत्री कल्याण और राहत निधि, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सात) का०आ० 1191 जो 13 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''नेशनल स्टाक एक्सचेंज इनवेस्टर प्रोटेक्सन फंड ट्रस्ट, मुम्बई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निधारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(आठ) का०आ० 1192 जो 13 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत

"जे०आर०डी० थालमा जे० टाटा न्यास, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से 2003-2004 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(नौ) का०आ० 1193 जो 13 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "राष्ट्रीय संस्कृत निधि, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से 2002-2003 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दस) का०आ० 1194 जो 13 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "श्री कन्याकुमारी गुरूकुल आश्रम, कन्याकुमारी" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(ग्यारह) का०आ० 1195 जो 13 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "भारतीय संसदीय ग्रुप, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बारह) का०आ० 1196 जो 13 अपैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "श्रीमद उज्जैनी सधर्म सिंहसामा श्री तरलाबालो जगदगुरू बृहनमठ श्रीजेरे, कर्नाटक" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेरह) का०आ० 1197 जो 13 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "दक्षिणेश्वर रामकृष्ण संघ आद्यपीठ, दक्षिणेश्वर, कलकत्ता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से 2003-2004 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौदह) का०आ० 1198 जो 13 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत 'बाला मंदिर कामराज न्यास, चेन्नई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पन्द्रह) का०आ० 1203 जो 13 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "डिवाइन लाइट ट्रस्ट फार द ब्लाइंड, बंगलौर" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सोलह) का०आ० 1204 जो 13 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "रेल मंत्री कल्याण और राहत निधि, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निधारर्ण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सत्रह) का०आ० 1205 जो 13 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "सेन्टर फॉर साइन्स एण्ड एनवायरमेंट, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 2000-2001 से 2002-2003 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(अठारह) का०आ० 1206 जो 13 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "सी०पी० रामास्वामी अय्यर फाउन्डेशन, चेन्नई" को निर्धारण वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(उन्नीस) का०आ० 1207 जो 13 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''बालाजी उत्थान, संस्थान, पटना'' को निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(बीस) का०आ० 1208 जो 13 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''इण्डियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, तमिलनाडु,'' को निर्धारण वर्ष 1998-99 से 2000-2001 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(इक्कीस) का०आ० 1209 जो 13 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''रीचिंग दि अनरीच्ड, मदुरै'' को निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(बाइस) का०आ० 1213 जो 13 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''वेद रक्षणा निधि ट्रस्ट, चेन्नई'' को निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(तेईस) का०आ० 1214 जो 13 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''आर्गेनाईजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रड्यूसर्स ऑफ इंडिया, मुम्बई'' को निर्धारण वर्ष 1998-99 से 2000-2001 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(चौबीस) का०आ० 1223 जो 13 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''श्री अरबिन्दो समिति, कोलकाता'' को निर्धारण वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(पच्चीस) का०आ० 1224 जो 13 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''दि भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स, नई दिल्ली'' को निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(छब्बीस) का०आ० 1225 जो 13 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''इंस्टिट्यूट फॉर फाइनेनशियल मेनेजमेंट एण्ड रिसर्च, नुंगमबक्कम, चेन्नई'' को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(सत्ताईस) का०आ० 1226 जो 13 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''दि मनचेरजी नौरोजी बनर्जी इन्डस्ट्रियल होम फॉर ब्लाइन्ड, मुम्बई'' को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(अठाईस) का०आ० 1129 जो 13 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''महाराणा प्रताप स्मारक समिति, उदयपुर, राजस्थान'' को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(उनतीस) का०आ० 1230 जो 13 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''भारत सेवाश्रम संघ, कोलकाता'' को निर्धारण

वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(तीस) का०आ० 1231 जो 13 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत "द पेरियार सेल्फ-रिस्पेक्ट प्रोपागैन्डा इंस्टिट्यूशन, चेन्नई" को निर्धारण वर्ष 1998-99 से 2000-2001 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(इकतीस) का०आ० 1235 जो 13 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "इंडियन एसोशियेशन ऑफ पार्लियामेन्टेरियन पोपुलेशन एण्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(बत्तीस) का०आ० 1236 जो 13 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "हार्ट केयर फाउन्डेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 1998-99 से 2000-2001 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(तेंतीस) का०आ० 1237 जो 13 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत "दि पेरियार मनियामई एजूकेशनल एण्ड चेरीटेबल सोसाईटी, चेन्नई" को निर्धारण वर्ष 1998-99 से 2000-2001 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(चौंतीस) का०आ० 1238 जो 13 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "श्री सिद्धगंगा मठ, तुमकुर, कर्नाटक राज्य" को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(पैंतीस) का०आ० 1239 जो 13 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "दि भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स, नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 1998-99 से 2000-2001 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(छत्तीस) का०आ० 1240 जो 13 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "केरल हैण्डलूम वर्कर्स वेलफेयर फंड बोर्ड, थालीकावु, कन्नौर" को निर्धारण वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(सैंतीस) का०आ० 1241 जो 13 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "मेडीकल रिसर्च फाउन्डेशन, चेन्नई" को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(अड़तीस) का०आ० 1242 जो 13 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "प्रयास जुबेनाइल ऐड सेन्टर, जहांगीरपुरी, दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 1998-99 से 2000-2001 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(उनतालीस) का०आ० 1244 (अ) जो 13 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "नेशनल हाईवेज आर्थर्टी आफ इंडिया, नई दिल्ली" को छूट देने के बारे में 23 फरवरी, 1999 की अधिसूचना

संख्या 10806 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(चालीस) का०आ० 1245 (अ) जो 13 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''नेशनल कल्चर फंड, नई दिल्ली'' को छूट देने केबारे में 7 सितम्बर, 1998 की अधिसूचना संख्या 10687 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी 5757/2002]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)-

(एक) सा०का०नि० 276 (अ) जो 11 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सभी माल, यदि भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के निर्माण में उपयोग के लिए उनकी आपूर्ति की जाये, पर उत्पाद शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 305(अ) जो 27 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उसमें उल्लिखित कतिपय अधिसूचनाओं में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०का०नि० 306(अ) जो 27 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 6/2002-के०उ०शु० (एनटी) में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 5758/2002]

(3) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निर्म्नलिखत अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) यूनियन बैंक आफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2001 जो 7 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ, 3(बी)/17.5.2001 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केनरा बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2000 जो 10 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीडब्ल्यूपीएम/6144/80/एसकेआर में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2001 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीओः पीआरएसः आईआरपीः 2001-2001-02 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पंजाब एड सिंध बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2002 जो 11 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएसबी/डीएसी/2002 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) इंडियन बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2002 जो 17 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 223/एसआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(छह) बैंक आफ महाराष्ट्र अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृति के पश्चात् निजी क्षेत्र के उद्यमों में नौकरी स्वीकार करना) विनियम, 2000 जो 27 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एएक्सआई/एसटी/ओएसआर/8569/2000 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) देना बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृति के पश्चात् निजी क्षेत्र के उद्यमों में नौकरी स्वीकार करना) विनियम, 2000 जो 27 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईआर/अमेंड 2/2001 में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त (3) की मद संख्या (एक) से तीन में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 5759/2002]

(5) बैंको और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ऋण वसूली अपील अधिकरण, इलाहाबाद (समूह "ग" और "घ" पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002 जो 11 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 183 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ऋण वसूली अपील अधिकरण, चेन्नई (समहू "ग" और "घ" पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002 जो 11 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 184 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) ऋण वसूली अपील अधिकरण, दिल्ली (समूह "ग" और "घ" पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002 जो 11 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूवना संख्या सा०का०नि० 185 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) ऋण वसूली अपील अधिकरण, कोलकाता (समूह "ग" और "घ" पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002 जो 11 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 186 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) ऋण वसूली अपील अधिकरण-दो, दिल्ली (समूह "ग" और "घ" पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002 जो 11 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 187 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) ऋण वसूली अधिकरण-दो, कोलकाता (समूह "ग" और "घ" पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002 जो मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 188 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) ऋण वसूली अधिकरण-दो, चेन्नई (समूह "ग" और "घ" पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002 जो 11 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 189 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) ऋण वसूली अधिकरण-दो, मुम्बई (समूह "ग" और "घ" पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002 जो 11 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 190 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) ऋण वसूली अधिकरण-दो, मुम्बई (समूह "ग" और "घ" पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002 जो 11 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 191 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) ऋण वसूली अपील अधिकरण, इलाहाबाद (समूह "ग" और "घ" पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002 जो 11 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 192 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) ऋण वसूली अधिकरण, नागपुर (समूह "ग" और "घ" पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002 जो 11 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 193 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) ऋण वसूली अधिकरण, औरंगाबाद (समूह "ग" और "घ" पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002 जो 11 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 194 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) ऋण वसूली अधिकरण, हैदराबाद (समूह "ग" और "घ" पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002 जो 11 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 195 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) ऋण वसूली अधिकरण, एर्णाकुलम (समूह "ग" और "घ" पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002 जो 11 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 196 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) ऋण वसूली अधिकरण, चण्डीगढ (समूह "ग" और "घ" पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002 जो 11 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 197 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) ऋण वसूली अधिकरण, कटक (समूह ''ग'' और ''घ'' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002 जो 11 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 198 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 5760/2002]

(6) बैंको और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 8 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 244 (अ) जो 2 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें प्रत्येक ऋण वसूली अपील अधिकरण के क्षेत्राधिकार तथा अवस्थिति को दर्शाया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 5761/2002]

(7) (एक) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 5762/2002]

(9) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 5763/2002]

(11) भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 63 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओ की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अधिसूचना संख्या एसबीडी संख्या 2/2002 जो 2 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर/हैदराबाद/इन्दौर/मैसूर/पटियाला/सौराष्ट्र/त्रावणकोर अधिकारी सेवा विनियम, 1979 के विनियम संख्या 3 में उपविनियम (द) को अंतर्विष्ट किया गया है।

(दो) अधिसूचना संख्या एसबीडी संख्या 3/2002 जो 9 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर/हैदराबाद/इन्दौर/मैसूर/पटियाला/ सौराष्ट्र/ त्रावणकोर अधिकारी सेवा विनियम, 1979 के विनियम संख्या 40 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) अधिसूचना संख्या एसबीडी संख्या 4/2002 जो 30 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा स्टेट बैंक बीकानेर और जयपुर/हैदराबाद/इन्दौर/मैसूर/पटियाला/सौराष्ट्र/त्रावणकोर अधिकारी सेवा विनियम, 1979 के विनियम संख्या 68(2) (तीन) और 68(2)(दस)(क) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 5764/2002]

(12) वित्त अधिनियम, 1989 की धारा 49 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 307 (अ) जो 27 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 30 जून, 1989 की अधिसूचना संख्या 7/89-इनलैंड एयर ट्रैवल टैक्स में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 5765/2002]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारतीय चिकित्सा परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय चिकित्सा परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 5766/2002]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) इंजीनियरिग निर्यात संवर्द्धन परिषद् कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंजीनियरिग निर्यात संवर्द्धन परिषद् कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 5767/2002]

(3) (एक) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 5768/2002]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय प्रो० श्रीमती रीता वर्मा की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) असम प्राथमिक शिक्षा अचानी परिषद् गोहाटी के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) असम प्राथमिक शिक्षा अचानी परिषद् गोहाटी के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 5769/2002]

(3) (क) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 5770/2002]

(ख) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 5771/2002]

(ग) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अंतर्गत, निम्नलिखित

अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5772/2002]

अपराह्न 12.19 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :-

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे विदेशी वायुयान (ईंधन और स्नेहक करों और शुलकों से छूट) विधेयक, 2002 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 8 मई, 2002 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशें के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।"

अपराह्न 12.19½ बजे

[अनुवाद]

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

महासचिव : महोदय, मैं 10 मई, 2002 को सभा को सूचित करने के पश्चात पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त वित विधेयक, 2002 को सभा-पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.20 बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

श्री पी.एम. सईद (लक्षद्वीप) : महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई तेईसवीं से पच्चीसवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 12.20½ बजे

[हिन्दी]

श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति

बाईसवां प्रतिवेदन

डॉ सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) : महोदय, मैं श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के "संविधान अनुसूचित जीतियां आदेश (संशोधन) विधेयक, सभा के बारे में बाईसवें प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.20¾ बजे

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति

अट्ठाईसवां प्रतिवेदन

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : महोदय, मैं पैट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति के "पेट्रोलियम और पेट्रो रसायन क्षेत्र में विनिवेश के बारे में अट्ठाईसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.21 बजे

[अनुवाद]

सरकारी विधेयक-पुरः स्थापित

(एक) भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक*

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:-

"कि भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

(दो) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवाशर्त) संशोधन विधेयक*

विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उच्चतम् न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:-

"उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अरूण जेटली : मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 17.5.2002 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आज की कार्य सूची में सम्मिलित नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे माने जाएं।

अपराह्न 12.22 बजे

[हिन्दी]

नियम 377 के अधीन मामले*

(एक) गुजरात में "सांइस सिटी" के निर्माण के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : अध्यक्ष महोदय, गुजरात सरकार अहमदाबाद के निकट विश्व स्तर की एक विज्ञान नगरी का निर्माण कर रही है, जिसका उद्देश्य लोगों में ज्ञानवृद्धि के साथ साथ मनोरंजन तथा नागरिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना भी है। राज्य सरकार इसका दूसरा चरण मार्च, 2002 से ही प्रारम्भ करने को आतुर थी तथा इस प्रयोजन हेतु साइंस सिटी को अब तक लगभग 40 करोड़ रुपया तो दिया ही जा चुका है एवं चालू वर्ष के लिए भी 15.20 करोड़ रुपया प्रदान करने की भी व्यवस्था की गयी है। चूंकि यह एक विश्व स्तर की परियोजना है। अत: इस निर्माणाधीन कार्य को निर्धारित समयावधि के अंदर ही पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से भी आर्थिक सहायता की अपेक्षा एवं आवश्यकता है। इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा केन्द्र को पत्र भी लिखे गये हैं।

सदन के माध्यम से मेरी केन्द्र से मांग है कि उपरोक्त जनहित कार्य को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार 41 करोड़ रुपये की धनराशि सहायता के रूप में साइंस सिटी को प्रदान करे। चूंकि गुजरात ऐसे भी पूरे विश्व में प्रख्यात है और दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं होगा, जहां गुजरात के लोग न रहते हों। गुजराती लोगों ने अमेरिका, इंग्लैंड व कनाडा जैसे राष्ट्रों में विशिष्ट पदों पर अपनी सेवायें प्रदान करते हुए गुजरात के साथ साथ भारतवर्ष की भी आन व शान में वृद्धि की है। अत: मेरा पुन: अनुरोध है कि उपरोक्त कार्य को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करे।

(दो) दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत चन्द्रपुर ताप-विद्युत स्टेशन और बी.टी.पी.एस. भूमि का वाणिज्यिक उपयोग सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : अध्यक्ष महोदय, दामोदर घाटी निगम के चन्द्रपुरा थर्मल पॉवर स्टेशन और बीटीपीएस में मृतक

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

[श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय]

कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति वर्षो से लम्बित है और चन्द्रपुरा थर्मल पॉवर के अन्तर्गत भूमि का अतिक्रमण और भुमि का वाणिज्यिक उपयोग नहीं होने के कारण डीबीसी को प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है।

इस संबंध में हमने केन्द्र सरकार, डीबीसी प्रबंधन एवं राज्य सरकार को अवगत कराया है, परन्तु मामला वर्षो से लम्बित है।

अत: केन्द्र सरकार से आग्रह है कि डीबीसी में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति एवं भूमि का वाणिज्यिक उपयोग करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर आदेश निर्गत किया जाये।

(तीन) मध्य प्रदेश में जबलपुर क्षेत्र में घटते जल स्तर की ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश का जबलपुर संभाग नर्मदा नदी के कछार के रूप में जाना जाता है, जिसमें रानी अवंती बाई सागर जैसा बड़ा बांध बना है। लेकिन बांध में मिट्‌टी जमा होने से जल क्षमता प्रभावित हुयी है, वहीं दूसरी ओर इस बांध से बिजली उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य भी पूरा नहीं किया जा सका है। इस बांध के प्रभाव क्षेत्र में आने वाली एशिया की सबसे उपजाऊ भूमि वाले नरसिंहपुर एवं जबलपुर जिले की बहुमूल्य भूमि अधूरी नहरों के कारण वर्षो से बांध के जल से वंचित है।

नरसिंहपुर एवं जबलपुर जिला पुरानी बधान प्रणाली का सर्वोच्च एवं उत्कृष्ट नमूना रहा है। परिणामस्वरूप एक तरफ उन्नत समृद्ध खेती वहीं दूसरी ओर जल स्तर को शताब्दियों तक 10 फुट से 20 फुट के बीच स्थिर बनाये रखने में सफल रहा है। लेकिन रानी अवंती बाई सागर के निर्माण के बाद जलस्तर बढ़ने के बजाय 80 से 100 फीट नीचे चला गया है। उसका मुख्य कारण बंधान वाली खेती में वर्षाकाल की फसलों के कारण खेतों में जल भराव बंद किया जाना है तथा गर्मी की फसलों के लिए भूमि जल का अधिकाधिक उपयोग रहा है। अत: मैं केन्द्र सरकार के जल संसाधन विभाग एवं भूसर्वेक्षण विभाग तथा कृषि विभाग से मांग करता हूं कि सम्मिलित प्रयास से इस अति महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर ध्यान दें।

[अनुवाद]

(चार) उड़ीसा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम का पुनरूद्धार किए जाने के लिए राज्य सरकार को सलाह दिए जाने की आवश्यकता

श्री अनन्त नायक (क्योंझर) : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों में उड़ीसा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम द्वारा उनके हितों की रक्षा न कर पाने के कारण जबर्दस्त असंतोष व्याप्त है। उड़िसा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम का मुख्य उदेश्य राज्य में रह रहे आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की सहायता करना था। परन्तु, यह दुर्भाग्य है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के कमजोर वर्ग को वास्तव में कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूसरी ओर ऋण केवल निहित स्वार्थों के लिए और केवल भुवनेश्वर और इसके आस-पास के क्षेत्रों के लोगों को ही स्वीकृत किया जाता है। ऋण संस्वीकृत करने संबंधी निर्धारित मानदण्डों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

मैं केन्द्र सरकार से मामले में हस्तक्षेप करने और बिना किसी विलंब के उड़िसा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम के कार्यकरण में नवीकरण लाएं जाने हेतु राज्य सरकार को निदेश देने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

(पांच) राजस्थान में चुरू जिले में सिद्धमुख सिंचाई परियोजना में कतिपय गावों को सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के चुरू जिले में सिद्धमुख सिंचाई परियोजना स्वीकृत हुए काफी वर्ष हो गये हैं। इस योजना के अन्तर्गत मेरे गृह तहसील राजगढ़, जिला चूरू के 40 गांवों को सम्मिलित किया गया था, उसके बाद संशोधन कर 36 व 16 गांवों को सम्मिलित करते हुए इसका अंतिम प्रारूप तैयार किया गया था। लेकिन सिद्धमुख के नाम से जो सिंचाई परियोजना को स्वीकृत किया गया था, इस योजना से सिद्धमुख क्षेत्र को इस परियोजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है और अधिकांश गांव इस योजना से हटा दिऐ गऐ हैं।

अत: मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस परियोजना में सम्मिलित 16 गांवों को भी मिलाकर इस परियोजना का लाभ पहुंचाया जाए ताकि बार-बार पड़ने वाले अकाल से क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके।

[अनुवाद]

(छह) आन्ध्र प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम) : देश में आठ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान उच्च तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं ये संस्थान दिल्ली, खड़गपुर, मुम्बई, चेन्नई, कानपुर, गुवाहाटी, रूड़की एवं धनबाद में स्थित हैं। इन संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए जबर्दस्त प्रतिस्पर्धा है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्रप्रदेश को मिलाकर पूरे दक्षिणी क्षेत्र में और यहां

तक कि उड़ीसा एवं मध्यप्रदेश में से केवल चेन्नई में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। केवल आंध्र प्रदेश से ही 15.000 छात्र प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश पाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होतें हैं। आंध्र प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास सहित तेजी से औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं व्यवसायिक विकास उच्च तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता एवं मांग तेजी से बढ़ रही है, और आंध्र प्रदेश में एक और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने की जबर्दस्त आवश्यकता है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने आदिलाबाद में बसरा में लगभग 1000 एकड़ भूमि की पहले ही व्यवस्था कर ली है। आंध्र प्रदेश की विधान सभा ने प्रधानमंत्री पर दबाव डालने हेतु एक दल भेजने और राज्य में नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की आवश्यक संबंधी संकल्प को स्वीकार किया है।

मैं प्रधानमंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री से जनता की बढ़ती मांग पर बिचार करते और आंध्रप्रदेश में नया भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने हेतु कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

(सात) सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री जे.एस. बराड़ (फरीदकोट) : कार बमों ने करांची को हिलाकर रख दिया है। अल कायदा के संभावित आत्मघाती दस्ते ने 8 मई को करांची स्थित एक होटल के पार्किंग स्थल पर हमला किया जिसमें 12 फ्रांसिसी नागरिक मारे गए। इससे आसूचना रिपोर्टों की पुष्टि हुई है कि अल कायदा के आतंकवादियो द्वारा जम्मू कश्मीर में आगामी चुनावों के दौरान गड़बड़ी फैलाने के लिए भारत में घुसपैठ किए जाने की संभावना है। अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि पाकिस्तान ने अलकायदा के आतंकवादियों द्वारा अफगानिस्तान से पाकिस्तान भाग आने पर उन्हें शरण दी है। पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर के माध्यम से इनका उपयोग भारत के विरूद्ध करेगा। सरकार को पाकिस्तान की इस घटना पर गंभीरता से गौर करना चाहिए और संयुक्त राज्य अमेरिका को अपनी चिंता दर्ज करानी चाहिए। आंतरिक मोर्चे पर सुरक्षा एजेंन्सियों को सजग रखा जाए और यह सुनिश्चित करने के लिए निवारक कदम उठाएं जाएं कि अलकायदा और पाकिस्तानी घुसपैठिए सीमा पार न कर सकें। आसूचना एजेंसियों को अब महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

[हिन्दी]

(आठ) उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उद्योग धन्धे स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ की तरफ दिलाना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में कोई भी आधारभूत उद्योग नहीं है, जिसके कारण यह क्षेत्र पूर्ण रूप से पिछड़ा क्षेत्र है, जिसके कारण यहां के स्थानीय लोगों में बेरोजगारी बढ़ रही है और लोगों को रोजगार के लिये अन्य क्षेत्रों में पलायन करना पड़ रहा है। यहां पर कई कृषि आधारित उद्योग और अन्य उद्योग चलाने जा सकते हैं। नये उद्योगों की स्थापना से क्षेत्र के पिछड़ेपन को कुछ सीमा तक दूर किया जा सकता है।

मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इस क्षेत्र में उद्योग की स्थापना के लिए उद्योगपतियों को आकर्षित करे और सहायता करे।

[अनुवाद]

(नौ) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर पालोलीपलम में एक पुल और पहुंचमार्ग के निर्माण के लिए केरल सरकार द्वारा भेजे गए भूमि अर्जन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किए जाने की आवश्यकता

प्रो० ए.के. प्रेमाजम (बडागरा) : केरल सरकार ने शुरू अपने पत्र सं० एन.एच. 8-डी 15-4862/2001 दि० 22.08.2001 के माध्यम से, पालोलिपलम के पुराने और संकीर्ण पुल के नवनिर्माण और राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-17 के कि.मी. सं० 201/090 से 202/065 के बीच पहूंच-मार्ग बनाने हेतु भू-अर्जन सम्बन्धी एक प्राक्कलन प्रस्तुत किया है। इसकार्य हेतु वर्ष 2001-2003 की वार्षिक योजना में 3 करोड़ रु० का प्रावधान रखा गया है। प्राक्कलन के साथ संलग्न रिपोर्ट में इस कार्य की प्रकृति और आवश्यकता का ब्यौरा दिया गया है। इस मार्ग के सुधार-कार्य को सड़क परिवहन, राजमार्ग और भू-अर्जन मंत्रालय द्वारा मंजूरी दे दी गयी है। इसके अनुसार, भूमि की चौड़ाई कम से कम 30 मी० रखते हुए, यह प्राक्कलन तैयार किया गया है। इस पर 225.50 लाख रु० खर्च होने का अनुमान है। उस पुल की हालत बहुत खस्ता है और भारी यातायात की वजह से दिन-ब-दिन यह और बिगड़ रही है। मैं सरकार से, खासकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से, दरखास्त करती हूं कि इस भू-अर्जन प्राक्कलन को यथाशीघ्र मंजूरी दी जाये।

(दस) देश में तम्बाकू उत्पादकों और तम्बाकू उद्योग के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री वाई.वी. राव (गुंटूर) : तम्बाकू उत्पादन और सिगरेट उद्योग देश में काफी सारे लोगों की आजीविका का एक प्रमुख साधन है। तंबाकू और संबद्ध उद्योग बड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है। विगत वित्तवर्ष में इस उद्योग में 10% की कमी आई। यदि इसमें आगे और कमी आई तो इससे इस उद्योग में लगे 20 लाख से अधिक लोगों की आजीविका पर बुरा असर होगा।

[श्री वाई.वी. राव]

काफी समय से सिगरेट उद्योग विशिष्ट शुल्क संरचना के अधीन रहा है। सिगरेट उद्योग को विशिष्ट शुल्क संरचना के अधीन मार्च, 1987 से किया गया। यह योजना अधिक सरल और राजस्व-अर्जक समझी गई है।

मेरी समझ में, तंबाकू और सिगरेट पर मूल्यवर्धित कर लगाने की बात हो रही है। लेकिन इससे काम नहीं बनेगा और अंतत: यह राजकोष का भी भला नहीं करेगा। यह भी कहा जायेगा कि विश्व व्यापार संगठन के साथ किए गए समझौते से भी हमारे तंबाकू-उत्पादकों और तंबाकू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यदि मूल्यवर्धित-कर लगाया जायेगा तो इससे, उदारीकरण के पश्चात् तंबाकू उद्योग की पहले ही खस्ताहाल स्थिति और भी अधिक बिगड़ेगी।

अत: मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे तंबाकू और सिगरेट पर एकसूत्री केंद्रीय कर-व्यवस्था को ही बनाए रखने पर विचार करें।

[हिन्दी]

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश में नगला दीना फतेहपुर में वर्षा जल निकासी के लिए एक नाले के निर्माण की अनुमति देने के लिए छावनी बोर्ड को निदेश दिए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र भूषण सिंह (फरूखाबाद) : अध्यक्ष महोदय, नगला-दीना, फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश के लोग गंदे एवं बरसाती पानी के निकास की उचित व्यवस्था न होने के कारण काफी दिक्कतों व परेशानी का सामना कर रहे हैं। सांसद निधि के द्वारा प्रदूषण को रोकने एवं संक्रमित बीमारी से बचने के लिए एवं वायुमंडल को साफ-सुथरा रखने के लिए मुख्य फतेहगढ़ से फरूखाबाद रोड (कैंट एरिया) के बीच नाले के निर्माण के लिए निधि मुहैया करायी गयी थी। नाले का निर्माण निश्चित सीमा तक किया जा चुका है। छावनी बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा नाले के निर्माण के लिए क्षेत्र का निरीक्षण किया गया था ताकि छावनी क्षेत्र से पानी का निकास हो सके क्योंकि प्रदूषण एवं वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं था। छावनी बोर्ड ने दिनांक 15 मार्च, 2002 को नं० 97 के अंतर्गत एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया था। अब छावनी बोर्ड द्वारा छावनी क्षेत्र में नाले के निर्माण के लिए तरह तरह की अटकलें लगायीं जा रही हैं।

अत: मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जनहित में छावनी क्षेत्र में नाले के निर्माण कार्य के लिए छावनी बोर्ड को निर्देश देने की कृपा करें।

[अनुवाद]

(बारह) महाराष्ट्र में कोल्हापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इंटर-सर्कल और इंट्रा-सर्कल टेलीफोन कालों के लिए शुल्क वसूल किए जाने में व्याप्त विसंगतियां दूर किए जाने की आवश्यकता

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक (कोल्हापुर) : आदरणीय महोदय, मेरे निर्वाचन-क्षेत्र कोल्हापुर में, राज्य से बाहर और राज्य में ही की जाने वाली टेलीफोन-कालों, विशेषकर वे कॉलें जो '95 सुविधा' का उपयोग करके की जा रही है, के प्रभार में गंभीर विसंगति है। उदाहरण के तौरपर, कोल्हापुर से दिन में किसी समय भी यदि आप गोवा बात करें तो उसे 30 सेकण्ड की कॉल माना जाता है। जबकि यदि कर्नाटक स्थित बीजापुर बात करें तो 9 बजे सुबह से लेकर रात 8 बजे तक 30 सेकण्ड की एक कॉल माना जायेगी, किंतु 8 बजे रात से लेकर सुबह 9 बजे तक अर्थात् 100-200 कि०मी० दूरी-वर्ग की रियायती शुल्क संरचना में 60 सेकण्ड की कॉल माना जायेगा।

भारत संचार निगम लिमिटेड समस्त भारत में दूरभाष से कॉल उपलब्ध करा रहा है, अत: अंतर-सर्किल और अंत:-सर्किल कॉलों में इस तरह की विसंगति से अच्छी छवि नहीं बनती।

अतएव, मैं केन्द्र सरकार से इस मामले को अविलम्ब देखने और विसंगति को हटाने का अनुरोध करता हूँ।

[हिन्दी]

(तेरह) देश में किसानों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

डा० सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) : सभापति जी, भारत कृषि प्रधान देश है और यहां कृषि पर चर्चा केन्द्र के बिन्दु में रहना स्वाभाविक है। किसानों की माली हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है क्योंकि परम्परागत कृषि उद्योग में व्यापक सुधार कर किसान की माली हालत सुधारने की दिशा में कोई ठोस कदम का सदैव अभाव रहा है। व्यापार के भौगोलिकरण करने के समय कहा गया था कि इससे देश के किसान, मजदूर को अंतर्राष्ट्रीय बाजार उत्पादों के लिए सुलभ हो जाने से आर्थिक लाभ होगा। किंतु, इसका लाभ आज चंद हाथों तक ही सिमट कर रह गया है। हरियाणा राज्य के कुछ क्षेत्रों में गुलाब की खेती की जा रही है। यहां का जलवायु गुलाब उत्पादन के लिए बेहतर है। यहां से 500 करोड़ रुपये का गुलाब निर्यात भी हो रहा है। किंतु, यह निर्यात कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियां ही कर रही हैं। इसका लाभ आम किसान को नहीं हो रहा है क्योंकि गुलाब की खेती के लिए प्रशिक्षण और वित्त पोषण आम किसान को नहीं मिल पा रहा है। अत: वह लाभ से वंचित ही रह रहा है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि वह किसानों को नयी कृषि उत्पादों के उत्पादन के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था करे। साथ ही इन्हें उत्पादन के लिए आवश्यकतानुसार ऋण की व्यवस्था करे ताकि किसान को नयी फसलों का लाभ मिल सके।

[अनुवाद]

(चौदह) सुंदरवन क्षेत्र में एक उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : मैं सरकार का ध्यान, सुंदरवन निवासियों को टेलीविजन-कार्यक्रम देखने में आ रही कठिनाइयों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

सुंदरवन निवासियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24-परगना जिले के बंसती में एक निम्नशक्ति ट्रांसमीटर लगाया गया है। इसने काम करना चालू कर दिया है। किंतु इससे केवल मेट्रो-कार्यक्रमों का ही प्रसारण हो रहा है। स्थानीय लोग कोलकाता दूरदर्शन और दिल्ली दूरदर्शन के कार्यक्रम नहीं देख पाते।

सुंदरवन की सीमा बंगला देश से लगती है। यहां के प्रसारण की गुणवत्ता हमारे स्थानीय प्रसारण से बेहतर हैं। अतः वहां की जनता बांग्ला देशी कार्यक्रम देखने पर बाध्य हैं। अतएव, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह उपयुक्त कदम उठाए ताकि सुंदरवन निवासी कोलकाता दूरदर्शन और दिल्ली दूरदर्शन के कार्यक्रम देख सकें।

[हिन्दी]

(पन्द्रह) उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर अधिक सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री अमीर आलम (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरनगर उ०प्र० में रेलवे सुविधायें अपर्याप्त हैं। वहां के रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम नहीं है। यात्रियों को शेड के नीचे धूप व लू में खड़ा रहना पड़ता है। वहां पर स्टाफ की अत्यधिक कमी है, जिसकी वजह से फोन नं०131 पर सूचना देने वाला उपलब्ध नहीं होता है। स्टेशन पर अपेक्षित सफाई व पीने के पानी का उचित प्रबंध नहीं हैं, जिसकी वजह से आजकल की गर्मी व लू के मौसम में यात्रियों के बीमार पड़ने का खतरा रहता है। इसके अतिरिक्त देर से आने वाली गाड़ियों की सूचना समुचित रूप से उपलब्ध होने के लिए पर्याप्त प्रबंध नहीं है, जिसके कारण भी यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। मुजफ्फरनगर में ही अनमैन्ड लेविल क्रासिंग पर दुर्घटना का खतरा हर समय बना रहता है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि रेल मंत्रालय के उच्च अधिकारी मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन का तुरंत मुआयना करें और उपरोक्त समस्याओं को दूर करने के तत्काल प्रयास करें।

अपराह्न 12.24 बजे

[अनुवाद]

नियम 193 के अधीन चर्चा

जम्मू में कालूचक में बस यात्रियों और सेना शिविर पर आतंकवादी हमला

अध्यक्ष महोदय : माननीय सभासदों, मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि श्री प्रियरंजन दासमुंशी, जिनके नाम पर सूची में यह चर्चा उल्लिखित हैं, ने मुझसे यह अनुरोध किया है कि उनकी ओर से श्रीमती सोनिया गांधी को इसे आरंभ करने की अनुमति दी जाये। मैंने श्रीमती सोनिया गांधी को यह चर्चा आरंभ करने की अनुमति दी है।

इसके पूर्व कि वे चर्चा आरंभ करें, मैं माननीय सभासदों को स्मरण कराना चाहूंगा कि चर्चागत विषय अतीव राष्ट्रीय महत्व का है और काफी संवेदनशील है। इस चर्चा को पूरा करने के लिए हमारे पास समय सीमित है। अतः, मैं माननीय सभासदों से आग्रह करना चाहता हूं कि वे व्यवधान तथा परस्पर बहस का परिहार करें एवं सकारात्मक और रचनात्मक ढंग से इस मामले पर चर्चा करें ताकि इस चर्चा के अंत में, इस सभा से यह संदेश जाये कि न केवल यह सभा, वरन् सारा देश एकजुटता से आंतकबाद की भर्त्सना करता है।

अब, श्रीमती सोनिया गांधी।

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे मुद्दे पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं जिस पर सभा में हम सभी और सारा राष्ट्र एकमत है। दिनांक 14 मई को जम्मू के बाहरी क्षेत्र कालूचक में हुए नृशन्स हत्याकाण्ड ने एक बार फिर हम सभी को उद्वेलित कर दिया है और इससे हम सभी को आघात पहुंचा है। परसों मैं जम्मू में ही थी, और मैंने स्वयं इस जघन्य हमले से उत्पन्न भयावह और हृदय विदारक दृश्य को देखा और इसकी हम सभी निन्दा करते हैं। निर्दोष पुरूष,महिलाएं और बच्चों तथा हमारे बहादुर जवानों को इस गोलीकांड में निर्दयतापूर्वक भून दिया गया। मैंने जो हृदयविदारक दृश्य देखे वे मुझे अभी भी उद्वेलित कर रहे हैं।

मारे गये लोगों और उनके संतप्त परिजनों के प्रति हम अपना गहरा, शोक प्रकट करते हैं। हम उनके दुःख को समझते हैं। हम उनकी पीड़ा को समझते हैं। हाल ही में, हमारे रक्षा बलों के परिवारों

[श्रीमती सोनिया गांधी]

ने बहुत कष्ट झेले हैं। कारगिल से लेकर कालूचक तक उन्होंने मानवीय और व्यक्तिगत त्रासदियों को झेला है। उनसे हम केवल यह कह सकते हैं कि उनके इस दुख के समय में हम उनके साथ हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस सब से विगत में हुए ऐसे ही हमलों की हमें याद आ जाती हैं। हमें दिनांक 13 दिसम्बर को संसद पर हुए हमले की याद आ जाती है, अक्तूबर, 2001 में जम्मू और कश्मीर विधान सभा पर हुए हमले की याद आ जाती है ये सभी सीमा पार से हमारे विरूद्ध किये जा रहे छद्म युद्ध का ही परिणाम है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान की सरकार भारत के साथ शांति और सामान्य संबंध नहीं चाहती और वह दोनों देशों के बीच किसी भी समझौते की संभावनाओं को खत्म करने में लगी हुई है। ये शक्तियां जम्मू और कश्मीर में शांति बहाली को रोकने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं लेकिन अंततः हमारी जीत होगी। हमें विश्वास है। कि जम्मू और कश्मीर में शांति की पुनः बहाली होगी।

कुछ वर्ष पूर्व हम इन ताकतों के विध्वंसकारी षडयंत्रों का मुकाबला करने में सफल रहे हैं। हम अभी तक जम्मू और कश्मीर में ऐसा नहीं कर पायें है और इसीलिए इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार को सदैव सतत और विस्तृत समर्थन प्रदान किया है। सभी पार्टियों की राजनैतिक सहायता हासिल करने के पश्चात सरकार का यह उत्तरदायित्व बन जाता है कि वह राष्ट्र को अपनी नीति के ठोस परिणामों के संबंध में सुस्पष्ट जानकारी दे।

गत पांच महीनों से हमारी सेना को सीमा पर भेजा जा रहा है। हम अपने रक्षा बलों के अटल विश्वास और शौर्य का सम्मान करते हैं। हम सरकार से यह आशा करते हैं कि वह इस जमावड़े से होने वाले लाभों के संबंध में और इस संबंध में बनाई गई दीर्घकालिक नीति को सभा के समक्ष रखेगी।

अध्यक्ष महोदय, हास्यास्पद बात यह है कि सीमा पार से आतंकवाद फैलाने वालों के कुछ लोग आतंक के विरूद्ध लड़ाई में अपना सहयोगी मानते हैं। हम इसे अन्यथा देखते हैं। हम उन्हें उनके दोहरे मानदंडों से देखते हैं, हम जम्मू और कश्मीर राज्य में उनके कुत्सित इरादों को स्पस्ट रूप से देख रहे हैं। उनके विचार स्पस्ट हैं लेकिन इनसे भी अधिक स्पस्ट हैं उनकी करतूतें। महोदय, मूल तत्व यह है कि पाकिस्तान ने भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत मांगों का जवाब भी नहीं दिया है। महोदय, सच्चाई यह है कि उन्होंने 20 अति वांछित व्यक्तियों को भारत को नहीं सौंपा है और न ही उन्होंने सीमापार से आतंकवाद की अपनी नीति और रवैये में कोई परिवर्तन किया है।

अध्यक्ष महोदय, हम निश्चित रूप से आतंकवाद के मुद्दे पर विश्व के नये दृष्टिकोण का स्वागत करते हैं। विश्व का अधिकांश भाग, विशेषकर पश्चिमी संसार इस खतरे के प्रति सितम्बर, 2001 में ही जागा। बहुत पहले से भारत में आतंकवाद के दुःखद परिणामों को हम देख रहे हैं।

हमें यह बताया जाता है कि वैश्विक आतंकवाद सबंधी युद्ध को उन सभी जगहों पर लड़ा जाएगा जहां-जहां आतंकवाद मौजूद है। लेकिन महोदय, अब तक हम इसे एक संकल्प के रूप में देखते हैं न कि वास्तविक तथ्यों के रूप में। हम इस संकल्प के वास्तविकता में परिणत होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। समय आ गया है जब हम स्वंय से यह पूछे कि क्या आतंकवाद के विरूद्ध अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन ने किसी भी तरह से हमारी मदद की है? हम विश्व भर में जतायी जा रही चिन्ता का स्वागत करते हैं लेकिन हमें इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए कि अंततः हमें अपनी सीमाओं के भीतर आतंकवाद से स्वंय ही निपटना होगा। इन प्रश्नों को स्वंय से पूछने के अलावा हमारे लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि हम इस बात पर आत्म विवेचन करें कि क्या हमने अंतर्राष्ट्रीय विश्व की राय को संवेदनशील बनाने के लिए हर संभव प्रयास किये हैं।

लेकिन महोदय, मैं यह कहे बिना नही रह सकती कि हमारे राजनयिक प्रयासों का अभाव रहा है।

जम्मू में हुई हाल के नरसंहार से हमारी सुरक्षा प्रणालियों की कमजोरियां उजागर हुई हैं। ये घटनाएं अप्रत्याशित नहीं है क्योंकि विदेशी विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन के साथ-साथ ये घटनाएं अक्सर जुड़ी रही है। ऐसी भी खबरें है कि गर्मियों के आने पर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी। वास्तव में, इनमें वृद्धि होने की संभावना है। हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर राज्य को ऐसी नृशंस हत्याओं से बचाने के लिए उनके पास क्या रणनीति अथवा योजना है।

सरकार द्वारा अब तक उठाये गये कदम प्रभावी सिद्ध नहीं हुए हैं। यह तो तब है जबकि हमारा इस संबंध में सरकार को सतत और अभूतपूर्व समर्थन रहा है न केवल हमारा बल्कि सभी विपक्षी दलों का भी सहयोग रहा है। गत कुछ दिनों के दौरान सरकार और सरकार के सहयोगी दलों द्वारा विभिन्न वक्तव्य दिये गये हैं। अलग-अलग वक्तव्यों से अलग-अलग बातें सामने आ रही है। हमारा यह विश्वास है कि राष्ट्र की यह मांग है कि सरकार अपने लक्ष्यों के प्रति स्पस्ट हो।

अध्यक्ष महोदय, जम्मू और कश्मीर में महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं। हमें यह पूर्ण रूप से सुनिश्चित करना चाहिए कि समय पर चुनाव हो और इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा न आए। इसीलिए हम राज्य में सभी तरह की राय रखने वालों से अपील करते हैं कि वह आगे आकर इस प्रक्रिया में भाग लें सरकार राज्य स्तर पर और केन्द्र स्तर पर यह अवश्य सुनिश्चित करे कि मतदाता उन व्यक्तियों के भय

से मुक्त होकर अपना मतदान करें जो हमारी जीवन शैली में बाधा डालना और उसे नष्ट करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, नृशंस घटनाएं सरकार को एक बार फिर से पारम्परिक शब्दाडंबर की ओर प्रवृत्त कर सकती हैं।

महोदय, लेकिन रणनीति अथवा दूरदर्शिता का कोई विकल्प नहीं हैं। यदि सरकार के पास कोई रणनीति है तो सरकार उसको हमेशा के लिए स्पष्ट करे। हम अपनी ओर से ऐसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार का साथ देते रहेंगे।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कालूचक में गत मंगलवार तड़के हिमाचल रोडवेज की एक यात्री बस और सेना शिवर पर किये गये आत्मघाती हमले में सैनिकों के परिवारों सहित 37 से ज्यादा बेगुनाह लोगों का नरसंहार किया गया जिसमें मलियें एवं बच्चे भी थे। मेरा कहना है कि ऐसा नरसंहार कब तक चलेगा?

अध्यक्ष जी, कालूचक की यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना 13 दिसम्बर, 2001 को जब संसद पर हमला हुआ, उस हमले के बाद की सबसे बड़ी घटना है जिसने देश को हिला कर रख दिया। उसी संदर्भ में आज नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा हो रही है। आज के सारे अखबारों में दो शीर्षक आये हैं। एक शीर्षक यह है- ''आज केन्द्र संसद में करेगा आतंकवाद से निपटने के लिए योजना का खुलासा।'' केन्द्र सरकार जम्मू कांड के बाद उत्पन्न स्थिति और आतंकवाद से निपटने की सारी योजना का खुलासा संसद में करेगी।

माननीय गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी की अध्यक्षता में कल जो बैठक हुई जिसमें श्री जार्ज फर्नान्डीज जी और सेना के अधिकारियों ने भाग लिया, उसमें उन्होंने हुछ फैसला किया, कुछ विचार विर्मश किया। माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी एन.डी.ए. के अपने सहयोगियों से बात करके कोई योजना बनाई - समाचार पत्रों में ऐसा छपा है, जिसकी घोषणा आज यहां की जाएगी।

दूसरी हैडिंग है - थल सेनाध्यक्ष ने कहा - पाकिस्तान पर कार्यवाई का समय आ गया है। काठमांडो से लौटने के बाद सेनाध्यक्ष जनरल एस. पद्मनाभन ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्यवाई का समय आ गया है। अत: आज सारा देश, सदन में जो कार्यवाही हो रही है, उसमें जो निर्णय लिया जाएगा, उसे बड़ी व्यग्रता के साथ देख रहा है।

मैं अपनी बात शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि पूर्व विदेश मंत्री श्री एम.सी. छागला ने कहा था कि कश्मीर हमारे लिए कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है बल्कि धर्मनिर्पेक्षता का जीता-जागता उदाहरण है। हम किसी भी हालत में कश्मीर पर आंच नहीं आने देगें। कश्मीर पर आंच आने का अर्थ है र्धनिर्पेक्षता पर आंच आना।आज भी हमारे लिए कश्मीर कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। हम इसे भारत माता के मस्तक का मुकुट मानते हैं। इसकी रक्षा के लिए हम कुछ भी बलिदान कर सकते हैं, यह दुनिया को समझ लेना चाहिए। भारत ने कश्मीर के लिए बहुत कीमत चुकाई है। मैं 3-4 उदाहरण देना चाहूंगा। अब तक 60,000 बेगुनाह लोगों की मौतें हो चुकी हैं जिनमें 6,000-7,000 सैनिक हैं। पाकिस्तान से हुए तीन युद्धों में हमारे इतने सैनिकों की शहादत नहीं हुई जितनी पाकिस्तान द्वारा छेड़े गए इस प्राक्सी वार में हुई। 1990 से 1997 तक कश्मीर वैली में आतंकवाद कितनी चरम सीमा में था, इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। 1990 से पहले लगभग दस लाख टूरिस्ट्स कश्मीर वैली में जाया करते थे। 1990 से 1997 तक आतंकवाद का इतना भय था कि यह संख्या दस लाख से कम होकर तीन डिजिट में चली गई - किसी साल 500 लोग गए, किसी साल 600 लोग गए और किसी साल 700 लोग गए। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि 1990 से 1997 तक किस तेजी के साथ कश्मीर वैली में आतंकवाद था। जिस तरह टूरिस्ट्स की संख्या गिरी है, यह इसका जीता-जागता नमूना है।

तीसरा उदाहरण देना चाहूंगा जिसकी चर्चा परसों यहां हुई। चार लाख कश्मीरी पंडित 12 साल से अपने ही देश के अंदर शिवरों में शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। ऐसा पहली बार सुना है। जब हिन्दुस्तान का डिवीजन हुआ था तब हम भी शरणार्थी बनकर पाकिस्तान से आए थे। हम दूसरे देश से आए थे लेकिन अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रहना प्राक्सी वार या आतंकवाद का परिणाम है। आज वे नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। छोटे से कमरे के अंदर 12 साल से पूरा परिवार रहना, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है, उनको बच्चों की शादियां करनी हैं। मेरा कहना है कि सरकार को इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

चौथा उदाहरण देना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीरमें शान्ति बहाली के कई कवायदों के बावजूद हिंसा का दौर थमा नहीं हैं। अखबारों में छपा है कि 1997 से लेकर बडगांव जिले में, बहुत लम्बी लिस्ट है, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता लेकिन 2-3 घटनाओं की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिस समय हमारे प्रधान मंत्री जी शान्ति का हाथ बढ़ाने के लिए बस से जा रहे थे, उस समय जम्मू के ऊधमपुर क्षेत्र में, पठानकोट में 27 हिन्दुओं की हत्या कर दी गई थी। डोडा जिले के चपनारी में 25 हिन्दुओं की हत्या कर दी गई थी, डोडा जिले के दो गोवों में 16 हिन्दुओं की हत्या कर दी गई थी, हिमाचल प्रदेश के कालाबन में 33 मजदूरों की हत्या कर दी गई थी। और भी कई उदाहरण हैं। जिस समय श्री क्लिंटन दिल्ली आए थे, हम जानते हैं कि उस समय जम्मू कश्मीर में काजीकुड के निकट 5 हिन्दू

[श्री मदन लाल खुराना]

ड्राइवरों की हत्या की गई, छत्तीसिंहपुरा में 35 सिखों की हत्या की गई, पहलगाम में अमरनाथ यात्रियों समेत 31 लोगों की हत्या की गई।

ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जैसा अभी कहा गया कि शायद मिसेज रोक्का अमेरिका की विदेश मंत्री जब हिन्दुस्तान में आई तो यह घटना हुई, जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, इस तरह से हत्या की गई। जिस समय पार्लियामेंट पर हमला हुआ था, उस समय और आज भी हमें संयम बरतने के उपदेश दिये जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि संसद भवन पर गत 13 दिसम्बर, 2001 को जो आतंकवादी हमला हुआ, उसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के हृदयस्थल पर निर्मम आघात माना गया और इसकी तुलना सिर्फ 11 सितम्बर को अमेरिका पर हुए हमले से की गई, जिसके बाद दुनिया के इतिहास ने एक नया मोड़ लिया था। ये दोनों ही घटनाएं आधुनिक लोकतांत्रिक दुनिया के खिलाफ जेहादी जंग की मिसालें हैं। अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड टावर क्या भारत की संसद से भी अधिक महत्वपूर्ण है? वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमला हुआ तो अमेरिका ने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया, लेकिन भारत की संसद आज भी लहूलुहान है। आज भी गोलियों के निशान दीवारों पर देखे जा सकते हैं। संसद भवन भारत का मर्म है, लोकतंत्र का हृदय है, हमारी सम्प्रभुता का प्रतीक है, उसपर आक्रमण हुआ है। वह ट्रेड टावर पर हुआ आक्रमण से भी भीषण है। ट्रेड टावर पर तो आसमान से जहाज टकराया, लेकिन जिस तरह से आतंकवादी यहां घुस आये और जो कुछ हुआ, वह हमारे सामने है। वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर धावा बोला, लेकिन आज भारत को संयम बरतने के उपदेश दिये जा रहे हैं।

जिस समय कारगिल की लड़ाई हुई, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन से मीटिंग करने के लिए अमेरिका गये, उस समय क्लिंटन के स्पेशल असिस्टेंट श्री ब्रूज रीडर, जो कि मीटिंग में मौजूद थे, उनके अनुसार उस मीटिंग के बाद राष्ट्रपति क्लिंटन और नवाज शरीफ, जो कि प्रधानमंत्री थे, उनका असेसमेंट था कि :

[अनुवाद]

मुर्शरफ एक कट्टरपंथी था जो कारगिल में भारत को नीचा दिखाना चाहता था।

[हिन्दी]

यह असेसमेंट अमेरिका का था, जो उस समय बातचीत के दौरान पाया गया और जिसके सम्बन्ध में ब्रूस रीडर ने कहा। कारगिल युद्ध के बाद अब अमेरिका का असेसमेंट पाकिस्तान के प्रति कैसे बदल गया है, अब अमेरिका कैसे कह रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर विश्वास करो और उससे बात करो? कारगिल कमेटी ने भी यह कहा है:

[अनुवाद]

"मुर्शरफ दोहरे मानदंड अपनाने वाला एक भरोसेमंद व्यक्ति नहीं है और वह भारत के प्रति कट्टर है।"

[हिन्दी]

12 अप्रैल को मुर्शरफ ने बहुत साफ कहा कि

[अनुवाद]

"भारत एक एकाधिकारवादी देश है।"

[हिन्दी]

कश्मीर तो बहाना है, हमारा उद्देश्य तो भारत को तोड़ना है।

मेरा एक निवेदन है, जो सरकार जानती है, हमने तालिबान के खिलाफ अफगान युद्ध में अमेरिका का साथ दिया। युद्ध के दौरान जैश-ए-मौहम्मद और हरकत-अल-मुजाहिदीन, दोनों के 3-4 हजार आतंकवादियों को मुर्शरफ की प्रार्थना पर अमेरिका ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आने का रास्ता दिया। अब वही आतंकवादी पाक अधिकृत कश्मीर में रहकर ये हरकतें कर रहे हैं, क्या अमेरिका इसके लिए जिम्मेदार नहीं है?

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, हमने 1947 से लेकर आज तक देश का जो इतिहास देखा, उसमें पाकिस्तान के साथ तीन युद्ध हुए। उन तीन युद्धों के अन्दर हम यह देखते हैं कि जंग के मैदान में तो हमारी सेनाएं जीतती थीं, लेकिन उस समय के राजनेता मेज पर बैठकर डिप्लोमेसी में हार जाते थे। उदाहरण के लिए अक्टूबर, 1947 में जिस समय कबायलियों ने कश्मीर पर हमला किया, वे श्रीनगर के नजदीक पहूंच गये, तब उस समय के महाराजा हरी सिंह जी ने भारत के साथ विलय के ऊपर हस्ताक्षर किये। हमारी सेनाएं वहां गईं और हमारी सेनाओं ने कबायलियों को खदेड़ना शुरू किया। जिस समय कबायलियों को खदेड़ना शुरू किया, उस समय सीज फायर कर दिया गया, उस समय मामला यू.एन.ओ. में चला गया। हम लोगों का भी यह कहना है कि अगर उस समय 5-6 दिन हमारी सेनाओं को रोका न जाता, सीज फायर न हुआ होता तो आज...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (रायगंज) : वे आज 1948 की बात कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : यह रियलिटी है।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, मैं खुराना जी को बता दूंगा।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : जिस भावना से हमारी तरफ से बहस शुरू हुई थी, उसमें कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : आपकी भावना मैंने समझ ली है। आप बैठ जाएं। खुराना जी, आप एक मिनट सुनें। मैंने यह चर्चा शुरू होते समय ही कहा था कि यह चर्चा गम्भीर स्वरूप की चर्चा है। इसमें हम इतिहास में जितना जाएं, उतना जा सकते हैं, लेकिन ऐसा करते समय यह देखना चाहिए कि किसी की भावना को दुख न हो। इसीलिए मैं समझता हूं कि पूरा डैकोरम रखकर इस चर्चा में हिस्सा लें। पूरा देश इस तरफ देख रहा है कि क्या चर्चा हो रही है। अतीत में क्या हुआ, वह देश को मालूम है। मैं कहूंगा कि कृपया ऐसा न करते हुए आप अपना भाषण पढ़िए। आरोप-प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि० पाटील (लातूर) : क्या आप थोड़ी देर की मोहलत देंगे?

महोदय, हम इस विषय पर उच्च स्तरीय और पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ चर्चा करना चाहते हैं। यदि ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जिनका जवाब देना लाजिमी होता है, तो उनका जवाब दिया जायेगा लेकिन इस प्रक्रिया में हम वाद-विवाद का स्तर नहीं बनाये रख पायेगे। और जिस उस उद्देश्य को लेकर चर्चा शुरू की गई थी वह हासिल नहीं हो पायेगा। जैसाकि आपने पहले ही कहा है और मैं भी आपके माध्यम से एक बार फिर अनुरोध करना चाहता हूं कि वाद-विवाद के स्तर को बनाए रखा जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम सब के लिए वह बात कह पाना कठिन हो जाएगा जो हम कहना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री शिवराज पाटील की बातों से सहमत हूं।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : मैं समझता हूं कि आज की चर्चा का आरम्भ विपक्ष की नेत्री ने जिस स्तर पर किया है, जिसमें कोई एक-दूसरे पर दोषारोपण का सवाल ही नही हैं। हम भूतकाल की नहीं सोच रहे हैं, हम आज के बारे में और भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। यह बात ध्यान में रख कर उसके आधार पर चर्चा चले तो बहुत अच्छा होगा। मुझे विश्वास है कि जो स्तर आरम्भिक अवस्था में हुआ, वह बना रहे, तो अच्छा होगा।

श्री मदन लाल खुराना : मैं उदाहरण नहीं दूंगा। मेरा निवेदन है कि अभी तक जितने युद्ध हुए, हम डिप्लोमैसी में हार जाते थे। यह पहली बार हुआ है कि आतंकवाद की लड़ाई के बाद वाजपेयी जी के नेतृत्व में हम डिप्लोमैसी में जीते हैं। जो अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड कभी हमारा साथ नहीं देते थे, इस समय वाजपेयी सरकार की डिप्लोमैसी के कारण आज आतंकवाद के खिलाफ हमारा साथ दे रहे हैं।

अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि आज इस कारण देश को वाजपेयी सरकार से बहुत आशाएं हैं कि वह इस आतंकवाद की लड़ाई में इस तरह के कदम उठाएगी और इसकी घोषणा आज करेगी। मैं इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। संसद पर हमले के बाद प्रधान मंत्री जी ने जो कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ यह हमारी आरपार की लड़ाई है, उसको किस तरह से कार्यरूप में परिणत किया जा रहा है, यह बताया जाए। इसके अलावा हम पाकिस्तान से कहें कि एनफ इज एनफ। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों के जो प्रशिक्षण शिवर हैं, उन पर सीधे हमला करना चाहिए, यह हमारा सुझाव है। 11 सितम्बर, 2001 को अमेरिका पर हुए हमले के बाद अगर अमेरिका हजारों मील दूर अफगानिस्तान पर हमला करके वहां की सरकार को बदल सकता है तो भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर कब्जा क्यों नहीं कर सकता, यह मेरा कहना है।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि डिप्लोमैटिक तौर पर केवल पाकिस्तान से अपना उच्चायुक्त वापस बुलाना, समझौता एक्सप्रैस और लाहौर बस सेवा को बंद करना ही पर्याप्त नहीं है, पाकिस्तान अगर इसी गति से आतंकवादी गतिविधियां चलाता है तो हमें उसके साथ अपने डिप्लोमैटिक रिलेशन तोड़ देने चाहिए। भारत ने व्यापार शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में पाकिस्तान को जो सर्वाधिक प्राथमिकता वाले राष्ट्र का दर्जा दिया है, उसे भी खत्म किया जाना चाहिए।

मेरा चौथा सुझाव है - भारत पाक जल संधि को खत्म होने से भारत की तरफ से बहने वाली सिंधु नदी के जल में पाकिस्तान की हिस्सेदारी को कम या पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। हालांकि इस निर्णय में कई अंतर्राष्ट्रीय कानून बाधक बनेंगे, लेकिन सीमा पार के आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए भारत को इस सीमा तक भी जाना चाहिए।

[श्री मदन लाल खुराना]

मेरा पांचवा सुझाव है - हम अमेरिका से मांग कर रहे हैं कि वह पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करें। परन्तु भारत स्वयं पहल कर अपनी ओर से पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कर सकता है। इसका मतलब होगा कि पाकिस्तान के साथ संबंधों की पूर्ण समाप्ति जिसमें संचार एवं मीडिया सबंधों पर भी रोक शामिल हैं।

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि दूरदर्शन पर ''आजतक'' चैनल ने दर्शकों से एक प्रश्न किया है - क्या भारत को आतंकवादियों के सीमा पार पाक स्थित ठिकानों पर हमला करना चाहिए। आज सुबह पौने ग्यारह बजे तक मैंने दूरदर्शन पर देखा है, 68 प्रतिशत लोगों ने उत्तर ''हां'' में दिया है और केवल 32 प्रतिशत लोगों ने उत्तर ''नहीं'' में दिया है। आज सारा देश भारत की इस कार्यवाही को देख रहा है। आज इस सदन में जैसा लीडर-आप-अपोजीन ने कहा कि सारा देश और यह सदन सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करे और सरकार से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह करे। सारा सदन और सारा देश वाजपेयी जी से यह मांग कर रहा है कि आप आगे बढ़िए और सारा देश आपके साथ हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर बोलने वाले अगले वक्ता श्री सोमनाथ चटर्जी हैं। किन्तु उनका भाषण शुरू होने से पहले मैं सभी राजनीतिक पार्टियों का ध्यान उनको दिए गए समय की ओर दिलाना चाहता हूँ। भाजपा को एक घंटा बीस मिनट का समय दिया गया है; कांग्रेस को 50 मिनट का,सीपीआई (एम) को 15 मिनट का, तेलुगू देशम पार्टी को 12 मिनट का, समाजवादी पार्टी को 12 मिनट का, शिव सेना को सात मिनट का, बहुजन समाज पार्टी को छह मिनट का और डीएम के को पांच मिनट का समय दिया गया है। मैंने केवल बड़ी पार्टियों के नाम पढ़े हैं। मैं अन्य पार्टियों को भी उनके समय के बारे में उनकी बारी आने पर बतादूंगा। मैं चाहता हूँ कि पार्टी के प्रत्येक सदस्य अपनी इस समय सीमा को ध्यान में रखें ताकि यह वाद-विवाद समय से समाप्त हो सके।

अब श्री सोमनाथ चटर्जी बोलेंगे।

(व्यवधान)

सरदार सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर) **:** महोदय, अकाली दल के बारे में क्या है?

अध्यक्ष महोदय : उनका समय दे दिया गया है। इसे मैं उसी समय बताऊँगा जब उसकी बारी आएगी।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) **:** अध्यक्ष महोदय, निश्चय ही हम सभी आपकी भावनाओं का पालन करने की भरसक कोशिश करेंगे। किन्तु मैं समझता हूँ कि यह वाद-विवाद इतना महत्वपूर्ण है कि इसे समुचित संदर्भ में देख चाहिए। इसलिए मैं अपनी ओर से भरसक प्रयास करूँगा।

महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से जम्मू के कालूचक में 14 मई की सुबह हुए उस कायरतापूर्ण हमले की घोर निंदा करता हूं जिसमें कई निर्दोष लोगों की जानें गईं। जिसमें अधिकतर बच्चे और महिलाएं थे। हम शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं।

महोदय, हालांकि यह हमला पहले बस में ही शुरू हुआ था लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि हमलावरों का वास्तविक लक्ष्य सैन्यशिविर और उनका रिहायशी इलाका था। यह बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। जाहिर तौर पर पांच लोग वहां जा सकते हैं उनमें से दो ही वहां से बचकर भी निकल सकते हैं। फिर भी तीन लोगों से निबटा जा सकता था।

महोदय, हमारा ऐसा मानना है कि निर्दोष लोगों की हत्या से निन्दनीय कुछ भी नहीं है और आतंकवादी कार्रवाइयों से घृणित कुछ भी नहीं है। और ये दोनों ही चीजें समानरूप से विवेकहीन और मानवता के विरूद्ध कुकृत्य है।

महोदय, मेरे पास इस संकल्प को व्यक्त करने के अलावा कि हम इस खतरे का एकजुट होकर और व्यापक रूप से मुकाबला करें उस घटना की निंदा करने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं हैं।

हम समझते हैं कि यह जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थिति को बदतर बनाने और वहां सामान्य स्थिति बहाल करने के सभी राजनीतिक प्रयासों में, विशेषकर वहां होने वाले आगामी चुनावों में, बाधा उत्पन्न करने के उद्देश्य से सीमापार से जानबूझकर की गई कार्रवाई है।

सरकार के आकलन के आधार पर हम इस बात से सहमत हैं कि इन घटनाओं के लिए लश्कर-ए-तयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन ही जिम्मेवार हैं। वे अपने नये नामरूप में पाकिस्तान से ही आतंकवादियों कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं। नि:संदेह, पूरी सभा और पूरा देश इन घटनाओं की निंदा करेंगे जैसा कि हमने की है। जहां तक इस देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों का सवाल है तो मैं समझता हूँ कि विगत में ऐसा कोई अवसर नहीं रहा है जब कि सभी पार्टियों ने सरकार की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार का समर्थन न किया हो। हमने प्रधान मंत्री के उस निर्णय को पूरी तरह से मानते है जिसमें नवम्बर, 2000 और उस दौरान बढ़ाए

गए समय तक आतंकवादी मुहिम न चलाए जाने की बात कही गई थी। जब कभी भी हम से सलाह मशिवरा किया गया है, हमने सरकार के निर्णय को तत्काल व सहर्ष स्वीकार किया है। जब भी सरकार ने इस दिशा में पहल की और में इससे अवगत कराया गया तो हमने उस स्थिति को स्वीकार किया। हमने कहा "यह मामला पूरी तरह आप पर है। आप सवेसेवी है। आपको ही इसे करना है।"

हमारे इस महान संसद पर हुए कायरतापूर्ण हमले से निपटने में सरकार की कार्रवाई का हमने पुरजोर समर्थन किया; हालाँकि इस मामले में कई प्रश्न अनुत्तरित थे। जिसमे इस महान भवन की रक्षा करने में सरकार की असफलता संबधी प्रश्न शामिल थे। रोजाना हम देख रहे हैं कि इस देश के सामान्य जन जीवन को प्रभावित करने के लिए बार-बार प्रयास किए जा रहे है। जो अधिकतर सीमा पारसे या फिर उन लोगों के उकसावे पर हो रहे हैं जो सीमा के उसपार रहते हैं। विशेषकर उन लोगों ने ऐसे संस्थानों को लक्ष्य बनाया हैं जो लोकतंत्र के प्रतीक हैं और जिनका हम सभी गौरवान्वित अंग हैं। चाहे वह गत वर्ष पहली अक्तुबर को श्रीनगर में राज्य विधान सभा पर हुआ हमला हो जिसमें बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए थे, या 13 दिसम्बर को इस संसदभवन पर हुआ हमला हो या फिर 22 जनवरी को कोलकाता में अमेरिकन सेन्टर पर हमला - प्रत्येक मौके पर यह देश एक जुट हो गया और एक स्वर से यह संकल्प पारित किया कि सभी तरह के आतंकवाद के खिलाफ चाहे वह सीमा के अंदर से हो या सीमापार से - एक जुट होकर लड़ाई लड़ी जाए।

हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है और मैं इस स्थिति को स्वीकारता हूं जब तक कि सरकार हमें इस मामले अन्यथा कुछ और नहीं कहती। हमने सीमापार की आतंकवादी कार्रवाइयों, छद्म युद्ध जैसा कि कहा जाता है, कि हमेशा घोर भर्त्सना की है। हमने हमेशा ही इस बात की भी घोर भर्त्सना की है कि पाकिस्तान हमारे देश पर हमला करने के लिए या आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के लिए या अपने सीमा क्षेत्र को अड्डे के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दे रहा है। इसलिए मैं नहीं मानता हूं कि इसमें कोई दो राय होगी कि हमने जो कतिपय मूलभूत मानवीय मूल्यों, लोकतांत्रिक परपंराओं को अपनाया हैं उनके प्रति अपनी वचनबद्धता पर गौरवान्वित महसूस करने वाला हमारा यह देश न केवल निर्दोष लोगों पर बल्कि समग्र मानवता पर किए जा सकने वाले घृणित अपराधों के खिलाफ जैसा कि मैने कहा था, लड़ाई में एकजुट न हो।

अपराह्न 1.00 बजे

किन्तु महोदय, जो मुख्य प्रश्न उठता है, वह यह है कि : क्या किया जाना है और क्या कदम उठाए जाने चाहिए। यहां पर हमें पूरी तरह से सरकार और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर निर्भर रहना होगा। राष्ट्र और लोगों की रक्षा का दायित्व सरकार पर है। सरकार के पास कोई कार्य योजना होनी चाहिए। हमारा ऐसा मानना है कि एक परिपक्व राष्ट्र के रूप में हमें परिपक्व तरीके से ही प्रतिक्रिया देनी चाहिए। कई बार कड़ी भाषा का इस्तमाल किया जाता है; धमकियां दी जाती हैं। यहां तक कि मुद्दों को उछालने वाली मुद्राएं अपनाई जाती हैं। सत्ता पक्ष के कुछ मित्र, जो काफी उत्तेजित है; वे भी ऐसा ऐसा करते हैं। मैं कोई आरोप बिल्कुल नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन इससे उनके गुस्से का इजहार होता है। उनका कहना है कि: तुरंत युद्ध आरम्भ करो; पाकिस्तान पर हमला बोलो; सेना भेजो, आदि, आदि। फिर हमने सीमित युद्ध की बात की। यह हमें नहीं मालूम और यह हमारी समझ से परे है कि 'सीमित युद्ध' क्या होता है।

इसलिए, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्रतापूर्वक यह सब बातें जानना चाहते हैं। सभा आपके साथ है, आपका समर्थन कर रही है। राष्ट्र आपका समर्थन कर रहा है। आप देश को विश्वास में लीजिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : आप अपनी तरफ से क्या सुझाव देना चाहते हैं वह बताएं?

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसे दोस्तों के रहते आपको दुश्मनों की जरूरत नहीं हैं।

मैं यह कहने का प्रयास कर रहा था कि सरकार तत्पर नहीं है, मैं सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपके पास कार्य योजना होनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि आपको अपने क्षेत्र और लोगों की रक्षा करने की जिम्मेवारी का अहसास है। लेकिन एक जिम्मेवार देश के नाते इस स्थिति में हमारा जवाब क्या होगा? इस बात को मैं सरकार और माननीय प्रधानमंत्री के अलावा और किससे पूछूं? हम आतंकवाद और उस देश के खिलाफ जो हमारे मुताबिक इसको बढ़ावा दे रहा है, उसके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय राय बनाने के मामले में सजग रहे हैं। हम इस बारे में बड़े तत्पर रहे हैं। 11 सितम्बर के हमले के संदर्भ में विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र इस उपमहाद्वीप में अपने सहयोगी पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेगा और जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान से अपनी गतिविधियां चला रहे आतंकवादियों और कट्टर पंथियों पर कड़ी कार्रवाई के लिए बाध्य हो जाएंगे।

अब मैं माननीय विदेश मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं। वह बड़े वाक्पटु हैं और मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी वे आपके मंत्रियों में उत्कृष्ट कार्यकरण करने वाले सीमित लोगों में

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

से एक हैं। आपकी नजर में अमरीका की क्या भूमिका होनी चाहिए? अब अमरीका से बहुत से विशिष्ट व्यक्ति और उच्च स्तरीय शिष्टमंडल यहां आ रहे हैं।आप संयुक्त अभ्यास कर रहे हैं। हम अपनी धरती पर अमरीकी और भारतीय सैनिकों को हाथ में हाथ डाले मार्च करते हुए देख रहे हैं। हम एक नए प्रकार के ही दृश्य देख रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि अमरीका के नेतृत्व में आतंकवाद के विरूद्ध अन्तरराष्ट्रीय सहयोग की क्या स्थिति हैं हमने 11 तिम्बर के हमले के संदर्भ में अमरीका को मदद का प्रस्ताव करने में बड़ी जल्दी दिखाई। हमने कहा : 'यहाँ आइए, हमारी जमीन इस्तेमाल कीजिए; आपको जो भी मदद चाहिए हम देंगे।' आपने अविलम्ब प्रस्ताव किया। उन्होंने आपकी मदद नहीं ली और उप-महाद्वीप में अपने सहयोगी को बरीयता दी। हम सब जानते हैं कि कौन है।

महोदय, मैं अमरीका की भूमिका का संयुक्त अभ्यासों के बारे में आज कोई विवाद खड़ा नहीं कर रहा हूँ। हमारी राय जग जाहिर है। मैं आज इसे नहीं उठाना चाहता क्योंकि हम देश को एक संदेश देना चाहते हैं। किन्तु, महोदय, मैं यह जानने का हकदार हूँ कि आतंकवाद के विरूद्ध संघर्ष में अंतरराष्ट्रीय राय तैयार करने के लिए हमारे प्रयासों का क्या निष्कर्ष निकला है। इस पर सरकार की क्या सोच है?

अब पाकिस्तान में अलकायदा और तालिबान से निपटने के नाम पर अमरीका की सैन्य मौजूदगी बनी हुई है। फिलहाल, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। तब भी, क्या अमरीका जानता है या नहीं कि सीमापार से आतंकवाद में इन लोगों की भूमिका क्या है? वे जानते हैं या नहीं जानते हैं। हाल ही में अमरीकी सहायक मंत्री आकर गए हैं। उनसे आपको क्या जानकारी प्राप्त हुई? वह वापिस चली गई हैं। उन्होंने क्या संदेश दिया है? यह सब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम अंतरराष्ट्रीय राय पर बहुत अधिक निर्भर कर रहे हैं। इसलिए, हालांकि हम उन्हें आतंकवाद से लड़ने के लिए मदद दे रहे हैं पर बदले में हमें क्या मिल रहा है? इसे जानना होगा। आपको अपनी सम्पूर्ण योजना में इसे देखना होगा। मेरा विश्वास है कि आप भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं।

महोदय, 14 मई की घटना की निन्दा का अर्थ सरकार की विफलता की निन्दा करना नहीं है। सरकार को अपनी कार्य योजना के बारे में अपने विचार रखने होंगे। महोदय, अभी एक महीने पहले 16 अप्रैल को सभा में एक स्पष्ट प्रश्न का उत्तर दिया गया था। प्रश्न जम्मू-कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में था। महोदय, आपकी अनुमति से मैं उस उत्तर को पढ़ रहा हूं:

> "सरकार जम्मू और कश्मीर से उग्रवाद को समाप्त करने और राज्य में यथाशीघ्र शांति और सामान्य हालत बहाल करने के लिए कृतसंकल्प है।"

पिछले महीने ही यह वक्तव्य दिया गया है। इसमें आगे यह कहा गया है:

> "विभिन्न स्तरों पर लगातार कूटनीतिक पहल करने सीमा, नियंत्रण रेखा पर सेना तैनात करने और अदंरूनी प्रदेश में आतंकवादियों के ऊपर अत्यधिक दबाव बनाए रखने के अतिरिक्त, सरकार ने राज्य सरकार से मिलकर एक बहु-आयामी रणनीति तैयार की है ताकि पाक आई.एस.आई. द्वारा जम्मू-कश्मीर में सीमा पार से चलाई जा रही आतंकवादी गतिविधियों को रोका जा सके। इस रणनीति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें भी शामिल हैं, घुसपैठ रोकने के लिए सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना, जम्मू और कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के विरूद्ध प्रतिकारी कार्रवाई करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, सभी स्तरों पर संस्थागत ढांचे के माध्यम से यू.एच.क्यू. के आपरेशन ग्रुपों तथा आसूचना ग्रुपों के कार्य को बड़े पैमाने पर संगठित करना, उन्नत प्रौद्योगिकी सुरक्षा बलों के लिए हथियारों और उपकरणों की व्यवस्था करना तथा आतंकवादियों के सक्रिय समर्थकों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करना।"

इस एक वाक्य में श्री विद्यासागर राव ने सब कुछ कह दिया है। वह युवा हैं।

महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि उनके उत्तर के प्रत्येक वाक्यांश पर काम करें क्योंकि उन्होंने एक महीने पहले कहा है कि यह रणनीति है। कृपया हमें बताइए कि क्या-क्या कदम उठाए गए हैं।

अब, यह कहा गया है कि रणनीतियों, युक्तियों और आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए त्वरित तैनाती की लगातार समीक्षा की जाती है और राज्य के एकीकृत मुख्यालय और आपरेशन समूहों में विभिन्न स्तरों पर इसकी निगरानी की जाती है। पिछली समीक्षा कब की गई है? इसमें किन-किन रणनीतियों पर निर्णय लिए गए? आतंकवादी कार्रवाइयों से निपटने के लिए की जाने वाली तैनातियों में कितनी तेजी लाई गई है? क्या समीक्षा की गई? पिछली समीक्षा कब की गई? महोदय, यह मेरा वक्तव्य नहीं है। यह जम्मू-कश्मीर की स्थिति के संबंध में राष्ट्र को दी गई वचनबद्धता है।

महोदय, हमें बताया गया है कि यह बहुआयामी रणनीति है। मैं केवल सरकार के कथन को पढ़ रहा हूँ - यह जवाब दस दिन पहले 7 मई को दिया गया था और आज 17 मई है। इस के संबंध में सीधे प्रश्न का उत्तर क्या है?

''जम्मू और कश्मीर राज्य में शान्ति और सामान्य स्थिति बहाल करने और इसके समग्र विकास की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र सरकार, जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ मिलकर एक बहुआयामी रणनीति जारी रखे हुए हैं। इस रणनीति के तीन मुख्य आयाम हैं:-

जम्मू और कश्मीर के भीतर सीमा-पार से प्रायोजित आतंकवाद से निपटने के लिए प्रतिकारी कार्रवाई करना।''

माननीय प्रधानमंत्री जी, इस राष्ट्र की खातिर मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि मात्र 10 दिन पहले जो कुछ सभा में आपकी सरकार ने कहा है उसके बारे में हमें जानकारी दें। मैंने यह पाया है कि सभी प्रकार के उत्तर देने की जिम्मेवारी श्री विद्यासागर राव को दे दी जाती है। पर कार्रवाई कुछ नहीं होती है। सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए प्रतिकारी कार्रवाई करना से आपका क्या तात्पर्य है?

(2) राज्य के आर्थिक विकास में तेजी लाना; और

(3) राज्य के भीतर लोगों के किसी भी ऐसे ग्रुप से बातचीत के लिए तैयार रहना जो हिंसा का रास्ता त्याग देते हैं और जिनकी शिकायतें न्याय संगत हैं।

रणनीति में आवश्यकतानुसार समय-समय पर आवश्यक सुधार किये जाते हैं।

''अंग्रेजी भाषा इस मामले में बड़ी उपयोगी है।

महोदय, जहां तक आर्थिक विकास का संबंध है मैं विवाद उत्पन्न करने वाले मुद्दों से बचने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि ये सब सरकार द्वारा दिए गए उत्तर हैं, 17 अप्रैल को दूसरे सदन में यह जवाब दिया गया था।

''फिलहाल कश्मीर के लिए कोई प्रमुख सभी आर्थिक पैकेज का कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।''

आप कहते हैं कि आप आतंकवाद से निपटना चाहते हैं और जम्मू-कश्मीर की जनता की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं, किन्तु आप यह भी स्वीकार करते हैं कि कश्मीर के लिए कोई सामाजार्थिक पैकेज विचाराधीन नहीं है।

आपके एक निकटतम सहयोगी ने कहा है कि स्वायत्तता की मांग इसलिए की गई थी क्योंकि जम्मू-कश्मीर के लोगों में पराएपन की भावना है। हालांकि आपके इस सहयोगी से हम खुश नहीं है क्योंकि उसने आपका साथ चुना और हमारी यह नाराजगी जाहिर है। अपने स्वायत्तता के अनुरोध को पूरी तरह नकार दिया है, लेकिन क्या अन्य कोई रास्ता है? आपको उन्हें मुख्यधारा में लाना चाहिए। मैं श्री मदन लाल जी की व्यथा में भी शामिल हूँ कि उस राज्य के बहुत से लोग अब राहत शिविरों में है। हम अन्य राज्यों, देश के पश्चिमी भाग में बसे इन लोगों की व्यथा समझ सकते हैं जहां वे शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। इस प्रकार, यह बहुत गंभीर मामले हैं और हम माननीय प्रधानमंत्री से यह अनुरोध करते हैं कि इनका जवाब दें। इससे, कम से कम, जम्मू-कश्मीर के लोगों में कुछ सुरक्षा और विश्वास की भावना जागेगी क्योंकि वे लोग इस आघात से आहत हैं।

महोदय, विधान सभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। सरकार आज भी आगामी चुनावों में जम्मू-कश्मीर के लोगों के सभी वर्गो की भागीदारी के प्रति आश्वस्त नहीं है। मैं खुश नहीं हूँ किन्तु तथ्य यह है कि राज्य सरकार सर्वविदित कारणों से जनता से अलग-थलग पड़ी हुई है आपको देश को विश्वास में लेना होगा और यह बताना होगा कि देश के महत्वपूर्ण और अभिन्न भाग में लोकतंत्र के प्रभावी संचालन के लिए आपके पास क्या-क्या प्रस्ताव हैं। इस संदर्भ में ऐसे में जबकि आपके बहुत सारे प्रस्ताव कार्यरूप में परिवर्तित नहीं हो पाए हैं, मेरे विचार से मिलिटरी आपरेशन की बात करना एक बहुत ही गंभीर मसला है।

महोदय, हमें अभी तक ऐसे किसी विकल्प की जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन, आपके, सत्तापक्ष की ओर से ही युद्ध की मांग की जा रही है। मुझे शंका है कि यहां पर आपके कुछ सहयोगी ऐसा कहेंगे। कुछ कहते हैं कि सरकार को युद्ध छेड़ देना चाहिए कुछ कहते हैं सीमित युद्ध, कुछ कहते हैं 'पूर्ण युद्ध' शुरू कर देना चाहिए। लेकिन, कई प्रमुख रक्षा विशेषज्ञ कह चुके हैं कि 'सीमित युद्ध' जैसी कोई अवधारणा है ही नहीं। आप कृपया यह न भूलें कि हमारे देश के साथ-साथ पाकिस्तान भी परमाणु शक्ति सम्पन्न देश है। कई विशेषज्ञ इस तरह की मांग किए जाने के परिणामों के बारे में अपने संदेह व्यक्त कर चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय, सैन्य बलों की बड़े पैमाने पर तैनाती की गई है। हमने इस पर कोई आपत्ति नहीं की। अब, दोनों देशों की सेनाएं पिछले चार महीने से आमने-सामने हैं। हम यह नहीं कह रहे कि सेना को हटा लेना चाहिए। लेकिन हमें शंका है कि सेना को आतंरिक सुरक्षा की ड्यूटियों से हटाए जाने की वजह से, जिन्हें कि वह सफलतापूर्वक निभा रही हैं, जम्मू-कश्मीर में स्थिति और अधिक बिगड़ जाएगी। मैं सरकार से सेना की तैनाती के संबंध में कोई जानकारी नहीं मांग रहा हूँ किन्तु हर कदम जम्मू-कश्मीर के लोगों की रक्षा के लिए उठाया जाना चाहिए। हमने कहा है और पुनः कहते हैं और हमें हर पल यह जोर देकर कहना चाहिए कि जम्मू-कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है। शिमला समझौता है, इसे दर किनार करने का कोई प्रश्न

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

ही नहीं है। अत: यह आवश्यक है कि हमें एक परिपक्व, सभ्य और सबल राष्ट्र, एकजुट राष्ट्रके रूप में इस समस्या को हल करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

महोदय, कुछ ऐसे सुझावों के साथ जिन्हें मैं आवश्यक समझता हूँ, अपनी बात समाप्त करूँगा। एक त्रिविद दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए:

1. पाकिस्तान सरकार पर आतंकवीदयों के विरूद्ध प्रभावी कदम उठाने के लिए राजनयिक और राजनीतिक दवाब बढ़ाना;

2. जम्मू-कश्मीर मे राजनीतिक प्रक्रिया को मजबूत किए जाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए और बातचीत का आधार स्वायत्तता का प्रस्ताव होना चाहिए; और

3. कट्टर आतंकवादियों पर काबू पाने के लिए सतर्कता और सुरक्षा में वृद्धि।

महोदय, इन उपायों से स्थिति में सुधार आ सकता है, जोकि अब भी विरूफोटक बनी हुई हैं। मैं सभा में सभी दलों से अनुरोध करता हूँ कि सरकार के किसी व्यक्ति या सरकार से जुड़े हुए किसी व्यक्ति के उतावले वक्तव्यों या सुझावों से स्थिति और अधिक जटिल हो जाएगी; ऐसा हमारा विचार है और इनसे कश्मीर मुद्दे का कोई हल नहीं निकलेगा।

महोदय, मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि वह इस देश से वादा कर रहे हैं। मैंने उन्हें उनके कुछ वादों की याद दिलाई है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह सदन को विश्वास में लें और इस सदन के माध्यम से सम्पूर्ण देश को विश्वास में लें और बताएं कि उनकी सरकार का आशय कार्य करने से है। आज कल क्या हो रहा है जब कोई गम्भीर घटना हो जाती है? हम इकटठ्ठे होते हैं, अपनी भर्त्सना व्यक्त करते हैं और फिर सरकार बताती है कि वह बहुत चिन्तित हैं और सरकार उनके विरूद्ध कदम उठाएगी किन्तु अगली घटना होने तक हम प्रतीक्षा करते हैं। पुन: हम एकत्र होते हैं, और समस्या को हल किए बिना घटना की निन्दा करते हैं। इस बात को भविष्य में न दोहराया जाए।

महोदय, यदि मैंने आपका समय लिया है तो मुझे क्षमा करें किन्तु एक बार फिर हम इस घिनौनी घटना की निन्दा करने के लिए अपने आप को जोड़े और इस बर्बरतापूर्ण बात अर्थात इस देश में कहीं भी आतंकवाद के विरूद्ध एक होकर अपनी वचनबद्धता की प्रतिक्षा करें।

अध्यक्ष महोदय : सामान्य रूप से मध्याहन भोजन का अवकाश एक घटां होता है किन्तु आज मैंने इस समय को कम करने का निर्णय किया है। अब समय अपराह्न दो बजे पुन: सम्वेत होने के लिए स्थगित होता है।

अपराह्न 1.19 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.04 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.04 बजे पुन: सम्वेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

नियम 193 के अधीन चर्चा—*जारी*

जम्मू में कालूचक में बस यात्रियों और सेना शिविर पर आतंकवादी हमला

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में चर्चा जारी रहेगी। श्री येरननायडू।

श्री के. येरननायडू (श्री काकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, इस महीने की 14 तारीख को हुआ हमला एक जघन्य अपराध है। यह एक बर्बरतापूर्ण कृत्य है। 31 निर्दोष लोगों, महिलाओं और बच्चों, जिनमें हमारी सेना के अधिकारी भी शामिल है, की हत्या कुण्ठित का कार्य है।

यह एक चिरस्थाई समस्या है। प्रत्येक हमले के बाद हम सदन में उस पर चर्चा करते हैं किन्तु अब तक कोई उपचारात्मक उपाय नहीं किए गए है। पाकिस्तान लगातार भारत में विशेषकर जम्मू और कश्मीर में घुसपैठियों और आतंकवाद को बल दे रहा है।

भारत सरकार ने नवम्बर 2000 में यह कहकर युद्धविराम करने का निर्णय लिया था कि हम रमजान के महीने के दौरान आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई शुरू नहीं करेंगे। सरकार ने शांति की पहल की। पिछले 185 दिनों में 16072 हिंसक घटनाओं और 985 आतंकवादियों की हत्याओं की तुलना में उस अवधि के दौरान भी 2142 हिंसक घटनाएं हुई जिनमें जम्मू और कश्मीर में 597 आतंकवादी मारे गए थे।

तेलुगु देशम पार्टी ने राष्ट्रीय महत्व विशषकर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में सदेव केन्द का समर्थन किया है। सदन के पटल पर कुछ

अवसरों पर अनेक राजनीतिक दलों ने अनेक सुझाव दिए हैं। सीमा पर हमारी भारी मात्रा में फौज तैनात है। अधिकतर फौज इस समय सीमा पर लगाई गई है। मैं यह नहीं समझ सका कि हमारी सीमाओं में सैकड़ों लोगों का घुसपैठ करना कैसे सम्भव है? इसलिए यह सरकार की विफलता है; आसूचना की भी विफलता है। हमने सीमा पर तैनात लोगों को अच्छा प्रशिक्षण दिया है। उस मामले में, किस बात की कमी है? प्रतिमाह सैकड़ों घुसपैठिए हमारे देश में घुसपैठ कर रहे हैं। वे निर्दोष महिलाओं और बच्चों जिनमें सशस्त्र सैनिक भी शामिल हैं, को मार रहे हैं। सरकार को आतंकवाद को रोकने के लिए प्रभावी और ठोस कदम उठाने चाहिए और आत्मघाती हमलों के लिए उत्तरदायी लोगों को दंडित करना चाहिए।

भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से बीस लोगों को निर्वासित करने के लिए भी कहा था वे लोग हमारे देश में किए गए अनेक अपराधों में संलिप्त रहे हैं। लेकिन अब तक पाकिस्तान की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला है।

अमेरिकी सरकार की दक्षिण एशिया में क्या भूमिका है? वे क्या कर रहे हैं? 11 सितम्बर के हमले के पूर्व आतंकवाद के बारे में कोई बात नही थी। 11 सितम्बर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (विश्व व्यापार केन्द्र) पर हुए हमलों के बाद प्रत्येक व्यक्ति आतंकवाद, सीमापार के आतंकवाद जिसमें पश्चिमी दुनिया शामिल है, की बात कर रहा है। किन्तु पिछले बीस वर्ष से हम आतंकवाद और सीमापार के आतंकवाद का सामना कर रहे हैं। अब तक लगभग 65000 लोग मारे गए जिसमें असैनिक और सशस्त्र सेनाओं के लोग शामिल है। हम इसके लिए भारी कीमत चुका रहे हैं।

हाल ही में, अमेरिका की असिस्टेंट सैक्रेटरी सुश्री क्रिस्टीना रोक्का ने यहां का दौरा किया। वह हमारे देश के लिए क्या संदेश लाई हैं? भारत सरकार - प्रधान मंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ हुई बातचीत के बाद वह क्या करती रहीं हैं? वह जनरल परवेज मुशर्रफ से भी मिलीं। उनके दौरे के बाद भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है? सदन को इन सब बातों का पता होना चाहिए?

हमें आतंकवाद और सीमापार से प्रायोजित आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटना होगा। हम हर समय इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। सरकार भी वाद-विवाद के बाद उत्तर दे रही हैं। हम आतंकवाद और सीमापार आतंकवाद रोकने के लिए सभी कदम उठा रहे हैं। किन्तु प्रतिमाह अनेक घटनाएं हो रही हैं। हम सभी इस मुद्दे पर एक हैं।

गुजरात भूकम्प के समय भारत सरकार ने दो प्रतिशत कर लगाया। सम्पूर्ण देश ने इसे स्वीकार किया। इस बजट में भी वित्त मंत्रालय ने रक्षा उद्देश्यों से पांच प्रतिशत कर लगाया। पूरे सदन और पूरे देश ने इसे स्वीकार कर लिया। राष्ट्रीय मुद्दों अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों के मामलों पर पूरा देश एक है; इस देश के लोग एक है; और पूरा सदन एक है। कार्य योजना क्या है? कार्रवाई का अर्थ पाकिस्तान पर हमला नहीं है। पाकिस्तान पर हमला एक अलग मुद्दा है।

किन्तु इस बीच सरकारी एजेंसियां क्या कर रही हैं? हम इन सब बातों को क्यों नहीं रोक रहे हैं? हम इन घुसपैठियों को हमारे देश में आने से क्यों नहीं रोक रहे हैं? हमें इन सभी बातों पर कदम उठाने हैं। हमें अन्तिम कार्रवाई से पूर्व ही ये कदम उठाने हैं।

हाल ही में पाकिस्तान द्वारा कारगिल में हाल की घुसपैठ के अतिरिक्त हम तीन युद्ध लड़ चुके हैं। हमने पाकिस्तान को उपयुक्त उत्तर दिया है। जब भी राष्ट्रीय संकट हुआ है तो पूरा देश एक होकर खड़ा हुआ है। सभी राजनीतिक दल सरकार के पीछे हैं। यदि ऐसी बातें होती हैं तो इसमें सरकार की विफलता है। इसलिए सरकार को पूरी स्थिति का विश्लेषण करना है और हत्याओं को रोकने के लिए कार्रवाई करनी होगी।

हमारे जवान हमारे देश की सुरक्षा के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। वे अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं किन्तु हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? सभी राजनीतिक दल सरकार को अच्छी सलाह दे सकते हैं। यदि सरकार आतंकवाद रोकने के लिए कोई कार्रवाई शुरू करती है तो इसे पूरे सदन की मंजूरी होती है। 11 सितम्बर, को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (विश्व व्यापार केन्द्र) पर हमले के बाद राष्ट्रपति बुश ने सदन से पांच बिलियन डालर की मंजूरी मांगी किन्तु सदन ने बीस बिलियन डालर की स्वीकृति दी। इससे पता चलता है कि राष्ट्रीय चिन्ता के मामले में वे सब एक हैं। इसी प्रकार हमें भारत में अपनी एकता दिखानी है।

टीडीपी सरकार द्वारा इस संबंध में की गई किसी कार्रवाई का पूरे हृदय से समर्थन करती है किन्तु इसके बाद जम्मू और कश्मीर में हत्याएं रोकी जानी चाहिए। साथ में आतंकवाद पर नियंत्रण करने के लिए वे स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। हमें यह सोचना है कि हम उन्हें किस हद तक स्वायत्तता दे सकते हैं। हमें जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ समथर्न में रहना है। यदि हम वास्तव में सीमा पार के आतंकवाद को रोकना चाहते हैं तो हमें उन्हें पूर्ण समर्थन देना होगा। मेरी पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा के इस मुद्दे पर भारत सरकार का समर्थन करेगी। हम सरकार के पीछे हैं। यह निर्णय करना है कि सीमापार आतंकवाद को रोकने के लिए क्या कार्रवाई करने की जरूरत है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : माननीय उपाध्यक्ष जी, 14 मई को जम्मू कश्मीर के कालूचक में आतंकवादियों ने सैनिकों के आवासीय परिसर में घुसकर हमला करके जघन्य अपराध किया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू : महोदय, टी.डी.पी. को बारह मिनट का समय दिया गया था और मैंने केवल नौ मिनट का समय लिया है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे स्मरण कराने के लिए धन्यवाद।

श्री मुलायम सिंह यादव : आतंकवादियों द्वारा कालूचक (जम्मू) में सैनिकों के आवासीय परिसर में घुसकर निर्दोष बच्चों महिलाओं, सुरक्षा बलों, सैनिकों और उनके परिवारों पर हमला किया गया। हम इसकी निन्दा करते हैं। जहां हम इसकी निन्दा करते हैं वहीं पूरी सुरक्षा व्यवस्था के पर्दाफाश की निंदा करते हैं। यह भी कहना चाहते हैं और हमारी स्पष्ट राय है कि आखिर आजादी के 55 साल में कश्मीर को क्या मिला। जम्मू कश्मीर को हिंसा, हत्याएं, आगजनी, बच्चों की हत्याएं, सुरक्षा बलों की हत्याएं और किसानों की हत्याएं मिली हैं। सीमा के पास का किसान अपनी फसल नहीं उगा पा रहा है और नाकार पा रहा है। आये दिन खेती उजाड दी जाती है। सीमा के पास का किसान ना जी पा रहा है और ना मर रहा है। यह हालत है। कश्मीर में गरीबी, बेरोजगारी है और आवागमन के साधन नहीं है। आज जम्मू कश्मीर को क्या मिला है। इसलिए हम आतंकवादियों के खिलाफ कार्यवाही करने या मुकाबला करने का जहां सदन में चिंतन कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, वहीं सरकार से हम यह भी जानना चाहते हैं कि कश्मीरियों को यह सरकार क्या दे रही है जिससे पूरा कश्मीर आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो सके। हमें विश्वास है कि अगर कश्मीर के लोगों को सभी सुविधाएं मिल जाती तो कश्मीरी ही आतंकवादियों को खदेड़ देते।

यह 1947-48 में जम्मू-कश्मीर के लोगों का ही सहयोग तथा सर्मथन था, जिससे आज दो तिहाई बचा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन अभी तक कश्मीर को कुछ भी नहीं मिल सका है। कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं, पता नहीं किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था में चुनाव होंगे। कहीं ऐसा न हो कि आतंकवादी और हालत खराब कर दें।

जहां तक कालूचक की घटना का सवाल है, मैं इस विषय में बहुत लम्बा नहीं जाना चाहूंगा। जब अमरनाथ यात्रियों पर पहलगाम में हमला हुआ, उस पर चर्चा हुई, वक्तव्य भी दिये गये और उसके पहले कारगिल युद्ध हुआ। उस वक्त हमने दोनों घटनाओं के बारे में विचार व्यक्त किये थे। याद करें विश्व समूह का माहौल भारत के पक्ष में था। युद्ध के बारे में हमने भी कहा था कि सीमापार से प्रयोजित आतंकवाद के शिविरों पर हमला करो। जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो पूरे विश्व समुदाय ने पाकिस्तान की गलती को स्वीकार किया था। उस समय पूरा माहौल भारत के पक्ष में था। हमने भी कहा था कि सरकार सेना को सीमापार भेजने का आदेश दे, तब आपके पास सीमा पार सेना भेजने का मौका था, मगर सेना को रोका गया। अब मौका खतरनाक है। सरकार ने कई बार पाकिस्तान को सबक सिखाने का मौका गंवा दिया वह असली मौका सरकार ने गंवाया और उसके बाद फिर मौका आया, जब जम्मू-कश्मीर असेम्बली पर पहली अक्टूबर, को हमला हुआ और 13 दिसम्बर को संसद पर हमला हुआ, क्योंकि सारी दुनिया ने इसे गम्भीरता से लिया। जब अमेरिका में 11 सितम्बर को वर्ल्ड ट्रेड सैंटर पर आतंकवादी हमला हुआ तो सारी दुनिया उसके साथ खड़ी हो गई, लेकिन हम यह मानते हैं कि 11 सितम्बर से बड़ी घटना जम्मू-कश्मीर की असेम्बली और संसद पर हमला थी। उस वक्त विश्व समुदाय को हमें अपने पक्ष में लेना चाहिए था, लेकिन सरकार नहीं ले सकी यह हमारी असफलता रही। उस समय भी पाकिस्तान पर हमला करने का सही वक्त था और हमने हमले के लिये कहा भी था। वह मौका भी हमने गंवाया और अब वह मौका नहीं मिल रहा है। इसी तरह से हम तमाम चेतावनियां देते जाते हैं कि अब हमारा सब्र का बांध टूटने वाला है और कभी भी टूट सकता है, सब्र का बांध अब टूट गया है, प्रधान मंत्री जी, सब्र का कोई बांध है भी जो टूटेगा और अगर है तो फिर अभी तक क्यों नहीं टूटा? इन चेतावनियों पर अब कोई विश्वास देश की जनता को नहीं रहा है और देश की जनता को आपत्ति तथा अविश्वास भी है। रक्षा मंत्री जी आपने अभी हाल ही में कहा, पहले भी कहा कि यदि सेना को सीमापार जाने की अनुमति दे दी जाए, हमला कर सहते हैं, सेना हमले के लिए तैयार है तो अनुमति किससे मांग रहे हो, प्रधानमंत्री जी हैं, आप सक्षम हैं, फिर आप आतंकवादियों पर हमला करने की किससे अनुमति मांग रहे हो। उसके लिए किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। हम भी रक्षा मंत्री रह चुके हैं। हम उदाहरण देना चाहते हैं कि सीमा पर तनाव की स्थिति में पूरी रात उस समय के प्रधानमंत्री जागते रहे थे, लेकिन उस घटना को हम नही कहना चाहते। उस वक्त इन्ही जम्मू-कश्मीर के सांसदों ने सैनिक कार्यवाही के लिये हमें बधाई दी थी, लेकिन हमने कभी अखबारों में इस प्रकार की चेतावनी नहीं दी थी। आप चेतावनी तो दे चुके हैं, लेकिन अनुमति मांगते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी अनुमति नहीं दे सकते तो जिससे अनुमति मांगनी है, हमें भी बताओं, हम उससे भी सिफारिश करें, हम उससे, भी मिलें। हम जानते हैं कि जिससे आपको अनुमति चाहिए, वह आको

अनुमति नहीं देगा। उसने यह बता दिया कि वह पाकिस्तान की पूरी मदद कर रहा है, हथियार भी दे रहा है और अभी तक पूरी तरह से वह पाकिस्तान के साथ है और उसकी फौज पाकिस्तान में है और वह तालिबान पर कार्यवाही में किये गये पाकिस्तान के सहयोग का अहसान मान रहा है। उसकी मदद से तालिबान और अफगानिस्तान से वहां के आतंकवादियों को तहस-नहस किया है। इन व्यावहारिक बातों पर विचार क्या नहीं करेंगे? क्या अमेरिका आपको अनुमति देगा इसलिए हमने शुरू में ही कहा था कि आतंकवादियों के खिलाफ अपने बलबूते पर ही लड़ना पड़ेगा। अब ऐसा मौका है कि आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, हम जानते हैं कि अमेरिका से आपको अनुमति नहीं मिलेगी। गृह मंत्री जी भी दुनिया को यह बताने में लगे हैं कि आतंकवादियों की पूरी दुनिया को चुनौती है। दुनिया भर की उनको बहुत चिन्ता है, लेकिन हमें हिन्दुस्तान की चिन्ता है। हमें हिन्दुस्तान की आजादी की चिन्ता करनी चाहिए, लेकिन गृहमंत्री जी को दुनिया की बहुत बड़ी चिन्ता है। इतनी गंभीर और महत्वपूर्ण चर्चा के समय भी गृहमंत्री जी सदन में नहीं हैं, वे इसका उत्तर दें।

अमेरिका का हमने साथ दिया, अच्छा काम किया, उसमें हमारी भी सहमति थी, ऐसे मौकों पर हमारा हमेशा समर्थन रहा है, आज भी समर्थन है। अगर आतंकवादियों के खिलाफ कोई प्रभावी कदम सरकार उठाती हैं तो जो भी कदम आप उठाएंगे, समाजवादी पार्टी उसमें पूरी तरह से देश के साथ है। लेकिन अब गृह मंत्री जी कहते हैं कि आतंकवादियों की सारी दुनिया को चुनौती है। अभी अमेरिका की सहायक विदेश मंत्री क्रिस्टीना रोक्का भारत आई थीं तो सरकार को पाकिस्तान के दौरे का विरोध करना चाहिए था, और पाकिस्तान दौरा रद्द करने का दबाव डालना चाहिए था। सहायक विदेश मंत्री से कहना चाहिए था कि इस मौके पर आप जब भारत में दौरे पर हैं और आतंकवादियों ने हमला किया है तो आपको पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए।

अगर आप पाकिस्तान से युद्ध करने की बात नहीं करना चाहते, सेना नहीं भेजना चाहते, मैं खुराना जी को भी बताना चाहता हूं और आप भी जानते हैं कि कई बार ऐसे मौके आए हैं, जब आरपार का फैसला कर लिया जाना चाहिए था। अगर आप युद्ध नहीं करना चाहते, तो एक काम कर दीजिए। आप सिंध नदी का पानी रोक दें, और पाकिस्तान से समझौता तोड़ देना चाहिए। सभी जानते हैं कि हिन्दुस्तान में पानी की कितनी जरूरत है। आज हमारे देश में इनसान प्यासे हैं, जमीन प्यासी है। अगर आप यह काम ही कर देंगे तो आपको युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मामले में हिम्मत करें, हम आपके साथ हैं। आरपार करने वाली बात और सेना को भेजने की बात छोड़ दें, इतना ही काम कर दें। आज बड़बोलेपन से यह काम नहीं हो रहा है। लोक सभा के अंदर आज कोई फैसला होगा, युद्ध की घोषणा होगी, यह यहां नहीं हो सकता और हम ऐसा चाहेंगे भी नहीं कि यहां ऐसी कोई घोषणा हो। अगर हमारी राय चाहिए तो हम आपको देंगे और अपने सुझाव देंगे। हम यहां यह मांग नहीं करते कि यहां पर युद्ध की घोषणा हो। यह घोषणा तो आपको पहले ही कर देनी थी। आपकी कूटनीतिक नीति सफल नही हुई है न ही विदेश नीति सफल हुई है। दुनिया भर की आपको सहानुभूति थी, हमने भी यही शब्द व्यक्त किए थे कि पाकिस्तान पर व्यावहारिक रूप से दबाव पड़ रहा है, आप कुछ करें। गृह मंत्री जी यहां तक कहते हैं कि अमेरिका और इंग्लैंड नाकेबंदी कर सकते हैं, तो आपके भी अमेरिका से सम्बन्ध अच्छे हैं, विदेश मंत्री जी रोजाना वहां जाते हैं, आप क्यों नहीं नाकेबंदी कराते हैं, यह आपको बताना चाहिए। अमेरिका और इंग्लैंड कहां तक आपके साथ हैं? उनका साथ हमने दिया था, हम आज भी आतंकवाद के खिलाफ उनके साथ हैं, लेकिन जिस तरह से आप अमेरिका के साथ खड़े थे, क्या वह भी आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ आपके साथ खडा है? क्या पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा रहा है? और अगर ऐसा कर रहा है तो किस हद तक कर रहा है? यह भी आपको देखना होगा। फिर आपको फैसला करना पड़ेगा कि अमेरिका के और आपके रिश्ते क्या होंगे। इसलिए आज पूरा हिन्दुस्तान आक्रोश में है। बार-बार यह कहना कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, तो पाकिस्तान की ओर से एटम बम का खतरा हो सकता है, इससे हिन्दुस्तान का मनोबल कमजोर किया जा रहा है और इस भय से पाकिस्तान का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। हमारी स्पष्ट राय है कि बार-बार एटम बम का खतरा कहकर हिन्दुस्तान की जनता और सुरक्षा बलों का मनोबल टूट रहा है और पाकिस्तान का बढ़ रहा है। इसलिए पाकिस्तान अपनी हरकतों से एक दिन भी नहीं चूक रहा है। इस घटना पर क्षमा मांगने के बजाय, पाकिस्तान के शासक कह रहे हैं कि यह हमला सुरक्षा बलों के अत्याचार का परिणाम है। यह बात पाकिस्तान कह रहा है। आपको जब मौका आया था सबक सिखाने का, आप नहीं सिखा सके, अब क्या करेंगे। अगर आप कोई मजबूत कदम उठाएंगे तो हम आपके साथ हैं। लेकिन इसके लिए संकल्पशक्ति, राजनीतिक इच्छाशक्ति और पुरूषार्थ चाहिए। लेकिन इस मामले में इस सरकार के पास न तो संकल्पशक्ति है, न राजनीतिक इच्छाशक्ति है और पुरूषार्थ नाम की तो कोई बात ही नहीं है। यह एक सच्चाई है। इसी का नतीजा है कि हम लगातार पिट रहे हैं। वहां से आकर एक आतंकवादी नागरिकों की हत्या करता है, सुरक्षा बलों की हत्या करता है। हम उससे आठ गुना ज्यादा हैं इसलिए आपको कम से कम उनके 16 गुना की हत्या करनी चाहिए, तब कुछ बात बनेगी। इस काम को हमने किया था। अपने रक्षा मंत्री के कार्यकाल में हमें सीमा पर बताया गया कि पाकिस्तान ने नौ भारतीय सैनिकों को मार दिया है, तो हमारे सैनिकों ने उससे कई गुना ज्यादा पाकिस्तानी सेनिकों को मार गिराया था। हमने तब बड़े योजनाबद्ध तरीके से यह

[श्री मुलायम सिंह यादव]

कार्य किया था। कोई बात नहीं की थी, कोई चेतावनी नहीं दी थी। अगर हमारे एक सुरक्षा बल की हत्या होती है तो कम से कम आछ आतंकवादियों की हत्या होनी चाहिए, तब जाकर हिसाब बराबर होगा। इसके अलावा आठ की और करो। हमारे सुरक्षा बलों में काफी पुरूषार्थ है, लेकिन सरकार की इच्छाशक्ति व संकल्पशक्ति नहीं है। कहां तक आप अमेरिका के दबाव में रहेंगे, इस दबाव की वजह से हमारे देश के स्वाभिमान से रक्षा मंत्री जी आप समझौता नहीं कर सकते। आप तो पहले देश की रक्षा के विषय पर काफी बोलते रहे हैं, लेकिन अब रक्षा मंत्री होकर वह प्रतिभा, संकल्प शक्ति और हिम्मत आपकी पता नहीं कहां चली गई। जब चीन से युद्ध हुआ था, उसके पहले डा. लोहिया ने हमें सीमाओं के बारे में बताया था, पडोसियों के साथ भारत की नीति बताई थी। क्या आप वह भूल गए? अब मौका आया था कि एक समाजवादी रक्षा मंत्री बैठा है, शायद वह उस नीति को अपनाएगा जो डा. लोहिया जी ने हमें बताई थी। परन्तु रक्षा मंत्री उन सभी नीतियों को भूल गये हैं।

रक्षा मंत्री जी आपको चाहिए था कि वर्तमान सरकार को उस विदेश नीति के बारे में, पड़ोसी देशों से रिश्तों के बारे में जानकारी दें, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोगों को जानकारी नहीं है, वरना इस तरह से भारत कूटनीति में असफल नहीं होता। विदेश नीति तो नेहरू जी जिस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे के समय में डाक्टर लोहिया जी ने स्थापित की थी। जिसे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने लागू किया था और अब रक्षा मंत्री जी आप कुछ करके दिखाइए तो मुझे बड़ी खुशी होगी।

हजारों लोग भारत में मारे जा चुके हैं दूसरी ओर, अमरीका हमको शांति, धीरज और संयम की सलाह देता है, और यह सरकार अमेरिका की सलाह मानकर भारत को रोज पिटवा रही है। उसी देश के पहले राष्ट्रपति जार्ज वाशिंगटन ने कहा था "युद्ध के लिये तैयार रहना शांति को कायम करने का सबसे प्रभावी तरीका है।" लेकिन हम जिसकी सलाह पर चल रहे हैं, अगर उसके यहां हमला होता है, तो जवाब में हमला होना चाहिए और भारत में हमला होता है, तो हमकों संयम, शांति और धीरज रखने का उपदेश दिया जाता है। जैसा श्री येरननायडू जी ने कहा अमेरिका शक्तिशाली राष्ट्र पाकिस्तान को हथियार भी देगा, बिलियल डालर, भी देगा, मदद भी करेगा, समझौता भी करेगा, उसकी गरीबी भी दूर करेगा, कर्जे माफ भी कर देगा, नवाज़ शरीफ को भी जेल से छुड़वा देगा और एयरपोर्ट पर बुलाकर नवाज शरीफ को छोड़ने का हुक्म भी दे देगा - आप अमेरिका से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद क्यों करते हैं? यह समय है, अमरीका पाकिस्तान पद दवाव डाले। अभी भी मौका है, अगर अमरीका आपके साथ है, तो पाकिस्तान पर दवाब डलवाइए। प्रधान मंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री लगातार कोशिश करते रहे कि पाकिस्तान को दुनिया का आतंकवादी देश घोषित किया जाए, लेकिन पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित नहीं करा सके। आतंकवादी देश की घोषणा तो दूर की बात है, आप तो दबाव भी नहीं डलवा सके। अमरीका और इंग्लैड ने पाकिस्तान पर कोई दवाब नहीं डाला। अब भी मौका है, आप दबाव डलवाइए।

जहां तक गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि इस आतंकवादियों के हमले में पाकिस्तान का हाथ है, अगर इसमें पाकिस्तान का हाथ है, तो आपने क्या फैसला लिया है? बताना चाहिए। अगर नहीं बता सकते हैं, तो हम आपको मजबूर नहीं करेंगे। हमको बुलाकर, यदि हमारे अनुभव एवं सुझाव जानना चाहेंगें तो देश हित में हम अपने सुझाव आपको अवश्य देंगें। यह आरोप नहीं सच्चाई है, पाकिस्तान यह समझ गया है कि हिन्दुस्तान हमारे आतंकवादियों का मुकाबला नहीं कर सकता है, सक्षम नहीं है। इस तरह की भावना पूरे पाकिस्तान के अन्दर, पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के अन्दर है।

[अनुवाद]

सरदार सिमरनजीत सिंह मान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री मुलायम सिंह यादव की बात में व्यवधान डालना चाहता हूं जो विपक्ष के महत्वपूर्ण नेता है। यह वाद-विवाद बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह हमारे जीवन मृत्यु का प्रश्न है। किन्तु मैं देख रहा हूं कि यह सदन इस वाद-विवाद को बहुत गम्भीरतापूर्वक ले रहा हैं। न तो सत्ता पक्ष के नेता यहां उपस्थित हैं और न ही विपक्ष के महत्वपूर्ण नेता यहां पर हैं। इसलिए मुझ जैसे सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जा सकता है जबकि बड़े नेता जैसाकि वे आते हैं, नेताओं का समय बर्बाद करने के बजाए बोल सकते हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको भाषण करने का मौका दे दीजिए। इनके अपने भी अनुभव है, फौज का भी अनुभव है। हम आपको इसके लिये बधाई देंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कैबिनेट मंत्री यहां हैं और लगभग सभी दलों के नेता उपस्थित हैं। आपको भी बोलने का अवसर मिलेगा।

(व्यवधान)

सरदार सिमरनजीत सिंह मान : कोई नेता उपस्थित नहीं हैं... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदय, इनको भी मौका दे दीजिए। हम सरकार की आरती उतारने आए हैं। हम देश के साथ है, देश के सुरक्षा बलों के साथ हैं, पूरे देश को भी साथ में लेकर चलना है, विपक्ष को भी विश्वास में लेकर चलना चाहिए। देश के स्वाभिमान और देश के सम्मान के साथ हम हैं। हम चाहते हैं कि किसी तरीके से शांति हो जाए। समाजवादी पार्टी शांति के पक्ष में है। हम इस महत्वपूर्ण अवं गंभीर विषय पर कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम अपने विचार आपके समक्ष रख रहे हैं हम इस निष्क्रिय सरकार की आरती उतारें, यह हमारे बस की बात नहीं है। हम चाहते हैं कि आज देश की सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लेना चाहिए, जितना देश की सार्वजनिक सम्पत्ति बेचने व निलामी में सरकार व्यस्त है, जबकि सीमओं की रक्षा करने के लिये पूरी शक्ति एवं संकल्प लगाया चाहिए। सरकार ने मारुति कम्पनी का पूरा प्रबन्ध विदेशी सुजुकी कम्पनी को सौंपने का फैसला किया है। अपनी हिस्सेदारी घटा दी है। देश की सम्पत्ति को नीलाम करना देश के साथ विश्वासघात करना है इस सरकार में ना तो देश की सीमाओं की रक्षा करने की संकल्पशक्ति है और ना ही राजनैतिक इच्छाशक्ति और ना ही पुरूषार्थ है। हमारी बहादुर सेना तैयार खड़ी है, आप इस पर जो फैसला लेना चाहेंगे, उसमें समाजवादी पार्टी पूरी तरह से साथ है।

महोदय, आज बजट सत्र का अंतिम दिन है, इसलिए हम इसमें ज्यादा बहस नहीं करना चाहते, लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि अब आपको इन आतंकवादियों के खिलाफ संकल्प पारित करना चाहिए और सीमा सुरक्षा हेतु समय सीमा भी तय होनी चाहिए। हमने अमरनाथ की घटना के समय भी राय दी थी कि अब आप सीमा पार आतंकवादियों के कैम्पों पर हमला कीजिए। आपने वह एक अच्छा मौका खो दिया, आपने कई अच्छे मौके खो दिए। खुराना साहब 1947-48 की बात कर रहे थे। वह इस समय सदन में नहीं हैं, यहां होते तो हम उन्हें बताते कि आपने कहां-कहां भूलें कीं। बहुत बार भूलें हुईं हैं, लेकिन अब भूलें नहीं होनी चाहिए। अब जब पूरा विश्वास आपको देश की सुरक्षा के लिए दिया गया है, अब आप चूकेंगे तो आपकी और सरकार की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि देश की ताकत और फौज आपके साथ है। सरकार आपकी है, हम आपको पूरा समर्थन दे रहे हैं। हमारे कई परिवार के लोग, संबंधी लोग आतंकवादियों से लड़ने के लिए सीमा पर खड़े हैं। अब फैसला सरकार को करना है, हम पूरी तरह देश के साथ हैं। अब अगर आप कोई बहानागिरी करेंगे तो फिर हमें अफसोस होगा, दिक्कत होगी। भारत एक महान राष्ट्र है, इसकी इज्जत एवं प्रतिष्ठा है। हमारे देश की आबादी सौ करोड़ से ज्यादा है। आपकी छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भले ही अच्छी हो जाए, लेकिन देश की जनता की नजरों में आपकी छवि पूरी तरह धूमिल हो चुकी है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए।...*(व्यवधान)* पूर्व में भी एक बार प. नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि सुधारने में लगे रहे और 1962 में चीन से शर्मनाक भारत की हार के बाद उनकी छवि देश की जनता के बीच ध्वस्त हो गई थी। कारगिल का युद्ध हुआ, उसमें भी आप पर थपेड़ा लगा है। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री क्लिंटन ने अपने भाषण में कहा था कि कारगिल में पाकिस्तानी सेना उनके प्रयास एवं निर्देश से वापिस हटी थी श्री क्लिंटन के इस वक्तव्य का खंडन आज तक सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। क्लिंटन साहब ने हमारी बहादुर सेना का मनोबल गिराने का, अपमान करने का काम किया है। यदि पाकिस्तान की सेना कारगिल में पीछे नहीं हटती तब भी हमारी बहादुर सेना एक-दो हफ्ते में पाकिस्तान की सेना को बाहर कर सकती थी।

इसलिए हम आपसे फिर कहना चाहते हैं कि यह सवाल गंभीर है, इसलिए हम इस अवसर पर यही कहना चाहते हैं कि आप कोई प्रभावी कदम उठाएं। आतंकवादियों का पूरी तरह मुकाबला किया जाए। अगर आप कोई प्रभावी कदम उठाएंगे तो उसमें समाजवादी पार्टी और सारा विपक्षी दल आपको पूरा सहयोग एवं समर्थन देगा।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैं आपकी आभारी हूं, आपने मुझे पहले बोलने का चांस दिया, क्योंकि मुझे जाना है। मैं हाउस के हर सदस्य एवं लीडर को बधाई देना चाहती हूं कि जब देश के ऊपर कोई खतरा पैदा होता है तो हम लोग भूल जाते हैं कि हम कौन सी पार्टी के हैं और कौन सी स्टेट के हैं। उस समय हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। यह हमारे देश की परम्परा है और इसी में ही हमारे देश का गौरव है। जब हम कहते हैं कि - "सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा।" हिन्दुस्तान को एक रखेंगे, यह हमारे देश की परम्परा है।

महोदय, आज हम खुश है, क्योंकि आज सत्र का आखिरी दिन है। इस समय हर व्यक्ति ने एक साथ मिल कर एक रेजोल्यूशन पास करने के लिए उम्मीद की है।

सर, यह वही देश है जिस देश में गंगा बहती है लेकिन आज आतंकवादियों के कारण इस देश में खून बह रहा है, पाकिस्तान के कारण आज इस देश में महिलाओं, बच्चों और आर्मी के जवानों का खून बह रहा है। जम्मू में महिलाओं, बच्चों और आर्मी के लोगों व उनके परिवार को लोगों को आतंकवादियों ने मारा, वे सब बेकसूर हिंदुस्तानी थे। आतंकवादियों का यह कदम पाशविक, अमानवीय, असहनीय और एक जघन्य अपराध है जिसकी मैं घोर निंदा करती हूं। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि जो जवान हमारे देश

[कुमारी ममता बनर्जी]

के लिए लड़ता है उसके परिवार की रक्षा करना, उसके परिवार की देखभाल करना, उसके परिवार को प्रोटैक्शन देना हमारा कर्तव्य है। जब जवान लड़ता है तो वह अकेला नहीं लड़ता है, उसके साथ देश की सौ करोड़ जनता भी दिल से लड़ती है, सौ करोड़ जनता उसका दिल से सपोर्ट करती है। इसलिए देश के जवानों की मदद करना हम सब का कर्तव्य है।

यह सही है कि "हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती।" इसमें राज क्या है? हमारे माननीय प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी शांति-वार्ता के लिए लाहौर गये, उसके बाद आगरा शिखर-वार्ता में भी उन्होंने कोशिश की कि शांति-वार्ता सफल हो और दोनों देशों में शांति का वातावरण तैयार हो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? हम देखते हैं कि 11 सितम्बर को अमरीका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हुआ। हमारे देश ने भी दुनिया के सारे देशों के साथ मिलकर उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना की थी। उसके बाद एक फ्रंट ग्लोबल टैरेरिज्म के खिलाफ बना तो हमें कहना चाहिए था कि अगर किसी भी देश में क्रॉस-बार्डर टैरेरिज्म का कोई काम हो तो हर देश उसकी खिलाफत करेगा और जिस देश पर आतंकवादियों का हमला होगा, उसकी मदद करेगा। चाहे कंधार हो, अमरीकन सेंटर हो, भारतीय संसद हो, जम्मू-कश्मीर विधान सभा हो, आतंकवादियों ने हमला किया है। कभी कश्मीर में, कभी पंजाब में, कभी राजस्थान में, और कभी बंगाल में आतंकवाद की घटनाएं होती है। आज विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि ह्यूमन-बम, स्यूसाइडल-बम से हम अपने को किस प्रकार बचा सकते हैं, इस पर भी हमें कोई स्ट्रैटेजी बनाने की आवश्यकता है।

आतंकवाद के कारण हमारे देश की प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी मारे गये, बेअंत सिंह जी मारे गये, हजारों जवान शहीद हुए लेकिन आज भी हम इन आतंकवादी लोगों को काबू नहीं कर पाए हैं। पाकिस्तान में कुछ होता है तो अमरीका उसकी बहुत मदद करता है लेकिन जब पाकिस्तान हमारे देश पर अटैक करता है तो अमरीका का क्या रोल होता है, इसे भी हमें देखना होगा। क्रॉस-बार्डर टैरेरिज्म पर एक यूनिफोर्म-पॉलिसी होनी चाहिए। हमें यह भी देखना होगा कि ये जो आतंकवादी संगठन हैं ये अपने नाम बदलते रहते हैं। लश्करे-तयैबा आये दिन अपना नाम बदल लेता है। कोई दिन उसका नाम राम हो जाता है तो कोई दिन रहीम हो जाता है तो कोई दिन कुछ और हो जाएगा। वे नाम बदलकर मर्डर करते हैं, बेगुनाह लोगों को मारते हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि कितने दिनों तक यह चलेगा? अब यह नहीं चल सकता है। हम लोग देश की सिक्योरिटी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। आज देश से यह मैसेज जाना जरूरी है।

[अनुवाद]

हम इन बातों को बर्दाश्त करने वाले आखिरी लोग हैं। हम किसी भी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे।

[हिन्दी]

पाकिस्तान क्या सोचता है कि उसी के पास बम है, हमारे पास भी है लेकिन हम शांति चाहते हैं और हमारी सौ करोड़ जनता के पास जो दिल है वह बम से भी ज्यादा बड़ा है। हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, खून बहाना नहीं चाहते हैं क्योंकि यह हमारी परम्परा में है कि हम शांति चाहते हैं। पाकिस्तान अगर सोचता है कि वह कश्मीर को छीन लेगा तो हम उसे बताना चाहते हैं कि हम कश्मीर को किसी भी कीमत पर नहीं देंगे, वह हमारा धरती पर स्वर्ग है। सरकार को आतंकवाद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

[अनुवाद]

पाकिस्तान अपनी प्रवृत्ति नहीं बदलेगा। यह स्पष्ट है। पाकिस्तान हत्याएं करना बंद नही कर रहा है। यह गलत बात सोची जाती है कि आई एस आई का अर्थ है सभी मुस्लिम। यह ठीक नहीं हैं।

[हिन्दी]

वह कभी-कभी नाम बदल देते हैं, टाइटल बदल देते हैं प्लेस भी बदल लेते हैं। आज की तारीख में यह उनका नया तरीका है। देश को प्यार करने वाले माइनॉरोटीज को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। फारूख अब्दुल्ला कौन थे, शाहनवाज कौन थे, बहादुर शाह ज़फर कौन थे, ये सब मुस्लिम थे। "सारे जहां से अच्छा" किस ने लिखा और वह कौन थे? वह इकबाल थे। हमें डिवाइड ऐंड रूल करने की कोशिश हो रही है। देश हित में इसे रोकना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि दुनिया में यह सन्देश जाना चाहिए कि हम एक हैं। यदि हम एक नहीं हैं तो हम युद्ध नहीं लड़ सकते। कल प्रधान मंत्री जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति से बात की है। हम इसके लिए प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका की विशिष्ट भूमि के बारे में जानना चाहते हैं। हमारे देश से कोई टकराएगा तो हम भी उससे टकराएंगे। हम किसी से टकराना नहीं चाहते लेकिन यदि हम से कोई टकराएगा तो हम उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम डरते नहीं है। हम देश के लिए मर-मिटने के लिए तैयार हैं। हम एक साथ मिल कर जिन्दगी निभाते हैं। डरना हमारा काम नहीं है। हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम उपयुक्त कार्रवाई करेंगे।

देश की परम्परा को बचाने के लिए इस मामले में इकट्ठे होकर निर्णय लेना पड़ेगा जिससे फिर खतरा पैदा न हो सके। तृण मूल कांग्रेस और दूसरी सभी पार्टियों ने कहा है कि हम इस मामले में सरकार के साथ हैं और इस मामले में सरकार ने जो कदम उठाना है, वह उठाए और एक्शन ले। हम हर रोज मरने के बदले एक दिन मरने के लिए तैयार हैं और हर सैंकिंड मरने के लिए तैयार हैं। अगर लड़ाई करनी है तो एक साथ लड़ेंगे, और एक साथ मरेंगे।

"जब घायल हुआ कारगिल, खतरे में पड़ी आजादी,
जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी,
संगीन पे धर के माथा, सो गए अमर बलिदानी,
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुबानी।"

हम इस मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जो भी डिसीजन लेना है, उसे स्ट्रौंग ढंग से लीजिए। हम इस मामले में आपके साथ हैं लेकिन अगर कोई कहे कि आप चुप हो जाओ, हम शांति का वातावरण पैदा करते हैं, हम कितने दिन उनकी यह बात सुनेंगे। उनकी यह बात सुनते-सुनते मासूम लोगों ने अपनी जान दे दी। आज सुनने का दिन नहीं है, कामयाबी का दिन है। आज कुछ करने का दिन है। इसके पहले 1962 में इंडो-चीन वार हुई। 1971 में बंगला देश फ्रीडम मूवमैंट में हमने उनका साथ दिया। इंडो-पाक वार 1965 में हुई थी। हमने उसमें सरकार का साथ दिया था। चाहे अफ्रीका मुक्ति आन्दोनल हो या दूसरा कोई मस्जिद का आन्दोलन हो, हमने हर तरह से सरकार का साथ दिया।

[अनुवाद]

इसलिए इस संसद के माध्यम से हम भारत के रूख का समर्थन करने हेतु विश्व बिरादरी से अपील करते हैं क्योंकि भारत किसी पर आक्रमण नहीं कर रहा है। किन्तु कोई पाकिस्तान पर आक्रमण कर रहा है। वे प्रतिदिन भारत पर हमला कर रहे है। यह बंद किया जाना चाहिए। अथवा, हम इसे सहन नहीं कर सकते। यह सन्देश विश्व में जाना चाहिए क्योंकि विश्व हमारा परिवार है। यह हमारा प्रिय घर है। उन्हें हमारा समर्थन करना चाहिए क्योंकि हम उनका समर्थन करते हैं।

इन शब्दों के साथ मुझे यह अवसर प्रदान करने हेतु में आपका धन्यवाद करती हूं।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : उपाध्यक्ष महोदय, संसद में यह पहला मौका नहीं है जब इस तरह के किसी वाकये पर बोला जा रहा हो। अब इस तरह के वाकयात सुनते-सुनते हमारे कान थक चुके हैं। इतने वाकयात देश में हुए जिन में मासूम बच्चे, औरतें और बेगुनाह इंसान मारे जाते है।

देखकर बेइंतिहां दुख होता है और ऐसा महसूस होने लगा है कि शायद टैररिस्ट्स हम सभी से ज्यादा ताकतवर हैं।

"इस शहर के कातिल को देखा तो नहीं मैंने,
मक्तल से छलकता है कातिल की जबानी"

ऐसा महसूस होता है कि कातिल हम सब लोगो से ज्यादा मजबूत है। होम मिनिस्ट्री के पिछले रिकार्ड के हिसाब से 20 अप्रैल, 1999 से लेकर 19 दिसम्बर, 2000 तक करीब-करीब 50 बड़े इन्सीडैन्ट्स हुए है।

[**श्री बसुदेव आचार्य** *पीठासीन हुए*]

अपराह्न 2.45 बजे

उनके अंदर सिक्युरिटी फोर्सेज के लोग मारे गये, बेगुनाह सिविलियंस मारे गये, मासूम बच्चे और औरतें मारी गई। होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के हिसाब से करीब-करीब 15 से 20 हजार लोग विदेशों से हमारे मुल्क में आये हुए हैं, जो इस देश के अंदर आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे है। करीब-करीब पिछली एक डिकेड के होम मिनिस्ट्री के रिकार्ड के हिसाब से 24 हजार सिविनियंस मारे गये। होम मिनिस्ट्री के रिकार्ड के हिसाब से कश्मीर के यूथ्स का आतंकवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं होम मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि ये भी गौरतलब है, इसे भी हमें सोचना पड़ेगा कि कश्मीर के यूथ्स को किस तरह बाहर की ताकतें इस्तेमाल कर रही हैं। हमें उन वजूहात को भी देखना पड़ेगा कि किन वजूहात की वजह से वहां के यूथ्स टैररिस्ट्स और टैररिस्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस के हाथों में ये खेल रहे हैं।

सभापति महोदय, जो वाकया जम्मू में हुआ है, यह कोई मामूली वाकया नहीं है। आतंकवाद से लड़ने के लिए पूरा मुल्क एक आवाज में खड़ा है। यह मसला मजहब और धर्म के अंदर बंटा हुआ नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आतंकवाद की इस लड़ाई में पूरा मुल्क आपके साथ है। यहां हिन्दु-मुस्लिम का सवाल नहीं है। यह मुल्क हम सबका है और जब मैं कहता हूं कि हम सबका है तो हम सबका मतलब है ह, म, स, ब, हम सबसे हिन्दुस्तान बनता है। ह से हिन्दू, म से मुसलमान, इन दोनों से हम बनता है। स से सिख और ब से बाकी सब बनता है और जब सब मिलते हैं तो हम सब बनता है और हम सब से हिन्दुस्तान बनता है। जब तक हम सब इकट्ठा रहेंगे, हिन्दुस्तान मजबूत रहेगा। अगर यह मुल्क ही नहीं रहेगा तो न सेक्युलरिज्म रहेगा और जम्हूरियत रहेगी। अगर मुल्क ही नहीं रहेगा तो हममें से कोई भी नहीं रहेगा।

[श्री राशिद अलवी]

लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर बार आतंकवाद का कोई वाकया इस मुल्क में होता है, हम लोक सभा की इस चारदीवारी के अंदर इकट्ठे होकर तकरीरें करते हैं और अफसोस का इजहार भी करते हैं - ''ए अन्दलीब मिल के करें आहों जारियां'' हम एक दूसरे से बात करके तकलीफ का हजहार कर लेते हैं- लेकिन यह कब तक चलेगा। हर बार वे लोग आते हैं और लोगों को मारकर चले जाते हैं। हम लोग इकट्ठे होकर अपनी तकलीफ का इजहार करते हैं और उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। करीब-करीब पिछले छः महीनों से हिन्दुस्तान की फौजें सरहदों पर लगी। मैं फौजी वाकयात का कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर शायद ऐसा वाकया कम आया हो कि जहां छः महीनों से पूरे मुल्क की फौजें सरहदों पर लगा दी गई हों और जिसका कोई नतीजा न निकलता हो। आज पूरी फौजें सरहदों पर लगी हैं। पुलिस कश्मीर के अंदर एक्टिव है। एक आम आदमी आपसे पूछना चाहता है कि आप सारी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरी फौजी ताकत, पुलिस की ताकत, सरकार की ताकत आतंकवाद को मिटाने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी का इससे कोई वास्ता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं वह आपसे सवाल करता है कि इसका नतीजा क्या निकल रहा है।

उस पूरी ताकत से किस नतीजे पर आप पहुंचे। मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि यह नेशनल इश्यू है, किसी पार्टी का इश्यू नहीं है। इससे मुल्क डीमॉरलाइज हो जाएगा और अगर कोई मुल्क डीमॉरलाइज हो जाए तो उसके आगे सिर्फ अंधेरा होता है, रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आती। बहुत सारे फौजियों से मेरी बात हुई। वे लोग परेशान हैं। राजस्थान में मुझे बताया गया कि वे टैंक लेकर रेगिस्तान में इधर से उधर घूम रहे हैं पेड़ के साये की तलाश में कि कहीं कोई पेड़ का साया मिल जाए और किसी तरह से सुबह से शाम तक वक्त निकाल दें। हमारी फौजे डीमॉरलाइज हो जाएंगी और अगर ऐसा हो गया तो उसके नतीजे बहुत खतरनाक निकलेंगे। यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम किसी नतीजे पर पहूंचने में नाकाम रहे हैं। यह हमारे नाकारापन का नतीजा है।

''एक नाकारा सिपाही सर्ब-ए-राहे जंग था,
खुद तो वह मारा गया हम बेसबब मारे गए।''

कहीं इसका नतीजा ऐसा न निकल जाए। हमें ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। बार-बार कहा जाता है कि अमेरिका इसमें हमारा साथ देगा या नहीं। मैं कल भी कहता था और आज भी कहता हूं कि हमें किसी दूसरे मुल्क के ऊपर डिपेन्ड नहीं करना चाहिए। टैररिज्म की लड़ाई इस मुल्क की लड़ाई है, अमेरिका की लड़ाई नहीं है। अमेरिका की जो लड़ाई थी, वह अमेरिका ने लड़ी - अफगानिस्तान के साथ लड़ी और पूरी दुनिया देखती रही-किसी ने हिमायत की और किसी ने खिलाफत की, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की। उसने जो करना था, अफगानिस्तान में किया, उसे जो करना था, ईराक में किया। वह किसी पर डिपेन्डेन्ट नहीं था। अमेरिका पर डिपेन्ड मत कीजिए और उसके इस काम से सबक हासिल कीजिए। यह लड़ाई हिन्दुस्तान की है और वह हमें लड़नी पड़ेगी। इसमें कोई हमारा साथ देता है तो अच्छी बात है और कोई नहीं देता है तब भी बहुत अच्छा हैं। हमें अपने करीबी मुल्कों से, अपने सब्कॉन्टीनेन्ट के जो ऐडजाइनिंग कंट्रीज हैं, उनसे हमें जरूर बात करनी चाहिए, उनसे अपने रिश्तों को हमें इंप्रूव करना चाहिए। पूरी दुनिया में अगर वे हमारे साथ खड़े होकर एक जुबान बोलेंगे कि हां यह आतंक इस मुल्क में फलां-फलां कंट्री फैला रहे हैं तो उसका नतीजा निकलेगा और पूरी दुनिया सुनने के लिए मजबूर होगी। इसलिए आप ठोस कदम उठाइए।

अमरीका अफगानिस्तान में कामयाब हुआ, ईराक में कामयाब हुआ, लेकिन वियतनाम में कामयाब नहीं हुआ। वियतनाम में इसलिए कामयाब नहीं हुआ कि अमरीका ने तय कर रखा था कि किस हद तक जाना है और उस हद से आगे नहीं जाना है, नॉर्थ कोरिया में नहीं घुसना है और जब रिज़र्वेशन होता है, जब यह तय कर लें कि इस लाइन से आगे नहीं जाना है, तब कामयाबी नही मिलती। वियतनाम में अमेरिका को फेल होना पड़ा था। हमें तय करना पड़ेगा कि किसी भी नतीजे पर, किसी भी लाइन को क्रास करना पड़े हमें करना पड़ेगा, लेकिन इस आतंक को खत्म करना होगा। खबरों के जरिये मैंने पढ़ा कि जनरल विज दो कदम आगे बढ़ गए थे। उनको वापस बुला लिया गया। आपने ठीक किया या नहीं, यह मैं नहीं जानता, सरकार इस बात का फैसला करे, लेकिन आम आदमी सोचता है कि यदि कोई आदमी दो कदम आगे बढ़कर मुल्क को बचाने की कोशिश करता है तो उसकी लगामें खींच दी जाती हैं। इससे फौज और मुल्क डीमॉरलाइज होता है।

मैं अपनी बात लंबी नहीं करना चाहता हूं लेकिन आपसे सिर्फ इतनी दर्खास्त करना चाहता हूं कि अब पानी सिर से ऊपर चला गया है। हमें किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी पूरी कूवत और ताकत के साथ इस मामले में सरकार के साथ है कि आप आगे बढ़िये, टैररिज्म को खत्म करने के लिए जो कदम आप उठना चाहें, वह उठाइए। चूंकि हमारी राय है कि अगर कोई बच्चा यतीम हो जाता है, उसके माँ और बाप मारे जाते हैं तो उस बच्चे की जुबान से निकली हुई आह आसमान को फाड़ सकती है, आतंकवादियों की तो हैसियत ही क्या है। कोई औरत अगर बेवा हो जाती है तो मोहल्ले की औरतें आकर उसकी कलाई की चूड़ियों को तोड़ने की कोशिश करती है तो वह सिर्फ चूड़ियां तोड़ने का नहीं

बल्कि उसके सुहाग को तोड़ने का ऐलान होता है उन चूड़ियों के टूटने की आवाज से हिमालय जैसा पहाड़ भी फट सकता है, आतंकवादियों की तो हैसियत ही क्या है।

मैं आपसे दर्ख्वास्त करना चाहता हूं कि आप कदम उठाइए। पूरा मुल्क आपके साथ है। तमाम राजनैतिक दल आपके साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी आपके साथ है। मैं पूरे मुल्क और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सिर्फ एक शेर अर्ज कर के बैठ जाना चाहता हूं। यदि एक बात को बार-बार कहते रहें और उस पर अमल न करें, तो बात का वजन खत्म हो जाता है।

कुछ न कहने से भी छिन जाता है ऐजाजे सुखन,
जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है।

श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग) : सभापति जी, चौ. तालिब हुसैन जी ने इस मसले पर बोलने के लिए तीन नोटिस दी थीं, फिर यह फैसला किया गया कि जनरल बजट के दौरान जिन्होंने नोटिस दिए हैं, उन्हें बोलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन उनको समय नहीं दिया गया। इसलिए मेरी इल्तजा है कि नैशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से चौ. तालिब हुसैन को बुलाया जाए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : बुलाया जाएगा। आप बैठिए।

[illegible]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : सभापति जी, 14 मई, 2002 को जम्मू के कालूचक गांव में बस यात्रियों पर हुए हमले में 11 महिलाएं, 10 बच्चे और सेना के कई जवानों की आतंकवादियों ने जिस निर्ममता से हत्या की, उसकी निन्दा सारा सदन एक स्वर से कर रहा है।

सभापति जी, जब इस सदन में गुजरात पर चर्चा हो रही थी तब जिस बात को मैंने सदन में कहा था, उसी बात को आज मैं फिर दोहराना चाहता हूं। आतंकवादियों द्वारा जो हत्याएं की जा रही हैं, चाहे वह अमरनाथ यात्रा की घटना हो, जम्मू-कश्मीर विधान सभा पर हमला हो, संसद भवन पर हमला हो या 14 मई की कालूचक, जम्मू की घटना हो, ये सारी घटनाएं, केवल आतंकवादी घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये घटनाएं पाकिस्तान की ओर से चलाया जा रहा अघोषित युद्ध है और इसलिए इन सारी आतंकवादी घटनाओं को सरकार को एक तरफ से युद्ध की नजर से देखने की आवश्यकता है।

महोदय, जब 11 सितम्बर को अमरीका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टॉवरों को आतंकवादी कार्रवाई के कारण हवाई जहाज के जरिए उड़ाया गया, उस घटना में 4000 से ज्यादा लोग मारे गए। उस घटना के तुरन्त बाद अमरीका की ओर से घोषित किया गया कि यह अमरीका के खिलाफ युद्ध है और इसे अमरीका ने युद्ध के तौर पर लेकर तालिबान के खिलाफ कार्रवाई की, अलकायदा के खिलाफ कार्रवाई की और अफगानिस्तान से युद्ध छेड़ा। सारी दुनिया इस युद्ध को देखती रही। इस प्रकार से अमरीका ने बड़ी दृढ़ता से आतंकवाद का मुकाबला किया। आज समय आ चुका है जब इन आतंकवादी घटनाओं का जवाब दिया जाए। जब कोई भी आतंकवादी घटना देश में होती है, उस पर हम इस सदन में बहस करते हैं, चर्चा करते हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

सभापति जी, मैं ग्यारहवीं लोक सभा से इस सदन का सदस्य हूं और ग्यारहवीं लोक सभा से लेकर आज तक हर सत्र में हमने सदन में आतंकवाद पर चर्चा की है। कभी एक सत्र में एक बार, कभी एक ही सत्र में दो बार, कभी एक ही सत्र में तीन-तीन बार भी हमने आतंकवाद पर चर्चा की है। जब कारगिल का युद्ध हुआ, उस समय कारगिल के युद्ध में हमारे देश के जवानों ने बलिदान देकर बड़ी हिम्मत के साथ हिन्दुस्तान की भूमि की रक्षा की। उस समय लग रहा था कि अब इसके बाद आतंकवादी गतिविधियां कम होंगी।

सभापति जी, जब वर्ल्ड ट्रेड सैंटर की घटना हुई और अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया, तालिबान के खिलाफ, अल-कायदा के खिलाफ कार्रवाई की तब समझा जा रहा था कि अब आतंकवादी गतिविधियां जम्मू-कश्मीर में कम होंगी, लेकिन दुर्भाग्य है कि आतंकवादी गतिविधियां कम होनेकी बजाय बढ़ने लगीं। उसके बाद श्रीनगर विधान सभा पर हमला हुआ, लोक सभा पर हमला और अब कालूचक की यह घटना हुई। इसलिए इसे आतंकवादी गतिविधियां न मानकर, पाकिस्तान द्वारा चलाया जा रहा अघोषित युद्ध मानकर, हमें इन आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता है।

आज सारे सदन ने इस प्रश्न पर सरकार को समर्थन देने की बात यहां की है। आज किसी भी प्रकार की राजनीति यहां नहीं हो रही है। मैं इसे मानता हूं और मेरा मानना है कि जब एक होकर हम आज आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गये हैं तो अवश्य ही इसका असर आतंकवादियों पर होगा। आज देश एक होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। सरकार की ओर से बार-बार कहा जा रहा है, बार-बार इस सदन में बताया जा रहा है कि जो भी आतंकवाद चलाया जा रहा है, वह सीमा पार से चलाया जा रहा है।

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

सभापति जी, हमने आज अखबारों में एक खबर पढ़ी है कि हमारे प्रधान मंत्री जी की अमेरीका के प्रैजीडेंट श्री जार्ज बुश से टेलीफोन पर बात हुई। श्री जार्ज बुश ने संयम बरतने के लिए कहा तो प्रधान मंत्री जी ने कहा कि अब संयम बरतने का समय नहीं रहा, अब जवाब देने की आवश्यकता है। यदि जवाब देने की आवश्यकता आ पड़ी है, जिस प्रकार से हमारी महिलाएं, बच्चे और जवान जिस निर्दयता और निर्ममता के साथ मारे जा रहे हैं, युद्ध में भी जितने जवान काम नहीं आए, उससे ज्यादा जवान आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गये।

हमारा कहना है कि आज केवल एक स्टेट जम्मू-कश्मीर ही पीडित असफल नहीं है बल्कि जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ सारे देश को इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। उसका असर सारे देश में हो रहा है। मेरा यह सुझाव है कि यदि आतंकवाद सीमा पार से है तो उस के खिलाफ कार्रवाई भी सीमा पार ही होनी चाहिए। मुझे यही कहना है।

[अनुवाद]

श्री के. मलयसामी (रामनाथपुरम) : सभापति महोदय, इस आम मुद्दे पर आज के अन्य वक्ताओं के साथ मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। प्रारंभ में, मैं उन वक्ताओं का समर्थन करता हूं जिन्होंने आज बोला और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा 14 मई को किए गए वीभत्स, अन्धाधुन्ध और नृशंस हमले की निन्दा करने में हम एक हैं।

कई वक्ताओं ने इस आम मुद्दे के समर्थन में बोला है। जहां तक हमारा संबंध है और जहां तक इस मुद्दे का संबंध है, हम विश्वास के साथ साफ-साफ कहना चाहते हैं कि हम भारत सरकार के साथ हैं और भारत सरकार के लिए हैं। ऐसा करते समय हमारी आपत्ति इस बात पर है कि क्या अब तक की गई कार्रवाई प्रर्याप्त है, क्या यह प्रभावी थी, क्या यह प्रर्याप्त थी। उस पर, हम में से कई लोगों को आपत्ति है और कई वक्ताओं ने यह विचार भी व्यक्त किया है कि यह पर्याप्त नहीं थी। इस तरह से हम महसूस करते हैं कि पूरे मुद्दे पर पुनादृष्टि डालनी होगी।

जहां तक पाकिस्तानी आतंकवादी गतिविधियों का संबंध है, यह एकमात्र उदाहरण नहीं है। बल्कि समय-समय पर ऐसा कई बार दुहराया गया है। हम इसका विरोध करते रहे हैं। हम अपने वक्तव्य देते रहे हैं और वे अपना स्पष्टीकरण देते रहे हैं। यह औपचारिकता या यह प्रक्रिया अंतहीन रूप में जारी है। इन सब चीजों को देखने के बाद हम एक खास विचार बनाने में समर्थ हैं।

जहां तक हमारी पार्टी ए.आई.ए.डी.एम.के. का संबंध है, हमारी नेता सुश्री जयललिता, के विचार बहुत ठोस एवं स्पष्ट रहे हैं। जहां तक उनका संबंध है, उनकी निर्णयात्मकता और साहस अदभुत है।

मुझे उनके वक्तव्य के उस अंश को उद्धृत करने की अनुमति दी जाए, जो इस मुद्दे के संबंध में बहुत अधिक प्रासंगिक है। उन्होंने कहा है:

''गत वर्ष जम्मू और कश्मीर विधान सभा पर भयानक हमले और उस के बाद भारतीय संसद पर नृशंस हमले के पश्चात पाकिस्तानी आतंकवादियों ने इस बार जम्मू में हमारे सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों पर हमला किया है। पिछले दोनों हमलों में भारत मौन रहा-'' जिसे मैंने पहले ही स्पष्ट किया है-'' अब जम्मू में किए गए हाल के हमले के बाद मैं महसूस करती हूं कि धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है। अब ठोस एंव निवारक कार्रवाई का समय है। भारत सरकार को जबाबी कार्रवाई करने और पाकिस्तान को अविस्मरणीय सबक सिखाने का निर्णय लेना चाहिए। मुझे आशा है भारत सरकार इससे पहले कि बहुत देर हो जाये, आवश्यक कार्रवाई करेगी,''

उन्होंने आगे कहा है:

''पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध बनाये रखना निरर्थक बना दिया है। वस्तुत:, पाकिस्तान ने 'कूटनीतिक संबंध' शब्द का ही मजाक बना दिया है। अब भारत के लिए पाकिस्तान से अपने कूटनीतिक संबंध तोड़ने और उसके खिलाफ पूर्ण युद्ध का एलान करने का समय आ गया है यदि भारत सरकार ऐसा समयानुसार और निर्भीक निर्णय लेती है तो पूरा राष्ट्र एकजूट होकर उसके पीछे खड़ा होगा।''

उन्होंने आगे कहा है:

''हमने इस तरह की नृशंस घटनाओं एवं हत्याओं को बहुत झेला। जब भी कोई ऐसी घटना घटती है भारत सरकार पाकिस्तान पर दोष मढ़ देती है। तब पाकिस्तान सरकार इस तरह के आरोप के पिछे भारत की सोची-समझी चाल करार देते हुए वक्तव्य जारी कर देती है। इसके अलवा पाकिस्तान इन पैशाचिक गतिविधियों को स्वतंत्रता और आत्म-निर्णय की कार्रवाई बताकर प्रत्येक बार इससे बचने की कोशिश कर रहा है। पश्चिमी राष्ट्र इन आतंकवादी गतिविधियों की निंदा करके संतुष्ट हो जाते हैं। भारत के राजनीतिक नेता रोष प्रकट करते हैं और आगे कुछ नहीं होता। दुर्भाग्यवश, कुछ दिनों बाद इन घटनाओं को सभी भूल जाते हैं।

जम्मू और कश्मीर में इस हिंसा को हम कब तक होने देते रहेंगे? वस्तुत: कश्मीर में जो हो रहा है, वह पाकिस्तान द्वारा किया जा

रहा छद्म युद्ध है जो अलगाववाद को प्रोत्साहित कर रहा है। यदि उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो जम्मू और कश्मीर के लोग भारत के हिस्से के रूप में शांति से रहना चाहते हैं, भारत सरकार सिर्फ जोशीला वक्तव्य देकर आतंकवाद से नहीं लड़ सकती। शब्दों को कार्यों से मेल रखना चाहिए...।''

''..... कश्मीर में हमारे बहादुर सैनिकों को चुपचाप बैठाकर बलि चढ़वाने का कोई मतलब नहीं है। पूर्व में हुए ऐसे प्रत्येक आतंकवादी हमलों के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सीमावर्ती चौकियों को बर्बाद कर देना चाहिए था। उन चौकियों से आने वाले गोले ही भारत में घुसपैठ करने के लिए इन आतंकवादियों को शक्ति प्रदान करते हैं।

अब पूरे विश्व को इस बात पर विश्वास हो गया है कि कश्मीर में इस अंतहीन हिंसा को कश्मीर से ही सैनिक और संभार तन्त्रीय सहायता प्रदान की जा रही है। यही समय है कि भारत सरकार इस सच्चाई को समझे कि पाकिस्तान के साथ हमारा संबंध कभी भी सौहार्दपूर्ण नहीं हो सकता।''

अंत: में उन्होंने कहा है:

'' अब समय आ गया है कि हम वास्तविकता का सामना करें, पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंध तोड़कर पूर्ण युद्ध छेड़ें।''

हमारी नेता की यही राय है और हमारी ए.आई.ए.डी.एम.के. पार्टी की भी यही राय है। अब, आपके लिए कड़े निर्णय, लेने का समय आ गया है। आपका जो भी विश्लेषण हो, मैं कहूंगा कि आपको एस.डब्ल्यू.ओ.टी. अर्थात दोनों तरफ की शक्ति, कमजोरो अवसरों और आशंकाओं का यथा शीघ्र विश्लेषण करना चाहिए।

अब हमलोग अपनी शक्ति की परीक्षा करें। जहां तक हमारी शक्ति का संबंध है, हम आकार में बड़े हैं, हमारे पास विशाल जनसंख्या और शक्तिशाली सैन्य बल भी है। हर तरह से हम मजबूत हैं। हमारी शक्ति की तुलना में, पाकिस्तान बौना है। हमारी कमजोरी बहुत थोड़ी है, हमारे पास विपुल अवसर हैं और आशंका भी अत्यल्प है।

विश्व जनमत जो भी हो और अन्य परिस्थितियां जो भी हों, हमें कड़े निर्णय लेने की जरूरत है जिसके लिए सरकार की ओर से राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है। एक बार आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति बन गई तो उस इच्छा शक्ति को लागू करने की कुशलता भी आ जाएगी। जब इच्छा और कुशलता दोनों आजाएगी तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। इसलिए, आपको निर्णय लेना होगा।

इन्हीं चंद शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य (प्रो. चमन लाल गुप्त) : सभापति जी, मैं 15 तारीख को मौके पर गया था। जो भी आदमी वहां पर जायेगा, उस सीन को देखेगा, वह अपने आपको संभाल नहीं पायेगा। वे सैनिक जो बोर्डर पर खड़े थे, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे थे, वे अपने छोटे-छोटे बच्चों का, अपनी बीवियों का अन्तिम संस्कार करने के लिए वहां पर आये हुए थे। उनके मन पर क्या बीत रही थी, वे क्या सोचते थे, जब आप मिलेंगे तो आपको वह बात समझ में आ सकती है।

वहां हर आदमी यह महसूस कर रहा था इन सैनिकों के बच्चों को भी हम सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे, माताएं उनको तैयार कर रही थीं, तब उग्रवादी उनके घरों में जाकर घुसे हैं और एक-एक घर में जाकर सीधे उन्होंने बच्चों को या महिलाओं को निशाना बनाया है। वे एक के बाद दूसरे घर में घुसते हुए नौ घरों में गये हैं। नौ परिवारों में उन्होंने इस तरह से एक के बाद दूसरे परिवार में जाकर किसी न किसी को या तो मारा है या जख्मी किया है।

यह बात भी पक्की है कि वे लोग पाकिस्तान से आये हैं। आज पेपरों के अन्दर उनके नाम छपे हैं कि किस तरह से उन्होंने बोर्डर क्रास किया है, यह सारी बात सामने आई है। हमारा बोर्डर बहुत लम्बा-चौड़ा है, पोरस है, हर इंच के ऊपर वहां कोई सिपाही नहीं बिठाया जा सकता। कोई भी व्यक्ति अगर चाहेगा तो वह बोर्डर क्रास कर सकता है। जो मैं महसूस कर रहा हूं, पाकिस्तान आज से नही, पिछले 12 सालों से प्रॉक्सी वार में अपने आपको मुलव्विस किये हुए है।

उसमें उसकी एक प्रकार से दोहरी स्ट्रेटेजी है। आज के सारे मिलिटेंट्स कश्मीर की धरती के अंदर आपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी बात पक्की है कि किसी समय कश्मीर का नौजवान उनका साथ दे रहा था। आज वह बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। आज जितने भी मिलिटेंट्स आपरेट कर रहे हैं, वे फारेन मिशनरीज हैं और मरने के लिए आते हैं। मैं समझता हूं जो उनका निशाना है कि किसी भी समय वह भी महसूस करते हैं कि हिन्दुस्तान के साथ उनको लड़ना पड़ेगा। उस समय के लिए वे अपनी तैयारी कर रहे हैं।

हमने देखा है कि डोडा जिले में आज भी जो आर्मी के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, उनकी असेसमेंट है कि दो हजार से तीन हजार तक मिलीटेंट्स वहां आपरेट कर रहे हैं। स्वाभाविक है, आप समझ सकते हैं कि जिस समय भी कोई वार होती है तो वार पर हमारा सैनिक लड़ेगा, लेकिन अंदर उसको कौन बचाएगा। पिछले दिनों यह स्थिति आई, हमारी फौजें, इन मिलीटेंट्स के साथ अंदर भी लड़ाई लड़ रही थीं। लेकिन अचानक ऐसी स्थिति बनी कि हमारी सारी फौज बोर्डर पर आ गई। मैंने रक्षा मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाया

[प्रो. चमन लाल गुप्त]

था। 80 कम्पनीज डोडा जिले से, उधमपुर जिले से हायर रिजन और कठुआ के हायर रिजन से हटकर बोर्डर पर लाई गई थीं। वह 80 कम्पनीज जो इन मिलीटेंट्स का मुकाबला कर रही थीं, आज वे मिलीटेंट्स फ्रीली घूम रहे हैं। बीस-बीस की संख्या में घूमते हैं। उनका सीधा टार्गेट वहां की आबादी है। किसी भी समय उन पर हमला कर सकते हैं और उनको मार सकते हैं और एक के बाद दूसरी घटना इस तरह की हुई भी है।

मुझे भी खुशी है कि रक्षा मंत्री जी ने इस तरफ ध्यान दिया। कुछ सेना स्पेयर की गई। कुछ इलाकों के अंदर सेना को भेजा गया। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि आज तक अगर डोडा जिला बचा है या जो पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें ये मिलीटेंट्स पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी के अनुसार फैले हुए हैं, वह यही चाहता था कि जिस तरह से कश्मीर की वादी से सभी हिन्दुओं को निकाल दिया है, वैसे ही इन इलाकों से सारा क्षेत्र खाली हो जाए, वे लुब्रिकेटेड जोन्स पैदा करना चाहते थे। लेकिन वहां लोग उनके मुकाबले में खड़े हो गए। होम मिनिस्ट्री ने विलेज डिफेंस कमेटीज बनाई हैं। उन्होंने सही मायनों में इन मिलीटेंट्स का मुकाबला किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जहां हमारी फौज के जवान नहीं पहुंच पा रहे थे, उन इलाकों में मिलीटेंट्स का मुकाबला इन विलेज डिफेंस कमेटीज ने किया है। अगर आपने गृह मंत्रालय की रिपोर्ट पढ़ी है, उसके अंदर इस बात का जिक्र किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी के साथ लड़ने के लिए, इन मिलीटेंट्स को हमारे बोर्डर के अंदर उनका मुकाबला करने के लिए ये कमेटीज कारगर नहीं हो सकतीं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इन कमेटीज को मजबूत करें। मैंने कई बार गृह मंत्रालय से और रक्षा मंत्री जी से भी इस बात की प्रार्थना की है कि जो विलेज डिफेंस कमेटीज हैं, उनके जवान बंदूक तो उठा लेते हैं, वह न तो अपना खेत जोत पा रहे हैं, न अपने बच्चों की किसी तरह से सुरक्षा कर पा रहे हैं। उनका तो एक ही काम है कि पहले गांव की रक्षा करेंगे। मिलीटेंट्स को वह टार्गेट बनाया जाता है। इसलिए कम से कम हर विलेज डिफेंस कमेटी के व्यक्ति को 2500 रुपए दिए जाएं, यह हमारी मांग है।

इसी प्रकार से हर विलेज डिफेंस कमेटी के पास कम से कम एक वायरलैस सेट हो। आज उनके पास 303 राइफल्स हैं। उसके साथ वे मुकाबला कर रहे हैं। हमने इतनी मांग की है कि कम से कम एक-एक आटोमैटिक वैपन्स हर विलेज डिफेंस कमेटी के पास हो। अगर उनको मजबूत नहीं करेंगे तो इन मिलीटेंट्स को जो मरने के लिए अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और सूडान से चलकर यहां आए हैं, उनका मुकाबला करना सम्भव नहीं हो पाएगा।

मुझे खुशी है कि हमारी विलेज डिफेंस कमेटी के जवानों ने अगर मुकाबला किया है तो सीने पर गोलियां खाई होंगी, एक भी घटना ऐसी नहीं है कि विलेज डिफेंस कमेटी के व्यक्ति ने अपनी पीठ पर गोली खाई हो।

दोस्तों, इस विलेज डिफेंस कमेटी को जितना मजबूत किया जाएगा, मैं समझता हूं कि उतना ही हम इन मिलिटेंट्स का मुकाबला अंदर कर सकेंगे क्योंकि वे अंदर घुसे हुए हैं। बॉर्डर से बहुत दूर तक अंदर गये हुए हैं। बॉर्डर के ऊपर हमला एक बात है लेकिन यह जो इंटरनल लड़ाई है, अंदर जाकर लड़ने की जो बात है, यह वहां का स्थानीय व्यक्ति लड़ेगा, विलेज डिफेंस कमेटी का व्यक्ति लड़ेगा और उसे हम जितना मजबूत करेंगे, जितना सहारा देंगे, उतनी लड़ाई हमारी और सरल होती चली जाएगी।

बॉर्डर को देखिए, सभी ने इस बात का जिक्र किया है कि बॉर्डर पर सेना है। पांच महीने से अधिक वक्त हो गया है, वहां के सभी लोग बॉर्डर से हटाए गये हैं। लगभग दो लाख लोग इस तरह के बन जाते हैं जिनके खेतों में माइन्स लगी हुई है। उनको या तो किसी रिश्तेदार के घर में जाकर सहारा लेना पड़ रहा है या कहीं-कहीं कुछ कैम्प्स लगे हैं। सोच यह थी कि जिस समय बॉर्डर पर से उनको हटाया गया था, वे खुश थे। हर व्यक्ति यह समझता था कि जिस तरह से 1971 में हमने 18 दिन में पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ कर उसको सबक सिखा दिया था और सब अपने घरों में आ गये थे, वैसे ही अब होगा। वैसे तो छम्ब, हीरानगर और कठुआ के लोगों को लगभग 6-6 बार अपने-अपने घर छोड़ने पड़े हैं। 1947 से लेकर आज तक हर लड़ाई में बॉर्डर खाली होता है। 1947, 1962, 1965 और 1971 में बॉर्डर खाली हुआ और अभी कारगिल युद्ध के समय खाली हुआ और आज बॉर्डर को खाली करवाया गया है। कल भी जो सूचना मुझे मिली है कि अपने इस बॉर्डर पर लगातार गोलियां चल रही हैं। अरणिया स्थान में हमारे त्रेवा में कल एक महिला विमला देवी को गोली लगी थी। आज वह अस्पताल में पड़ी हुई हैं। एक छोटा सा बच्चा दसवीं क्लास का है, उसको भी गोली लगी थी, वह अस्पताल में लाया गया और आज सबेरे उसकी मृत्यु त्रेवा गांव में हो गई है। हर रोज कोई न कोई इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। बॉर्डर पर जितने भी लोग आज बैठे हुए हैं, आज उनका मोराल सचमुच में कुछ गिरा हुआ है। उनको महसूस हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि अगर पाकिस्तान के लोग यहां आकर हमारे ऊपर हमला करके, हमारे लोगों को मारकर जीवित चले जाएं तो मैं समझता हूं कि यह उनमें डीमोरेलाइजिंग इफैक्ट पैदा कर सकता है लेकिन चूंकि इन लोगों ने एक बार नहीं, दो बार, और छः सात बार पाकिस्तान को देखा हुआ है, इसलिए इनकी चिंता नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य बन जाता है कि बॉर्डर पर बसने वाले जो लोग हैं, वास्तव

में सेना तो फिर भी लड़ाई लड़ती है, हम किसी तरह से सेना के जज्बात को कम नहीं करना चाहते हैं लेकिन हम उनको जो भी तनख्वाह देते हैं, लेकिन आखिर बॉर्डर पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है, जिसके ऊपर रोज गोलियां आ रही हैं, यह हमारी सैकेंड डिफेंस लाइन है। इसको जितना हम मजबूत रखेंगे, मै समझता हूं कि उतना ही हमारा इलाका सेफ रहेगा। पाकिस्तान लगातार इस क्षेत्र में आज से नहीं 1974 से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से हर बार कोशिश होती है कि इस बॉर्डर के लोगों को डीमोरेलाइज किया जाये, यह बात पक्की है। आज हमारी सेना जो वहां पर खड़ी हैं, कोई तमाशा नहीं देख रही है जो पाकिस्तान को अपने सामने खड़ा देखती है कि वे भी अपने खेतों में फसल नहीं लगा पाते हैं और हम भी फसल नहीं लगा पाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि अपने घरों में बैठा हुआ जो रिफ्यूजी व्यक्ति है, उसकी हम जितनी मदद करेंगे, जितना मजबूत रखेंगे, उतना अच्छा रहेगा।

मेरे अपने क्षेत्र में मैं अनुभव करता हूं कि पिछले दस सालों में लगभग 60 मसैकर्स हुए हैं, जिनका जिक्र श्री मदनलाल खुराना जी ने किया है। एक के बाद दूसरा मसैकर होता है और 20-25 लोग मारे जाते हैं। मैंने आपे हाथों से 25-25 लाशें चिता पर रखी हैं। मैं उन सब के दर्द को जानता हूं। इन सबके बावजूद भी जम्मू के अन्दर जन्माष्टमी के दिन मंदिर के सामने बम बलास्ट हुआ। एक दिन जम्मू के अन्दर मंदिर में गाय के बछड़े का सिर काटकर फैंक कर चले गए। कल ही आपने देखा होगा कि नौजवानों के घरों पर भी हमले हुए हैं। आफरीन है, उन जम्मू के लोगों को, जिन्होंने इन सारी परिस्थितियों के अन्दर, सब तरह के प्रवोकेशन्स के बावजूद, वहां कितनी शांति और कितना अमन वहां बनाए रखा। मैं समझता हूं कि उन लोगों का जितनी तारीफ की जाए, उतनी कम है। कहीं पर छोटी सी घटना घटती है और उसका एक दम से रियैक्शन हो जाता है। जम्मू के लोग डोगरे लोग हैं, जो गिलगित तक पहुंचे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उनके अन्दर प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है। लेकिन इन सबके बावजूद देश के हित को सामने रख कर, समाज के हित को सामने रखकर, सब चीजों को शांति के साथ देख रहे हैं। जैसा सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि आखिर सब्र के पैमाने की एक हद होती है और वह पैमाना भर चुका है। मैं समझता हूं कि वहां हर जगह खतरा छिपा हुआ है। आज जो लोग वहां पर बैठे हैं, जिन लोगों ने पाकिस्तान को बार-बार पर देखा है, एक बार नहीं 1947 के बाद कई बार देखा है और छत्तीसिंहपुरा में 35 लोग मारे गए हैं। इस बारे में भी पाकिस्तान की तरफ से आवाज आई कि यह तो उनकी आर्मी ने किया है। पाकिस्तान रेडियो पर यही कहा जा रहा है कि ये आर्मी के जो लोग मारे हैं, वे हिन्दुस्तान की फौज ने खुद मारे हैं। मैं पूछता हूं, कोई फौजी अपने बच्चे को मारेगा। लेकिन इस तरह से प्रचार करना पाकिस्तान का एक तरीका है, एक सोच है। यही स्थिति हमने 1947 में देखी, जब कबाइलियों को यहां भेजा गया। पाकिस्तान ने कहा कि इसमें उसका हाथ नहीं है। जब हम उनको पीछे हटाने लगे, तो पाकिस्तानी फौजे मैदान में आ गई। 1965 में भी गुरीला बार के समय यही स्थिति थी। 1971 में तो पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई। आज भी मिलिटेंट अफगानिस्तान से आ रहे हैं, सुडान से आ रहे हैं। मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं, वैसे तो उनको इल्म है कि वास्तविक स्थिति क्या है।

अपराह्न 3.28 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए*]

हमारे एक यूएनआई के साथी अफगानिस्तान गए थे और जो तालिबान जो पकड़े गए हैं, उनसे मिले। वहां लगभग 60 लोगों से उन्होंने मुलाकात की। उन सभी ने यही कहा कि यहां से छूटने के बाद हम सभी लोग कश्मीर जाने वाले हैं। उनकी योजना साफ है, हर तालिबान को कश्मीर में भेजने की चिन्ता है। वे लोग आ रहे हैं। उन लोगों को कह दिया जाता है कि चलने के लिए तैयार हो जाओ। वे लोग निकल रहे हैं, उनमें कोई कमी नहीं आई है। यहां मरने के लिए लोग आज भी आ रहे हैं। इसका मुकाबला करने के लिए हमें भी कोई योजना तैयार करनी होगी। 12 वर्षों का समय कोई थोड़ा समय नहीं होता है। प्रोक्सी वार में जो वारदातें हुई हैं, उन सब में वे लोग मारे जा रहे हैं। चार लाख लोग दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं। बहुत सी माताओं के सिन्दूर लूट गए हैं, बूढ़े मां-बाप की लाठी टूट गई है। आज कितने ही ऐसे यतीम हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। आखिर इन सब को हम सब्र के साथ देखते रहेंगे।

महोदय, ऐसे लोगों की भावनाओं को मैं रक्षा मंत्री जी तक रखना चाहता हूं। वे खुद भी जाकर स्थिति को देखकर आए हैं और उन्होंने भी अनुभव किया होगा तथा हर आदमी यह महसूस करता है कि अब पानी सिर से बाहर जा रहा है।

अब हमें बहुत अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। इन सारी चीजों का कहीं न कहीं जवाब देकर एक बार फिर पाकिस्तान को, जिस तरह हमने पहले कई बार सबक सिखाया था, 1971 में 93,000 फौजें छोड़ दी गई थीं, उसके बावजूद भी हम कश्मीर की समस्या का हल नहीं कर पाए थे, पहले जो कुछ हुआ, लेकिन इस समय मैं समझता हूं कि अब की बार कश्मीर का मसला हमारी सरकार के दौरान हल होना चाहिए और सही मायनों में हमने अपनी पोजिशन क्लियर कर दी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से अमेरिका में जा कर कहा कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है, इसे दुनिया की कोई ताकत हमसे जुदा नहीं कर सकती, इसी तरह का एक मैसेज आज पाकिस्तान को, वहां के हारबर्स को जाने की जरूरत है। वैसे तो जा

[प्रो. चमन लाल गुप्त]

रहा है, लेकिन हम इसे एक्शन में परिणित करें तो बहुत अच्छा होगा। यही वहां के लोगों की भावनाएं हैं। इस काम को हम जितनी शीघ्रता से कर पाएं, उतना उनके अंदर विश्वास पैदा होगा।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : सभापति महोदय, आज बजट सत्र का अंतिम दिन है और आज ही शायद हम एकता संबंधी व्यापक टिप्पणी के साथ इस सत्र को समाप्त कर रहे हैं और इस संकट की घड़ी में देश के लोगों के साथ खड़े रहने का संकल्प लेते हैं जब पाकिस्तान द्वारा निर्बाध रूप से एक के बाद एक आतंकवादी कार्रवाई की जा रही है।

सभापति महोदय, आज चर्चा शुरू होते समय, हमारी नेता, श्रीमती सोनिया गांधी ने इस घड़ी में कांग्रेस पार्टी का दृष्टिकोण और सरकार द्वारा निभायी जाने वाली भूमिका को स्पष्ट रूप से संक्षेप में रखा। जब मैं बहुत ही युवा कांग्रेस कार्यकर्त्ता था, तो मुझे आंध्र प्रदेश के रहने वाले और तत्कालीन विशिष्ट कांग्रेस अध्यक्ष श्री डी. संजीवय्या के साथ काम करने का मौका मिला था। उस समय मैं बस विश्वविद्यालय से निकला ही था। मैंने अध्यक्ष से बात की और पूछा कि जब इस देश में सभी अपने दल का राजनीतिक दल (पार्टी) के रूप में वर्णन करते हैं और उसके नाम के बाद 'पार्टी' शब्द जोड़ते हैं, तब हम क्यों नहीं 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी' लिखते, और कांग्रेस के बाद पूर्ण विराम क्यों लगा हैं। श्री संजीवय्या ने मुझे बताया कि हमारी पार्टी का जन्म जनांदोलन से हुआ है जो देश के महान लोगों की सभा थी और हमारा लक्ष्य अभी भी देश के लोगों के साथ रहने का है जो सीमित सोच की सीमा, सुविधा और अवसरों से मुक्त हो, लोगों के साथ बराबर रहने, खास कर वे जो राष्ट्र के केवल महान कार्यों में संलग्न हों, इसलिए, हम ' भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' हैं और हमें 'पार्टी' जैसे शब्द को 'उपसर्ग' या प्रत्यय के रूप में जोड़ने की जरूरत नहीं है।

आज, हमारी नेता, श्रीमती सोनिया गांधी खड़ी हुई और बड़े ही सहज भाव से कहा कि चाहे जिस तरह से हो राष्ट्र की रक्षा के लिए देश के निर्दोष लोगों की रक्षा के लिए और भीतर या बाहर से मिलने वाली चुनौतियों से राष्ट्र की आतंरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम आगे आएं और सरकार जो भी उचित समझती है, उन्हें हमारा समर्थन मिलेगा। इससे मुझे श्री डा. संजीवय्या के शब्द याद आते हैं जिन्होंने कहा, '' हममें राजनितिक और सामाजिक मुद्दों पर मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन याद कीजिए आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं, और राष्ट्र के बिना आप कुछ नहीं हैं।'' आज हम इस स्थिति में आ गए हैं जब हमें महसूस होता है कि राष्ट्र के प्रति हमें अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए, वह राष्ट्र जिसने हमें इस तरफ बैठने और चार दशकों से भी अधिक समय तक राष्ट्र के भाग्य का निर्धारण करने का जनादेश दिया, वह राष्ट्र जिसने राष्ट्र के भाग्य का निर्धारण करने के लिए एक-के बाद-एक विशिष्ट प्रधान मंत्रियों को जन्म दिया। इस समय हम उस बात को नहीं भूल सकते। हो सकता है, यह लोगों की इच्छा हो कि हम इस तरफ बैठें। फिर भी, राष्ट्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, राष्ट्र के प्रति हमारी भूमिका और राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारी को बदला और परिवर्तित नहीं किया जा सकता, चाहे हम इस तरफ बैठें या उस तरफ।

सभापति महोदय, आज जब हम कालूचक घटना के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि हमारी नेता ने शुरूआत में कहा, दो माह के बच्चे सहित क्रूरतापूर्वक मारे गए उन लोगों के सगे संबंधियों के प्रति हमारा दुःख और सान्त्वना व्यक्त करने के लिए हमारे शब्द प्रयाप्त नहीं हैं। जिस तरफ से उनकी हत्या की गई हैं। प्रत्येक भारतीय आज रो रहा है। इसलिए नहीं कि वे आत्मघाती हमले में मारे गए बल्कि इसके पिछे एक षड्यंत्र था।

ऐसा क्यों है कि जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक हमले हो रहे हैं? जम्मू-कश्मीर हमारे देश का सिर्फ अभिन्न हिस्सा ही नहीं है, बल्कि हमारी धर्मनिरपेक्ष विरासत का प्रतीक भी है।

यह सुनहरा धागा है और हमारे सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है, जहां मुख्य मंत्री मस्जिद में नमाज अता करने के बाद, पहले दिन से ही इस बात का ध्यान रखते हैं कि वैष्णों देवी के दर्शन के लिए जाने वाले तीर्थ यात्री सुरक्षित हैं या नहीं, और अमरनाथ जाने वाले यात्री सुरक्षित हैं या नहीं। यह भारत का एक अद्भुत स्थान है। इसलिए, आतंकवादियों और पाकिस्तान की कट्टरपंथी ताकतों द्वारा जो असहिष्णुता का उपदेश देती हैं, अपने बार-बार के प्रयास से मतभेद पैदा करने और देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को तोड़ने का षड्यंत्र रचा जा रहा हैं। मैं अपनी पार्टी और इस पक्ष की तरफ से जम्मू-कश्मीर के लोगों को नमस्कार करता हूं। जिस तरह से उन्होंने आक्रमणों का सामना करने में एक जुटता दिखाई है मैं उनको नमस्कार करता हूं जो एक के बाद एक-होते जा रहे हैं, और, फिर भी, पूरे विश्व को यह दिखाया कि हमारे धर्मनिरपेक्ष विश्वास और धागे को तोड़ा नहीं जा सकता चाहे मुसर्रफ और उनका दल जो भी षड्यंत्र रच ले।

इसलिए स्थिति को स्पष्ट करने का हमारा कर्त्तव्य ही नहीं हैं बल्कि आम तौर पर भारत के लोगों, विशेषकर सेना और जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ पूर्ण एकजुटता दिखाने का भी कर्त्तव्य है। रघुनाथ मंदिर, चरार-ए-शरीफ, छत्तीसिंहपुरा और जम्मू-कश्मीर विधान सभा सभी पर हमले किए गए। हमें विश्वास है कि जम्मू-कश्मीर विधान सभा

पर किए गए हमले का लक्ष्य मुख्यमंत्री थे। एक-के-बाद-एक ऐसी घटनाएं घटी। फिर भी, जम्मू-कश्मीर के लोग हमेशा राष्ट्र के लिए यह संदेश दे रहे हैं कि वे कुछ भी त्याग करने को तैयार हैं, लेकिन क्या राष्ट्र को भी उन्हें अपने विश्वास में नही लेना चाहिए। यहीं प्रश्न उठता है। आपकी कश्मीर नीति क्या है?

आज, हमने निर्णय लिया कि हम राजनीतिक लाभ नहीं उठाएंगे, हम यहां सरकार के किसी अधिकारी विशेष पर कोई आक्रमण करने के लिए नहीं खड़े हैं, लेकिन हमारा सरकार की राय और स्थिति की जानकारी रखने का कर्त्तव्य है। जब हम अपनी सोच-समझ आपके समक्ष रखते हैं, तो हमारा आपसे नम्र निवेदन है कि आप भी व्यापक रणनीति को सभा के समक्ष रखें और हमें विश्वास में लें। आपकी कश्मीर नीति क्या है? हां, युद्ध विराम किया गया था। उस पर पूरी संसद ने आपका समर्थन किया था। जब आप योजना आयोग के उपाध्यक्ष और नौकरशाहों के माध्यम से हुर्रियत के साथ कश्मीर की आतंरिक एकता की बात करते हैं चाहे बह समूह-क अथवा समूह-ख हो, तो क्या आपने कश्मीर के लोगों और जम्मू-कश्मीर सरकार को विश्वास में लिया कि वार्ता की रणनीति क्या होनी चाहिए, यदि वार्ता की जानी है तो वार्ता की सीमाएं क्या होंगी? हमें परेशानी हुई जब हमने यह समाचार पढ़ा कि यह संदेश हुर्रियत के लिए है, तो कश्मीर में शासन कर रही सरकार की क्या हैसियत रही। ये मुद्दे राष्ट्र को झकझोर रहे हैं और लोग आपकी रणनीति जानना चाहते हैं, इसलिए, आपको अपनी रणनीति का खुलासा करने का यही समय है।

हममें से कई लोगों ने कई बातें कहीं और निश्चित रूप से, वे अच्छे सुझाव हैं। इस देश की ताकत बोफोर्स तोप में, तोपखानों अथवा वायु सेना के विमानों में नीहित नहीं है। इस समय, इस देश की ताकत दृढ़ निश्चय, देश के लोगों की देश भक्ति की भावना, सामाजिक सद्भाव और देश की धर्मनिरपेक्ष विश्वसनियता में निहित है।

महोदय, हमें आतंकवादियों के उदेश्य को समझना चाहिए। हमें पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के उद्देश्य को समझना चाहिए। हमें उस योजना को समझना चाहिए जिसका वे प्रचार करना चाहते हैं। मैं इस मामले में ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। मेरे मित्र श्री उमर अवदुल्ला ने हाल ही के अपने भाषण में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि विदेश में अपने विचारों का प्रचार करने में हमें किस चीज से शक्ति मिलती है और जब हम फंस जाते हैं तो किस चीज से हमें शक्ति नहीं मिलती। मैं आशा करता हूं जब सरकार इस मामले में अपनी नीति की व्याख्या करती है तो वह किसी भी प्रकार के प्रचार में स्वयं को पर्याप्त रूप से विश्वास दिलाने का प्रयास करेगी जिससे देश में लोगों को इसकी सक्रियता अथवा निष्क्रियता हेतु उनकी आलोचना करने का अवसर मिल सकता है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : दास मुंशी जी, आप कितना समय लेंगे?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हमारी पार्टी को जो टाइम मिला है, मैं वही लूंगा।

सभापति महोदय : कांग्रेस के दूसरे सदस्य भी इस पर बोलना चाहते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं अपनी पार्टी का समय लूंगा और इससे अधिक एक मिनट नहीं लूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय, आज सरकार निर्णय लेने में पयप्ति सक्षम है किन्तु एक बात यह है कि वे अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति जवाब देह हैं। यह सरकार कोई नीतिगत निर्णय लेती है और फिर उससे पीछे हटती है तो लोगों को उस नीति के बारे में कैसे पता चल सकता है, फिर तो संसद समीक्षा कर सकती है और सरकार की खिंचाई कर सकती है। किन्तु जब तक सरकार निर्णय नहीं लेती तो हम चर्चा के माध्यम से वर्गीकृत सूचना जिसका सरकार को संसद में रहस्योदघाटन नहीं करना चाहिए को छोड़कर निःसन्देह सरकार की कार्य योजना को समझने का प्रयास कर सकते हैं।

महोदय, हमारे प्रति रक्षा बल पिछले पांच महीनों से वहां तैनात हैं। हमें वहां सेनाएं तैनात करने के समग्र प्रभाव को समझने का प्रयास क्यों नहीं करना चाहिए? किसी भी बात के लिए तैयारी रखना अच्छा है। मैं केन्द्रीय मंत्रिमंडल, में मंत्रियों के बीच अन्तर पैदा करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। किन्तु मैं सशक्तरूप से महसूस करता हूं कि अपनी आन्तरिक सुरक्षा में खामियां अपनी आसूचना प्रणाली की किसी विफलता के लिए रक्षामंत्रालय पर दोष नहीं मढ़ा जाना चाहिए। रक्षा ही हमारा अन्तिम सहारा है। सेना, वायु सेना और नौ सेना हमारा अन्तिम सहारा होनी चाहिए। हमारी पहली प्राथमिकता लोगों की एकता अपने लोगों को प्रोत्साहन, हमारे लोगों की सामाजिक एकता और विश्वास; हमारे देश की राजनीतिक प्रणाली में समझ और सौहार्द, आसूचना प्रचालन और हमारे देश की निगरानी और विभिन्न इकाईयों जिसमें जम्मू और कश्मीर की संयुक्त कमान, शामिल है, में समन्वय होनी चाहिए। प्रति रक्षा बल हमारा अन्तिम सहारा होना चाहिए। किन्तु यदि सरकार इस तर्क के पीछे बचाव करती है कि सेना तैनात करने के बाद भी अलगाववाद और सीमापार से आतंकवाद जारी है, फिर, दोषपूर्ण प्रणाली को छोड़कर किसी भी व्यक्ति पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता। हो सकता है सरकार की तरफ से कही कमी है। ऐसा क्यों है क्या ऐसा एक अथवा दो दिन के मामले में हो सकता है, पांच, छह, सात अथवा

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

आठ लोगों को मिलाकर एक संगठित समूह जम्मू में हाल के मामले में तीन लोग अचानक कही शरण लेते है, पूरे कार्य की योजना बनाते हैं और फिर या तो संसद, अथवा जम्मू और कश्मीर विधान सभा अथवा कोलकाता में अमेरिका के वाणिज्य दूतावास अथवा रघुनाथ मंदिर अथवा इस काम के लिए किसी भी स्थान, जिनमें से अन्तिम कालूचक की घटना है, पर हमला कर देते हैं? क्या सरकार की सूचना एकत्र करने वाले तंत्र में कोई कमी है? क्या आसूचना प्रणाली को समझने में कोई कमी है?

सभापति महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री का इस घटना के प्रति उनकी पहली प्रतिक्रिया के लिए आभारी हूं जब उन्होंने कहा कि यह संयोग नहीं है कि यह घटना भी किसी विदेशी उच्चाधिकारी के दौरे के समय हुई है। इसलिए आतंकवाद से लड़ने के लिए सदन का सर्वसम्मत समर्थन जुटाते समय सरकार को इस प्रणाली की कमियों के बारे में कम से कम सदन को बताना चाहिए। एक कमी तो माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री चमनलाल गुप्ता द्वारा पहले ही स्वीकार कर ली गई है। वह अपने आकंलन में सही हैं। वह इस क्षेत्र के हैं। मुझे मालूम नहीं है कि जम्मू और कश्मीर राज्य में डा० फारूक अब्दुल्ला और श्री चमनलाल गुप्ता किस प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं। वे इस समस्या का अनुभव राज्य में स्वयं कर रहे हैं। हमें तो सूचना ही मिलती है।

उन्होंने कहा कि ग्राम रक्षा समितियों की कमियों का संज्ञान नहीं लिया गया है। मैं उन्हें बहुत धैर्यपूर्वक सुन रहा था। मैं समझता हूं कि यह एक कमी हो सकती है। लेकिन सरकार ने इस के बारे में क्यों नहीं सोचा?

अपने पहले हस्तक्षेप में जब डोडा जनसंहार पर चर्चा हो रही थी मैंने गृह मंत्री से पूछा था कि क्या जम्मू और कश्मीर के मुख्य मंत्री ने विशेषरूप से अतिरिक्त अर्द्धसैनिक सहायता की मांग की थी। इसका कोई विशिष्ट उत्तर नहीं मिला था। हमलों के प्रकार, जिनकी योजना पाकिस्तान में तैयार की गई थी, जिनका जम्मू और कश्मीर दिन रात सामना कर रहा है, को देखते हुए सदन यह जानना चाहेगा कि बेरोजगार युवकों की कुण्ठा से छुटकारा पाने के लिए आर्थिक विकास के संबंध में, सामाजिक अवसंरचना प्रबध के संबंध में, राजनीतिक दृढ़ीकरण; संसदीय समर्थन के संबंध में उन्हें किस अतिरिक्त सहायता की जरूरत है।

कुल मिलाकर कश्मीर नीति यह कहने तक ही सीमित नहीं हैं जो हमने अमेरिका में कहा जो हमने कोलकाता में कांग्रेस सत्र में कहा, जो हमने पटना में पार्टी सत्र में कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यह अन्तिम शब्द नहीं है। यह भारत का एक अभिन्न अंग है और इसीलिए यह सहायता का पात्र है जिसकी पाकिस्तान में रूढ़िवादियों की मारकाट के विरूद्व भारत के साथ उस एकता को बनाए रखने के लिए इसे जरूरत है। क्या हमने कभी इस मुद्दे पर ध्यान दिया? क्या हमने इन वास्तविकताओं को समझने के लिए मंत्रिमंडल में एक पूरा दिन बिताया? क्या हमने संसद में इसके ब्यौरो की व्याख्या की? क्या हमने सरकार और वहां के लोगों को विश्वास में लिया? ये ऐसे मुद्दे हैं जो हमारी और राष्ट्र की चिन्ता के विषय है। जी हां, हम अत्यधिक परेशान हैं।

क्या हमने वास्तविक परिणामों वाले सभी कूटनीतिक विकल्पों का पर्याप्त रूप से और लाभदायक रूप से दोहन किया है? आज हम किस स्तर पर आ गए हैं? क्लिंटन से जार्ज बुश, टालबोट से क्रिस्टीना रोक्का-हम इसे इसका कहां पर समाप्त करेंगे? आतंकवाद के विरूद्ध युद्ध। 11 सितम्बर, क्या सरकार हमें विश्वास में ले सकती है? क्या यह सच नहीं है कि आतंकवाद के विरूद्ध भारत-अमेरिका संयुक्त कार्यदल 11सितम्बर के हमले के काफी पहले बनाया गया था? क्या अमेरिका ने कभी यह सोचा कि पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा का लगातार उल्लंघन कर रहे है चाहे वे अलकायदा अथवा तालिबान हों, लश्कर-ए-तय्यबा अथवा हिजबुल मुजाहिद्दीन हों सम्पूर्ण संसार और पूरे उपमहाद्वीप के लिए चिन्ता की बात है?

मेरे पास आतंकवाद के विरूद्ध भारत-अमेरिका संयुक्त कार्य दल की 11 सितम्बर से पूर्व बैठक की कुछ टिप्पणियां थी। इस बैठक में कभी भी जम्मू और कश्मीर के लिए चिन्ता नहीं की गई थी। मैं नहीं जानता कि किस कारण? आतंकवादी कहां हैं? पिछले दस वर्षो से सर्वाधिक नुकसान किसका हुआ? पूर्वोत्तर की अलग समस्या है। आज यह चर्चा का विषय नही हैं और मैं इस पर बात नही करूंगा। सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? ये जम्मू और कश्मीर के लोग हैं। आतंकवाद के बारे में 11 सितम्बर के हमले के पहले हुई अमेरिका-भारत संयुक्त कार्रवाई दल की बैठक में भारत के साथ साथ जम्मू और कश्मीर के लिए कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की गई थी।

हमें बड़ी ताकतों के उद्देश्य को समझना है। उन्हें पता है कि छः सात वर्ष के भीतर भारत बड़ी आर्थिक ताकतों मे से एक उभर कर सामने आ रहा है-इसके लिए खून पसीना बहाने वाले किसान, भारत का श्रमिक वर्ग धन्यवाद के पात्र हैं, जो भविष्य के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें भारत की क्षमता का पता है। उन्हें सांस्कृतिक विविधता वाले भारत की अदभुत विरासत की जानकारी है। उन्हें भारत की जनता की एकता के बारे में पता है। किसी को प्रसन्न क्यों होना चाहिए? उसे तो ईर्ष्या करनी चाहिए। वे जानते हैं कि भारत में किसी मुस्लिम को राष्ट्रपति के

आसन पर विराजमान करने की क्षमता है। वे जानतें है कि भारत के लोगों में किसी दलित को राष्ट्रपति चुनने की क्षमता है। उन्हें मालूम है कि भारत के लोगों में अपने विवेक से किसी व्यक्ति को देश का प्रधान मंत्री चुनने की क्षमता है। फिर भी तथाकथित ऊंची सभ्यता का दम भरने वाले राष्ट्र के सर्वोच्य पद पर किसी काले रंग के व्यक्ति को आसीन करने का उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सके।

वे जानते है कि उन्हें हमसे ईर्ष्या क्यों है। 11 सितम्बर के बाद आतंकवाद के विरूद्ध युद्ध में उन्होंने कहा कि आसोमा बिन लादेन 24 घंटे के भीतर जीवित या मुर्दा लाया जाए। वे समस्त संसार को इस युद्ध में शामिल करना चाहते थे और हम सिद्धान्त रूप में इस युद्ध में शामिल हुए क्योंकि हमें यह विश्वास था कि आतंकवाद से लड़ना चाहिए। किन्तु इस देश में इसकी कीमत किसने चुकाई? वे हैं कश्मीर के लोग, श्रीमती इन्दिरा गांधी, श्री राजीव गांधी, बहुत सारे जवान, सैन्य कर्मी और बहुत सारे अन्य लोग। ऐसा नहीं है कि 11 सितम्बर के पश्चात हमारे देश को अचानक प्रकाश मिल गया और तब तक सब कुछ अंधेरे में था। भारत ने 1948 से ही इसे समझ लिया था- शेख अब्दुल्ला, हरि सिंह, पंडित नेहरू और अन्य लोगों ने यह समझ लिया था कि भारत के विरूद्ध पाकिस्तान को उलझाने के लिए विदेशी शक्तियों के षड्यन्त्र क्या हैं। हम इन सबसे परिचित थे। जहां तक आतंकवाद का संबंध है, किसी अन्य शक्ति की तुलना में हमारा पिछला रिकॉर्ड और अनुभव श्रेष्ठ है।

फिर भी, 11 सितम्बर के पश्चात् हम सभी आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई में शामिल हो गये। हम इस पूर्ण भरोसे के साथ इसमें शामिल हुए कि तालिबान मुक्त अफगानिस्तान होना चाहिए और यह कि पाकिस्तानी शासन या तो समाप्त हो जायेगा या आतंकवाद को मिटा देगा ताकि वह भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बना सके और सच्चाई को समझ सके। लेकिन अंतत: हमारे राजनयिक प्रयासों का क्या परिणाम निकला? इस सबका उल्लेख करते समय मैं बहुत आहत महसूस कर रहा हूं।

आज टालबॉट से लेकर रोक्का तक की राजनयिक पहलों के परिणामों को देखिए। उनसे एक प्रश्न किया गया था: "क्या आपने जम्मू में घटी घटना के संबंध में सुना?" सुश्री रोक्का ने कहा कि यह दिल दहलाने वाली और बर्बर घटना थी। भारत सरकार अपनी ओर से यह सुझाव देती है कि यह न केवल बर्बर है, अपितु यह संगठित, नियोजित और यह पाकिस्तान द्वारा लश्कर-ए-तैयबा के माध्यम से भारत पर थोपा गया एक योजनाबद्ध अभियान है। आतंकवाद के विरूद्ध युद्ध में शामिल होने के प्रथम-दिवस से लेकर हमारे राजनयिक प्रयासों के परिणामों को समझने के लिए ये मामले महत्वपूर्ण हैं।

एक अन्य प्रश्न भी किया गया: इस समय, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? विदेश मंत्री जी कहते हैं:

> "हम अमरीका को पाकिस्तान की आतंकवाद में संलिप्तता के संबंध में ठोस और निश्चित प्रमाण प्रदान करने में सफल रहे हैं।"

जब सुश्री रोक्का का ध्यान निश्चित विश्वासघातों की ओर आकर्षित किया गया तो सुश्री रोक्का ने भारत के इस स्थिति के अध्ययन को पूरी तरह से स्वीकार करने के कोई संकेत प्रकट नहीं किये कि पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ाने के लिए केवल पाकिस्तान उत्तरदायी हैं।

और कौन उत्तरदायी है? क्या यह भूटान है? क्या यह नेपाल है? क्या यह मॉरीशस है? अथवा क्या यह अफगानिस्तान है जो अब तालिबानियों से मुक्त है? वह यह मीसूस करती हैं कि केवल पाकिस्तान ही उत्तरदायी नहीं है। वह कहती हैं :

> "मैं समझती हूं कि यह एक बहुत पेचीदा मुद्दा है। यह एक सीधा-सादा मुद्दा नहीं है।"

आगे कहा गया है :

> "रोक्का ने संकेत दिया कि नयी दिल्ली को वार्ता आरंभ करने के लिए शर्तों और मांगों पर अड़ियल नहीं बने रहना चाहिए।"

मैं इसे नहीं समझ पाया। आप इस संसद को यह कैसे विश्वास दिलायेंगे कि आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई में शामिल होने से हमारे राजनयिक प्रयासों ने सिद्धांतत: भारत और इसकी संप्रभुता के लक्ष्य के समर्थन में हमें निश्चित परिणाम दिलाए हैं? मैंने 'संप्रभुता' शब्द का उपयोग इसलिए किया कि यदि कश्मीर पर हमला होता है तो मैं यह महसूस करता हूं कि मेरी संप्रभुता पर हमला हो रहा है।

संप्रभुता के सन्दर्भ में, आतंकवाद के विरूद्ध होने वाले युद्ध का नेतृत्व करने वाले 'कैप्टेन' की चिंता क्या थी? वे कैसी हास्यास्पद टिप्पणियां थीं? अंतिम टिप्पणी थी:

> "आतंकवाद तो आतंकवाद है, चाहे वह जहां भी हो। लेकिन इस घड़ी में हमारा एकमात्र प्रयास भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करना है।"

क्या भारत ने इस्लामाबाद के महल में आतंकवादी भेजे थे? क्या भारत ने पाकिस्तान की संसद को तबाह करने के लिए आतंकवादी भेजे थे यदि वहां लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों की कोई संसद है? नहीं।

तो तनाव कम करने की क्या आवश्यकता है? क्या आप भारत और पाकिस्तान दोनों को एक ही धरातल पर रखना चाहते हैं?

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

आज मुझे यह कहते हुए दु:ख हो रहा है कि मि० बिल क्लिंटन के दौरे से पूर्व हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री ने जिन्हें हम सभी समर्थन प्रदान कर रहे हैं, एक विनम्र निवेदन किया था कि मि० क्लिंटन भारत का दौरा करते समय संभवत: पाकिस्तान का दौरा दो कारणों से नहीं करेंगें। पहला कारण यह है कि, पाकिस्तान में सैनिक शासन है। इसके पास चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है। जब भी अमरीका को उचित लगता है वह विश्व भर में लोकतन्त्र की वकालत करता है और दूसरे, भारत पर आतंकवादी हमला हुआ था हांलाकि इसे विफल कर दिया गया। यह ठीक है। यह उनकी नीति है और हमें उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। लेकिन हमें एक संसद सदस्य होने के नाते यह समझने का अधिकार प्राप्त है कि क्या किसी देश की नीति भारत की नीति के अनुकूल है।

यदि भारत की राष्ट्रीय नीति अथवा राष्ट्रीय हित की रक्षा नहीं की जाती तो हमारा क्या होगा? हम 100 करोड़ लोग हैं। हम सारे विश्व से हमारी संस्कृति परमपरा अथवा भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली की ओर देखने के लिए गर्वपूर्वक कह सकते हैं। सरकार के साथ हमारे हजारों मतभेद हो सकते हैं। हमारे केवल इस बहस में भाग लेने का अर्थ यह नहीं है कि हम रा.ज.ग. सरकार की सभी नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक अथवा अन्य विषयों पर सरकार के साथ हमारे हजारों मतभेद हो सकते हैं और उससे हम बाद में निपट लेंगे लेकिन 13 दिसम्बर की घटना के पश्चात् आतंकवाद के मुद्दे पर हमने यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया था कि हम सरकार के साथ हैं। मैं अपने प्रिय मित्र श्री उमर अब्दुल्ला से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह मंत्री के रूप में सरकार की रक्षा करने के लिए बाध्य हैं। मैं ऐसा महसूस करता हूं।

मैंने यह पहले भी कहा था कि जब तत्कालीन माननीय अध्यक्ष श्री बालयोगी ने 11 सितम्बर को अमरीका पर हुए हमले संबंधी एक वक्तव्य पढ़ा था तब सारी संसद खड़ी हो गयी थी और एक स्वर में कहा था कि वह इसकी भर्त्सना करती है। क्या हमारे राजनयिक प्रयासों से विश्व के सैंकड़ों राष्ट्रों से एक भी ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हो सका कि वे 1 अक्टूबर को जम्मू और कश्मीर विधान सभा और 13 दिसम्बर को भारतीय संसद पर हुए हमले की भर्त्सना करते हैं? मैं तो केवल कुछ ही ऐसे प्रस्ताव देखें। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि तृतीय विश्व का आंदोलन गति नहीं पकड़ पा रहा है।

एक समय था जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में विकासशील देशों की बैठकों में दहाड उठती थी कि 'मंडेला को मुक्त करो' और एक समय वह भी था जब वह जोर-शोर से कहती कि 'पंडित नेहरू हम आपके साथ हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हमें भविष्य में अपना भाग्य बनाना है। संभवत: सोवियत संघ के पतन के पश्चात् यह आंदोलन कमजोर पड़ता जा रहा है। और यहां एक भारत नाम का देश है। इस आंदोलन को मजबूत बनाने और जहां कहीं उनके राष्ट्रीय हित दाव पर लगे तो वहां ऐसे देशो के हितों को हमलों, तानाशाही, अभित्रास, ऐसी शक्तियों के कपट पूर्ण व्यवहार से बचाना सुनिश्चित करने हेतु वैश्विक पहल करना भारत का अनिवार्य कर्त्तव्य है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि उसने उस पहल की संभावनाओं का पता लगाया। क्या सरकार ने कभी यह जानने का प्रयास किया कि उसके मित्र कैसे हैं? क्या उन्हें बुखार हुआ हैं अथवा वे अराम में हैं? क्या वे सरल हैं? क्या वे हमारी सच्चाइयों को समझने के लिए तैयार हैं? मैं समझता हूं, नहीं। यदि इस प्रकार की कोई पहल की गयी होती तो, हमें इस संबंध में या तो सरकार द्वारा अथवा मिडिया द्वारा इसकी सूचना दे दी गयी होती अथवा अब तो यह कार्य इंटरनेट के माध्यम से तकनीकी क्रांति से भी संभव था। मेरा सरकार से यह विनम्र निवेदन है कि आप आतंरिक प्रणाली की विफलता को रक्षा मंत्रालय के सिर पर न थोपें। पहले तो, अपनी रक्षा करिए। यदि कोई नोंक-झोंक होती है तो हम रक्षा मंत्री के माध्यम से पूरी सरकार की जवाबदेही मांग सकते हैं। जब तक इस तरह की घुसपैठजारी है, जब तक माहौल सुरक्षापूर्ण नहीं है, सरकार का संसद और राष्ट्र के प्रति यह उत्तरदायित्व है कि वह बेकसूर लोगों की जान बचाने में एक के बाद दूसरी विफलता का सामना क्यों करती रही, इसका जवाब दे।

अपराह्न 4.00 बजे

इस प्रकार का बिनम्र प्रश्न करना राजनैतिक लाभ लेने का प्रयास करना नहीं है। यह तो आपकी त्रुटियों को समझने के लिए है। यदि आप कहते हैं कि त्रुटियां है,हम आप का साथ निभाने, आपका सहयोग करने, आपको सलाह देने और कैसे इन कमियों को दूर किया जाए इस संबंध में सुझाव देने के लिए तैयार हैं। यह अपने अहं को बचाने का समय नहीं है। यह अपने अंत: करण के भीतर झांकने और सच्चाई को देखने का समय है। यह तभी तक आतंकवाद के विरूद्ध युद्ध हैं। जब तक यह केवल एक ही देश के हितों को सिद्ध करता है और जब तक अफगानिस्तान मुक्त नहीं हो जाता। क्या यह आतंकवाद के विरूद्ध युद्ध है? क्या कोई देश यह दावा कर सकता है कि अफगानिस्तान पर आक्रमण के पश्चात् सारे विश्व को आतंकवाद से लड़ने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए? जहां तक भारत के आतंकवाद के विरूद्ध संघर्ष का संबंध है, यह भारत द्वारा केवल पाकिस्तान को मनाकर राजनयिक पहलों से ही किया जाना है और न कि अन्य तरीके से। जब हमारे मित्र श्री जसवंत सिंह कंधार में बंधक व्यक्तियों को मुक्त करा रहे थे-तब हम सरकार की आलोचना कर सकते थे-यह एक अलग बात है- लेकिन हम जानते हैं कि भारत उस दिन कितना असहाय था।

48 घन्टे बीत जाने के बाद भी टोनी ब्लेयर के नेतृत्ववाली तत्कालीन ब्रिटिश सरकार या अमरीका या फ्रांस की ओर से कोई पहल देखने को नहीं मिली। वे तो भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े का मजा उठा रहे थे।

हम सभी एक राष्ट्र के अंग हैं। जब हम चुनाव लड़ते है तो अलग-अलग दल के रूप में लड़ते हैं। यह सही है कि जब विचारधाराकी बात आती है तो हम अलग-अलग बात कहते हैं। और यह भी सही है कि जब हम आपकी विफलता पर आपको कटघरे में खड़ा करते हैं तब भी एक अलग दल की हैसियत से ऐसा करते हैं। लेकिन, आखिरकार, हैं तो हम एक ही राष्ट्र के वासी। जब राष्ट्र के सम्मान, गौरव, मूल्यों, सनातन परंपराओं, विचारधारा और सुरक्षा पर ही हमला हो तब भी क्या आप आत्मावलोकन नहीं करेंगे? महोदय, गृह मंत्रालय की वर्ष 2001-2002 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है:-

"भारत सरकार आतंकवाद और उग्रवाद की इस समस्या को समूल रूप से नष्ट करने और अशांत क्षेत्रों में शांति स्थापित करने और सामान्य वातावरण तैयार करने के लिए अब बिलकुल कृतसंकल्प है। आतंकवादियों और हमारे पड़ोस में बैठे उनके आकाओं को बिलकुल साफ शब्दों में, स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया गया है कि उनकी कुटिल चालों को कतई सफल नहीं होने दिया जायेगा। इसके साथ ही सरकार ने सक्रिय और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है।"

क्या आप सरकार की 'सक्रिय और जवाबी कार्रवाई' का खुल्लासा करेंगे? इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है:-

"सरकार के इस कदम को अंतराष्ट्रीय समुदाय से भी निर्भ्रांत सकरात्मक समर्थन मिला है। आतंकवाद के विरूद्ध भारत अकेले जो लड़ाई लड़ रहा था, वह अब पूरे विश्व की लड़ाई है।"

एक वर्ष पहले, गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट मे तो आप कहते हैं कि आपको अंतराष्ट्रीय समुदाय से 'निर्भ्रांत समर्थन' मिल रहा है और यहां उत्तर देते समय आप कुछ और कहते हैं। क्रिस्टीना रोका ने एक वक्तव्य दिया था। आपने अपनी सरकारी रिपोर्ट में जो कहा, और वास्तव में जो पाया-क्या आप उसका औचित्य सिद्ध कर सकते है? क्या आपने वास्तव में इसे पाया है। क्या आप इस सभा के समक्ष बता सकेंगे कि, हां, हम इसे हासिल नहीं कर सके और हमारी ये-ये कमियां रहीं? इन्हें इस प्रकार बरता जाए अथवा ये उपाय किए जाएं, इत्यादि।

महोदय, अमरीका की सैनिक पाकिस्तान में जुट रहे हैं और हमारे देश में अमरीकी टुकड़ियों के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि हम यह अभ्यास क्यों कर रहे हैं। खैर, हम यह प्रश्न किसी और दिन पूछेंगे, आज नहीं। पूरे उपमहाद्वीप पर तनाव के बादल मंडरा रहे हैं, विनाश की आशंका बलवती हो रही हैं। और हम अभी भी विचार ही कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारी राजनयिक पहल सफल रही है। या तो आप राजनयिक मोर्चे पर अपना तरीका बदलिए या अपने खेमे को बदल डालिए। आप इस बात को मानिए कि इन कुछ क्षेत्रों में आपकी कमी रही है और अब आप इसमें सुधार करेंगे। आप यह बात समझ सकते हैं। संसद को विश्वास में लिया जा सकता है। हम यहां, इस देश में, इस संसद में, इस कार्यशील लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसीलिए तो हैं कि न सिर्फ देश की जनता की; बल्कि इसके लोकतंत्र की, उसके उद्देश्य की, उसके मूल्यों की, उसकी संस्कृति की और उसके धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की रक्षा कर सकें। केवल इसी ताकत के बल पर, और सरकार की सुस्पष्ट रणनीति के बल पर, हम आतंकवाद से लड़ सकते हैं।

लेकिन, मेरा सोचना है कि जब तक आप जम्मू और कश्मीर में वहां की आतंरिक राजनैतिक स्थिति और सोच, तथा उनसे मशविरे के बारे में कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाते; जब तक आप यह फैसला नहीं करते कि जम्मू और कश्मीर सरकार के किस अंग को आप विश्वास में लेंगे और किसे अपनी कार्रवाई से अवगत कराते रहेंगे; जब तक कि आपको यह पक्का विश्वास नहीं रहेगा और आपकी सोच सकरात्मक नहीं रहेगी कि आपका कौन सा राजनयिक प्रयास सिद्ध प्रयोजन होगा-मेरे विचार से, तब तक केवल भ्रम की स्थिति ही बनी रहेगी और परिणाम कुछ भी नहीं निकलेगा। सभी दलों की सहमति लेना ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है। इस देश के सभी राजनैतिक दल सर्वप्रथम इस देश के अंग हैं, दलगत विचारधारा विशेष के अनुयापी बाद में हैं। निश्चिय है, इस पर उनका सहयोग आप को मिलेगा। प्रश्न यह नहीं है कि यह संकल्प पारित होगा या नहीं। कुछ भी हो, इस मामले पर देश के सभी राजनैतिक दल, हमारा दल-सदैव राष्ट्र के लिए एकजुट रहेंगे। परन्तु, प्रश्न यह है कि क्या सरकार की जवाबदेही और वर्तमान संकट जैसी कठिन स्थिति में उसकी जिम्मेदारी, इस मुद्दे का सही ढंग से समाधान करने के लिए पूरी है?

हम प्रातः बात कर रहे थे कि अनेक तरह की राय मिल रही है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, इससे सभा में बखेड़ा होने लगता है। लेकिन, मैं वह वक्तव्य पढ़कर स्तब्ध रह गया। मुझे उम्मीद है कि सरकार ने भी वह बयान देखा होगा। इससे जाहिर होता है कि देश में ऐसे तत्व हैं जो यह बयान दे रहे हैं-यह बयान एक संगठन द्वारा दिया गया है कि और मैं उस संगठन का नाम नहीं लूंगा- कि देश का राजनैतिक नेतृत्व इस मुद्दे को हल नहीं कर सकता; हमें इसे सेना के-हमारे देश की सेना के-हवाले ही कर देना चाहिए। ऐसा कौन कर रहा है? कौन संसद की संप्रभुता को मिटा देने का प्रयास कर रहा है? कौन जनता को संविधान में दी गई छत्रछाया को मिटा

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

देने की कोशिश कर रहा है? जनता पर भी तो इस सबका बराबर का फर्क पड़ेगा। इस समय उसकी आबाज भी तो मायने रखती है। यदि आप एक मत से आतंकवाद का मुकाबला करने का आखिरी फैसला कर ही चुके हैं तो क्या आपको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए? मैं सरकार में बैठे किसी भी व्यक्ति को इलजाम नहीं देना चाहता। लेकिन, मुझे लगता है कि भले ही मैं विपक्ष में रहूं, तथापि, कुछ भी हो जाए पर इस सरकार के किसी भी कदम से पूरे राष्ट्र के निर्णय की प्रतिध्वनि आनी चाहिए; यह सरकार-जो सांविधानिक रूप से निर्वाचित हुई है और भारत के राष्ट्रपति ने जिसे शपथ दिलाई है, न कि किसी व्यक्ति विशेष ने!! आप जिस भी दिन दूसरी प्रवृत्तियां अपनाएंगे, हम फिर से स्वयं को जाल में फंसा पाएंगे, जैसा कि उस दिन श्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था। मैं सरकार से निम्नलिखित बाते कहना चाहूंगा-

1. कृपया आज इस मुद्दे पर सभा को विश्वास में लीजिए। इससे पूर्व कि अध्यक्षपीठ से यह संकल्प रखा जाए और गृहमंत्री चर्चा का उत्तर दें, यह तय कीजिए कि, आपकी गोपनीय सूचना के अलावा, क्या जम्मू और कश्मीर नीति के संबंध में आपकी आकस्मिक योजना और आपकी कश्मीर नीति का प्रकटीकरण करने में कोई समस्या है?

2. आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए आपकी व्यापक योजना क्या है? क्या आप पूरी तौर पर मान चुके हैं कि आप सारे राजनयिक प्रयास करके देख चुके, और उनसे कोई सफलता नहीं मिली? यदि नहीं, तो क्या आप अपनी राजनयिक पहल आगे भी जारी रखेंगे? यदि हां, तो किस दिशा में?

3. राष्ट्र को विश्वास में लेते हुए कृपया आज हमें यह बताइए कि आप केवल आतंकवादियों और कट्टरपंथियों पर सीधी कार्रवाई करके ही राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करेंगे, अपितु ऐसे कतिपय अन्य तत्त्वों पर भी कार्रवाई करेंगे, जिनकी पाकिस्तान या यहीं किसी और से साठगांठ है और जो सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने पर तुले हुए हैं।

आपको इन सब बातों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा।भारत सरकार का कर्त्तव्य है कि यहां इन बातों का खुलासा करे और सभा को विश्वास में ले।

हम यहां अपने निर्वाचन-क्षेत्र के कार्यकर्त्ताओं या जनता को संबोधित करने के लिए नहीं खड़े हैं। हम यहां किसी राजनैतिक मंच से भाषणबाजी करके अपने कार्यकर्त्ताओं को जोश में लाने के लिए नहीं खड़े हैं। हम यहां—संसद में—राष्ट्र से अपनी बात कहने और राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए खड़े हैं।

विगत दो दिनों से मैं कई साक्षात्कार, वार्ताएं सुन रहा हूं और सेनाधिकारियों से लेकर राजनैतिक मामलों के विशेषज्ञों की भावनाएं, प्रतिक्रियाएं, प्रत्युत्तर और विषलेषण भी देख रहा हूं।

अंततः, मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जनता तो प्रतिक्रिया देगी ही, व्यक्तिविशेष भी अपनी-अपनी बात कहेंगे; लेकिन अंतिम प्रतिक्रिया तो सांविधानिक रूप से निर्वाचित इस सरकार की ही होगी जिससे इस राष्ट्र, इसकी जनता और इसके संपूर्ण भौगोलिक परिदृश्य में एक अंतिम, निर्विकल्प और भावी उद्देश्य का संचार होगा। प्रश्न तो यही है कि हम पाकिस्तान को अलग-थलग कर देने के अपने अभियान में क्यों विफल रहे? अमरीका की बार-बार यात्रा करके भी हम जॉर्ज बुश और टोनी ब्लेयर को यह क्यों नहीं समझा पाए कि ''यह सारे अल-कायदा के ही हथकंडे हैं और उसके आतंकवादी जनरल परवेज मुशर्रफ का आश्रय पा रहे हैं। उन्हें वहां पूरी आजादी है।'' प्रश्न तो यही है कि हम उन्हें ऐसा क्यों नहीं कह पाए।

इस तनातनी के पहले मैं भारत का तुलन-पत्र देख रहा था। महाशक्ति कहलाने वाले उस देश की जरूरत तो हमें पड़ेगी, लेकिन व्यापार-वाणिज्य के मामले में उसे भी हमारी जरूरत है। मैं जानता हूं कि यदि मैं पंडित नेहरू श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी का जिक्र करूं, तो सरकार का कोई भी जिम्मेदार स्दस्य अभी ही उठकर मुझसे कहने लगेंगे कि आप वह बात मत कीजिए, वह समय दूसरा था-परमाणु हथियारों के पूर्व के दिनों का। और यही कारण है कि, मैं अनुभव करता हूं, कि इस सरकार को परमाणुशक्ति संपन्नता-पश्चात् की स्थिति, संभावनाओं, बेहतरी के उपायों तथा इस क्षेत्र के भले-बुरे का मूल्यांकन करना एकदम सही बात होगी। अतः इसके पूर्व कि यह सरकार अपनी सक्षमता की परिधि में कोई रणनीति निश्चित करे-अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से-यह संसद एक बात का अनुरोध इससे करना चाहेगी। आप लोगों को जनता का मत प्राप्त है। देश की ओर से आप जो उचित समझें, वह निर्णय लें। संसद इसे देखेगी-परखेगी। यह एक अलग बात हुई। आपकी सक्षमता पर मैं कोई प्रश्नचिहन नहीं लगा रहा।

मैं आपको सिर्फ एक मुद्दे पर सम्बोधित कर रहा हूं। अपना निर्णय देने से पहले आप कृपया संसद और संसद के माध्यम से देश को विश्वास में लेकर अपनी कमियों और उन कमियों को दूर करने की अपनी अंतिम योजना के बारे में बताएं। इस मुद्दे पर ऐसा करना न भूलिए। लोगों की उपेक्षा न करें।

मैं काफी प्रसन्न हुआ था जब कल मैं जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री द्वारा दूरदर्शन पर दिए गए साक्षात्कार को देख रहा था।

उन्होंने कहा, ''चुनाव हो या न हो मेरे लिए राष्ट्र महत्वपूर्ण है।'' मैनें उस समय बहुत गर्व महसूस किया था। जी हां, ऐसी अभिव्यक्ति और विचार होने चाहिए, परन्तु साथ ही, सरकार को यह समझना चाहिए कि यदि आतंकवादी जम्मू-कश्मीर के लोगों के चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के अधिकारों को हतोत्साहित करने हेतु चुनावों में बाधा डाल सकते हैं, तो यह उनकी जीत होगी। 20 लोगों को मारकर कोई बड़ी जीत नहीं हैं परन्तु आतंकवादियों द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोक देना दुर्भाग्यकारी है। इसलिए, सरकार को इस सभा को भी विश्वास में लेना चाहिए और यह बताना चाहिए कि क्या उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए स्थिति का संज्ञान लिया है कि जब कभी भी चुनाव होंगे, मताधिकार का संरक्षण किया जाएगा और लोकतंत्र तथा विधि का शासन लश्कर-ए-तोएबा और अन्य संगठनों की तथाकथित साजिशों के दुष्परिणामों के विरूद्ध बना रहे।

सरकार के लिए यह समय राष्ट्र को विश्वास में लेने का है। जैसाकि मैने कहा, कृपया शब्दाडम्बरों का सहारा मत लीजिए। शब्दडाम्बरों से पार्टी कार्यकर्त्ता प्रसन्न हो सकते हैं लेकिन वास्तव में राष्ट्र सरकार की योजनाओं एवं प्रस्तावों के कार्यान्वियन पर नजर रखता है। आपको निर्णय लेते समय यह नहीं भूलना चाहिए कि, यह देश एक बिलियन से अधिक की जनसंख्या वाला देश है जहां जटिल और विविध संस्कृति एवं उच्च्व परंपराएं विद्यमान हैं। इस देश के समाज के सभी वर्गों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री उनसे सलाह नहीं कर सकते लेकिन प्रधानमंत्री के कार्य और सरकार का प्रदर्शन एवं निष्पादन, इसके राजनीतिक एवं सामाजिक, कार्यों से देश की जनता में विश्वास पैदा किया जाना चाहिए। जी हां, सामाजिक सद्भाव की ताकत से हम किसी भी ताकत से लड़ सकते हैं। यदि कोई आतंरिक कमी है और बाहर आप गोला-बारुद जाया कर रहे हैं, तो वैसा संदेश नहीं जाएगा जैसा कि आज अपेक्षित है। अतएव, इन मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए।

कांग्रेस पार्टी से हमारी नेता ने स्पष्ट रूप से इस मामले में हमारी नीति और दृष्टिकोण के बारे में कहा।

मैं केवल उन्हीं क्षेत्रों का वर्णन करने का प्रयास किया है जिन क्षेत्रों में आपकी कूटनीतिक पहल असफल रही है। मैनें केवल यही बताने का प्रयास किया है कि वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए कोई व्यापक कश्मीर-नीति नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, सरकार को इन कमियों को दूर करना चाहिए और जो उचित समझें, वैसी कार्रवाई करें ताकि भविष्य में इस सभा में ऐसा कोई अवसर न आए और जम्मू या कोलकाता अथवा देश के किसी अन्य भाग में ऐसी किसी घटना पर चर्चा न हो। मैं समझता हूं कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। हम जम्मू कश्मीर की पीड़ित एवं संघर्षरत जनता के प्रति अपनी एकजुटता को व्यक्त करना चाहते है। हम भारतीय सेना, नौसेना एवं वायुसेना को नमन करते हैं। सीमा पर अपने देश की रक्षा के लिए गए उन जवानों के परिवारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं जो अपने बच्चों को घर पर छोड़ गए थे और वापस लौटे तो केवल उनके अंतिम संस्कार के लिए। उनको सांत्वना देने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं हैं हमें उनके द्वारा राष्ट्र का साथ देने के तरीके के प्रति एकजुटता व्यक्त करनी होगी। संसद उनके समर्पण और बलिदान के प्रति पूर्ण एकजुटता प्रदर्शित करती हैं यदि सेना का कोई जवान वर्दी में मरता है, तो उसे शहीद माना जाता है। उसे महावीर चक्र जैसे कई पुरस्कार दिए जाते हैं। मैं समझता हूं कि सेना के जो जवान अचानक हमलों में मारे जाते हैं वे भी शहीद हैं। गृहमंत्री को इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। वे इसके लिए जवाबदेह हैं और उन्हें राष्ट्र तथा संसद को जवाब देना है। आपकी समस्त योजना अथवा रणनीति में ऐसा कुछ नहीं हैं जिससे सैन्य कर्मिकों के परिवारों की देख भाल की जा सके।

सभापति महोदय इन शब्दों के साथ मुझे समय देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं महसूस करता हूं कि सभी दलों को एकस्वर से एक बार पुन: दर्शाना चाहिए कि हम आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट है, और हम सीमा पार से चलाई जा रही गतिविधियों के विरुद्ध एकजुट हैं। हमें विश्वास है और लोगों को भी विश्वास है कि आप इससे बिना किसी हस्तक्षेप के निपटने में पर्याप्त रूप से सक्षम हैं।

श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : महोदय डी एम के पार्टी की तरफ से हम कालूचक में हुई आतंकवादी कार्रवाई की दृढ़ता से भर्त्सना करते हैं। जिस प्रकार कोई प्रचंड तूफान किसी बाग में फल वाले पौधों लताओं एवं वृक्षों को उजाड़ देता है, उसी तरह जम्मू कश्मीर के कालूचक में आतंकवादियों के कातिलाना हमले में मासूम बच्चों, युवाओं महिलाओं और वृद्धों सहित 30 लोगों से भी अधिक की जानें चली गई। और घायलों जिनका इलाज चल रहा है, में से अनेक की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। केन्द्रीय रक्षा मंत्री, श्री जार्ज फर्नाडिज एवं गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री आई०डी० स्वामी ने संतप्त परिवारों की सांत्वाना देने तथा अस्पतालों में स्वास्थ्य-लाभ करने वालों की सहायता के लिए प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। विपक्ष की माननीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने भी उस क्षेत्र का दौरा किया और उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी आतंकवादी ताकतों के सफाया करने में राजग सरकार को पूरा समर्थन देगी। हम इस पहल का स्वागत करते हैं।

जम्मू कश्मीर के मुख्य मंत्री, डा० फारूख अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के इस दावे का खंडन किया था कि आतंकवादी हमले का कारण सुरक्षा कमिंया थी जिसके परिणामस्वरूप लगभग चालीस लोग मारे गए। पुन: डा० अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान इस कायरतापूर्ण

[श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम]

कार्रवाई के लिए उतरदायी है। उन्होंने उस क्षेत्र तथा समस्त जम्मू-कश्मीर राज्य में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती के लिए केन्द्र सरकार से मांग की हैं हम आशा करते है कि केन्द्र सरकार बिना किसी विलंब के उनके अनुरोध को पूरा करेगी। मैं अपने नेता डा० कलांयगर द्वारा इस संबंध में कहे गए शब्दों को उद्धृत करना चाहता हूं।

मैं उद्धृत करता हूं:

''संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इस घटना पर की गई प्रतिक्रिया स्वीकार्य नहीं हैं उन्होंने मात्र शोक वक्तव्य जारी करके इस घटना की प्रबलता को कम करने का प्रयास किया है और इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया हैं डा० फारूख अब्दुल्ला द्वारा किया गया वक्तव्य शोक और पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा भारतीय प्रदेश में क्रूर एवं अमानवीय हमले के विरूद्ध दिया गया दृढ़ वक्तव्य तथा प्रधानमंत्री वाजपेयी का इस आतंकवादी कार्रवाई के लिए करारा जवाब देने की बात को संयुक्त राज्य अमेरिका के वक्तव्य में परिलक्षित नहीं किया गया है।''

संयुक्त राज्य अमेरिका की असिस्टेट सैक्रेटरी सुश्री क्रिश्टिना रोक्का की हमारे विदेश मंत्री श्री जसवंत सिंह के साथ हुई उनकी वार्ता के दौरान कालूचक घटना की निंदा और राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश द्वारा माननीय प्रधामंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ की गई दूरभाष वार्त्ता जिसमें इस घटना पर रोष व्यक्त किया गया है। के नरसंहार को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है।

उसमें, हमारे नेता डा० कलायंगर ने जो कहा उसे मैं उद्धृत करता हूं :

''भविष्य में पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद को रोकने हेतु, संयुक्त राज्य अमेरिका को चाहिए कि वह पाकिस्तान को सख्त एवं गंभीर चेतावनी दे। दूसरी और यदि वे यह सोचते है कि वक्तव्यों को जारी करके वे हमें शांत कर सकते हैं तो हम हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक सभी भारतीय एकजुट होकर उस किसी भी ताकत को परास्त करके अपने सामर्थ्य को सिद्ध कर देगें जो हमारे विरूद्ध आतंकवादी हिंसा को उकसावां देते हैं। भारत को कम आंकने वाले किसी भी देश को सबक सिखाने में हम एक मिनट की भी देरी नहीं कर सकते है।''

जम्मू कश्मीर में रहने वाले हमारे भाई-बहन कब तक पीड़ित होते रहेंगे? क्या इसका कोई अंत नहीं है? कृपया इस पर विराम लगाइए। हम, डी एम के पार्टी, सरकार के साथ हैं और हम उन सभी कार्रवाईयों का समर्थन करेंगे जो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा आतंकवाद को रोकने तथा भारत में किसी भी प्रकार के घुसपैठ को रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए की जाती है।

अपराह्न 4.22 बजे

[**श्रीमती माग्रेट आल्वा** *पीठासीन हुईं*]

अपनी पार्टी की ओर से हम शोकार्त्त जवानों को नमन करते हैं। हम इस दुर्घटना में मारे गए जवानों के शोकसंतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। धन्यवाद

[अनुवाद]

श्री पूर्णो० ए० संगमा (तुरा) : महोदया, सर्वप्रथम मैं, पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से चलाये जा रहे आतंकवाद, आंतकवादी हमलों के स्थानों पर मंत्रियों और राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा किये जाने वाले दौरों, भारत के नेताओं द्वारा दिये गये वक्तव्यों, अन्तरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा व्यक्त की गई राजनयिक प्रतिक्रियों तथाकथित उच्च स्तरीय बैठकों और संसद में की गई चर्चा, इलैक्ट्रोनिक मीडिया में दिखाई जाने वाली बातचीत, प्रिंट मीडिया में छपी कहानियां और उसके पश्चात सामान्य जन जीवन जो नित्यक्रम सा बन गया है के बारे में कहना चाहूंगा।

कृपया जम्मू में आतंकवादी हमले से उत्पन्न उस ताजा स्थिति पर नजर डालिए जिस पर यह प्रतिष्ठित सभा इस समय चर्चा कर रही है, रक्षा मंत्री ने तत्परता पूर्वक हमले के स्थानों का दौरा किया हैं। अन्य कई नेताओं ने भी उन स्थानों का दौरा किया है, इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव महामहिम श्री कोफी अन्नान से लेकर सत्ताधारी भा०ज०पा० संसदीय दल के प्रवक्ता प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा के वक्तव्य सामने आए हैं।

किस तरह के वक्तव्य आए हैं। मैं इस सभा को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त की गई तत्काल प्रतिक्रिया की याद दिलाना चाहता हूं।, मै उद्धृत कर रहा हूं:

''यह घटना घृणित है

भारत के रक्षा मंत्री की तत्काल प्रतिक्रिया क्या है? मैं उसको उद्धृत कर रहा हूं।

''राष्ट्रपति मुर्शरफ से कुछ भी अच्छे की आशा नहीं की जा सकती हैं पाकिस्तान को दंड दिया जाएगा। उचित समय पर उचित कार्यवाही की जाएगी''

तो फिर इस संसद और इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों को उचित समय के आने की प्रतीज्ञा करनी पड़ेगी। प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा बहुत ही साहसी है। मैं उनकी बात उद्धृत कर रहा हूं:

"आपनी सहायता के लिए हम अमरीका पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, हमें अपनी लड़ाइयां स्वमं लड़नी होंगी'। बधाई हो! विदेश मंत्रालय की अधिकारिक प्रवक्ता सुश्री निरूपमा राव की प्रतिक्रिया क्या थी? मैं उसे उद्धृत कर रहा हूं।

"संयुक्त राज्य अमरीका हमारी चितांओं को समझता है।"

हम सुंयुक्त राज्य अमरीका के बारे में अत्यधिक बाते करते हैं। मेरे बड़े भाई श्री दासमुंशी ने भी क्रिश्टिना रोका के वक्तव्य से काफी कुछ उद्धृत किया है। लेकिन व्हाइट हाउस के अधिकारिक प्रवक्ता ने क्या कहा? मैं उद्धृत कर रहा हूं:

"आये दिन हिंसा होने वाली कश्मीर को स्थिति एक कठिन स्थिति है।" यही बात व्हाइट हॉउस के प्रवक्ता ने कही है।

यही बात संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत मेरे मित्र महामहिम श्री ब्लैकवैल ने कही है। मैं यह स्टार टेलीविजन पर देख रहा था, माननीय गृह मंत्री से मिलने के पश्चात वह बाहर आये और वह यह बोले:

"आतंकवाद आतंकवाद है, आतंकवाद है" लेकिन हमारे सेना प्रमुख जनरल पदमनाभम बिल्कुल स्पष्टवादी हैं। उन्होंने कहा था:

"वक्तव्यों का समय समाप्त हो गया है, अब कार्यवाही करने का समय है।'

वह बहुत ही साहसी हैं, यद्यपि उन सभी वक्तव्यों जिन्हें मैनें पढ़ा है के अतिरिक्त, वक्तव्य का समय समाप्त हो गया है तथापि मैं एक और वक्तव्य देने के लिए बाध्य हूं, मैं यह बात कहने के लिए बाध्य हूं कि हमारा देश खाली वक्तव्यों का देश है और उन वक्तव्यों का सब को पता चल गया है। हम कब तक वक्तव्य देते रहेंगे? हम ऐसी तथा-कथित उच्च स्तरीय बैठकें कब तक करते रहेगें? विभिन्न मंत्रियों और राजनीतिक दलों के नेताओं के दौरों से कितना लाभ हुआ है? क्या हमें कोई समाधान मिल गया है? वर्तमान परिस्थितियों में हमारे पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं? क्या हमने वास्तव में ही संभावनाओं का पता लगाया है? क्या इस संसद ने आज इस बात का पता लगाने की कोशिस की है कि हमारे पास क्या संभावनाएं हैं? मुझे इस बात की शंका है कि हम दिमाग नहीं लगा रहे हैं। तथाकथित रक्षा विशेषज्ञ तथाकथित सुरक्षा नीति विशेषज्ञ हमें बहुत से विकल्प दे रहें है। जिनके बारे में हम सब समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं।

पहला विकल्प क्या है? हम सीमित युद्ध करें। मैं वास्तव में यह नहीं जानता कि सीमित युद्ध का मतलब क्या हैं क्या सीमित युद्ध हो सकता है? यदि सीमित युद्ध होता है तो हम किस प्रकार के सीमित युद्ध की बात कर रहे हैं? परमाणु परीक्षण पोखरण-II के पश्चात जब इस संसद में परमाणु नीति पर वाद-विवाद हुआ था तो मैने सभी में ही कहा था कि आज तक सारे विश्व ने हमें पाकिस्तान से बड़ी सैन्य शक्ति माना है। लेकिन हमने परीक्षण किए पाकिस्तान द्वारा ऐसा किये जाने के बाद हमने जो कुछ किया वह यह है कि हमने अपने आपको पाकिस्तान के बराबर कर लिया है, हम बराबर हो गए हैं। भारत एक आण्विक शक्ति है और पाकिस्तान एक आण्विक शक्ति बन गया है। इसलिए सैन्य श्रेष्ठता की वजह से हमने अपने आपको बराबर कर लिया है।

इसके पश्चात आज तक अथवा परसों तक मुझे आशंका है/थी कि मुझे अपने पूर्व के वक्तव्य में संशोधन करना पड़ सकता है। मैं इस बात से आश्वस्त भी नहीं हूं कि क्या हम अब बराबर हो रहे है। मैं इसके बारे में आश्वस्त नहीं हूं आज हम स्पष्ट रूप से ऐसे बर्बादी के मोड़ पर हैं। और आप उन राजनयिक चेनलों की बात करते रहे है। आप सीमा पार से आतंकवाद की बात कर रहे हैं आतंकवाद के कारण मारे जा रहे लोगों की बात कर रहे है। और तो और हम आगरा में फंस गये तो क्या हम अब भी बराबर हैं? मैं नहीं जानता हमें इस पर बहुत ही सावधानी से सोचना होगा।

हम एक आण्विक शक्ति बन गए हैं और भारत सरकार ने सारे विश्व को वचन दिया है कि हम पहले इसका प्रयोग नहीं करेंगे। यहां नो फस्ट यूज पालिसी है। हमें तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब तक पाकिस्तान हम पर आक्रमण करता है। हम पाकिस्तान के हमले तक प्रतीक्षा करते रहेगें और हर चीज सहन करते रहेंगे और यह कहते रहेगें कि हमें राजनयिक ढंग से वार्ता करने दीजिए। रक्षा मंत्री जम्मू और कश्मीर जाते है, संसदीय प्रतिनिधि मंडल को भी जम्मू और कश्मीर जाने दीजिए, हम इस आण्विक हथियार का प्रयोग नहीं करेगें, हमने सारे विश्व के सामने 'नो फस्ट यूज पॉलिसी' को अपनाया हैं। मैं नहीं जानता...*(व्यवधान)* मैं आशा करता हूं कि भारत के लोग यह सुन रहे होगें।

अन्य विकल्प क्या है? उनका कहना है कि हमें आर्थिक प्रतिबंध लगाने चाहिए। किस प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध? क्या वे हम पर निर्भर हैं? हम आर्थिक प्रतिबंध की घोषणा करते है और अमरीका और पश्चिमी देश अपने स्वार्थों के कारण वे पाकिस्तान को अरबों करोड़ों डॉलर दे देंगे। आपके आर्थिक प्रतिबंधों से क्या होगा? क्या यह व्यवहार्य है? क्या व्यवहार्य विकल्प नहीं है।

हमें उच्चायुक्त का कार्यालय बंद करना चाहिए, हमें पाकिस्तान के उच्चायुक्त को भारत से निष्काशित करना चाहिए। परिणाम क्या है? मुझे नहीं मालूम? मैं यह भी नहीं जानता कि इन्डस जल संधि को रद्द करने से क्या परिणाम निकलेंगे। ये विकल्प हमारे सामने हैं। मैं नहीं जानता कि वे वास्तविक विकल्प हैं और उन पर यहां खुली

[श्री पूर्णो० ए० संगमा]

चर्चा होगी। यदि देश इसके बारे में काफी गम्भीर रहा होता तो हमने सम्भवत: संसद को बंद कमरे में चलाये जाने को वरीयता दी होती।

यदि हम अपने भविष्य के बारे में गंभीर होते तो मैं भी इस बात को वरीयता देता। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? समाधान कहां है? वास्तव में समाधान कारगिल सीमक्षा समिति की रिपोर्ट में ही हैं, पचास प्रतिशत समाधान इस पुस्तक में है और पचास प्रतिशत आज की सरकार की इच्छा शक्ति में है यदि सरकार के पास इच्छा शक्ति है और यदि वह जो पुस्तक में लिखा है उसे अपनाती हैं तो हम समाधान ढूंढ लेगें। कारगिल समीक्षा समिति की रिपोर्ट लगभग तीन वर्ष पहले प्रस्तुत की गई थी। सभा ने एक अवसर पर इस पर चर्चा की है और जब इसे सभा के समक्ष रखा गया तब सरकार ने कहा;

''कारगिल समीक्षा समिति ने लगभग 25 सिफारिशें की हैं जो मुख्यत: भारत की सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली में कमी को इंगित करती है इन सिफारिशों पर पर्याप्त विचार करने के पश्चात एक उपयुक्त निकाय के माध्यम से समिति की उक्त सिफारिशों में शामिल क्षेत्रों सहित राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली की सम्पूर्णता की व्यापक समीक्षा हेतु सरकार द्वारा आदेश दिया जा रहा है।''

महोदया, लगभग तीन वर्ष व्यतीत हो गए हैं। इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है? मैं इस देश को याद दिलाना चाहता हूं - शायद हम भूल गए है; यहां तक कि मैं भी इसके बारे में भूल गया हूं, मुझे तभी याद आया जब मेरे नेता ने सभा में भाषण हेतु मुझसे कहा, मैंने अपने मुख्यालय से इस पुस्तक को देखने की कोशिश की - कि कारगिल समीक्षा समिति रिपोर्ट में क्या लिखा हैं मुझे इस रिपोर्ट के अध्याय चौदह से केवल उन तीन अनुच्छेदों को पढ़ने की अनुमति दी जाए जिनमें सिफारिशें की गई हैं। इसमें लिखा है:

''निष्कर्षों से भारत की सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की अनेक गंभीर खामियां सामने आयी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन की बारीकियों से अनभिज्ञ राष्ट्रीय नेतृत्व ने लार्ड इस्को द्वारा तैयार किये गये और लार्ड माउंट बेटन द्वारा अनुशंसित ढांचे को स्वीकर किया 1962 की लड़ाई, 1965 का गतिरोध और 1975 की विजय, बढ़ते नाभिकीय खतरे शीत युद्ध की समाप्ति, एक दशक से ज्यादा कश्मीर में छद्म युद्ध का जारी रहना और सैन्य संबंधी मामलों में विद्रोह के बावजूद पिछले 52 वर्षों में मामूली बदलाव आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीति, नौकरशाही, सैन्य और खुफिया ढंग का यथास्थिति बनाए रखने में निहित स्वार्थ है। राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन शांति के समय गोण हो जाती है और युद्ध तथा छद्म युद्ध के समय रद्धोबदल से उत्कृष्ट मानी जानी हैं समिति दृढ़तापूर्वक विश्वास करती है कि कारगिल अनुभव छद्म युद्ध का जारी रहना और व्याप्त नाभिकीय पूर्ण सुरक्षा माहौल राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली ही अपनी अखंडता के विस्तृत समीक्षा को न्यायोचित ठहराती है। कार्यभार से दबी नौकरशाही ऐसी समीक्षा नहीं कर सकती है? वह राष्ट्रीय आयोग हो अथवा एक या एक से अधिक कृतक बल हों अथवा कोई व्यावहारिकता से जुड़ा अन्य हो विश्वसनीय विशेषज्ञों का स्वतंत्र निकाय हो, ऐसा अध्ययन करने के लिए अपेक्षित है जिन मुद्दों पर शीघ्रतापूर्वक ध्यान दिया जाना अपेक्षित हैं, वे निम्नलिखित हैं :

अगला पैरा बहुत ही महत्वपूर्ण है।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : तब तो मंत्रियो के एक दल ने रिपोर्ट सोंप दी है।

श्री पूर्णो ए० संगमा : मैं एक उत्तर आज मंत्री से चाहता हूं न कि आपसे।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : मैंने सोचा आप इसके बारे में जानते है...*(व्यवधान)*

श्री पूर्णो ए० संगमा : मैं नहीं जानता हूं और मैं सरकार से जानना चाहता हूं। आपके प्रति और हरेक व्यक्ति विशेष के प्रति मेरे यथोचित आदर के साथ कृपया और कोई टोका-टाकी नहीं करें कृपया अगले पैरा को सुने यह कहता है:

''राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद औपचारिक रूप से अप्रैल 1997 में गठित हुई थी अभी उभरकर सामने आ रही है और इसकी प्रक्रियाओं को परिपक्व होने में समय लगेगा।''

''प्रधानमंत्री मंत्री का प्रधान सचिव राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्य कर सकता है और चाहे इसके जो लाभ हो, वह अंतरिम व्यवस्था हो सकती है समिति विश्वास करती है कि एक पूर्णकालिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होना चाहिए और यह सुझाव देती है दूसरी पंक्ति है कार्मिकों को प्रणाली में जितना जल्दी संभव हो शामिल किये जाए और गंभीर जिम्मेदारियों के लिए तैयार किये जाएं''।

क्या मैं सरकार से जान सकता हूं कि क्या कारगिल सुरक्षा समिति की सिफारिश को लागू किया गया है या नहीं? क्या हमारे पास देश का पूर्ण-कालिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अथवा हमारे पास अभी भी अशं-कालिक सलाहकार है। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

इस सरकार को इस देश को स्पष्टीकरण देनी है। यह रिपोर्ट सैन्य खुफिया के बारे में बहुत कुछ कहती है। हमने श्रव्य और दृश्य जनसंचार माध्यमों में पढ़ा और देखा है कि जो पाकिस्तानी तालिबान शासन की सहायता करने के लिए अफगानिस्तान गए थे उन्हे पाकिस्तान वापस भेज दिया गया था। क्या हम जानते हैं कि वे अब क्या कह रहे हैं? क्या हम जानते है कि वे कहां हैं? क्या हम जानते हैं कि उनमें से कितने लोग वहां है?

अखबारों और श्रव्य और दृश्य जनसंचार माध्यमों ने अनुमान लगाया था कि सीमा-पार से आतंकवाद बढ़ सकता है क्योंकि वे लोग जो अफगानिस्तान में है अब पाकिस्तान में है? क्या हम इसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकते? इसका पूर्वानुमान हम क्यों नहीं लगा सकते। ऐसा इसलिए था क्योंकि हम इसके पूर्वानुमान के लिए हमने कोई एजेंसी नहीं स्थापित किया है।

आज मेरे पास मात्र एक प्रश्न है। मैं भारत सरकार से क्रमांक 25 की प्रत्येक सिफारिश के बारे में जानना चाहता हूं। उन सभी सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है। इस राष्ट्र को इसके बारे में जानना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति महोदय, यह विषय राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जो घटना कालूचक में हुई, उसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। लेकिन यहां निंदा केवल निर्गुण निंदा होती है जबकि निंदा सगुण होनी चाहिए। केवल निंदा करना हमारा काम नहीं होना चाहिए। मैं बहुत ही कम समय में दो-तीन सवाल सरकार से पूछना चाहता हूं। जिस तरह से बहस की शुरूआत हुई, वह अच्छे स्तर की शुरूआत थी लेकिन जब माननीय मदन लाल खुराना जी घटनाचक्र का जिक्र कर रहे थे उस घटना चक्र का वर्णन करते हुए बहस का स्तन नीचे पहुंचा, क्योंकि आसन से निर्देश हुआ था कि बहस के स्तर को बनाये रखा जाए। खुराना जी, इसीलिए मेरे मन में आपकी बात से पीड़ा हुई। जब मैंने आपको सुना तो मुझे थोड़ी निराशा हुई। आपने कहा कि डोडा में इतने हिंदू मारे गये, अमरनाथा यात्रा में इतने हिंदू यात्री मारे गये। यह सवाल हिंदू-मुसलमान का नहीं था। अमरनाथ यात्रा में जो 14 लोग मारे गये उसमें से 8 हिंदू और 6 मुसलमान थे। घोड़ो पर बैठाकर यात्रियों को अमरनाथ ले जाने वाले मुसलमान थे। यह बहस हिंदू-मुसलमान की नहीं है, यह बहस राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहस हैं विदेशी आतंकवाद बनाम देश की सुरक्षा पर बहस हैं खुराना जी, इसमें हिंदू-मुसलमान की बात न की जाए - यह मेरी आपसे प्रार्थना है। आपको इस तरह की बहस करनी है तो उसके लिए बीजेपी में अलग प्लेटफार्म है। आज जो बहस है उसमें संपूर्ण सदन आज सरकार के साथ हैं राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के लिए जो भी कदम सरकार उठाएगी, सारा सदन सरकार के साथ है। आप क्यों दल की बात करते हैं?

मुझे उस समय पीड़ा हुई जब बहस का स्तर सदन में गिर गया जो एक चिन्ता का विषय है। संसदीय लोकतंत्र में बहस का स्तर गिरना ठीक नहीं है। यदि वह गिरेगा तो संसदीय लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। यह राष्ट्रीय पंचायत हैं हमारी आबादी सौ करोड़ है और अमेरिका की आबादी 26 करोड़ है। दासमुंशी जी विद्वान आदमी हैं वह सब कुछ इस बारे में जानते हैं। अमेरिका ने तालिबान को समाप्त करने के लिए एक मिनट भी संयम नहीं बरता । उसे यूरोपियन कंट्रीज से सहायोग मिला क्योंकि अमेरिका धनी देश है और वह अपने आप को सर्व शक्तिमान समझता है।

अपराह्न 4.46 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

हमारे देश ने भी ऐसे मौके पर अमेरिका का साथ दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खात्मे में हमारा भी सहयोग होगा लेकिन बहस का स्तर जरा ठीक होना चाहिए। आज जम्मू-कश्मीर में बहुत से लोग मारे जा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर की विधान सभा में जो घटना घटी उसमें कौन लोग मारे गए? इसमें हिन्दू मुसलमान का सवाल नहीं है, यह राष्ट्र का सवाल है। जम्मू-कश्मीर सबसे अधिक आतंकवाद का शिकार हो रहा हैं। जम्मू-कश्मीर में चुनी हुई नेशनल कान्फ्रेंस की सरकार हैं रक्षा मंत्री और गृह मंत्री जी जब इस बारे में बात करते हैं तो उस सरकार को विश्वास में लेकर वार्ता करें। उनके पीठ पीछे किसी संगठन से समझौता करने से इस समस्या का हल नहीं निकल सकता। हम आतंकवाद को कैसे मिटा सकते हैं, इसके लिए चुनी हुई सरकार की भावनाओं को जरूर ख्याल करना चाहिए।

पाकिस्तान पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी दबाव डाला गया था लेकिन वह अब घट गया है। इस बात को हमें कबूल करना चाहिए। इस बीच जो घटना घटी उसकी तरफ दुनिया के देशों का ध्यान दिलाना चाहिए। संसद और जम्मू-कश्मीर विधान सभा पर जो हमला हुआ वह विदेशी आतंकवादियों का हमला था इसके बाद कूटनीतिक स्तर पर जो प्रयास शुरू हुए, उससे पाकिस्तान पर दबाव बना लेकिन आज वह घट गया है। पाकिस्तान से ट्रेनिंग प्राप्त करके आए आतंकवादी आज सेना के कैंपों तक हमला करते हैं। वह अब कालूचक तक पहुंच गए हैं। सरकार को इस बारे में सोच कर समन्वित कार्य योजना बनानी होगी। हम इस पर केवल चिन्ता व्यक्त करें और ढिलाई दे दें, इससे समस्या का हल होना वाला नहीं हैं आपने इस बारे में जो

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

कार्य योजना बनायी उसमें देश के जवान, सेना और जम्मू-कश्मीर की पुलिस को भी शामिल किया होगा। सब को साथ लेकर समन्वित कार्य योजना को लागू करना पड़ता हैं इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

आज सीमा पार से आने वाले आतंकवादियों की संख्या बढ़ती जा रही है जबकि वह घटनी चाहिए क्योंकि सीमा पर सेना तैनात हैं समय नहीं है इसलिए मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा लेकिन यह बात सच हें कि घुसपैठियों की संख्या बढ़ी है। वे यहां उपद्रव करते हैं और वह चाहे जम्मू का क्षेत्र हो या पठानकोट का रास्ता हो। क्या घुसपैठ के प्वाइंट पर चौकसी और कैसे मुस्तैदी बरती जा रहीं है? घुसपैठिओं की संख्या कैसे बढ़ रही है? समाचार पत्रों में आया था कि कालूचक में जो घटना घटी उसके तीन घंटे पहले आतंकवादी पाकिस्तान से हिन्दुस्तान में आए थे। वह कौन सा प्वाइंट है और क्या सरकार ने उसे लोकेट किया है या अभी कर रही है? इस बारे में सरकार का क्या प्लान है और किस तरह वह प्वाइंट लोकेट करके विशेष चौकसी बरतने का प्लान सरकार ने बनाया है? सरकार को इस बारे में मुस्तैद होना चाहिए ताकि इसका स्थायी हल इस दिशा में निकले।

अध्यक्ष महोदय, इसलिये में कहना चाहता हूं कि अमरीका और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज से हमें संयम बरतने की सलाह दी जाती है लेकिन हम कितना संयम बरतें? एक कहावत है - 'गुड खाये और गुलगुलों से परहेज।' जब अमरीका पर तालिबान का हमला हुआ तो उसने समूची दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिये न्यौता दे डाला। तीसरी दुनिया के लोग आर्थिक रूप से सबल नहीं हैं... *(व्यवधान)* यह राष्ट्र की सुरक्षा और एकता का सवाल हैं। सरकार आतंकवाद के खिलाफ जो भी कार्यवाही करे, आतंकवादियों के आर्थिक स्त्रोतों को नष्ट करना होगा, उस पर रोक लगानी होगी। हमें अपने बलबूते पर लड़ाई लड़नी होगी, अमरीका की कोई मदद नहीं चाहिए। हमें अपनी सार्वभौमिकता की रक्षा खुद करनी होगी। हमें अपनी आत्मरक्षा के लिये किसी की सलाह की जरूरत नहीं हैं हमारा देश और हमारी सेनायें ताकतवर हैं, हम किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिये सक्षम हैं। यदि अमरीका हमारी मदद करना ही चाहता है तो आतंकवादियो के जो आर्थिक स्त्रोत हैं, उन पर रोक लगाये, उनके आर्थिक स्त्रोत बंद करे।

अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करिये।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के साथ 'प्रौक्सी वॉर' चल रहा है जिसमें दुश्मन आमने-सामने नहीं होता। इस 'प्रौक्सी वॉर' में छुपकर वार किया जाता है और यही हमारे देश के साथ किया जा रहा है। यह एक प्रकार से कायरतापूर्ण हमला हैं यह सब भौगोलिक स्थिति और मौसम की स्थिति पर निर्भर करता हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि पूरा देश, यह सदन एकजुट सरकार के साथ है...*(व्यवधान)*

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : अध्यक्ष महोदय, हमारी जैसी छोटी-छोटी पार्टियों के साथ न्याय नहीं होगा। हम बार-बार कहते हैं कि जितना अधिकार इनका है, उतना ही अधिकार हमारा है, आप हमें रोक नहीं सकते हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं यही कह रहा था कि आतंकवाद मिटाने के लिये इस आतंकवाद की लड़ाई में सम्पूर्ण देश और सम्पूर्ण सदन एकजुट हैं माननीय सदस्य इसे दूसरे ढंग से ले रहे हैं। आज सम्पूर्ण देश और यह सदन प्रधानमंत्री जी के साथ एकजुट है। सरकार को इसके लिये एक मजबूत नीति बनानी चाहिए। आतंकवाद का समूल नाश करने के लिये, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिये समूचा देश आपके साथ खड़ा है। हम पूरी तरह से विश्वास दिलाते हैं कि हमारी पार्टी आपके साथ है। आपके पैर लड़खड़ाने नहीं चाहिए। आतंकवाद को मिटाने के लिये, आतंकवाद को समाप्त करने के लिये, आतंकवाद से निजात पाने के लिये, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिये आप आगे कदम बढ़ायें, हम आपके साथ हैं। केवल कठोर शब्दों में मुकाबला न कीजिये बल्कि एक समन्वित कार्य योजना बनाकर आतंकवाद का मुकाबला करिये।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। प्रधान मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री में से कोई भी बात सुनने के लिए कहां उपस्थित नहीं है...(व्यवधान) यह ठीक हैं आप सब राज्य मंत्री हैं। अभी-अभी यह एक मंत्री हैं जो केवल पांच मिनट पूर्व ही आये हैं। उनमें से कोई भी सुरक्षा से संबंधित नहीं है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी०एच० विद्यासागर राव) यही मुद्दा राज्य सभा में भी उठाया जा रहा है इसलिए गृह मंत्री वहां हैं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझती हूं कि आपको निर्देश देना चाहिए ताकि भारत के सुरक्षा मामलों से संबद्ध उनमें से कम से कम एक मंत्री यहां उपस्थित रहना चाहिए। मैंने अपने 29 वर्षों के संसदीय इतिहास में कभी भी यह होते हुए नहीं देखा। एक भी संबंधित वरिष्ठ मंत्री हमारी बात सुनने के लिए यहां नहीं है। इस बहस का क्या उपयोग है।

ये जम्मू और कश्मीर अथवा देश की सुरक्षा के प्रति कितने गम्भीर हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्लीज, आप सब बैठिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : आप केवल दो मिनट पूर्व ही आए है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्राइम मिनिस्टर यहां नहीं हैं होम मिनिस्टर यहां नहीं हैं, डिफेन्स मिनिस्टर यहां नहीं हैं, फारेन मिनिस्टर यहां नहीं है, कोई यहां नहीं है। आप क्या बोलेगें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैने आपकी बात समझ ली हैं यहां दो केबिनेट मंत्री है। कई राज्य मंत्री भी यहां है। आपको अच्छी तरह पता है कि यह सामूहिक जिम्मेदारी है। एक केबिनेट मंत्री की भी इस सभा में उपस्थिति पर्याप्त है...*(व्यवधान)*

[हिंदी]

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : आपकी बात ठीक नहीं है। गृह मंत्री राज्य सभा में बैठे है और कई मिनिस्टर्स यहां बैठे हुए हैं, ये यहां उपस्थित हैं आप खुद देख लीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : परन्तु उनमें से कोई भी चर्चा के विषय से संबंधित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अगले माननीय सदस्य को बोलने के लिए बुलाने से पूर्व में सभी माननीय सदस्यों से एक अनुरोध करना चाहता हूं चूंकि यह एक महत्वपूर्ण बहस हैं और मैं अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने की अनुमति देना चाहता हूं, मैं प्रत्येक सदस्य से लिए जाने वाले समय को कम करने का अनुरोध करता हूं ताकि बहस समय पर समाप्त की जा सके। यदि सभी माननीय सदस्यगण सहयोग करें और बहस जो भी प्रकार चल रही है इसी प्रकार चलती रहे तो मुझे प्रसन्नता होगी। कोई भी अन्य मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी जायेगी क्योंकि इस तरह मुख्य मुद्दे से ध्यान हट जायेगा। धन्यवाद

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुशी : महोदय, मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री कार्यालय में माननीय राज्य मंत्री श्री विजय गोयल पूरे मंत्रिमण्डल का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : दो केबिनेट मंत्री हैं। श्री जगमोहन और श्री सैयद शाहनवाज हुसैन यहां हैं।

(व्यवधान)

[हिंदी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, यहां मेरा नाम लिया गया है कि मैंने केवल हिन्दुओं का नाम लिया है। तीन दिन पहले पेपर 'भाषा' में न्यूज छपी है कि उसमें सिखों का...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी यह कहने की जरूरत नहीं है।

श्री मदन लाल खुराना : उसमें मैंने सिखों का, मजदूरों का और हिन्दुओं का नाम लिया है, मैंने सबका नाम लिया है। मैंने केवल हिन्दुओं का नाम नहीं लिया है।

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल की ओर से सरकार की ओर से तथा जम्मू और कश्मीर के लोगों की ओर से 14 तारीख को जम्मू में कालूचक में हमलों - हिमाचल सड़क परिवहन निगम की बस पर हुए हमले और हमारे बहादुर सैनिकों के परिवारों के आवासों पर हमले की निंदा करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, यदि आपकी कृपा हो तो मुझे जब हमला हो रहा था उस समय हमारे एक सैनिक के मकान में माहौल का पुनः चित्रण करने के लिए इस सभा का एक मिनट लेने की अनुमति दें। प्रातः काल था; एक मां अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। उसका एक लड़का और दो लड़कियां थीं। पिता, जो कि सीमा पर लड़ते हुए हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए तैनात है की अनुपस्थिति में माता यथा सम्भव बहादुरी से पिता और माता की भूमिका निभा रही थी। जब वह अपने बच्चों को तैयार कर रहीं थी तो उसने बाहर गोली चलने की आवाज सुनी। उसने अपने पुत्र से बिस्तर के नीचे छिपने के लिए कहा और अपनी पुत्री को भागकर बाथरूम में घुसकर बंद करने के लिए कहा। उग्रवादी तोड़कर अंदर घुसगए और उस

[श्री उमर अब्दुल्ला]

पर गोली चलाई। वह पीड़ा से चीखी। उसकी पुत्रियां बाहर भागी और उन्हें दिन दहाड़े गोली मार दी गई। अकेला जीवित सदस्य वह बेचारा लड़का था जिसने दिन दहाड़े अपनी माता और बहनों की हत्या होते देखी। अब, हम उस सैनिक को क्या कहें जो सीमा पर है? हम अपने सैनिकों को क्या कहें जो हमारे देश की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं? क्या हम उन्हें कहें : "हमारे लिए लड़ो परन्तु हमें पता नहीं कि आपके परिवारों के साथ क्या होगा?" क्या हम उन्हें कहें : एक मिनट की सूचना पर पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार रहें परन्तु आपके परिवारों के जीवन को भी खतरा हैं?

विश्व भर के नेता यहां आते हैं और हमें कहते है : धीरज रखो और प्रतीक्षा करो। हम हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं। आपकी चिंता पर ध्यान दिया जा रहा है। हमने 13 दिसम्बर के बाद ये सभी शब्द सुने। 13 दिसम्बर के पश्चात जब देश संसद पर आक्रमण के बाद गम्भीर रोष तथा क्रोध से भर उठा तो हमने ठीक यही सुना : 'धीरज रखो। प्रतीक्षा करो। सब ठीक हो जायेगा। आपकी चिंता पर ध्यान दिया जा रहा है।'

महोदय देश के लिए यह आक्रमण हमारी संसद पर हुए आक्रमण से कम दुःखद एवं नुकसानदायक नहीं है।

अपराह्न 5.00 बजे

इस आक्रमण ने इस समय सीमा पर तैनात हमारे सैनिकों के मनोबल पर गहरा आघात किया है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसे रोका न जाए, इसकी निन्दा न की जाए और इसका उत्तर न दिया जाए। 13 दिसम्बर, 2001 के आक्रमण के बाद सरकार ने दो प्रकार से प्रतिक्रिया व्यक्त की है राजनयिक प्रतिक्रया एवं सैन्य प्रतिक्रयां राजनयिक उत्तर के तौर पर दोनों देशों के बीच की उड़ानें, बस एवं रेल सेवा रोक दी गई हैं सैन्य जबाव के रूप में सीमा पर बहुत अधिक सैन्य बल तैनात किए गए। इन परिस्थितियों में हमने महसूस किया कि इस समय इतना ही पर्याप्त है कि पाकिस्तान को यह संदेश जाए कि अब बहुत हो चुका और आगे हम इसे बर्दाशत नहीं करेंगे।

हमने पाकिस्तान से अत्यंत आसान अपेक्षाएं की थी। लश्कर-ए तय्यबा, जैश-ए-मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाना, उनके नेताओं की गिरफ्तारी, सीमा पार घुसपैठ और आतंकवाद पर रोक और आतंकवादियों एवं अन्य गैंग के सदस्यों सहित 20 'मोस्ट वांटेड' अपराधियों को भारत को सौंपना अन्तरराष्ट्रीय समुदाय से हमने क्या चाहा? हमने केवल समर्थन की अपेक्षा की। हम केवल इतना मांग रहे थे। हम वित्तीय समर्थन नहीं मांग रहे थे। हम सैन्य सहयोग नहीं माँग रहे थे। हम केवल वही समर्थन मांग रहे थे जैसा कि समय समय पर पश्चिमी देशों ने अपने वक्तव्य में कहा था कि आतंकवाद चाहे जहां भी हो, बर्दाशत नहीं किया जाएगा।

हमें क्या मिला? हमें पाकिस्तान से किसी प्रकार का सहायोग नहीं मिला। 20 अपराधियों को हमें सौंपा नहीं गया। वास्तव में ऐसी खबरें सुनने में आती रही कि इन 20 में से कुछ को पाकिस्तान की नागरिकता दे दी गई है। पाकिस्तान उन्हें सौंपना नहीं चाहता। घुसपैठ के संबंध में हम बिना किसी आशा के भी आशा करते रहे कि बर्फ पिघलने पर घुसपैठ में कमी आएगी और हमें संतोष होगा कि पाकिस्तान हमारी चिन्ताओं पर ध्यान दे रहा है और इस प्रकार हम उस देश के साथ संबंध बहाल कर सकेंगे।

आसूचना एवं सुरक्षा बलों के आंकड़ों से मुझे इस दुखद सत्य का ज्ञान हुआ है कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष घुसपैठ में वृद्धि हुइ है। अत: उसके कारण पाकिस्तान ने हमारे द्वारा बताए गए कार्यो पर कार्रवाई न करने का निश्चय किया है। मैंने 20 अपराधियों की सूची के बारे में पहले ही बता दिया है। घुसपैठ और हिंसा की गतिविधियों का जबाव हम कुछ दिनों पहले जम्मू में दिए होते। जम्मू-कश्मीर में हिंसा नहीं रूकेगी।

अन्तरराष्ट्रीय समुदाय से हमें क्या मिला है? मेरे विचार से केवल बातों से हमदर्दी व्यक्त की गई है।

अन्तरराष्ट्रीय समुदाय ने हमारे प्रति केवल बातों से हमदर्दी व्यक्त की है। उनका कहना है। हमने आपकी चिन्ता मंचों पर उठाई है, हम इस स्थिति से बहुत चिन्तित हैं। हम चाहते हैं कि आप धैर्य रखें, हम चाहते हैं कि आप संयम रखें और कुछ न करें। वास्तविक त्रासदी यही है क्योंकि हमने अपना संदेश विदेशों तक पहुंचाने के लिए पूरे राजनयिक प्रयास किए। हमने दलगत भावना से ऊपर उठकर महत्वपूर्ण देशों की यात्रा पर संसद सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल भेजे और बाहय विदेशों को आतंकवाद एवं अपनी समस्याओं एवं अपेक्षित ज़बाव से अवगत कराया। हमने सोचा कि अन्तरराष्ट्रीय समुदाय का मानक स्थापित करने का अपना इतिहास रहा हैं जब उन्हें पता चलता है कि कोई देश अन्तरराष्ट्रीय समुदाय के मानकों के प्रतिकूल कार्य कर रहा है तो वे उस देश पर प्रतिबंध लगाते हैं या प्रतिबंध लगाए बगैर ही उस देश को दंडित करते हैं।

महोदय, पाकिस्तान को गत 20 वर्षों से अधिक समय से भारत के विरूद्ध आतंकवाद भड़काने के बदले में क्या मिला है? दंड के बदले उसे लाभ मिला है - यूरोप में वहां के वस्त्रों का बाजार बढ़ा है, अमरीका में उसके उत्पादों की पहुंच बढ़ी हैं सबसे अधिक दुख आज हमें तब हुआ जब हमने आज समाचारपत्रों में पढ़ा कि विश्व बैंक ने पाकिस्तान को 500 मिलियन डालर ऋण उस समय स्वीकृत किया है जब आतंकवादियों ने पाकिस्तान की सीमा पार करके हमारे यहां निर्दोष पुरूषों, महिलाओं एवं बच्चों के ऊपर आक्रमण किए हैं।

महोदय, यदि अन्तरराष्ट्रीय समुदाय से हमें इसी प्रकार का समर्थन मिलेगा तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वे अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। हमें यह समर्थन नहीं चाहिए। हमें आपका समर्थन नहीं चाहिए। हमने पूरे जीवन अपने बल पर संघर्ष किया है। हमने स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष अपने बल पर किया है।

हमने सारी लड़ाइयां अपने बल पर लड़ी हैं, हमने कारगिल की लड़ाई जब पाकिस्तानी सेना के नियमित सैनिक हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर रहे थे, अपने बल पर लड़ी। उन्होंने इस तथ्य को मानने से इंकार कर दिया। उन्होंने इसकी अनदेखी की। अत: हमने कारगिल की लड़ाई अपने दम पर अच्छी तरह लड़ी।

11 सितम्बर के बाद आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई के विषय में मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। मेरा मानना है कि इस सभा में किसी को संदेह नहीं होगा कि अन्तरराष्ट्रीय समुदाय आतंकवाद के विरूद्ध हमारी लड़ाई को अपनी लड़ाई मानकर लड़ेगा। क्या हमें निराशा हुई है। हां हम निराश हुए हैं। इस तथ्य के विषय में कोई संदेह नहीं है कि हम निराश हुए हैं। आतंकवाद के विरूद्ध हमारी लड़ाई अपनी है न कि अन्तरराष्ट्रीय समुदाय की आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई। यह लड़ाई हमारी ही है और हम उससे उसी तरह निपटेंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने अपने भाषण के दौरान, हमारे देश के दौरे पर आई अमरीका की एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिए गए साक्षात्कार से कुछ अंश उद्धृत किये जिसमें उसने कहा है कि स्थिति स्पष्ट रूप से नहीं देखी जा सकती और हमें अपनी मांग पर अड़े नहीं रहना चाहिए और हमें कुछ लचीला रूख अख्तियार करना चाहिए। यह अच्छा है। स्पष्टता के संबंध में मैं इस सम्माननीय सभा को अमरीका के राष्ट्रपति के उस कथन की याद दिलाता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि : "यदि आप हमारे साथ नहीं है तो आप आतंकवादियों के साथ हैं" यह उसी तरह सामान्य बात है। यह लिखित रूप में है। यदि आप हमारे साथ नहीं हैं तो आप आतंकवादियों के साथ हैं।

जहां तक भारत के अपनी मांग पर अड़े रहने का प्रश्न है तो हम क्यों नहीं अड़े रहेंगे? यदि पाकिस्तान निर्दोष लोगों महिलाओं एवं बच्चों को मारने की अपनी कसम पर अड़ा रहता है तो हम अपनी सभी मांगो 20 आतंकवादियों की सूची, सीमा पार से घुसपैठ, हिंसा रोकने की मांग और इन समस्याओं के समाधान से पहले पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं करने पर अड़े रहेंगे। इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए हमें जो भी करना आवश्यक होगा करेंगे। मैंने पूरे पहलुओं पर विचार किए बगैर सैनिक समाधान की बात कभी नहीं की। लेकिन दुर्भाग्य से हम इस प्रकार की स्थिति में हैं जिसमें हमने पाकिस्तान के दुष्चार को पाकिस्तान से भी अधिक गंभीरता से लिया है। अब हम सैन्य बलों के प्रयोग की बात करने के तुरन्त बाद इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि यह तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होगा। मैंने इसी प्रकार की स्थिति में संसद में दिए गए अपने पूर्व के भाषण में कहा है कि मेरी समझ में यह नहीं आता कि पाकिस्तान परमाणु के विकल्प के बारे में सोच भी कैसे सकता है आप भारत एवं पाकिस्तान के आकार को देखकर समझ सकते हैं कि पाकिस्तान द्वारा परमाणु हथियारों का प्रयोग करने की बेवकूफी करने पर कौन देश बचेगा। साधारण सी बात है कि पाकिस्तान इस गलत पूर्व धारणा के आधार पर कार्य कर रहा है कि भारत में लोकतंत्र हैं, वहां साझा सरकार है जिसे सहमति बनाने में समय लगेगा जैसा कि साझा सरकार की प्रकृति होती है, और जब तक भारत सहमति बनाएगा तक तक उपयुक्त अवसर निकल जाएगा और वह जो चाहेगा करता रहेगा और भारत जबाव नहीं देगा। मेरा मानना है कि पाकिस्तान यदि अपनी गलत धारणा को स्पष्ट करना चाहता है तो आज संसद में चल रही बहस को शुरू से जब श्रीमती सोनिया गांधी, विपक्ष की नेता ने बहस की शुरूवात की थी, को टीवी. पर देखें। उनके द्वारा दिए गए भाषण की प्रशंसा करना मेरी सामार्थ्य से परे हैं उनके भाषण से इस बहस में गति एवं जान आई है। बहस दलगत भावना से ऊपर थी। यह जाति, पन्थ एवं धर्म के मतभेदों से ऊपर थी। हमारे बीच पोटो, अर्थव्यवस्था एवं अन्य अनेक बातों पर मतभेद हो सकते हैं लेकिन पाकिस्तान एवं शेष विश्व को यह समझ लेना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा एवं भारत के हितों के मुद्दों पर इस देश में कोई मतभेद नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं इस सरकार से, जिसका मैं सदस्य हूं और इस प्रतिष्ठित सभा से अनुरोध करता हूं कि आज हमारे द्वारा 13 दिसम्बर के बाद उठाए गए समस्त कदमों के बावजूद जो स्थिति बनी हुई है हम उसे मानें। पाकिस्तान ने हमारी चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया है और हमने राजनयिक स्तर पर या अन्य स्तरों पर अन्तरराष्ट्रीय समुदाय के साथ जो भी प्रयास किए हैं, उनके फलस्वरूप हमें आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं मिला है। हम यह मानें कि हम इन पैरामीटरों के भीतर काम कर रहे हैं और यह मानें कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने हर अवसर पर वही निर्णय लिए हैं जो राष्ट्रहित में है।

इस स्थिति में भी हम समस्त हानि-लाभ का आकलन करेंगे, मौजूदा स्थिति का आकलन करेंगे और जो भी राष्ट्रहित में होगा ऐसा निर्णय लेंगे।

एक समय इस चर्चा के दौरान शायद यह सुझाव दिया गया था कि हम जो भी समय चुनें हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जम्मू-कश्मीर में अक्तूबर में चुनाव होने जा रहे हैं। जी हां, इस बात का ध्यान रखना होगा। ये चुनाव राज्य के लिए और हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन ये चुनाव हमारे राष्ट्र और राष्ट्रीय सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर) : आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं!

श्री उमर अब्दुल्ला : मैं, मेरे पार्टी अध्यक्ष और मेरी पार्टी या कोई भी अपने आप को राष्ट्र से ऊपर नहीं रखेगा। हम चाहते हैं कि चुनाव समय पर हों; लेकिन हम चाहते हैं कि चुनाव शांतिपूर्वक हों। यदि ऐसी घटनाएं, जैसी जम्मू में अभी हुई है, होती रहीं तो स्वाभाविक ही है कि जम्मू-कश्मीर के चुनावों पर इसका असर पड़ेगा और जो लोग अन्यथा चुनाव में भाग लेना चाहते हैं, वह भी भाग नहीं ले पाएंगे। इसलिए, यह स्थिति है या यह तथ्य है जिसे अंतिम निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। किन्तु अपनी पार्टी की ओर से मैं यह कह सकता हूं कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो भी निर्णय लेगी, उसको हमारा पूरा समर्थन है।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। 14 मई, 2002 को कालूचक और सेना शिविर पर हमला हुआ जिसमें यात्रियों के साथ-साथ सैनिकों के परिवार के सदस्य मारे गये, उस पर आज नियम 193 के तहत चर्चा चल रही है। पूरा देश इस हमले के बहुत आक्रोश में है क्योंकि बरसों से लगातार हमारे देश पर एक के बाद एक हमले होते रहे हैं। हम उस पर काबू पाने की कोशिश करते रहे लेकिन कामयाब नहीं हो सके।

अध्यक्ष महोदय, आज की बहस में यह बातें कही गई कि इन आतंकवादियों संगठनों से और जो देश अपने उद्देश्यों के लिए इन आतंकवादी संगठनों का चला रहे हैं, उनके लिए भारत सरकार की क्या रणनीति होनी चाहिए? मैं नहीं जानता कि इस पर भारत सरकार की क्या रणनीति है? कूटनीतिक स्तर पर लगातार प्रयास होते रहे हैं और यह माना जाता रहा कि हमें कामयाबी मिली है। विश्व जनमत को भारत के पक्ष में करने की कोशिश की गई है। उसमें हमें सफलताएं भी मिली हैं लेकिन उसके बावजूद भी ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक पक्ष के द्वारा कूटनीतिक अभियान चलाने के बावजूद भी ये घटनाएं घट रही हैं तब हमें क्या करना चाहिए? अगर रणनीति का दूसरा तरीका अपनाया जाये, तब हमें क्या करना चाहिए? क्या इसे जारी रहने देना चाहिए या सिर्फ कूटनीतिक अभियान चलाना चाहिए?

मैं मुख्य बिन्दु पर आता हूं कि ये घटनाएं क्यों घटर रही हैं?

पाकिस्तान ने लगातार भारत के खिलाफ कई हमले किए, आजादी के बाद चार हमले हुए - हमने उसे पराजित किया और उसके बाद कई समझौते भी हुए - ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, लाहौर समझौता लेकिन फिर कारगिल हो गया। अब हम लगातार देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। पाकिस्तान के साथ हमारी मूल समस्या की जड़ में जम्मू कश्मीर है, उसकी बुनियाद में है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंडल जी, आपकी पाटी के लिए पांच मिनट हैं। कृपया जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : अभी तो मैंने शुरू किया है।

अध्यक्ष महोदय : अभी शुरू किया है, अभी समाप्त भी कीजिए, दोनों साथ-साथ कीजिए।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : जम्मू कश्मीर की समस्या के बारे में साफ और स्पष्ट नीति होनी चाहिए और इस पर विचार होना चाहिए कि जितने भी समझौते हुए, उन समझौतों में हम हारे हैं, जीते नहीं हैं, जितने भी युद्ध हुए हैं, उनमें हमारी फौज जीती है। पाकिस्तान उन समझौतें को कभी नहीं मानता क्योंकि उसकी नीति है कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को मिलना चाहिए और इसके लिए वह सतत् प्रयत्नशील हैं जम्मू कश्मीर के संबंध में हमारी क्या नीति होनी चाहिए, समझौते से इस समस्या का हल होगा या नहीं, हम देख रहे हैं कि जो तीन-चार समझौते हुए हैं, उनसे समस्या का निदान नहीं हुआ। बहुत से लोग कहते हैं कि इसका सैनिका हल नहीं हैं सैनिक हल नहीं है तो कौन सा हल है - उसका विकल्प बताइए। जब लोग कहते हैं कि यह करना चाहिए, वह करना चाहिए, जितनी भी बातें होती हैं, उनका एक ही अर्थ निकलता है कि हम सिर्फ बचाव की स्थिति में रहें। हम मार खाते जा रहे हैं। सारे सुझाव आते हैं कि हमको बचना चाहिए, हमको अपनी सुरक्षा कैसे करनी है लेकिन मारने वाला लगातार मारता जा रहा हैं इसलिए बातें साफ होनी चाहिए कि पाकिस्तान युद्ध चाहता है, लड़ना चाहता है और वह अपने कार्यों से बार-बार आपको बता रहा है कि हमको कश्मीर चाहिए।

मैंने जम्मू कश्मीर के मुख्य मंत्री का बयान दो-तीन बार पढ़ा। उन्होंने कहा था कि नियंत्रण रेखा को अंतर्राष्ट्रीय रेखा मान लेना चाहिए। मुझे नहीं मालमू भारत सरकार की तरफ से कभी ऐसा प्रस्ताव आया है या नहीं लेकिन क्या नियंत्रण रेखा को अंतर्राष्ट्रीय रेखा मान लेने के बाद पाकिस्तान मानेगा। इसकी क्या गारंटी हैं कौन इसकी गारंटी लेगा कि अगर भारत नियंत्रण रेखा को अंततर्राष्ट्रीय रेखा मान ले तो पाकिस्तान उसे मान लेगा और इस समझौते से समस्या का हल हो जाएगा। अगर इसकी कोई गारंटी हो जाए तो युद्ध की कोई जरूरत नहीं है, सैनिक कार्यवाही की कोई जरूरत नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका समय समाप्त हो रहा हैं कृपया कोआपरेट कीजिए।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : मुझे थोड़ा सा समय और दीजिए। जम्मू कश्मीर का एक भाग जो गुलाम कश्मीर के नाम से जाना जाता है, अभी पाकिस्तान में है। भारत ने आजादी के बाद कभी भी इस बात की कोशिश नहीं की कि जिस कश्मीर के भाग पर पाकिस्तान कब्जा किए हुए है, या जो गुलाम कश्मीर है, उसको आजाद कराने की भारत ने कोशिश नहीं की तो क्यों नहीं की? इससे तो पता चलता है कि भारत सरकार बातचीत से समस्या का हल हो जाये, यह चाहती हैं। लेकिन हल नहीं हो रहा हैर, इसलिए जो रणनीति की बात होती है, उसमें चार युद्ध हम लड़ चुके हैं और तीन समझौते हो चुके हैं। उससे साफ और स्पष्ट बात निकलती है कि गुलाम कश्मीर को युद्ध करके आप आजाद कराइये। इसके लिए जो ताकत लगानी पड़े, वह ताकत लगानी चाहिए। उसके लिए डर और भय किसी तरह का हो, चाहे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, इसकी बहुत चर्चा होती हैं अभी विदेश राज्य मंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि अमेरिका ने कहा कि जब उनके यहां आतंकवादी हमला हुआ तो उन्होंने साफ कहा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेहताब जी, आप शुरू करिए।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : कि जो हमारे साथ नहीं है, वह आतंकवादियों के साथ हैं और जो हमारे साथ हैं वे आतंकवादियों के खिलाफ हैं। आज हम कह सकते हैं कि जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे साथ नहीं है, वह आतंकवादियों के साथ है।...*(व्यवधान)* हां, कलेजा है।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंडल जी, आपका टाइम समाप्त हो गया है।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : राष्ट्रीय हितों पर हम सभी राजनैतिक दल, जो यहां हैं, चाहे इस तरफ हों, चाहे उस तरह हों, हम एक हैं। सिर्फ हम ही एक नहीं हैं, देश की जनता एक है। देश की जनता ही एक नहीं है, सेना लगातार उसकी सनद है कि दो-दो हाथ पाकिस्तान के साथ होने चाहिए और जो समस्या है, उस समस्या का निदान होना चाहिए और पूरा कश्मीर भारत का होना चाहए, सैनिक कार्रवाई से होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंडल जी, अब आप समाप्त करिये। अन्य सदस्यों को भी मुझे अपोर्चुनिटी देनी चाहिए, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। मेहताब जी, आप शुरू करिये।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : हमें दो मिनट तो और दीजिए। इस सवाल पर कुछ चर्चा हो गई, कुछ आरोप-प्रत्यारोप हो गये, खुराना जी ने कहा तो हिन्दू मुसलमान करने लगे। मैं तो सुन रहा था, उसमें हिन्दू मुसलमान की कोई बात नहीं थी। मैं भी लगातार उसी समय से हूं, लेकिन पता नहीं क्यों, हर चीज में राजनीति घुसेड़ दी जाती हैं इसमें हिन्दू मुसलमान का तो कोई सवाल नहीं है। भारत सरकार फैसला करे और पाकिस्तान पर हमला करे, उससे पता चल जायेगा कि हमारे देश के हिन्दू मुसलमान एक हैं कि नहीं। ये जो बातें है, हर चीज को, राष्ट्रीय हित को भी सैकुलरिज्म से जोड़ते हैं, क्या सैकुलरिज्म है भाई? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या सैकुलरिज्म है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेहताब जी, आपके चार मिनट हैं, आप शुरू नहीं करेंगे तो चार मिनट समाप्त हो जाएंगे। मंडल जी, आप बैठिये, नहीं तो आपका भाषण रिकार्ड पर नहीं जायेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंडल जी, आपका भाषण अब रिकार्ड पर नहीं जायेगा। मेहताब जी, आप शुरू करिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री भर्तृहरि महताब, आपकी पार्टी को केवल पाँच मिनट का समय दिया गया है। कृपया आप अपना भाषण समय से समाप्त करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि छः बजे मंत्री जी को बोलना है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण कृपया शांति बनाए रखें।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना भाषण मुझे दी गई समय सीमा के अंदर ही समाप्त करने की कोशिश करूंगा. ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह मुझे पता है कि कार्य मंत्रणा समिति में निर्णय लिया गया है कि हमलोग इसे 6 बजे तक पूरा कर लेंगे।

श्री भर्तृहरि महताब : सर्वप्रथम मैं गत मंगलवार को जम्मू-पठानकोट, राजमार्ग पर यात्री बस पर और जम्मू के निकट कालुचक में

[श्री भर्तृहरि महताब]

सैनिक छावनी पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा करता हूं। किन्तु, यहाँ मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि इन दोनों घटनाओं में गहन अर्थ छुपा है।

महोदय, अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री सुश्री-क्रिस्टिना रोका के भारत दौरे के दौरान घटी इस घटना में गहरा षड्यंत्र है। मुख्य दो बातें पर यहां चर्चा हुई है। हमने इस मुद्दे पर सामान्य रूप से चर्चा की है और हमने पाकिस्तानी हरकतों के बारे में चर्चा की है। हमने पाकिस्तान की धरती से चलाई जा रही आतंकवादी गतिविधियों की निंदा की हैं हमें इन दोनों पहलुओं पर आत्म मंथन करना चाहिए। एक पहलू तो यह है कि आतंकवादी गतिविधियां जो पाकिस्तान की धरती से चलाई जा रही हैं और दूसरी यह कि आतंकवादी पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित किए जा रहे हैं। ये ही दो चीजें हैं जिनपर गहराई से चर्चा की जानी चाहिए।

महोदय, आज की तारीख में अमेरिका की जो दुविधा है उसे भी हमें समझना होगा। आज अमेरिका की चिंता परवेज मुशर्रफ के पाकिस्तान में राष्ट्राध्यक्ष के रूप में बने रहने की है। आज पाकिस्तान की यही चिंता है क्योंकि पाकिस्तान अभी तालिबान के साथ-साथ उन कट्टरपंथियों से भी लड़ रहा है जो कभी अफगानिस्तान में अपनी जड़े जमा चुके थे और आज वे पाकिस्तान में जमे हुए है। 28 दिसम्बर के बाद जब पश्चिमी सीमा पर भारतीय सशस्त्र बल तैनात किए गए थे तो उस समय हमने इस सभा में कई बार इस बात पर चर्चा की थी कि जब बर्फ पिघलेगी तो हमें इस तरह की कई घटनाओं का सामना करना ही पड़ेगा और आनेवाले दिनों में ऐसी घटनाएँ बढ़ेगी। किन्तु, हमें लोगों को अपने देश के अंदर और देश के बाहर इस बात से अवगत कराना होगा कि जो आतंकवादी न केवल जम्मू और कश्मीर में बल्कि देश के अन्य भागों में भी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं वे सिर्फ कश्मीरी आतंकवादी नहीं हैं बल्कि अन्य देशों के भाड़े के आतंकवादी हैं।

महोदय, शब्दकोष में एक नया शब्द जोड़ा गया है, वह है सीमापार से चलाया जा रहा आतंकवाद। आतंकवाद पिछले 100 वर्षों से चला आ रहा है। स्मरणीय है कि बीसवीं सदी के पहले दशक में उत्तरी आयरलैण्ड में आतंकवादी गतिविधियाँ शुरू हुई थीं। आज भी इंग्लैण्ड का यह अत्यधिक समृद्ध समझा जानेवाला समाज आतंकवादी गतिविधियों की चपेट में हैं आज रूस का दक्षिणी प्रांत भी आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित है। हमारी सीमाओं से सटा श्री लंका आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है। इसी प्रकार नेपाल भी आतंकवाद से प्रभावित है और भारत को गत 32 वर्षों से आतंकवादी गतिविधियों से सामना करना पड़ रहा हैं वर्ष 1979 से इस देश में आतंकवादी गतिविधियों के नए-नए रूप उभरकर सामने आए हैं।

महोदय, मैं सभा का ध्यान चार पहलुओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हम लोग गत साढ़े पाँच वर्षों से आतंकवाद के इस पहलु पर चर्चा करते आ रहे हैं। राजनीतिक रूप से केन्द्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। पहला कदम एक राजनयिक प्रयास था कुछ लोग तो कहेंगे कि हम इस प्रयास में पूरी तरह असफल रहे हैं और कुछ ये कहेंगें कि इसमें हमें आंशिक सफलता मिली है। किसी भी सक्रिय सरकार के लिए पहला विकल्प यही है और इसलिए ये कदम उठाए गए हैं। दूसरा प्रयास आर्थिक गतिविधियों से संबंधित था। शत्रुदेश के वित्तीय आधार को कमजोर करने के लिहाज से उसकी आर्थिक नांकेबन्दी करने का प्रयास करना। इस दिशा में हमारे देश द्वारा प्रयास किए गए है।

महोदय, इस सभा में कई माननीय सदस्यों ने सीमित युद्ध की बात की हैं मैं इसे लक्षित युद्ध की संज्ञा देना चाहूंगा लक्षित युद्ध को हमने कारगिल में झेला है। इसमें कुछ भी नया नहीं है लक्षित युद्ध विश्व के कई भागों में हुए हैं। आज यदि हम लक्षित युद्ध के बारे में चर्चा करें तो मैं कहना चाहूंगा कि लक्षित युद्ध का निशाना सैन्य शिविर होते हैं। मुझे बताया गया है कि इस तरह का अभ्यास पहले ही शुरू हो चुका है। लक्षित युद्ध के मामले में केवल उन्हीं क्षेत्रों को निशाना बनाना होता है जहाँ कि हमें सैन्य खुफिया या अन्य सहयोगी आसूचना एजेंसियों के माध्यम से सैन्य शिविरों के बारे में सूचना होती यह तीसरा विकल्प है।

चौथा विकल्प है युद्ध जो एक अंतिम विकल्प है। युद्ध का मतलब उस लड़ाई से है जो आपको दूसरे देश के साथ लड़नी पड़ती है, यानी कि एक पूर्ण युद्ध। किन्तु, मैं एक अन्य सुझाव देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि सरकार भी इस पर विचार कर रही हैं जब कोई देश इस प्रकार की दुविधा में फंसा होता है कि उसका किसी अन्य देश से सीधा टकराव नहीं होता, पर उस देश में ऐसे अनेक संगठन होते हैं जो अन्य राष्ट्रों की राष्ट्रीयता का दावा करते हैं और उन्हें प्रायोजित करते है तो वैसी स्थिति में आपको भाड़े के सैनिकों की जरूरत होती हैं उस देश में दाखिल होने के लिए आपको भाड़े के सैनिकों की जरूरत होगी। उसका एक विशेष उद्देश्य होता है।

बार-बार हम शांति की अपील करते रहे हैं और बदले में हमें युद्ध का तोहफा मिल रहा हैं यही अब तक का इतिहास रहा है। अब पाकिस्तान की उस जड़ पर ही हमला किया जाना चाहिए। हमने 1971 में पाकिस्तान की उसी नींव पर प्रहार किया था। पाकिस्तान के विभाजन से बांगलादेश बना। आज पाकिस्तान को एकबार फिर से विभाजित करने का समय आ गया है। मैं समझता हूं कि श्री अय्यर मेरा समर्थन करेंगे। गत तीस वर्षों से हम यह कहते आ रहे है कि हम पाकिस्तान का विभाजन नहीं करेंगे। अपने देश में 22 वर्षों

की हिंसा झेलने के बाद मैं समझता हूं कि हमें इस पर विचार करने और पाकिस्तान को तोड़ने का प्रयास करने, विश्व के नक्शे से उसका नामों निशान मिटाने का समय आ गया है। तभी पाकिस्तान और उसके लोग सबक सीख पाएँगें क्योंकि बार-बार वे हमारे देश और हमारे लोगों के खिलाफ हिंसा भड़काते रहे है। हमें अपने लोगों को भी इस बात की जानकारी दी जानी चाहिए कि अब हम पाकिस्तान को और अधिक सहन नहीं करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन नागरिकों के प्रति अपना हार्दिक दु:ख प्रकट करता हूं जो मारे गए हैं, उन जवानों के परिवारों के प्रति भी दु:ख प्रकट करता हूं जो इस देश के गौरव हैं और जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, देश की जो कठिन परिस्थिति है, आतंकवादी हमले के बाद कालूचक की जो दुखद घटना हुई, इस अहम सवाल पर नियम 193 के अंतर्गत बहस चलाकर आपने बड़ी कृपा की हैं इसी सदन में चर्चा हुई थी जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, उस समय 'पोटो' था — 'पोटा' नहीं हुआ था और इसी तरह का वातावरण बनाया गया कि 'पोटो' से 'पोटा' हो जाएगा तो ये आतंकवादी घटनाएं रुक जाएंगी और 'पोटा' का नाम ही नहीं सुन रहे हैं। 'पोटा' के लिए सरकार ने इतना प्रयत्न किया कि राज्य सभा में अल्पमत के चलते हुए भी दोनों सभा को मिलाकर बहुमत कराकर पास कराया गया लेकिन फिर भी उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? फिर क्यों आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं, और क्यों हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं? जम्मू-कश्मीर असैम्बली, लालकिला, पार्लियामेंट और अमेरिकन सेंटर, कोलकाता पर आतंकवादी हमले किये गये, शिवपुरा में 36 लोग मारे गये, अभी कालूचक में लोग मरे और ये आतंकवादी, क्रॉस बॉर्डर टैरेरिज्म और पाकिस्तान हमले करा रहा है और हमारे लोग मारे जा रहे हैं। जब जब घटनाएं घटती हैं, दो-तीन रोज तक बहुत तरह के बयान सुनते हैं कि इस बार आरपार की लड़ाई हो जाएगी। अब संयम नहीं रखेंगे। दूसरे देश हमें संयम का उपदेश नहीं दे, आदि-आदि सब सुनते हैं और फिर भी यह घटना घटी है। देश भर के लोग इसकी निंदा करेंगे।

आतंकवाद के खिलाफ देश एकजुट है। जब कभी भी राष्ट्रीय समस्या उत्पन्न होती है, राष्ट्रीय संकट पैदा होता है, हमारे देश के लोगों में यह महान खूबी है कि वे एकजुट हो जाते हैं। देशहित सर्वोपरि है, सबसे ऊपर हैं एक बार नहीं, कई बार परीक्षायें हुई हैं, परीक्षा की घड़ी आई है और देश एक जुट रहा है।

महोदय, 11 सितम्बर की घटना के बाद लगा कि दुनिया भर में जनमत तैयार हो जाएगा और आतंकवाद का सफाया पृथ्वी से हो जाएगा। अमरीका की अपनी ताकत थी और प्रबल जनमत भी उन्हें मिला, इसी लिए अफगानिस्तान को गर्द में उड़ाने का काम उन्होंने कर दिया। आतंकवाद का सफाया नहीं हुआ है, लेकिन हम दोहरा मापदंड देख रहे हैं। दोहरा मापदंड अख्तियार किया जाता हैं इसके बावजूद भी सरकार के लोग अमरीका पर निर्भर हैं। यह एक खतरनाक परिस्थिति हैं जब छत्तीसिंहपुरा में घटना घटी थी, उसी समय अमरीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति, बिल क्लिंटन भारत आए थे। अब रोक्का जी आई हैं और कालूचक में घटना घट गई हैं न जाने यह संयोग हैं या योजनाबद्ध ढंग से कार्य किया जाता हैं जिस दिन आतंकवादियों की ओर से घटना घटी, उसी दिन सदन में सवाल उठा और गृह मंत्री ने वक्तव्य दिया कि दो आतंकवादी संगठनों ने फोन पर दावा किया है और जिम्मेदारी ली है कि उन्होंने ऐसा किया हैं हम सदन में माननीय सदस्यों के भाषण सुन रहे हैं, जिन्होंने कहा है कि पोलिटिकल विल पावर चाहिए। जब पोलिटिकली-ईल सरकार हो, तो पोलिटिकल विल कहां से आएगी। जनमत तैयार है, हम लोग समर्थन में हैं, साथ में हैं और देश एकजुट है कि आतंकवाद का सफाया हो। खुराना जी, हम लोगों के आदमी हैं, लेकिन उधर वे मार खा रहे हैं, हम लोगों के चलते। जब वे मंत्री थे, तो उन्होंने बयान दिया - दिन, समय तथा मैदान पाकिस्तान तय करे, देश तैयार है।...*(व्यवधान)* आज भी उनका ब्यान सुना। उस दिन जब संसद पर हमला हुआ था, उस दिन करीब चार बजे, बाहर वाला हम टीवी देख रहे थे। खुराना जी से दीपक चौरसिया जी सवाल पूछ रहे थे और उसी समय आतंकवादी लोग आए थे, उनको वे दिखा रहे थे और बम विस्फोट हुआ। फिर उस जगह से खुराना जी चल दिए और चौरसिया जी देखते ही रह गए।...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : मेरी गाड़ी के पीछे आज भी गोली का निशान है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, सीरियसली मत लीजिए। यह कोई सीरीयस बात नहीं है।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : खुराना जी तो हम लोगों के आदमी हैं। इसके बाद बताया गया कि दो-तीन दिन हमला होगा और जिस तरह अमरीका ने अफगानिस्तान में तालिबान को गर्द में उड़ा दिया, उसी तरह से हिन्दुस्तान भी पाकिस्तान को गर्द में उड़ाएगा, ऐसा वातावरण बनाया। लेकिन उसमें विल पावर की आवश्यकता है। डिप्लोमेसी में भी हमको पता है, सब विचार करने के बाद पाकिस्तान आतंकवाद को प्रत्यक्ष संरक्षण दे रहा है। क्रॉस बार्डर टैरेरिज्म की वजह जम्मू-कश्मीर में 64 हजार लोग, बेकसूर लोग, मिलिटरी के लोग, बीएसएफ के लोग, पैरा मिलिटरी के लोग मारे गए हैं।

इसलिए सब देखने से लगता है कि पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं कर सके। इस देश में परिस्थिति यह है- ''जन न हारा भारत न हारा, डिप्लोमेसी में हार गई सरकार हमारी।'' मतलब जनता भी तैयार है, हमें अपनी मिलिट्री, आर्मी पर नाज हैं देश को उन्हीं पर

[डा० रघुवंश प्रसाद सिंह]

भरोसा हैं ये बताएं कि कहां मदद चाहिए। हम मोरली सपोर्ट कर सकते हैं, स्टीयरिंग हैंडल इनके हाथ में हैं हम लोग पीछे बैठे हुए हैं, हम बता सकते हैं कि "बांए चट्टान है, दाहिने खाई है।" गाड़ी ठीक से चलाई जाए, ड्राइवर गाड़ी ठीक से चलाओ, लेकिन स्टीयरिंग तो आपके हाथ में है, हम पीछे बैठे हुए क्या कर सकते हैं। हम मोरली सपोर्ट कर बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं।

आतंकवाद की समस्या, साम्प्रदायिकता की समस्या नहीं है। साम्प्रदायिकता जिस प्रकार की समस्या है, आतंकवाद भी उसी तरह की है। जो सरकार साम्प्रदायिकता से नहीं लड़ सकती, उसे समाप्त नहीं कर सकती वह सरकार आतंकवाद का भी मुकाबला नहीं कर सकती। इसमें हम कोई समझौता नहीं करना चाहते और जो सरकार इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत नहीं कर सकती वह एक्सटरनल सिक्योरिटी में भी मजबूत नहीं रह सकती। इसलिए हमारा सुझाव है कि सरकार जनता को विश्वास में ले। जम्मू-कश्मीर की चुनी हुई सरकार है, उसे सरपास कभी न करें। वहां की जो आम जनता है, जो लॉ आबाइडिंग सिटिजंस हैं, देशभर के लोग हैं, उन्हें विश्वास में लें। कभी-कभी आतंकवादियों को तरजीह दे देते है और आम जनता की उपेक्षा हो जाती है।...*(व्यवधान)*

महोदय, वहां की सरकार को विश्वास में लें, आम जनता और जनमत तैयार है और आतंकवादियों का सफाया करने के लिए हम समर्थन दे रहे हैं, लेकिन विल पावर के समर्थन से कैसे मजबूती आएगी, यह सवाल हैं। इसलिए एकजुट होकर इस समस्या का हल हो। दुनिया भर में आतंकवाद की समस्या है, इसके समाधान के लिए जो भी प्रयत्न किए जाएं, उसमें हम आपके साथ हैं।

महोदय, अंत में मैं कहना चाहता हूं, हमने सुना है कि नियम 193 में कुछ प्रस्ताव पास होगा, नियम 195 कहा रहा है कि इसमें कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं होता, इसलिए नियम का कैसे उल्लंघन होगा। इसलिए बाद में कोई प्रस्ताव हो जाए।...*(व्यवधान)* चेयर से हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। इसलिए इन सब का ख्याल रखते हुए यह काम किया जाए, इसमें संपूर्ण सदन और देश आपके साथ है। आतंकवाद का सफाया हो।...*(व्यवधान)* हमारे देश में लोग मारे गए हैं, दूसरी जगह भी लोग मारे जाते हैं। यह आतंकवादी घटना है, उसके लिए भी हमें पीड़ा है। इसमें हम केवल निन्दा नहीं करते, हमें गुस्सा और क्षोभ हैं सरकार में क्यों इतनी कमजोरी और इनएफिशिएंसी है, सरकार आतंकवादियों को क्यों समाप्त नहीं कर रही हैं डिप्लोमेसी में पाकिस्तान और आतंकवादियों को आइसोलेशन में ले जाकर आम जनता और सभी को एकजुट करके उसका मुकाबला करना चाहिए, सफाया करना चाहिए।

कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र सिंह (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मुझे अपनी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से बोलने का समय दिया गया। मुझे केवल दो मिनट मिले हैं, इसमें मैं पहले तो निन्दा कर सकता हूं कि जो कुछ कालुचक में हुआ है। निन्दा, अब निन्दा के काबिल नहीं रह गई है, इसका अर्थ अब कुछ और लगाया जा रहा है। मैं केवल थोड़े से शब्दों में एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश को जब आजादी मिली यदि उस समय से ही विदेशी ताकतों ने अपनी कूटनीति के माध्यम से आतंकवाद का बीज पाकिस्तान के रूप में हमारे लिए बो दिया था। उसका भुगतान हमने सन् 1947-48 में किया और उसके बाद 1962, 1965 तथा 1971 में भी किया। हम जीतते रहे और हारते भी रहे। मैं सुबह 12 बजे से लेकर अब तक की चर्चा को सुनते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आज से साढ़े सात हजार वर्ष पहले इस महान देश में जो घटना घटी, उसे देखते हुए सवाल उठता है कि यहां कौन भगवान कृष्ण का रूप धारण करेगा। दुर्योधन और शकुनि का रूप तो लादेन और मुशर्रफ धारण कर चुके हैं। मैं यह तुलना करके सदन को बता देना चाहता हूं कि अब 57 साल हो गये हैं, हम इस बीमारी का इलाज पूर्ण रूप से नहीं कर पाए हैं और हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। जब महाभारत का विश्लेषण किया गया और यह सवाल पूछा गया कि आप बताइये कि इस सारे प्रकरण में दोषी कौन है - उसके उत्तर में धर्मराज युधिष्ठिर को दोषी बताया गया था। आजादी मिलने के बाद आज तक हमारी सरकारें ही आज का धर्मराज युधिष्ठिर रही हैं। उनको बताया गया था कि अगर लाक्षा-मंडप पर ही वह कौरवों को सबक सिखा देते तो थोड़े से लोग ही मरते। अगर विराट नगरी में उनके साथ जो कुछ हुआ, वहां उनको सबक सिखा देते तो थोड़े और ज्यादा लोग मरते। आखिर में जब पांडवों ने पांच गांव ही मांगे और इसके लिए भगवान कृष्ण पूरा कूटनीतिक जोर लगा रहे थे तब भी उनको सलाह दी गयी थी कि अब भी इनको रगड़ दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बुरा होने वाला हैं लेकिन वे नहीं माने और 18 अक्षोहणी सेना को जंग में झोंकना पड़ा और सबका सर्वनाश हुआ। यही इस देश का हाल होने वाला है।

महोदय, हम लगातार विदेशी ताकतों का शिकार होते आये हैं और विदेशी ताकतें हमें कमजोर करना चाहती हैं। इस बीमारी से निपटने में जितना हम देर करते जा रहे हैं, विलम्ब करते जा रहे हैं और जो यह नारद मुनि का रोल यूनाइटेड स्टेट अदा कर रहा है...*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, मैं अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूं और यह सुझाव भी दे रहा हूं कि इस मामले को हम जितना लम्बा बढ़ाएंगे, यह हमारे देश के हित में बात नहीं जाएगी। अब वक्त आ गया है जब हमें कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए। जब सारा देश एकजुट है, सेनाएं मोर्चे

पर तैयार खड़ी हैं, सारा सदन साथ है तब हमें निर्णय लेने के लिए न यूएसए की तरफ और न इंग्लैंड की तरफ देखना चाहिए। हमारा अर्जुन की तरह मछली की आंख पर निशाना होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, जब कुंती ने कृष्ण जी से कहा कि तुम्हारी कुटनीति तो अब खत्म हो चुकी है अब क्या करोगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा था कि ''विनाश्चाय दुष्कृताम'' यानी दुष्टों का एकमात्र इलाज विनाश है, दूसरा कुछ नहीं। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से सरकार को हर मदद देने के लिए तैयार हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश तो हमेशा लड़ाई में आगे रहा है और आगे ही रहेगा और हम चाहते हैं कि युद्ध हो और यह बीमारी हमारे देश से अलग हो जाए।

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : अध्यक्ष महोदय, जम्मू में कालूचक में जो आतंकवादी हमला हुआ, मेरी पार्टी आरएसपी उसकी घेर निन्दा करती हैं उसमें जो बच्चे, महिलाएं और सेना के जवान मारे गए उनके परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। आज सदन में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के संबंध में चर्चा हो रही हैं यह बात सदन में कई बार आ चुकी है। 13 दिसम्बर को जब संसद भवन पर हमला हुआ तो उस समय भी सदन में चर्चा हुई थी लेकिन इसके बाद भी देश में आतंकवाद फैल रहा हैं केवल जम्मू-कश्मीर में ही नहीं हिन्दुस्तान की दूसरी कई जगहों में आतंकवादी हमले हुए।

अध्यक्ष महोदय, जम्मू-कश्मीर बॉर्डर स्टेट है। क्रॉस बॉर्डर टैरारिज्म को रोकने के लिए सरकार को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, वह नहीं की। हमने यहां पोटो पास किया। सरकार ने कहा था कि आतंकवाद को रोकने के लिए यह बिल लाया गया है लेकिन पोटो पास होने के बाद भी देश में आतंकवाद फैल रहा है इस बारे में ऑपोजिशन पार्टीज को विश्वास में लिया जाए। इस मामले में हिन्दुस्तान की जनता सरकार के साथ है लेकिन सरकार को निर्णय लेना होगा। देश में जब कोई आतंकवादी हमला होता है तो प्रधान मंत्री श्री जार्ज बुश के साथ बात करते हैं, लेकिन इससे हिन्दुस्तान में आतंकवाद खत्म नहीं होगा। सरकार को इस बारे में स्वयं निर्णय लेना पड़ेगा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम सरकार के साथ हैं और हमारी पार्टी की तरफ से भी समर्थन मिलेगा। आतंकवाद का खत्म करने के लिए सरकार जो कदम उठाएगी, हम उनका साथ देंगे।

श्री श्यामाचरण शुक्ल (महासमुन्द) : अध्यक्ष महोदय, सभी पार्टियों का समय बढ़ाया गया है। कांग्रेस पार्टी का समय भी थोड़ा बढ़ा दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : कांग्रेस पार्टी को बोलने का पूरा समय दिया गया है।

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : अध्यक्ष महोदय, देश में सीमा-पार से होने वाला आतंकवाद जारी है, जम्मू-कश्मीर विधान सभा भवन, संसद भवन और अमरीकी दूतावास पर किए गए आतंकवादी हमले इसके कुछ उदाहरण हैं।

मैं समझता हूं, सरकार को यह पता होगा कि उत्तरी बंगाल के सिलीगुड़ी के निकट 14 मई को आतंकवादी हमला किया गया था जिसमें दो लोग मारे गए थे। इस प्रयास को विफल करने का श्रेय पश्चिम बंगाल सरकार, खुफिया पुलिस और रक्षा बलों को दिया जाना चाहिए। उस रात कालूचक में आतंकवादी हमले की बात सुनकर मैं भौचक्क रह गया। बस में और सेना के क्वार्टरों में रहने वाले कई निर्दोष लोग मारे गए थे, मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं एवं उनको सलाम करता हूं जो देश की एकता एवं सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं।

जब देश खतरे में है, जब सरकार आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई लड़ना चाहती है, तो मुझे एक देशभक्त के नाते, सरकार को अपना समर्थन देना चाहिए। लेकिन, इसके पूर्व, मैं सरकार से भी कुछ वचन बद्धता चाहूंगा।

यह देश को विनाश से बचाने के लिए है, वे सचमुच नेकनियति से ऐसा कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री यहां हैं। माननीय गृहमंत्री भी यहां उपस्थित हैं। मैं एक बात पर उनसे बिल्कुल स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। क्या आप कालूचक घटना के संबंध में श्री जार्ज डब्ल्यू० बुश से टेलीफोन पर हुई वार्ता से खुश हैं? इसी समय कृपया यह भी याद रखें कि ये वही क्लींटन, बुश और वाशिंगटन लॉबी है जिन्होंने ओसामा-बीन-लादेन को जन्म दिया है, ओसामा-बीन-लादेन अमरीका की ही देन है। साथ ही मैं फ्लिस्तीन में जो हो रहा है, उसका भी अवश्य उल्लेख करना चाहूंगा। फ्लिस्तीन और इज़ाइल के झगड़े के पीछे कौन है? यह अमरीका ही था जो इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार है।

जम्मू-कश्मीर विधान सभा के चुनाव होने वाले हैं, मैं समझता हूं यह अक्टूबर के महीने में होगें, लेकिन यह जम्मू-कश्मीर के लोकतंत्र की परीक्षा की घड़ी है। अंततः भारत के बाहर इससे अच्छी छवि बनेगी। इसलिए, उचित तरीके से जनतंत्र बहाल रहे इसके लिए केन्द्र सरकार को अक्टूबर में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराना चाहिए।

श्री संगमा ने सुब्रहमण्यम समिति की सिफारिशों का उल्लेख किया। सुब्रहमण्यम समिति ने 24 अन्य मदों के साथ-साथ एक पूर्णकालिक सुरक्षा सलाहकार के बारे में कहा है। सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई? कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब यह कहा गया

[श्री अमर राय प्रधान]

कि एक पूर्णकालिक सलाहकार अवश्य होना चाहिए तो ऐसा परिवर्तन क्यों नहीं किया गया? इसमें क्या दिक्कत है? महोदय इन सब बातों पर हमारे प्रधानमंत्री द्वारा स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।

यहां इस प्रतिष्ठित सभा में, इस अवसर पर मैं सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। 11 सितम्बर को ओसामा बिन लादेन न्यूयार्क गये और वर्ल्ड ट्रेड सैंटर इमारत को खत्म किया जबकि स्वामी विवेकान्नद न्यूयार्क गए थे भारत से शान्ति का संदेश लेकर - यह फर्क लादेन और स्वामी विवेकानंद में था। जब स्वामी विवेकानन्द अमरीका गये और वहां भाषण किया, उस समय श्रोताओं में से एक आदमी ने कहा कि शब्दों में क्या हैं स्वामी जी गुस्से में आये और ज़ोर से बोले। उस आदमी ने कहा कि आप तो संत हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, गुस्से में क्यों आये। स्वामी जी ने कहा कि जब आपने कहा कि शब्दों में क्या है इसलिए मैं गुस्से में बोला।

अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में साम्प्रदायिकता की आवाज बंद होनी चाहिये। किसी भी धर्म के लोग हों, एक साथ चलें तभी देश महान् होगा। 'जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान् है' इस नाते सभी लोगों के एक साथ चलने से देश बड़ा हो जायेगा और आतंकवाद खत्म हो जायेगा।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : अपनी पार्टी की तरफ से मैं गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन संतप्त परिवारों को सांतवना देता हूं जिन्होंने जम्मू के निकट कालूचक में 14 मई को हुए नृशंस एंव बर्बर आतंकवादी कार्रवाई के कारण अपने बच्चों एवं अपनी पत्नियों से हाथ धोना पड़ा।

सायं 6.00 बजे

मुझे यह कहते हुए बहुत दुःख हो रहा है कि हम उन सैन्य कर्मियों के परिवारों की रक्षा करने में असफल रहे, जो मातृभूमि के लिए अपनी जान दे रहे हैं, मैं मातृभूमि के लिए लड़ने वाले और उसके लिए अपना जीवन अर्पित करने वाले महान जवानों को धन्यवाद करते हुए उन्हें सलाम करता हूं, मैं जम्मू-कश्मीर के उन लोगों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं एवं उनका नमन करता हूं जो आतंकवाद के विरूद्ध लड़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं उन विभिन्न आतंकवादी समूहों के विरूद्ध गुस्सा ही नहीं बल्कि घृणा का इजहार करना चाहूंगा जिनको पाकिस्तानी प्रशासन और पाकिस्तान सरकार द्वारा पल्लिवित किया जाता है जो हमारे देश को अस्थिर करना चाहते हैं, हमारी सम्प्रभुता और राष्ट्रीय एकता को नष्ट करना चाहते हैं। मुझे यकीन है, पाकिस्तान की सरकार इस समय कुंठित होगा क्योंकि पूरा राष्ट्र चाहे कोई भी जाति, पंथ और धर्म क्यों न हो और चाहे वह किसी भी पार्टी का क्यों न हो, सारे लोग मातृभुति की रक्षा के लिए एक हैं, इस सभा से लेकर सुदूर गांव तक राष्ट्र की रक्षा के लिए लोग एक हैं। हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। हमें आतंकवाद कुचलने का पूरा अधिकार है। हमें सीमा पार से होने वाले आतंकवाद को कुचलने का पूरा अधिकार है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसा सोचते है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ गया है। कुछ लोग यह कह रहे हैं और अभियान चला रहे हैं कि हमें पाकिस्तान की सीमा में घुस जाना चाहिए। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि यद्यपि, सरकार को आतंकवाद को कुचलने और मातृभूमि की रक्षा करने का पूरा अधिकार है फिर भी हमें कोई बदले की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यह हमारे देश के करोड़ों लोगों के हितों के विरूद्ध होगा।

प्रत्येक दिन हम आगरा में अपनी सेना और अमेरिकी सेना की संयुक्त सैन्य अभ्यास देख रहे हैं, अमरीका की क्या भूमिका है? वे वक्तव्य जारी कर रहे हैं और हमें सलाह दे रहे हैं।

किन्तु इस समूह ने आतंकवाद को रोकने और भारतीय क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियां को संरक्षण ने देने के लिए पाकिस्तान सरकार को विवश करने के लिए कोई ठोस अथवा सकारात्मक कार्रवाई नहीं की हैं मैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों से अमेरिका पर विश्वास न करने का आग्रह करता हूं। यदि आप अमेरिका पर विश्वास रखते हैं तो आप ख्याली पुलाव ही पका रहे हैं। अमेरिका हमें सलाह देता हैं साथ ही वह पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति भी कर रहा है अमरीका पाकिस्तान को खरबों डालर की सहायता दे रहा है। वह हमारे देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है वे हमारे देश में भारी विनाश की स्थिति पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकवादी निर्दोष लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। अक्तूबर में जम्मू और कश्मीर विधान सभा में, और 13 दिसम्बर की घटना में और 14 मई की घटना में कालूचक में निर्दोष लोग मारे गए हैं।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि सारा राष्ट्र राष्ट्रीय संकट के समय एक हैं अंतर सक्रीय समर्थन भी मिल रहा हैं संकट की इस घड़ी में सम्पूर्ण विपक्ष भारत सरकार के पीछे हैं हम भारत

सरकार चाहे जो भी सत्ताधारी दल हो, को पूर्ण समर्थन का वादा करते हैं। सरकार का आतंकवाद को कुचलने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम सरकार के पीछे हैं। हमने पहले ही अपने समर्थन की बात कही हैं पूरा राष्ट्र एक हैं सम्पूर्ण विपक्ष ने भारत सरकार का समर्थन करने का वचन दिया है मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अपनी मातृभूमि के लिए सकारात्मक कार्रवाई करें।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर) : महोदय, मेरी पाटी शिरोमणि अकाली दल (एस०एस०मान) निर्दोष लोगों पर आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले की घोर निन्दा करती है।

चूंकि हम जानते हैं कि आतंकवाद क्या है तो मैं यह बात कह सकता हूं कि इस प्रकार का आतंकवाद ज्यादा लम्बे समय तक नहीं चल सकता। जब कोई उग्रवाद अथवा कोई आतंकवाद निर्दोष लोगों, निर्दोष महिलाओं और निर्दोष बच्चों को मारना शुरू कर देता है, महिलाओं के साथ बलात्कार करना शुरू कर देता है तब वे अपना उच्च नैतिक आधार खो देते हैं। मैं नहीं समझता कि इस तरह के आतंकवाद को आगे बढ़ाया जा सकता हैं। किन्तु मैं विदेश नीति और कूटनीति में उच्च नैतिकता के बड़ा पक्षधर है। मेरा विश्वास है कि भारत कूटनीतिक युद्ध हार चुका है क्योंकि नैतिक रूप से और न्यायसंगत रूप से हमें आतंकवाद पर हमला और जनसंहार के विरुद्ध लड़ना चाहिए था।

आज संसार में दो महाविपत्तियां हैं जिसके विरूद्ध सारा संसार अभी खड़ा नहीं हुआ हैं। एक तो आतंकवाद है और दूसरी जनसंहार का अपराध है आतंकवाद के अपराध से लड़ते समय और जनसंहार के अपराध को हवा देते समय हम कटनीतिक रूप से नैतिक विजय प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हमें पूरे घटनाक्रम को कूटनीतिक रूप से जीतना है तब हमें दोनों महाविपत्तियों से लड़ना पड़ेगा।

तीसरी समस्या जोकि मूल समस्या भी है कश्मीर है मेरी पार्टी इस बात का समर्थन करती है कि उस राज्य में लोकतांत्रिक संस्थाओं और लोकतंत्र को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई जम्मू और कश्मीर विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें यह कहा गया है कि वे 1953 की स्थिति बहाल करना चाहते हैं। यह एक लोकतांत्रिक निर्णय है। यह शांतिपूर्ण निर्णय हैं यह संवैधानिक और व्यावहारिक निर्णय है। मैं नहीं जानता कि वर्तमान सरकार और विपक्ष कश्मीर को वह 1953 की स्थिति प्रदान करने से क्यों इन्कार कर रहे हैं और उस राज्य में लोकतांत्रिक शक्तियों को सुदृढ़ क्यों नहीं कर रहे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, सदन का समय बढ़ा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे तो छ: बजे ही बंद करना था लेकिन मंत्री महोदय ने अभी उत्तर देना है।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया जिसका संबंध जम्मू और कश्मीर में निर्दोष लोगों और भारतीय सेना के जवानों के जीवन पर हाल ही हुए निन्दनीय हमले से है। बोडोलैंड के अपने लाखों लोगों की ओर से मैं उन अभागे पीड़ितों और भारतीय सेना के जवानों के निकटस्थ संबंधियों के प्रति कृतज्ञता और सहानुभूति व्यक्त करता हूं जिन्होंने अवांछित आतंकवादी तत्वों के हाथों अपना जीवन न्यौछावर किया। मैं हाल ही में हुई इस प्रकार के आतंकवादी कार्य की पुरजोर निन्दा करता हूं।

मैं भारत सरकार से उग्रवादी और विद्रोह की उस स्थिति जो भारत के सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्याप्त है, के संबंध में पर्याप्त गम्भीर - होने की अपील करता हूं। इस संबंध में मैं एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा माननीय गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी और माननीय रक्षा मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीज़ से अनुरोध करता हूं कि वे सम्पूर्ण पूवोत्तर क्षेत्र की बोडोलैंड के ज्वलंत मुद्दे और उग्रवाद से संबंधित कुछ अन्य संकटों का सकारात्मक और व्यवहारिकता के साथ निपटाएं। पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में बोडो और गैर बोडो लोगों की कुछ अवांछित उग्रवादी तत्वों द्वारा असम में बोडोलैंड क्षेत्र के अन्दर और बाहर हत्या/नृशंस हत्या की गई है। किन्तु भारत सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय बोडो आदीवासी लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है।

मैं भारत सरकार से बिना किसी विलम्ब के ज्वलंत बोडो मुद्दे का स्थायी राजनीतिक हल निकालने के लिए बहुत ठोस कार्रवाई करने की अपील करता हूं ताकि देश के शेष राज्यों के समान बोडोलैंड के प्रथक राज्य के भीतर सम्मानित भारतीय नागरिकों के रूप में भारत में बोडो लोगों के अस्तितव और उत्तरजीविता को सुन्दर बनाने में सहायता मिल सके।...*(व्यवधान)*

चौ० तालिब हुसैन (जम्मू) : मैं इस बारे में इतना चिंतित था कि मैंने तीन सूचनाएं दी थी। मैं जम्मू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक मिनट बोलिए।

(व्यवधान)

चौ० तालिब हुसैन : मैं आपसे न्याय की उम्मीद कर रहा था। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

ऑनरेबल स्पीकर सर, 14 मई का सानेहा और अलमिया, उसकी नोइयत की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस मुअज्जिज ऐवान के सारे मैम्बरान ने अपने कंसर्न का इजहार करने के लिए जनाब की खिदमत में नोटिसेस भेजे। उनमें मैं भी एक मैम्बर हूं, बेशक नया हूं। वहां के एक रिप्रजेंटेटिव के नाते इसका जितना दुख मुझे पहुंचा उतना ही इस ऐवान के अन्य मैम्बरान को भी पहुंचा होगा।

सर, रूल्स आफ प्रासीजर के मुताबिक मैंने आपकी खिदमत में नोटिसेस भेजे और मैं यह समझता हूं कि जीरो आवर से लेकर उस किताब के मुताबिक एडजर्न मोशन तक हमने डिमांड की, लेकिन मैं आपकी विजडम की तारीफ करता हूं कि आपने रूल 193 के तहत इस पर बोलने का मौका दिया ताकि हम अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। बेशक इस रूल के मुताबिक बहुत कम बहस की जा सकती है, लेकिन इस ऐवान के मुअज्जिज सीनियर मैम्बरान और हजरात को जिस ढंग से मौका मिला कि एक-एक घंटा और 40-40 मिनट बोले, लेकिन मुझे केवल दो-तीन मिनट दिए गए, इसका मुझे जाती तौर पर अफसोस है, परन्तु आपके हुक्म की तामील करते हुए, मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात कह कर खत्म करना चाहता हूं।

जनाब, इस वाकए के बारे में जितना कहा जाए कम है और कल ही जिस बच्चे की मौत हुई उसकी उम्र सिर्फ 45 दिन की थी और यह 36 वां विक्टिम थ। इसके अलावा अस्पताल में कई लोग पड़े हुए हैं। इसकी हम सारे लोग मजम्मत करते हैं। पार्टी और दल मे ऊपर उठकर इसकी मजम्मत करते हैं। मैं नैशनल कॉन्फ्रेंस जमात से ताल्लुक रखता हूं। हम तो 12 वर्ष से आतंकवाद के शिकार हो रहे हैं और हमारे 15-16 लैजिस्लेटर्स, एम०एल०एज० और एम०एल०सीज० मिलीटेंसी के शिकार हुए। इसी तरीके से कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिस दिन वादी-ए-कश्मीर में गोली नहीं चलती हो, कोई इंसान नहीं मरता हो, 20-30 आदमी नहीं मरते हों।

जनाब, हम होम मिनिस्टर साहब और लीडर आफ आपोजीशन के शुक्र गुजार हैं कि जब भी कोई बड़ा वाकया घटा, उन्होंने बाजाब्ता खुद अपनी आंखों से वहां जाकर देखा, चाहे वह कोट चलवाल जैसी दूरदराज की जगह हो या कोई और मुश्किल क्षेत्र, आडवाणी साहब ने वहां अपनी आंखों से जाकर उन घटनाओं को देखा। वहां के लोगों ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए जो इमदाद दी, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां मुखबिर के नाम पर कितने ही बेगुनाहों की मौत हुई। यह लम्बी-चौड़ी बहस हैं। मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं आपसे दर्ख्वास्त करना चाहता हूं कि हमारी रियासत-ए-जम्मू कश्मीर जो फायनेंश्यल क्रंच से गुजर रही है, जहां बहुत सारे उपाय किए गए हैं और आज एक नुस्खा यह सुझाया जा रहा है कि इन सारी बुराइयों या बीमारियों का इलाज एक्शन है क्योंकि आक्रामक रूख ही बचाव का सर्वोत्तम रूप है अगर हम यह ठीक समझें, तो हम उसका साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि रियासत-ए-जम्मू कश्मीर और वहां के लोगों की आज जो इकनॉमिक कंडीशन है, उसको रेस्टोर करने के लिए, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया है, टूट गया है, इकनौमी ब्रेक हो गई है, उसको रेस्टोर करने के लिए स्पैशल पैकेज जारी करना चाहिए।

जनाब, आखिर में मैं उन खानदानों के साथ अपनी हमदर्दी जाहिर करता हूं जिनकी कीमती जानें इस सानेहा में गई। इस सानेहा पर मुअज्जिज मैम्बरान ने बहस की और मैं उन मैम्बरान का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस चीज को बड़ी संजीदगी से लिया, जो सुझाव दिए, उन पर गवर्नमेंट को अमल करना चाहिए। मैं इसकी तवक्कू करता हूं।

[**چودھری طالب حسین (جموں):** آنریبل اسپیکر سر، ۱۴ر مئی ۲۰۰۲ء کا سانحہ اور المیہ، اس کی نوعیت کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس معزز ایوان کے سارے ممبران نے اپنے کنسرن کا اظہار کرنے کے لئے جناب کی خدمت میں نوٹسیز بھیجے۔ ان میں میں بھی ایک ممبر ہوں، بیشک نیا ہوں۔ وہاں کے ایک ریپریزینٹیو کے ناطے اس کا جتنا دکھ مجھے پہنچا اتنا ہی اس ایوان کے دوسرے ممبران کو بھی پہنچا ہوگا۔

جناب، رولس آف پروسیجر کے مطابق میں نے آپ کی خدمت میں نوٹیسیز بھیجے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیر و آور سے لیکر اس کتاب کے مطابق تحریکِ التوا تک ہم نے ڈیمانڈ کی، لیکن میں آپ کی وزڈم کی تعریف کرتا ہوں کہ آپ نے رول ۱۹۳ کے تحت اس پر بولنے کا موقع دیا تا کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ بیشک اس رول کے مطابق بہت کم بحث کی جا سکتی ہے، لیکن اس ایوان کے معزز سینئر ممبران حضرات کو جس ڈھنگ سے موقع ملا کہ ایک ایک گھنٹہ اور ۴۰۔۰ ۳ منٹ بولے لیکن مجھے صرف دو تین منٹ دیئے گئے، اس کا مجھے ذاتی طور پر افسوس ہے، لیکن آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں دو تین منٹ میں اپنی بات کہہ کر ختم کرنا چاہتا ہوں۔

جناب، اس واقع کے بارے میں جتنا کہا جائے کم ہے اور کل ہی جس بچے کی موت ہوئی اس کی عمر صرف ۴۵ دن کی تھی اور یہ ۳۶واں وکٹیم تھا۔ اس کے علاوہ اسپتال میں کئی لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی ہم سارے لوگ مذمت کرتے ہیں۔ پارٹی اور دَل سے اوپر اُٹھ کر اسکی مذمت کرتے ہیں۔ میں نیشنل کانفرنس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہم تو ۱۲ سال سے آتنک واد کے شکار ہو رہے ہیں اور ہمارے ۱۵۔۱۶ لیجیسلیٹر، ایم۔ایل۔ایز۔ اور ایم۔ایل۔سیز ملیٹینسی کے شکار ہوئے۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا دن نہیں گذرتا جس دن وادیٔ کشمیر میں گولی نہیں چلتی ہو، کوئی انسان نہیں مرتا ہو، ۲۰۔۳۰ آدمی نہیں مرتے ہوں۔

جناب، ہم ہوم منسٹر صاحب اور لیڈر آف اپوزیشن کے شکر گذار ہیں کہ جب بھی کوئی بڑا واقع گھٹتا، انہوں نے باضابطہ خود اپنی آنکھوں سے وہاں جا کر دیکھا، چاہے وہ کوٹ چلوال جیسا دور دراز کی جگہ ہو یا کوئی اور مشکل علاقہ، آڈوانی صاحب نے وہاں اپنی آنکھوں سے جا کر ان حادثوں کو دیکھا۔ وہاں کے

لوگوں نے آتنک واد کا مقابلہ کرنے کے لئے جو امداد دی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں مخبر کے نام پر کتنے ہی بے گناہوں کی موت ہوئی۔ یہ لمبی چوڑی بحث ہے۔ میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ریاست جموں کشمیر جو فائننشیل کرائس سے گذر رہی ہے، جہاں بہت سارے اُپائے کئے گئے ہیں اور آج ایک نسخہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان ساری

برائیوں یا بیماریوں کا علاج ایکشن ہے کیونکہ .offence is the best form of defence اگر ہم یہ ٹھیک سمجھیں، تو ہم اس کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں، لیکن ساتھ ہی میں آپ سے گذارش کرنا چاہتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر اور وہاں کے لوگوں کی آج جو اکانومک کنڈیشن ہے، اس کو ریسٹور کرنے کے لئے، جو انفراسٹرکچر ختم ہو گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، اکانومی بریک ہو گئی ہے، اس کو ریسٹور کرنے کے لئے اسپیشل پیکیج جاری کرنا چاہیئے۔

جناب، آخر میں میں ان خاندانوں کے ساتھ اپنی ہمدردی ظاہر کرتا ہوں جنکی قیمتی جانیں اس سانحہ میں گئیں۔ اس سانحہ پر معزز ممبران نے بحث کی اور میں ان ممبران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو بڑی سنجیدگی سے لیا، جو سجھاؤ دیئے، ان پر گورنمنٹ کو عمل کرنا چاہیئے۔ میں اسکی توقع کرتا

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों से मुझे स्मरण आता है कि जिस दिन यहां संसद पर हमला हुआ, उसके बाद जो यहां चर्चा हुई या फिर आज जैसी चर्चा हुई है, ये दोनों एक दृष्टि से समान हैं ऐसा लगता है कि पूरा सदन और सब पार्टिया इस बात का मन में अहसास रखकर कि हम इस बहस में से क्या निकालना चाहते हैं, वह बोल रही हैं, साधारणत: बहस में स्वाभाविक रूप से हरेक अपने पक्ष को सही और विपक्ष को गलत प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं। जिसको कह सकते हैं कि *[अनुवाद]* स्वाभाविक रूप से चर्चा में प्रत्येक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा समय लेना चाहता है। चर्चा में यह स्वाभाविक है।

[हिन्दी]

लेकिन कभी-कभी ऐसा अवसर आता है जब लगता है कि हम इस चर्चा में से दुनिया को कोई संदेश देना चाहते हैं और हरेक उस हिसाब से बोलता है। इस बीच कहीं कोई आलोचनात्मक स्वर भी आ जाता है तो वह अपने मन में यह मानता है कि मैं इसमें से वही संदेश दे रहा हूं।

कम से कम हम जब से सरकार में हैं, मुझे पूरा स्मरण है कि मार्च, 1998 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री बने और हम लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली, उस समय कोई भी हमसे यह पूछता था कि आपको क्या लगता है कि आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? देश के लोग पूछते थे, बाहर के लोग पूछते थे तो कम से कम गृह मंत्रालय में रहते हुए मेरी ओर से सहज उत्तर होता था कि आज सबसे बड़ी चुनौती, वैसे तो देश के सामने गरीबी की चुनौती है, विकास की चुनौती है लेकिन आज की स्थिति में अगर मैं कोई चुनौती देखता हूं तो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्रॉस बार्डर टैरोरिज्म हैं अगर क्रॉस बार्डर टैरोरिज्म नहीं होता तो हम देश से गरीबी समाप्त कर सकते थे, देश का विकास कर सकते थे, देश की उन्नति कर सकते थे। इसलिए क्रॉस बार्डर टैरोरिज्म जब तक जारी है तब तक हमको दूसरी कोई और गंभीर समस्या नहीं दिखाई देती। यह कोई आकस्मिक बात नहीं है।

मैं आज गिनती कर रहा था और मैंने यहां के संसदीय कार्यालय से जानकारी मांगी कि टैरोरिज्म के इश्यू पर, जम्मू-कश्मीर के इश्यू को लेकर अब तक इन चार सालों में कितनी बार बहस हुई हैं उन्होंने मुझे पूरी सूची दी जिसका अर्थ निकलता था कि दोनों सदनों में 28 बार इस पर चर्चा हुई है। आज की दोनों बार, लोक सभा और राज्य सभा की चर्चा को मिलाकर यह 30वीं चर्चा है *[अनुवाद]* हम गत चार वर्षों में जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में आतंकवाद पर 30 बार से चर्चा करते आ रहे है। *[हिन्दी]* इसलिए अस्वाभाविक नहीं है। आज जितनी बातें कही गयी हैं, वे स्वाभाविक हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय जगत में आतंकवाद का जो इतिहास था, भले ही लोगों को याद न आये कि किसी समय म्युनिख में ओलम्पिक हुए थे, वहां पहली बार आतंकवाद की बड़ी घटना हुई थी। लेकिन मैं मानता हूं कि विश्व की दृष्टि से, आतंकवाद की दृष्टि से एक टर्निंग प्वाइंट 11 सितम्बर, 2001 को आया। यह टर्निंग प्वाइंट इस नाते से है क्योंकि तारीख कभी भुलाई नहीं जा सकती। एक ही दिन में चार हवाई जहाजों को दुनिया के सबसे सशक्त देश में से हाईजैक करना और फिर उन चार हवाई जहाजों को मिसाइल में कन्वर्ट करके एक ही दिन में पांच हजार से अधिक लोगों की हत्या करना, बहुत बड़ी बात है। वे पांच हजार व्यक्ति अमेरिकी नहीं थे, विश्व के अनेक देशों

के लोग थे, भारत के लोग भी थे। उन सबकी मृत्यु एक दिन में हो गई।

हम पिछले 20 सालों से जो आतंकवाद भुगत रहे हैं, इन चार सालों में कम से कम हम सबको अनुभव है कि हम कितनी बार विदेशियों से बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप इस समझो।

यह ऐक्चुअल युद्ध से ज्यादा भंयकर है क्योंकि युद्ध में हमको पता होता है कि हमारा शत्रु कौन हैं सैनिक लड़ते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं लड़ता और इसमें प्रायः सामान्य नागरिक ही शिकार बनता है। इसलिए हम बार-बार उनको समझाने की कोशिश करते थे। मैंटली जिसे कह सकते हैं, इनटलैक्चुअल लैवल पर वे मानते थे कि आपकी बात में वज़न हैं हमारे साथ मिल कर काउंटर टैरेरिज़्म के लिए ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स भी कई देशों ने इन चार सालों में बनाए। लेकिन मैं मानता हूं कि 11 सितम्बर, 2001 को एक प्रकार से उनको एहसास हुआ कि टैरेरिज़्म कितना भयंकर होता हैं

प्रधान मंत्री जी जब अमरीका गए थे तो उन्होंने आतंकवाद का जिक्र करते हुए कहा था कि यह मत समझिए कि आपके देश की दूरी आपको हमेशा सुरक्षा प्रदान करती रहेगी। 11 सितम्बर, 2001 को उनको अनुभव हुआ कि कितने भयंकर परिणाम हो सकते हैं। जैसे कालूचक के मामले में भी कई लोगों ने कहा कि पता कैसे नहीं लगा, इंटैलीजैंस को पता लगाना चाहिए था। आखिर हमने उनकी फैमिलीज़ की सुरक्षा क्यों नहीं की। ये सारी बातें कही जा सकती हैं, कहने में कोई आपत्ति भी नहीं है, लेकिन हमको इस बात को पहचानना चाहिए कि आतंकवाद एक भयानक संकट है और वह भयानक संकट और भयानक बन जाता है जब आतंकवादी देश या आतंकवादी राज्य सूसाइड स्क्वैड्स पैदा करते हैं। सुसाइड स्क्वैड्स ऐसे हैं जिनको उन्होंने फिदाइन, आत्मघाती दस्ते नाम दिया हैं हम अपने पूर्व प्रधान मंत्री को नहीं बचा सके, अमरीका अपने वर्ल्ड ट्रेड सैंटर और पैंटागन को नहीं बचा सका। यह कोई सुरक्षा का फेल्योर नहीं है लेकिन हम किस प्रकार के संकट का मुकाबला कर रहे हैं, उसे पहचानना चाहिए, समझना चाहिए। जो सुसाइड स्क्वैड्स हैं, तीन लोग आए थे। मैं आज सदन को बताना चाहूंगा कि तीन लोग कौन-कौन थे - अबू सुहेल, मोहम्मद सादिक का बेटा जो निसार कालोनी, फैसलाबाद, पाकिस्तान का है, दूसरा, अबुल मरसद पुत्र श्री मोहम्मद मीर दुल्ला, डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला, सलामतपुरा, तीसरा, अबू जुबार दुरई, विलेज बूढ़ा गवारिया, तहसील नौशेरा, बिक्रान, डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला, पाकिस्तान - तीनों पाकिस्तानी थे। जिस प्रकार यहां जो पांच लोग आए थे, वे पांचों पाकिस्तानी थे। जो कोलकाता के अमरीकन सैंटर पर अटैक करने गए थे, वे भी पाकिस्तानी थे। हां, उनको कभी-कभी सहायता मिलती है, कहीं से सहायता मिल जाती है। यहां जो पाचं लोग आए थे, उनके सहायक थे, जो चार्जशीट भी हुए हैं। हम यह जरूर मानते थे कि जिस प्रकार के डिप्लोमैटिक ऐफर्ट्स हम पिछले सालों में करते आए और जो 11 सितम्बर के बाद एक प्रकार से और बढ़ाए, जब 11 सितम्बर के बाद अमरीका ने घोषणा की कि यह समस्या बड़ी भयंकर है और हम मानते हैं कि यह समस्या कहीं पर भी हो, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और उसके लिए एक इंटरनैशनल कोएलीशन अगेन्स्ट टैरेरिज़्म खड़ा करते हैं। भारत ने कहा, ठीक है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारा सहायोग है। मुझे याद है, उन दिनों अमरीकी प्रतिनिधि कभी भी मुझे मिलते थे तो मैं उनसे कहता था कि आप जिस प्रकार के कदम उठा रहे हैं, विश्व उनका स्वागत कर रहा है, भारत ने भी स्वागत किया है लेकिन मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि हमारी सरकार आपके इन कदमों का स्वागत कर रही है लेकिन हमारी जनता की समझ में यह बात नहीं आ रही है। मैंने कहा हमारी जनता को आतंकवाद का नाम लेते ही पाकिस्तान याद आता है और समझ में आता है कि पाकिस्तान और तालिबान ने मिल कर भारत में आतंकवाद फैलाया है।

हमारे यहां बेगुनाह लोगों की हत्याएं होती हैं। सर्वसाधारण व्यक्ति को यह समझ में नहीं आता कि इस लड़ाई में, जो आप आतंकवाद के खिलाफ छेड़ना चाहते हैं, उसमें आपका प्रमुख सहयोगी पाकिस्तान कैसे बन गया। मैंने कहा, सरकार में रहते हुए हम यह समझ सकते है कि आपके कम्पलसंस क्या हैं। आपकी मजबूरियां समझ में आती हैं कि आपको अफगानिस्तान के सबसे निकट भोगौलिक दृष्टि से पाकिस्तान लगता है, आपको इस बात की पूरी जानकारी है कि तालिबान को क्रिएट करने में आई.एस.आई. ने कितना योगदान किया है। आई.एस. आई. और तालिबान का कितना निकट का सम्बन्ध है, इसीलिए आप चाहेंगे कि आप पाकिस्तान का उपयोग करके तालिबान तक पहुंचेंगे, यह समझ में आता है। इसीलिए आपकी स्ट्रेटेजी कम्पलसंस हमारी समझ में आती हैं, आम आदमी की समझ में नहीं आती। आम भारतीय नागरिक सोचता है कि क्या कर रहा है, लगता है कि पुरानी दोस्ती है, पाकिस्तान के साथ वह दोस्ती फिर से निभा रहे हैं, फिर से निकट जा रहे हैं और वे हमको आश्वस्त करने की कोशिश करते थे, जिस बात का जिक्र यहां पर कुछ लोगों ने किया या वहां किया। वे कहते थे कि यह तो पहला फेज है, यह तो तालिबान के खिलाफ है और इस समय डिफ्यूज नहीं करना चाहते, लेकिन हम बार-बार संकल्प करते हैं, हमारे राष्ट्रपति तक ने कहा है कि आतंकवाद जहां कहीं भी होगा, वह हमरा शत्रु है, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे और उसके खत्म होने के बाद हम और भी कुछ करेंगे।

मैं इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हमको पहले दिन से लेकर इस बात पर आशंका थी। इस कारण थी कि जिस दिन पाकिस्तान ने यह निर्णय किया और घोषणा की कि हम लोग अमेरिका

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

का साथ देंगे, उसी दिन उन्होंने अपने सार्वजनिक वक्तव्य में कहा कि हमारा यह निर्णय हमको जम्मू-कश्मीर में सहायता करेगा। हमने अमेरिका को ध्यान भी दिलाया था कि देखो, यह सार्वजनिक रूप से कह रहा है, आज हम यह कहने की स्थिति में हैं कि 11 सितम्बर से लेकर आज तक पाकिस्तान के रवैये में, जहां तक भारत का सवाल है, उसके इस निर्णय में, जो निर्णय उन्होंने बहुत पहले किया कि भारत के साथ प्रकट युद्ध लड़ना सम्भव नहीं हैं। भारत के साथ प्रकट युद्ध हमने तीन-तीन करके देखे, 1947 में किया, 1965 में किया और 1971 में किया, यहां की सेनाओं से हमेशा हमें पराजय ही हाथ लगी तो उसके बाद से उन्होंने अपनी रणनीति बदली और तय किया कि हम प्रॉक्सी वार के माध्यम से आतंकवाद को अपना सहारा बनाकर, घुसपैठ को अपना सहारा बनाकर, सबोटाज को अपने सहारा बनाकर सारा का सारा काम आई०एस०आई० के सुपुर्द करके उसके आधार पर लड़ेंगे, यह निर्णय उन्होंने किया। उस निर्णय के सारे प्रमाण हैं और यह बात जो अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाला कोएलीशन बना, उनको हमने हमेशा कहा है कि यह कोई नई बात नहीं हैं लेकिन कहते हुए भी हम यह मानते हैं कि विश्व भर में जो वातावरण 11 सितम्बर के बाद बना, वह हमारे लिए सहायक होगा। आज भी है, लेकिन विजय हमें अपने बलबूते पर प्राप्त करनी है, दूसरे की सहायता से नहीं करनी । कोई दूसरा सहायता क्यों करेगा, किसलिए करेगा, कितने प्रामाणिक हैं, आखिर तो यह सर्वथा असम्भव ही है। हमें अपने बलबूते पर इस पर विजय प्राप्त करनी है और कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, डैमोक्रेसी होते हुए भी कर सकते हैं। लोकतंत्र की अपनी कमियां रहती होंगी, लेकिन सैनिक देश भी कभी-कभी पहचान नहीं पाता है कि लोकतंत्र की ताकत कितनी है। मैं मानता हूं कि जो हमारा संघर्ष है, उस संघर्ष में आज की चर्चा जिस ढंग से हुई है, वह निश्चित रूप से बहुत सहायक होगी।

11 सितम्बर के बाद परिवर्तन कोई नहीं हुआ है। इसके प्रमाण तो हमारे पास अनेक हैं। एक अक्टूबर को जो कुछ जम्मू-कश्मीर में हुआ, श्रीनगर की असेम्बली पर हमला हुआ, उसके बाद 13 दिसम्बर को यहां पर जो कुछ हुआ और मैं इन दोनों घटनाओं के ही समकक्ष इस कालूचक की घटना को मानता हूं। इस कारण मानता हूं क्योंकि अभी पता नहीं उमर फारूक जी हैं या नहीं, उन्होंने जिस प्रकार से रिक्रिएट किया, उस एक परिवार के अंदर क्या कुछ हुआ होगा, क्या हुआ, तीन बच्चे, जिनमें दो लड़कियां थीं, एक लड़का था, उनकी मां थी, वे सब मारे गए। हमारे ऊपर इस बात का काफी बोझ हैं आज सारे जवान सीमा पर खड़े हैं। वहां जो घटना हुई, उनके परिवार के लोग मारे गए। कुल 31 लोग कालूचक की घटना में मरे हैं। जिनमें तीन तो सिक्योरिटी मैन ही थे, लेकिन 21 लोग ऐसे थे, जो जवानों के परिवार वाले थे। उनकमें महिलाएं भी थीं और बच्चे भी थे। अब उनका जवाब हमें देना है। आज जो चर्चा हुई है, वास्तव में वह उन सारे जवानों को एड्रैस है। इसलिए हम इस घटना को बाकी घटनाओं के समान नहीं मानते हैं।

उमर फारूक जी ने सही कहा कि जिस प्रकार की गम्भरी घटना संसद पर हमला थी, उसी प्रकार की यह घटना कालूचक में हुई है। हमारे जवान सीमा पर खड़े हैं, उनके परिवार वाले मारे जाते हैं। इस पहलू को अतिमहत्वपूर्ण पहलू मानकर ही हमें सोचना चाहिए। यह ठीक है इस समय न रिटोरिक के लिए स्थान है, न आवेश के लिए स्थान है, न भावनात्मक प्रतिक्रिया का सवाल हैं कुल मिलाकर एक-एक चीज का वजन करके, तौलकर सरकार को निर्णय करना होगा। सरकार निर्णय करेगी, तो स्वाभाविक रूप से जो सैनिक अधिकारी हैं, उनसे भी सलाह-मशविरा करना होगा। सब पहलुओं पर विचार करना होगा। क्या-क्या हो सकता है, उस पर सोचना होगा। संसद में हुई इस बहस में सरकार की नीति की घोषणा करने का यह अवसर नहीं हैं इस अवसर पर जो सबने सरकार को समर्थन देकर यह अधिकार दिया है कि आप सब रिस्पांस लेकर सही उत्तर दें। लेकिन उत्तर जरूर आना चाहिए, तो वास्तव में हम निर्णायक स्थिति तक पहुंच पाएं, अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। इतने सालों से यह चलता रहा है। लगातार हमारे शत्रु की हिम्मत बढ़ती रही है।

अमेरिका के एक प्रतिनिधि कल मुझे मिले थे। उन्होंने भी कालूचक की घटना पर बात की। जब मैंने उनको बताया तो उनकी आश्वस्ति हो गई कि उनका भी हमें समर्थन हमें प्राप्त है, जिन्होंने इंटरनेशनल कोएलिशन अगेंस्ट टैरोरिज्म गठित किया। उस काल में भी यही लोग कुछ भी करते हैं, इसी कारण उनकी हिम्मत बढ़ी हैं इसीलिए मैंने कहा कि जहां तक भारत और यहां की जनता का सवाल आता है तो पाकिस्तान पर वह गुस्सा होगी, लेकिन आपसे गहरी निराशा है। मैं इन शबदों को सोचकर कह रहा हूं, अन्यथा तो मैं मानता हूं कि इन दिनों जो हुआ है, उसमें एक प्रकार से आपके रवैये से उनको प्रोत्साहन मिला है। यह सही बात कहने में भारत सरकार ने कभी संकोच नहीं किया।

आज की चर्चा में से एक बात और निकलेगी कि सारा देश एक है इस आतंकवाद के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए और इस आतंकवाद के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हम किसी दूसरे पर भरोसा करके नहीं चल रहे हैं। हम अपने ऊपर भरोसा करके चल रहे हैं। लेकिन इस पर विजय जरूर पानी है, क्योंकि विजय पाए बिना इस पर नियंत्रण नहीं हो सकेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव : माफ कीजिए, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं। मुझे कहीं जाना है इसलिए कह रहा हूं कि आप आतंकवाद को खत्म कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं।...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे याद है जब जनवारी के महीने में मैं वाशिंगटन गया था। वहां लोग मुझ से सवाल पूछते थे "क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने वाला है?" चाहे पत्रकार हों, चाहे वहां के सीनेटर हों या कांग्रेस के लोग हों या भारतीय लोग मिलते थे, तो मुझसे यह सवाल करते थे। मेरा उनको जवाब होता था कि आपका सवाल मुझे समझ में नहीं आता। इस नाते समझ नहीं आता कि मुझे 11 सितम्बर की घटना याद हैं उस दिन शाम को मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति जी का जब भाषण सुना तो उन्होंने उसी शाम को या 12 सितम्बर की सुबह को यह कहा कि आतंकवादियों ने अमरीका पर हमला बोल दिया है उस एक दिन की घटना ने वहां के देश ने हमारे ऊपर युद्ध की घोषणा कर डाली है। लेकिन हमारे ऊपर तो आतंकवादियों ने पिछले 20 सालों से युद्ध छेड़ रखा है।

यहां लगातार युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में कितने लोग रोज मर रहे हैं? हमें तो केवल यह निर्णय करना है कि क्या हमारी प्रतिक्रिया वेसी ही रहेगी जैसी आज तक रही है? ऐसा नहीं है कि प्रतिक्रिया नहीं रही हैं प्रतिक्रिया लगातार चलती रहती हैं इस साल के पहले चार महीनों में हमारे सुरक्षा कर्मियों ने 601 आतंवादियों को समाप्त किया। ऐसा नहीं है कि हमारे लोग नहीं मरते हैं। मेरे पास इन्होंने जो आंकड़े दिये हैं, वे यह है कि सन् 2000 में जो रेशियो होता था, हमारे यहां आंकड़े इकट्ठे करते रहते हैं, रेशियो इकट्ठा करते रहते हैं कि 2000 में अगर चार आतंकवादी मरते थे तो एक सुरक्षा कमी भी मरता था और 2001 में भी यही रेशियो था। इस बार रेशियो थोड़ा अच्छा हुआ है कि छ: आतंकवादी मरते हैं तो एक सुरक्षाकर्मी मरता है। मैं मानता हूं कि किसी भी युद्ध में हमारे इतने सुरक्षाकर्मी नहीं मरते जितने सुरक्षा कर्मी परोक्ष युद्ध में मरते रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री श्यामाचरण शुक्ल : मैं पूछना चाहूंगा कि आतंकवादी आपके ऊपर हमला करते हैं और मारे जाते हैं लेकिन आप उनके ऊपर पहले हमला करके, उनको घेरकर क्यों नहीं मारते?...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : 24000 लोग मारे गये हैं। हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक क्यों नहीं करते? चर्चा तो चलती रहेगी। पाकिस्तान के ऊपर अटैक करो न।...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : शुक्ल जी ने जो सवाल पूछा है, इस सवाल का उत्तर सीधा है कि अगर आतंकवादी कौन हैं, इनको आईडेंटिफाइ करना संभव हो तो यह उत्तर दिया जा सकता है लेकिन जितनी जानकारी हमें मिलती है,...*(व्यवधान)* जो मैंने 601 संख्या कही है, यह 601 कोई ऐसा नहीं है कि जिन्होंने हम पर हमला किया, फिर हमने उनको मार दिया। इंटैलीजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जिन्होंने बार-बार किये हैं, प्रो-एक्टिव ऑपरेशंस, इंटेलीजेंस बेस्ड प्रो-एक्टिव ऑपरेशंस के आधार पर ही इनको मारा गया है। इसीलिए हमारी तरफ से इस मामले में कमी नहीं छोड़ी जाती लेकिन कितनी भी आप बात करें।

[अनुवाद]

एक लोकतांत्रिक देश, जो आतंकवाद का विशेषकर राज्य प्रायोजित आतंकवाद का शिकार है उसे कुछ नुकसान उठाना ही पड़ता है।

[हिन्दी]

टैररिस्ट ऑरगेनाइजेशन का मुकाबला करना एक चीज है लेकिन नुकसान उठाना ही पड़ता है लेकिन

[अनुवाद]

राज्य-प्रायोजित आतंकवाद बहुत खतरनाक है। यह बहुत खतरनाक है और पाकिस्तान गत कई वर्षों से लगभग दो दशकों से एक आतंकवादी राज्य के रूप में कार्य कर रहा है।

[हिन्दी]

पिछले दिनों में, इसीलिए जब भी स्वाल पूछे जाते थे, आपकी कंसर्न्स हमारे लिए थीं, लेकिन आपकी कसौटियां क्या-क्या हैं, किस आधार पर आप कह सकते हैं, क्योंकि चूंकि पाकिस्तान तो कहता है कि हम टैररिज्म प्रोवोक नहीं करते। मैं जब वहां था, तब बार-बार कहा था कि आप इन्तजार करिए, 12 तारीख को वह महत्वपूप्र भाषण करने वाले हैं और परवेज मुशर्रफ साहब ने 12 जनवरी को महत्वपूर्ण भाषण किया। उस समय मैंने अमरीकी सरकार का वह दस्तावेज नहीं पढ़ा था जो बाद में मैंने पढ़ा जिसमें उन्होंने कारगिल का युद्ध कैसे हुआ, इसका विस्तार से वर्णन किया। वाजपेयी जी ने बस यात्रा करके शांति स्थापना की कोशिश की, तारीफ की, लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब ने सारी स्थिति को बदल दिया। यह रिपोर्ट है जो प्रेसीडेंट क्लिंटन को उनके एक स्पेशल असिस्टेंट ब्रूस रूडो ने कारगिल युद्ध के समय प्रेजेंट की थी।

[अनुवाद]

"स्थिति और भी अस्पष्ट हो गयी क्योंकि यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था कि इस्लामाबाद में किसका शासन चल रहा है। प्रधानमंत्री शरीफ जब वाजपेयी जी से मिले थे तब वे लाहोर प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के इच्छुक नजर आये थे और संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी राजदूत बिल रिचर्डसन सहित कई अमरीकी अतिथियों के समक्ष विदग्धतापूर्वक अपनी बात रखी थी और यह कहा था कि वह भारत के साथ 50 वर्ष पुराना झगड़ा समाप्त करना चाहते हैं।"

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

"...कि वह भारत के साथ 50 वर्ष पुराना विवाद समाप्त करना चाहते हैं। उनका सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ एक अलग ही स्वभाव का व्यक्ति लगता है। उसके संबंध में कहा गया कि वह कश्मीर के प्रति उनका कट्टर दृष्टिकोण है, एक ऐसा आदमी जिससे कुछ लोग भयभीत थे वह भारत को सदा के लिए नीचा दिखाने के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ था।"

[हिन्दी]

यह उनकी रिपोर्ट है और उनका एसैसमेंट है।

[अनुवाद]

डा० नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई) : जब आपको सारी जानकारी थी तो आपको परवेज मशर्रफ को राष्ट्रपति के रूप में मान्यता क्यों देनी पड़ी और उसे क्यों अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान दिलवाना था?...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अच्छा,

[हिन्दी]

मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने 1947 से युद्ध करने की शुरूआत की और 1947 में पहली बार ट्राइबल के माध्यम से युद्ध शुरू किया और कहा कि हम कबाइलियों को भेज रहे हैं। जब वे श्रीनगर से थोड़ी दूरी पर ही थे, तो भारत की सेनाओं ने उनको खदेड़ना शुरू किया। लेकिन भारत की 1947 से यह नीति रही है कि हम पाकिस्तान के सथ मित्रता करना चाहते हैं। मित्रता और सौहार्द करने की नीति तब से रही है। अलबत्ता यह हो सकता है कि जब हमारी सरकार आई, तब उन्हें लगता होगा कि शायद ये मित्रता नहीं करना चाहेंगे। लेकिन वाजपेयी जी ने दो बार प्रयत्न किया। एक बार लाहौर बस यात्रा की, लेकिन लाहौर बस यत्रा के बाद कारगिल मिला। कारगिल मिलने के बाद, बावजूद इसके कि 1999 में जब वाजपेयी जी देश की जनता से समर्थन से और जनादेश प्राप्त करके इलैक्ट हुए, तो उसके अगले ही दिन पाकिस्तान में इलैक्टेड प्रधान मंत्री को हटाने के लिए कूप हो गया और परवेज मुशर्रफ आ गए। थोड़े दिनों के बाद, बात और आगे बढ़ी। फिर विचार-विमर्श करके सरकार ने कहा कि इनको बुलाकर बात करते हैं। उनको आगरा बुलाया गया, लेकिन कोई परिवर्तन न ला पाए। उनका आबसैशन यह है कि कश्मीर उनको मिलना चाहिए। और मैं कश्मीर के बार में अनकम्प्रोमाइज्ड हूं और मैं यह प्रमाणित करके दिखाऊंगा और पाकिस्तान की जनता के बीच स्थान प्राप्त करूंगा। बाकी मेरी कमजोरियां होगीं, लेकिन इसके आधार पर मैं आगे बढ़ सकता हूं। यह ठनका संकल्प रहा।...*(व्यवधान)*

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : हम लोगों का कया संकल्प होगा, यह बताइए।...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उन्होंने प्रोक्सीवार की नीति शुरू की। शुरू-शुरू में उन्होंने यह सोचा था कि जम्मू-कश्मीर में इतना असंतोष है, उस असंतोष को बढ़ाकर हम वहां के लोगों को यहां लाकर शिक्षित करेंगे, ट्रेनिंग देंगे और उनके माध्यम से, जम्मू-कश्मीर की जनता के माध्यम से हम वहां पर आतंकवाद बढ़ायेंगे। पिछले साल कारगिल युद्ध के बाद डॉन अयाज़ अमीर ने एक लेख लिखा था। उसमें उन्होंने लिखा कश्मीर एण्ड पॉवर ऑफ इल्यूजन", जिसमें अयाज़ आमिर कॉर्नर ने लिखा:-

[अनुवाद]

"जब तक कि कश्मीर के मामले में वहीं के लोग परेशान होकर हथियार उठाते रहेगे।"

[हिंदी]

अर्थात, वहीं के लोग इन्सरजैंट होकर, यहां आकर ट्रेनिंग लेकर फिर वापिस जाकर हत्या करते थे और आतंकवाद फैलाते थे।

[अुनवाद]

उसने कहा कि "लाभ हमें मिला है और लांछन भारत के मत्थे मढ़ा। लेकिन फिर अफगानिस्तान के मानिंद....."

[हिन्दी]

तालिबान के संदर्भ में जो कुछ भी अफगानिस्तान में किया, हम उसे जम्मू-कश्मीर में करना चाहेंगे।

उसने कहा,

"लेकिन फिर अफगानिस्तान के मानिंद हमें इस कश्मीरी बगावत को आई०एस०आई० के पश्चम तले लाना पड़ा जिसका फल यह हुआ कि पाकिस्तान स्थित जेहादी संगठनों का जुड़ना कश्मीर मुद्दे पर भारी पड़ने लगा।"

इसके बाद जेहाद के बारे में उन्होंने लिखा है -

"कटु सत्य तो यह है कि कश्मीर में जेहाद के अब आगे कोई भविष्य नहीं हैं। वहां के खून-खराबे और कुर्बानियों को देखते हुए यह कहना बेहद कटु लगता है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि यही सच है। उग्रवाद के चलते रहने से भारत को तो मुश्किल झेलनी पड़ेगी लेकिन इससे उस राज्य की आजादी का मसला हल नहीं होगा...." पिछले 53 सालों के इतिहास से यह

बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। जब पाकिस्तानी सेना तक एक पूरा युद्ध नहीं जीत पाई, तो जेहादी हमला करके निकल भागने की अपनी रणनीति में सफलता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?''

[हिंदी]

यह आर्टीकल वहां के एक इंटेलेक्चुअल लेखक का है। डॉन वहां का एक प्रसिद्ध अखबार है, उसमें लिखा हुआ है, मैं इस चीज का उल्लेख केवल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज पाकिस्तान में भी इस बात का अहसास है कि वह इस इस ढंग से जम्मू-कश्मीर प्राप्त नहीं कर सकता। इस सदन में या उस सदन के जम्मू-कश्मीर के एक माननीय सदस्य ने ठीक कहा। आज वहां जितने लोग आते हैं, उनमें से प्राय: 75-80 प्रतिशत फॉरेन मरसिनरीज़ हैं। ऐस क्यों है-, इसमें मैं एक चीज कह सकता हूं वे फिदाइन मिनियां हैं। वे कट्टरवाद पैदा करके करते हैं, आज की परिस्थिति के बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। आज की परिस्थिति वहां ऐसी है कि जिसे हमें ख्याल में रखना पड़ेगा। हमारी जानकारी में है कि कुछ समय पहले, जितनी सारी एलईटी, जैश-ए-मोहम्मद है, उन्होंने कहा कि आप कम से कम अपने दफ्तर हटा दीजिए, बोर्ड वगैरह हटा दीजिए, अपना नाम बदल दीजिए। आप अपना काम करते रहिए, जरा बिखर जाइए। कुछ समय के लिए शांत होकर बैठ जाइए। धीरे-धीर करके वह समय भी बीता और आज हमारी जानकारी में है कि-

[अनुवाद]

''लश्करे तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अलबंद्र और हिजबुल-मुजाहिद्दिन सहित विभिन्न आतंकवादी तंजीमों के प्रशिक्षण-शिविर और कार्यालय पहले की तरह खुलेआम अपनी हरकतें जारी रखे हुए हैं, फर्क सिर्फ इतना हुआ है कि उनके नामपट्ट हटा दिए गए हैं और दीवारों पर से पोस्टर हटा दिए गए हैं। दुनिया को भ्रम में डालने के लिए खुले जुलूस, नारेबाजी, जेहाद का आहवान, धन इकट्ठा करने जैसी गतिविधियों को भी रोक दिया गया है।''

[हिन्दी]

ट्रैनिंग कैम्प्स फिर से शुरू हो गए और हमें कम से कम 70-75 ट्रेनिंग कैम्स की जानकारी हैं। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के परिवर्तन के बाद तीन-चार हजार तालिबान 'अल-कायदा' में शामिल विभिन्न आतंकवादी, ज्यादातर अरब, अफगानिस्तान के अलग-अलग हिस्सों से पाकिस्तान में आ गए है। इनमें से लगभग 2000 पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर में तम्बूओं में रूके हुए हैं।

महोदय, ये तथ्य हैं, जिनके बारे में जितनी जानकारी मेरे पास है, वे सारे इनपुट्स मिला कर सब बातों पर विचार करके, बात करके हमें निर्णय करना होगा।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : महोदय, मैं बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जो आज पूरे दिन आतंकवाद के खिलाफ बहस हुई है, उसका लब्बोलबाब यह है कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश आपके साथ एकजुट हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो हालात बने हैं, उसमें पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइस नहीं करना चाहता। आडवाणी जी, आपके पास जो जानकारी है, वह ठीक है। कुल मिलाकर देश की जनता यह चाहती हे कि आतंकवाद से लड़ने के लिए आप अंत में क्या करना चाहते हैं, यह बताएं तो ज्यादा अच्छा है। इस जानकारी को आप अपने पास रखिए। देश सिर्फ यह जानना चाहता है कि आप क्या कर रह हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी मंत्री जी जवाद दे रहे हैं, उनकी बात खत्म होने दीजिए।

श्री मोहन रावले : महोदय, वहां कितने लोग मर रहे हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने सभी भाषण नहीं सुने हैं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष, महोदय, सभी पक्षों ने सरकार का पूरी बहस में समर्थन किया है। बहस के दौरान कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न किए गए थे, जो इन सारी घटनाओं पर प्रकाश डालेंगे। आपने अभी जिन तथ्यों की जानकारी दी है, मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन कारगिल कमेटी की रिपोर्ट तीन साल से हमारे पास पड़ी है।...*(व्यवधान)* जो सिफारिशें लागू करनी थी, उनका क्या हुआ। इसकी जानकारी आ जाए। हम आगे क्या करने जा रहे हैं, हम किस प्रभावी तरीके से कैसे इस पर नियंत्रण करने जा रहे हैं।

इसके बारे में सरकार की क्या सोच है, क्या नीति है? कश्मीर के बारे में क्या नीति है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : माननीय चतुर्वेदी जी, मैं आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं करता था। इस तरफ से कुछ सदस्यों पर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ लेकिन जो लोग सरकार में रहे हैं उनको तो इस बात की पूरी जानकारी है कि इस प्रकार की घोषणाएं संसद में सरकार की ओर से नहीं की जाती हैं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : हम कोई क्लासिफाइड जानकारी नहीं चाह रहे हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं आपकी बात समझ गया। मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस सवाल की जितनी गंभीरता है उसका अहसास सरकार को है तथा सभी पार्टिया पूरा समर्थन देने को तैयार हैं, सारा देश समर्थन देने को तैयार है। मैंने कुछ तथ्य और इनपुट्स आपको दिये हैं जिन पर प्रधान मंत्री और उनके सहयोगियों तथा प्रमुख सैनिक अधिकारियेां के साथ इंटर-एक्शन करके सही निर्णय लिया जाएगा।

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

जो भी निर्णय लिया जाएगा।, निश्चित रूप से उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। किस प्रकार से मिलेगी, यह मैं नहीं कह सकता हूं। हो सकता है माननीय प्रधान मंत्री जी जो यहां नहीं बोले हैं उनको आवश्यक लगे कि हम टैलीविजन के माध्यम से देश को संबोधित करें। लेकिन मुझे विश्वास है कि जो भी निर्णय होने वाला होगा, उससे पूर्व भी माननीय प्रधान मंत्री जी विपक्ष के लोगों को बुला करके उनसे सलाह-मशविरा करेंगे - इस प्रकार का एक मत बना है और हम उस दिश में आगे बढ़ेंगे।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : माननीय मंत्री महोदय, क्या आप थल सेनाध्यक्ष के आज दिए गए उस बयान से सहमत हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि बातचीत का वक्त अब खत्म हुआ और कार्रवाई का वक्त आ गया?...*(व्यवधान)* क्या आप थल सेनाध्यक्ष के उस बयान का समर्थन करते हैं? उन्होंने कहा है कि बातचीत का वक्त खत्म हो गया है और कार्रवाई का वक्त आ गया हैं माननीय रक्षामंत्री इस पर क्या कहेंगे?...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : थलसेनाध्यक्ष ने जो कहा है, वह आज समाचार माध्यमों में प्रकाशित हुआ है...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उन्होंने यह भी कहा है कि इस पर फैसला देश को करना है। देश को करना है — अर्थात् संसद सरकार को सलाह दे और, सरकार इस संबंध मैं अपना दायित्व अवश्य पूरा करेगी। धन्यवाद।

जम्मू में कालूचक में आतंकवादी हमले की निन्दा और शोक संतप्त परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के बारे में संकल्प

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं:-

"यह सभा कालूचक, जम्मू में 14 मई, 2002 को पाकिस्तान के लश्कर-ए-तयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों द्वारा किए गए अत्यंत कायरतापूर्ण हमले की अत्यधिक भर्त्सना करती है और शोक-संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक सहानुभूति व्यक्त करती है।

हमने सभी मौजूदा समस्याओं का समाधान करने के लिए शिमला समझौते और लाहौर घोषणा द्वारा प्रदत्त प्रक्रियाओं के द्वारा पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का लगातार प्रयास किया हैं लेकिन इससे हमें अत्यधिक निराशा हुई है कि हमारे प्रयासों का पाकिस्तान की ओर से वांछित उत्तर नहीं मिला।

यह आवश्यक है कि विश्व समुदाय के नेतागण पाकिस्तान द्वारा प्रोत्साहित किए गए आतंकवाद की लगातार हो रही घटनाओं पर ध्यान दें जिससे कि उसके विरूद्ध संयुक्त और प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

अब यह सभा आतंकवाद के ऐसे अविवेकपूर्ण कार्यों, जो संपूर्ण मानवता के विरूद्ध हैं, से एकजुट होकर और दृढ़-निश्चयी तरीके से लड़ने का संकल्प लेती है और इस खतरे को समाप्त करने के लिए इस राष्ट्र की वचनबद्धता की घोषणा करती है।"

यदि सभा की सहमति हो, तो मैं संकल्प को सर्वसम्मति से स्वीकृत होने की घोषणा करूँ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्य-सूची की अगली मद माननीय मंत्री श्री शांता कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक हैं। यदि सभी चाहे तो अब मैं इस पर चर्चा शुरू कर सकता हूं।

श्री शिवराज वि० पाटील : नहीं महोदय।

श्री के० येरननायडू : महोदय, हम इस पर बाद में मानसून सत्र में चर्चा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय संसदीय कार्य मंत्री सहमत हैं तो हम ऐसा ही करेंगे।

श्री के० येरननायडू : महोदय, हमने सभा में इस सर्वसम्मत संकल्प को पारित किया था।...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : आज सत्र का अंतिम दिन है मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया वंदे मातरम के लिए रूकें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी सांसदों से विनती करता हूं कि विदाई उल्लेख होने के बाद वंदे-मातरम होगा नया वंदे मातरम होने के बाद हाउस एडजोर्न होगा। वंदे-मातरम थोड़ी देर में होने वाला है।

सायं 6.55 बजे

[हिन्दी]

विदाई उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, तेरहवीं लोक सभा का नौवां सत्र, जो 25 फरवरी, 2002 को आरंभ हुआ था, आज समाप्त होने जा रहा हैं इस सत्र के दौरान कुल चालीस बैठकें हुई और दो सौ उन्नीस घंटो से अधिक समय तक चलीं।

23 मार्च, 2002 से 14 अप्रैल, 2002 तक सभा का सत्रावकाश रहा, ताकि विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों की अनुदानों की मांगों पर विचार कर सकें और सभा में अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकें। लोक सभा की स्थायी समितियों ने इस सत्र के दौरान चौहत्तर प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

बजट सत्र के दौरान, सभा में कई महत्वपूर्ण वित्तीय, विधायी तथा अन्य कार्य किए गए।

16 माच, 2002 को सभा में बारह घंटो से अधक समय तक चली बहस के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया।

केन्द्र सरकार का सामान्य बजट तथा रेल बजट और उत्तरप्रदेश का बजट, जहां उस समय राष्ट्रपति शासन था, समस्त सभा के पूर्ण सहयोग से पारित किए गए। यहां तक कि इन बजटों पर सामान्य चर्चा करने के लिए सभा की बैठकें देर रात तक भी चलीं।

सत्र के दौरान सभा ने 38 विधेयक पारित किए। इनमें एक महत्वपूर्ण विधेयक आतंकवाद निवारण विधेयक, 2002 भी शामिल था जो आतंकवाद निवारण (द्वितीय अध्यादेश), 2001 के स्थान पर लाया गया था और जिसे 18 मार्च, 2002 को लोक सभा द्वारा पारित कर दिया गया था लेकिन 21 मार्च, 2002 को राज्य सभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में तीसरी बार माननीय राष्ट्रपति ने दोनों सदनों के बीच विधेयक पर मतभेद दूर करने हेतु संयुक्त बैठक बुलायी। 26 माच, 2002 को हुई दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में आतंकवाद निवारण विधेयक, 2002 पारित किया गया।

सभा ने नियम 193 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के चार मामलों पर व्यापक और सार्थक चर्चा की। ये चर्चाएं इन विषयों पर थीं;

1. गोधरा नरसंहार और गुजरात में बाद में हुई हिंसक घटनाएं।
2. उच्चतम न्यायालय के फैसले के कारण अयोध्या की वर्तमान स्थिति के संबंध में 14 मार्च, 2002 को प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य।
3. बिहार राज्य के लिए वित्तीय पैकेज और
4. 14, मई 2002 को जम्मू में कालूचक स्थित सेना शिविर तथा बस यात्रियों पर आतंकवादी हमला।

इन चर्चाओं में सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

ध्यानाकर्षण के माध्यम से चार मामले उठाए गए थे जिन के उत्तर में संबंधित मंत्रियोंने वक्तव्य दिए। इनके अतिरिक्त अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों ने 16 वक्तव्य दिए।

जहां तक गैर सरकारी सदस्यों के कार्य का संबंध है, गैर सरकारी सदस्यों के कुल 39 विधेयक पुरःस्थापित किए गए। एक गैर सरकारी सदस्य विधेयक तथा गैर सरकारी सदस्यों के दो संकल्पों पर चर्चा हुई और उन्हें पेश करने वाले सदस्यों द्वारा सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया।

माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 314 मामले उठाए। इसके अतिरिक्त शून्य काल के दौरान सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के 171 मामले उठाए।

इस अवसर पर मैं माननीय सदस्यों विशेष कर सदन के नेता, विपक्ष की नेता और सभी दलों के नेताओं, मुख्य सचेतकों और सचेतकों को सभा की कार्यवाही को सुचारू ढंग से पूरा करने हेतु मुझे, उपाध्यक्ष महोदय और सभापति तालिका के मेरे सहयोगियों को दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं सभा के संचालन में अमूल्य सहायोग के लिए लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा अन्य सहयोगी एजेंसियों की सराहना करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। मैं मीडिया का भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं इस अवसर पर एक बार फिर इस सभा के सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के अध्यक्ष के गरिमामय पद पर मुझे निर्वाचित करके मुझ में अपना विश्वास व्यक्त किया। पुनः मैं इस सभा के संचालन में उनके द्वारा दिए गए पूर्ण सहयोग के लिए भी उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

सायं 7.00 बजे

माननीय सदस्यों, मेरा गंभीर प्रयास रहेगा कि इस सम्मानित सभा की कार्यवाही का संचालन व्यवस्थित ढंग से चले। इस प्रयोजन हेतु मेरी प्राथमिकतायें इस प्रकार होंगी :

आप सब के सहयोग से सभा में अनुशासन और शालीनता सुनिश्चित करना; सभा में मामले उठाने और चर्चा में भाग लेने के लिये सभी माननीय सदस्यों का यथासंभव समान अवसर प्रदान करना; और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मामले सुगमतापूर्वक उठाए जाने हेतु 'शून्यकाल' को विनियमित करना। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये मेरा नेताओं और माननीय सदस्यों के साथ आवधिक बैठकें करने का प्रस्ताव है।

माननीय सदस्यों, मैंने देखा है कि प्रश्न काल का उपयोग उतने विवेकापूर्ण ढंग से नहीं किया जाता है जितना कि होना चाहिये और बहुत से तारांकित प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। सत्र के दौरान सभा में उत्तरित तारांकित प्रश्नों का औसत प्रतिशत, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, लगभग नौ प्रतिशत है जो बहुत उत्साहवर्द्धक आंकड़ा नहीं है। मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे भविष्य में सटीक अनुपूरक प्रश्न पूछें और प्रत्येक प्रश्न के संबंध में पूछे जाने वाले अनुपूरक प्रश्नों की संख्या को सीमित रखें। मैं सभी माननीय सदस्यों से सहयोग का अनुरोध करता हूं।

अन्त में, मैं पूरे सदन की ओर से अपने पूर्ववर्ती सम्मानित श्री जी०एम०सी० बालयोगी, जिनका 3 मार्च, 2002 को एक दुखद दुर्घटना में निधन हो गया, के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

माननीय सदस्य अब 'वन्दे मातरम्' के लिये खड़े हो जाएं।

सायं 7.02 बजे

राष्ट्रगीत

राष्ट्रगीत की धुन बजाई गई

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

पी०एल०एस०-48/25/40/2002 (एन०)
280

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशि
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
शुक्रवार, 17 मई, 2002/ 27 वैशाख, 1924 (शक)
का
शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
8	18	श्री मधुसूदन मिस्त्र	श्री मधुसूधन मिस्त्री
15	10 और 11	आंतरिक्ष	आंतरिक
37	18	बैठका	बैठता
350	22	अत्तर	अन्तर
389	7	"विनाश्चाय दुष्कृताम"	"विनाशाय च दुस्कृताम"